

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

2021

क्रम संख्या

दिनांक

स्थान

2021-2 34/47

जोधसिंह पुरस्कार से पुरस्कृत
प्राचीन भारतीय अभिलेख
(दो भाग)

लेखक
प्रोफेसर डा० वामुदेव उपाध्याय
(पटना विश्वविद्यालय)
मगलाप्रसाद पारितोषिक विजेता जोधसिंह पुरस्कार,
हीरालाल स्वर्णपदक एव गुलेरीपदक प्राप्त

प्रज्ञा प्रकाशन, पटना

प्रकाशक
प्रज्ञा प्रकाशन,
राजेन्द्र नगर, पटना-१६

सर्वोपकार लेखक के अधीन
द्वितीय संस्करण
१९७०
गण्य दस रुपये

मुद्रक
बाबूलाल जैन फागुल्ल
महावीर प्रेस
भैलूपुर, वाराणसी-१

प्रमाण-पत्र

काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा

श्री १० वासुदेव उपाध्याय का

उनकी श्रेष्ठ कृति

प्राचीन भारतीय अभिलेख

पर प्रदत्त

सन् २०११ से २०१७ तक के

जोधिसिंह पुरस्कार

एवं

गुलेरी पदक

के प्रमाणस्वरूप यह ताम्रपत्र अर्पित किया गया

प्रवच समिति की स्वीकृति से

कमलापति त्रिपाठी
सभापति

शिवप्रसाद मिश्र
प्रधानमंत्री

दो शब्द

पिछले कई वर्षों से यह अनुभव कर रहा था कि प्राचीन भारतीय अभिलेखों का वैज्ञानिक रीति में अध्ययन होना चाहिए जिसमें उनमें लिखित ज्ञान गति का परिज्ञान इतिहास के विद्यार्थियों को हो सके। अभी तक मार्गापाग ङ्ग से अभिलेख का मूल्यांकन नहीं किया गया है। जिस लेख या प्राम्तिन का सम्पादन हो सका है उसके सीमित क्षेत्र पर ही प्रकाश पटा है। अतएव समस्त विषयों को ध्यान में रख कर लेखकों ने अभिलेखों का अध्ययन आरम्भ किया और प्रत्येक अंग पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है।

भारतीय इतिहास में अभिलेखों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है तथा कंमे अभूत्य साधन है, यह विद्वानों ने छिया नहीं है। उनके अ-प्रपन में कई सांस्कृतिक विषयों पर नवीन प्रकाश पडता है। प्रस्तुत ग्रथ तीन योजना दो भागों में पूर्ण होगी। प्रथम भाग भूमिका तथा ऐतिहासिक प्रस्तावना गहिन मन् लेख एवं दूसरे भाग में टिप्पणी तथा हिन्दी अनुवाद। प्रथम भाग के पहले खण्ड में अभिलेखों का विस्तृत अध्ययन है। यो तो प्रत्येक विषय पर एक म्त्रतत्र ग्रथ तैयार हो सकता है किन्तु प्रत्येक अध्याय में एक विषय पर सक्षित रूप से विचार किया गया है जिससे पाठकगण लेखों के महत्व तथा ज्ञानगति का मल्याकन कर सके।

भूमिका में सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था का गतिगत वर्णन है और उन प्रसंग में कुछ ऐसो बातें भी सामने आई हैं जिनका विवरण अभिलेखों के अध्ययन से ही उपस्थित किया जा सका है। धार्मिक विषयों का जिस रूप में विवेचन किया गया है वह अन्य ऐतिहासिक साधनों से सम्भव न था। तथि तथा सम्बन्ध सम्बन्धी विचार इस ग्रथ की एक विशेषता है। अभिलेखों पर आधारित भारतीय भाषा एवं लिपि पर भी प्रकाश डाला गया है।

दूसरे खण्ड में मौर्य युग में बारहवीं सदी तक के अभिलेख संग्रहीत हैं। प्रायः समस्त राजवंशों के प्रधान एवं प्रतिनिधि लेख चुने गए हैं। इन लेखों का ऐतिहासिक दृष्टि में मकलन किया है जिससे इतिहास के विद्यार्थियों को सुविधा हो।

इस बीच चाराणसी से ऐतिहासिक तथा साहित्यिक लेखों का प्रकाशन हुआ है तथा डॉ० दिनेश चन्द्र सरकार की लेख सम्बन्धी दूसरी अंग्रेजी पुस्तक-इंडियन इपिग्राफी (Indian Epigraphy) भी प्रकाशित हुई है। परन्तु वर्तमान लेखक का क्रम अपनी विशेषता रखता है। इस पुस्तक में सांस्कृतिक विषयों पर अधिक बल दिया गया है। इसमें धार्मिक, सामाजिक एवं साहित्यिक परम्पराओं का विकास दिखलाने का प्रयत्न किया गया है। सबसे विचित्र बात यह है कि महाभारत तथा पुराणों में उल्लिखित धार्मिक भावनाओं का मध्ययुगी लेख प्रतिनिधित्व करने हैं। उन्ही विचारों से प्रेरित होकर अभिलेखों के अध्ययन की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया गया है। इतिहास के विद्यार्थियों का इससे मार्ग प्रदर्शन होगा।

इस ग्रंथ के प्रथम संस्करण को पाठकों ने जिस प्रकार अपनाकर अपनी गुणग्राहकता का परिचय दिया है। आशा है वे इसके द्वितीय संस्करण को उस प्रकार अपनायेंगे। मेरे अग्रज आचार्य पं० बलदेव उपाध्याय के आशीर्वाद तथा शुभ कामना से इस ग्रन्थ का निर्माण हुआ है। मेरे अनुज डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने इस ग्रन्थ के प्रकृत मसौदा में सहायता प्रदान की है। अतः वे मेरे आशीर्वाद के भाजन हैं।

पटना

वासुदेव उपाध्याय

सांकेतिक शब्दों की तालिका

आ० म० इ० ए० रि०	= आर्केलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया एनुअल रिपोर्ट
आ० स० रि०	= आर्केलाजिकल सर्वे रिपोर्ट
आ० य० मे०	= आर्केलाजिकल सर्वे मेमायर
इ० ए० भा०	= इण्डियन इन्टीक्वेरी भाग
इ० कर०	= इतिहासिक कर्नाटिका
ई० पृ०	= ईसवी पूर्व
ई० म०	= ईसवी सन्
इ० हि० नया०	= इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली
उ० प्र०	= उत्तर प्रदेश
ए० इ० भा०	= एथिओपिया इण्डिया भाग
ओ० का० प्रो०	= ऑरिगणल कांश्रेण प्रोसीडिंग
का० ..० इ० भा०	= कांश्रेण इन्फ्रिगेशनम् टिण्डिकेरम भाग
का० पी० यू०	= कान्यायन थ्रीन यूव
का० आ० सि०	= कायकवाण आरिक्टल सोरोज
ग० ले०	= गुप्त लेख
ग० स०	= गुप्त सम्बन्
ज० ट० हि०	= जनरल आफ इण्डियन हिस्ट्री
ज० ए० सो० ब०	= जनरल आफ एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल
ज० म० इ० सो०	= जनरल आफ ग्रेटर इण्डिया सोसाइटी
ज० यू० पी० हि० सो०	= जनरल आफ यू० पी० हिस्टारिकल सोसाइटी
ज० ग० ए० सो०	= जनरल आफ रायल एसियाटिक सोसायटी
ज० वि० ओ० आर० ए० स०	= जनरल विहार ओरिसा रिसर्च सोसायटी
दर०	= राज तरंगिणी
प० सि०	= प्रधान शिलालेख
वै० ध० म०	= वैयायन धर्म मूव
मा० य०	= मालवा सम्बन्
म०	= मूल लेख
त्रि० म०	= विक्रम सम्बन्
उ० का०	= उक्त काल या उक्त सम्बन्
शा० प०	= शान्ति पर्व
शि० ले०	= शिलालेख
स०	= सम्बन्
स्त० ले०	= स्तम्भ लेख
सा० उ० इ०	= साउथ इण्डियन इथिओपिया
सा० इ० ए० रि०	= साउथ इण्डियन एनुअल रिपोर्ट

प्रथम खण्ड

भूमिका

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
अध्याय १	
इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि	१-१८
भूगोल तथा इतिहास का सम्बन्ध १, पर्वतों तथा नदियों का उल्लेख ४, अभिलेखों में वर्णित नगर ६, अभिलेखों में राज्य सीमा १०, विभिन्न मार्ग १४, आक्रमणभाग १५, बन्दरगाह १६, मार्गवाह १७, मीमान्त की नियतनी १८ ।	
अध्याय २	
अभिलेखों का विवेचन	१९-३४
काव्य का इतिहास १९, शासन पत्र २०, प्राचीन लेख का महत्त्व २०, अभिलेखों का वर्गीकरण २१, लेख तथा सस्कृति २२, पुराण तथा लेख २३, धार्मिक महिष्णुता २४, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था २४, अन्तर्-द्रीय स्वरूप २६, भारतीयकरण की चर्चा २६, बुद्ध अवशेष का वार्ता २९, भारतीय लेख तथा बृहत्तर भारत ३१, अभिलेखों में तिथि ज्ञान ३१, लेखों में अन्वयिके ३२, वैज्ञानिक तथा तुलनात्मक अध्ययन ३३, लेखों की अपूर्णता तथा दोष ३४ ।	
अध्याय ३	
अभिलेख लिखने के आधार	३५-४६
शिलालेख ३५, स्तम्भ ३६, प्रतिमाएँ ३७, स्तूप ३८, अवशेषपात्र ३८, मुद्रा ३९, ताम्रपत्रिका ४०, सिक्के ४२, मुहरे ४४, आयागपट्ट ४६, ईंट तथा मृत्तिका पात्र ४६ ।	
अध्याय ४	
प्रशस्ति अंकन क काल एवं स्थान	४७-५३
धार्मिक अवसर ४७, दान की परिस्थिति ४८, विजय यात्रा ४९, सामाजिक अवसर ५०, व्यापारिक अवसर ५१, प्रशस्ति खुदवाने का स्थान ५१, जयस्कन्धावार ५२, प्रधान नगर ५३ ।	

विषय	पृष्ठ
अध्याय ५	
अभिलेखों से इतिहास ज्ञान	५४-७४
वशवृक्ष ५५, युद्ध गाथा ५७, राज्य सीमा ५९, राजाओं की सम- कालीनता ६१, शासन व्यवस्था ६२, राजतन्त्र व प्रजातन्त्र ६३, अभिलेखों में उल्लिखित पदाधिकारी ६५, अभिलेखों में कर सम्बन्धी चर्चा ७१ ।	
अध्याय ६	
प्राचीन अभिलेखों में वर्णित समाज	७५-९९
वर्णाश्रम व्यवस्था ७५, ब्राह्मण ७७, ब्राह्मणों का वर्गीकरण ७७, ब्राह्मणों का जीवनका माचन ७९, ब्राह्मणों का देशान्तर गमन ७९, धात्रिय ८०, वैश्य जाति ८१, काश्यप ८२, वृत्र तथा चाण्डाल ८३, आश्रम सस्था ८५, सन्यासी एवं मठाशास ८६, बलिदान के उपाय ८७, सामाजिक संस्कार ८८, बहुपत्नीधन ८८, स्त्री पथा ८९, गणिका ८९, वस्त्राभूषण तथा शृंगार के साधन ९०, भोजन तथा पेय ९१, भोजन का मन्थ ९२, समाज में भिक्षा मांगने की प्रथा ९३, अन्वविश्राम ९५, मनोरंजन के साधन ९६, सामाजिक उत्सव ९७, समाज में व्यक्ति का चरित्र ९८ ।	
अध्याय ७	
भारतीय प्रशस्तियों में धार्मिक चर्चा	१००-१३०
बौद्धधर्म १००, जैन तथा आजीवक १०४, पागवत धर्म १०४, विष्णु पूजा १०५, शैवमत १०६, पाजुपन तथा कार्पासिक १०९, सूर्यपूजा ११०, शक्तिपूजा ११२, गणेश ११३, धार्मिक महिष्णुता ११३, बौद्धक यज्ञ ११५, धार्मिक कार्य ११५, मन्दिर निर्माण ११६, सम्कार ११८, देवपूजन ११९, सत्र की स्थापना ११९, गोष्ठी या प्रकृत्य समिति १२०, दान का उद्देश्य १२१, दण, काल, पात्र १२२, धर्मदलोक १२४, अपहरण निवृध, बधक तथा कर-शामन १२६, दानविधि १२७, धार्मिक उत्सव व्रत तीर्थ १२८ ।	
अध्याय ८	
प्रशस्तियों में साहित्य का ज्ञान	१३१-१५६
प्रशस्ति का उदगम १३१, अभिलेखों में वचिगण १३२, शिखावेन्द्र १३६, नालदा मठाविहार १३७, अद्ययन के विभिन्न विषय १३९, हस्तकला की शिखा १४४, अभिलेखों की विभिन्न भाषाएँ १४५, पाल १४७, प्राकृत १४८, मस्कृत १५०, प्राचीन भाषाएँ १५१, भारतीय अक्षरों का विकास १५२, प्राचीन अक्षर १५२, अक्षर व्यक्त करने की भारतीय शैली १५३, दशमलव प्रणाली १५५ ।	
अध्याय ९	
अभिलेखों में आर्थिक-विवरण	१५७-१७१
सिचार्द का प्रबंध १५८, क्षेत्र का माप १६०, हल १६०, पादा-	

विषय

पृष्ठ

वर्त तथा हस्त १६०, निवर्तन १६१, कुल्यावाय-द्रोणवाय तथा पाटक १६१, व्यापार की चर्चा १६२, श्रेणी १६४, श्रेणी का वैक कार्य १६५, व्यवसायिक कर तथा मुद्राएँ १६६, कर सम्बन्धी विवरण १६७, व्यवसायिक कर १६९, अस्थायी कर १६९, सिक्कों के विभिन्न नाम १७०।

अध्याय १०

तिथियाँ और सम्वत्

१७२-१९४

माम तथा वार १७५, सम्वत् १७७, विक्रमी सम्वत् १७८, सस्या-पक १८०, आग्नि काल १८०, शक सम्वत् १८१, गुप्त सम्वत् १८३, गुप्त सम्वत् वा नामोल्लेख १८३, अश्वमेधी का कथन १८८, जैनग्रन्थों के आधार पर ५० स० तथा ५० का० का अन्तर १८६, विक्रम तथा शक काल का सम्बन्ध १८७, पौरोट का मत १८८, मत का स्पष्टन १८८, लैलो का प्रमाण १८८, बल्लभो ५ गण ५५५ ई० पकला १८९, लैग का तात्पर्य १९०, चौवादि वर्ष का प्रचार १९१, अग्निम परिणाम १९२, मत्त सम्वत् के सम्पापक १९२, बल्लभो ५ गण १९२, लर्ण सम्वत् १९३।

अध्याय ११

भारत में लेखनकला की प्राचीनता

१९५-२१५

लिपि, लखन-कला तथा उसका इतिहास १९८, भारतीय लिपि का जन्म तथा इतिहास २०१ खगण्टी २०२, ब्राह्मी २०३, ब्राह्मी में भारतीय लिपियों का विकास २०५, गुप्तलिपि २०६, कुट्टिक लिपि २०७, देवनागरी लिपि २०७, कैथी आदि २०८, दक्षिण भारत की शैली २०८, कलिग लिपि २०९, लेखक तथा लिखने का विधि २०९, मूलाकार २११, शासन का निर्माणकर्ता २१२, निबन्ध कर्म २१३, लिपन का शैली २१३, संक्षिप्त चिह्न २१४, प्राचीन भारतीय लिपि का स्पष्टीकरण २१४।

अध्याय १२

भारतीय अभिलेख तथा बृहत्तर भारत

२१६-२२५

मुसामा के लेख २१७, जापा के अभिलेख, २१८, भारतीय अभिलेखों में दीनेन्द्र बख की चर्चा २१८, बर्मा तथा मलाया के संस्कृत लेख २२०, बोनियो तथा वालि के लेख २२१, हिन्दु-चान के संस्कृत लेख २२१, नेपाल, तिब्बत तथा मध्य एशिया २२३, विदेशिया का भारतीयकरण २२४।

प्रथम खण्ड

भूमिका

८

अध्याय १

इतिहास की भौगोलिक पृष्ठ-भूमि

किसी देश को प्राचीन कथा का नाम ही इतिहास है। वर्तमान घटनाओं में इसका विशेष सम्बन्ध नहीं है किन्तु ऐतिहासिक बातें काल तथा स्थान से सीमित हैं। आरम्भ में इतिहास तथा भूगोल के घनिष्ठ सम्बन्ध को पृथक् नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक जीवन में जानिये अथवा समझ को प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल ही काल यापन करना पड़ा था और उन्होंने प्रकृति की सहायता लेकर ही किमी स्थान पर निवास किया या भ्रमण किया।

भारतीय इतिहास का भूगोल से इनका पारस्परिक सम्बन्ध रहा है कि दोनों का अध्ययन ही यहाँ के प्रागैतिहासिक जीवन की कथा है। प्राचीन भारत में उत्तर तथा दक्षिण की सांस्कृतिक विभिन्नता का कारण भौगोलिक कठिनाइयाँ ही थी। केरल तथा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक भिन्नता भौगोलिक स्थिति के द्वारा ही समझी जा सकती है। ये सभी बातें इतिहास के विश्लेषणों से छिपी नहीं हैं कि उनके अध्ययन से प्राचीन भूगोल जानने के विभिन्न साधनों में अभिलेख भी अपना स्थान रखते हैं। इनके अध्ययन से प्राचीन भूगोल का परिज्ञान होता है।

प्राचीन भारत का भूगोल जानने के लिए पुराने अभिलेखों से पर्याप्त सहायता मिलती है। विभिन्न वनों के लेखों में वर्णित मार्ग, नगर, यातायात तथा विजय की चर्चा से भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। साहित्य तथा यात्रा सम्बन्धी ग्रंथों से प्राचीन भारतीय भूगोल का जो परिज्ञान होता है, अभिलेखों की सहायता से उनकी पुष्टि तथा वास्तविक स्थिति निश्चित हो जाती है। लेखों के प्राप्ति स्थान में अमुक साम्राज्य की सीमा ज्ञात होती है तथा भारतीय नदियों की विजय-यात्रा का मार्ग प्राचीन समय के यातायात

तथा व्यापारिक रास्तों में परिचय कराना है। किमी जामक ने तीर्थयात्रा या दान के प्रसंग में जिन स्थानों का भ्रमण किया हो, उनका विस्तृत विवरण लेख में मिलना उचित ही है। दान की चर्चा करते समय नदियों तथा उनके किनारों स्थित नगरों का वर्णन भी अभिलेखों में अधिकतर मिलता है। राजनीतिक तथा धार्मिक कार्यवश दूतों का उल्लेख करते समय विभिन्न प्रदेशों के नाम प्रशस्तिकारों में दिया है। यद्यपि अभिलेखों में स्पष्ट वर्णन उपलब्ध नहीं है तो भी अन्य सम्बन्धित प्रमाणों से भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए यदि असोक के स्तम्भ लेखों को देखा जाय तो प्रकट होता है कि ये चुनार प्रस्तर के बने हैं। नीम फीट तक लम्बे हैं तथा बीस टन लगभग तौल में होते हैं। यह एक कठिन प्रश्न है कि ऐसे विशाल स्तम्भ किस प्रकार मुद्गर प्रदेशों में पहुँचाए गए, जहाँ उन पर लेख खोदे गए थे। साधारणतया यह अनुमान किया जाता है कि नदियों के सहारे वेड़े पर रख कर स्तम्भ को यत्र तत्र पहुँचाया गया होगा। चुनार गंगा नदी के किनारों है तथा गंगा नदी की अन्य कई सहायक नदियाँ भी इसके लिए उपयुक्त थी। गंगा से यमुना नदी द्वारा स्तम्भ ले जाकर कौशाम्बी में स्थापित किया गया।

भूगोल तथा
इतिहास का
सम्बन्ध

४ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

सांची का स्तम्भ, गंगा से यमुना तथा उसकी सहायक नदी चम्बल और चम्बल की सहायक बस नदी में नेडे के सहारे मालवा प्रदेश पहुँच सगा। बसनगर का हेलिगोडोस का स्तम्भ भी इसी ढंग से वहाँ पहुँचाया गया होगा। लुम्बिनी का स्तम्भ गंगा, घाघरा तथा राप्ती नदियों से होकर रुम्मनदेई में स्थित हुआ। चम्पारन के स्तम्भ गंगा तथा गण्डक नदी की सहायता में उत्तरी बिहार ले जाकर खड़े किये गये। दिग्गी-दापरा तथा दिग्गी-मेरठ के स्तम्भ तो यमुना की घाटी में स्थापित किए गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि बक्र गति से भी भौगोलिक परिस्थितियों का परिज्ञान किया जा सकता है।

प्राचीन लेखों में पर्वतों तथा नदियों का उल्लेख दो पदान्तरों में किया गया है। (अ) राजनीतिक (ब) धार्मिक। अशोक ने अपने शिलालेखों की सफलताओं का वर्णन करते समय ऐसे पर्वतों के नाम वर्णित किया है जो उसके आक्रमण पर्वतों तथा नदियों की सीमा पर स्थित थे अथवा इनके समान पर्वत हुआ या शासक ने उन्हीं अतिक्रमण कर दान तो परामर्श किया था। धार्मिक परिस्थिति में शासक ने कुछ गणपण स्थापना और भिक्षुओं को दान दिया। वह भी एक कारण (धार्मिक) था कि जो पर्वतों में पवन का नामोर्पण किया गया। ऐसे कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जायेंगे जो ऊपर उल्लेखित कारणों को पार कर रहे हैं।

अशोक ने वर्तमान बराबर (गंगा, बिहार) की पर्वतियों में महा श्रृंखला पर आध्यात्मिक नामक धार्मिक मन के साधकों को दान दिया था। उम्र पना में शक्ति पर्वत (= बराबर) का उल्लेख मिलता है (कुमा खलिक पानाम दिना अजातिवेरि); उम्र पना के शासक शारंग ने राज्याभिषेक के आठवें वर्ष में शौरभगिर् (= बराबर पर्वत) पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। इस तरह के विजय सम्बन्धी लेखों में सातवाहन नरय पुलकेशिन के नासिक लेख (वर्ष १९) को प्रधान स्थान दिया जाता है। उसमें सातवाहन राजा शौर्भगिर् आतंकियों के विजय का विवरण प्रस्तुत किया गया है और उस शासक का ब्रह्म (ब्रह्म) अश्वली (परियातु) महाद्रि (सद्य = पश्चिमोघाट) कृष्णाशिर (रुहेरी, बम्बल के समीप) मलय (मल्याचल = नीलगिरि का दक्षिणी शिखर) तथा महेंद्र (पश्चिमोघाट) का स्वामी कहा गया है। उसका तात्पर्य यह है कि शौर्भगिर् आतंकियों पश्चिमोघाट में पूर्वोघाट (पश्चिमोघाट) तथा अश्वली से नीलगिरि (उत्तर पश्चिम) तक यानी सम्पूर्ण दक्षिणी पठार पर शासन कर रहा था। उस विजय के प्रसंग में समुद्रगुप्त के प्रयागस्तम्भ लेख का वर्णन आवश्यक है। गुप्त सम्राट् पाटलिपुत्र में दक्षिण भारत पर आक्रमण कर अनेक राजाओं को परामर्श किया जिसमें महेंद्रगिरि का भी नाम उल्लिखित है। यद्यपि उस नाम के सम्बन्ध में विवाद है किन्तु महेंद्र की पूर्वोघाट में समता कर सकते हैं। चालुक्य नरेश द्वितीय पुलकेशिन के अयहोल प्रशस्ति में विन्ध्याचल पर्वत का उल्लेख है जिसके समीप ही उत्तरी भारत के सम्राट् हर्ष वर्धन को उमने परामर्श किया था। जहाँ तक धार्मिक परिस्थिति का प्रश्न है नासिक लेखों में विरणहू या शौरभिम पर्वत का नाम वर्णित है जिसमें भिक्षुगण के निमित्त गुहा खुदवा कर दान में दिया गया था (शौरभिम पर्वत पर धर्ममन्त्रा एव नैव कारित-नासिक लेख) इन प्रसंगों से बिन्न देश की आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए पर्वतीय नदियों में सिंचाई निमित्त नहर निकाली गई थी। काठियावाड के उर्जयत पर्वत से दो नदियों पलाशिनी आदि निकली थी जिनकी बाढ़ के

कारण बाँध नष्ट हो गया और महाभारत युद्धदामन ने उसकी मरम्मत करवाई थी (गिरेहूर्ज-यत सुवर्ण सिकता पलाशिनी प्रभृतीना नदीना-जूनागढ का शिलालेख) । इन पर्वतों तथा नदियों के सम्बन्ध में गुप्तनरेश स्कन्दगुप्त के जूनागढ लेख से अतीव सुन्दर तथा काव्यमय पद्यों का उद्धरण गुक्ति सगन होगा । काठियावाड़ के सुदर्शन शील का वर्णन करते हुए कवि ने समीप-वर्ती नदियों तथा उनके मूल स्रोत पर्वतों का वर्णन बड़े ही मार्मिक शब्दों में किया है—

इमाश्व या रैवतकाट्टिनिर्गता
पलाशिनीय सिकता-विलाशिनी ।
समुद्रकान्ता चिरबन्धनोपिता
पुन पति शास्त्रमयोचितं ययु ॥
अवेक्ष्य वर्षागमज महोद्भूय
महोदधेरूर्जयता प्रियेष्पुना ।
अनेकतीरान्नजपुष्यगोभिनी
नदीमयो हस्त इव प्रसारित ॥

कवि द्वारा नदियों रूपी पत्नियों का समूह (पति) में मिलना तथा नदियों की दो बाहु में उपमा देना, काव्यमय लेखों का उम्कृष्ट दृष्टान्त है । गुप्त नरेश कुमारगुप्त प्रथम के प्रसिद्ध प्रशस्तिकार पद्मभट्ट ने इण्डो (मालवा, राजस्थान) का अतीव मनोहर वर्णन करने हुए इस नगर का कैलाश पर्वत के अदृश अट्टालिकाओं में गुप्त वर्णित किया है ।

कैलास-तुंग-दास्यप्रतिमानि चान्या-

न्यायान्ति दीर्घ-बलमीनि सवेदिकानि ।

(मद्राज प्रशस्ति, वि० सं० ५२९)

अभिलेखों में नदियाँ का नाम तीर्थ स्थानों के प्रथम में उल्लिखित है, किन्तु कतिपय नाम राजनैतिक स्थिति में सम्बन्धित हैं । इस सन्दर्भ में नहपान कालीन नासिक गुहालेख का नामोल्लेख महत्वपूर्ण है । क्षत्रप नहपान का जामाना कृपभद्रत ब्राह्मण धर्मानुयायी हो गया था । अतएव राष्ट्रपति के मिलसिले में उसने अनेक नदियों पर मार्ग को आरोपित कर से गुक्त कर दिया । वेग में निम्नलिखित वर्णन आता है—हवा-पारदा-दमणा तापी-करवेणा-दाहनुका नावा पुष्यतर-कोण (नासिक गुहालेख ई० सं० १२४ ई०) विष्णु पुराण (३, ९) तथा अग्निपुराण (२२३-२५) में इस पुष्य कार्य को 'तरशुकर' या 'शुकरतर' कहा गया है जिसका तात्पर्य है 'अशुकरतर=पुष्यतर' यानी नदी को पार करने में किसी प्रकार का कर न लगे । इस अभिलेख में पश्चिमी भारत के नदियों के नाम सम्मिलित हैं । वार्णामा=वनास (चम्बल की सहायक) ताप्ती=ताप्ती, दमन=दमनगंगा (दामन शहर के समीप, दाहनु का (दाहनुशहर के समीपवर्ती) नदियों के नाम का पता चलता है किन्तु हवा पारदा तथा करवेणा को समता करना कठिन है । इसमें यह भी तात्पर्य निकलता है कि नहपान का राज्य विस्तृत था । जूनागढ लेख (रुद्र-दामन तथा गुप्तराजा स्कन्दगुप्त) में पलाशिनी आदि का नामोल्लेख किया गया है । चौथी सदी में गुप्त सम्राट् द्वितीय चन्द्रगुप्त ने पंजाब पर आक्रमण किया था । उसी के पयग में सिन्धु नदी के सातमुखों (सहायक नदियों) का वर्णन है—

तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे

सिन्धोज्जिता वाह्लीका

(मेहरोली लौह स्तम्भ लेख)

यहाँ सिन्धु की सहायक झेलम, चनाव, रावी, व्यास, सतलज, काबुल तथा स्वात को सम्मिलित कर सात मुखों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार इन नदियों के नाम राजनीतिक परिस्थिति के कारण ही उल्लिखित हैं। गुप्त राजा बुधगप्त के एरण स्तम्भ लेख में शासन को दृष्टि में रखकर कालिन्दी (यमुना) तथा नर्बदा का वर्णन किया गया है जिसके मध्य में मुरश्मिचन्द्र शासन करता था।

दक्षिण भारत के लेखों में युद्ध यात्रा के समय में नदियों के नाम मिलते हैं। राष्ट्रकूट शासक ने गंगा-यमुना के मध्य में धर्मपाल को परास्त किया (गंगा यमुनोर्मध्ये राज्ञो गौडस्य नश्यत्,) ऐसा उल्लेख मौर्य ताम्र-पत्र में किया गया है। आक्रमण के मार्ग में कावेरी नदी का नाम चालुक्य नरेश द्वितीय पुलकेशिन् के अयहोल लेख में आया है। किन्तु मध्य युग में धार्मिक कार्यों के साथ ही नदियों का नाम लेखों में आता है। गहड़वाल नरेश गौनिन्द चन्द्र देव के कमीठी ताम्र-पत्र में 'श्रीमद् वाराणस्या गंगाया स्नात्वा' वाक्य मिलता है। तात्पर्य यह है कि दान करने से पूर्व गंगा नदी में स्नान करना आवश्यक था। साराण्य यह है कि जीमलेखा में विभिन्न परिस्थितियों के कारण प्रशस्निकार ने पर्वतों तथा नदियों का उल्लेख किया है।

यात्राक का जिस स्थान में मोघा सम्बन्ध होता था उसका उल्लेख भी लेखों में स्वभावतः पाया जाता है। कालिग विजय के पश्चात् अशोक की मनोवृत्ति का परिवर्तन हो

अभिलेखों में

वर्णित नगर

गया, इसलिए उसने कालिगदेश के अतिरिक्त अन्य लेखों द्वारा विभिन्न पातों में धर्माज्ञा प्रसारित की "सर्वे सुानि मे पजा ममा। अथा पजाये इच्छामि एकं किति मनेन हितं मुषेन. एकं चामि एकं।" अतएव तोसली, उज्जयिनी तथा तक्षशिला कुमार का मदगा भेजा गया।

तोसली का वर्तमान धौली (भुवनेश्वर के समीप, उड़ीसा) से समीकरण किया जाता है। वह देखने में गुड़ क्षेत्र के समान पकट हाता है। धौली में अशोक का पृथक् शिलालेख चट्टान पर खुदा है। उज्जयिनी (अर्वाचन की राजधानी) तथा तक्षशिला (गन्धार प्रदेश का मुख्य नगर) के सत्र में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ व्यक्ति बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु समझते हैं क्योंकि वह स्थान शाक्य वंश की राजधानी थी। लेकिन अशोक के रुम्मानदेश (नेपाल तराई) स्तम्भ लेख में स्पष्ट लिखा है—

हिंद बुधे जाते राय मुनीति

× × ×

हिंद भगव जाते ति लुम्बिनि गामे।

अतएव इनके आधार पर अभी संदेह मिट जाता है। मौर्य सम्राट् अशोक के आठवें शिलालेख में निम्न वाक्य मिलता है—संबोधि तेनेया धर्म-यात्रा। सम्भवतः अशोक ने बुद्धधर्म में प्रवेश कर धर्मयात्रा आरम्भ की और पहले बृहन्नुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी पहुँचा, तत्पश्चात् ज्ञान प्राप्ति के स्थान बोध-गया। "संबोधि धर्मयात्रा" में बोध-गया के तीर्थयात्रा का अर्थ समझना चाहिए। अन्य स्थानों के सम्बन्ध में कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलता। परन्तु सारनाथ का स्तम्भ लेख

तथा धर्मराजिक स्तूप का निर्माण अशोक के सारनाथ तीर्थ यात्रा को प्रमाणित करता है। सारनाथ स्तम्भ लेख में संन भेद के प्रसंग में पाटलिपुत्र नगर का नाम भी उल्लिखित है।

मौर्यों के उत्तराधिकारी पुष्यमित्र को अयोध्या लेख में 'कोसलाधिप' कहा गया है। यानी वह उत्तर-कोसल का शासक था जिसकी राजधानी अयोध्या थी। दक्षिण कोसल को महाकोशल कहने थे जिसकी राजधानी त्रिपुरी (जबलपुर, मध्यप्रदेश) थी। दक्षिण भारत के शासक सातवाहन नरेशों के जो लेख प्रकाशित हुए हैं उनमें गोवर्धनस (= नामिक)जयस्कन्धावार क रूप में उल्लिखित है। गोमना पुत्र शातकर्णी के विजय प्रसंग में प्रदेश तथा नदियों के नाम आते हैं (आगे देखिए)। शातकर्णी के समकालीन खारवेल के हाथी गुहान-नेव में कलिगनगर का नाम जाया है (जिस स्थान को मरम्मत खारवेल ने पाँचवें वर्ष में की थी)। इस कलिग नगर के समाकरण में मतभेद है। अभी भुवनेश्वर के समीप शिशुपालगढ़ की खुदाई हुई है। ब्रिटानो का मत है कि यही स्थान कलिग नगर माना जा सकता है। उसी लेख में राजगृह तथा अंग एवं मगध प्रदेशों के नाम भी उल्लिखित हैं (अंग-मगध-वसु च नयति)। वेस नगर के स्तम्भ लेख में हेरियोडास तथा शिला का ध्वज दूत (तख्त सिलाकेन योन दूतेन) कहा गया है। इसमें पता चलता है कि तदागिला प्राचीन समय में प्रमुख स्थान मगधा जाता था। अग्रेक के समय में ही यह भासन का प्रधान केन्द्र था। यूनानी राजा अतलिकित वहाँ शासन करता था जिसका दूत हेरियोडास था।

पहली सदी में कुषाण नरेश कनिष्क ने तक्षशिला के समीप पेशावर को अपना राजधानी बनाया। कनिष्क का राज्य कार्य तक विस्तृत था। यही कारण है कि उसके सारनाथ की बृद्ध प्रतिमा लेख में बनावस का प्राचीन नाम वाराणसी का उल्लेख आता है [वाचिमत्वे छययति प्रतिष्ठापितो वाराणसिधे]। कनिष्क के महेंत-महेत (जिला गोडा, उत्तर प्रदेश) लेख में 'शावसिधे' नाम उल्लिखित है जो सहेत महेंत का प्राचीन नाम था। वाराणसी का उल्लेख मध्ययुगीन कमीनी ताम्रपत्र में भी मिलता है (थीमद् वाराणस्या गगाया स्नात्वा)। अन्य लेखों में भी भाकाशी का नाम भी आया है। हृषिक के बुद्ध प्रतिमा लेख में मथुरा के लिए "मधुर वणके" शब्द का प्रयोग मिलता है। पटिक के ताम्र पत्र में "तख्तसिलिये नगरे" का उल्लेख आता है। दक्षिण नहपान के नासिक गुहा लेख में प्रभाम (काठियावाड), भरुकवळ (भरीच), दशपुर (मालवा), गोवर्धन (नासिक) तथा गोर्पारक (मोंपारा) के नाम उल्लिखित हैं क्योंकि इन स्थानों पर नरुभदत्त ने आगम गृह का निर्माण किया था। अभिषेक के निमित्त वह पुष्कर तीर्थ गया, जिसका "पोक्षानि" की मशा से नामिक गुहालेख में उल्लेख है। कालेलेख में भी इसी स्थान पर दान देने का वर्णन किया गया है [पभासे पूततिथे ब्रह्मणाण अठ भाया पदेन । अनुवास पितु सत सह्य भोजप यति]। म्द्रदामन के जूनागढ़ लेख में तो अनेक प्रान्तों के भी नाम मिलते हैं। आकरा-वाती (मालवा), मुराष्ट्र (मौराष्ट्र), मरु (राजपूताना), सिन्धु सीबोर (सिन्धु नदी का निचला प्रदेश) कच्छ आनर्न (उत्तरी काठियावाड) आदि का विवरण आता है।

अशोक तथा गुप्त सम्राटों के अभिलेखों से भी दक्षिण भारत के राज्य तथा नगरों के नाम ज्ञात होते हैं। अग्रेक के द्वितीय शिलालेख में "चोडा पादा मतिथ पुती केतल पुती तंबपंणी" का उल्लेख मिलता है जिससे सुदूर दक्षिण के प्रात तथा लका की स्थिति का परिज्ञान होता है। तेरहवें शिलालेख में कर्लिग (उडीसा) प्रात के विजय का वर्णन है। उसी लेख में आंध्र प्रदेश का भी नाम आता है।

८ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

गुप्त-काल में मगधा के दिग्विजय के प्रसंग में अनेक प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय ने कई शासकों को परास्त किया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौसल (दक्षिण कौसल) पीठापुर, काची आदि स्थानों के नाम दक्षिण भारत के दिग्विजय के प्रसंग में आए हैं। समतट डवाक, (ढाका) का मरूप (अमर), नेपाल, कर्त्तपुर का उल्लेख भी सीमा पर स्थित प्रदेशों के रूप में मिलता है। अशोक के तबपणी (लका) का प्रयाग प्रशस्ति में सैहल (लका) के नाम में उल्लेख है। दक्षिण भारत के प्रदेशों की राजधानी का उल्लेख नहीं पाया जाता। चन्द्रगुप्त द्वितीय के विजित स्थानों में वाकनाड का नाम मिलता है जो सांची का प्राचीन नाम था। उदयगिरि के लेख में वीरमेन ने अपना परिचय देते समय अपने को चन्द्रगुप्त का मंत्री तथा पाटलिपुत्र का निवासी बनलाया है—

कोन्मश्राव इति स्थानो वीरमेन कुलारव्यया ।
शब्दार्थ-यायलोकज्ञ. कवि पाटलिपुत्रक ॥

कुमार गुप्त प्रथम के मन्दसोर लेख में दो प्रधान व्यापारिक नगर का नाम दिया गया है। व्यापारिक सभ (श्रेणी) ने लाट (दक्षिण काटियावाड) में आकर दशपुर (मालवा) को अपना केन्द्र बनाया और कार्य निष्पन्नता तथा दक्षता के कारण लोगों में विश्वास पैदा कर दिया था। वर्णन मुनिवे—

लाट विषयात्रगावृत शैलाञ्जगति प्रथित क्षिप्या
× × ×
आतादरा दशपुर प्रथम मनोभि-
रन्वागताम्ससुत बन्धु-जनास्तमे-य ।

एस स्थान की प्रधानता के कारण ही बन्धु वर्मा को उसके ज्ञान का कार्य सौंपा गया था—
तस्मिन्नेव क्षितिर्पात विषे बन्धुमण्डुवारे
सम्यक् स्फूर्तं दशपुरमिद पालयत्यज्ञतास ॥

कुमारगुप्त के पुत्र स्कन्दगुप्त ने नागन काल में भी व्यापारिक श्रेणियों का कार्य करती रहीं। इन्दार के ताम्र पत्र में 'दशपुर निवासि श्रेणी' का वर्णन है जिसने सूर्य के मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था। (दशपुर निवासीन्यास्तलिक-श्रेण्या) उस स्थान को वर्तमान उन्दी ही माना गया है जहाँ वे नागपत्र प्राप्त हुआ है। गुप्त नरेशों के दामादरपुर नागपत्र में गुणवर्धन (नृत्तिक) तथा उल्लिखित कौटिवर्य (विषय) का नाम आया है। दोनों स्थान उत्तर बंगाल के (इस समय पूर्वी पाकिस्तान के) राजशाही जिले में स्थित थे।

उसी प्रकार गुप्त राजाओं के समकालीन नरेशों के लेखों में कई नगरों के नाम मिलते हैं। गुप्तानियों के अलावे चन्द्रवर्धन गुप्तर (अजमेर, राजपुताना) का राजा कहा है। वैश्याम के ताम्रपत्र में शासक को पञ्चनगरो (वर्तमान पछिबी, बंगरा) का स्वामी बनलाया गया है। मोक्षि नरेश उन्नाम वर्मा के हर्हा प्रशस्ति में आध्र तथा गौड (उत्तर बंगाल) प्रदेशों के नाम उल्लिखित हैं। हर्षवर्धन के दामोदर नागपत्र में अहिल्लभ भुक्ति का नाम आया है जिसका सम्भारण वर्तमान रामनगर (बरेली, उत्तर प्रदेश) में किया जाता है। खुदाई में वहाँ से सिक्के, प्रतिमाएँ तथा मुहरें मिली हैं। मध्य युग में तीर्थों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित हो गया था। जहाँ मौर्ययुग में कौशांबी की (कोसंबी) प्रतिष्ठा थी। आठवीं सदी से प्रयाग

का महत्त्व हो गया। अपसद लेख में तृतीय कुमारगुप्त के सम्बन्ध में प्रयाग आकर अग्नि में जल कर बलिदान का विवरण दिया गया है (शौर्यमत्यत्रतधरी य प्रयाग गतो घने) इसी तरह का वर्णन गणेशदेव चेदि के लिए कलचुरी प्रशस्ति में पाया जाता है। उस स्थान पर विवरण आता है कि चेदि राजा ने डेढ़ सौ पटरानियों के साथ प्रयाग आकर गंगा में डूब कर स्वर्ग प्राप्त किया था।

प्राप्ते प्रयाग-वट-मूल-निवेश-वन्धी

सार्धं शतेन गृहिणीभिर्गुप्तं मुक्तिम् ।

(ए. इ. भा० २ पृ ४)

चन्देल राजा चन्द्र वर्मन् के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह काशी, कुशिक (कन्नौज) उत्तर कोशल (अयोध्या) तथा कण्डप्रस्थ का रक्षक था। इस स्थान पर उपरि उक्त चारों स्थानों का नामोन्तेश है। दान के प्रयोगवाला महदवाल दानपत्रों में काशी में स्नान कर दान देने का उल्लेख मिलता है। [धामद् वाराणस्या गंगाया स्नान्वा—ए. इ. २६ पृ ७२, भा ८ पृ १५८] इस में प्रकट होता है कि मध्य यग में प्रयाग, वाराणसी तथा अयोध्या आदि तार्थों की ल्याग यात्रा करते थे। पाल प्रशास्तियों में विविध स्थानों के नाम प्रकृत मात्रा में मिलते हैं। पाल नरेश धर्मपाल के मालामपर, देवपाल के नालदा तथा नारायण पाल के भागलपुर नामपत्रों में कई नाम जाते हैं। धर्मपाल ने महोदय (कन्नौज) को जीतकर चक्रपालित को मिहामन पर बेटाया था। अपने जगन के अंत में जयने केदार (केदार साथ महवाल) तथा गंगानगर की तीर्थ यात्रा की थी। देवपाल ने नालदा में निर्मित विहार को पाल ग्राम दान में दिया था तथा नारायण पाल ने मंगेर गे (मुर्दागिरि जयस्कन्धावागन्) आज्ञा पत्र प्रसारित किया था। इस तरह प्रसंग बंध पालराज्य का सीमा में स्थित नगरों के नाम उल्लिखित हैं।

असहोत्त लेख में चालुक्य राजा पुलकेशी प्रथम अपनी राजधानी (वातापापुरी) का स्वामी कहा गया है।

तस्याभवत्तनूज पालकेजीय श्रितेन्दु कान्तिरपि

श्री बल्लभोप्ययासीद्वातापिपुरी बध्वरताम् ।

उसी लेख में पुलकेशी तृतीय के विजय यात्रा के प्रसंग में लाट, मालव, गुर्जर देश, महाराष्ट्र कोशल (दक्षिण) एवं कलिङ्ग आदि प्रदेशों के अतिरिक्त पल्लव नरेश को राजधानी काचीपुर के विजय का वर्णन मिलता है।

आक्रान्तात्मबलोर्षति बलरज सञ्छन्नकाञ्चीपुर-

प्राकारान्तरित प्रतापमकरोद्य पल्लवाना पतिम् ।

पश्चिम भारत के मैथिल नरेश द्रौण सिंह के लेख के प्रारम्भ में बलभी राजधानी का उल्लेख है (बलभीत परमभट्टारक पादानुध्यातो महाराज द्रौणसिंह) जिसके आधार पर मैथिल राजा बलभी नरेश कहे जाते हैं। यह गुजरात में शिक्षा का मुख्य केन्द्र भी था। मध्ययुग के चन्देल राजाओं के लेख में कान्यकुब्जाधिपति या कालिञ्जराधिपति शब्द प्रयुक्त मिलते हैं। जिसका साधारण अर्थ यही था कि कान्यकुब्ज तथा कालिञ्जर नगरों पर उनका अधिकार था। दिल्ली के स्तम्भ लेख में विग्रहराज (म० १२२०) के विन्ध्या से हिमालय तक तार्थ यात्रा का बात

१० . प्राचीन भारतीय अभिलेख

लिखी है। (आबिन्धादाहिमाद्रोर्वरचित विजयस्तीर्थयात्रा)। इस आधार पर कहा जा सकता है कि तीर्थ नगरों का ज्ञान लोगों को था। उमें शाकम्भरी का राजा कहा गया है। यानी तोमर नरेश दिल्ली से अजमेर तक शासन करते रहे।

दक्षिण भारत के मध्य युगी लेखों में भी अनेक नगरों तथा प्रदेशों के नाम मिलते हैं। राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष के मजून नाशवत लख में गौड, काण्ड, कलिंग, वेमि तथा कांची आदि के नाम उल्लिखित हैं।

प्राचीन लेखों में अनेक शासकों के विजय का वर्णन मिलता है जिनके आधार पर प्राचीन भारत के विभिन्न प्रदेश तथा मार्ग की समुचित जानकारी होती है। लेखों में वर्णित विजय-यात्रा से यह विचार कदापि व्यक्त नहीं किया जा सकता कि सारे विजित प्रदेश राज्य में सम्मिलित कर लिए गए थे। अशोक के १३ वें शिलालेख में कलिङ्ग विजय का वर्णन मिलता है और उसी के साथ सीमा पर स्थित विभिन्न भारतीय यूनानी राज्यों के नाम भी उल्लिखित हैं। उस सूची में चोडा, पाडा, मलियपुतो, केतलपुतो, तमपणी (द्वितीय प्रधान शिलालेख) योन, कम्बोज-गधरन, रठिकर्पतिभिक (पाचवा शिलालेख) तथा अतियो-को तुस्मय अर्किनि, मक, अलिक मुन्दरो यूनानी नरेशों के नाम (तरहव शिलालेख) मिलते हैं। इसमें यह नहीं कि ये राजा मौर्य साम्राज्य की सीमा पर स्थित थे जिनके लिए ' यह च सर्वेषु च अनेपु ' वाक्य का प्रयोग किया गया है। दूसरे लेख में दक्षिण के चोल, पांड्या, वरळ तथा सिंहल सीमा पर स्थित वतल्याण गण है तथा पाँचवें शिलालेख में अजित राजा उत्तर पश्चिम भाग में स्थित थे। यूनानी राजा अतियोक पश्चिमो एशिया में शासन करता था। मग उत्तरी अफ्रीका में, तुस्मय मिय में, अर्किनि तथा अलिक मुन्दर एशिया माइनर के समीप शासन करते थे। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि अशोक का राज्य मौर्य भारत में मुद्र दक्षिण के कुछ भाग को छोड़कर तथा अफगानिस्तान के मू भाग में पर फला था। यद्यपि इसके लिए लेखों में प्रबल प्रमाण नहीं मिलता कि विजित भाग उसके पितामह ने विजित किया था किन्तु अशोक कलिंग के अनिश्चित कुछ भी जीत न सहा। उसकी पैत्रिक राज्य की सीमा पयोस थी जिसका अनुमान सीमा पर स्थित शानको को सूची से होता है।

दक्षिण भारत के शासकों के अभिलेख यह बतलाते हैं कि सातवाहन तथा क्षत्रप नरेशों में कई सदियों तक युद्ध होता रहा। एक के बाद दूसरे वंश का विजय तथा पराजय होता रहा। साँची के दक्षिणी स्तूप पर जो लेख खुदा है वह शातकर्णों के शासन काल का है। नाना-घाट के सातवाहन लेख में नार्सिक ने अपने पति शानकर्णों द्वारा वैदिक यज्ञ सम्पादन करने का वर्णन किया है। अतएव यह ज्ञात होता है कि शानकर्णों (ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी) के शासन में सातवाहन राज्य मालवा से महाराष्ट्र यानि (पूना के समीप) तक विस्तृत था। तत्पश्चात् कई सदियों तक सातवाहन वंश का कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ। उत्तर पश्चिम भारत के सामंत क्षत्रपों ने सातवाहन राजा का परास्त कर राज्य भार ले लिया। उनके लेखों से प्रकट होता है कि द्वितीय शताब्दी में क्षत्रप राजा नहपान का प्रभुत्व हो गया था। नासिक और जूनार लेख उसके प्रमाण हैं। नासिक लेख में गोवधन (नासिक-महाराष्ट्र) प्रभाम (काठियावाड) भरुकच्छ (भरोच) दशपुर (मालवा) तथा पोक्ष रानी (पुष्कर-अजमेर) के नाम मिलते

हैं जिन पर नहपान का अधिकार था। पूना के समीप काले तथा जूनार गुहा लेख भी महाराष्ट्र पर उसका अधिकार सिद्ध करते हैं। इसलिए यह विदित होता है कि सातवाहन को हरा कर क्षत्रप नरेश ने अपना राज्य अजमेर, मालवा, राजपूताना में लेकर महाराष्ट्र तक विस्तृत किया था। यह घटना प्रायः सन् १२४ ई० के समीप की है। कुछ ही दिनों के पश्चात् सातवाहन के प्रतापी नरेश गौतम पुत्र शातकर्णी ने नहपान को परास्त किया। उसके उत्तराधिकारी पुलमावि के नासिक लेख (१९ वें वर्ष) में शातकर्णी का यश वर्णित है तथा उसके द्वारा विजित प्रदेशों के नाम भी उल्लिखित हैं। "खखरात-वम निरवसेस-करस" (खड्गगत नहपान के वश का का नाश करने वाला) की बात शातकर्णी के सम्बन्ध में कही गई है। इस वर्णन के अतिरिक्त सातवाहन नरेश असिक असक मूलक के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है। सूरठ (सौराष्ट्र) कुकुर (उत्तर काठियावाड़), अपरान्त (उत्तरी कोकण, पश्चिमी किनारा) अनूप (मान्धाता) विदर्भ (प्राचीन बगर, आंध्रप्रदेश) तथा आकरावन्ती (पूर्व तथा पश्चिमी मालवा) का स्वामी कहा गया है। यानी इस सातवाहन नरेश ने नहपान से प्रदेशों को (राजपूताना, सौराष्ट्र, बगर, मालवा आदि) जीत कर सातवाहन राज्य में मिला लिया था। उसका उत्तराधिकारी वासिष्ठी पुत्र पुलमावि करीब बीस वर्षों तक (१३० ई०-१५० ई०) राज्य कर चुका था जब वह फिर क्षत्रपों द्वारा परास्त किया गया। क्षत्रप वश का शक्तिशाली नरेश रुद्रदामन ने उसे दो बार हराया (दक्षिणापथपतेन्मातकर्णी द्विरपि नौर्व्याजमवजोत्थावजीव्य मबंध विदूरतया) जूनागढ़ के लेख (१५० ई०) में पुनः उन्हीं प्रदेशों के नाम उल्लिखित हैं जो सातवाहन के राज्य में सम्मिलित थे। नाम सूची निम्न प्रकार के हैं—पूर्वापरकगवन्ति (मालवा), अनूप (मान्धाता), आनर्ग (उत्तरी काठियावाड़), सुराष्ट्र (दक्षिण काठियावाड़), द्यवभ (मावरमती, अहमदाबाद), मर (राजपूताना), कच्छ (कच्छ), सिन्ध (सिन्ध का प्रदेश), मीवोर (दक्षिण पूर्वी सिन्ध), कुकुर (आनर्ग के समीप), अपरान्त (उत्तरी कोकण) आदि। दोनों सूचियों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि क्षत्रप वश की प्रतिष्ठा रुद्रदामन ने पुनः स्थापित की तथा सातवाहनो को पददालित किया। नासिक गुहालेख तथा जूनागढ़ लेख में अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रमाण नहीं मिलता जिस आधार पर पारस्परिक-युद्ध की भाषा कही जा सके। केवल लेख ही एक मात्र साक्ष्य है। इनके पश्चात् सातवाहन वश के अन्य लेखों में हम प्रगार का सीधा उल्लेख नहीं मिलता जिससे दोनों वश के युद्ध की बार्ता प्रमाणित हो सके। यज्ञश्री शातकर्णी के कई लेख नासिक, काले (पूना के समीप) और कनहेरी (बम्बई के समीप) गुहा में उत्कीर्ण हैं जिसका अर्थ यह समझा जाता है कि ई० सं० १७०-२०० तक सातवाहन राजा यज्ञश्री का अधिकार महाराष्ट्र (पूना) तथा बम्बई प्रदेश के भूभाग पर अवश्य हो गया था। राजपूताना मालवा तथा सौराष्ट्र पर वह अधिकार न कर सका। इस तरह उसने पुराने युद्ध का बदला लेकर क्षत्रप को दक्षिण के पठार में परास्त किया। यज्ञश्री शातकर्णी ने क्षत्रप सिवको के अनुकरण पर चाँदी के सिक्के भी प्रचलित किए जो क्षत्रप के पराजय का सूचक हैं। संक्षेप में यह कहना नितास्त आवश्यक है कि क्षत्रप तथा सातवाहन लेखों के आधार पर ही ईसवी सन् की पहली तथा दूसरी सदी तक दोनों वशों की प्रतिस्पर्धा, विजय व पतन तथा राज्य विस्तार को जानकारा जा सकता है। दक्षिण पश्चिम भारत में शक्ति तथा प्रभुत्व की उन्नति और पराजय का परिज्ञान अभिलेख ही कराते हैं; अन्यथा सातवाहन-क्षत्रप का इतिहास प्रकाश में न आता।

ईसवी सन् के आरम्भ से पश्चिमोत्तर प्रांत में शासन प्रारम्भ कर कनिष्क ने काशी तक के प्रदेश को जीत लिया। उसका कुर्रम का ताम्रपत्र पेशावर से, मानिक्याला लेख रावल-पिंडी से, म्यूविहार ताम्रपत्र बहावलपुर रियासत से, महेंत महेंत बुद्ध प्रतिमा लेख गोडा जिला (उत्तर प्रदेश) से तथा सारनाथ प्रतिमा लेख (जिसमें वाराणसी का उल्लेख है) काशी से मिले हैं जिनके आधार पर कनिष्क की विस्तृत राज्यसीमा पेशावर से वाराणसी तक निश्चित हो जाती है। इस प्रकार लेख के प्राप्तिस्थान भी भौगोलिक सीमा पर प्रकाश डालते हैं।

कलिङ्ग के राजा खारबेल का हाथी गुहालेख से शासक क विजय का पता चलता है। उस लेख में क्रमवद्ध प्रत्येक वर्ष का लेखा उपस्थित किया गया है। खारबेल अपने को कलिङ्ग का राजा (कलिंग-राज-वसे-पुरसि युगे महाराजाभिसेचन पापुत्तानि) कहता है जिम्ने दूबरे वर्ष में सातकणि (मानवाहन राजा) को हराया। आठवें वर्ष में राजर्गिर (पटना जिला) पर आक्रमण किया। बारहवें वर्ष में उत्तरापथ के मगध नरेश को पराग्न किया। उसमें वर्णन है कि उसने अग, मगध के वैभव को लूट लिया। अग तथा मगध विहार प्रदेश में प्राचीन प्रदेश थे। अंग भागलपुर के समीप भूभाग तथा मगध पटना तथा गया जिला के लिए प्रयुक्त किया गया है। उसमें दक्षिण के पाटय नरेश को भी विजित किया। इस लेख में कृष्णा नदी (कन्हवेण) तथा गोरर्गारि (बराबर की पहाड़ियाँ, गया, (विहार) के नाम आते हैं। इस प्रस्ता हाथी गुम्फा अभिलेख द्वारा, नदी, पहाड़, नगरों तथा विभिन्न प्रदेशों का भौगोलिक स्थिति के विषय में हमारी जानकारी होती है। अपने का वह बार-बार कलिङ्ग का राजा कहता है : "मम पता चलता है कि राज्य का नाम कलिङ्ग (कलिङ्ग राजाजग) तथा राजधानी भी कलिङ्ग तथा नाम में प्रसिद्ध थी। खारबेल की राजा के कुछ वर्ष उन्नी म्थान पर मिले हैं जिसमें उसने अपने पति को कलिंग चक्रवर्ती खारबेल नाम से उल्लिख किया है। उन्नी मगधरी गुहा के दूसरे अभिलेख में खारबेल कलिङ्गगिरिपति कहा गया है। इसलिए यह कहना सवथा उचित होगा कि कलिङ्ग राज्य भुवनेश्वर के समीप (उड़ीसा प्रांत) विस्तृत था जिसमें आज उड़ीसा का नाम दिया गया है।

इसके समकालीन मगध का राजा पण्डित था जिसके उत्तराधिकारी पन्देव को अयोध्या की प्रशस्ति में कामल का राजा कहा गया है। वही प्रशस्ति महडवाल लेख में उत्तर कामल के नाम में उल्लिखित है (ए ट भा. २६ पृ० ६२) अतएव इस आधार पर अयोध्या का भाग उत्तर कामल माना गया है और दक्षिण कामल को प्रयागस्तम्भ लेख में महाकामल कहा गया है।

गुप्त वंश के अभिलेख भी गुप्त साम्राज्य की भौगोलिक सीमा स्थिर करने में सहायता करने हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के लिए क्रमशः प्रयुक्त किये गये हैं। उस लेख के विस्तृत अध्ययन में जान होता है कि उत्तरी भारत में उसका राज्य मथुरा तक विस्तृत था। दक्षिण के शामको का प्रदेश या राजधानी भी राजा के व्यक्तिगत नामों के साथ उल्लिखित है। पहला नाम कामल का है जो दक्षिणापथ की ओर अग्रसर होने पर समुद्रगुप्त द्वारा सर्व प्रथम पराजित किया गया। अतः विद्वान् इसकी स्थिति मध्य प्रदेश में मानते हैं। वह उड़ीसा प्रदेश पार कर दक्षिण के अनेक शामको को परास्त करता काची (जिला चिगलेपुट, मद्रास) तक पहुँच गया। उस लेख में दक्षिण भारत के नगरों— पीठापुर, एरण्डयल, देवराष्ट्र आदि के नाम मिलते हैं। कामरूप (आसाम) तथा नेपाल भी

सीमान्त देशों में उल्लिखित है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्त लेख में उत्तर तथा दक्षिण भारत के नगरों और प्रदेशों के नाम मिलते हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय के मेहरोली लौहस्तम्भ लेख में पंजाब के जीतन की चर्चा की गई है—

“तीर्त्वा सप्त मुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाह्लोका ।”

साहित्य ग्रन्थों में भी पंजाब का भाग सप्त सिन्धु के नाम से विख्यात है। महाभारत के आधार पर वाह्लीक (वाहलीक) को पूर्वी पंजाब मानते हैं। इस प्रकार सिन्धु पाटी में सात नदियों—जेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिन्धु व काबुल को सप्त मुखानि कहा है। द्वितीय चन्द्रगुप्त के उदयगिरि (बिदिसा के समीप) गुहालेख तथा सांची के तोरण लेख मालवा पर गुप्त साम्राज्य के विस्तार की कहानी सुनाते हैं। उसका रजत सिक्के के मुद्रालेख काठियावाड़ पर विजय की घोषणा करते हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय के पश्चान्त गुप्त राज्य की सीमा दृढ़ न सकी। मेहरोली लौहस्तम्भ, सांची, बेदिका तथा उदयगिरि गुहा में खुदे लेख विक्रमादित्य की कीर्ति आज भी गवा रहे हैं। उनके पौत्र स्कन्दगुप्त के अभिलेखों में कई प्रदेश तथा क्षेत्र के नाम आते हैं : स्कन्दगुप्त हण को पराजित कर राज्य के शासन का मुद्दुह करने में लग गया। जूनागढ़ (वाडियावाड) व मालवा क्षेत्र में मुगुष्ट्र के रक्षण की बात कही गई है। सम्पूक मुगुष्ट्रवनि-पालनाग व उमके उद्वीर व बुन्दवनाहर, उत्तर प्रदेश) ताम्रपत्र में गगा यमुना के मध्य (प्रयाग से हरिद्वार तक)—अन्तर्वेद के नाम से उल्लेख है। तत्पश्चात् बुधगुप्त के लेखों के आधार पर भी राज्य नामों का परिचय होता है। बुधगुप्त के शासन-काल में बाल्हन्दी (यमुना) तथा नर्मदा नदियों के मध्य भाग पर नुर्गुश्मचन्द्र शासन करता था (एरण का सिन्धुलेख)। इस शासन के लेख ही मध्य प्रान्त में लेकर चत्तरी बगाल तक राज्य सीमा का विस्तार बतलाते हैं। [मध्य (मध्य प्रदेश), गान्धाव (उत्तर प्रदेश) तथा दामोदरपुर (उत्तरी बगाल) का लेख] एरण व मवान में हण राजा तोरमाण का लेख तथा मिहिर कुल का म्वालयर लेख यह व्यक्त करता है। बुधगुप्त के पश्चात् मध्य भारत पर हणों का अधिकार स्थापित हो गया था। उस लेख में “महाराजाधिराज श्री तोरमाणे प्रयासति” उल्कीर्ण है और इसी हण नरेश के कुरा (मान्ट रेज पंजाब) लेख में राजाधिराज महाराज तोरमाण लिखा है। इस कारण यह शान्ति लेख पंजाब में मध्यभारत तक ताम्रमाण के राज्य-विस्तार की कथा सुनाते हैं।

मध्ययुग के पालवर्गी अभिलेखों से भौगोलिक बातों की अधिक जानकारी होती है। धर्मपाल के खान्नीमपुर ताम्रपत्र में उत्तर प्रदेश के पाचाल तथा कान्यकुब्ज, मत्स्य, अवन्ति (मालवा) तथा गान्धार (पश्चिमान्तर प्रदेश) के नाम मिलते हैं। नारायण पाल के भागलपुर दानपत्र में कान्यकुब्ज के लिए महोदय शब्द का प्रयोग मिलता है जिस पर पाल नरेश ने अधिकार कर लिया था। नालन्दा ताम्रपत्र में वर्णन आता है कि देवपाल ने श्री नगर भूमि में ग्राम दान किया था (जिसे वर्तमान पटना कमिश्नरी से समता कर सकते हैं)—गेन वज के लेखों में यह पता चलता है कि सामन्तसेन करनाटक (दक्षिण भारत) के क्षत्रिय कुल का वंशज था। बल्लभसेन का मघाई नगर ताम्रपत्र इसी की पुष्टि करता है। देवपारा प्रशस्ति में काम रूप तथा कल्लिग प्रदेश के नाम (श्लोक २०, २१) उल्लिखित हैं जिनके दानक को विजयसेन ने परास्त किया था। इस प्रकार पाल तथा सेन लेख तत्कालीन भौगोलिक स्थान व प्रदेशों का परिचय कराते हैं।

दक्षिण भारत के लेखों में भी उत्तर भारत की भौगोलिक बातों का वर्णन मिलता है क्योंकि दक्षिण से शासकों ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट नरेण्ड्रध्रुव के भोर सम्राज्य के ताम्रपत्र में कांची, केरल तथा कर्नाट देश तथा सजन ताम्रपत्र से भी उसकी जानकारी होती है। ध्रुव के ड्राव में आने की सूचना निम्न पंक्ति से मिलती है—

गंगा यमुनयोर्मध्ये राज्ञो गौडस्य नश्यत्

लक्ष्मील्लारविन्दानि स्वेतछत्राणि योहरन् ॥

इसी प्रकार गुर्जर प्रतिहार क म्बालियर प्रशस्ति में यद्ध के प्रसंग में विभिन्न प्रदेशों के नाम मिलते हैं। नागभट्ट के सर्वद्वय में एक पंक्ति उल्लिखित है जिसमें आंध्र, मिथ्य, विदर्भ तथा कलिग के नाम हैं

यत्रान्ध्रमैन्धर्वाविदर्भकलिगभूपै ।

कौमार धामानि पतग समै पाति ॥

वत्सराज के आक्रमण के वर्णन में आनर्त (बम्बई) मालवा, तुण्डक (मुसलमान) वत्स तथा मन्म्य (भरनपुर, अजमेर आदि) आदि प्रदेशों के नाम आते हैं। चालुक्य लेख (अयहोल जैन मंदिर प्रशस्ति) में तत्कालीन भौगोलिक स्थिति का विस्तृत वर्णन है। मंगलेश नामक राजा ने भारत में बाहर रेवती द्वीप (रत्नागिरि के सामने) पर अधिकार कर लिया था। पुलकेशी द्वितीय ने गर्वाग्रत वर्णन लिखा है। महाराष्ट्र कोसल (दक्षिण कोसल) तथा कलिग शासकों को परास्त कर (पदनीकेन सकोसला कलिग) दक्षिण-पूर्व में कांची तथा कावेरी के किनारे तक आक्रमण किया था। इस तरह अयहोल के लेख में दक्षिण भारत के विभिन्न प्रांतों की स्थिति तथा नामकरण का पता लगता है। बीर पुरुषदत्त के नागर्जुनीकोटा लेख में काम्बोर गान्धार, वंग, तनजामी तथा ताम्रपणी के भू-भाग का उल्लेख है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभिलेखों के आधार पर भौगोलिक ज्ञान अधिक साकार हो जाता है। वह साहित्यिक वर्णन को सबल बनाना है, पृष्ठ करता है तथा एकिकरण निश्चित कर देता है।

भारतीय साहित्य में प्राचीन मार्ग सम्बन्धी विवरण भरे पड़े हैं, परन्तु इस तरह का वर्णन अभिलेखों में नहीं मिलता। लेखों में वर्णित राजाओं के यात्रा विवरण में प्राचीन भारत के विभिन्न मार्गों का चित्रण सामन आ जाता है। साधारण रूप से विभिन्न मार्ग उन रास्तों की भौगोलिक स्थिति भी ज्ञान होती है। इसके अतिरिक्त लेखों में हाट तथा शुक (चुगी) का वर्णन मिलता है। विभिन्न हाटों में ताना प्रकार के यातायात के उपकरण थे। माल ले जाने के कारण चुगी का दर एक सा नहीं था। इसमें भी सुन्दर वर्णन व्यापारिक संस्थाओं (श्रेणों) के मुखिया, श्रेणी तथा व्यवसायिक वर्ग के अग्रजा-सार्थवाह-का उल्लेख कई अभिलेखों में मिलता है। तात्पर्य यह है कि यातायात तथा व्यापार सम्बन्धी तर्कों में तत्कालीन मार्ग का साधारण ज्ञान होता है।

विभिन्न लेखों में उत्तरी भारत के लिए उत्तरापथ या आर्यावर्त का नाम मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में आर्यावर्त शब्द सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ है। ईसवी पूर्व से मध्यकाल तक उत्तरापथ का अनेक प्रयोग लेखों में किया गया है। दक्षिण भारत के लिए दक्षिणापथ की मज्ञा सर्वत्र मिलती है। प्रयाग स्तम्भ लेख में वर्णित महेन्द्र (कोसल का राजा) से

लेकर घनज्जय तक सभी दक्षिणापथ के शासक थे। (प्रभृति दक्षिणापथ राजगृहण आदि)। नानाघाट लेख में शातकर्णी तथा रुद्रामन के जुनागढ़ लेख में पुलमावि दक्षिणापथपति कहे गये हैं। इस प्रकार दो नामों से उत्तर तथा दक्षिण भारत के विशाल भूभाग को व्यक्त किया गया है।

अभिज्ञानों में अधिकतर युद्ध गाथा तथा शासन के प्रसंग में विभिन्न श्रेणियों के लोगों का वर्णन मिलता है। यों तो बौद्ध साहित्य और जैन अंगों में भौगोलिक विषयों का ज्ञान होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक बुद्ध के जाने के लिए प्रशस्त मार्ग का अनुमान किया जाता है। ऊर्वेला में श्रीवस्ती का मार्ग सारनाथ तथा साकत होकर जाता था उसी मार्ग से होकर अनाथपीठिक राजगृह आया था और भगवान् बुद्ध को निम्नित किया था। स्थान बुद्ध उसी मार्ग से होकर श्रावस्ती गए जिस मार्ग में स्थान-स्थान पर आराम भावमान थे। बिहार प्रान्त का सहमराम नामक स्थान पर एक महत्त्व जाराम (बिहार) को कल्पना की जाती है जिससे सहस्र आगम यानी मत्स्यगाम नाम पडा। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने लिखा है कि मार्ग पर प्रस्तर गाए कर उगरी दूरे व्यक्त की जाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अशोक से पूर्व भी भारत में अच्छे मार्ग थे। अशोक स्वयं उज्जयिनी तथा तक्षशिला का राज्यपाल था जिन स्थानों पर पहुचने के लिए मुगम मार्ग अवश्य हामे। अशोक के द्वितीय जिलालेख में वर्णन आता है कि उसन मार्गों पर कुछ सुदवाण तथा वृक्ष लगवाए (पथेसु कूपाच रवानापिता वृक्षाच रापापिता)। मौर्यों के लेख में यह पता लगता है कि भिक्षु कासमगोत ने बल्य तक बौद्धधर्म का प्रचार किया था (मार्जल मौर्य ५० २९१)। इन विभिन्न ऐतिहासिक साधनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पाटलिपुत्र में तक्षशिला तक राजमार्ग था, जिसकी शाखा सारनाथ से कोणाम्बो तथा उज्जयिनी होकर भरीच (बन्दरगाह) तक चली जाती थी। मोपारा का भी नाम मृगभदत्त के नामिक लेख में मिलता है। इसी प्रसंग में यह कहना अन्यायव्यक्त है कि जो मार्ग नदी को पार कर जाते थे वहाँ पर घाट (terry) बने थे और उन स्थान पर कर लगाया जाता था जैसा कि आज भी नदी घाट पर कर लिया जाता है। नामिक लेख में इवा पारदा, दमण, नार्पा, कवेणा, दाहनका आदि नदियों के नाम आए हैं जिनके घाट पर लगाये गये कर को मृगभदत्त ने माफ कर दिया था (नावा पुण्यतरकरेण) तथा यात्रियों के टहरने के लिए आरामगृह बनवाया था (एतासा च नदीना उभतो तीर सभा प्रपाकरेण)।

यदि अभिलेखों में शासकों के आक्रमण-वृत्त का अध्ययन किया जाय तो यह पता चलता है कि मेना किमो न किसी मुगम मार्ग से दूसरे राज्य-संगमा तक पहुँचना था। अशोक के तरहवे शिलालेख में यह विवरण दिया गया है कि कलिंग में डार्डी लाख

आक्रमण मार्ग

व्यक्ति बन्दी बनाए गए और एक लाख युद्ध में मारे गए। इस कलिंग युद्ध में अशोक की कई लाख सेना भी युद्ध स्थल पर गयी होगी।

अतः इतने बड़े विशाल मेना के जाने का मार्ग अवश्य प्रशस्त रहा होगा (कलिंग विजितदिअठ मन्त्रे प्रण शत-महस्रे ततो अपबुद्धे शत सहस्र-मन्त्रे तत्रहते बहु तवत के व मुटे)। उर्दामा के स्वतंत्र होने पर खारबेल ने मगध पर बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया। पश्चिम दिशा में सातवाहन नरेश शातकर्णी (वर्तमान आंध्रप्रदेश का राजा) को परास्त किया। सम्भवतः अशोक के मार्ग पर ही उसकी सेना आगे बढ़ी होगी। उस लेख में यूनानी राजा दिमित के भारत में पवेश करने

का वर्णन है। मार्गों सहिता के आधार पर यवन आक्रमण की पुष्टि होती है। विमित ने भीय कालीन राजमार्ग को ही आक्रमण का रास्ता चुना होगा जिस में मुगमता से उनकी सेना पाटलिपुत्र तक पहुँच जाय। गुप्त सम्राट समुद्र गुप्त का दिग्विजय प्रयागस्तम्भ लेख में वर्णित है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण के विजय-यात्रा में एक नवीन मार्ग का अवलम्बन किया जो आजकल प्रयाग से जबलपुर (मध्यप्रदेश) की ओर जाता है। इस अनुमान पर पहुँचने का कारण यह है कि दक्षिणापय के पराजित राजाओं में कोमल का प्रथम नाम है जो वर्तमान महाकोसल (जबलपुर का भाग) माना गया है। इसे पार कर गोडवाना जंगल (महाकान्तार) होते हुए समुद्रगुप्तने कलिग दश में पदार्पण किया। दक्षिण-पूर्वी भाग के शासकों को परास्त करना (पैष्टुपुर, महेन्द्रगिरि आदि) वह काचो तक गया तथा दक्षिण में अपनी विजय दुन्दुभि बजाकर पाटलिपुत्र वापस चला आया। अतएव उसका वह आक्रमण मार्ग मैना के लिए राखल सिद्ध हुआ। उनकी परनात् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने पश्चिम भारत पर विजय किया। उसके उदयगिरि तथा नाँचो लेख इसे प्रमाणित करते हैं।

कुरुनपुष्पात्रयात्रेन राजैवेह गहागत | उदयगिरि गुहालेख]

शक नरेश को परास्त कर उज्जयिनी को उसने दूसरे राजधानी बनाई थी। चन्द्रगुप्त द्वितीय की रजन मुद्राएँ यह बतलाती हैं कि सर्वप्रथम चाँदी के सिक्के पश्चिम भारत के विजय के पश्चात् प्रचलित किए गए। गुप्त-युग के पश्चात् ईशानवर्मन तथा हर्षवर्द्धन ने भी विजय-यात्रा की थी। पाल नरेश शर्मपाल गौट (उत्तरा वंगाल) ने सेना लेकर कान्यकुब्ज (उत्तर प्रदेश) तक आया था जिसे कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार राजा बन्सराय तथा राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से सामना करना पड़ा था। स्वालयर की प्रशस्ति तथा मजन ताम्रपत्र में ताना शासकों के युद्ध की चर्चा मिलती है। यह विजय युद्ध नहीं सम्भव था जब मुगमता पूर्वक ननाएँ गया यमुना के ड्राव में पहुँची हो। बामबाटा ताम्रपत्र में भी राजा भोज के कोकड विजय का उल्लेख है। दक्षिण के चालुक्य पुलकेशी द्वितीय की विजय यात्रा अयटोल प्रशस्ति में विस्तारपूर्वक है। अतएव अभिलेखों के अध्ययन में विभिन्न भौगोलिक मार्ग का परिज्ञान होता है। पूर्व के मार्गों के महारे ही वर्तमान काल में रेलवे का मार्ग निश्चित किया जा सका है। पगावर से बंगाल, दिग्ग म मथुरा, नाँचो होते बम्बई, पटना में प्रयाग, जबलपुर होकर बम्बई तथा कलकत्ता-मद्रास की रेल यात्रा पुराने मार्ग की याद दिलाती है।

इसका विषय उल्लेख किया गया है कि पाटलिपुत्र से राजमार्ग कौशाम्बी तथा मालवा होते भड़ोच जाता था। अशाक के शिलालेख सोपारा में प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रकट होता है कि बन्दरगाहों पर भा शासकों का ध्यान था। प्रयाग में जबलपुर होकर बन्दरगाहों पर भा शासकों का ध्यान था। प्रयाग में जबलपुर होकर तथा दिल्ली से दूसरा मार्ग मथुरा में नाँचो होकर (वर्तमान समय में रेलवे) मिल जाते हैं। बम्बई के समीप कल्याण में एक यात्रा पूना की ओर जाता था। कन्हैरी तथा जूनार के गुहालेखों में कल्याण के व्यापारिक महत्त्व का पता चलता है [ल्यूडर्स लिस्ट न ९८६, ९८८, १००१ इत्यादि]। नासिक गुहा लेख में भ्रुकच्छ तथा सोपारा (भ्रुकच्छे, शार्पारगे) पर नहपान के अधिकार का वर्णन है। क्षत्रप बशी शासक रुद्रदामन ने भी समुद्र के किनारे अपना अधिकार कायम रक्खा। आनर्त (उत्तरी काठि-

यावाड) सौराष्ट्र (दक्षिणी काठियावाड), कच्छ, अपरान्त (उत्तरी कोकण सोमरा के समीप) भरीच आदि स्थानों का उल्लेख जूनागढ़ लेख में आया है । इस प्रकार शक, क्षत्रप नरेश महत्त्वपूर्ण मार्ग तथा बन्दरगाह पर अधिकार की आवश्यकता समझत थे । इसके पूर्व चौथी सदी में समुद्रगुप्त ने सीमान्त राज्य समतट पर अधिकार किया जहाँ ताश्चालीस का बन्दरगाह विकसित हुआ । इसी स्थान से भारतीय लोग दक्षिणपूर्व एशिया के भूभाग में जाने लगे तथा भारतीय संस्कृति को फैलाया । दक्षिण भारत के चोल शासन में भी सुवर्ण द्वीप तक जहाजे जाया करती थी । यानी बन्दरगाह के महत्त्व पर राजा का ध्यान था । यशोवर्मन के नाट्यशास्त्रालेख में मार्गपति नामक पराधिकारों का उल्लेख है । जो स्यात् सड़कों की देख रेख यानी समुचित प्रबंध करता था जिसे सेनाएँ भी बराबर उन मार्गों पर टहर उतर आ सके । वह व्यापार के मार्ग पर निगरानी भी रखता था ।

व्यापार के प्रबंध का भार पुराने समय में श्रेणी नामक मन्था पर था जो राजासेदारी में व्यापार करती था । लेखा में श्रेणी का वर्णन कई स्थानों पर विस्तृत रूप से किया गया है और विशेष कर दान के प्रकरण में । राजा दान का सामग्री या धन श्रेणी के एक में जमा कर देता था । गुप्त युग के दामोदर ताश्रपत्रों में सार्थवाह शब्द का प्रयोग मिलता है जो व्यापार करने वाले पन्थों का जगजा माना गया है । अमर कोश (३७) में "पाश्यान् वहाँन सार्थवाह," उल्लिखित है । सार्थ का यात्रा करने वाले पाश्यों का समूह कहत है । उस दल का नेता सार्थवाह होता था । कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेख में काठिवर्ण (उत्तरी बंगाल) के सार्थवाह वधुमित्र का नाम मिलता है तथा गुह्यगुप्त के दामोदर पुर ताश्रपत्र में सार्थवाह वसुमित्र का नामोल्लेख है । जातक कथाओं में तो वीरघनस्य के सार्थवाह के रूप में कार्य करने की वार्ता कई स्थलों में वर्णित है । तात्पर्य यह है कि व्यापार करनेवाले समूह विभिन्न मार्गों में आया जाया करते थे । चाहमान लेखों में उह वाणजारेक—वनजारा कहा— गया है (समस्त वाणजारेपु—वृषभ भरित जनु पाठ्याल गमने ए उ भाग ११५ ४३) । व्यापारियों के समूह बेलगाड़ी (वृषभाना शैकेपु) पर सामान लादकर बाहर जाया करते थे । घोड़े या बैल पर भी सामान लाकर बाजार में व्यापार आया करते थे जिन पर शक (चुगी) लगाया जाता था । दमनो नदी के राजपूत लेखों में 'मण्डपिका' शब्द चुगी घर के लिए प्रयुक्त है । इसमें जान होता है कि सुदूर प्रदेश में व्यापारी सामग्री बचने बाजार में आया करते थे । बेलगाड़ी भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीन गत थी जिसका प्रयोग आज में पाँच हजार वर्ष पूर्व भारत में होता था । मिट्टी की बेलगाड़ी ग्विलौने के लिए बनाई जाती थी । मोहन-जादोजी का खुदाई में बेलगाड़ी की आकृति ग्विलौने के रूप में उपलब्ध हुई है जिसमें समाज में उसके प्रयोग का आभास मिलता है । ईसा पूर्व दूसरी सदी के सातवाहन लेख में 'सकट' शब्द का प्रयोग मिलता है । चाहमान लेख में गाड शब्द आता है । इस यान के द्वारा विभिन्न मार्गों पर आवागमन हुआ करता था । इन विषयों की जानकारी के पश्चात् यह कहना उचित है कि अभिलेखों में भौगोलिक विषयों का परिज्ञान होता है ।

अशोक के प्रथम स्तम्भ लेख में अन्तमहामात्र का उल्लेख मिलता है । सम्भवत यह

१८ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

कर्मचारी बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी रखता तथा मद्रापक (पासपोर्ट) का प्रबंध करता था । कौटिल्य ने इस तरह की प्रणाली का वर्णन किया है ।

सीमान्त की	मेगस्थनीज द्वारा वर्णित पाटिलगुप्त के छ उपममितियों में दूमरी समिति
निगरानी	विदेशियों को देख रखती थी । गुप्त युग में समुद्रगुप्त ने सीमा राज्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया था । वे सभी गुप्त सम्राट् का लोहा मानते थे । प्रयाग स्तम्भ लेख में उनमें कर वसूल करने का विवरण मिलता है (सम- तट डवाक कामरूप नेपाल कर्तव्युरादि प्रत्यन्त नृपतिभिः सर्वं कर दान आज्ञाकरण प्रणाम) ।

सारांश यह है कि सीमा पर विदेश से आने वाले लोगों पर निगरानी रखी जाती थी । उपरि उक्त विश्लेषण से प्रकट होता है कि मौर्य काल में, भारत में, सुगम माग स्थित थे । साहित्य के वर्णन को यदि अभिलेखों से पुष्ट किया जाय तो प्राचीन भारत का भौगोलिक विवरण सुन्दर रीति से लिखा जा सकता है ।



अभिलेखों का विवेचन

भारत के प्राचीन साहित्य में ऐसे ऐतिहासिक ग्रन्थों का अभाव सा है जिनमें आधुनिक ढंग तथा वैज्ञानिक विश्लेषण की रीति में इतिहास का वर्णन मिलता हो। इसका यह अर्थ नहीं है कि इतिहास के पठन-पाठन से लोग उदासों थे और ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने की ओर अभिरुचि न थी। इतिहास के महत्व का समझकर ही इसे पंचम वेद कहा गया है (इतिहास पुराणच पञ्चमो वेद उच्यते छा० उ० ७।१।२)। जनता तथा राजा के दैनिक जीवन में इतिहास की कहानियाँ सुनने का समय निश्चित था जो इतिहास-प्रेम की बात को प्रमाणित करता है। पुराने साहित्यकार मुख्य विषय के प्रतिपादन में मग्न रहते थे और जो घटनाएँ आवश्यक होनी थी उन्हें ग्रंथ में लिख दिया करते थे। उन बातों की उन्हें चिन्ता न थी कि घटनाओं को इतिहास का स्वरूप देना है। ग्रंथ लिखते समय विषय के क्रमानुसार विषय का प्रतिपादन मुख्य न था तथा उस ओर भी कम ध्यान रहता था कि उन्हें ऐतिहासिक महत्त्व देना है। भविष्य में जनता उसे इतिहास समझकर पढ़ेगी ऐसा धारणा भी विद्वानों में न थी। यहाँ कारण है आधुनिक ढंग पर न लिखने के कारण उन ग्रंथों को इतिहास की सजा नहीं दी गई है। बहुत समय तक पुराणों को धार्मिक तथा कल्पित वृत्तान्तों का भण्डार समझा जाता रहा परन्तु भारतीय विद्वानों ने उनके अध्ययन में वास्तविक इतिहास का पता लगाया है। पुराणों में वर्णन के आधार पर रामको का नाम तथा वन का विवरण उपस्थित किया गया है। उन वनवासी में वैज्ञानिक रूप से कार्यक्रम का विचार नहीं दिखलाई पड़ता अतएव उन पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जाता। कभी कभी इतिहास पठनाओं में भ्रमात्मक चित्र सामने आ जाते हैं। मध्यकालीन अभिलेखों में पुराणों का ग्रन्थ ज्ञानियों के साथ ही उल्लिखित किया गया है।

काव्य लिखते समय लेखकों ने ग्रंथों में मरककका नाम प्रसंगवश दर्शित किया है या किन्हीं ऐतिहासिक पुरुष का लेकर नाटक अथवा कथानक की रचना की है। ऐसे ग्रंथों में तत्कालीन सामाजिक इतिहास का ज्ञान हो जाता है।

काव्य का इतिहास हर्ष चरित, विक्रमादित्य चरित, गौडवहो तथा रामपालचरित का नाम उल्लेखनीय है जिन ग्रंथ रत्नों ने इतिहास लिखने में सहायता पहुँचाई है। जैन हरिवंश, दीपनिकाय तथा जातक उस श्रेणी तक पहुँचते हैं। यहाँ तक कि पाणिनि के सूत्रों के अध्ययन से भी ऐतिहासिक गुच्छियाँ मुलझाई गई हैं।

प्राचीन ग्रंथों में पृष्णिका लिखने की परिपाटी थी जिसमें ऐतिहासिक मस्य बातें सम्मुख आ जाती हैं। हस्तलिखित ग्रंथों की पृष्णिकाएँ विश्वसनीय समझी जाती हैं जो इतिहास जानने में सहायता पहुँचाती हैं। सोमदेव रचित 'यश निलक' की पृष्णिका में उल्लेख मिलता है कि वह ग्रंथ शक ८८१ चैत्रमास में चालुक्य राजकुमार के समय में समाप्त किया गया था जो कृष्ण राज देव का सामंत था। यह क्रम कई सदियों तक प्रचलित रहा और तेरहवीं सदी में सायण ने

ऋग्वेद भाष्य की जो पुष्पिका (निम्न प्रकार में) लिखी थी वह मच्छा ऐतिहासिक विवरण उपस्थित करती है—“डाँत श्यामद् राजाधिराज परमेश्वर वैदिक मार्ग प्रवर्तक बुबक साम्राज्य घुरघरेण मायणाचार्येण विरचिते माघवीर्य वेदार्थ प्रकाशे ऋकमहिता भाष्ये ।” इसके अध्ययन से विजय नगर साम्राज्य के शासक तथा प्रसिद्ध विद्वान् सायण के नाम की उपलब्धि होती है। पुष्पिका की इस पंक्ति में कितना इतिहास छिपा है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। इस प्रकार के उल्लेख में एक ही त्रुटि है कि पुष्पिका में शासक की बयावली या अन्य ऐतिहासिक वार्ता का पता नहीं चलता। संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि साहित्यकारों ने भारतीय इतिहास का ढाँचा हमारे सामने अवश्य रखा जिसे अन्य माघनों में सुन्दरता लाने का प्रयत्न किया गया है।

इतिहास के अन्य साधनों में अभिलेख अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जिनसे भारत के विभिन्न राजवंशों का इतिहास ज्ञात होता है। भारतीय के अतिरिक्त प्राचीन इतिहास ज्ञान के लिए यामको द्वारा मुग्धत आजापत्रलेख भी महत्त्वमिद होने हैं। इनके आरम्भ में मिद्रम् अथवा स्वस्ति शब्द खुदे हैं तथा अंकित मिले हैं। स्वस्तिक चिह्न या श्रौचम्ब के चिह्न अशोक के धर्मलेख समी श्रेणों के हैं। चीनी के लेख में—यथा प्रियम वचनेन ताम्राय महा-

शासन-पत्र

मात नमल विद्याहालका वर्तव्य—एक प्रकार का ज्ञान-पत्र हो था। केन्द्रीय यामन में जो आज्ञापत्र निकलने थे उनका पत्रलिपि प्राचीन या स्थानीय कार्यालयों में रक्षी जाती थी। कहा तक उन कार्य का सम्पादन हुआ, उनकी सूचना केन्द्र को अवश्य भेजी जाती होगी। उनका ही प्राचीन यामक वार्तिक विवरण भी केन्द्र का अवश्य भेजा जाता होगा। भारत में वास्तव में पश्चिम में गेने आज्ञापत्र लक्ष्मी की तरुणी, वर्तन अथवा चमः पत्र लिखे प्रायः हुए हैं। इन यामन पत्रों में यामन-सम्बन्धी ऐतिहासिक वृत्तान्त का परिचय होता है।

अधिकतर आज्ञापत्र प्रश्नर तथा गण्य पर परकीण मिले हैं। परातत्व सम्बन्धी अन्वेषण में अक्षरों का ज्ञान हो जाने पर उन पत्रों के पढ़न का अवसर मिला। उन में प्रमाणियाँ या

प्राचीन लेख

का महत्व

अभिलेखों के अध्ययन से वर्णमाला का ज्ञान हुआ और तत्पश्चात् प्राचीन इतिहासकारों के तथा आज्ञापत्र पत्र गये। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय जहाँ दुर्बोध इतना परातत्व आदि विषयों की महत्त्वयता लेकर इतिहास तयार किया जा सकता है। इतिहासकार लिखित सामग्रियों पर निर्भर करता है परन्तु परातत्व इजारा वर्ष पुराने गण्डहरों की खोदकर इतिहास उपस्थित करता है। कौटिल्य संघन अर्थशास्त्र में उल्लिखित बातों को मूर्तिमान् या स्पष्टीकरण में अशोक के लेख कितने महत्त्वक सिद्ध हुए हैं, यह किसी विद्वान् में छिपा नहीं है। कालिदास विरचित रघुवंश में बर्णित विजययात्रा की पुष्टि हर्षिण लिखित समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख से होती है। इसी तरह हर्ष के लेखों से (मधुवन तथा ब्रह्मखेटा) वाण के कथन की पुष्टि होती है। अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षर के परीक्षण में राजाज्ञा की प्रामाणिकता की बातें जानी जाती हैं। संक्षेप में यह कहना युक्त समत होगा कि ऐतिहासिक माघनों में प्रशस्ति का स्थान सर्वोपरि है। अभिलेख लघु तथा दीर्घ शब्दावली में उत्कीर्ण मिले हैं। पुरातत्व सामग्रियों में मुद्रा लेख तथा प्रतिमा-लेख से भी इतिहास का सुन्दर चित्र सामने आ जाता है। यही कारण है अभि-

लेखों से किमी सामग्री की समता नहीं की जा सकती। इन्हीं अमूल्य अभिलेखों के अध्ययन के फलस्वरूप प्राचीन भारत का इतिहास वैज्ञानिक ढंग पर लिखा गया है। भारतीय सस्कृति की प्रामाणिक रूपरेखा इन्हीं प्रशस्तियों तथा लेखों की महायत्ना में सामने आई है। उनके महान् कार्य का मूल्य आका नहीं जा सकता। इनके अभाव में भारतीय इतिहास का ज्ञान अधूरा रह जाता। ऐतिहासिक अनुसन्धान में अभिलेखों ने अधिक सहायता का है। छोटे-छोटे लेखों में अमूल्य ऐतिहासिक सामग्री मिली है। उदाहरणार्थ—मास्की लेख के आधार पर ही मौर्य सम्राट् का व्यक्तिगत नाम 'अशोक' प्रकाश में आया अन्यथा उसे प्रियदर्शी की सजा दी गई थी जो अन्य सभी लेखों में पाया जाता है। अशोक के स्तम्भ-लेख के आधार पर लुम्बिनी वृद्ध का जन्म स्थान कहा जाता है। उर्मा अभिलेख में मौर्य सम्राट् द्वारा तीर्थयात्रा के पश्चान् भूमि कर को घटाने का वर्णन है। अन्त में यह कहना सर्वथा उचित होगा कि भारत के प्राचीन अभिलेख इतिहास का निधि हैं जिनके अनुशासन में भारत के गौरव तथा सांस्कृतिक उत्थान का परिज्ञान होता है।

अभिलेखों को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अधिकतर लेख राजाओं में खोदे जानेवाला उनका एक श्रेय हाता था। शासन-सम्बन्धी लेखों में राजनीति की चर्चा मिलती है। दान-दान के उद्देश्य में उत्कीर्ण लेख दान-सम्बन्धी बातों पर प्रकाश डालते हैं। प्रतिमा पर खुदे लेख राजा की धार्मिक भावना का परिज्ञान कराते हैं। राजा के विजय यात्रा का वर्णन राज्य-विस्तार का सोमः बतलाता है। कई लेखों में शासक के दिग्दर्शक का विवरण उल्लिखित है। यदि लेखों का अध्ययन किया जाय तो पता चलता है कि प्रशासिक अपने सरलक या आश्रयदाता की प्रशंसा में कुछ अनुशयोक्त के साथ लेखों की रचना करता था। उदाहरण लेखों का अध्ययन करने समय वैज्ञानिक रूप में विचार करना आवश्यक है।

लेखों का वर्गीकरण—अभिलेखों को निम्न श्रेणियों में विभक्त करते हैं।

(१) धार्मिक लेख—जैसे अभिलेखों में उद्घाटन धार्मिक चर्चा की गई है। प्रसंगवश अन्य बातों का उल्लेख मिल जाता है। उनका उद्देश्य धार्मिक कार्यों का प्रसार था। जैसे अशोकके धर्म लेख।

(२) प्रशासनिक जीवन-लेख—शासक की प्रशंसा ही उसका उद्देश्य हाता है। घटनाओं का उल्लेख उस प्रकार किया गया है कि उसमें शासक का जीवन पर प्रकाश पड़े। यशोधर्मन का मदनोर लेख, समदगुप्त का प्रयाग स्तम्भ-लेख, मौर्याग नरेश ईशान वर्मा का हर्हा तथा पुलकविन का अयहोल का प्रशस्तियाँ इसका उदाहरण है।

(३) स्मारक-लेख—अशोक का लुम्बिनी लेख। शासक ने किसी घटना के स्मारक में अभिलेख खुदवाया हो।

(४) आज्ञा-पत्र—शमोदगुप्त (उत्तरी बंगाल) तथा नालंदा के ताम्रपत्र।

(५) दान-पत्र—बगावर का गुहा लेख।

७वीं सदी से ९वीं सदी तक के ताम्रपत्र दान-पत्र के रूप में उत्कीर्ण किए गये थे। ईसा पूर्व तीसरी सदी तक भारत में लेख अनेक उद्देश्य में उत्कीर्ण होने लगे। अशोक के लेख भारत के प्रत्येक प्रदेश में मिले हैं। मौर्य साम्राज्य के विस्तीर्ण होने पर भी

अभिलेखों का महत्व उन लेखों में कोई भी मद नहीं पाया जाता। उनका एक ही उद्देश्य था—धर्मानुशासन। अतएव अशोक के धर्म लेखों में एकरूपकता दिखलाई पड़ती है।

प्राचीन समय के सहस्रो लेख प्रकाश में आए हैं तथा आज भी खुदाई में नए अभिलेखों का पता लगता है। कितने प्राचीन स्थानों की खुदाई अभी आरम्भ भी नहीं हो सकी जहाँ से अनेक सांस्कृतिक लेखों का परिज्ञान होता। अभिलेख सभी साधनों में अधिक विश्वसनीय माने गये हैं तोभी एक ही घटना का विवरण विभिन्न लेखों में एक सा नहीं पाया जाता। विद्वत् समाज उन पर विश्लेषणात्मक रूप में विचार करता है। उनकी प्रमुख विशेषता यह है कि प्रशस्तिकाएँ सामामयिक घटनाओं पर भी प्रकाश डालती हैं। लेखक कभी परम्परागत बातों का भी समावेश करता है। जूनागढ़ लेख (ई० स० १५०) लिखते समय मौर्यकालीन घटनाओं का विवरण देना ऐतिहासिक तथ्य को सामने रखता है।

मौर्य युग में प्रायः समस्त भारत की एक भाषा प्राकृत थी तथा लिपि ब्राह्मी। उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्ठी का भी प्रचार था पर भाषा प्राकृत ही थी इसलिए लेखों में अधिक भ्रमता है। मौर्य वंश के पञ्चान्न भारत में साम्राज्य स्थिर नहीं रह सका इसलिए लेख भी समान रूप में नहीं मिलते। विभिन्न राज्यों की पृथक् समस्या थी। अतएव उनके लेख उगी दोषों की बातों की चर्चा करते हैं। युग वंश के लेख, आक्रमण के लेख तथा क्रांति के लेखों में विभिन्नता है। यद्यपि सभी एक ही युग (मौर्य काल के बाद) में लिखे गए थे परन्तु परिस्थितियों के अनुसार उनमें भिन्नता आती गई। युग काल में संस्कृत राजभाषा हो गई। अतएव सभी के अभिलेख तथा मुद्रालेख संस्कृत भाषा तथा गुप्तलिपि में मिलते हैं। उनमें उद्देश्य में एकता देख पड़ती है सातवीं शताब्दी के बाद भारत में छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो गए। प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट वंशों में युद्ध तथा प्रतिस्पर्धा की भावना काम करने लगी। विचारका में राष्ट्रीयता की कमी हो गई। इसलिए लेखों का सीमित क्षेत्र तथा प्रांतीय भाषा में उत्कीर्ण होना स्वाभाविक हो गया। क्रमशः हमें लेखों में पर्याप्त अन्तर दिखाई पड़ता है। पूर्व मध्यकाल में (१०००-१२०० ई० तक) लेखों का संख्या अत्यन्त ही कम थी तथा व्यापकता में कमी आ गई। वे प्रांतीय विचार के समर्थक हो गए अतएव उनमें अशुद्धि का मिलना स्वाभाविक है। उनकी भिन्नता होने हुए भी उन लेखों का विचार पूर्ण अध्ययन हमें इतिहास लिखने में सहायता करता है तथा उनके सहारे राष्ट्रीय इतिहास का निर्माण होता है। साहित्य में उन प्रशस्तियों की कमी भले ही कुछ हो तथा परन्तु उनमें लेखों का महत्त्व कम नहीं हो सकता। उनका वास्तविक मूल्यांकन बड़ा कठिन है और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी निर्मित लेखों का ज्ञान परमावश्यक है।

लेखों का संसार अध्ययन अनेक सांस्कृतिक विषयों पर प्रकाश डालता है। किसी शासक की शक्ति तथा इतिहास में उसका स्थान अभिलेखों से समझा जा सकता है। यदि लेख न होते तो अशोक के जीवन की झाँकी हम नहीं मिल पाती और रासरा लेख तथा संस्कृति का महान सम्राट् वह कदापि माना नहीं जाता। उसके धर्मविजय तथा सहिष्णुता की प्रशंसा नहीं होती और आज का भारत अशोक स्तम्भ के सिरे का अपना राष्ट्र चिह्न नहीं स्वीकार करता। कनिष्क राजा खारवेल तथा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जीवन वृत्त लेख के बिना अज्ञेय रहता। हाथी गुम्फा तथा जूनागढ़ के लेख ही उनके जीवन पर क्रमशः प्रकाश डालते हैं वरन् नाम के सिवाय सभी उनके इतिवृत्त से अनभिज्ञ रहते।

भारतीय इतिहास में ऐसे काल हैं जिनका विवरण मुद्रा-लेखों पर निर्भर है। भारतीय गूनाओं के विषय में तथा पश्चिम भारत के क्षत्रप शासकों की वंशावली का परिचय मुद्रा-लेखों के द्वारा होता है। क्षत्रप सिक्कों पर महाक्षत्रप (शासक) के साथ सहायक व्यक्ति (उपक्षत्रप) का नाम ही उल्लिखित नहीं है बल्कि सामाजिक सम्बन्ध भी उल्लिखित हैं। जैसे पिता पुत्र, भ्राता भगिनी आदि।

गुप्त सम्राट् रामवर्मण का विजय प्रयाग स्तम्भ पर खुदा हुआ है। सम्भव है कालिदास ने उसका विवरण रचने के विषय में भी जो कुछ विवरण प्राप्त किया है। उसकी तुलना द्वितीय चन्द्र गुप्त के मौर्यीय स्तम्भों के वर्णन में भी की जा सकती है। उसका उदयगिरि तथा सांची का लेख पश्चिम भारत पर विजय के अति प्राचीन प्रमाण हैं। उन लेखों के बिना गुप्त सम्राटों का जीवन अज्ञानमय रहता। बाण ने हर्ष का जीवन चरित लिखा तो भी हर्षवर्धन के मधुवन तथा वागशेडा के लेख इस राजा के जीवन की घटनाओं पर कम प्रकाश नहीं डालते। ह्वेनसांग का विवरण अथर्ववेद के लेख से पुष्ट किया जाता है कि हर्ष वर्धन की द्वितीय पुलकेशी ने परास्त किया था। हर्ष का लेख माथुरा का अद्वितीय इतिहास वर्णित करता है। लेखों का अध्ययन यह बतलाता है कि कन्नड़ के लिए धर्मपाल (पालराजा) ध्रुव (राष्ट्रकूट नरेश) तथा वत्सराज (गुर्जर प्रांत का शासक) के मध्य युद्ध हुआ था। तीनों शासकों क्रमशः बंगाल, दक्षिण तथा राजपूताना का और मत्स्य महाक्षत्रप (कान्यकुब्ज) पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध किया क्योंकि कान्यकुब्ज पूर्वमध्य यग का प्रधान नगर था तथा प्राचीन पाटलिपुत्र के सदृश विख्यात था।

पुराणों में वर्णित राजवंशों का उल्लेख प्राचीन अभिलेखों में पाया जाता है जिससे पुराणों की प्रामाणिकता में विश्वास हो जाता है। पुराणों में मौर्य के पश्चात् शुंग लोगों के शासन का वर्णन आता है। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंत किया। पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख प्राचीन अभिलेखों में पाया जाता है। अयोध्या की प्रशासित में पुष्यमित्र को सेनापति (सेनापते पुष्यमित्र) कहा गया है। इसी प्रकार मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सातवाहन वंश ने शासन किया। पुराणों में दण्डे आश्र या आश्रम्य कहा गया है जो मुद्रा लेख में सातवाहन तथा नासिक मुद्रा लेख में सातवाहन कुल के नाम से उल्लिखित है। इस प्रकार पुराणों के वर्णन का लेखों के विवरण से पुष्ट करते हैं। भारत में गूनाओं राजाओं में मालिन्द का नाम साहित्य में (प्राकृत ग्रन्थ मालिन्दपञ्चो) पता चलता है। उसके द्वारा प्रचलित सिक्कों पर लोकोशा में महर्जस वरुण मिनद्रस—लिखा मिला है। उसी राजा का एक लेख पश्चिमोत्तर (मरहट्टी सूत्र) प्रांत के पश्चिम बजौर रिधानत में मिला है जिसमें उसका नाम—मिन्देव महर्जस करिअस दिवस आदि अंकित है। वह लेख खरोशी तथा प्राकृतभाषा में है। इस तरह लेखों के द्वारा उत्तर पश्चिम में उसका शासन प्रमाणित होता है।

उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे लेख तथा मुद्राएँ उपलब्ध हुई हैं जिसमें पता चलता है कि मधु, नल, मेकल वशी राजाओं ने तीसरी-चौथी शताब्दियों में राज्य किया था। पुराणों में भी इन शासकों के नाम मिलते हैं। इनके लेख रोवा के समीप बन्दोस तथा प्रयाग के समीप कौशाम्बी में मिले हैं। इस प्रकार पुराणों के कथन की पुष्टि लेखों से होती है। साहित्य (विशेषतया वैदिक साहित्य) में जिन यज्ञों का वर्णन है उनके नाम नानाघाटलेख तथा नन्दसा

यज्ञस्तम्भ की प्रशस्ति में उल्लिखित है। अतएव साहित्य की घटनाओं अथवा विवरण को विश्व-सैन्य बनाने में अभिलेखों ने पर्याप्त सहायता पहुँचाई है।

भारतीय नरेशों की एक महान् विशेषता रही है कि वे किसी धर्म के कट्टर अनुयायी न थे। अभिलेखों में ही अधिकतर हम बान का परिज्ञान होता है। उन राजाओं के जीवन की यह विशेषता होती है भी साहित्यकारों का ध्यान उस ओर क्यों नहीं धार्मिक सहिष्णुता गया, यह कहना कठिन है। परन्तु विभिन्न शासकों के अभिलेखों के अध्ययन से यह सिद्ध हो जाता है कि अमुक राजा सहिष्णु था। अशोक ने बागहवों प्रधान शिलालेख में स्पष्ट रूप यह में आज्ञा जारी की थी कि कोई अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरे धर्म की निन्दा न करे। इस कार्य से अपना धर्म और भी वृद्धि के बदले क्षीण हो जाता है—

पुजेतिविय व च्चु पर—पषड तेन तेन अकरेन । एव करत अत प्रपड वदेति पर-प्रपंडस पि च उपकरोति । तद अबथ करमिनो अत प्रपड क्षणति पर प्रपडस च अपकरोति । यो हि कचि अत प्रपड पुजेति पर प्रपड गृहति सत्रे अतप्रपड भतिथ व किति अत पड दिपयमि ति सो च पुन तथ करतं सा च पुन तथ करतं सो च पुन तथ करत बढतर उपहति अत प्रबंध । सो समयो वो सधु ।”

पिछले युग में भी ऐसी बातों का उदाहरण मिलता है। दक्षिण भारत के सातवाहन नरेशों के लेखों में एक ओर वैदिक यज्ञ का वर्णन है (नाना घाट का लेख) और गौतमीपुत्र शातकर्णी अपने को एक ब्राह्मण कहता है। वहीं शासक बौद्ध सभ को गुहा दान करने में गर्व का अनुभव करता है। नासिक लेखों में भद्रावनीय सभ तथा बाल गुहा लेख में महासधिक भिक्षु शाखा को दान देने का विवरण पाया जाता है। मानवाहन काल में ही अमरावती स्तूप एव बुद्धप्रतिमा का निर्माण हुआ था। आश्चर्य तो यह है कि मानवाहन के उत्तराधिकारी कृष्णा घाटी के शासक च्छाकु नरेश वैदिक यज्ञ के कर्ता थे परन्तु उन्होंने बौद्ध धर्मावलम्बी कन्याओं से विवाह किया था। उन्हें किसी धर्म में विरोध नहीं था। गुप्त नरेशों की भी यही दशा थी। परम वैष्णव होकर भी शैव तथा जैन मतानुयायी पदाधिकारियों को नियुक्त किया तथा बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया था। मध्ययुग के शासक पाल नरेश परम भौगत (बौद्ध) होकर भी ब्राह्मण देवताओं के लिए दान दिया करते थे। धर्मपाल के खामोपुर नामप्रथम में नर नारायण (विष्णु) के मन्दिर को दान देने का विवरण है। भागलपुर के नामप्रथम में शिवमन्दिर को अग्रहार देने का वर्णन है। नारायण पाल ने सौकटो शिवमदिगो का निर्माण किया था तथा पाशुपत आचार्य का मन्दिर का पदाधिकारी बनाया था। इस प्रकार बौद्ध धर्मानुयायी द्वारा हिन्दू देवों के पूजा निमित्त दान का विवरण सहिष्णुता का परिचायक है।

प्राचीन भारत के अभिलेखों का अध्ययन भारतीय समाज के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालता है। शासक का ध्यान प्रजा के सुख-वैभव की ओर सदा लगा रहता था। अशोक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमुक कार्य करना श्रेयस्कर है। उसके निर्दिष्ट आर्थिक सामाजिक तथा मार्ग पर चलने में प्रजा को इस लोक में सुख मिलेगा तथा बाद में शासन-व्यवस्था स्वर्ग की प्राप्ति होगी—साधु यं कटविये तथा कलत हिद लोकिक्ये चकं आलवे होति पलत च । अनत पुना पशवति तेना धमदानेन

(११वां शिलालेख) मौर्य सम्राट् ने प्रजा के सुख के लिए नहरों खुदवाई थी । महाक्षत्रप रुद्र-दामन के जूनागढ़ लेख में नहर तथा नालियों का विवरण उपलब्ध है । कुमारगुप्त प्रथम के विलसद स्तम्भ-लेख में प्रासाद के साथ धर्मसत्र (अन्नसत्र) का वर्णन मिलता है । बंगाल के बोगरा जिला के एक लेख में राज्य के अन्न-भण्डार से अकाल-पोडिल प्रजा में अन्न विभक्त करने का वर्णन आया है । जनता के कष्ट निवारण के लिए ही अन्न विभक्त किया गया तथा राजा द्वारा ऋण दिए गए । नालदा के एक ताम्र-पत्र में ऐसा ही वर्णन आता है कि महाविहार में निवास करने वाले रोगी भिक्षुओं के लिए भोजन, आसन, औषधि, वस्त्र आदि का प्रबंध किया गया था । देवपाल का नालदा ताम्रपत्र अपने ढंग का अकेला दानपत्र है जिसमें राजा के उदार-हृदय की चर्चा चरितार्थ की जा सकती है । पाल शासक ने जावा के राजा बालपत्रदेव की प्रार्थना पर पाच गांध दान में दिया था । इस कार्य से उनके विश्वप्रेम की झलक मिलती है । प्रजा के सुख की कामना में ही पिछले गुप्तवंशी नरेण आदित्यसेन की पत्नी काणदेवी ने तालाब का निर्माण कराया था । दक्षिण भारत के घटमाठा (कृष्ण जिला) के लेख में महानाविक शिवक का वर्णन मिलता है जिसमें प्रकट होता है कि व्यापार के लिए भारतीय अहाज लेकर समुद्र पार यात्रा करते थे । इस तरह समाज के आर्थिक जीवन पर प्रशस्तियों द्वारा प्रकाश पड़ता है ।

प्राचीन शासन प्रणाली के सम्बन्ध में भारतीय अभिलेखों में पर्याप्त ढंग से चर्चा की गई है । अशोक के समय में ही पदाधिकारियों की पदवी तथा कार्य के सम्बन्ध में उल्लेख पाया जाता है । यद्यपि यह प्रकट होता है कि प्राचीन राजनीति ग्रन्थों में वर्णित कर्मचारियों की नियुक्ति शासक द्वारा की जाती थी । कार्य प्रणाली को व्यावहारिक रूप में दर्शाया गया है । भारतीय लेखों की चर्चा अन्यत्र मिलेगी जिसका विस्तृत विवरण यहाँ अनुपयुक्त है । इस विषय में अधिकतर लेख एक समान चर्चा करते हैं । दक्षिण भारत के दो विशिष्ट लेख हैं जिनका स्थान प्रमुख समझा जाता है । एक लेख नागौर के समीप नालूर में तथा दूसरा मद्रास के समीपवर्ती उत्तर मेरूर नामक स्थान में मिला था । इनके अध्ययन में यह ज्ञात हुआ जाता है कि मध्ययुग के आरंभ में ग्राम शासन किम्वदन्त ही होता था । सभी ग्राम के सारे कार्य की देखरेख करती थी । धार्मिक, आर्थिक तथा स्थानीय विषय को समाप्त रीति से सम्पन्न करती थी । उत्तर मेरूर का लेख अपने ढंग का अकेला अभिलेख है जो सभी की विभिन्न उपसमितियों, सदस्यों का चुनाव तथा कार्यशैली पर प्रकाश डालता है । नालूर का लेख ९वीं सदी में १३वीं सदी तक प्रचलित चोल शासन का विवरण उपस्थित करता है । विशेषकर वर्णन आता है कि राज-राज प्रथम के समय में व्यापारों द्वारा मंदिर की भूमिदान दी गई थी, उसका प्रबंध-समिति की बैठक नालूर के राज-राजन्त सभामण्डप में हुआ करती थी (सा. द. ६ भा. २ लेख नं० ३२२ सन् १९१०) उसमें यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति ग्राम या मंदिर सम्बन्धी कार्य का विरोध करेगा वह ग्राम द्रोहिण रामज्ञा जायगा और उसे समाज के अधिकार से वंचित किया जाएगा । अधिकतर लेख मंदिर की दीवार पर खुदे हैं । इस कारण उनमें धार्मिक चर्चा, दान आदि की प्रधानता है । इस तरह ९वीं सदी के नालूर लेख में ग्राम में सम्बन्धित विषयों की चर्चा मिलती है ।

उत्तर मेरूर लेख का अध्ययन प्रजातंत्र ढङ्ग को शासन पद्धति पर प्रकाश डालता है । समिति का रूप, उस समिति का चुनाव, चुनाव-टिकट तथा उम्मीदवार सम्बन्धी विषय विवेचन उन प्रशस्तियों में किया गया है । उससे पता चलता है कि उन भूभाग के निवासी राजनैतिक

अधिकार तथा चुनाव सस्था की ओर विशेष ध्यान देते थे। न्याय तथा तार्किक विचारों का आश्रय लेकर अपना कार्यक्रम स्थिर करते थे। उत्तर मेरु के लेखों में पल्लव शासन (नवी सदी) से लेकर १३ वीं सदी तक चोल साम्राज्य को अवन्ति काल तक ग्राम शासन प्रणाली का विवेचन किया गया है। विभिन्न वशों का शासन तथा राजनीतिक परिस्थितियों के परिवर्तन होने पर भी ग्राम सभा के कार्य में कोई भेद नहीं आ सका। हर एक युग में सभा ने समान कार्य किया था। दसवीं सदी में चोल राजा प्रथम के समय सभा तथा उपसमितियाँ निविघ्न रूप से काम करती रही। उत्तर मेरु के अभिलेखों से स्पष्ट प्रकट होता है कि ग्राम सभा के नियमों में विभेद न था तथा सदैव नियमित समझा जाता था। केन्द्रीय सरकार तथा सभा के कार्य का विवेचन करते समय ग्राम के नियमों को आदर मिलता था। यदि सभासद किसी सार्वजनिक कार्य के लिए ऋण लेता तो भविष्य में चुने जाने वाले सदस्य या उपसमिति को मान्य होता था। उसके सलग्न कार्य को पूरा करना, ऋण को वापस करना तथा मूद देना आदि सभी बातें नई उपसमिति को मानना आवश्यक था। लेख में वर्णित सभा की शक्ति का अनुमान एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। जब सभा ग्राम के मडकों की मरम्मत करती या तालाब खुदवाती तो अपने कोष से जमीन खरीद कर उस कार्य को पूरा करती। पेय जल के प्रवह के लिए किसी प्रदत्त धन का आय से १५ फा सदी भाग व्यय किया जाता और तालाब उपसमिति उसकी निगरानी रखती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि तालूर तथा उत्तर मेरु के लेखों में अमूल्य ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है विशेषकर ग्राम-शासन का ऐसा सुन्दर सजीव तथा विस्तृत विवरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता।

अभिलेखों में संयुक्त शासन का भी वर्णन आता है। इस प्रसंग में लेखों के आधार पर नारी शासकों का वर्णन अप्रासंगिक न होगा। कश्मीर सिक्कों में एक मुद्रा लेख (दि क्षेम गुप्त) के आधार पर यह कहा जाता है कि रानी दिदा क्षेमगुप्त के साथ शासन करती थीं और बाद में स्वतन्त्र रूप से राज्य करने लगी। इस पिछले मुद्रा लेख में 'दिदा देव्या' लिखा गया, पर काश्मीर की प्रशस्ति में उसे 'राजन' कहा गया है। पुरुष वाचक शब्द राज्य करने के कारण प्रयुक्त है। दक्षिण आंध्र प्रदेश की काकतीय रानी रुद्रम्बा 'रुद्रदेव महाराज' शब्दों से लेखों में वर्णित है। राजपूताना में प्रचलित मध्ययुग के सिक्कों पर 'सोमल देवी' का मुद्रालेख उत्कीर्ण है जो राजपूत रानी के शासन का द्योतक है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की राजनीतिक बातें अभिलेखों के अध्ययन से विदित होती हैं।

यद्यपि प्राचीन अभिलेखों में अन्तर्राष्ट्रीय ढंग की चर्चा बहुत कम मिलती है परन्तु कुछ लेख इस सम्बन्ध में विशिष्ट सूचना देते हैं। अशोक के तेरहवें प्रधान अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप शिलालेख में कई विदेशी नरेशों के नाम उल्लिखित हैं, जहाँ मौर्य सम्राट् ने अपने दूत भेजे थे—

“मो च पुने लधो देवन प्रियस इह च सवेपुच अतेपु अपपु पि योजन शतेपु यथ अति-योको नभ योन रज पट च नेन अतियोकेन चतुरे ४ रजननि तुरमये नम अतिकिनि नम मक नम अत्तिक सुहरा नम निच चोड-पड अत्र उवपणिय—यान क बोधेपु सवत्र देवन प्रियस मनु-वस्ति अनुवरत्ति। यथ पि देवन प्रियस दुत न ब्रचति आदि।” अशोक का मन्तव्य था कि उसका दूत आसानी से विदेशों में भ्रमण करे तथा वहाँ उन्हें कार्य करने (धर्म प्रचार) में

सुविधा दी जाय। अशोक स्वयं भी विदेशी दूतों को मौर्य साम्राज्य में वैसी ही सुविधा देने के पक्ष में था। ईसा पूर्व प्रथम सदी में तक्षशिला के राजा अंतिलिकित का दूत हेलियोडोरस विदिगा में भागभद्र के राजदरबार में आया था। इसकी सूचना बेसनगर के गरुड स्तम्भ लेख से मिलती है उसमें निम्न प्रकार का उल्लेख है—हेलिओदोरेण भागवतेन दियसपुत्रेण तस्मै सिलाकेन योन-दूतेन आगतेन—। मध्ययुग के एक ताम्रपत्र से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पर भी विशेष प्रकाश पड़ता है। देवपाल देव के नालंदा ताम्रपत्र में वर्णन आया है कि जावा के राजा बालपुत्र देव ने दूत के द्वारा पालनरेश के पास प्रार्थना भेजी थी कि नालंदा में नवनिर्मित विहार को अग्र-हार दान दिया जाय। देवपाल ने उसे स्वीकार कर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। यह वर्णन पठनीय है—

“मुवर्ण्णट्टीपाधिप महाराज श्री बालपुत्र देवेन दूतक मुखेन वयाम्ब्रजापिता यया मया श्री नालंदायाम्बिहार कारित —

शासनीकृत्य प्रतिपादित ।”

भारतवर्ष में तीसरी सदी में ही राजदूतों की नियुक्ति की चर्चा लेखों में मिलती है। वृहत्तर भारत क (हिन्द चीन) सस्कृत लेखों में भारतीय दूत का सुन्दर वर्णन मिलता है।

भारतीय अभिलेखों के अध्ययन से यह प्रकट होता है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में आकर अपने शासन सम्बन्धी बातों को विभिन्न रूप में उत्कीर्ण कराया। कतिपय इस ओर सकेत करते हैं कि अमुक शासक ने भारतीय धर्म ग्रहण कर भारतीय करण की चर्चा भारतीय नाम भी अंगीकार किया। उन लोगों ने भारतीय सस्कृति को अपनाया था जिसका उल्लेख यूनानी तथा दक्क लेखों में पाया जाता है। बेसनगर गरुड स्तम्भ पर जो लेख उत्कीर्ण है उसमें यूनानी राजदूत हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है यानी उसने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था। उसी समय के यानी ईसवी पूर्व द्वितीय शताब्दी में वजीर से एक शरीर-अवशेष सचित्र सद्क मिला है जिस पर यूनानी राजा मिनेन्डर (मिलिन्द) के समय का लेख खुदा है। इस (लेख) के आधार पर अनुमान किया गया है कि मिनेन्डर बौद्ध था। इसकी पुष्टि एक प्राकृत ग्रन्थ “मिलिन्द-पन्थो” से की जाती है। उसमें नागसेन और मिलिन्द के मध्य बौद्ध दर्शन पर प्रश्नोत्तर सग्रहीत है।

ईसवी सन् के आरम्भ में उत्तर पश्चिम भारत में कुषाण नरेशों ने शासन किया। कुषाणों के प्रथम राजा वीम कदफिस ने शैवमत को स्वीकार किया जिसका प्रमाण उसके मुद्रा-लेख में मिलता है। सोने की मुद्रा पर एक ओर राजा का नाम यूनानी अक्षरों में तथा दूसरी ओर खरोष्ठी में एक लम्बा लेख खुदा है—‘महारजस रजति रजस सर्वं लोग इत्वरम महीश्वरम विमि कफिशस’। महीश्वर (महेश का पुजारी) की पदवी उसके धार्मिक विश्वास को व्यक्त करती है। उसके उत्तराधिकारी कनिष्क के विषय में सर्व विदित है कि वह बौद्ध था और उसने बुद्ध धर्म की चौथी संगीति बुलाई थी। साहित्य को छोड़ कर लेखों के अध्ययन में भी यही प्रमाणित होता है कि कनिष्क बौद्ध था। मारनाथ के बौद्ध प्रतिमा के छत्रयष्टि पर कनिष्क क तीसरे वर्ष में एक लेख खोदा गया था जिसमें उस कुषाण नरेश की राज्यपाल खरपलाना द्वारा मूर्ति स्थापना का वर्णन मिलता है—महारजस्य कणिष्कस्य स० ३ हे० ३ दि० २० + २—बोधि-

सस्वो छत्रयष्टि प्रतिष्ठापितो वाराणसिये । कनिष्क के २१ वें वर्ष में पेशावर के समीप बुद्ध के अवशेष की स्थापना का विवरण लेख में आया है—भगवत्स शक्यमुनिस शरिर प्रदिठवेदि (कुरम अवशेष-सदूक वाला लेख) । कनिष्क के उत्तराधिकारी नरेण ने भारतीय ढंग का अपना नाम वामुदेव रखा । हुविष्क के पञ्चात् इस प्रकार का नामकरण भारतीय सस्कृति का प्रभाव ही कहा जा सकता है । मथुरा के अनेक प्रतिमा लेखों में वामुदेव शब्द का प्रयोग उम राजा के लिए किया गया है । ईसवी सन् की दूसरी सदी में शक नरेशों ने भी जैन-धर्म भारतीयता को अंगीकार किया । नहुपान के जामाता ऋषभदत्त ने तीर्थस्थानों पर दान देकर भारतीय सस्कृति में निष्ठा को प्रकट किया था । नामिक के गुहा लेख में प्रभास तीर्थ में ब्राह्मण कन्याओं के विवाह निमित्त धन दान दिया । रामतीर्थ में हजारों रुपया ब्राह्मणों में वितरण किया तथा राज्य के अनेक नदियों पर निशुल्क यात्रा (घाट उतरने) करने की आज्ञा दी । दणपुर, नामिक आदि स्थानों में आराम के लिए गृह (धर्मशाळा) तथा जल और सदावर्त का प्रबन्ध किया । इस तरह धर्मशास्त्रों में वर्णित रीति से ऋषभदत्त ने यज्ञ किया । नामिक गुहा लेख का वर्णन पद्म पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण तथा महाभारत में प्रतिपादित धार्मिक चर्चा के सदृश है । ब्राह्मण कन्या का दान पद्म पुराण (ब्रह्म षण्ड अध्याय २४) में निम्न प्रकार में मिलता है—

सालङ्कारा द्विजश्रेष्ठ कन्या यच्छानि यो नर ।

स गच्छेद्ब्रह्मसदन पुनर्जन्म न विज्ञते ॥

नामिक लेख में “पुण्य तीर्थ ब्राह्मणेभ्यः अष्टभार्यां प्रदेन” का उल्लेख है । उसी लेख में वर्णित “नावा पुण्य-तर-करेण” पुराणों के शुल्क तर या तर-जुल्क (अशुक्लतर) के समान है । महाभारत (२, ८५, ४२) में रामतीर्थ के स्थान का महत्त्व बतलाया गया है जिसकी तुलना “गोवर्धने सुवर्ण मुखे शोर्षारगे च रामतीर्थे चरकपपेभ्यः—” की पत्तिक की जा सकती है । ऋषभदत्त ने उल्लेख किया है कि पुष्कर जाकर उसने अभिषेक किया तथा दान दिया था (ततोस्मि गतो पोक्षरानि । तत्र च मया अभिषेको कृतो भीति च गोमहस्यानि दत्तानि ग्रामो च) विष्णु संहिता (८५ । २) में भी इस तीर्थ का महत्त्व वर्णित है—

पुष्करे स्नान मात्रत सर्व पापेभ्यः पुनो भवति ।

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विदेशी शक नरेश भारतीय सस्कृति को अपनाने लगे थे । अन्त में पश्चिम भारत के कारदमक वशी नरेशों के सम्बन्ध में दो शब्द कहना उचित प्रतीत होता है । रुद्रदामन के सम्बन्ध में जूनागढ के शिलालेख में ऐसी बातें कही गई हैं जो उनके भारतीयता की अभिरुचि का द्योतक हैं । यह आश्चर्य ही है कि शक नरेशों के मुद्रा-लेख प्राकृत में मिलते हैं किन्तु रुद्रदामन की प्रशस्ति सस्कृत में है । इस शक राजा ने अपने पुत्र का नाम रुद्रसिंह रखा जो शक नामकरण न होकर भारतीय था । इनके लेखों में भारतीय मास-गणना का आरम्भ दिखलाई पड़ता है । रुद्रसिंह के गुण्डा लेख में “वैशाख शुद्धे पंचम तिथौ रोहिणी नक्षत्र मुहूर्त” का उल्लेख है तो जूनागढ के दूसरे लेख में “चैत्र शुक्लम्य दिवसे पंचमे” या रुद्र-सेन की गह्वरा प्रशस्ति में “भाद्रपद बहुल ५” आदि मास और तिथि का वर्णन भारतीय करण के प्रबल प्रमाण है ।

भारतीय इतिहास में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण तथा शरीर के अवशेष सम्बन्धी विवाद को कथा सर्व विदित है। कुशीनगर (कसिया) में शव के दाह मस्कार करने के पश्चात् राख या शेष हड्डियों को आठ भागों में विभक्त कर दिया गया। बुद्ध के अवशेष की धार्ता वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्य के बुलि, रामग्राम के कोलिय, वैथडीप के ब्राह्मण, कुसीनारा के मल्ल, दोग के ब्राह्मण तथा पिप्पलीवन के मारिय नरेशों को बराबर बराबर भाग मिला (महापरिनिर्वाण-मृत अध्याय १) साची के दक्षिण तथा पश्चिम तोरणों के पट्टियों पर भी अवशेष सम्बन्धी युद्ध चित्र खुदा हैं। अन्त में शान्ति हो जाने पर आठ भाग किया गया। उसके एक भाग को एक पात्र में रख कर हाथों के सिरे पर दिखलाया गया है। आठों शासकों द्वारा बुद्ध के अवशेष पर स्तूप निर्मित किया गया। ह्वेनसांग के कथानुसार अशोक ने उस अवशेष में कुछ भाग निकाल कर चौरासी हजार स्तूप बनवाये। अशोक निर्मित स्तूपों के भग्नावशेष मिले हैं परन्तु किसी स्थान पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त नहीं हुआ जिसमें बुद्ध के शरीर अवशेष की चर्चा को गई हो। हाल ही में वैशाली की खुदाई ने एक स्तूप का पता लगा है जिसमें भगवान के अवशेष हो सकने हैं। पुरातत्व की खुदाई तथा स्मारक भवनों में यह अर्थ निकाला जा सकता है कि बुद्ध के अवशेष वहाँ होंगे। बुद्ध के अवशेष (राख) एक कीमती प्रस्तर, सोने या चांदी के सडूक में रख दिया जाता था। मूल्यवान भस्म पात्र को एक प्रस्तर के सडूक में रख कर उसके किसी भाग पर लेख उत्कीर्ण किया जाता था। ऐसी ही सडूक कई स्थानों से प्राप्त हुई हैं। कभी ढकन के नीचे अथवा सडूक के ऊपरी भाग पर लेख मिले हैं। लेखों से अवशेष की स्थापना की धार्ता (इसी सडूक के अभिलेख में) उल्लिखित है। सम्भवतः वह सडूक स्तूप की खुदाई से निकला नहीं उस में किसी धातु पत्र पर लेख मुरादात मिला है। अन्य आधार (ताम्रपत्र) पर भी उत्कीर्ण लेख प्रकाश में आए हैं। उन सब में शरीर या धातुएँ शब्द से भगवान के अवशेष को व्यक्त किया गया है।

भारतीय अभिलेख इस दिशा में अमूल्य सहायता पहुँचाते हैं। उनके वर्णन से पता चलता है कि अशोक राजा ने भगवान के शरीर अवशेष की स्थापना की। यह प्रमाण पूर्वक कहना कठिन है कि उन राजाओं को वास्तव में अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे।

सर्वप्रथम लेख वस्ती जिले (उत्तर प्रदेश) के पिपरावा नामक स्थान से मिला था वह लेख ईसा पूर्व चौथी सदी का है—

हृद शरीर-निधान बुद्धस्य भगवत. शाक्याना।

पश्चिमोत्तर प्रात के समीप बजोर रियासत के शिनकोट स्थान से अवशेष सडूक (Casket) के ऊपरी तथा भीतरी भाग पर खुदा लेख प्राप्त हुआ है जो यूनानी राजा मिलिन्द के समय का है (ईसा पूर्व दूसरी) उस सडूक के ढकन के अन्दर निम्न लेख खुदा है—प्रण समेद शरीर भगवतो शकमुनिस। पात्र के भीतर भी इसी प्रकार का लेख है—

भगवतु सकिमुनिस सम सबुधस शरीर।

इसे लेख में बुद्ध के अवशेष का प्राण सहित कहा गया है। इसका उल्लेख तात्पर्य यह है कि इसकी पूजा करने पर आश्चर्यजनक फल मिलता है। बौद्ध लोगों का यह विश्वास था कि अवशेष की पूजा में चमत्कार प्रकट होता है। ईसा पूर्व पहली सदी में स्वात नदी की घाटी में स्थित

३० : प्राचीन भारतीय अभिलेख

किसी गाँव से अवशेष का सड़क पात्र (casket) मिला जिसके निचले भाग पर लेख खुदा है—

इमे शरीर शक मुणिस भगवतो बहू जण हितिए ।

बहा के एक यूनानी शासक ने भगवान् का अवशेष जनसाधारण के हित के लिए स्थापित किया । पहली सदी के क्षत्रप शासक रजुवल का मथुरा सिंह-स्तम्भ पर इसी प्रकार का लेख उत्कीर्ण है । वहाँ स्तूप में अवशेष स्थापित करने की चर्चा है ।

धे निर्ासमे (स्तूप) शरिर प्रत्रिठवित्रो भक्रवत्रो शक मुनिस बुधस । तक्षशिला के शासक पटिक के ताम्रपत्र में भी अवशेष स्थापना का वर्णन है—

पतिको अप्रतिठवित भगवत शक मुनिस शरिरं प्रतिधवेति ।

उन शासकों को अवशेष कहीं से मिला इस सम्बन्ध में तर्क से काम नहीं लिया जा सकता, केवल विश्वास करना है । उसी स्थान के समीप कलवान से प्राप्त ताम्रपत्र में भी निम्न प्रकार का वर्णन मिलता है—

टड शिलए शरिर प्रइस्तवेति गह थ्वमि ।

भगवान् के अवशेष को राजा अयस ने भ्राता, भगिनि, दुहिता के साथ गृह स्तूप में स्थापित किया । पहली सदी में यह अवशेष कहीं से आया, यह अनिर्वचनीय है । तक्षशिला का एक लेख एक चाँदी के पत्र पर खुदा मिला है जो सम्भवतः अवशेष पात्र से निकाला गया होगा । उसमें वर्णन है कि अयस नामक राजा ने धर्म राजिका स्तूप में भगवान् का अवशेष स्थापित किया था । तक्षशिला में धर्म राजिका स्तूप को अशोक ने बनवाया था । स्यात् उसकी मरम्मत पहली सदी में पल्लव राजा अय ने की और इसीलिए निम्न प्रकार का उल्लेख किया—

“इश दिवमे प्रदिस्तवित भगवतो धातुओ उरस कोण इतद्विण पुत्रण वहल्लिएण रणो अचए पागरे वास्तवेण । तेण इने प्रदिस्तवित भगवतो धातुओ धमर इए तक्षशिलए ।”

अन्य धातु पात्रों की तरह पेशावर के समीप कुर्रम ने ताम्बे का अवशेष-पात्र मिला है जिसके ऊपरी भाग पर अवशेष स्थापना की बात उल्लिखित है—

थ्वमि (स्तूप में) भगवतस शक्य मुनिस शरिर प्रदिठवेदि (प्रतिष्ठापित किया) ।

इस स्तूप का निर्माण अवशेष पर किया गया परन्तु यह ज्ञात नहीं हो सका कि बुद्ध के शरीर के अवशेष कहाँ से मिले थे । अफगानिस्तान के खवट नामक स्थान पर स्तूप का भग्नावशेष है जिसमें कासा का पात्र मिला था । इस काँस्य पात्र के नीचे लेख खुदा है ।

“वग्रमारेग्रविहरमि थुस्तिमि भगवद शक्य मुणे शरिर परिठवेति”

वग्रमरेग नामक विहार के समीप स्तूप में भगवान् बुद्ध का अवशेष स्थापित किया गया । यह घटना ह्विष्क के शासन काल की है । यानी ईसवी सन् की दूसरी सदी तक लेखों में अवशेष स्थापना की चर्चा मिलती है । ईसा पूर्व चौथी सदी से लेकर दूसरी सदी तक के लेखों में बुद्ध के अवशेष स्थापित करने की वार्ता लेखों के सहारे ज्ञात होती है । उनकी ऐतिहासिकता पर विवेचन नहीं किया जा सकता । यहाँ इस बात पर बल के साथ स्पष्ट उल्लेख करना कि लेखों के आतिरिक्त बुद्ध के शरीर-अवशेष सम्बन्धी विवरण जानना सम्भव नहीं था ।

भारतीय संस्कृति का बृहत्तर भारत में विस्तार की चर्चा लेखों द्वारा ही मिलती है। यों तो अन्तर्राष्ट्रीय ढंग पर भारत तथा पूर्वी द्वीप समूह जावा, बोर्नियो का परिज्ञान पाल तथा चोल लेखों से होता है परन्तु चौथी सदी के चम्पा के दिलालेख (नं० २ ३) में पुरुषमेध का वर्णन मिलता है। महाराज भद्रवर्मन कहता है कि मैं तुम्हें अग्नि को समर्पित करता हूँ। निम्न पंक्ति का उल्लेख इसे प्रमाणित करता है—नमो देवाय भद्रेश्वर स्वामिपाद प्रसादात् अग्नयेत्वा जुष्टं कर्ष्यामि धर्मं महाराज श्री भद्रेश्वर वर्मणो यावच्चन्द्रादित्यो तावत् पुत्रं पुत्रं मोदयति। पृथिवी प्रसादात् कार्यं सिद्धास्तु। सिवोदासो बद्धयते (चोदिन लेख, मज्जुबदार चम्पा लेखा न २, ३)।

इन्हीं पंक्तियों में शिव नामक दास को यूप से बाँधकर पुरुषमेध का अनुमान लगाया जाता है। इसमें मदेह नहीं है कि पुरुषमेध का अनुकरण चम्पा में भारत से किया गया जहाँ वैदिक (शत० ब्रा० १३, ६, २, १ गो० ब्रा० ५, ८, आपस्तम्ब (२०, २४, १) तथा कात्यायन २, १, ३) पौराणिक (वायु पुराण १०४; ८४) और बौद्ध साहित्य (सूत्रनिपात्त १, २) में इसका विवरण पाया जाता है। भारत के ब्राह्मणों ने उस उपनिवेश में भारतीय संस्कृति का पचार किया था, यह लेखों के आधार पर सत्य सिद्ध हुआ है। मध्य एशिया के लेखों से भी इसी प्रकार सांस्कृतिक प्रसार के विवरण उपलब्ध हैं जो भारतीय संस्कृति के प्रसार का परिज्ञान करते हैं (खरांठी लेख भा० १, २, ३—सरकार सेलेनट इन्स० पृ० २३४)। दक्षिण पूर्व एशिया—चम्पा, कम्बोडिया, जावा, बोर्नियो, वालि आदि के लेखों में भारतीय ढंग के दान का विवरण पाया जाता है। इस प्रकार अन्य साधनों के अतिरिक्त बृहत्तर भारत के लेख भारतीयता की छाप को कथा सुनाते हैं।

भारतीय अभिलेखों की सहायता से प्राचीन तिथि और काल गणना का ज्ञान हमें होता है। ईसा पूर्व शताब्दी ई० पू० ५७ में विक्रम काल गणना का आरम्भ हुआ था। जिसकी जानकारी लेखों से ही की जाती है। इसकी सन् के आरम्भ से शक सम्बत् (स अभिलेखों से तिथि ७८) का आरम्भ हुआ जिसका सम्बन्ध कुपाण नरेशों के अभिलेखों से स्थापित किया जाता है। कनिष्क से लेकर वासुदेव तक के लेख एक क्रम से ३ से ८०) तिथि युक्त है। नहुपान का जूनार लेख ४६ में और रुद्रामन का जूनागढ की प्रशस्ति ७२ वर्ष में उत्कीर्ण की गई थी। इन सब का सम्बन्ध उसी शक सम्बत् से निश्चित किया गया है। गुप्त वंश के अभिलेखों को अध्ययन से यही पता लगता है कि उनके लेख गुप्त सम्बत् (ई० स० ३१८) से सम्बन्धित हैं। द्वितीय चन्द्र गुप्त के मयुरा लेख की तिथि ८२ और कुमार गुप्त प्रथम को करमदण्डी लेरा में ११७ तिथि मिलती है। मनुकुमार प्रतिमा लेख में १२९ खुदा है तो उसके पुत्र स्कन्द गुप्त के जूनागढ प्रशस्ति में १३६, १३७, १३८ तिथियों का विवरण पाया जाता है। इस पर विचार करने में यह नहीं कहा जा सकता कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने ८२ वर्ष, प्रथम कुमार गुप्त १२९ वर्ष तथा स्कन्द गुप्त ने १३८ वर्ष शासन किया। किसी न किसी काल गणना से उनका सम्बन्ध स्थापित करना ही पड़ेगा। प्रथम कुमारगुप्त के मंदसौर लेख ४९३ तथा ५२९ तथा उसी म्यान के यशाधर्मन के लेख में ५८९ अंक उल्लिखित हैं। इन पर विचार कर दोनों तिथि का सम्बन्ध विक्रम सम्बत् से स्थिर किया गया है (आगे विस्तृत विवेचन देखिए)। इसी तरह मोखरि, नरेश इवान बर्मा

के हरहा लेख की तिथि ६११ (श्लोक) मिलती है जिसका सम्बन्ध विक्रम सम्बत् से था । उत्तर गुप्त युग के अभिलेखों में पहाड़पुर का ताम्रपत्र १५९ तथा एरण का लेख १९१ तिथि युक्त है । ये गुप्त काल (ई स ३१८) से सम्बन्धित हैं किन्तु अपसद तथा मँगरीव लेख हर्ष सम्बत् (ई स ६०६) से सम्बन्धित किए गए हैं । इस प्रकार अभिलेखों के अध्ययन द्वारा शासकों की शासन-तिथि निश्चित हो जाती है ।

भारतीय अभिलेखों में कभी एक छोटी सी घटना का गम्भीर रूप में चित्रण मिलता है । इसका कारण यह था कि प्रशस्तिकार अपने सरक्षक शासक की मुक्त कठ सं प्रशंसा कर उसके चरित्र को अतिरंजित करता था । इस प्रकार की अत्युक्ति पूर्ण लेखों में अत्युक्ति प्रशस्ति मध्य युग में अधिक पाई जाती है । गुप्त लेख में एक स्थान पर ऐसी घटना का उल्लेख है जो इतिहास की कसौटी पर खरी नहीं उतरती । मेहरीजी के लेख में एक पंक्ति में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय वर्णित है—

तांत्वा सप्त मुखानि येन समरे सिन्धाञ्जिता वाह्लिका
यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिर्वीर्योनिर्लक्षिणः ।

द्वितीय चन्द्रगुप्त को दक्षिण का विजयी कहा गया है । परन्तु अन्य प्रमाणों से यह सत्य ज्ञान नहीं होता । इसे आलंकारिक विवरण मानना पड़ेगा । छोटी मदी के मध्य में वागुल नामक प्रशस्ति लेखक ने मालवा के शासक यशोधर्मन की विजय या हा का वर्णन अनिर्गमन शब्दों में किया है । मद्रसोर के लेख में विवरण मिलता है कि यशोधर्मन ने लौहित्य (जागाम) में पश्चिमी समुद्र (रत्नाकर) तथा हिमालय से महेन्द्र पर्वत तक समस्त भू भाग पर अधिकार कर लिया था । तत्कालीन इतिहास का अनुशीलन यह बतलाता है कि पश्चिम भाग में चालुक्य वंश का राज्य था । मगध में पिछले गुप्त नरेश शासन कर रहे थे । ऐसी दशा में मार्ग में स्थित शासकों के पराजय का विवरण प्रशस्तिकार ने उपास्थित नहीं किया है । उगोक्त पठनीय है—

आ लौहित्योपकण्ठात्तत्रवन गत्नोपत्यकाद्यमहेन्द्रा—

दा गङ्गाश्लिष्ट-सानोस्तुहिन शिखारण पश्चिमादा पयोमे ।

भामन्तर्यम्य बाहु-द्रविण हृत मदै पादयोरानमार्द्र—

श्चूडाग्रताडशु-राजि-व्यतिकर-शबल भूमिभागा क्रियन्त ॥

उसी प्रकार मदी के प्रतिहार राजा का सामंत चन्दल नरे । यशोधर्मन के खजुराहो लेख में अत्युक्ति पूर्ण उल्लेख है । उस लेख में वह गौड (बगाल) काशल, मिथिला, मालवा चंदि तथा कुरु देश के विजेता के रूप में वर्णित है (ए० इ० भा० १ पृ० १२६) वास्तव में उन प्रदेशों में चंदेलों का कोई सम्बन्ध न था ।

इतना ही नहीं यशोधर्मन के दूसरे अभिलेख में राजस्थानीय (राज्यपाल) अभयदत्त के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वह विन्ध्या से अरब सागर तक शासन करता था । यह वास्तविक में सचची घटना नहीं कही जा सकती । (मदनगिरि जिलाकेव मा० सं० ५८९, का० इ० इ० ३ पृ० १५२ श्लोक १९) मध्ययुग के अभिलेखों में छोटे शासक के लिए भी 'परम भट्टारक महाराज' 'जिराज परमेश्वर' की पदवी उल्लिखित की गई है । सम्भवतः लेख लिखने वाले को इस पदवी का वास्तविक अर्थ अज्ञात था अथवा अपने सरक्षक राजा के महान् विजेता या शक्तिशाली नरेश दिखलाने का प्रयत्न था । समुद्रगुप्त ऐसे विजेता को केवल महाराजाधिराज

कहा गया है जबकि पिछले गुप्त-नरेश (मगध के शामक) जीवित गुप्त को देववर्नाक लेख में महान् उपाधि—“परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर” से विभूषित किया गया है (श्री विष्णुगुप्त देव तस्य पुत्र तत्पादानुध्यातो परम भट्टारिकाया राज्ञा महादेव्या श्री इज्जादेव्या-मुत्पन्न परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री जीवितगुप्त)। इस तरह के अनेक दृष्टांत हैं जो सिद्ध करते हैं कि प्रशस्तिकार ने आलंकारिक भाषा में नायक के चरित का अतिरञ्जन किया है।

यह सत्य है कि प्रशस्तियों के सहारे अनेक शासकों के चरित का परिज्ञान होता है परन्तु अभिलेखों के अध्ययन में सतर्कता का व्यवहार उपयोगी है। जिस ऐतिहासिक तथ्य को जानने के लिए विद्वान् विभिन्न मत उपस्थित करते हैं तथा अन्य सिद्धान्त का खण्डन करते हैं, उनमें किसी सिद्धान्त की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक तथा तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। अशोक के धर्म सम्बन्धी प्रश्न को लेकर साहित्यिक विवाद खड़ा हुआ। वह किम मत का मानने वाला था, यही एक विवादास्पद प्रश्न है। सम्पूर्ण धर्म लेखों का वैज्ञानिक विवेचन अशोक को बौद्ध मत का अनुयायी सिद्ध करता है। मौर्य साम्राज्य के उपरान्त नागव्रतधर्म का प्रचार हुआ। जिस वैदिक यज्ञ अथवा समाज की निन्दा अशोक ने की, उसकी पुनः स्थापना हो गई। इस परिणाम पर पहुँचने के लिए सातवाहन लेख, गुग प्रशस्ति, बेमनगर गरुड-स्तम्भ-लेख तथा घोसुण्ठी शिलालेख (नागरी, चित्तौरगढ़ (राजपुताना) के लेखों का अनुशासन आवश्यक हो जाता है। शामको की शक्ति का अनुमान भी उस वय के लेखा से किया जा सकता है। लेखों के प्राप्त स्थान से अमुक राजा के राज्य-विस्तार का पता लगता है परन्तु विभिन्न उल्लेखों का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। नालदा तथा गया (विहार प्रदेश) में समुद्रगुप्त के दो ताम्रपत्र मिले हैं जो समुद्रगुप्त के पंचवें तथा नवें वर्ष के कहे गए हैं। इन नालदा ताम्रपत्र में अश्वमेध का वर्णन है जो प्रयाग की प्रशस्ति में उल्लिखित नहीं है। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि शासन के ५ वें वर्ष में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध किया होगा जो असम्भव है। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यावर्त के शासकों को पराजित कर दक्षिण का दिग्विजय किया। अतः उसके बाद ही अश्वमेध करना समुचित प्रतीत होता है। इस परिस्थिति में ५ वें वर्ष में अश्वमेध की कल्पना नहीं की जा सकती। अतएव वैज्ञानिक तथा तुलनात्मक अध्ययन यह प्रमाणित करता है कि ये दोनों ताम्रपत्र कल्पित हैं। किसी ने व्याक्तिगत लाभ के लिए जाली दानपत्र तैयार कर घोषित कर दिया होगा।

एक साधारण लेख से वैज्ञानिक रीति को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। समुद्रगुप्त प्रयाग की प्रशस्ति तथा अन्य सभी गुप्त लेखों में ‘लिच्छवी-दोहित्र’ कहा गया है। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी का पुत्र था, इसलिए ‘‘लिच्छवी-दोहित्रस्य महादेव्या कुमारदेव्यामुत्पन्न’’ उल्लिखित है। इसकी पुष्टि प्रथम चन्द्रगुप्त के मुद्रा लेख से की जाती है। राजा द्वारा प्रचलित स्वर्ण सिक्के के अधोभाग पर ‘‘कुमार देवी श्री तथा चन्द्रगुप्त’’ का नाम खुदा है तथा पृष्ठ भाग पर ‘लिच्छवय, उत्कीर्ण है। इससे तथ्य का पता लग जाता है कि चन्द्रगुप्त का विवाह लिच्छवी वंशजा कुमारदेवी से हुआ था। समुद्रगुप्त को इसी कारण लिच्छवी-दोहित्र कहा गया है। इस प्रकार के अन्य दृष्टांत भी उपस्थित किए जा सकते हैं। गुप्त वंश का एक मुहर पर

३४ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात् पुष्पगुप्त का नाम मिलता है और दूसरे अभिलेखों में स्कन्दगुप्त प्रथम कुमार गुप्त का पुत्र तथा उत्तराधिकारी कहा गया है। इस प्रश्न को लेकर ऐतिहासिक विवाद खड़ा हो गया जिसका समाधान अभी तक न हो सका कि प्रथम कुमार गुप्त का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था ? ऐसे अल्प उदाहरण ही पर्याप्त हैं जो वैज्ञानिक रीति तथा तुलनात्मक अध्ययन के महत्त्व पर प्रकाश डालते हैं।

प्राचीन भारतीय लेखों में शासकों की विशेष चर्चा की गई है। कभी उसमें ऐतिहासिक तथ्य का अभाव रहता है। उदाहरणार्थ नागपुर प्रशस्ति में परमार राजा लक्षणवर्मन का

विजय गौड, अंग, कलिंग (पूर्व में) चोल, पाण्ड्य (दक्षिण में)

लेखों की अपूर्णता तथा दोष तुर्क (मुसलमान) तथा वक्षु (बल्लभ) की सीमा पर्यन्त वर्णित है (ए० इ० भा० २ पृष्ठ १८६)। यह सभी सत्य से परे है। उनके

धार्मिक कृत्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया है परन्तु प्रजा के प्रति

उनके कर्तव्य का विवरण नहीं के बराबर है। राजनीतिक वार्ताओं को किसी प्रकार सन्तोष

जनक नहीं समझा जा सकता। अभिलेखों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि ऐतिहासिक घटना

आकस्मिक रूप में लिखी गई हैं। कभी लेखक ने आलंकारिक रूप में उनको रचना की। इति-

हास के सत्यता पर ध्यान न रहा। राज्य में नियमों का कौन निर्माता था या किस रूप में

प्रजा शासक को उपनियम तैयार करने में सहायता करती थी, आदि बातें प्रकाश में नहीं आई

हैं। अभिलेखों में दान का वर्णन सर्वदा स्मृतियों पर अवलम्बित है, पर आश्चर्य यह है कि दान

ग्राही तथा दान कर्ता के सक्षिप्त चर्चा के अतिरिक्त वर्णों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं मिलता।

धर्म शास्त्रकारों ने वर्णों के कार्यों, अधिकार तथा स्थिति का सुन्दर वर्णन दिया है किन्तु

प्रशस्तिकार इस विषय में मौन हैं। ब्राह्मण किमो अपराध में मृत्युदण्ड से मुक्त समझा जाता

रहा, लेखों में इस मिद्धान्त का उल्लेख नहीं है। वैश्य तथा शूद्र के श्रम, पारिश्रमिक, वस्तुओं

के मूल्य, उत्पादन सीमा, उनकी आवश्यकता, सापेक्षिक उपभोग आदि विषयों का ज्ञान अभि-

लेखों में उपलब्ध नहीं है। शासक आर्थिक उन्नति में किम रूप से सहायता करता था या

किस मार्ग से प्रोत्साहन देना था यह भी अज्ञात है। साहित्यिक आधार पर जितना परिज्ञान है

उसे अभिलेखों से प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। कुछ अशो म भारतीय प्रशस्तियाँ अपूर्ण हैं तथा

इन दोषों का कारण भी अज्ञात है।

अभिलेख लिखने के आधार

अभिलेख का तात्पर्य है कि किसी वस्तु पर कोई विषय उत्कीर्ण किया जाय। प्राचीन भारतीय इतिहास लिखने में प्रशस्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन समय में राजाश्रय पाकर कविगण को प्रशंसा के शब्द लिखते समय अथवा किसी घटना का उल्लेख करने के निमित्त लिखने के आधार वस्तु (जिन पर लेख लिखा जाय) को ढूँढना पडा। प्राचीनतम काल में कागज या ताडपत्र या भोजपत्र का भी प्रयोग लोगों को ज्ञात नहीं था। लेखन कला का जन्म भारत में हो गया था। विद्या कण्ठगता थी, इसलिए वेदों के लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। ईसा पूर्व सदियों में सर्व प्रथम प्रस्तर का आधार बनाकर लिखना प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात् धातुओं का प्रयोग होने लगा। अन्य वस्तुएँ भी काम में लाई जाती थी जिन पर सामयिक वृत्तान्त अंकित मिलता है, उन्हीं का विवरण अगली पंक्तियों में उपस्थित किया जायगा। यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि प्रस्तर की स्थायी समझ कर लेख उत्कीर्ण किए गये। साधारणतः जितने प्रकार की आधार वस्तुएँ काम में लाई जाती थी, उन पर खुदे वृत्तान्त को 'लेख' कहते हैं। राजाज्ञा द्वारा प्रस्तर या धातु पर उत्कीर्ण लेख 'प्रशस्ति' शब्द से प्रसिद्ध है।

ईसा पूर्व सदियों में मौर्य सम्राट् अशोक ने अपने धर्म-लेख को समस्त जनता की जानकारी के लिए स्थान-स्थान पर खुदवाया था। उसके चौदह लेख राज्यसीमा पर स्थित शिलाओं पर खुदे हैं। जिनको प्रधान शिला लेख के नाम से पुकारते हैं। उसके शिलाखण्ड लेख उत्तर पश्चिम मनसेरा (पेशावर जिला) तथा काठियावाड़ के गिरनार से लेकर पूरब में घौली (उड़ीसा) तक और उत्तर में कालसी (देहरादून, उत्तर प्रदेश) से दक्षिण में रंगुडो (करनूल, मद्रास) में पाये गये हैं। उत्तर मौर्य काल में पुष्यमित्र शुंग का एक लेख अयोध्या से प्राप्त हुआ है जिसमें उसके जीवन की मुख्य घटनाओं का उल्लेख मिलता है। वह लेख दरवाजे के ऊपरी चौखट पर खोदा गया था। ईसवी सन् की पहली तथा दूसरी सदियों में शक व कुषाण नरेशों ने भी प्रशस्तियाँ खुदवाई थी। ह्विष्क तथा सोडास का मथुरा शिला लेख तथा कनिष्क का मानिक्याला उल्लेखनीय है। सबसे प्रधान लेख महाक्षत्रप रुद्रदामन का है जो १५० ई० में गिरनार में खोदा गया था। वह लेख अशोक के गिरनार वाले लेख के शिलाखण्ड पर ही उत्कीर्ण है। यही लेख संस्कृत साहित्य का सबसे पहला गद्य खण्ड है जो साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डालता है। रुद्रदामन के व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन का सारा वृत्तान्त उपस्थित करता है।

गुप्त वंश के शासन आरम्भ होने पर अनेक प्रशस्तियाँ लिखी जाने लगी। सर्व प्रथम समुद्रगुप्त ने प्रशस्ति खुदवाने का श्री गणेश किया। उसके पुत्र द्वितीय चन्द्रगुप्त ने भी शिला खण्ड पर लेख खुदवाया जिसमें उस वंश का इतिहास भरा पडा है। उसके उत्तराधिकारियों में कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर का लेख तथा स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ का लेख प्रसिद्ध हैं। छठी

३६ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

सदी के राजा यशोवर्मन की प्रशस्ति इसी श्रेणी में रक्खी जाती है। मौखरि राजा ईशानवर्मा की प्रशस्ति (हरहा का लेख) अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसमें मौखरि इतिहास के अतिरिक्त मालव सम्बत् का उल्लेख पाया जाता है। पिछले गुप्त नरेशों के लेखों में अपसद (गया, बिहार) का लेख मुख्य माना जाता है।

पूर्व मध्य काल (७००-१२०० ई०) में भारत में कोई एक-छत्र सम्राट् न था। छोटे-छोटे राजा सीमित क्षेत्र में शासक करते रहे। ऐसी दशा में राजाज्ञा को सामा या प्रान्तों के शिला खण्डों पर उत्कीर्ण कराने का प्रश्न ही न रहा। सम्भवत उन्हें उचित स्थान न मिल सका। उस समय सामाजिक परिवर्तन के कारण राजा तथा प्रजा के सम्मुख लेख खुदवाने का नवीन उद्देश आया। राजाज्ञा के प्रसार के लिए लेख नहीं खुदवाये गये किन्तु दान तथा धार्मिक वृत्तान्त लिखने की परिपाटी चल निकली। यही कारण है कि शिला खण्डों पर प्रशस्ति न खुदवा कर अन्य आधार स्तम्भ अथवा ताम्रपत्र का प्रयोग होन लगा। दूसरे शब्दों में यह कहना उचित होगा कि पूर्व मध्य युग में प्रशस्ति अंकित करने के लिए पत्थर खण्ड का प्रयोग प्रायः समाप्त हो गया।

शिलाखण्ड के पश्चात् पत्थर का दूसरा रूप स्तम्भ है, जिस पर लेख लिगावाने की प्रथा ईसा पूर्व सदियों से भारत में चल पटी। स्तम्भों के वर्तमान स्थान में बहुधा लोगों में भ्रम हो जाता है कि स्तम्भ जहाँ पर खड़े हैं वही पर आरम्भ में स्थित है।

स्तम्भ

परन्तु सभी के लिए यह कथन उचित नहीं है। मुसलमान बादशाहों ने उन्हें स्थानान्तरित भी किया है। जैसे प्रयाग के किले में खड़ा स्तम्भ (जिस पर अशोक तथा समुद्रगुप्त के लेख खुदे हैं) कौशाम्बी से, तथा दिल्ली में फिरोजगढ़ कोटला पर स्थित अशोक स्तम्भ अम्बाला या मरठ में लाया गया था। किन्तु आज भी ऐसे स्तम्भ हैं जो मूल स्थान पर खड़े हैं। जैसे सारनाथ तथा लौरिया (चम्पारन, बिहार) के स्तम्भ। अशोक के चौदह प्रधान शिलालेखों के बाद मात स्तम्भ लेखों की गणना होती है जिनमें रूपनाथ, लौरिया, दिल्ली स्तम्भों का नाम लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त साची, सारनाथ तथा कौशाम्बी के स्तम्भ लेख द्वितीय श्रेणी में रक्खे जाते हैं। स्तम्भों पर लेख खुदवाने का कारण यह था कि जहाँ शिला खण्ड उपलब्ध नहीं थे उस स्थान पर राजाज्ञा की घोषणा स्तम्भ लेख द्वारा की जाती थी। रूपनाथ (मध्य प्रदेश) सारनाथ (उत्तर प्रदेश) तथा लौरिया (चम्पारन, बिहार) आदि स्थानों में किसी प्रकार का पत्थर खण्ड अथवा पर्वत श्रेणी न होने के कारण अशोक ने स्तम्भों पर धर्म लेख खुदवाये थे। ये सभी लेख उसके राज्य की सीमा में स्थित हैं। सम्भवत उन स्थानों की निजी विशेषता थी। ईसा पूर्व दूसरी सदी में दूनानी राजदूत हेलियोदारम ने भी अपनी धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिये भिलसा (प्राचीन विदिशा) में स्तम्भ पर लेख खुदवाया था। वह आज भी मूलस्थान को सुशोभित कर रहा है और खम्बा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है।

गुप्त राजाओं ने भी प्रशस्ति खुदवा कर विजय का वर्णन किया है। सर्व प्रथम कवि हरिवेण ने समुद्रगुप्त के दिग्विजय का विवरण प्रयागस्तम्भ पर उत्कीर्ण किया जिसमें सम्राट् के सम्पूर्ण विजय का वर्णन है। यह लेख अशोक के कौशाम्बी स्तम्भ पर निचले भाग में खुदा है। उसके वंशज कुमारगुप्त प्रथम तथा स्कन्दगुप्त ने स्तम्भ पर लेख खुदवा कर गुप्त वंश की कीर्ति

को प्रसारित किया था। स्कन्दगुप्त का भित्तरी का स्तम्भ वाला लेख शासक के विजय व हूणों के पराजय का विस्तृत विवरण उपस्थित करता है। उसके पश्चात् बुधगुप्त तथा भानु गुप्त के स्तम्भ लेख महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रस्तर के अतिरिक्त द्वितीय चन्द्रगुप्त ने लोहे का स्तम्भ तैयार कराया तथा लेख अंकित कराया था। वह संसार का एक अद्वितीय घातु स्तम्भ है जो दिल्ली के समीप मेहरोली में कई सौ वर्षों में खड़ा है। छठी सदी का यशोधर्मन का मंदसौर स्तम्भ लेख शासक के यश तथा विजय की कथा सुनाता है। इस तरह भारत के प्राचीन शासक गण अपनी कीर्ति लता के विस्तार के लिए स्तम्भों पर लेख उत्कीर्ण कराते थे। इस भावना का बड़ा ही सुन्दर वर्णन समुद्रगुप्त के स्तम्भ लेख में पाया जाता है—“कीर्तिमिति स्त्रिदशपति भवन गमना-वाम ललितसुख विचरणामाक्षाण इव भुवो बाहुरयमुच्छ्रित स्तम्भ ।” भाव यह है कि सारी पृथ्वी के विजय में जो कीर्ति उपलब्ध हुई उसे स्वर्ण तक पहुँचाने के लिए ऊँचा स्तम्भ पृथ्वी के बाहू के समान है। कुछ स्तम्भ लेख 'यूप' के नाम से विख्यात हैं जिन पर यज्ञ सम्बन्धी अभिलेख उत्कीर्ण हैं। मौखरि वज्र का बड़वा लेख (तीसरी नदी) इस श्रेणी (यूप) में रक्खा जा सकता है (ए० इ० भा० २३, पृ० ५२)।

मध्यकाल में भी यद्यत् स्तम्भ खड़ा करने का वर्णन मिलना है। परन्तु उन पर लेख खुदवाने का विशेष महत्व नहीं ममज्ञा जाता था।

भाग्यवर्ष में ईसवी सन् के आरम्भ से महायान शाखा में भक्ति का समावेश हुआ जिसके कारण प्रतिमाओं का निर्माण होने लगा। यो तो साहित्यिक आधार पर मूर्तियों के निर्माण के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं परन्तु उतने पुराने उदाहरण नहीं मिले हैं। भागवतधर्म ने जब बौद्धमत को प्रभावित किया, तब पूजा के निमित्त बुद्ध की मूर्ति तैयार की गई। प्रस्तर के इस तीसरे रूप (प्रतिमा) पर भी लेख अंकित किये जाने लगे। जो व्यक्ति उसका दान करता था या जिस शासक के समय में मूर्ति बनी, उस विषय का विवरण प्रतिमा-लेख में पाया जाता है। अधिकतर प्रतिमाओं के आधार-शिला पर लेख उत्कीर्ण किये जाते थे। कभी उनके पृष्ठ भाग पर भी लेख मिलते हैं। इस प्रसंग में मौर्यकाल-पूर्व पटना तथा पारसम यक्ष प्रतिमाओं का नाम लिया जा सकता है। मध्ययुग की कुछ मूर्त्य मूर्ति के पृष्ठ भाग पर उत्कीर्ण लेख पाये गये हैं। पूर्व मध्ययुग (७००-१२०० ई०) की बौद्ध प्रतिमाओं के सिरे भाग पर विशिष्ट लेख (निम्न पद) उत्कीर्ण किया जाता था—

यो धर्म्मा हेतु प्रभवा, हेतु तेपा तथागतोह्यवदत् ।

अवदत् च यो निरोधो एवं वादी महाश्रमण ॥

ईसवी सन् की पहली सदी में बोधगया में विशाल बुद्ध मूर्ति तथा मथुरा के अनेक प्रतिमाओं के आधार शिला पर लेख खुदे मिले हैं। मथुरा से कुषाण कालीन बौद्ध तथा जैन प्रतिमाओं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हुई हैं जिनमें अधिकतर कुषाणवंशी उत्पन्न हैं और शक सम्बन्ध में तिथि भी उल्लिखित हैं। सारनाथ में एक विशाल बोधिसत्व प्रतिमा मिली है जिसके छत्र-यष्टि पर कनिष्क के महाक्षत्रप (राज्यपाल) खरपल्लाना द्वारा लेख खुदवाया गया था। द्विविक्र के समय में भी बौद्ध तथा जैन प्रतिमाएँ अधिकतर लेख के आधार थीं। उनसे कुषाण इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मथुरा के क्षत्रप शासकों ने भी मूर्तियों पर लेख खुदवाये थे।

यह क्रम बढ़ता ही गया। गुप्त शासकों ने भी कुछ मूर्तियों पर लेख खुदवाया था जिनमें मन-कुमार की बौद्ध प्रतिमा प्रसिद्ध है। करमदण्डा के शिवलिङ्ग पर भी गुप्त लेख मिला है।

पिछले गुप्त नरेशों में कुमारगुप्त द्वितीय बुद्धगुप्त तथा आदित्यसेन ने क्रमशः बुद्ध प्रतिमा तथा सूर्य मूर्ति के आधार प्रस्तर पर लेख अंकित कराया था। मध्य प्रदेश के एरण नामक स्थान पर वाराह भगवान् की विशालकाय मूर्ति है जिस पर हूण राजा तोरमाण के समय की प्रगति है। इस तरह जैन प्रतिमाओं और आयागपट्ट पर लेख पाये जाते हैं। कसिया के महावीर-निर्वाण मूर्ति पर भी लेख खुदा है। यद्यपि कुछ लेखों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है किन्तु इससे पता चलता है कि मूर्तियों के आधार-शिला पर कुछ लेख उत्कीर्ण किये जाते थे। धातु प्रतिमाओं पर उस अनुपात में कम लेख अंकित हैं (धातु मूर्तियाँ लेख रहित नहीं होती थीं)। उन प्रतिमाओं का भारतीय कला के इतिहास में विशेष स्थान है और उन पर उत्कीर्ण लेखों से इतिहास की जानकारी में भी सहायता मिलती है। ऐसी धातु प्रतिमाएँ बिहार प्रदेश के नालदा तथा कुर्कोहर नामक स्थान से प्रकाश में आई हैं। उन पर शासक तथा दानकर्ता के नाम प्रायः खुदे हैं।

प्राचीन समय में बुद्ध के शरीर अवशेष पर अशोक ने अनगिनत स्तूप बनवाया था जिसका उल्लेख चीनी यात्रियों ने किया है। किसी भस्म पात्र में फूल (अवशेष) रख दिये जाते और उस पर अण्डाकार या अर्द्ध-वृत्ताकार ढाचा तैयार किया जाता था जो स्तूप के नाम में प्रसिद्ध है। उस स्तूप के बाहर चारों तरफ घेरा (बेष्टनी) मिलती है जिसमें द्वार (तोरण) भी बने हैं। उसी बेष्टनी के स्तम्भ या सूची पर लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। तोरण भी लेखों के आधार थे। भरहुत, अमरावती तथा साची की बेष्टनी इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।

स्तूप के भी भीतर शरीर की राख (अवशेष) सोने या कोमती पत्थर के पात्र में रक्खा जाता था। तत्पश्चात् उस अस्थि-पात्र को प्रस्तर के बाक्स में रखते थे। कभी उस पत्थर या पात्र के ढकन पर भी लेख मिलता है। ऐसे पात्रों पर उपलब्ध लेखों में पोंपरावा [वस्ती, उत्तर प्रदेश] का पात्र-लेख सबसे पुराना है जिस पर अशोक से पूर्व लिपि में लेख अंकित है। साची के द्वितीय स्तूप से एक पात्र मिला था जिसमें अवशेष रक्खा था। पात्र पर 'स' अक्षर अंकित था जिससे विद्वान् यह अनुमान लगाते हैं कि यह मारीपुत्र के नाम का संक्षिप्तकरण है। अन्य पात्र लेख से बुद्ध के प्रधान शिष्य मोग्गल्लान का भी नाम मिला है। इससे प्रकट होता है कि वह स्तूप इन दोनों शिष्यों के स्मारक स्वरूप (अवशेष के साथ) तैयार किया गया था। उत्तर पश्चिमी प्रांत के बजौर रियासत में मिलिन्द्र के समय का एक भस्म पात्र प्राप्त हुआ है जिसके अन्दर और ढकन के दोनों तरफ खरोष्टी में लेख खुदा है। (ए० इ० २४ पृ० ७) उसमें 'प्रण समेद शरीर भगवतो शक मुनिम', लिखा है। अफगानिस्तान के बौमरान स्तूप से भी एक लेख उपलब्ध हुआ है जो कनिष्क के शासन-काल का है। कनिष्क के कुर्रम पात्र पर भी "शक मुनिम शरीर" लेख खुदा है। मयूरा से भी अवशेष पात्र मिले हैं जिन पर लेख उत्कीर्ण हैं। इस तरह स्तूप से सम्बन्धित पात्र भी हमें बहुत-सी बातों का ज्ञान कराते हैं।

स्तूप की वैष्टनी तथा तोरण पर भी लेख खुदे मिले हैं। साची के दक्षिण तोरण पर सातवाहन राजा शातकर्णी का नाम है। इस स्थान की वैष्टनी पर विभिन्न व्यक्तियों तथा व्यापारियों के नाम खुदे हैं जिन्होंने उसे दान में दिया था तथा प्रत्येक में 'दानम्' शब्द इसे प्रमाणित करता है। साची की वैष्टनी पर द्वितीय चन्द्रगुप्त का गु० म० ९३ का लेख खुदा है। साची के अतिरिक्त भरहुत की वैष्टनी पर कई जातक का नाम तथा उनका चित्रण मिला है। उस प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि वैष्टनी पर बौद्ध कथानकों तथा ऐतिहासिक घटनाओं का जितना प्रदर्शन किया गया है, उन सबका ज्ञान भरहुत वैष्टनी पर अकिन लेखों से ही जाता है। सातो मानुषी बुद्ध के नाम वही से मिलता है। उदाहरण के लिए "भगवतो विपसिनो बोधि" अथवा "भगवतो शकमुनिनो बोधो" प्रस्तर पर प्रदर्शन करते समय उस जातक के उल्लेख से लोगों की विशिष्ट जानकारी हो जाती है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान, महाकपि जातक, यज्ञ, यक्षिणा के नाम आदि उसी स्थान के अंकित पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है। पूरब के तोरण पर खुदा यह "शुगाना राज्ये रजो गामीपुतस कारित तोरणम्" लेख घोषित करता है कि भरहुत की वैष्टनी शुग काल (इसवी पूर्व द्वितीय सदी) में तैयार की गई थी। वही से श्रावस्ती के जेतवन और अनाथ पीडक सेठ का नाम ज्ञात हो सका है। 'अमरावती तथा मथुरा में इस तरह के अनेक स्तूपों के भग्नावशेष निकले हैं। मथुरा के सिद्ध सिर के लेख से पता चलता है कि कुपाण के पश्चात् उत्तर पश्चिम भारत की दूसरी शक्ति ने मथुरा पर अस्थायी रूप से अधिकार कर लिया था। उनके प्रातपति रंजुवल और सोडास शासन कर रहे थे। इस प्रकार पात्र तथा वैष्टनी या तोरण पर उल्लिखित लेखों के सविस्तृत अध्ययन से बहुत स एतिहासिक तथ्यों का पता लगता है।

मद्रास प्रान्त के गटूर जिले में नागार्जुनी पर्वत के समीप स्तूप के अवशेष मिले हैं जिन पर वींगुपुरुषदत्त (तीसरी सदी) के कई लेख खुदे हैं जिनमें वींगुपुरुषदत्त द्वारा अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, वाजपेय तथा अश्वमेध करने का विवरण पाया जाता है। वह लेख 'नमो भगवते बुधस' में प्रारम्भ होता है जो शासक की सहिष्णुता को प्रमाणित करता है।

भारत में बौद्धमत से सम्बन्धित दो प्रकार की गुहाएँ मिलती हैं। निवास के निमित्त विहार तथा पूजा के लिए चैत्य। बौद्ध धर्म के अभ्युदय के साथ गृहस्थ आदि भिक्षु बनकर, घर छोड़कर विहार में निवास करने लगे। उस कार्य के लिये ऐसा स्थान चुना गया जो नगर के समीप हो। भिक्षु प्रतिदिन भिक्षा माग कर संघ्या समय विहार में लौट जाते। इसलिये भिक्षुओं के रहने के लिये नगर से ५ से ८ मील की दूरी पर पर्वतों में गुफायें तैयार होने लगी। गुहा (या गुफा) की संख्या सह्याद्रि (पश्चिमी घाट) में अधिक है। पश्चिमी भारत में प्रायः बौद्ध गुफायें हैं। नासिक, एलोरा, अजंता, भाजा, कार्ले, कनहेरी आदि ऐसे स्थान हैं जहाँ विहार में भिक्षु निवास करते थे। सबसे प्राचीन मौर्य कालीन बराबर पर्वत (गया, बिहार) में भी कुछ गुफायें हैं। उड़ीसा में (यानी पूर्वी भारत) में जैन गुफायें हैं। जैसे मन्चपुरी, रानी गुम्फा आदि। भारत के पर्वतों में गुहा खोदने की प्रथा प्राचीन है। ऐतिहासिक काल क्रमानुसार प्राचीनतम बराबर की गुफायें हैं जो मौर्य काल में तैयार की गई थी। उनमें अशोक के १२वें

५० : प्राचीन भारतीय अभिलेख

तथा १९वें वर्ष का लेख खुदा है। उस सुन्दर गुहा को आजीविक साधुओं को दान में दिया गया था—लाजिना पियदसिना दुवाडस वसाभिसिसेना इयं निभ्रोह कुभा दिना आजीविकेहि।

गुहा खोदने का क्रम चलता रहा। उड़ीसा में भुवनेश्वर के समीप हाथीगुम्फा में राजा खारवेल की एक लम्बी प्रज्ञप्ति मिली है जिसमें कलिंग राजा के जीवनघटनाओं का पता चलता है। इसी सन् की दूसरी सदी में नासिक, जूनार, कालें (महाराष्ट्र) की गुफाओं में क्षत्रप नहपान के जामाता उषवदस्त के कई महत्वपूर्ण लेख उत्कीर्ण मिले हैं। उनमें खोदने वाले व्यक्ति का नाम नहीं मिलता किन्तु लेख में दान का वर्णन है। उत्कीर्ण तिथि के आधार पर नहपान का काल स्थिर किया जाता है। नासिक गुहा लेखों से शक-सातवाहन सघर्ष के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशाका परिज्ञान हो जाता है। शक लोग किस तरह भारतीय सस्कृति को अपना रहे थे, यह उसके अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। उन गुफाओं के लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

गुप्तकाल में गुहा-निर्माण की कला उन्नत अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी। द्वितीय चन्द्र-गुप्त की उदयगिरि गुहा अत्यन्त प्रसिद्ध है। वही उसका ब्यासिर्व (८२) वर्ष का लेख भी खुदा है। उस काल में अजंता में कई गुहायें तैयार की गईं। प्रधानतः उनमें मुन्दर सामाजिक चित्र तथा बुद्ध के जन्म की कहानियाँ भी (जातक) चित्रित हैं। छठी सदी के वाकाटक राजा हरिषेण का लेख भी वही खुदा है। ग्वालियर के समीप बाघ की गुफाएँ मुख्यतः चित्रकला से सम्बन्धित हैं। नासिक तथा कनहेरी के लेख ऐतिहासिक हैं। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा (कैलाशनाथ मन्दिर) को राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने तैयार किया था जो भारत की अद्वितीय गुहा है। गुहा लेख तो ऐतिहासिक घटनाओं को बतलाने हो हैं किन्तु धार्मिक जगत् की भी अनेक बातें ज्ञात हो जाती हैं। पश्चिमो सहयाद्रि की बौद्ध गुफाओं तथा पूरब में उदय-गिरि (उड़ीसा) की जैन गुफाओं के अनुकरण ब्राह्मण धर्मावलम्बियों ने भी किया था। गुप्त सम्राट् द्वितीय चन्द्रगुप्त की उदयगिरि (मल्लिका के समीप) की वैष्णव गुफा, एलोरा तथा ऐलेफेन्टा की शैव गुफाएँ और दक्षिण में महाबलिपुरम् की गुफाएँ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। तात्पर्य यह है कि गुफा में ऐतिहासिक लेख खोदने के अतिरिक्त बौद्ध कलाकारों ने चित्र के कारण उनकी सुन्दरता बढ़ा दी। अजंता तथा बाघ की सप्तर प्रसिद्ध गुफाएँ उत्कृष्ट चित्रों के कारण अद्वितीय हैं।

प्राचीन समय में अभिलेखों के निमित्त ताम्रपत्रों को प्रयोग अधिकतर मिलता है परन्तु मंत्र भी उस पर खोदे जाते थे। किन्तु ताम्रपत्रों की प्रसिद्धि दानपत्र के सम्बन्ध में ही हुई।

उक्त पत्रों को चतुर्भुजाकार तैयार किया जाता था। मध्यम आकार ताम्रपत्रिका के ताम्रपत्रों पर दान का उल्लेख किया जाता था। एक ताम्रपत्र पर राजकीय मुद्रा ऊपरी भाग पर अंकित मिलता है। आर्थिक संख्या में ताम्रपत्रों ताम्बे की अंगूठी से संयुक्त कर जोड़ के अक्षर पर राजकीय मुद्रा (Seal) को स्थान दिया जाता था। इससे ताम्रपत्र की प्रामाणिकता सिद्ध होती थी। ताम्रपत्रों के आकार पर ही लेखों का विस्तार विदित होता है। ताम्रपत्रिका पर लेख अंकित करने का विशेष कारण था। पूर्व मध्य युग (७००-१२०० ई०) में सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन होने लगा। बौद्ध धर्म में वज्रयान के कारण नाना भाँति के प्रस्तर तथा धातु प्रतिमायें पूजानिमित्त तैयार

होने लगी। वहाँ धर्म प्रचार के लिए लेख खुदवाना महत्वपूर्ण कार्य न रहा पर मूर्तियों की आधार-शिला पर दानकर्ता का नाम आवश्यक समझा गया। हिन्दूमत में पाचरात्र के अनुसार चर्चा और क्रिया प्रधान धार्मिक कार्य थे। इस कारण इन दोनों कार्यों के लिये दान का विशेष महत्व था। मंदिर निर्माण या पूजा व्यय के लिए धन की आवश्यकता थी। दान देकर ताम्रपट्टिका पर भूमि का पूर्ण विवरण लिखकर उसे दानग्राही को दे दिया जाता था जिसे वह सुरक्षित रखता था। उस स्थिति में दान लिखने का कार्य ताम्रपट्टिका के अतिरिक्त शिला पर सम्भव नहीं था। दान लेने वाला सरलता में ताम्रपत्र को वर्षों तक संग्रह करता था जिसके आधार पर उनके वंशज उस भूमि या धन का उपभोग करते रहते थे। प्राचीन भारत के अनेक ताम्रपत्र खोज से प्राप्त हुए हैं जिनके अध्ययन से ज्ञान-राशि मिली है।

यद्यपि प्रभुत्व के बाद धातु की वस्तुओं का प्रयोग लेख-अंकन के लिए हुआ था किन्तु यह परिपाटी अत्यन्त प्राचीन नहीं है। ईसवी सन् के बाद ही ताम्रपट्टिका का प्रयोग होने लगा। सहयोग का ताम्रपत्र (मौर्यकालीन) इसका अपवाद है। शक-कुषाण युग से पट्टिका का प्रयोग तथाशिला क लेख (२१ ई०) कलवान (७७ ई०) तथा सूबिहार लेख के निमित्त (८९ ई०) पाये जाने हैं। धनदेह ताम्रपत्र (राजशाही, बगाल)—पूर्वी भारत का सर्वप्रथम ताम्रपत्र—का नामोल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है।

ताम्रपत्रों के अध्ययन से कई विषयों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें राजनीति के साथ कई प्रकार के सामाजिक अथवा धार्मिक उल्लेख पाये जाते हैं। गुप्त शासन काल से इसका अधिक प्रचार हुआ। अधिकतर ताम्रपत्रों पर दान का विवरण लिखकर दानग्राही को दे दिया जाता था। कभी-कभी राजा विजय के स्मारक में दान पत्र लिखकर ब्राह्मण को समर्पित कर देता था। प्राचीन ताम्रपत्रों का राजनीतिक उद्देश्य न था। प्रसंग वश उसमें शासन सम्बन्धी बातों का समावेश मिलता है। ताम्रपत्रों में वर्णित दान का उल्लेख यह बतलाना है कि अमुक स्थान दान कर्ता के राज्य की सीमा में स्थित था।

प्रथम कुमार गुप्त के दामोदरपुर (उत्तरी बगाल) ताम्रपत्र में भूमि विक्रय का वृत्तान्त पाया जाता है। स्कन्दगुप्त का इन्दौर ताम्रपत्र गुप्त-काल का महत्वपूर्ण 'शासन' समझा जाता है। गुप्तों के मामत हस्तिना तथा संधोभ के अनेक ताम्रपत्र मध्यभारत के खोह नामक स्थान में पाये गये हैं। उनमें सब प्रकार के कर (टैक्स) से मुक्त भूमि के दान का वर्णन है। छठी सदी में गुप्त राजाओं ने उत्तरी बगाल में कई ताम्रपत्र लिखवाये जिनका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। दामोदरपुर के ताम्रपत्र ग्राम तथा विषय (जिला) सम्बन्धी शासन पर प्रकाश डालते हैं। ग्राम-सभा को भूमि-विक्रय का अधिकार था। सभासदों का चुनाव प्रत्येक पाँचवें वर्ष होता था। इन विषयों का जानकारी दामोदरपुर व फरीदपुर के ताम्रपत्रों के अध्ययन से होती है। हर्ष वर्धन के समय में बौसखेरा तथा मधुवन नामक ताम्रपत्र उत्कीर्ण किये गये थे। इनसे उस राजा के जीवन घटनाओं का परिज्ञान होता है। विशेष बात यह है कि उन ताम्रपत्रों में तिथियों का उल्लेख भी मिलता है। गुप्त काल में गुप्त सम्बत् (ई० स० ३१) तथा हर्ष के ताम्रपत्रों में हर्ष सम्बत् (ई० स० ६०६) का प्रयोग है। संधोभ के ताम्रपत्र में 'गुप्त नृप राज्यभुक्तौ' का उल्लेख यह घोषित करता है कि बुदेलखंड के शासक गुप्तों के अधीन थे। बगाल के राजा देवपाल का नालंदा ताम्रपत्र-लेख अन्तरराष्ट्रीय प्रशस्ति है। उसमें सुमात्रा के राजा

४२ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

बालपुत्रदेव द्वारा पालवंशी देवपाल से नालंदा में निमित्त बिहार के लिए भूमिदान की प्रार्थना की गई है। मध्ययुग में धार्मिक भावना की प्रगति के कारण छोटे-छोटे राजा भी ताम्रपत्रिकाओं पर दान का उल्लेख करते थे। राजपूत नरेश तथा दक्षिण के राजाओं ने अधिकाधिक लेख ताम्रपत्रों पर ही अंकित कराया है। मध्ययुग में जितने शासन (ताम्रपत्र) मिले हैं उनमें गहड़वाल नरेश गोविन्दचन्द्र के ताम्रपत्रों को अधिक संख्या है। इन पत्रियों पर खुदे लेख दान का विषय, दान कर्ता, दान ग्राही, भूमिकर आदि विषयों पर प्रकाश डालते हैं। इसी प्रकार अन्य ताम्रपत्रों से अनेक राजाओं के विषय में जानकारी होती है। यदि सम्पूर्ण दानपत्र को विषय वार विभाजन किया जाय तो निम्नप्रकार की चर्चा सामने आती है।

(१) शासक का वंश परिचय जिसके समय में ताम्रपत्र लिखा गया। उस राजा का संक्षिप्त वृत्तान्त, विजय आदि।

(२) दान लेने वाले व्यक्ति का वंश, वैदिक शाखा तथा गीय का वर्णन।

(३) अग्रहार भूमि, उसका माप, सोमा तथा क्षेत्रफल का उल्लेख।

(४) विभिन्न कर की सूची। दान भूमि से राजकीय-कर-संग्रह करने का भार दान-ग्राही को स्वतः मिल जाता था।

(५) राज कर्मचारियों की लम्बी सूची मिलती है जिन्हें अग्रहार भूमि के स्वामित्व की सूचना देना आवश्यक था। उसके अनुसार राजा के समस्त अधिकार दानग्राही को सौंप दिया जाता था।

(६) दान के अवसर (विजय, तार्थ, ग्रहण तथा धार्मिक कार्य)।

(७) मंगलमय तथा शाप युक्त पद। दान कर्ता के उत्तराधिकारी शाप के भय से उम दान-भूमि को वापस नहीं ले, इसलिए अनेक धर्म-श्लोक अन्त में उद्धृत किए जाते थे।

ताम्रपत्र लिखने के कई प्रकार थे। ताम्रपत्र पर लेख स्याही में लिखकर कीलनुमा यंत्र से खोदे जाते थे। कभी उस पट्ट पर खुरच कर अक्षर अंकित किये जाते थे किन्तु उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त कलवान लेख विन्दु समूह से उत्कीर्ण किया गया है।

भारतीय इतिहास में सिक्को पर लेख खुदवान का कार्य यूनानों शासकों ने उत्तर पश्चिम भारत में प्रारम्भ किया। भारतीय यूनानी इतिहास की जानकारी तथा शासकों का नाम मुद्रा-लेख से ज्ञात होता है। उन पर खुदे लेख में दियोदोतस, यूथिडिमस दिमित, अपलदतस या मिलिन्द आदि के नाम जाने जाते हैं। जो इतिहास साहित्य के आधार पर ज्ञात है उसकी पुष्टि मुद्रालेख से होती है। प्राचीन भारत के सघ यानी प्रजातंत्र का नाम—मालवा, आर्जुनायन या योधेय आदि सिक्को पर खुदे मिले हैं।

मालवाना जय । योधेयगणस्य जय आदि ।

इससे लेखन-शैली तथा तिथियों का ज्ञान होना है। यूनानी सिक्को के अनुकरण पर पहल्लव तथा कुषाण राजाओं ने मुद्रा पर लेख अंकित कराया। कुषाण नरेशों ने पूर्व प्रचलित रजत सिक्को को हटाकर स्वर्ण मुद्रा तैयार किया जिसमें पता चलता है कि उनका कार्य अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर आधारित था। साइबेरिया से सोना मंगाकर कुषाण राजाओं ने उत्तर प्रदेश से मध्य एशिया पर्यन्त नू भाग पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। बीस कदफिस सर्व प्रथम नरेश था

जिसकी स्वर्ण मुद्राएं, आर्थिक तथा धार्मिक इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। मुद्रा-लेख 'महूरजस रजदिरजस सर्वलोग ईश्वरस महोश्वरस विम कदफिसस तत्रस' यह बतलाता है कि वह शिव का पुजारी था। यह धार्मिक परम्परा कुषाण राजा वामुदेव तक चलती रही। पल्लव लेख बतलाते हैं कि राजा मोग ने ईरानी पदवी धारण किया था (रजतिरजस महतस)। उस बंदवी को कुषाण राजाओं ने भी प्रचलित किया। कुषाण राजा कनिष्क के मुद्रा-लेख में पता चलता है कि इस बौद्ध शासक ने हिन्दू देवता (शिव), यूनानी देवता (अरदोक्षा आदि), ईरानी देवता (सूर्य आदि) तथा बौद्ध देवता (बुद्ध) को धार्मिक सहिष्णुता के कारण ही सिक्को पर स्थान दिया था।

उसी के अधीन गवर्नर पश्चिमी भारत में महाक्षत्रप पदवी धारण कर राज्य करते रहे। पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों का पूरा इतिहास मुद्रा-लेखों में ज्ञात होता है। उनके मुद्रा-लेखों में पिता, पुत्र या नामक तथा उसके उत्तराधिकारी के नाम अंकित हैं—

(१) राजा महाक्षत्रप रुद्रदाम्न पुत्रस

राजा महाक्षत्रप रुद्रसिंहस

(२) राजा महाक्षत्रप स्वामि सत्यसह पुत्रस

राजा महाक्षत्रप सामि रुद्रमहस

पश्चिमी भारत तथा उत्तरी भारत में चौथी सदी में गुप्त सम्राटों ने शासन आरम्भ किया और पिछले कुषाण नरेशों के सिक्कों के अनुकरण पर अपनी मुद्रा नीति स्थिर की। उनकी स्वर्ण मुद्राओं पर राजा के नाम के साथ संस्कृत भाषा में छंदोबद्ध लेख खुदा है। सम्भवतः उस समय संस्कृत राजभाषा थी। संस्कृत साहित्य के उपजाति व पृथ्वी आदि छंदों में लेख अंकित हैं। राजाओं के लिए चौरी के सिक्को पर 'परम भागवत' की उपाधि मिलती है जिस से उन के वैष्णव मतानुयायी होने का प्रमाण मिलता है। कई घटनाएँ उन मुद्रा-लेखों से ज्ञात होती हैं—उदाहरणार्थ

(१) समरशतविततविजयो जितरिपुरजितो दिव जयति ।

(२) राजाधिराज पृथिवीमवित्वा दिव जयत्याहृतवाजिमेष ।

(३) अप्रतिरथो विजित्य क्षिति सुचरितं दिव जयति ।

मुद्रा-लेखों से समुद्रगुप्त के सिकड़ों युद्धों में विजयी होने तथा अश्वमेध यज्ञ करने का परिज्ञान होता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के मुद्रा पर 'परमभागवती महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त' अंकित है। प्रथम कुमार गुप्त के मुद्रा लेख—(अ) कुमारगुप्तो पृथि सिंहविक्रम तथा (ब) भर्ता खड्गत्राता कुमारगुप्तो जयत्यनिशम्—राजा के हाथों सिंह तथा गंडा के मारने की घटना वर्णित करते हैं।

गुप्त वंश के पश्चात् मध्ययुग में विदेशी हूण भी भारत में आकर भारतीय संस्कृति के उपासक हो गए, जिसकी जानकारी उनके मुद्रा लेख से होती है। हूण राजा मिहिर के सिक्को पर 'जयतुवृष' उत्कीर्ण है जो उसे शैवमतावलम्बी घोषित करता है। कहने का सारांश यह है कि मुद्रा-लेख वास्तविक इतिहास के अध्ययन में सहायता करते हैं।

इस प्रसंग में यह कहना आवश्यक है कि सिक्को पर खुदे लेखों की लिपि भारतीय लिपि के विकास को बतलाती है। यूनानी राजा दिमित, पंतलेव, अगुथकल, अपलदनल या मिलिन्द्र

ने उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया था। पश्चिमो भारत में क्षत्रप, शक नरेशों ने ब्राह्मी का प्रयोग किया। प्रजातंत्र शासकों के सिक्कों पर ब्राह्मी अंकित है। गुप्त राजाओं ने गुप्त लिपि को प्रयुक्त किया। मध्ययुग के सिक्कों पर नागरी लिपि में शासकों का नाम-श्रीमत् गोविन्द चन्द्र देव, गाणेशदेव, परिमदिदेव, दृश्वीराजदेव आदि लेख अंकित हैं। संक्षेप में यह कहना यथार्थ होगा कि मुद्रा पर खुदे लेख भारतीय लिपि के विकास का भी परि-ज्ञान कराते हैं।

कचची मिट्टी के पिण्ड पर लेख अंकित कर उसे आग में पकाया जाता था। उसी को मुहर का नाम देते थे। प्रशस्त लिखने के आभास की मूर्ति में मुद्रा या मूद्रों की गणना विशेष रूप से की जाती है। इन मुहरों की विषय के अनुसार कई भागों में विभक्त किया जा सकता है। धार्मिक मुहरें जिनका सम्बन्ध मंदिर या विहार में था। दूसरे मुहरें विभाग में राजकीय मुहरों की गणना होना है जिन पर शासक का नाम खुदा है और साधारणतया वे ताम्रपट्टियों से जुड़े हैं। तीसरे विभाग में कर्मचारियों की मुहरें हैं जिन्हें कार्यालय में पत्रव्यवहार में प्रयोग किया जाता था। कुछ निजो मुहरें भी खुदाई में मिली हैं जिनमें व्यक्तिगत लेख उत्कीर्ण हैं। यदि प्रयुक्त सामग्री की दृष्टि से देखा जाय तो पता चलता है कि मुहरें मिट्टी, ताम्बा, कांस्य, प्रस्तर तथा हाथी दाँत की बनाई जाती थी। इस तरह की मुहरें उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों में प्राप्त हुई हैं। (आ० रि० १९०३—१३)। बैशाली, कसिया, नालंदा, राजघाट, कौशाम्बी तथा भीटा (प्रयाग के समीप, उत्तर प्रदेश) में प्राप्त हुई हैं। धातु की मुहरों पर उत्कीर्ण लेख के ऊपरी भाग में किसी देवता की आकृति भी ऊपरी भाग में तैयार की जाती थी। भीटा की मुहरों पर शिव लिङ्ग, त्रिशूल तथा वृषभ की आकृति मिलती है तथा नीचे गुप्त लिपि में लेख अंकित है। नालंदा से जो ताम्बे या मिट्टी की धार्मिक मुहरें प्राप्त हुई हैं उनपर बुद्ध की प्रतिमा है। राज वंश में सम्बन्धित लेखों के आरम्भ में जो मुहरें जुड़ी हैं या निर्मित हैं उनसे भी धर्म का ज्ञान होता है। गुप्त वंश के भित्तरी मुद्रा पर गरुड की आकृति है तथा नीचे प्रथम कुमार गुप्त से द्वितीय कुमार गुप्त तक गुप्तवंश वृक्ष का उल्लेख है। इससे उमें वैष्णव मत में सम्बन्धित मुद्रा मानते हैं। पालवर्षों नरेश धर्मपाल के खालोमपर ताम्रपत्र के ऊपरी भाग में बुद्ध का प्रतीक (धर्मचक्र तथा दा हिरण) तथा राजा का नाम 'श्री धर्मपाल देवस्य' खुदा है। देवपाल के नालंदा ताम्रपत्र में भी ऐसी ही मुद्रा संलग्न है जो राजा को बौद्ध घोषित करती है। इसी प्रकार सेन लेख में शिव की प्रतिमा (सदा शिव) शासकों का शैव मत में सम्बन्ध प्रकट करती है।

पूर्व मध्य युग में मुहरों का इतिहास क्रमबद्ध रूप में मिलता है। प्रत्येक ताम्रपत्र से एक धातु मुद्रा (अंगूठी की तरह) जुड़ी रहती थी। वही उस आज्ञापत्र को प्रमाणित करती थी। ये मुद्राएँ राजकीय विभाग में रखी जाती थी। उन पर कुल देवता या ध्वज का चिह्न अंकित मिलता है। भित्तरी मुद्रा, सर्ववर्त्मन मौखरि की असागरगढ़ की मुद्रा तथा हर्षवर्धन की सोनपत वाली मुहर राजकीय श्रेणियों में रखी जा सकती हैं। इस प्रसंग में भीटा से प्राप्त कुछ मुहरों का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है। यहाँ में सातवाहन नरेश गोतमीपुत्र शतकर्णों की मुहर मिली है जिससे उस वंश का सम्बन्ध प्रकट होता है (आ० स० रि० १९११-१२ पृ० ५१)। पाँचवी सदी से मिट्टी की मुहरें बैशाली (बसाढ, उत्तर विहार) तथा नालंदा में अधिक संख्या में मिली

है। मिट्टी की मुहर धातु के साँचे में तैयार की जाती थी जिन पर आकृति तथा लेख दोनों उभड़ आता था। वास्तविकता तो यह है कि साँचा ही लेख का असली आधार था जिसमें उलटे रीति से आकृति या लेख उत्कीर्ण किए जाते थे। मृत पिंड पर दबाव डालने से साँचे का कलात्मक नमूना उभड़ आता था। उस कचवी मिट्टी को आग में पका देना था ताकि पक्की मिट्टी की मुहर स्थायी रह सके। नालदा को ऐसी मुहरें धार्मिक हैं। बुद्ध की प्रतिमा तथा “योगम्मा हेतु प्रभवा” आदि मन्त्र खुदा हैं। कुछ मुहरें सध के आचार्य से सम्बन्धित मिला हैं (आ० स० मे० न० ५९) भोटा में प्राप्त मुहरों का विशेष महत्व है। उनमें कुछ पदाधिकारियों के कार्यालय में तथा कुछ निगम (व्यापारिकसध) में सम्बन्धित हैं जिन पर महासेनापति, महादण्डनायक अथवा कुमारा-मात्याधिकरणस्य लेख खुदे हैं। कुछ पर निगम शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार वैशाली (मुजफ्फरपुर, बिहार) की मुहरें तत्कालीन शासन पद्धति पर प्रकाश डालती हैं। इन पर गुप्त लिपि में कर्मचारियों के कार्यालय तथा श्रेणी (गण) से सम्बन्धित लेख खुदे हैं।

- (१) गीरभक्तगुरिकाधिकरणस्य
(तीरहृत के राज्यपाल का कार्यालय)
- (२) कुमारामात्याधिकरणस्य
(कुमारागमात्य के कार्यालय का)
- (३) श्रेष्ठि निगमस्य
(श्रेष्ठी के सध का)
- (४) श्रेष्ठी श्री दामस्य
(श्री दास मेठी की मुहर)

इतना ही नहीं वैशाली के राजकुमार गोविन्दगुप्त तथा रानी ध्रुवदेवी (चन्द्रगुप्त द्वितीय की पत्नी) के नाम भी मुहरों में खुदे मिले हैं।

भोटा में व्यक्तिगत मुहरों भी प्राप्त हुई हैं जिन पर ‘आदित्यस्य’, कौसिकदेवस्य, वसु-देवस्य, पुसामतम या विष्णुनन्द नामक व्यक्तियों के नाम अंकित हैं। इसी प्रकार स्थान से सम्बन्धित ‘चित्रग्राम’ या ‘विछीपाम’ लेख अमुक ग्राम की मुहर कहे जा सकते हैं (आ स रि १९११-१२ पृ० ५६८)। कुछ दिन हुए काशी के समीप राजघाट की खुदाई में बहुत सी मुहरें मिली हैं जिनको लिपि के आधार गुप्त कालीन माना गया है। अधिकतर मुहरों पर धार्मिक लेख खुदे हैं। उनके अध्ययन में पता चलता है कि काशी में ईश्वरमत का कितना अधिक प्रचार था।

इस प्रसंग में प्रागैतिहासिक युग के नगर मोहेनजोदडो व हरप्पा में प्राप्त मुहरों के सम्बन्ध में कुछ कहना अप्रासंगिक न होगा। आधुनिक समय में अहमदाबाद के पास लोथल से वैनी ही मुहरें प्राप्त हुई हैं। ये मुहरें सज्जी की बनती थी और उन पर धातु को नुकीली कौल से (Burin) चित्रमय लिपि में कुछ खोदा गया है। उन पर गेडा, हाथी, शेर, बिल, भैंस आदि की आकृतियाँ हैं। जो कुछ खुदा है वह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सम्भवतः ये मुहरें ताबीज की तरह पहनी जाती थी। इस लिपि का ज्ञान हो जान पर यह ज्ञात हो जायेगा कि ये लोग कौनसी भाषा जानते थे।

आयागपट्ट जैन धर्म से सम्बन्धित एक चार कोना प्रस्तर जिस पर तीर्थंकर महावीर की मूर्ति तथा अष्ट मांगलिक वस्तुओं की आकृति खुदी रहती है।

मथुरा के ककाली टीला से एक आयागपट्ट मिला है जिस पर अमोहिनी
 आयागपट्ट का लेख मिलता है । [अमोहिनिये सहा पुत्रेण पालघोषेण पोठघोषेण
 घनघोषेण आर्यवती (जैन आयागपट्ट) प्रतिष्ठापिता] । तीर्थंकर को
 मूर्ति महत्वपूर्ण है और उमी के पूजा निमित्त आयागपट्ट का दान दिया जाता था । यो तो इस
 तरह के प्रस्तर पर शुभ राजा पुष्यमित्र का लेख अयोध्या में मिला है परन्तु आयागपट्ट जैन धर्म
 में पूजा निमित्त तैयार किया जाता था ।

पुराने समय में मन्दिर तथा प्रतिमा के नीचे कुछ ईंटों पर लेख या अक्षर खोदे जाते थे
 जिनका कनिषम ने पता लगाया था । मथुरा संग्रहालय में ईसा-पूर्व पहली सदी की ईंटें सुरक्षित
 हैं जिन पर अक्षर खुदे हैं । ईंट के अतिरिक्त मिट्टी के पात्रों पर भी
 ईंट तथा मृत्तिका-पात्र लेख मिलते हैं । कुम्हारों को खुदाई से पात्र के एक हिस्से पर गुप्त
 लिपि में "अरोग्य विहारे भिक्षुसघस्य" लिखा मिला है । इस तरह
 के ईंट या पात्र पर लेख यदा-कदा मिलते हैं । भारत में इस तरह लिखने की परिपाटी कम
 रही होगी ।

लेख अकन के आधार सम्बन्धी विवरण को समाप्त करने हुए यह सकेत करना आवश्यक
 है कि ईसवी सन् के कई सदियों बाद भोजपत्र, ताडपत्र, वस्त्र, चमड़ा यथा कागज पर पुस्तकें
 लिखी जाती रहीं । ईरानी भाषा में चमड़ा को पुस्तक कहते हैं इसलिए ग्रन्थ को पुस्तक का
 नाम दिया गया । उदाहरण के लिए ताडपत्र पर नुकीली कील में अक्षर खोदे जाते थे और बाद में उस
 पर स्याही का लेप लगाया जाता था । यही कारण है कि लेपन के कार्य से लिपि' शब्द की
 उत्पत्ति हुई परन्तु इस शब्द का विस्तृत विवरण यहाँ अग्रगण्य होगा ।



अध्याय ४

प्रशस्ति-अंकन के काल एवं स्थान

प्राचीन भारत के समस्त अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजा (शासक) तथा व्यक्ति विशेष द्वारा लेख विभिन्न अवसरों पर उत्कीर्ण किये जाते थे। पिछले धर्म-शास्त्र ग्रन्थों में ऐसा ही उल्लेख पाया जाता है। स्मृतिचन्द्रिका के व्यवहार भाग में दो प्रकार के लेख का वर्णन मिलता है। "लौकिक राजकीय च लेख्य विद्यात् द्विलक्षणम् शासकगण अपनी राज-आज्ञा को प्रजा तक पहुंचाने के लिए लेख खुदवाते थे। उस समय राजाज्ञा को चिरस्वायी करने का अन्य कोई साधन न था अतः लेख अंकित करना आवश्यक था। अशोक ने अपनी धार्मिक आज्ञाओं को प्रस्तर तथा स्तम्भों पर खुदवाया था। उनके चौदह शिलालेख उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्कीर्ण किए गए थे। उनमें धार्मिक कार्य अथवा पदाधिकारी की नियुक्ति तथा उपदेश की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है। अशोक ने सभ में मत-भेद देखकर गौड़ स्तम्भ लेख तैयार कराया ताकि भिक्षु भय से शान्त हो जाय और विहारों की पवित्रता बनी रहे। अशोक के लेखों को आज्ञापत्र की श्रेणी में रक्खा जाता है।

(कार्यमादिश्यते येन तदाज्ञापत्रमुच्यते-स्मृतिचन्द्रिका)

इन धार्मिक-पत्रों के खुदवाने का कोई निश्चित अवसर न था, पर अशोक ने अहिंसा में प्रजा की आस्था लाने के लिए लेखों को उत्कीर्ण कराया (से अज यदा धम्मलिपि लिखिता)। समाज में सदाचार लाना उसका मुख्य ध्येय था, लेकिन अशोक के बाद ऐसे लेख कम मिलते हैं। भिलसा के गरुण स्तम्भ की प्रशस्ति में इसी प्रकार में सदाचार की बातें (तीन मार्ग) उल्लिखित हैं (त्याग, आत्म सयम तथः राग रहित)।

त्रिनि अमृत पदानि इ अ सु-अनुठितानि ।

नेयति स्वर्गं दम चाग अप्रमाद ।

कालान्तर में धर्मलिपि का स्वरूप परिवर्तित हो गया और धार्मिक अवसर (यात्रा तथा दान आदि) पर लेख उत्कीर्ण होने लगे।

अशोक ने स्वयं लुम्बिनी स्तम्भ पर लिखा है कि भगवान् बुद्ध का यह जन्म-स्थान था इस कारण यह स्तम्भ-लेख अंकित किया गया (हिंद बुद्धे जाते सव्य मुनिनि सिला-विगड भोचा कालापित सिला धमे च उस पापिते)। इसका भाव यह है कि

धार्मिक अवसर

बौद्ध तीर्थ की यात्रा कर अशोक ने लेख खुदवाया था। नासिक लेख में महाजनप नहुषान के जामाता उषवदत्त ने पुष्कर तीर्थ (अजमेर, राजस्थान) में जाकर दान किया और लेख खुदवाया। मध्ययुग में गहड़वाल नरेश गोविंद चन्द्रदेव के अनेक ताम्रपत्र काशी के पास कमीली ग्राम से मिले हैं जिनमें ताम्रपट्टिका पर तीर्थ यात्रा से सम्बन्धित लेख खोदने का विवरण पाया जाता है (तीर्थानिकारी कुशिकोत्तर कौशलेन्द्रस्थानी)।

ईसवी पूर्व सदियों में सातवाहन नरेश शातकर्णों ने अनेक वैदिक यज्ञ किया था जिसका विवरण उसी पत्नी नागनिका ने नानाघाट के स्थान पर उत्कीर्ण कराया था। ऐसी ही घटना गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त के अश्वमेध सिक्कों पर लिखित है। मुद्रालेख में "राजाधिराज पृथिवी-मन्विता दिव जयत्वाहृतवाजिमेष" उत्कीर्ण है। इसमें समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध की चिर-स्थायी बना दिया गया। शातकर्णों के समकालीन भारतीय स्तूपों की वेदिका अथवा तोरण पर ऐसे लेख मिले हैं जिनसे पता चलता है कि विभिन्न लोगों ने उसे तैयार किया था। साँची की वेदिका तथा तोरण पर अनेक लेख उत्कीर्ण हैं। अश्वमेध वेदिका पर भी ऐसे लेखों की कमी नहीं है। दक्षिण भारत के अमरावती वेदिका पर भी लेख उत्कीर्ण हैं। इसी सत् के आरम्भ से मूर्तियों की आधार-शिला पर लेख खुदवाने की परिपाटी चल पड़ी। कुषाण युग के बुद्ध एवं जैन प्रतिमा पर ऐसे अनेक लेख मिले हैं। सारनाथ की प्रसिद्ध बोधिसत्व की प्रतिमा के अधो भाग पर कनिष्क के तीसरे वर्ष का लेख खुदा है। मध्ययुग में प्रतिमा के आधार शिला तथा प्रतिमा के सिरो भाग का ओर उत्कीर्ण कराने का आरम्भ चलन था। प्रायः बौद्ध प्रतिमाओं के सिरो की ओर एक-सा मंत्र उत्कीर्ण मिलता है।

या धम्मा हेतु प्रभवा हेतुं तेषा तथागतोद्भवदत् ।

अवदत् च यो निगोधो एव वादी महाश्रमण ॥

छठी सदी में बारहवीं सदी तक पूर्वी भारत के प्रस्तर तथा चालु मूर्तियों पर यह लेख उत्कीर्ण है। आधार शिला पर खुदे लेखों में निधियों भी मिलती हैं जिनमें बंगाल के पालवंशी राजाओं के नाम तथा तिथि ज्ञात होता है। पालयुग में हिन्दू प्रतिमाओं के ऊपरी भाग पर भी लेख खोदने की परिपाटी चल पड़ी थी।

भारत एक धर्म प्रधान देश है। दान का विवरण साहित्य के अतिरिक्त लेखों में अधिक पाया जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि दान स्वर राजा को स्थायी रूप से लेख लिखवा देना चाहिए।^१ —

दान की परिस्थिति "दत्त्वा भूमिानवध वा कृत्वा लेख्य तु राशयेत् ।

पट्टे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुदोपरिर्निहितम् ।"

प्राचीन युग के शासक इन बातों ध्यान में रखकर प्रस्तर या ताम्रपट्टिका पर लेख खुदवाते थे। मौर्यकालीन गया राजा (विहार) में स्थित बगबर पर्वत का गुहा लेख दान का सबसे प्राचीन उदाहरण है। ईसा पूर्व सदियों में साँची वेदिका पर प्रस्तर के ऊपरी भाग में दान कर्त्ता का नाम खुदा है। नासिक लेख में उपवदन द्वारा दान का उल्लेख मिलता है कि तीन हजार कार्पाषण श्रेणियों के बँक में सुद पत्र जमा किया गया था। उस आय को भिक्षुओं के भोजन तथा चोवर के निमित्त व्यय किया जाता था। उपवदन ने प्रभास नामक तीर्थ में आठ ब्राह्मण कन्या के विवाह निमित्त दान दिया था तथा दमण, नार्सा आदि नदियों के घाट को निःशुल्क घोषित किया। राम तीर्थ के ब्राह्मण साधुओं के लिए गुप्त दान दिया। गुप्त युग से अग्रहार देने की परिपाटी चल पड़ी। ब्राह्मण ग्रन्थों में यत् (दण्ड) तथा दान (पूर्ण) का वर्णन मिलता है। पुराने समय में गुहा, चैत्य, मण्डप, वाणों आदि दान में दिये जाते थे परन्तु कालान्तर में (प्रायः गुप्त युग के पश्चात्) ब्राह्मणों के अतिरिक्त सम्स्थाओं को भी भूमिदान की प्रथा चल पड़ी थी। भूमि-

दान को 'शासन' कहते थे जो अधिकतर ताम्रपत्र पर खुदे हैं। पहाड़पुर, दामोदरपुर, खोह तथा प्रमावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र गुप्त युग के शासन माने जा सकते हैं। पूर्व मध्य-युग में भी ऐसे लेखों की कमी नहीं थी। वसिखेरा ताम्रपत्र, बलभी दान पत्र, बाकाटक नरेशों के ताम्रपत्र, बादामी के चालुक्य राजाओं के शासन, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चेदि तथा गहड़वाल नरेशों के अनेक ताम्रपत्र इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। प्रत्येक ताम्रपत्र में मंगलाचरण के पश्चात् राजा की वंशावली, भूमि का माप, सीमा, कर आदि का उल्लेख दान, ग्राही की विद्वता एवं गुणों की प्रशंसा तथा शासन के पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ब्राह्मणों को अग्रहार देने के अतिरिक्त सस्याओं को जो भूमि दान में दी जाती थी उसका भी विवरण ताम्रपत्र पर अंकित रहता था।

बगाल के पाल नरेश देवपाल का नालदा ताम्रपत्र विशेषरूप से उल्लेखनीय है। पाल नरेश ने जावाद्वीप के शासक बालपुत्रदेव द्वारा निर्मित नालदा के विहार को पाच गांव दान में दिया था। इस कारण यह ताम्रपत्र वैदेशिक सम्बन्ध पर भी प्रकाश डालता है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि नालदा महाविहार को दो सौ ग्राम दान में मिले थे। पाल राजाओं ने विक्रम-शीला विश्वविद्यालय को भी आर्थिक सहायता दी तथा दान देकर शासक ने उदार भावनाओं का परिचय दिया था।

मंदिरों के निर्माण तथा पुनरुद्धार का भी विवरण लेखों में भरा पड़ा है। प्रथम कुमार गुप्त के मदसौर वाले लेख में श्रेणों द्वारा मूर्त्य मंदिर के निर्माण का विवरण निम्न प्रकार है —

“श्रेणीभूतं भवनमतुल कारित दीप्त-रश्मे”

निर्माण के सदृश मंदिरों के पुनरुद्धार का कार्य भी पवित्र तथा धार्मिक समझा जाता था। लेखों में 'खण्ड स्फुट संस्कार' शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति की गई है। दामोदरपुर के ताम्रपत्र में “श्वेत वराह स्वामिनी देवकुल स्पष्ट स्फुट प्रति संस्कार करणाय” वाक्य से वराह स्वामी के मन्दिर के उद्धार की बात उल्लिखित है। राजपुताना के लेखों में इस तरह का अधिक विवरण पाया जाता है। परमार लेख में विघ्ना रानी द्वारा मंदिर के जोगोंद्वार के माध्यम से पुण्य अर्जन का वर्णन मिलता है। लेखों में निम्न प्रकार के वाक्य मिलते हैं —

खण्ड स्फुट देवगृह जगतो समरचनार्थम् (ए० इ० १२ पृ० ११५)

खण्ड स्फुट विचरित पतित संस्कारार्थम् (का० इ० इ० ४ पृ० १५०)

खण्ड स्फुटित समरचनादिपु धर्मोपि योग्य कर्तव्यम् (ए० इ० १९ पृ० ६२)

इस उदाहरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि दसवीं सदी के पश्चात् मंदिरों का संस्कार अत्यन्त पुण्य का कार्य समझा जाने लगा। सम्भवतः मुसलमानों द्वारा मंदिरों के नष्ट किए जाने पर धनीमानी लोगों का ध्यान निर्माण से हटकर संस्कार की ओर आकृष्ट हुआ। जोधपुर के एक लेख (ए० इ० भा० २०) तथा असम के लेख (इ० हि० बवा० भा० २२ पृष्ठ १२) में इसी प्रकार का अक्षरशः उल्लेख मिलता है।

प्राचीन भारत में विजय यात्रा के समाप्ति की समय शासक लेख उत्कीर्ण कराते थे ताकि उनके विजय का विवरण अन्य लोग तथा उत्तराधिकारियों को ज्ञात हो जाय। इस प्रसंग में प्रयाग का स्तम्भ लेख, उदयगिरि का लेख, अयहोल की प्रशस्ति, जोध-

विजय यात्रा

पुर का अभिलेख तथा भोर संग्रहालय का ताम्रपत्र क्रमशः समुद्र गुप्त, द्वितीय चन्द्रगुप्त, चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशी, प्रतिहार नरेश

भोज तथा राष्ट्रकूट ध्रुवराज के विजय का वृत्तांत उपस्थित करते हैं। उनमें राजाओं के दिग्विजय व युद्ध में विजय का विवरण दिया गया है। इन लेखों का मुख्य ध्येय राजा की विजय कीर्ति को चिरस्थायी करना था। अतएव प्रशस्तिकाएँ अपने आश्रयदाता या शासक के विजय का सुन्दर वर्णन किया है। गुप्त सम्राट् द्वितीय चन्द्रगुप्त के मेहरोली लौहस्तम्भ पर चन्द्र नाम से शासक के विजय का वर्णन अंकित है। यशोधर्मन का मदसौर का लेख उसके युद्ध कौशल का वर्णन करता है। उसी में उसके हाथों हूण नरेश के पराजय का विवरण मिलता है। निम्न पद्य पठनीय है—

तोर्त्वा मत्त मुखानि येन समरे सिन्धोज्जिता बाह्लिका
यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधि बंध्यानिर्लईक्षिण । (मेहरोली लेख)

आ लौहिन्योपकण्ठात्तलवनगहनीपत्यकादा महेन्द्रा-
दागङ्गाशिलेष्टानोस्तुहिनशिखरिणः पश्चिमादा पयोध

चूडा-पुष्पोपहारेर्मिहिरकुलनृपेणाच्चिंत पादयुगम् ! (मदसौर की प्रशस्ति)

ऐसे स्थानों पर राजा को कीर्ति को चिरस्थायी करने की भावना काम करती थी। अतः उनमें कुछ अत्युक्ति भी मिलती है।

मध्य युग के परमार लेख में तो “कोकण विजय पद्मार्णि” वाक्य का स्पष्ट उल्लेख है। गाहड़वाल प्रशस्ति जयचन्द्र के अभिषेक के अवसर पर अंकित की गई थी। इस प्रकार शासक के विजय यात्रा के अन्त में भी प्रशस्ति अंकित कराने की परिपाटी प्रचलित थी।

प्राचीन समय में सामाजिक अवसरों पर लेख उत्कीर्ण कराने की परिपाटी अधिक नहीं थी। परन्तु मध्ययुग की प्रशस्तियों में इसका वर्णन पाया जाता है। गाहड़वाल राजा जय-

चन्द्र ने राजकुमार के जन्म तथा चूडा-कर्म के अवसर पर दान दिया
सामाजिक था। दानपत्र में “राजपुत्र श्री हरिश्चन्द्र नाम करणे” का उल्लेख
अवसर है। इसके अनिर्दिष्ट मध्ययुग में अनेक त्योहारों पर भी दान देने

का विवरण उपलब्ध होता है। सक्रान्ति, अधयतृतीया, रामनवमी, कृष्णजन्माष्टमी, महा सप्तमी, एकादशी तथा अधिक मास में भी दान दिया जाता था। माता-पिता के “पार्वणि श्राद्ध” के अवसर पर गाहड़वाल तथा कलचुरों नरेशों द्वारा दान का उल्लेख निम्न शब्दों में मिलता है।

“आरिवन मासि कृष्णपक्षे १५ पितु

साम्बत्सरिक पार्वणि श्राद्धे”

या

“गागेयदेवस्य सम्बत्सरे श्राद्धे”

या

“आत्मीय मातु राजी श्री साम्बत्सरिके”

लिखते युग नरेश भानुवृत्त के एक लेख में गापरराज का राजा के सजा होने का वर्णन है जिससे पता चलता है कि मनी होने के अवसर पर यह लेख उत्कीर्ण कराया गया था।

श्रुत्वा च युद्ध समुहत् प्रकाशं

स्वर्गगतो दिव्य नरेन्द्र कल्प ।

भक्तानुरक्ता च प्रिया च कान्ता

भायविलम्बानुगतग्निराग्निम् ।

(एरण का लेख)

प्राचीन युग के मिट्टी की मुहरों पर श्रेणियों द्वारा अंकित अनेक लेख मिले हैं। वैशाली में ऐसे लेखों की अधिकता है जिन्हें श्रेणियों मुख्य द्वारा व्यवसाय के प्रसंग में तैयार किया गया था। व्यापार की वृद्धि के लिए ही सिक्के तैयार किए जाते थे जिन पर कई ढंग के मुद्रा-लेख खुदे हैं। इस प्रकार व्यापारिक कारणों से मुद्राओं पर लेख खुदवाया जाता था। जिन मुहरों को श्रेणियाँ तैयार करती उसमें अपना नाम अंकित कराती। “श्रेण्डो सार्थवाह कुलिक निगमस्य” (वैशाली की मुहर) तथा “कुलिक निगमस्य” (वसाइ मुहर) लेख उसके उदाहरण हैं। यूनानी राजाओं, एक नरेश तथा बाद में गुप्त सम्राटों के सिक्कों पर पदवी युक्त शासक का नाम पाया जाता है। यद्यपि मुद्रा लेखों के अध्ययन से अधिकतर किसी विशेष अवसर का पता नहीं चलता परन्तु राज्य के आर्थिक दशा सुधारने या व्यापार की उपयोगिता के लिए कई प्रकार के सिक्के तैयार किये जाते थे। गुप्त युग के पश्चात् मगधित व्यापार न होने के कारण ही सिक्कों का प्रचलन कम हो गया।

कुछ गौण अवसरों पर भी राजा लेख खुदवाया करते थे। मद्रा क्षत्रप रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करने के समय जूनागढ़ वाला लेख उत्कीर्ण कराया था। आदित्यसेन के अपसद लेख का समय भी वैसा ही था। उस समय रानी कोणदेशी ने तालाब का निर्माण किया था।

राजा खानितमद्भुतं सुपयसा पेपीयमान जर्न
स्तस्यैव प्रियभार्यया नरपते श्रीकोणदेश्या सर ।

प्राचीन समय में ही भारतवर्ष में ऐसे स्थान पर नगर स्थापित हुए जिनका किसी न किसी प्रकार का स्थानीय अथवा भौगोलिक महत्व था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थान पर नगर बसाए गए तथा तीर्थ स्थानों पर अच्छे प्रकार प्रशस्ति खुदवाने का स्थान के नगरों का निर्माण किया गया। राजधानी साम्राज्य का केन्द्र होने के कारण सर्वथा प्रसिद्ध नगरी होती थी। यों तो जनता के आवागमन के निमित्त सुरक्षित मार्ग बने थे परन्तु व्यापारिक केन्द्रों ने भी शासक का ध्यान आकर्षित किया और कालान्तर में वे स्थान सांस्कृतिक केन्द्र हो गए। प्रशस्ति खुदवाने के विभिन्न स्थानों की परीक्षा यह बतलाती है कि राजधाना, महत्वपूर्ण नगर, तीर्थ स्थान एवं जयस्कन्धावार की ओर शासकों का ध्यान गया और उन स्थानों पर अभिलेख खोदे गये।

भारतीय पुरातत्व के इतिहास में सर्व प्रथम अशोक के लेखों का स्थान आता है। उमने बौद्धधर्म में दीक्षित होने के पश्चात् ही साम्राज्य के विशिष्ट तथा बौद्धधर्म में सम्बन्धित स्थानों पर लेख अंकित कराये। कुछ लेख प्रान्त की राजधानी तथा विशिष्ट स्थानों पर मिले हैं। झौली (भुवनेश्वर के समीप) का लेख यह बतलाता है कि उडौसा का जीत कर उमने राजाजा निकाली। इसी के सद्गुण तक्षशिला भी प्रान्त का प्रबान नगर था। सीमा प्रान्त पर मानसेरा व शहवाजगढी के लेख इसी बात का पुष्टि करते हैं। दक्षिण में मैसूर प्रान्त के ब्रह्मगिरि में अशोक के लेख मिले हैं। उसे धम्मघोष के प्रसार के निमित्त तथा प्रजा की जानकारी के लिए

अनेक स्थानों पर धर्मलेख उत्कीर्ण कराना पड़ा था। बिहार के चम्पारन जिले में लौरिया तथा रमपुरवा के स्तम्भ लेख, कालसी (उत्तर प्रदेश) गिरनार (काठियावाड़) तथा येरगुडी (करनूल जिला, मद्रास) के लेख सीमा पर स्थित हैं। यद्यपि लेख सर्वत्र खोदे जा सकते थे पर स्थान का चुनाव भी एक मुख्य विषय था। भगवान् बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण स्थानों पर अशोक ने लेख अंकित कराया। सारनाथ (प्रथम प्रवचन का स्थान, धर्म चक्र परिवर्तन) कोशाम्बी (बुद्ध का निवास-स्थान तथा राजमार्ग पर स्थित प्रधान नगर) तथा साची (बुद्ध के स्तूप के समीप) में लेख युक्त स्तम्भ खड़े हैं। अशोक का स्तम्भ हम्मनदेई में भी स्थित है जो स्थान सिद्धार्थ का जन्म-स्थान माना जाता है। इस के महत्व को समझकर अशोक ने तीर्थयात्रा की तथा निम्नलिखित बातें स्तम्भ पर खुदवाई।

हिंद बुधे जाते सक्य मुनीति

हिंद भगव जाते ति लुमिनी गामे उवलिके कटे ।

इस प्रकार अशोक के लेख कई बातों पर प्रकाश डालते हैं। लेख धर्म प्रचार के सबसे अधिक साधन माने गये हैं तथा इसी कारण प्रधान स्थान, सीमा तथा धार्मिक केन्द्र में धर्म लेख अंकित किए गए।

अशोक के बाद भी प्राचीन शासकों ने अपनी सीमा के भीतर प्रशस्तियाँ खुदवायीं। पल्लव राजाओं ने तदशिला में, नहपान का लेख जूनार तथा नामिक में और रुद्रामन का लेख जूनागढ़ में मिलते हैं। ये सभी स्थान उन राजाओं के राज्य सीमा में स्थित थे। कनिष्क के तीसरे वर्ष में जो मूर्ति पर लेख खुदा था उसे मारनाथ में शासन करने वाले महेश्वर खर-पल्लान ने अंकित किया था। गुप्त नरेशों ने इस रीति को निवाहा परन्तु सारनाथ से प्राप्त लेख तो धार्मिक स्थान से ही सम्बन्धित कहा जा सकता है। समुद्रगुप्त ने कोशाम्बी के महत्व को समझ कर ही अपने विजय यात्रा का वर्णन अशोक के स्तम्भ पर लिखवाया था। उत्तरी भारत से दक्षिण जाने समय इसी मार्ग से होकर व्यापारों यात्रा करने थे। उदयगिरि के स्थान पर जो लेख मिले हैं वे चन्द्रगुप्त द्वारा उज्जयिनी जाते समय अंकित किये गये होंगे क्योंकि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी उज्जयिनी थी। प्राचीन समय में मालवा का अत्यन्त महत्व था। विदिशा उज्जयिनी प्रान्त की राजधानी के रूप में स्थित रही। मंदसौर (मालवा) की प्रशस्तियाँ (यशोवर्मन तथा प्रथम कुमारगुप्त) इस बात को पुष्ट करती हैं कि राजमार्ग में स्थित होने के कारण वहाँ श्रेणी कार्य करती रहीं जिसके कारण वह मुख्य नगर हो गया। वैशाली एक प्रधान नगर व सब का केन्द्र था इसलिए विभिन्न कार्यालयों की मुहरें वहाँ मिली हैं। काशी (राजघाट) की मुहरें धार्मिक भावना का लेकर अंकित थी जिसमें जैवमन सम्बन्धी बातों का पता चलता है। तीर्थ होने के कारण मध्य देश के गाहड़वाल नरेश गोविन्दचन्द्र देव ने काशी के समीप कमौली गाँव में अधिक दान दिया था जिमका उल्लेख कमौली में प्राप्त ताम्रपत्रों में मिलता है।

तीर्थ को छोड़कर जयस्कन्धावार) सेना कैम्प) में भी लेख अंकित करने की आज्ञा दी जाती थी। वह सदा विजय के उपलब्ध में किया जाता था। बलभी तथा वासखेड़ा का ताम्रपत्र, खालिमपुर और मुंगेर का ताम्रपत्र आदि उल्लेखनीय हैं। सात-वाहन राजा की निम्नलिखित पक्ति से उसे स्पष्ट करती है।

सेनाये वैजयंतिये विजय खधावारा (विजय स्तम्भावार) गोवधनस वेना कटक स्वामि
गोतमि पुतो सिरि सदकणि आनपयति । (नासिक गुहा लेख)

विजय स्कन्धावारात् भद्रपत्तनवासकात् (बलभी लेख)

महानौस्त्यश्व जयस्कन्धावारात् श्री वर्धमानकोटघा (बासखेडा ताम्रपत्र)

श्री मुद्गिरि समावासि श्रीमद् जयस्कन्धावारात् (पाल लेख)

इस प्रकार सेना के कैम्प से लेख खुदवाने या घोषित करने की प्रथा की जानकारी हो जाती है ।

पुराने समय में जिस स्थान का कोई सांस्कृतिक महत्व था वहाँ भी प्रतिमा स्थापना के
समय मूर्ति के आधार शिला पर लेख अंकित किया जाता था । मथुरा तथा सारनाथ से ऐसे
अनेक मूर्ति लेख प्रकाश में आए हैं । सारनाथ में गोविन्द चन्द्र की
प्रधान नगर रानी कुमार देवी तथा महीपाल (बगाल के पालनरेश) के लेख खुदाई
से निकले हैं । इसी तरह नालदा भी शिक्षा का एक प्रधान केन्द्र था ।

यशोधर्मन के मन्त्री मालाद के लेख तथा देवपाल का ताम्रपत्र प्रशस्ति नालदा महाविहार के
विषय में प्रकाश डालते हैं । उस युग में सस्था को दान देने का महत्व था । नालदा महाविहार
के विद्यार्थियों के लिए जावा के राजा बालपुत्र देव ने विहार निमित्त किया । विहार के रक्षण
भिक्षुओं के भोजन, आवास, चिकित्सा आदि प्रबंध के लिए कई सौ गाँव दान में दिए गए थे ।
नालदा एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र हो गया था जहाँ विदेशों के विद्यार्थीगण पढ़ने के लिए आये थे ।
नालदा का यह वर्णन सुनिए—

नालदा गुणवृन्दलुब्धमनसा

भक्त्या च शौद्धोदने ।

बुद्धाशैल सरिस तरंग तरला

लक्ष्मीमिमाम शोभनाम् ।

यस्ते नौन्नत सौघधाम सध वसति

सघार्थ मित्र श्रिया ।

नाना सद गुण भिक्षु सध वसति

तस्या विहार कृत ।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि राज्य सीमा, राजधानी, जयस्कन्धावार, तीर्थ तथा सांस्कृतिक
केन्द्रों में लेख उत्कीर्ण करना आवश्यक था । राजधानी में लेख अधिक संख्या में उत्कीर्ण हुआ
करते थे ।

आधुनिक काल में कई लेख मूल स्थान पर स्थित नहीं हैं इसलिए किञ्चित् भ्रम हो
सकता है । अशोक के स्तम्भ अम्बाला तथा मेरठ में दिल्ली में फिरोज तुगलक द्वारा लाए गए ।
कोशाम्बी का स्तम्भ भी आज प्रयाग के किले में है । ताम्र पत्र तो निश्चित स्थान पर अधिक-
तर मिलते ही नहीं, परन्तु वर्णन से या प्रचलित परम्परा से उस स्थान का समीकरण किया
जाता है ।

अभिलेखों से इतिहास का ज्ञान

इस बात की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि प्राचीन भारतीय इतिहास की मूल्यवान सामग्रियों में उत्कीर्ण लेख, सर्वोपरि माने जाते हैं। ऐतिहासिक लेखों के मूल्यांकन में सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि सारी बातें सत्य मान ली जाय। सातवीं सदी के पश्चात् प्रथमात्मक लेख मिलते हैं जिनमें कुछ बातें शासक को प्रसन्न करने के लिए लिखी गई थी। उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि स्कन्द गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की श्री समाप्त हो गई। मगध के पिछले गुप्त नरेश मामान्य ढंग से शासन करते थे परन्तु देव वरनाक लेख में जीवित गुप्त के लिए महान् पदवी—परम माहेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर—लिखी है जो समुद्रगुप्त के लिए भी प्रयुक्त नहीं की गई थी। अतएव अतिशयोक्ति को हटाकर लेख पर विचार करना युक्तिमग्न होगा। लेख के विश्वसनीय होने की बात सर्वप्रथम देखी जाती है। जो उल्लेख मिलना है उसकी पुष्टि अन्य साधनों में होने पर उसकी मर्यादा निश्चित की जाती है। किसी लेख के विषय में उसकी उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। यह जानना आवश्यक है कि लेख द्वारा इतिहास-निर्माण में कितनी सहायता मिली है, तभी उस प्रशस्ति को ऐतिहासिक मान सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अभिलेखों को उपरिलिखित चारों बातों से तौलकर ही इतिहास लेखन आरम्भ किया जा सकता है। कभी-कभी एक ही बात की पुष्टि अनेक लेख करते हैं। अतएव सभी का महत्त्व एकसा नहीं माना जा सकता। इनिहाम लिखन में जितनी सहायता लेखों ने की है उतनी अन्य पुरातत्व सामग्रियों के अध्ययन में नहीं मिलता।

प्राचीन अभिलेख अशोक, कनिष्क, त्वारवेल, गोतमीपुत्र शातकर्णी, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, द्वितीय पुलकेशी, धर्मपाल तथा ध्रुव आदि शासकों के सम्बन्ध में अनेक बातें बतलाते हैं। उनके प्रताप तथा कीर्ति की गाथा सुनाने हैं अन्यथा उन राजाओं का यश तथा शक्ति का परिज्ञान सम्भव न था। अशोक के धर्मलेख ही मौर्य साम्राज्य की विशेषता बतलाते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शासन-पद्धति का विषय वर्णन किया है परन्तु राज्य विस्तार का उल्लेख तक नहीं है। अशोक के लेखों ने ही उसके पितामह चन्द्रगुप्त मौर्य की शक्ति का अनुमान होता है। यों तो उसके लेख प्रायः सम्पूर्ण भारत पर विस्तृत साम्राज्य की जानकारी कराते हैं परन्तु तेरहवें लेख में अशोक द्वारा कलिंग मात्र विजय की बात कही गयी है। इससे यह निरुत्कर्ष निकाला जाता है कि कलिंग का छाड़कर हिमालय में मद्रास तक का प्रदेश चन्द्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अशोक के धर्म लेख का अध्ययन अधिक समय तक विद्वानों को भ्रम में डाले था कि उनका नाम प्रियदर्शी था। परन्तु मार्सर्न (आंध्र प्रदेश) लेख में उसके नाम—असोक का पता चला। उद्योसा क राजा त्वारवेल क सम्बन्ध में पूरी जानकारी हाथी गुहा लेख में होती है। वही लेख सारा इतिहास बतलाता है और त्वारवेल का जीवन वृत्त उसी में प्रकाश में आया है।

उसकी अनुपस्थिति में खारबेल के सम्बन्ध में सभी बातें लुप्त हो जायेंगी। कनिष्क के लेख इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उसका राज्य पेशावर से वाराणसी तक विस्तृत था। कुर्रम (का० इ० ६० भाग २ पृ० १५५) तथा सारनाथ का प्रतिमा लेख (ए० इ० ८ पृ० १७३) उपरिलिखित बातों को पुष्टि करते हैं। दक्षिण में मौर्यों के उत्तराधिकारी सात वाहन नरेश ईसा पूर्व दूसरी सदी से चौथी शताब्दी (ईसवी सन्) तक शासन करते रहे। उस वंश के सबसे प्रतापी राजा गोतमोपुत्र शातकर्णी की कीर्ति तथा विजय नासिक गुहा के दीवार पर खुदी है। उसी वर्णन से नहुपान के पराजय की बात ज्ञात होती है। महाक्षत्रप रुद्रदामन की ख्याति उसके जूनागढ़ लेख में प्रकट होती है जिसमें दक्षिणापथपति (सातवाहन) को दो बार परास्त करने की बात उल्लिखित है। (दक्षिणापथपतेस्सातकर्णेद्विरपि नोर्ध्याजमवजोत्यावजोत्य सम्बन्धा विदूरतया—ए० इ० ८ पृ० ४२)। इन राजाओं के युद्ध वर्णन के सदृश गुप्त सम्राट् समुद्र गुप्त की दक्षिणय यात्रा प्रयागस्तम्भ लेख में वर्णित है। इससे ज्ञात होता है कि समुद्र ने पाटलिपुत्र से उड़ीसा होकर काची तक विजय पताका फहराई थी। उसने धर्मविजयी राजा को तरह दक्षिण के शासकों को परास्त कर मुक्त कर दिया था। उत्तर भारत में उसकी दूसरी नीति थी और इस भाग के कई प्रदेशों को विजित कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था।

लेखों में अशुक्ति के प्रसन में छठी सदी के राजा यशोधर्मन का नामोल्लेख आवश्यक है। मदसोर (मालवा) के लेख में वर्णन आता है कि उसने लौहित्य (असम) तक विजय किया। परन्तु तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति में मालवा से असम तक का विजय सम्भव नहीं था। अतएव मदमोर का लेख (इ० ए० १८ पृ० २१९) अविश्वसनीय है। मध्य युग में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल नरेशों में परस्पर युद्ध हो रहा था। इस युद्ध की कथा भोर-सग्रहालय-लेख (ए० इ० २२ पृ० १७६), खालीमपुर प्रशस्ति (ए० इ० भा० ४) तथा ग्वालियर प्रशस्ति (आ० सं० रि० १९०३-४ पृ० २८०) में वर्णित है। उसमें ध्रुव, धर्मपाल तथा वत्सराज के विजय या पराजय की बातें लिखी हैं। तीनों वंशों के लेख यह बतलाते हैं कि शासकों में वंशानुगत युद्ध की भावना काम कर रही थी। राष्ट्रकूट इन्द्र ने भी उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। देवपाल प्रतिहार नरेश से ईर्ष्या करता रहा तथा दोनों में युद्ध भी हुआ। इस प्रकार अयहोल की प्रशस्ति में द्वितीय पुलकेशी की जीवन-कथा त्रिस्तुत रूप से कही गई है। उस लेख (ए० इ० ६ पृ० ३) से ही पता चलता है कि चालुक्य नरेश ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को परास्त किया था। [भयविगलितहर्ष येन चाकारि हर्ष] इस प्रकार अभिलेखों का उपयोगिता, मूल्य तथा इतिहास के महत्त्वपूर्ण साधन होने की बातें आँकी जा सकती।

प्रशस्तियों के अध्ययन से राजवंशों की वंश परम्परा का पता चलता है। जिस शासक के राज्यकाल में कोई अभिलेख उत्कीर्ण होता उसके पूरे वंशवृक्ष का उल्लेख किया जाता था।

ईसवी पूर्व सदियों में ऐसी परिपाटी नहीं मिलती। ई० ग० १५० वाले जूनागढ़ के लेख में रुद्रदामन की तीन पीढ़ियों का नाम है—
 स्वामी चष्टनस्य पौत्रस्य राज्ञ ध्रुवपस्य सुगृहिलनाम्न स्वामिजय-
 दान्न पुत्रस्य राज्ञो महाक्षत्रपस्य—रुद्रदान्नो (ए० इ० ८ पृ० ४२)। पश्चिमी भारत के

शक क्षत्रपो के मुद्रा-लेख में पिता-पुत्र दोनों का नाम निम्न प्रकार से मिलता है—

“राज्ञो महाक्षत्रपस्य दामजदश्री पुत्रस्य राज्ञो क्षत्रपस्य सत्यदाम्न ।” इसीरूप में मुद्रालेख द्वारा क्षत्रपो का वंश-वृक्ष तैयार किया जाता है। गुप्त लेखों में वंश वृक्ष की परम्परा चरमसीमा की पहुँच गयी थी। जिस शासक का लेख उत्कीर्ण किया जाता था उसके पूर्व पुरुषों की नामावली अवश्य लिखी जाती थी। स्कन्द गुप्त के भीतरी स्तम्भ लेख में पूरी वंशावली निम्न प्रकार से दी गयी है—

महाराज श्री चन्द्रगुप्त प्रपौत्रस्य श्री घटोत्कच पौत्रस्य महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त पुत्रस्य कुमारदेव्यामुत्पन्नस्य महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तस्य पुत्र तत्परिग्रहितो महादेव्या ध्रुवदेव्यामुत्पन्न परम भागवतो महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्तस्य * ...

प्रथित विपुल धामा नामत स्कन्दगुप्त

इसी तरह बिहार शिलालेख में अंतिम पक्ति के स्थाद पर “कुमारगुप्त तस्य पुत्र. तत्पादानुध्यात परम भागवतो महाराजाधिराज श्री स्कन्दगुप्त” लिखा मिलता है। इसमें गुप्त वंश के साथ रानियों के भी नाम मिलते हैं। यदि द्वितीय कुमारगुप्त की भीतरी राजमुद्रा के लेख पर विचार किया जाय तो गुप्तों की दूसरी वंश परम्परा का ज्ञान हो जाता है। प्रथम कुमार गुप्त तक सभी नामों में समता है परन्तु उसके बाद स्कन्दगुप्त का नाम न आकर पुरु गुप्त का नाम आता है। लेख इस प्रकार है—“श्री कुमारगुप्त तस्य पुत्र तत्पादानुध्यातो महादेव्या अनन्तदेव्यामुत्पन्नो महाराजाधिराज श्री पुरुगुप्तः तस्य पुत्र पादानुध्यातो महादेव्या श्री चन्द्रदेव्या उत्पन्न महाराजाधिराज श्री नरसिंहगुप्त तस्य पुत्र तत्पादानुध्यातो परमभागवतो महाराजाधिराज. श्री कुमारगुप्त ।” इस ढंग से लेखों के आधार पर गुप्त वंशावली का पता लग सका है। सभी लेखों में वंशवृक्ष का उल्लेख नहीं होता था परन्तु यह बतलाना कठिन है कि किस अवसर पर कर्मचारी (प्रशस्तिकार) वंश वृक्ष का उल्लेख करता अथवा केवल उस लेख से सम्बन्धित राजा का केवल नाम दिया करता था। ऐसी घटना मिहिरकुल के लेखों से भी पायी जाती है। उसके स्वालयर वाले शिलालेख (५३५ ई०) में तोरमाण का भी नाम आता है—

श्री तोरमाण इति य प्रथितो प्रभूतगुण ।

× × × ×
तस्योदित कुल कांतो पुत्रोऽतुलविक्रम पति पृथ्व्या
मिहिरकुलेतिरुवातो * ।

गुप्त कालीन वाकाटक राजा विध्यशक्ति के ताम्रपत्र में उसके पितामह प्रवरसेन तथा पिता सर्वसेन का नाम मिलता है।

“प्रवरसेन पौत्रस्य श्री सर्वसेन पुत्रस्य धम्मं
महाराजस्य वाकाटकाना श्री विध्यशक्ति—।”

प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र में तां वाकाटक वंशवृक्ष के स्थान पर गुप्त वंशावली का उल्लेख है जिसका आशय यह है कि प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश की राजकुमारी थी किन्तु रानी होकर गुप्तों की सहायता से शासन करती रही। प्रायः प्रस्तर या धातु पत्र पर खुदे लेखों में वंशावली मिलती है। प्रतिहार शासक महेन्द्रपाल की राजमुद्रा से उस वंश के राजा तथा रानी

का क्रमबद्ध नाम मिलता है। उसका अनुवाद निम्न प्रकार है—“परम वैष्णव देवराज रानी भूमिकादेवी उसके पुत्र परममाहेश्वर वत्सराज रानी सुन्दरादेवी उसके पुत्र परमभागवती भक्त भागभट्ट रानी इष्टादेवी उसके परमादित्य भक्त रामभद्र रानी अप्पादेवी उसके पुत्र परमभागवत भोज रानी चन्द्रभट्टारिका देवी उसके पुत्र परमभागवत महेंद्रपाल रानी देहनागादेवी” के नाम मिलते हैं। इस दिशा में ज्ञानवर्द्धक राजमुद्राओं में नालंदा तथा वसाढ की मुद्राओं का उल्लेख किया जा सकता है। उनसे कई सस्थाओं तथा पदाधिकारियों के नाम संग्रहीत किए गए हैं। इसी रूप में मौखरि नरेश ईशान वर्मा के हरहा प्रशस्ति का नाम उल्लेखनीय है। उसमें पूरे वंश का उल्लेख करते समय सर्ववर्धन मौखरि का नाम आता है जिसके सम्बन्ध में अन्य साधनों से कुछ ज्ञात नहीं है। हर्षवर्धन के बासखेडा ताम्रपत्र में नरवर्धन से तक शासको तथा रानियों के नाम मिलते हैं। इस तरह दक्षिण के राजा गुर्जरप्रतिहार के जोधपुर प्रशस्ति में, अवहोल की प्रशस्ति में, चालुक्य वंश तथा राष्ट्रकूट वंशी भोर संग्रहालय ताम्रपत्र में उस वंश के राजाओं के नाम उल्लिखित हैं। बंगाल के पाल वंश के राजाओं के विषय में खालीमपुर ताम्रपत्र विशेष उल्लेखनीय है। इस तरह प्राचीन लेखों के अध्ययन से अनेक भारतीय शासकों के वंश वृक्ष का ज्ञान सरलता से हो जाता है।

उत्कीर्ण लेखों के अतिरिक्त मुद्रा-लेखों से भी भारतीय इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। उदाहरणार्थ सम्भूत का नाम सर्वप्रथम सिक्के पर ही खुदा मिला है। इतिहास में ऐसे काल विभाग हैं जिनका ज्ञान मुद्रा-लेख से उपलब्ध हुआ है। जटिल प्रदन भी सुलभ जाते हैं। अज्ञात युग पर प्रकाश पड़ता है। भारतीय यूनानी तथा शक राजाओं के सिक्कों का अध्ययन ही उनके इतिहास को प्रकाशित करता है। उनके लेख शासकों के नाम तथा क्रम को निश्चित करने हैं। मुद्रा लेखों के आधार पर राजाओं की सख्या बतलाई जाती है। पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप सिक्कों पर शासक का नाम तथा तिथि का उल्लेख मिलता है जिससे राजाओं की वंशावली तथा शासन का क्रम प्रायः निश्चित हो सका है। उदाहरण के लिए राजा महाक्षत्रपस हद्रसिहस पुत्रस महाक्षत्रपस सगदामन लेख के साथ तिथि १४४ (१४४ + ७८ = २२२ ई०) अंकित है।

गण सिक्के भी शासक का नाम बतलाते हैं। क्रुण्णन्द के सिक्कों पर 'राज्ञो कणीवस अमोध भूतस महरजस' खुदा मिला है। कुपाण सिक्कों पर कदफिस कनिष्क तथा वासुदेव आदि के नाम मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशस्तियों के अतिरिक्त सिक्कों में राजाओं के नाम मिल जाते हैं। इस परम्परा से गुप्त सिक्के पृथक् नहीं थे। अंत में यह कहना आवश्यक हो जाता है कि प्रशस्तियों के मद्दश मुद्रा-लेखों से वंशावली का ज्ञान नहीं हो सकता। केवल क्षत्रप सिक्के दो पीढ़ियों के नाम उपस्थित करते हैं। अन्यथा व्यक्तिगत नाम तथा तिथि की जानकारी सिक्कों पर खुदे मुद्रा-लेख से होती है। कौशांबी में प्राप्त सिक्कों के आधार पर नए मग वंश का पता चलता है। उनके विषय में अन्य साधन अज्ञात थे।

प्रायः उत्कीर्ण लेखों में किसी-न-किसी वंश के शासक के विजय यात्रा, युद्धगाथा तथा सन्धि की बातें वर्णित रहती हैं। अशोक के तरहवें शिलालेख से ही यह ज्ञात हो सना कि वह कलिंग पर युद्ध करने के पश्चात् अहिंसा का पालक हो गया। भेरी घोष को घम्म घोष में परिवर्तित कर दिया और उसने बुद्धमत के प्रसार निमित्त देशान्तर में धर्मदूत भेजे। अयोध्या का लेख यह स्पष्ट कर

देता है कि पुष्यमित्र ने दो अश्वमेध किया था [द्विश्वमेधयाजिनः सेनापतेः पुष्यमित्रस्य] पुरब मे उदयगिरि के हाथी गुम्फा लेख मे खारवेल का विजय वर्णित है । नासिक से प्राप्त लेखो मे सातवाहन राजा गोतमीपुत्र शातकर्णि तथा क्षत्रप नहपान के युद्ध का वर्णन पाया जाता है । इस वर्णन से प्रकट होता है कि नहपान को गोतमीपुत्र शातकर्णि ने परास्त किया था । जिसकी पुष्टि जोगलयम्बी सिक्को से होती है । नहपान के दस हजार चाँदी के सिक्को को गोतमीपुत्र शातकर्णि ने पुनः मुद्रित किया था । काठियावाड का जूनागढ़ लेख वर्णन करता है, कि महा-क्षत्रप रुद्रदामन ने १५० ई० मे अपने वंश की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया तथा वह पुलमावि को परास्तकर मालवा, महाराष्ट्र, काठियावाड, सिन्ध आदि प्रांतो पर राज्य करने लगा । दूसरी क्षती मे सातवाहन नरेश गोतमीपुत्र यज्ञ श्री शातकर्णि ने विजय कर शकक्षत्रप नरेशो को पुनः नीचा दिखाया । नासिक, काले, कनहेरी तथा जूनार आदि स्थानो पर उसके लेख मिले हैं । इस विजय के स्वरूप यज्ञश्री ने चाँदी के सिक्के भी प्रचलित किए । उन्ही क्षत्रपो को चौथी सदी मे गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने परास्त कर गुप्त साम्राज्य को पश्चिमी भारत तक विस्तृत किया था । उदयगिरि (भिलसा के समीप) गुहालेख उस विजय को प्रमाणित करता है (कृत्स्न पृथ्वी जयार्थेन राज्ञेर्वेह सहागत) मेहरोली का स्तम्भ लेख भी उसके विजय का द्योतक है । उसके पिता समुद्रगुप्त के दिग्विजय का वर्णन हरिषेण ने प्रयाग के स्तम्भ-लेख मे किया है जिससे प्रकट होता है कि समुद्रगुप्त मध्य प्रदेश होकर तथा उड़ीसा पारकर कांची तक गया था । दक्षिण के राजाओ को परास्त कर उसने मुक्त भी कर दिया । हरिषेण ने उत्तरी भारत के नागवशी राजाओ के पराजय का सुन्दर वर्णन प्रयाग की प्रशस्ति मे किया है ।

स्कन्दगुप्त के भितरी स्तम्भ लेख के अध्ययन से विदित होता है कि हूणो ने कुमार-गुप्त की वृद्धावस्था मे गुप्त राज्य पर आक्रमण किया था । उनका बड़ी कठिनाई से स्कन्द ने परास्त किया । वर्णन निम्न प्रकार है—

(१) हूर्ण्यर्थस्य समागतस्य समरे दोर्म्या धरा कपिता

(२) विचलित कुल लक्ष्मी-स्तम्भनायोद्यतेन

(३) पितरि दिवमपेते विप्लुता वश-लक्ष्मी

भुजबल विजतारिभ्यः प्रतिष्ठाप्य भूय । (का० इ० इ० ३ पृ० ५३)

छठी सदी के राजा यशोधर्मन के मदसोर लेख मे ज्ञात होता है कि स्कन्दगुप्त के बाद हूणो का आधिपत्य मध्य भारत मे हो गया था । तोरमाण का एरण लेख (का० इ० इ० ३ पृ० १५९) तथा मिहिरगुल की ग्वालियर प्रशस्ति (वही पृ० १६२) इसके प्रमाण है । हूण नरेश ग्वालियर के भूभाग मे शासन कर रहे थे । यशोधर्मन ने पुनः उन्हें परास्त किया जो उसकी प्रशस्ति से स्पष्ट हो जाता है ।

ये भूक्ता गुप्त नार्थेर्न सकल वसुधा क्रान्ति दृष्ट प्रतापे
याज्ञा हृणाधिपाना क्षितिपति मुकुटाढ्यामिनी यान्प्रविष्टा
इस प्रकार के उल्लेखो मे युद्ध की कहानी ज्ञात हो जाती है ।

मध्य युग के आरम्भ से ही उत्तर तथा दक्षिण के शासको की युद्धगाथा उनकी प्रशस्तियो मे मिलती है । हरहा लेख मे ईशान वर्मा मौखरि को विजय कथा मिलती है तो कमीली के ताम्रपत्रो मे गोविन्द चन्देव की चर्चा है । अयहोल के लेख मे द्वितीय पुलकेशी द्वारा अनेक

राजाओं के अतिरिक्त कन्नौज नरेश हर्षवर्धन के पराजय का वर्णन मिलता है। भोर संग्रहालय ताम्रपत्र में राष्ट्रकूट नरेश दत्तिदुर्ग, कृष्ण तथा ध्रुव आदि के युद्धों का विवरण पाया जाता है। उदाहरणार्थ सुनि—

श्री काची पति गंगवेगीकयुता ये मालवेशादय
प्राज्याना नयतिस्म तान् क्षितिभूतो य. प्रातिराज्यानिपि
पाल राजा धर्मपाल के साथ युद्ध को सूचना निम्न पंक्ति से मिलती है—

गंगा यमूनयोर्मध्ये राज्ञो गौडस्य नश्यतः

लक्ष्मी लीला विन्दानि स्वेत छत्राणि यो हरत् । (सजान लेख)

पूर्वी भारत में बगाल का शासक धर्मपाल भी एक विजयी नरेश था। उसके विजय का वर्णन खालीमपुर ताम्रपत्र पर उल्लिखित है। कन्नौज के राजा इन्द्रायुध को परास्त कर चक्रायुध को गद्दी पर बैठाया जिस कार्य को अनेक शासकों ने स्वीकार किया। बारहवें पद्य में वर्णन है—

भोजैरमस्यै समद्रे कुरु यदुयवन अवन्ति गान्धार किरैर भूपति,
व्यालोल मौलि प्रणति परिणतै. माधू संगीर्यमान
हस्यति पंचाल वृद्धो धृतकनकमय स्वाभिपेकोदकुम्भो
दत्त श्री कान्यकुब्ज सललित चलिता भ्रूलता लक्ष्मयेन ।

इस प्रकार अनेक उदाहरणों द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि लेखों के अध्ययन से विभिन्न शासकों के युद्ध व विजय का वृत्तांत सुलभ हो सकता है।

प्राचीन समय में लेख विशिष्ट स्थान पर उत्कीर्ण कराये जाते थे तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासकों ने विभिन्न स्थानों पर खुदवाया। सीमा पर खुदवाने राज्य सीमा का विशेष महत्व था। विजय अथवा आज्ञा सम्बन्धी घोषणा प्रजा के लिए उतना ही आवश्यक थी जितनी प्रत्यन्त नृपति के लिए।

मौर्य सम्राट् अशोक के घर्म लेखों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भारतवर्ष का अधिक भाग मौर्य शासन में रहा। पश्चिमी भाग में अफगानिस्तान से उड़ीसा तक तथा हिमालय की तराई से (नेपाल की तराई का स्तम्भ लेख रुम्मनदेई तथा कालमी का लेख) मद्रास प्रान्त के येरुगुडी (करनूल जिला) तक अशोक के शिलालेख पाये जाते हैं। इसमें यह कहा जाता है कि उतने भूमग पर उसका राज्य विस्तृत था। अशोक के द्वितीय तथा तेरहवें शिलालेख में प्रत्यन्त (सीमा) नृपतियों के नाम मिलते हैं जिससे पूर्व कथित बातों को बल मिलता है। चोल, पाण्ड्य, केरल आदि राज्यों को छोड़कर समस्त भारत पर उसका शासन था। मौर्य युग के पश्चात् सातवाहन वंश का राज्य-विस्तार अभिलेखों तथा सिक्कों की प्राप्ति में ज्ञात हो जाता है। शातकर्षि राजा का नाम साची के दक्षिण तोरण पर खुदा है। उसका नाम नानाघाट के लेख (पूना के समीप) में उल्लिखित है तथा उसी को हाथी गुम्फा लेख में पश्चिम दिशा का शासक कहा गया है। इससे यह प्रकट होता है कि मालवा से महाराष्ट्र तक उसका राज्य फैला था। उसके कई सदियों बाद सातवाहन राजाओं के लेख नासिक, कार्ले, कनहेरी आदि स्थानों से मिले हैं तथा उनकी मुद्राओं की उपलब्धि आंध्रप्रदेश, मैसूर, बम्बई तथा महाराष्ट्र प्रदेशों से हुई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सातवाहन नरेश उन प्रदेशों पर अवश्य शासन करते रहे। क्षत्रप राजा नहपान का लेख भी उन्हीं स्थानों से (नासिक, कार्ले तथा जूनार)

प्राप्त हुए हैं जिसके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि नहपान अजमेर से पूना तक राज्य करता था और उसको परास्त कर ही सातवाहन नरेश गोतमीपुत्र शातकर्णि तथा उसके वंशज शासन करने लगे। क्षत्रप तथा सातवाहन अभिलेखों के अध्ययन से दोनों वंशों के परम्परागत शत्रुता तथा पराजय व विजय का परिज्ञान हो जाता है।

नहपान तथा पुलमावि के नासिक गुहा लेखों के अनुशीलन से विदित हो जाता है कि नहपान जिस भूभाग पर शासन करता था उस पर सातवाहन का आधिपत्य हो गया। इस परिणाम पर पहुँचने का कारण यह है कि दोनों नासिक लेखों में प्रायः एक ही प्रदेशों के नाम उल्लिखित हैं जिन पर नहपान के पश्चात् गोतमी पुत्र शातकर्णि ने अधिकार कर लिया। भरुकच्छ (भरीच) दशपुर (मालवा) गोवर्धन (नासिक) शोर्पारगे (मोपारा) प्रभास (काठियावाड़) नहपान के राज्य विस्तार बतलाते हैं। पुलमावि के लेख में सुरठ (गाराष्ट्र) कुकुरापारान्त (बम्बई प्रदेश) विदर्भ (बरार) तथा आकरावन्ती (मालवा) सातवाहन राज्य की सीमा बतलाते हैं। आंध्रप्रदेश भी इनके अधिकार में था। दूसरी सदी में महाक्षत्रप रुद्रामन सातवाहन नरेश को पराजित कर मालवा, काठियावाड़, सावरमती तथा राजपूताना का स्वामी बन गया (जूनागढ़शिलालेख) इस प्रकार महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्रप्रदेश तथा बरार पर सातवाहन शासन शेष रह सका। नर्वदा, तामी के उत्तरी भाग पर क्षत्रपों का पूर्ण आधिपत्य रह गया। सातवाहन राजाओं के सिक्के भी आंध्रप्रदेश, मैसूर, बम्बई तथा महाराष्ट्र में मिले हैं जिनसे उनके स्वामित्व की वार्ता पृष्ठ होती है। इस अध्ययन से ज्ञात होता है कि क्षत्रप तथा सातवाहन अभिलेख दोनों राजवंशों के पारस्परिक युद्ध तथा विकास एवं पतन की चर्चा करते हैं तथा दक्षिण पर आधिपत्य की कहानी सुनाते हैं।

उत्तर पश्चिम भारत में ईसवी सन् के बाद कुपाण यामन पेशावर में काशी तक विस्तृत था। पूर्वी सीमा के प्रमाण में सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा का लेख (ज० म० ३) उपस्थित किया जा सकता है। उस मूर्ति लेख में यह वर्णन मिलता है कि कनिष्क के तीसरे राज्य वर्ष में महाक्षत्रप खरपल्लाना (जो कनिष्क का राज्यपाल था) के समय यह प्रतिमा प्रनिष्ठापित की गई। अतएव यह निर्विवाद है कि सारनाथ तक कनिष्क का राज्य फैला था। भोपाल से कनिष्क का लेख प्राप्त हुआ है अतः मध्यप्रदेश के भूभाग पर भी वह शासन करता रहा। गुप्त वंश के अभिलेख में भी राजाओं के दिग्विजय तथा राज्य विस्तार की वार्ता वर्णित है। प्रयाग स्तम्भ लेख में हरिषेण ने समुद्रगुप्त द्वारा विजित नरेशों का नामोल्लेख किया है, उसमें "दक्षिणापथ राज ग्रहण मोक्ष" वाक्य मिलता है जिनमें सिद्ध होता है कि समुद्रगुप्त ने 'धर्म विजयी' नीति को ध्यान में रखकर समस्त राजाओं को मुक्त कर दिया था। उत्तरोत्तर भारत के नागवंशों (मथुरा के समीप) राजाओं को परास्त कर उत्तर प्रदेश तक राज्य विस्तृत किया। उसके पुत्र द्वितीय चन्द्रगुप्त के उदयगिरि (भिलसा के पास) तथा साची के लेख बतलाते हैं कि सम्राट् ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। उसके सेनापति ने वर्णन किया है—

कृत्स्न पृथ्वी जयार्थेन राज्ञ मह सहागत ।

पाटलिपुत्र से बीरमेन इम प्रदेश को जीतने के लिए राजा के साथ वहाँ (मालवा) गया। इसके अतिरिक्त द्वितीय चन्द्रगुप्त के चांदी के सिक्के यह बतलाते हैं कि सोराष्ट्र तथा काठियावाड़ के शासक क्षत्रपों के जीतने के पश्चात् ही उसने सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन

किया (जो क्षयप मित्रको के अनुकरण पर निकाले गए ।) जूनागढ़ का गिलालेख यह प्रमाणित करता है कि सोराष्ट्र स्कन्द गुप्त के अधिकार में था और उसके शासन परचात् पृथक् हो गया । कालान्तर में गुप्त वंश की अवनति आरम्भ हो गई । अवनति काल में भी बुद्ध गुप्त का राज्य-विस्तार की जानकारी उसके एरण (मध्य प्रदेश) मारनाथ प्रतिमा लेख (उत्तर प्रदेश) नालंदा की मुद्रा (बिहार) तथा दामोदरपुर के ताम्रपत्र (उत्तरी बंगाल) से होती है तथा ज्ञात होता है कि बंगाल में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश तक बुद्धगुप्त पाचवीं शती के अंत में शासन करता था । गुप्त युग के पदचात् भारत में कई छोटे-छोटे राज्य हो गए तथा साम्राज्य की भावना का अन्त हो गया । लेखों के प्राप्ति स्थान से उस वंश का प्रभाव अवश्य ज्ञात हो जाता है । उदाहरणार्थ मौखरि वंश का लेख हरहा (बाराबकी जिला) तथा नागाजुंनों गुहा (गया जिला) से मिले हैं जो सिद्ध करते हैं कि गया से अवध तक मौखरि वंश का प्रभाव विस्तृत था । पाल-वंशी राजा धर्मपाल के अभिलेख तथा अन्य राजकीय लेखों से यह प्रमाणित होता है कि धर्मपाल ने गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट अधिकार हटाकर कन्नौज पर शासन स्थापित किया । उत्तरी बिहार तथा मगध में प्राप्त (मुंगेर, भागलपुर व नालंदा आदि) पालवंशी लेख बिहार प्रान्त को पाल राजाओं के अधीन वोगिन करते हैं । यह स्थिति बीसवीं सदी तक बनी रही जब कि १९१२ ई० में बंगाल में बिहार का प्रदेश पृथक् किया गया ।

लेखों में सरक्षक के वर्णन के अतिरिक्त समकालीन शासकों के नाम भी प्रसंग वश मिलते हैं अथवा राजा के साथ युद्ध में सहायक या प्रतिद्वन्दी का नाम देना प्रशस्तिकार के लिए आवश्यक ही था । इसी कारण अशोक के द्वितीय प्रधान गिलालेख में

राजाओं की समकालीनता	चोडा, पाण्ड्या, सतियपुत्रो, कंतल पुत्रो आदि छोटे राजाओं के नाम आते हैं जो सुदूर दक्षिण में शासन करते थे । उसी प्रसंग में यवन राजा अन्तिकोका का भी नाम आता है । तेरहवें प्रधान लेख में भी
------------------------	--

उन राजाओं तथा कुछ अन्य शासकों (अन्तिकोन, मग आदि कई यूनानी राजाओं) के नाम मिलते हैं जिन्हें अशोक ने धर्म में प्रभावित किया था । ईसवी पूर्व पहली सदी में कुपाण राजा कुजुल कदफिस के सिक्के पर हरमेयस का नाम भी मिलता है जिससे प्रकट होता है कि यूनानी राजा हरमेयस कुजुल कुपाण का समकालीन शासक था । गिरनार के लेख में रुद्रदामन के द्वारा सातवाहन राजा के परास्त करने का उल्लेख मिलता है । इसमें पता चलता है कि महाक्षत्रप रुद्रदामन सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र शातकर्ण या पुलमावि का समकालीन था । इसी प्रकार हर्गिण ने प्रयाग की प्रशस्ति में उन राजाओं के नाम दिए हैं जो भारत में राज्य करते थे और जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया । इनके अतिरिक्त प्रत्यन्त नृपति (सीमा पर राज्य करने वाले शासक) के भी नाम आये हैं । अतः उस सूची में ऐसे राजाओं के नाम हैं जो समुद्रगुप्त के समकालीन माने जा सकते हैं । कुमारगुप्त तथा स्कन्दगुप्त के लेखों में कृष्ण आक्रमण का वृत्तान्त मिलता है । सम्भवतः तोरमाण स्कन्दगुप्त का समकालीन शासक था । पिछले गुप्त वंश के अपसद लेख में हर्ष वर्धन के साथ माधवगुप्त का सम्बन्ध बतलाया गया है । अतएव दोनों को समकालीन मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । अथहोल लेख हर्ष तथा द्वितीय पुलकेशी के युद्ध द्वारा समकालीनता सिद्ध करता है । कहने का तात्पर्य यह है कि लेखों के आधार पर राजाओं की समकालीनता स्थिर करने में बड़ी सहायता मिलती है और

उस प्रमाण के सहारे अनेक राजाओं की तिथि निश्चित की जाती है।

भारतीय लेखों के अध्ययन से प्राचीन भारत के शासन-पद्धति का ज्ञान भी सुलभ हो जाता है। प्रशस्तित उत्कीर्ण करते अथवा राजाज्ञा प्रसारित करते समय कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख आवश्यक रूप में किया जाता था। जिन कर्मचारियों से शासन-व्यवस्था सम्बन्धित आज्ञा अथवा प्रजा हित के लिए जैसी आज्ञा घोषित होती, दोनों अवस्थाओं में पदाधिकारियों को पदेन सम्बोधित करना पड़ता था। दान के कारण विभिन्न परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिन अपहरण का विवरण दान-पत्रों में लिखित रहता, उससे सम्बन्धित समस्त कर्मचारियों का उल्लेख नितान्त आवश्यक था। जिस भूमि से राजकर ग्रहण किया जाता, दान देने पर उसका स्वामित्व दानग्राही को मिल जाता था। अतएव राज कर्मचारियों को यह बतलाना आवश्यक था कि अमुक क्षेत्र न कर (टैक्स) की वसूली नहीं की जाय। यही कारण है कि ताम्रपट्टियों पर विभिन्न पदाधिकारियों के नाम उल्लिखित किये जाते थे।

मौर्य कालीन शासन व्यवस्था का परिज्ञान अशोक के लेखों से होता है। यद्यपि कोटिल्य ने अर्थ-शास्त्र में शासन-पद्धति का विस्तृत विवरण दिया है तथापि अशोक के पाँचवें शिलालेख में धर्ममहामात्र नामक नए कर्मचारी की नियुक्ति का वर्णन है। तीसरे शिलालेख में राजुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को प्रजाहित के लिए राज्य में भ्रमण करने की आज्ञा दी गई थी। चौथे स्तम्भ लेख में अशोक ने स्वयं राजुक तथा परिषद् के विभिन्न कार्यों का विवेचन किया है। उन्हें प्रजा हित के चिन्तन पर विशेष बल दिया है। उसके लेखों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, तक्षशिला, उज्जैनियनी, तोसल्ली, सुवर्णगिरि नामक प्रांतों में साम्राज्य विभक्त था। वहाँ राजकुमार ही प्रातपति के रूप में शासन करते रहे। कौर्मविय महामात्र (कौशाम्बी स्तम्भ लेख) तोसलियं महामात्र (धोली का पृथक् शिलालेख), उजे-निते पि च्चु कुमाले, तखशिलाने (वही) समापायं महामात्रा (जौगढ लेख) पाटलिपुत्र (सार-नाथ स्तम्भ लेख) तथा सुवर्ण गिरिते अयपुत्स महामात्रान (सिद्धपुर शिलालेख) आदि उद्धरण उपरियुक्त कथन को प्रमाणित करते हैं। सम्भवतः कई सदियों तक यही प्रणाली कार्यान्वित होती रही।

ईसवी सन् के पश्चात् कुषाण नरेशों के राज्यपाल, सारनाथ मथुरा तथा काठियावाड में शासन करते रहे। तत्पश्चात् गुप्त लेखों में गुप्त शासन प्रणाली का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। प्रयाग के स्तम्भ लेख से ज्ञात होता है कि हरिषेण, महादण्डनायक, सन्धिविग्रहिक तथा कुमारामात्य के पद को मुशोभित कर चुका था। द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय में सनकानिक महाराज सामत तथा वीरसेर सेनापति था [उदयगिरि का लेख] गुप्त लेख यह बतलाते हैं कि साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। तिराभुक्ति (तिरहुत, बिहार) काठियावाड, मंदसौर (मालवा) कौशाम्बी, (उत्तर प्रदेश) पुष्टवर्द्धन भुक्ति (उत्तरी बंगाल) तथा श्रीनगर भुक्ति (पाटलिपुत्र) के नाम मिलते हैं। पहला नाम बैशाली की मुहर (तीराभुक्त्या उपरिंकर अधिकरणस्य) में उल्लिखित है। इन प्रांतों (भुक्ति) पर शासन करने वाले राज्यपाल के नाम भी गुप्त लेखों से प्राप्त होते हैं तथा राष्ट्रीय, भोगिक, भोगपति तथा गोसा शब्दों का प्रयोग उस पद के लिए किया गया है (विस्तृत विवेचन के लिए देखिए—लेखक का ग्रन्थ—गुप्त साम्राज्य

का इतिहास भाग २) प्रथम कुमारगुप्त तथा स्कन्धगुप्त के लेख इस विषय में अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। प्रातो को जिला (विपय) में विभक्त किया गया था जिसके सम्बन्ध में विशेष उल्लेख बैशाली की मुहरो तथा दामोदरपुर (उत्तरी बंगाल) के ताम्रपत्रों में मिलता है। इसका अध्ययन यह बतलाता है कि मंत्रीगण पाँच वर्ष के लिए नियुक्त होते थे। नगर के कार्यालय को अधिकरण कहते थे। बैशाली के मुहरो में कुमारामात्य पदवी भी मिलती है। कुमारगुप्त के करम दण्डा शिवालङ्ग लेख से स्पष्ट प्रकट होता है कि गुप्तकाल में मन्त्रीपद वशानुगत था। द्वितीय चन्द्रगुप्त के मन्त्री शिखरस्वामी के पश्चात् उसका अ पृथिवीपेण गुप्त सम्राट् प्रथम कुमार गुप्त के मन्त्री पद पर आसीन था।

काठियावाड़ के राज्यपाल पर्णदत्त तथा नगर के शासक चक्रपालित की नियुक्ति स्कन्दगुप्त ने की थी। जिसका वर्णन जूनागढ़ के लेख में निम्न प्रकार से मिलता है—

आ ज्ञातमेक खलु पर्णदत्तो भारस्पतस्यो द्रहने समर्थ ।

पूर्वैतरस्था दिशि पर्णदन्तं नियुज्य राजा धृतिमास्तथाभूत् ।

चक्रपालित के लिए लिखा है—

य मन्निभुक्तो नगरस्य रक्षा विशिष्य पूर्वान् प्रचकार सम्यक् ।

यदि मध्ययुग के आरम्भ से ही ताम्रपत्रों का अध्ययन किया जाय तो प्रकट होता है कि राजा सरकारी कर्मचारियों को दान की सूचना देते समय सम्बोधित करता था। बामखेडा खालीमपुर, नालंदा, मुंगेर आदि ताम्रपत्रों में अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित सूची से उसका परिज्ञान हो जाता है।

राजा राजानक राजपुत्र, राजामात्य, सेनापति, विपयपति, भोगपति, षष्ठाधिकृत, दण्ड-शक्ति, दण्डपाशिक, चौराद्वारणिक, दीहसाधनिक, दूत, खोल गमागमिक अभित्वरमाण, हस्त-श्वगोमहिष्यजाविकाध्यक्ष, नौकाध्यक्ष, बलाध्यक्ष, तारिक, शौल्किक, गुल्मिक, आयुक्तक, चाट, भट, ज्येष्ठ कायस्थ, महामहत्तर दशप्रामिक, विपय व्यवहारिन (खालीमपुर ताम्रपत्र), महा-प्रभातर, महासामन्त महाक्षपटलिक, रणाधिकृत आदि पदाधिकारियों के नाम। विषय के अन्तर्गत अनेक ग्राम थे जिसका मुखिया महत्तर कहलाता और ग्राम की इकाई स्वतंत्र थी।

प्रशस्तियों तथा मुद्रा-लेख का अध्ययन यह बतलाता है कि प्राचीन युग में दो प्रकार के शासन-राजतंत्र तथा प्रजातंत्र वर्तमान थे। प्रजातंत्र के लिए गण या सच शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि चन्द्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य भावना को प्रास्ता-

राजतंत्र व प्रजातंत्र

प्रणाली

हित किया परन्तु सच शासन को नष्ट न कर सका। उत्तरी बिहार में वृज्जि सच इतिहास में प्रसिद्ध प्रजातंत्र था। अशोक के शासनकाल में वही विचारधारा काम करती रही। उसने राजतंत्र को ही बल दिया और उसके प्रभाव से राजतंत्र को प्रतिष्ठा भी स्थिर हो गई। साम्राज्य की शक्ति के कारण सच शासक मिर न उठा सके। अभिलेखों के अनुशीलन से पता चलता है कि राजतंत्र के साथ संघशासन भी प्रचलित रहा। ईसा पूर्व सदियों में प्रचलित भारतीय सिक्कों का मुद्रा-लेख इस बात को प्रमाणित करते हैं। योषेय, कुपिन्द, आजुनायन, तथा मालव सच शासकों के सिक्कों पर निम्न लेखा खुदा है—योषेय गणस्य जय, मालवाना गणस्य जय आजुनायनाना जय आदि। लेख ऊपर लिखे कथन की पुष्टि करते हैं। मालव गण का उल्लेख तथा

यीषेय गण का वर्णन शक नरेश नहपान के नासिक तथा रुद्रदामन के जूनागढ लेखों में क्रमशः पाया जाता है। [ए० इ० भा० ८ वीर शब्द जातोत्पेका विधेयाना यीषेयाना] समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में विदित होता है कि गुप्त नरेशों ने "मालवार्जुनायन यीषेय माद्रकाभीर" सघो को परास्त किया था। इसके बाद सघ शासन का अस्तित्व मिट गया। तात्पर्य यह है कि ईसा पूर्व तीसरी सदी से चौथी शताब्दी यानी सात सौ वर्षों तक दो प्रकार के शासन (राज-तंत्र तथा प्रजातंत्र) भारत में प्रचलित थे जिनका उल्लेख अभिलेखों में पाया जाता है। इसके बाद प्रजातंत्र राजतंत्र में विलीन हो गया। मध्ययुग से सघ शासको (सभापति) को कोई पदवी लेखों में नहीं पाई जाती। साम्राज्य स्थापना के पश्चात् राजाओं की महान् पदवियों का विवरण मिलता है।

अशोक के लेखों में उन महान् पदवियों के नाम नहीं आते हैं जिनका उल्लेख मौर्य युग के पश्चात् लेखों में सर्वत्र पाया जाता है। शक पहलव राजाओं के सिक्का पर यूनानी पदवी 'बैसिलियम बैसिलयन' का प्राकृत अनुवाद 'महूरजस रजरजस महतस' अंकित मिलता है। उन्हीं के लिए प्रयाग स्तम्भ लेख में शाहानुवाई पदवी लिखी गयी है। पश्चिमी भारत के शक शासकों के गिरगो पर महाशत्रुप की उपाधि अंकित है जो राजा के समान स्वतंत्र पदवी थी। गुप्त काल में राजकीय पदवियों का ढंग ही बदल गया। सर्वप्रथम गुप्त राजा महाराज की पदवी से विभूषित था। प्रथम चन्द्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर महान सम्राट् होने की घोषणा की। लेखों में परमेश्वर चक्रवर्ती या सम्राट् भी उसी तरह प्रयुक्त किया जाता था। उसके उत्तराधिकारी द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने सम्राट् की पदवी के साथ परम-भागवत की धार्मिक उपाधि ग्रहण की। इंदौर के नाम्नापत्र में सर्वप्रथम गुप्त सम्राट् के लिए परमभट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि मिलती है और उसी समय से प्रचलित होकर पूर्व मध्यकाल का प्रशस्तियों में प्रयुक्त है। हर्षवर्धन के तथा मौखरि वंशी लेखों में राजा के लिए महाराजाधिराज की पदवी ही मिली है। पिछले गुप्त तथा अन्य समकालीन राजाओं के लिए उसमें भी महान् पदवी "परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर" का उल्लेख कर और उनकी गतियों के लिए भी 'परमभट्टारिका' लिखकर महान् राजा होने का व्यर्थ दावा किया गया है। पूर्व मध्यकाल में सारा देश छोटे-छोटे राज्यों में बटा था, अतः उन छोटे-छोटे भागों के लिये बड़ी उपाधि अर्थात्हीन सिद्ध होती है। केवल पदवा धारण करने से महान् सम्राट् नहीं बन सकत। इस कारण लेखों में उल्लिखित पदवियाँ निरर्थक हैं। उदा-हरणार्थ 'परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर' जोचित गुप्त ऐम छोटे राजा के लिए प्रयुक्त है। बल्लभी दानपत्र में साधारण शासक की पदवी परममाहेश्वर परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर चक्रवर्ती, उल्लिखित है (ए० इ० पृ० (७))। गुप्त राजाओं को वास्तविक सम्राट् होने पर भी इस महान् उपाधि के धारण करने का अवसर न मिल सका जिसे कालान्तर में छोटे-छोटे राजाओं ने ग्रहण किया था।

लेखों में पता चलता है कि सारा राज्य कई प्रांतों में विभक्त था जिसको "भुक्ति" कहते थे। "भुक्ति" के छोटे जिलों की इकाई का प्रशस्तियों में "विषय" कहा गया है- शासन के सुप्रबंध के लिए इसे भी उपविभागों में बाटा गया था। जो "ग्राम" के नाम से

प्रसिद्ध थे। केन्द्र में राजा स्वयं शासन करता था और उसके सन्तह के लिए मंत्रिपरिषद नियुक्त था, उसे अशोक के प्रधान शिलालेखों में परिषद कहा गया है।

अशोक ने कलिंग लेख में कहा है “मेरी प्रजा में बच्चों के समान हैं और मैं चाहता हूँ कि सबको इस लोक तथा परलोक में सुख तथा शांति मिले।” प्राचीन राजाओं का यह आदर्श था जिसके कारण राजा तथा प्रजा सुख शांतिमय जीवन व्यतीत करते थे।

घौली के पृथक शिलालेख में अशोक ने कहा था—

“सर्वे मुनिने पजा ममा । अथा पजाये इच्छामि ह्व
कित सर्वेन हित सुखेन ह्रिदलोकिके पाललोकिके”

उसके पश्चात् भी राजा सदा प्रजा-चिन्तन में लगा रहता था। जूनागढ़ के लेख में महाक्षत्रप रुद्रदामन ने उल्लेख किया है कि मंत्रियों के विरोध करने पर भी प्रजा के सुख तथा भलाई के लिए निजी धन से उसने बाध बधवाया था। (अपोडयित्वा करविष्टि प्रणय क्रियाभि पौरजान-पद जन स्वस्मान्कोशा महता त्रिगुण दृढतर विस्तारायाम सेतु विधाय सर्वतटे सुदर्शन तर कारि-तमिति (ए० इ० ८ पृ० ४२) उसी स्थान पर उत्कीर्ण गुप्त लेख से पता चलता है कि स्कन्द गुप्त भी पश्चिमी प्रांत के योग्य ग्रामक के लिए चिन्तित रहा करता था। (सर्वेषु देशेषु विषाय गोप्तुन सचिन्तया मास बहु प्रकारम्) इस प्रकार राजाओं के गुण के सम्बन्ध में हमारी जानकारी बढ़ती है।

इतना ही नहीं, पाल नरेश धर्मपाल के खालीमपुर लेख से विदित होता है कि उसके पिता गोपाल ने ‘मात्स्यन्याय’ को समाप्त कर बंगाल में शांति की स्थापना की। इसीलिए जनता ने उसे पालवंश का शासक घोषित किया (ए० इ० ४)।

मात्स्यन्यायमुपोहितु प्रकृतिभि लक्ष्मा कर ग्रहित

श्री गोपाल इति क्षितिश गिरशा चूडामणि तत्सुत ।

इन सब विवरणों के आधार पर राजा के प्रजाहित चिन्तन तथा आदर्श राजशासन की बातों का परिज्ञान हो जाता है।

इसको पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है कि पूर्व मध्ययुग के ताम्रपत्रों में पदाधिकारियों के अधिक नाम मिलते हैं। इसका एक मात्र कारण यह था कि दान करते समय अग्रहार पर भूमि को स्वामित्व दानग्राही को सौंप दिया जाता था। उस समय से

अभिलेखों में उल्लिखित पदाधिकारी दान-भूमि से प्रत्येक प्रकार का कर दानग्राही ग्रहण करता। इसलिए यह आवश्यक था कि सभी अधिकारियों को दान-भूमि के सम्बन्ध में सूचना मिल जाय, ताकि कालान्तर में उस क्षेत्र से भूमि-कर ग्रहण करने का प्रबंध न किया जाय। इसी प्रसंग में दान कर्त्ता (शासक) की पदविया उल्लिखित है। लेखों में पदाधिकारियों की चर्चा आज्ञा प्रदान करते समय की गई है। गुप्त लेख बैशाली की मुहुरे तथा मध्ययुगी प्रशस्तियों में अधिक नाम मिलते हैं। कन्नौज के शासकों के अभिलेख में सभी नाम मिलते हैं (ए० इ० भा० १४ पृ० १९४)। वर्ण-क्रम से निम्नलिखित उपाधियों की जानकारी लाभकर होगी।

अन्तःपुरिक—महल का प्रबंधक। पहले इसके लिए प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया जाता था।

(विजयचन्द्र का कमौली ताम्रपत्र) अशोक के लेख में "स्त्रीध्यक्ष महामात्र" का भी यही कार्य था ।

अन्तपाल—सीमा अधिकारी वह साम्राज्य की सीमा को निगरानी करता था ।

अन्त महामात्र—सीमा सम्बन्धी राजनीति-विचारक । (अशोक का स्तम्भलेख ७वा)

अग्रहारिक—दान तथा अग्रहारभूमि का पदाधिकारी उसे 'दानाध्यक्ष' भी कहा गया है । अशोक के लेख में धर्ममहामात्र के नाम से उल्लेख मिलता है ।

आयुधगाराध्यक्ष—शस्त्रशाला का अध्यक्ष ।

अक्षपटलिक—लेख-प्रमाण का सुरक्षित करने वाला । मध्ययुग के लेखों में इसी को "महाक्ष-पटलिक" कहा गया है (विजयचन्द्र का कमौली ताम्रपत्र)

आकराध्यक्ष—खान का निरीक्षक ।

अश्वाध्यक्ष—पुडसवारो का उच्च अधिकारी । पूर्व मध्ययुग के कमौली ताम्रपत्र अभिलेखों में 'भटाश्वपति' का नाम मिलता है जो पैदल तथा अश्वारोही टुकड़ी का अधीक्षक होता था । (गहड़वाल ताम्रपत्र)

आटविक—जंगली जातियों का मुख्य ।

आमात्य—सचिव, कुमारामात्य से तात्पर्य राजकुमार के सचिव से है जो राज्यपाल की सहायता करता था (कमौली ताम्रपत्र)

उपरिक— } प्रात का पति [वर्तमान राज्यपाल, गुप्त मुद्राओं के उपरिक महाराज]—
उपारिक— } वेशाली मुहर
 या जमीन नापने वाला

करणिक अथवा कारणिक—हिंसाव देखने वाला (वर्तमान मुनिव) ।

कार्यान्तिक—कारखाने का उच्च अधिकारी ।

कुप्याध्यक्ष—जंगल की पैदावार का निरीक्षक ।

करिनुरगपत्तनाकर स्थान विषय गोकुल प्रमुखाधिकार पुरुषान्—जिला का एक अधिकारी जो शहर के हाथी, घोड़े, गाय तथा कान का देख-रेख करता था (ए० इ० १४ पृ० १९४ भागलपुर ताम्रपत्र)

कुमारामात्य—प्रातपति का मंत्री । प्रातपति के पद पर कुमार नियुक्त किया जाता था अतएव मंत्री को कुमारामात्य कहा गया । गुप्त युग से ही लेखों तथा मुद्राओं में यह शब्द आता है । अतएव राजकुमार का मंत्री इसे मानना चाहिए । कुछ विद्वान् कुमार के सदृश इसका अधिकार समझते हैं ।

कोटपाल—दुर्ग का अधिकारी—मध्ययुग के लेखों में यह शब्द अधिकतर पाया जाता है । नालदा एवं भागलपुर ताम्रपत्र (इसका रूप मुसलिम युग में कोतवाल हो गया)

खासटपाकिक—खासटपाकिक (प्रयाग प्रशस्ति) राजकीय पाकशाला का अध्यक्ष ।

खोल—खालीमपुर ताम्रपत्र में प्रयुक्त । वास्तविक तात्पर्य अज्ञात है ।

गमागमिक—राजकीय आज्ञा को शीघ्र ले जाना तथा वापिस लेने वाला अधिकारी (खालीमपुर नालदा एवं भागलपुर ताम्रपत्र) ।

ग्रामपति—ग्राम का मुखिया (इसे महत्तर भी कहते थे) दोनों शब्द लेखों में एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । (भागलपुर लेख)

ग्रामिक— ग्राम के मुख्य पदाधिकारी—यह महत्तर से सर्वथा भिन्न कर्मचारी था । पाल लेखों में 'दश ग्रामिक' शब्द मिलता है । सम्भवतः वह राजकीय पदाधिकारी दस ग्रामों का प्रबंधक था । ग्रामपति से वह भिन्न व्यक्ति है ।

ग्रामकूट—मध्य युग के लेखों में अधिक प्रयुक्त है । यह ग्राम का कोई उच्च अधिकारी होगा ।

गोऽध्यक्ष—गाय का निरीक्षण राजकीय कार्य समझा जाता था । पशुधन की ओर भी शासक का ध्यान था । पाल लेखों से दूसरा शब्द "गोकुल प्रमुखाधिकारी" मिलता है । जिसका तात्पर्य वही है । गो का निरीक्षक ।

गोप—ग्राम का लेखा रखने वाला । यह ग्रामपति की सहायता किया करता था ।

गोप्ता—प्रातपति (सर्वेषु देशेषु विधाय गोप्तृन्) । स्कन्द का जूनागढ़ लेख ।

गोल्मिक या गुल्मिक—जंगल का अधिकारी, पाल ताम्रपत्रों में उल्लिखित ।

घाट—गुलिस का सिपाही (समस्त मध्ययुगो लेखों में)

चौराद्वारणिक—चोर को पकड़ने वाला तथा उसकी परीक्षा करने वाला । (खालीमपुर तथा नालंदा ताम्रपत्र)

ज्येष्ठकायस्थ—ताम्रपत्रों का लेखक कायस्थ कहलाता था । गावों का प्रमाण-पत्र रखने वाला । प्रथम कायस्थ शब्द भी दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में मिलता है ।

पलवाटक—मध्ययुग के लेख में ग्राम के आय-व्यय का लेखक ।

तारपति—नदियों के घाट का संस्कार करने वाला (नालंदा ताम्रपत्र)

तारिक—घाट का निरीक्षक या कर ग्रहण करने वाला । नारिक लेख में नहुषान के जामाता कृष्णभद्र ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि उसने नदियों के घाट पर टैक्स को माफ कर दिया था (नाना पुण्यतर-करण एतासा च नदीना) (पाल वंशों ताम्रपत्र में भी)

दण्डनायक—न्याय के विभाग का अधिकारी पिछले लेखों में 'महादण्ड नायक' शब्द आता है । गुप्त युग के भीटा लेख में "दण्डनायक श्री शकरदत्तस्य" का उल्लेख है ।

दण्डपाशिक या दण्डवाशिक { साधारण न्यायाधीश जो पुलिस कार्यों के सम्बन्ध में कार्य करता था (खालीमपुर, नालंदा तथा भागलपुर ताम्रपत्र)

दण्ड शक्ति या दाण्डिक—न्याय तथा दण्ड सम्बन्धी पदाधिकारी (खालीमपुर)

दशग्रामिक—ग्रामों के कार्यों का निरीक्षक ।

दशापराधिक—दश अपराधों के दण्ड (जुर्माना) को ग्रहण करने वाला । नालंदा तथा भागलपुर ताम्र पत्र ।

द्वीगिक—शहर का मुख्य अधिकारी ।

दूतक या दूत—राजदूत—पाल वंशों नालंदा ताम्रपत्र में या हर्षवर्धन के ताम्रपत्रों में दूतक का प्रयोग । वर्धन लेखों में वह महासामंत तथा महाराज पदवी से विभूषित है । (कमौली ताम्रपत्र से भी प्राप्त)

दूत षणिक—पाल प्रशस्तियों में दूतावास का प्रधान ।

दौहसाधसाधनिक—शाब्दिक अर्थ से यह प्रकट होता है कि कठिन कार्यों का करने वाला ।

वसाक ने इसे ग्राम का अधीक्षक माना है। (ए० इ० १३ पृ० ४३) वास्तविक अर्थ अज्ञात है। बंगाल के लेखों में अधिक प्रयुक्त है। “दोहसाधिक, महादूह-साधनिक या महादोह साधनिक” शब्द भी लेखों में आते हैं। पारजिटर साधनिक से जिलाधीश के बदले कार्य करने वाला कर्मचारी मानते थे। (इ० ए० १९१० पृ० २११) फरीदपुर ताम्रपत्र में जहाजरानी से सम्बन्धित शब्द है। सेन इसे पागल व्यक्तियों का निरीक्षक समझते हैं। (हिस्टारिकल इन्सक्रिप्शंस आफ बंगाल) अंतिम निर्णय करना कठिन है। लेखक के मत में यह नाम ग्राम के रक्षक को दिया जाता था। दुसाध जाति के लोग अधिकतर गावों में चौकीदार होते हैं। सम्भवतः इस पदवी के बिगडने से गाव का रक्षक दुसाध कहलाया और बाद में एक जाति बन गई (खालीमपुर तथा भागलपुर ताम्रपत्र)

धर्ममहापात्र—अशोक के पाचवें शिलालेख में इस पदाधिकारी का नाम है। वह राजकीय दान तथा धार्मिक कृत्यों का प्रबन्धक था। कन्नौज राजा विजयचन्द्र के कमौली ताम्रपत्र में ‘धर्माधिकारणिक’ उसी अर्थ में प्रयुक्त है।

धुवाधिकरण—भूमिकर का ग्रहण कर्ता।

नगराध्यक्ष—शहर का निरीक्षक।

नगर श्रेष्ठिन—व्यवसायी सभ का अध्यक्ष (दामोदरपुर ताम्रपत्र)।

नौकाध्यक्ष—जहाजरानी का प्रधान अधिकारी (खालीमपुर ताम्रपत्र)।

नेमित्तिक—पूर्वमध्य युग में राजदरवार का ज्योतिषी। वह यात्रा या भविष्य सम्बन्धी बातें (कहा करता था भविष्यवाणी) कमौली ताम्रपत्रों में।

परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर—शासक की पदवी (देववरनाक लेख)।

प्रतिहार—राजकीय महल का प्रबन्धक। पिछले लेखों में “महाप्रतिहार” से इसी का तात्पर्य समझना चाहिए।

प्रमातार—भूमि का मापक—(सर्वे करने वाला)

प्रमातृ—न्यायाधीश (नालदा ताम्रपत्र)।

प्रांतपाल—प्रदेश का राज्यपाल (स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ लेख)।

पुरोहित—पूर्वमध्य युग के लेखों में यह राजा के धार्मिक कृत्यों का करने वाला। यो तो वैदिक काल में पुरोहित का नाम आता है परन्तु पाचवीं सदी तक के लेखों में कम प्रयुक्त है (कमौली ताम्रपत्र)।

पुस्तपाल—प्रमाण पत्रों का संग्रह कर्ता। यह “अक्षपटलिक” का सहायक था (गुप्त लेख)।

बालाधिकृत—सेना का स्वामी ! “महाबलाधिकृत” सेना का सर्वोच्च अधिकारी। इसकी समता ‘सेनापति’ में क्रमशः किया जाता है।

बलध्यक्ष—सेना का छोटा अधिकारी (एक टुकड़ी का स्वामी) खालीमपुर ताम्रपत्र।

विनियुक्तक—विशेष कार्य के निमित्त नियुक्त अधिकारी। तदायुक्तक भी इसी से समता रखता है। सम्भवतः वह जिला के प्रबन्ध में सहायक था। आयुक्तक से राज्य के साधारण कार्य का निरीक्षक समझना चाहिए। (भागलपुर ताम्रपत्र)

विषयपति—जिलाधीश (खालीमपुर ताम्रपत्र)

विषय पुरुषान्—जिला के साधारण कर्मचारी

विषय व्यवहारिन—जिला का न्यायाधीश

भट—सेना का सिपाही (सैनिक) मध्ययुगी ताम्रपत्र

भोगपति—गुप्त तथा पाल लेखों में प्रातपति के लिए प्रयुक्त । खालीमपुर ताम्रपत्र

भण्डागारिक—सेना को सामग्री पहुँचाने वाला कर्मचारी इसे रण 'भण्डागारिक' भी कहते थे ।

भिषग—वैद्य-पाल लेखों में प्रयुक्त (कमौली ताम्रपत्रों में भी)

मन्त्री—आमात्य, केन्द्री सरकार से सम्बन्धित (वही)

महत्तर—गाव का मुखिया

महादण्डनायक

या

महादौह साधनिक

या

महामन्त्री

महादण्डनायक

महा महत्तर

महाक्षपटलिक

महा भाण्डागारिक

महा प्रमातार

महा प्रतिहार

इन पदाधिकारियों का उल्लेख 'महा' शब्द को छोड़ कर ऊपर किया गया है । मध्ययुग के लेखों में पदवियों को उच्च दिखलाने के लिए महा शब्द जोड़ दिया गया है परन्तु कार्य में समता है ।

पालवशी नालंदा तथा भागलपुर ताम्रपत्र तथा गहड़वाल नरेश विजयचन्द्र के कमौली ताम्रपत्र में उल्लिखित ।

महासेनापति—सेनापति के सदृश पद (कमौली ताम्रपत्र) ।

महामामत—सामत (अधीनस्थ राजा या शासक) के समान ही पद ।

महामात्र—प्रधान मंत्री

युक्त—साधारण अर्थ में सहयोगी-अशोक के लेख में धर्ममहामात्र के अधीनस्थ कर्मचारी कहा गया है । खालीमपुर ताम्रपत्र में युक्तक शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त है ।

राजराजानक,

राणक या

राज राजन्यक

पालवशीलेखों (खालीमपुर ताम्रपत्र) में यह पदविया अधीनस्थ सामत के लिए प्रयुक्त है । उसी वंश के मुंगेर दान पत्र में राणक शब्द उल्लिखित है । 'राज' भागलपुर ताम्रपत्र, तथा 'राज राजन्यक' बानगढ़ की प्रशस्ति में मिलता है । मध्ययुगी कमौली ताम्रपत्र में राजराजो का उल्लेख है इन सभी शब्दों का प्रयोग (छोटे शासक) के लिए है । शूलपाणी को राणक की पदवी दी गई है । देवपारा के अभिलेख में व्यापारिक सभ के मुख्य । सम्भवत आर्थिक क्षेत्र में सभी सामतों ने संघ तैयार कर लिया था ।

राजपुत्र—राजा का पुत्र यानी राजकुमार । प्राचीन समय में राजकुमार प्रान्त का स्वामी प्रान्तपति हुआ करता था । अशोक भी सम्राट् होने से पूर्व उज्जैन तथा तक्षशिला का राज्यपाल था । पूर्व मध्ययुग के लेखों में केन्द्रीय सरकार के पदाधि-

कारियों की सूची में राजपुत्र का उल्लेख मिलता है। सम्भवतः वह शासक की सहायता किया करता था। (पालवंशीखालीमपुर तथा नालंदा ताम्रपत्र में भी प्रयुक्त)

राजामात्य—राजा का मंत्री (केन्द्रीय प्रशासन में सम्बन्धित) पाल ताम्रपत्र

राजस्थानीय—बैदेशिक विभाग का मंत्री। (बही)

राजुक—प्रान्त का राज्यपाल। अशोक के शिलालेख में यह नाम मिलता है पर वास्तविक तात्पर्य विवादास्पद है।

रानी—राजा की पत्नी। किस पत्नी को रानी कहा जाता था यह कहना कठिन है। पट्टमहिषी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को रानी से सम्बोधित किया जाता होगा। पूर्व मध्ययुग के पदाधिकारियों की सूची में रानी का उल्लेख मिलता है।

लक्षणाध्यक्ष—सिक्को का अध्यक्ष (अर्थशास्त्र)

विनय स्थिति स्थापक—मध्ययुग के लेखों में यह पदवी धार्मिक कृत्य के प्रबंधक मंत्रियों के लिए प्रयुक्त मिलता है। अशोक के लेख में इसे 'धर्म महामात्र' कहा गया है।

सन्निधानृ—महल का देख-रेख करने वाला कर्मचारी। पिछले अभिलेखों में उसके स्थान पर पर प्रतिहार शब्द का प्रयोग मिलता है।

सामत—राजा के अधीनस्थ शासक। पूर्व मध्ययुग में इसे "महासामत" कहा गया है।

सार्यबाह—व्यापारिक सच का अगुआ जो विदेश में व्यापार करता था। दामोदरपुर ताम्रपत्र

सेनापति—सेना का प्रधान। "महा सेनापति" शब्द भी उसी के लिए प्रयुक्त मिलता है (कमोली ताम्रपत्र)

सन्धि विग्रहिक या महासन्धि विग्रहिक—युद्ध तथा संधि का निर्णय करनेवाला पदाधिकारी। समुद्र गुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में वर्णन आता है कि हर्षिपण संधि विग्रहिक के पश्चान् कुमारामात्य या महदण्डनायक के पदों पर कार्य करता रहा। चोदि नरेश कर्ण के बनारस ताम्रपत्र में भी उल्लिखित है।

षष्ठाधिकृत—इस शब्द का अर्थ है छठे भाग का स्वामी। यानी वह कर्मचारी राजकीय कर (छठे भाग) को वसूल करता था। यों तो साहित्य में इस बात का अत्यधिक प्रमाण है कि राजा पैदावार के छठे भाग को ग्रहण करता था, परन्तु लेखों में ऐसे पदाधिकारी का नाम केवल पालयुगी खालीमपुर ताम्रपत्र में मिलता है। अशोक के लुम्बिनी लेख में 'अठमभिण् च' (आठवें भाग) का उल्लेख आता है अशोक ने 'कर' को घटा कर आठवां भाग कर दिया। तात्पर्य यह है कि उससे अधिक राजकीय कर (छठा भाग) ग्रहण किया जाता था।

हस्तश्व गोमहिष्यबाविकाध्यक्ष—खालीमपुर तथा भागलपुर ताम्रपत्र में पाल युग के एक पदाधिकारी का नाम है वह पशु धन की देख-रेख करता था। हाथी, घोड़ा गो, भैंस, बकरी आदि का अध्यक्ष।

क्षत्रप—पश्चिम भारत (सौराष्ट्र, गुजरात मालवा) के शक राजा "क्षत्रप" पदवी से विभूषित किए गये थे। यह ईरानी पदवी क्षत्रपावन का विकृत रूप है। उसका संस्कृत रूप क्षत्रप है। प्राकृत में खतप मिलता है। क्षत्रप, महाक्षत्रप (स्वतंत्र शासक)

के अधीन सहायक के रूप में काम करता था। मुद्रा लेखों में यह पदविद्या सर्वत्र पाई गई है। काँ, तथा नासिक के गुहा लेख में नहपान क्षत्रप ही कहा गया है, परन्तु वह स्वतंत्र रूप में शासन करता था। [वैशाख मासे रात्रो क्षहरातस क्षत्रपस नहपानस] (नासिक गुहा) तथा खहरातस खतपस नहपानस (काले गुहा) मिलता है। जूनार गुहालेख में "महाखतपस सामिनहपानस" उत्कीर्ण है। (ए० इ० भा० ८ पृ० ८२) अतएव यह कहा नहीं जा सकता कि क्षत्रप परतंत्र शासक शक-नरेश की पदवी थी। महाक्षत्रप या क्षत्रप उपाधियों के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय करना कठिन है। दोनों पदविद्यां स्वतंत्र शासक के लिए उपयुक्त है। पर क्षत्रप मुद्रा लेखों से पता चलता है कि महाक्षत्रप, क्षत्रप में बड़ी उपाधि थी। किन्तु कनिष्क का अधीनस्थ राज्यपाल खरपल्लाना सारनाथ प्रतिमा लेख में 'महाक्षत्रप' कहा गया है।

क्षत्रप—पाल प्रशस्तियों में क्षेत्र का मापक इस पदवी से पृकारा जाता था। (भागलपुर ताम्रपत्र)

क्षेत्रपाल—सम्भवत क्षेत्रप के सदृश भूमि सम्बन्धी कार्यकर्ता। निरीक्षक। (वही)

प्राचीन साहित्य के अध्ययन से भागधुक (राजकीय कर को संग्रह करने वाला) तथा समाहर्ता (उपहार ग्रहण करने वाला) के नाम (रत्निन की सूची में) मिलते हैं। कृषक तथा पशुपालक से कर ग्रहण किया जाता था। वैदिक साहित्य में गाय तथा घोड़ों को कर स्वरूप में देने का विवरण है। अर्थशास्त्र तथा अभिलेखों में कर तथा घोटों को कर स्वरूप में देने का विवरण है। अर्थशास्त्र तथा सम्बन्धी चर्चा यूनानी लेखकों के वर्णन से पता लगता है कि पैदावार का पच्चीस फी सदी किसानों से 'कर' वसूल किया जाता था। जिसे अशोक ने रुमनदेई क्षेत्र के निवासियों के लिए कम कर दिया जाता था। स्मृतिकारों ने एक प्रकार के कर का उल्लेख किया है, जो वह आठ से तेतीस प्रतिशत कहा गया है। (मनु ८, १३०; गौतम १०, २४-२७, अर्थशास्त्र ५, २)। सम्भवत भूमि के उर्वरा होने के अनुसार ही कर में असमानता थी [धान्यानामष्टमो भाग पणोद्वादश एव वा-मनुस्मृति ७, १३०] प्राचीन समय में ब्राह्मण तथा मंदिर आदि संस्थाओं को दान देते समय भूमि का स्वामित्व भी राजा के पास न रह पाता था। ग्राम में अन्य व्यक्तियों की भूमि उन्हीं के पास रह जाती थी पर भूमि कर दान ग्राहकों को देना पड़ता था [यूय समुचित भाग भोग कर हिरण्यदि प्रत्यायोपनयन करिष्यथ आज्ञा श्रवणविधेयाश्च भविष्यथ—का० इ० इ० भा० ३ पृ० ११८, १२६, १३३; ए० इ० २ पृ ३०४, भा० १९ पृ० १५]

अभिलेखों का वर्गीकरण करते समय यह कहा जा चुका है कि अधिकतर लेख दान से सम्बन्ध रखते हैं और ईसवी सन् की छठी शताब्दी से ताम्रपत्रों में ऐसा विवरण पाया जाता है। इससे पूर्व सदियों में दान का वर्णन नहीं के बराबर है। जहाँ दान का उल्लेख है उस स्थान पर दानग्राही को कर से मुक्त करने का वर्णन है। अभिलेखों में विभिन्न कर के नाम यथास्थान मिलते हैं परन्तु उसकी मात्रा का ज्ञान छठी सदी पूर्व के लेखों से नहीं होता। केवल कर शब्द से ही सतोष करना पड़ता है।

अर्थ शास्त्रियों ने पैदावार का छठा भाग भूमि कर के रूप में ग्रहण का वर्णन किया

है। मौर्य काल में भी यही अनुपात रहा होगा केवल रुम्मनदेई (नेपाल तराई) भूभाग में अशोक ने राजकीय कर घटा आठवां भाग (अठभागिये च) कर दिया। ईसवी सन् की दूसरी सदी के लेख में (जुनागढ़ शिला लेख) महाक्षत्र रुद्रदामन ने स्पष्टतया उल्लेख किया है कि वह कर (भूमि-कर) तथा विष्टि (वेगार) से प्रजा का योडन नहीं करना चाहता था (अपोडमित्वा कर-विष्टि-प्रणयक्रियाभि.—ए० इ० भा० ८ पृ० ४२)। अर्थात् सुदर्शन झील में बाध को सुदृढ़ करने के लिए उसने अस्थायी कर नहीं लगाया और अपने कोश से ही उमका निर्माण किया था। सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र शातकर्णिक के नासिक लेख में सबक्षेत्र को कर मुक्त करने की बात कही गई है (एतस चस खेतस परिहार वितराम अथवा सवजात परिहारिक च) वासिष्ठी पुत्र पुलमावि के काले प्रशस्ति में “सकरोत् कर.सदेय मेय” —का उल्लेख किया गया है यानी उस भाग का राजकीय कर भी दान के साथ दानग्राही को सौंप दिया गया था (ए० इ० भा० ७ पृ० ६१)। उस नरेश ने अपने पिता को धर्मानुसार कर ग्रहण करने वाला शासक कहा है (धर्मापजित-कर-विनियोग-करस, नासिक लेख (ए० इ० भा० ८ पृ० ६०)। गुप्त युग के लेखों में भी केवल ‘कर’ शब्द का उल्लेख पाया जाता है। प्रयाग स्तम्भ लेख में वर्णन है कि सम्राट् समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के सामंतों को पराजित किया और दक्षिण के विजित शासक ‘कर’ देने के पश्चात् मुक्त कर दिए गए। (सर्वे कर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन परि-तोपित-प्रचण्ड-शासनस्य—प्रयागस्तम्भ लेख)।

गुप्तों के समकालीन दक्षिण के वाकाटक नरेशों ने प्रशस्तियों में किसी विशेष ‘कर’ का उल्लेख नहीं किया है। परन्तु द्वितीय प्रवरसेन का इंदौर ताम्रपत्र तथा प्रभावती गुप्ता क वाकाटक लेखों में ग्रहित ‘कर’ से मुक्त करने की चर्चा मिलती है। उम दान को अकरादायि (कर से रहित) अचगासन (उस भूमि में चरागाह नहीं रह सकता) अपशुमेध्य (उम भूमि में पशु यज्ञ नहीं हो सकता), अपुष्पक्षीर सदोह. (उस भूमि से पुष्प या दूध के रूप में ग्रहित कर नहीं लिया जायगा) अलवण क्लिणव क्रणि खनक (उस भूमि के में नमक खान नहीं निकाला जायगा या वहां शराव नहीं बनाया जा सकती) तथा अचटभट प्रावेश्य (जिस भूमि में सैनिक या सिपाही प्रवेश नहीं कर सकता) कह कर वर्णित किया गया है। जो भूमि दान में दी गई है उस क्षेत्र में खान से निकली सभी अमूल्य वस्तु (सोपनिधि) दानग्राही को मिलती थी और गड़े धन का मालिक (सनिधि) भी वही व्यक्ति समझा जाता था। (ए० इ० १५ पृ० ४१ तथा भा० २४ पृ० ५२ इ० हि० क्वा० भा० १६ पृ० १८२)

गुप्त युग के पश्चात् छठी सदी के विसाम, दामोदरपुर तथा फरीदपुर (बंगाल) के ताम्रपत्रों में स्पष्टतया उल्लेख मिलता है कि छोटा भाग ही राजकीय कर था। जिसे दानग्राही कर मुक्त था। जिन शब्दों में यह तात्पर्य निकाला जाता है—(धर्म परतायाति धर्मफलषड्भाग लाभ) उसे पारजिटर या वनाक ने राजकीय कर (छठे भाग) का अर्थ व्यक्त किया है। धर्मषड् भाग से राजा के छठे भाग का तात्पर्य है और राजा कर की तरह प्रजा के धर्म (पुण्य) का छोटा भाग भी ग्रहण करता था। पाल वशी खालीमपुर ताम्रपत्र में इस कर को वसूल करने वाला पदाधिकारी “पण्डाचिकृत” कहा गया है (सेन—बंगाल के अभिलेख स० १)। यानी दसवीं सदी तक पैदावर का छोटा भाग ही राजकीय कर समझा जाता था।

ताम्रपत्रों में दान की भूमि को सभी कर से मुक्त करने का वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन

के समय से विभिन्न करों (स्थायी या अस्थायी) के नाम मिलते हैं। भूमि-कर नकद या अन्न के रूप में दिया जाता था। कुछ अस्थायी कर थे और कुछ चुंगी या वेगार के रूप में ग्रहण किये जाते थे। संज्ञान ताम्रपत्र में निम्न लिखित करों के नाम उल्लिखित हैं।

भागकर—इससे राजकीय कर (छोटे भाग) का बोध होता है। कई लेखों में उदंग कह कर भी इसका अभिप्राय व्यक्त किया गया है। जातक में इस भाग लेने वाले को द्रोणमापक कहा गया है।

भोगकर—यह कर 'भाग' से भिन्न था। सम्भवतः स्थायी रूप में 'कर' को 'भाग' कहते थे और समयानुकूल भूमि जोतने पर कृषक को कर देना पड़ता था जिसे 'भोग' कह सकते हैं। 'उपरि' शब्द भी इसी तरह के कर का बोधक है।

सामान्य हिरण्य—इससे तात्पर्य यह था कि भूमि कर का कुल अंश धान्य तथा कुछ नकद के रूप में दिया जाता था। लेखों में हिरण्य राजकीय कर के लिए ही प्रयुक्त है (जहाँ नकद कर दिया जाता था)। गुर्जर प्रतिहार लेख में वर्णन आता है कि ग्राम के आय में ५०० टम मंदिर में दिए गए थे। (इ० ए० भा० १६ पृ० १८८) उड़ीसा के लेख (ए० इ० १२ पृ० २०) तथा दक्षिण की प्रशस्ति में भी नकद मिकका कर के निमित्त देने का विवरण है (सा० इ० ३० स० ४, ५) श्वेत कां पैदावार में राजा को कुछ सम्बन्ध न था। सभी लेखों में 'हिरण्य' का अधिक प्रयोग मिलता है।

हाटक—पालवणी दानपत्रों में इस शब्द से चुंगी का तात्पर्य समझा जाता है। हाटक (बाजार) में जो कर लिया जाय वह हाटक कहलाता था।

अचाटभट प्रावेश्य—इन शब्दों के प्रयोग से एक प्रकार के अस्थायी कर का बोध होता है जो ग्राम में मैजिक तथा पुलिस सिपाही (चाट भट) के प्रवेश करने पर ग्रामवासियों का देना पड़ता था। इसमें उनके भोजन सम्बन्धी व्यय सम्मिलित है। यह यदा कदा देना पड़ता था।

वशापराध—वलर्भा लेखों में इसका प्रयोग मिलता है। यह अस्थायी दण्ड था जो अपराधों से वसूल किया जाता था।

भूतवात प्रत्याय—बलभी तथा दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट लेखों में इस अस्थायी कर का उल्लेख मिलता है। भूतवात से सुरक्षित (आयात) तथा निर्यात वस्तुओं पर आरोपित कर का बोध होता है। कुछ विद्वान् इसे भूतप्रेत को हटाने के लिए लगाए टैक्स (कर) से तात्पर्य समझते हैं। स्यान् ग्राम में भूत तथा प्रेत की स्थिति से लोगों को भय बना हो जिसे हटाने के लिए पूजा-पाठ या तत्रमंत्र का प्रबन्ध था। उसी कार्य के व्यय को भूतवात कहते थे।

विष्टि-वेगार—जिस कार्य में मजदूरी न देना पड़े। जो गरीब व्यक्ति अस्थायी कर नहीं दे सकता वह वेगार देता था।

इस प्रकार स्थायी तथा अस्थायी कर के नाम विभिन्न लेखों में जाता है। सभी कर एक लेख में भी उल्लिखित हैं (ए० इ० १ पृ० ८८)

दानपत्रो मे 'निविधर्म' या 'भूमिछिद्रन्याय' शब्दो का प्रयोग स्थायी रूप में दान के लिए किया गया है। जो व्यक्ति बंजर भूमि को खोदकर उपजाऊ बना लेता, वह उसका स्थायी मालिक हो जाता था। भूमिछिद्रन्याय उसी अर्थ में प्रयुक्त है, यानी स्थायी स्वामित्व। समस्त कर दानग्राही ही वसूल करता था। उस भूमि से राजा को (दानकर्त्ता को) सभी प्रकार की आय से वंचित होना पड़ता था। राजा अपना स्वामित्व दानकर्त्ता को अर्पित कर देता। सम्भवतः कर्लिग मे इस तरह की दानप्रणाली का अभाव पाया जाता है। एक लेख मे 'कर-शासन' शब्द का प्रयोग मिलता है जिसका तात्पर्य यह है कि दानग्राही को उस भूमि का 'कर' राजकोश मे जमा करना आवश्यक था। (ए० इ० २९ पृ० १६७)



प्राचीन भारतीय अभिलेखों में वर्णित समाज

भारतीय समाज की सर्व प्रमुख संस्था को "वर्णाश्रम" कहते हैं जिसके आधार पर हिन्दू समाज अवलम्बित है। भारत के उन्नयन तथा गौरवमय जीवन का बहुत कुछ श्रेय इसी संस्था को है। इसके उत्पत्ति तथा विकास के प्रसंग में दो मत व्यक्त किए गए हैं—जीवविद्या तथा दार्शनिक। किसी भी पक्ष के विषय में विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि वैदिक कालीन वर्ण कालान्तर में जाति का बोधक हो गया। स्मृतियों में चार वर्णों के नाम मिलते हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जिसमें प्रथम तीन को 'द्विज' कहा गया है। भारतीय अभिलेखों का उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म का वर्णन वर्णाश्रम संस्था उपस्थित करना नहीं था। केवल शासन या दान के प्रसंग में दानग्राही की जाति आदि (वर्ण के नाम) उल्लिखित मिलते हैं।

मौर्य सम्राट् अशोक ने लेखों में यह विचार व्यक्त किया था कि समाज में ब्राह्मणों का दर्शन करना तथा दान देना श्रेयस्कर है [ब्राम्हण समणानं साधुदानं । ब्राम्हण समणानं संपटिपति, बाम्हण-समणानं दसणे च दाने । शिलालेख ३, ४, ८] दक्षिण भारत में मौर्य राजाओं के उत्तराधिकारी सातवाहन नरेश गर्व के साथ अपने को ब्राह्मण कहते थे। नासिक लेख में क्षत्रियो (शत्रु) के मान मर्दन का विवरण भी उपस्थित किया गया है। गौतमी पुत्र शातकर्ण अपने पुत्र पुलमावि के लेख में "एक ब्राम्हण" कहा गया है तथा "खतिय-दपमान मदनस" का उल्लेख भी उसी से सम्बन्धित है (नासिक गुहा लेख) उसके समकालीन क्षत्रप राजा नहुषान के लेखों में दान के प्रसंग में ब्राह्मण का नाम मिलता है। (देवान ब्राह्मणाना च कर्पापण सहस्राणि सतरि-दिन । देवताम्य ब्राह्मणम्य षोडश ग्राम देन (नासिक का लेख) इस प्रकार समाज में तथा दानग्राही के नाते लेखों में ब्राह्मणों का उल्लेख है। क्षत्रिय नाम भी युद्ध तथा अग्रहार देने के प्रसंग में उल्लिखित है। दूसरी सदी के महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख यह बतलाता है कि इसने क्षत्रियों में वीर यौधेयगण को पराजित किया था। इसी तरह गुप्त युग के एक लेख में तीनों वर्णों का उल्लेख मिलता है। इदौर (बुलदशहर, उत्तर प्रदेश) नामक स्थान से एक दान पात्र ब्राह्मण को भेंट किया गया जिसके दाता क्षत्रिय बशी अचल वर्म एवं भ्रुकुण्ड सिंह थे। ये दोनों व्यक्ति वैश्य वृत्ति से जीवन यापन करते थे। अतएव उस इदौर लेख में दान के प्रसंग में ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों के नाम मिलते हैं—

चातुर्विद्य सामान्य ब्राह्मण' ' ' ' 'राणायणीयो वर्षगण-सगोत्र इन्द्रापुरक वाणिग्म्या क्षत्रियाचल वर्म भ्रुकुण्डसिहम्याम् । (स्कन्द गुप्त का इदौर लेख)

गुप्तयुग के पश्चात् सम्भवतः वर्णाश्रम संस्था में कमजोरियाँ आने लगी थी इसीलिए पूर्व मध्य युग (७००-१२०० ई०) के लेखों में शासक का कर्तव्य समझा गया है कि समाज को समुचित रूप में स्थिर रखने के लिए वर्णाश्रम धर्म को रक्षा करें। गुप्तों के सामन्त सक्षोभ के सम्बन्ध में खोह ताम्रपत्र में "वर्णाश्रम धर्म स्थापना निरतेन परम भागवतेन' ' ' 'संज्ञोभेन"

वाक्य उल्लिखित है (का० इ० इ० ३ पृ० ११४) हर्षवर्धन के पिता प्रभाकरवर्धन के समक्ष यही समस्या थी अतएव वह इसकी रक्षा में दत्त चित्त से लगा रहा। ब्राह्मणों के ताम्रपत्र में उसे “वर्णाश्रम व्यवस्थापन प्रवृत्त” कहा गया है (ए० इ० ४ पृ० २१०) मौखारि नरेश अवन्ति वर्मन के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग मिलता है (ए० इ० २७ पृ० ६४) काम रूप के राजा भास्कर वर्मन के लेख में वर्णन आता है कि वर्णाश्रम संस्था (जो पूर्व काल में अव्यवस्थित थी) को उसने सुव्यवस्थित किया—

अवकीर्णं वर्णाश्रमधर्मं प्रविभागाय निर्मितो

(निघान पुर ताम्रपत्र ए० इ० १२ पृ० ७५)

११वीं सदी के राजा इन्द्रपाल ने वर्णाश्रम की मर्यादा स्थिर करने का प्रयत्न किया था—

सम्यग् विभक्त चतुराश्रम वर्णधर्मा

(गोहाटी ताम्रपत्र—ज० ए० सो० व० १८९७ पृ० १२५)

स्यात् पूर्व मध्यकाल में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था और समाज को सुस्थिर (विघटन न होने देना) रखना शासक का परम कर्तव्य था। यही कारण था कि बंगाल के बौद्ध-धर्मानुयायी पाल राजा भी वर्णाश्रम के व्यवस्था में प्रयत्नशील थे। वानगढ लेख में (ए० इ० १४ पृ० ३२५) उन्हें ‘मर्यादा परिपालनैक निरत’ कहा गया है तथा निम्न वाक्य भी प्रयुक्त है—

वर्णानां प्रतिष्ठापयता स्वधर्मं

(६० ए० २१ पृ० २५५)

पालवंशी आमागाही लेख में तृतीय विग्रहपाल चारों वर्णों का संश्लोक कहा गया है—चातुर्वर्ण्यं समाश्रम (वही पृ० ९९)। इसी के सदृश उड़ीसा का राजा क्षेमेनकर “वर्णाश्रम परमोपासक” पदवी से विभूषित है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि समाज को विघटन से बचाने के लिए शासकों ने वर्णाश्रम धर्म (पालन करने के निमित्त) का समादर करने की आज्ञा प्रकाशित की। गुप्त युग से पूर्व विदेशी आक्रमणकारी भारतीय समाज में विलीन हो गए। ७वीं सदी में ईस्लाम का आगमन भारत में हुआ और भारतीय समाज के सामने जटिल समस्या उपस्थित थी। वर्णाश्रम का पालन स्यात् उसके समाधान का एक मार्ग समझा गया और राजाओं ने उसके लिए आज्ञाएं प्रसारित की (वे स्वयं भी सतर्क थे)। चहमान राजा के सिवालिक स्तम्भ लेख में म्लेच्छों से पृथक् रहने का बात कही गई है। (ए० इ० १९ पृ० २१५) मेघातिथि ने भी (मनु २, २३) ऊपर लिखित विचार का समर्थन किया है। उसने मनुस्मृति की टीका में लिखा है कि क्षत्रिय राजा को चातुर्वर्ण्य की स्थापना में सलग्न रहना चाहिए—

यदि कश्चित्क्षत्रियादि जातीयो राजा साध्वाचरणो मेल्लान् पराजयेत् चातुर्वर्ण्यं वासयेत् ।

जैसा कहा गया है कि मध्य युग के प्रशस्तिकार चातुर्वर्ण्य का उल्लेख करते रहे परन्तु अभिलेखों में एक पंचम वर्ण-चाण्डाल-का भी नाम मिलता है। दान पत्रों में ग्राम सम्बन्धी बार्ता में “ब्राह्मण चण्डाल पर्यन्त” शब्दों का उल्लेख है यानी चार वर्ण तथा चाण्डाल वही निवास करते थे। स्मृतियों में भी उस पंचम वर्ण (अत्यन्ज) का वर्णन मिलता है जो अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुए थे। उस युग में कार्य तथा स्थान के कारण भी जातियों

में विभेद हो गया जिसके नाम लेख में मिलते हैं। यो तो अलबेरूनी ने सोलह, इब्न खुर्दज्बा सात तथा कल्हण ने चौसठ जातियों का वर्णन किया है जो यह प्रकट करता है कि पूर्वमध्य युग में (७००-१२०० ई०) पाच वर्णों से सम्बन्धित अनेक जातिया प्रसिद्ध हो गई थीं।

ब्राह्मण अपनी विद्वत्ता, शुद्ध आचरण तथा व्यवहार कुशलता के लिए चारो वर्णों में श्रेष्ठ माने गए हैं। तीनों वर्ण इनके प्रदर्शित मार्ग पर चलते थे। त्रयो वर्णा ब्राह्मणस्य वशे वर्तेरन् तेवा ब्राह्मणो धर्मान् प्रब्रूयात् (वशिष्ठ १।१०।४१)। गुप्त युग से पूर्व ब्राह्मणों को स्थिति के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। गुप्तकाल में ब्राह्मणों का आदर तथा सम्मान था। छठी सदी के पश्चात् भी ब्राह्मण विद्या में अग्रणी थे, इसीलिए पूर्व मध्यकाल की ग्रन्थियों में उनके कुल के साथ विद्या की भी चर्चा की गई है। दान सम्बन्धी वर्णन तथा समाज में उनका स्थिति में कुछ अन्तर दोख पड़ता है। मध्ययुग में ब्राह्मणों की इतना उप-जातिया तथा जीविका के साधन हो गए थे कि समाज में प्राचीन श्रेष्ठता स्थायी न रह सकी। क्षत्रिय समाज में अगुआ हो गए और उनके आदेशानुसार ब्राह्मण कार्य करने लगे। यद्यपि साहित्य में पचगौड का उल्लेख है परन्तु अभिलेखों में कान्यकुब्ज, मैथिल तथा सरयूपारी के नाम उल्लिखित हैं। ब्राह्मणों के उपनाम स्थानीय आधार पर (Territorial Basis) स्थिर किया गया था। कन्नौज के कान्य-कुब्ज, बंगाल के गौड (गौड स्थान का भी नाम था) मैथिला के मैथिल, सरस्वती घाटी के निवासी सारस्वत तथा उड़ीसा (उत्कल) के ब्राह्मण पाचवे स्थान पर थे। लेखों में जहाँ ब्राह्मण के बहिर्गमन का वर्णन है वहाँ कान्यकुब्ज का नाम सर्व प्रथम आता है। आसाम में मैथिलों के (ए० इ० ८ पृ० ९२) तथा गौड, ब्राह्मण (ए० इ० २६ पृ० २६३) के आगमन का विवरण लेखों में मिलता है। गहड़वाल नरेशों के गोरखपुर के लेख में सरयूपारी ब्राह्मण का उल्लेख है (गोविन्दचन्द्र देव का पाली ताम्रपत्र-ए० ई० ५ पृ० ११४) पचगौड के अतिरिक्त शाकद्वीपी (जिनका नाम मग भी था) ब्राह्मण का वर्णन गोविन्दपुर के लेख (ए० इ० २ पृ० ३३३) में स्पष्ट रूप से किया गया है। शकद्वीप से आने के कारण वे शाकद्वीपी कहलाए तथा इनका सबध ईरान के मग (मजियन) से बतलाया जाता है। ये सूर्य के पुजारी तथा तान्त्रिक भी माने जाते हैं (मग स अग्नेजो का शब्द मैजिक बना है)—शाकद्वीपम्य दुग्धाम्बु निधि बलयितो यत्र त्रिप्रे मगाख्या (वही)। इस प्रकार उत्तरी भारत में ब्राह्मण छ विभागों में विभक्त थे और पृथक-पृथक नाम से विख्यात थे।

भारत में छठी सदी के पश्चात् गौत्र तथा वैदिक शाखा के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण हुआ था। जिसकी चर्चा प्रायः प्रत्येक दानपत्र में मिलती है। हर्ष के बासखेड़ा ताम्रपत्र (ई० स० ६२८) में दानग्राही के भारद्वाज गौत्र तथा वह-ब्राह्मणों का वर्गीकरण वृच शाखा का उल्लेख है। शशाक के ताम्रपत्र में भी भारद्वाज गौत्र का नाम है। वाकाटक द्वितीय प्रवरसेन के लेख में पराशर गौत्र तथा तैत्तरीय शाखा के ब्राह्मणों का दान का उल्लेख है। चमक प्रशस्ति में "नान्त गौत्र चरणोम्य. ब्राह्मणोम्य सहध्याय दत्त." वाक्य इस बात को पुष्ट करता है कि शाखा के अनुसार ब्राह्मणों का वर्गीकरण किया गया था। इस लेख के अन्त में पराशर, काश्यप, कौण्डिन्य, भारद्वाज, (दस ब्राह्मण) तथा गौतम गौत्रवाले ब्राह्मणों के नाम उल्लिखित हैं। दक्षिण भारत के संज्ञान अभिलेख

में भारद्वाज तथा वाजसनेय शाखा के ब्राह्मण का वर्णन मिलता है। १२ वीं सदी के चन्द्रावती ताम्रपत्र में जो क्रम है (यानी गोत्र तथा शाखा का नाम) उसी को लेकर उपजातियां बनती गईं। उस लेख में पांचसी ब्राह्मणों के नाम आते हैं और "नाना गोत्रेभ्यश्चतुश्चरणचतुःश्रुति पाठकेभ्यः पंच शत सख्येभ्यः ब्राह्मणेभ्यो" (ए० इ० १४ पृ० २०२) वाक्य द्वारा उन्हें पृथक् पृथक् बतलाया गया है। चन्देल राजा परमर्दि के सेमरा लेखमें पंतीस गोत्र के नाम मिलते हैं (ए० इ० ४ पृ० ११५-६) अत्रि वाध्नव्य, बन्धुलवशिष्ठ, वत्स, विष्णुवृद्ध आदि के परीक्षण से पता लगता है कि काश्यप तथा भारद्वाज गोत्र अधिक लोक प्रिय थे। चन्द्रावती तथा कलहा दानपत्रों में अधिक गोत्रों का उल्लेख है (ए० इ० १४ पृ० ८७) कात्यायन, काश्यप — सावर्ण तथा शान्दिल्य। कन्व, गालव, पीपलाद, दर्भ आश्रय (ए० इ० १४ पृ० २०२) वर्तमान समय में भी यही गोत्र समाज में प्रचलित हैं। इसी प्रकार शाखा के सम्बन्ध में भी विवरण मिलता है। पूर्व मध्यकाल में (७००-१२०० ई०) जो ब्राह्मण जिस वैदिक शाखा का अध्ययन करता था उसी से वह प्रसिद्ध था और अन्य ब्राह्मणों से पृथक् हो जाता था। दानग्राही के साथ वैदिक शाखा का उल्लेख परमावश्यक था। फरीदपुर ताम्रपत्र (बगाल) में वाजसनेय शाखा तथा षडङ्गाध्यायिन ब्राह्मण का उल्लेख है। कलहा ताम्रपत्र (गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) में छादोग्य, वाजसनेय तथा माध्यन्दिन शाखाध्यायी ब्राह्मणों को दान देने का वर्णन मिलता है (ए० इ० ७ पृ० ८७) दूसरे लेखों में आश्वलायन, शाखायन (ऋग्वेद) कौथुम, राणायनीय (सामवेद) तथा कठ (कृष्ण यजुर्वेद) शाखाओं के नामोल्लेख के साथ वर्णन मिलता है कि दानग्राही इन वैदिक शाखाओं का पण्डित था (ए० इ० ९ पृ० ११६)। मालवा की प्रशस्ति में तीन ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है जिनका निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया (ए० इ० ९ पृ० ११५) था।

- | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|
| (१) माध्यन्दिन (शु० यजुर्वेद) | शाखा का | ब्राह्मण |
| (२) आश्वलायन (ऋग्वेद) | " | " |
| (३) कौथुम (सामवेद) | " | " |

कन्नौज शामक भोज के दौलतपुर दानपत्र में ऋग्वेद के आश्वलायन शाखा तथा गहड़वाल नरेश गोविन्द चन्द्रदेव के लेख में वाजसनेय (यजुर्वेद) तथा शाखायन (ऋग्वेद) शाखाओं के नाम मिलते हैं (ए० इ० ३ पृ० २१२ तथा वही ८ पृ० १५४-६)। पाल नरेश देवपाल के शासन में आश्वलायन तथा कौथुमी शाखाओं के पण्डित ब्राह्मणों को दान दिया गया था (ए० इ० २१ पृ० २५५, ए० इ० १५ पृ० २९५) सेनवंशी शामक बल्लालमेन की समस्त प्रशस्तियों में तथा लक्ष्मणमेन की दो पशस्तियों में वैदिक शाखा के आधार पर ब्राह्मण पृथक्-पृथक् वर्णित हैं—(नईहट्टी, गोविन्दपुर, तरफन्डीहो, मर्धनगर और दीनाजपुर लेख) निधानपुर के ताम्रपत्र में एक सौ उनईस ब्राह्मणों को शाखाओं के आधार पर अनेक वर्ग में विभाजित किया गया है। ११९ गे ५६ वाजसनेय शाखा, ११ छान्दोग्य शाखा, ३८ बहुवृच शाखा और शेष तैत्तरीय शाखा के ब्राह्मण कहे गए हैं (ए० इ० १९ पृ० ११८) अतएव सक्षेप में यह कहना पर्याप्त होगा कि गोत्र तथा वैदिक शाखा के आधार पर उचित रीति से ब्राह्मणों का वर्गीकरण किया गया था। कालान्तर में इससे उपजातियां बनती गईं।

ये तो धर्मग्रन्थों में ब्राह्मणों के लिए पट्कर्म (यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान

एवं प्रतिग्रह) का वर्णन मिलता है तथा पूर्व मध्यकालीन लेख में (ए० इ० १ पृ १४६-षट्-
कर्मभिरता ब्राह्मणा, ए० इ० १ पृ० १२८-षट्कर्मभिरताय ब्राह्म-
ब्राह्मणो का जीविका पाय आदि) भी उन्ही छ कर्मोंका उल्लेख है परन्तु ब्राह्मणो को
साधन इन कार्यों के अतिरिक्त अन्य साधन भी ढूँढने पड़े। विशेषकर मंदिरों
में पुजारी का काम करने लगे जिसका अत्यधिक विवरण गृहडवाल,
प्रतिहार, परमार, कलचुरि, पाल तथा सेनवंश की प्रशस्तियों में मिलना है। पूजा के अति-
रिक्त पुरोहित मंदिर के प्रबन्ध की देख-रेख करता था। मंदिरों में वह कथावाचक (चहमान
लेख-ए० इ० ११ पृ० ४५) का भी कार्य करता था। राजघराने में ज्योतिषो के कार्य निमित्त
ब्राह्मणो को ही बुलाया जाता था। इन सभी कार्यों को सम्पन्न कर ब्राह्मण मंत्री तथा सेनापति
के ऊँचे पद को भी सुशोभित करता था। (ए० इ० १ पृ० २२२, भा० १५ पृ० २०५, भा०
४ पृ० १५८—'ब्राह्मण सेनापति मदनपाल शर्मन' का उल्लेख पाता जाता है। सेना में मृत्यु हो
जाने पर ब्राह्मण के परिवार को राजा "मृत्युक वृत्ति" दिया जाता था (ए० इ० १६
पृ० २७२)। इस तरह क्षत्रिय वर्ग के कार्य को अपना कर वह जोविकोपार्जन करने लगा।

पाल प्रशस्तियों में नारायणपाल के ब्राह्मण मंत्री गुरुव मिश्र तथा गर्ग मिश्र के नाम
मिलते हैं जिन्होंने विद्या तथा कार्यकुशलता के कारण ही मंत्री पद को सुशोभित किया था (ए.
इ. २ पृ १६०) एसी तरह दर्भपाणि तथा केदार मिश्र के नाम वर्णित हैं जो क्रमशः देवपाल
तथा सुरपाल के मंत्री थे। गृहडवाल राजा गोविन्दचन्द्र के प्रधान मंत्री भट्ट लक्ष्मीधर का नाम
गर्व के साथ लिया जा सकता है जिसने 'क्रिया-कल्प-तरु' नामक निबन्ध की रचना की थी
(गा० ओ० सी० न १०० पृ १०) इसकी समता विजयनगर के राजा बुक्क के मंत्री सायण
तथा माधव से को जा सकती है। पूर्व मध्यकालीन लेखों में वर्णन है कि ब्राह्मण कृषि कर्म भी
करते थे। स्यात् वह आपतधर्म था। परन्तु दानपत्रों में "भुञ्जामानस्य कर्पतात कर्षयतो"
ऐसा उल्लेख मिलता है (ए इ २० पृ. २०८) धरसेन के बलभी ताम्रपत्र में देवविहार
स्थित्या भुजत कृपत कर्षयन् वाक्य प्रयुक्त है। कर्षयत शब्द से हल जोतने का तात्पर्य है।
राजपुताना के एक लेख में ऐसा वर्णन आया है कि राजा ने ब्राह्मणों से कृषि-कर्म त्यागने की
प्रार्थना की और वेदाध्ययन में समय व्यतीत करने का आग्रह किया।

यो विप्रान् मितान् हलि कलयत काश्चैन वृतेरल वेद सागम पाठयत् कलिगल ग्रस्ते धात्रीतले
(ए० इ० २१ पृ० २७८-८२) इसका कारण यह हो सकता है कि स्मृतिकार पराशर ने
आपतधर्म में कृषि के लिए आदेश दिया है—षट्कर्म भिरतो विप्र कृषिकर्म च कारयेत्। स्यात्
मध्य युग में ब्राह्मणों को षट्कर्म के अतिरिक्त अन्य साधन का अवलम्बन करना आवश्यक हो
गया था।

ईसवी सन् की सातवी सदी के पश्चात् उत्तर पश्चिम से इस्लाम आक्रमण के कारण
मध्यदेश (गंगा यमुना घाटी) में ब्राह्मणों का निवास कष्टकर हो गया और अनेक विभिन्न
स्थानों को चले गए। ब्राह्मणों का देशान्तर गमन मध्ययुग की विशेष घटना है
जिसका वर्णन केवल प्रशस्तियों में ही पाया जाता है। स्मृतियों में इसका वर्णन
नहीं है। मध्यदेश के ब्राह्मणों को सर्वत्र समादर मिला और राजाओं ने दान
देकर उन्हें निवास के लिए आग्रह किया। बंगाल के पाल राजाओं ने आगुन्तक

ब्राह्मणों का
देशान्तर गमन

ब्राह्मणों को दान दिया जिसका उल्लेख बदल स्तम्भ तथा आमागछी लेखों में है (ए० ६० २ पृ० १८०, ६० ए० १४ पृ० १६६, २१ पृ० ९७) लक्ष्मणसेन के सात लेखों में देशान्तर गमन करने वाले ब्राह्मणों को दान देने का विवरण उपलब्ध है (वैरकपुर नईहटी, गोविन्दपुर, तर-पंडोही, अनुलिया, मधेनगर, सुन्दरवन आदि) अधिकतर बगाल के लेखों में "मध्यदेश विनिर्गत" (मध्यप्रदेश से देशान्तर गमन) वाक्य का उल्लेख है। वनगाँव (सहारसा, बिहार) के लेख में छादोग्य शाखा ब्रह्मचारी को दान देने का वर्णन है जो कान्यकुब्ज से आया था। विभ्रहपाल के लेख में तो कोलञ्ज (कन्नौज) से बगाल में जाने वाले (देशान्तर गामी) ब्राह्मणों का वर्णन है (ए ६. २९ पृ ५६) तथा महीपाल के लेख में हस्तिपाद (मध्यदेश) ग्राम का नामोल्लेख है जहाँ से ब्राह्मण बगाल गए। परमार राजा द्वितीय वाकपति के प्रशस्ति में छबीस ब्राह्मण के नाम मिलते हैं जो विभिन्न स्थानों से आकर मालवा में बस गए थे। उन स्थानों में मध्यदश (सम्भवत कन्नौज) तथा मझबली (देवरिया, उत्तर प्रदेश) के नाम प्रमुख हैं। कान्यकुब्ज तथा सरयूपार में ब्राह्मणों ने मालवा में शरण ली, वहाँ बस गए और दानपाही के रूप में प्रतिष्ठित रहे। ९० वीं सदी में बगाल के अतिरिक्त मालवा में ब्राह्मणों का गमन जीविका के लिए हुआ। छठी सदी के पश्चात् उत्तरी भारत में कन्नौज प्राचीन पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर चुका था जिसके विजय निमित्त शासकगण युद्ध करते रहे। वहाँ के निवासी ब्राह्मणों को भी उस स्थान का गर्व था और जहाँ भी देशान्तर गमन किया, वहाँ के लेख में "मध्यदेश विनिर्गत ब्राह्मण" के नाम से विख्यात रहे। विद्वानों का विश्वास है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मणों ने ही बगाल में 'कुलीन प्रथा' का आरम्भ किया।

दक्षिण भारत में आर्य देश या मध्यदेश से ब्राह्मणों के जाने की वार्ता वर्णित है (सा० ६० ६० भा० २ म० २०) प्रथमराजेन्द्र चोल ने इस प्रकार देशान्तर से गमन करने वाले तंजौर मंदिर के पुजारियों को पर्याप्त दान दिया था।

गुप्त युग में पूर्व अभिलेखों में विभिन्न जातियों के नाम प्रायः नहीं मिलते। स्कन्द गुप्त के इन्दौर वाले लेख में द्वां क्षत्रिय व्यक्तियों के नाम-अचलवर्म तथा भ्रुकुण्डसिंह दान के प्रसंग में मिलते हैं। सातवीं सदी से शासन सम्बन्धी अभिलेखों में क्षत्रिय का नाम **क्षत्रिय** आता है जो राजनीतिक परिस्थिति के कारण समाज में अग्रणी हो गए थे और ब्राह्मणों को भी उनके आदेशानुसार कार्य करना पड़ता था। अलवेहनी के कथानुसार क्षत्रियों को भी ब्राह्मण के सदृश मृत्युदण्ड नहीं दिया जाता था। पूर्व मध्य युग में क्षत्रियों के लिए 'राजपूत' शब्द का प्रयोग मिलता है और उनके निवास भूमि को राजपुताना कहा गया। बंगाल के लेखों में वर्णन मिलता है कि शासक राजपुत्र (राजपूत) वंश में उत्पन्न हुए थे (ए० ६० १८ पृ० १५९, ३० ए० भा० १५ पृ० ३०८) ऐसा वर्णन प्रायः उत्तरी भारत के सभी राजवंशों के लेखों में पाया जाता है। प्रशस्तियों में वर्णित पदाधिकारियों की सूची में युवराज राजपुत्र कहा गया है यानी वह क्षत्रिय जाति का वंशज था (सोडदेव का कलहा ताग्रपत्र-ए० ६० ७ पृ० ८५) राजपूत का उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा और कुछ विद्वानों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि राजपूत प्राचीन क्षत्रिय के वंशज नहीं हैं। राजपूतों को अग्निकुल से उत्पन्न बतलाया जाता है। राजपूत नरेशों के अभिलेखों का अध्ययन सिद्ध करता है कि वे सभी प्राचीन क्षत्रिय वर्ण के वंशज हैं।

इस युग में राजपूत दो उपविभाग में विभक्त हो गए। (१) शासक (२) साधारण क्षत्रिय वर्ग। शासकों की श्रेणी में कुछ विदेशी भी सम्मिलित हो गए थे। जिनका वैवाहिक सम्बन्ध राजघराने में होने लगा था। कलचुरी लेख (ए० इ० २ पृ० ४) में वर्णन आता है कि हंग राजकुमारी अबल्लदेवी का विवाह चेदि राजा कर्ण से हुआ। इन्हीं कारणों से समाज में विदेशी हूण का आदर होने लगा। मेवाड़ के (१५३ ई०) एक लेख में मंदिर प्रबन्ध समिति का हूण सरदार भी सदस्य था और ऊँचे वर्ग में समादार पाता था (इ० ए० ५८ पृ० १६१) साधारण श्रेणियों के राजपूत नैनिक का कार्य करते थे। चन्देल शासक की ओर से युद्ध में मारे जाने पर नैनिक के परिवार को वृत्ति (मृत्युक-वृत्ति) दी गई थी। वर्णन निम्न प्रकार है—तुरुक युद्धमृत पाये पुत्राय सामन्त नाम्ने प्रसादेन मृत्युक वृत्तौ शासन कृत्वा प्रदत्त इति (ए० इ० १६ पृ० २७५) दक्षिण भारत में इस वृत्ति को नेस्तर गोडगे (खून का दान) कहा गया है। चन्देल तथा महडवाल लेखों में इस प्रकार की अनेक वृत्ति का विवरण पाया जाता है। (इ० ए० १८ पृ० १३५) चन्देल नरेश परमदि ने नैनिकों को बहादुरी के लिए 'वीरमुख्य' की उपाधि दी थी और तगमा (राजपट्ट) भी दिया गया (ए० इ० ४ पृ० १३१, भा० २ पृ० ३४४ भा० १ पृ० ३३३)।

राजकीय अभिलेखों के अध्ययन से प्रकट होता है कि उस समय (७००-१२०० ई० तक) राजकुमार को कुशल शासक बनने के निमित्त समुचित ढंग से शिक्षा दी जाती थी जिसका आभास राजाओं के शारत्रीय गुणों से होता है। मालवा के चहमान लेख में निम्न प्रकार का वर्णन आता है—

वक्तृत्वो च कवित्वं तर्क कलन प्रजात शास्त्रागमः

श्री मद्भाक्पति राजदेव इति यः सद्भिः सदा कीर्त्यते ।

(ए० इ० १ पृ० २३५)

प्रतिहार लेख में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है —

व्याकरणं तर्को ज्योतिशास्त्रं कलाचित

सर्वं भाषा कवित्वं च विज्ञान सुविलक्षणम् ।

(ए० इ० १८ पृ० ९६)

इस प्रकार के उल्लेख कई स्थानों में मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि समाज में क्षत्रिय वर्ग की शिक्षा तथा शासन के कारण आदर था। वही शासक तथा समाज के रक्षक थे।

स्मृतिकारों के कथनानुसार वैश्य का द्विज में तीसरा स्थान था जिनका कार्य कृषि तथा पशु पालन बतलाया गया है (वाणिज्य कर्षणं चैव गवा च परिपालनम्-अत्रि) गुप्त युग के पश्चात् भारतीय लेखों में दान के प्रसंग में कृषि, कर, पशु, व्यापारिक चुगी आदि का वर्णन आया है। अग्रहार भूमि में बाजार आदि की चुगी दानग्राही को ही मिलती थी। 'वणिक्' शब्द का ही प्रयोग वैश्य वर्ग के लिए प्रायः सर्वत्र लेखों में किया गया है। कुम्भकार, ताम्बूलिक, स्वर्णकार (हँसकार) माली आदि के नाम मिलते हैं। सुनार लेख अंकित करता तथा माली पूष माला देवगृह में अर्पित करता था। तमोली तथा तेली (तेलिक श्रेणी) कर देते समय क्रमशः पूजा की सामग्री-पान या दीप के लिए तेल दिया करते थे। सियादोनी लेख में इन सभी प्रकार के वणिक् लोगों

के नाम मिलते हैं। (ए० इ० १ पृ० १७५, भा० १९ पृ० ५७, भा० १८ पृ० ९७, भा० १ पृ० १६०) व्यापार के अनुसार वणिक् श्रेणियों में विभाजित थे। स्थानीय व्यापारी (वणिक्) घोड़े या बैल के पीठ पर ममान बाजार में ले जाता। किराना के व्यापारों का भी उल्लेख मिलता है (ए० इ० ११ पृ० ४३) विदेश जाने वाले वणिक् को 'सार्ध'वाह, कहा गया है वही कारवा ले चला करते थे (उभयमाग्रीव समायात सार्ध उट्ट १० वृष २० उभयादापि उट्टे सार्ध प्रति-ए० इ० ११ पृ० ६०)

अभिलेखों में तेल के कारखाना (मिल) चलाने वाले वणिक् वर्ग का उल्लेख है। उनका उद्योग बड़े पैमाने पर चलता था। दान के प्रसंग में वर्णन आता है कि रथयात्रा के समय कारखाने से पूजा निमित्त द्रव्य दिया जाता और प्रत्येक मिल (घाणक) में दीपार्थ तेल अर्पित किया जाता था। (ए० इ० १ पृ० १७७, भा० ११ पृ० ४२)

वैश्य वर्ग को व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धों 'कर' देना पड़ता था। 'कर' की सीमा सामग्री या तोड़ पर निश्चित की जाती थी। मिक्का, दो सिकका या अधिक द्रव्य विभिन्न सामग्री तथा उनकी तोल पर वसूल किया जाता। उनका वर्णन परमार चामण्ट राय के लघु (ए० इ० २१ पृ० ४८) तथा चहमान अभिलेख (ए० इ० भा० ११ पृ० ८३) में मिलता है। इस प्रकार वणिक् जाति व्यापार से जीविकोपार्जन करती थी। लेखा में आवागमन के साधनों में बैलगाड़ी, ऊँट, घोड़ा तथा नाव के नाम उल्लिखित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन भारतीय अभिलेखों के परिशीलन में वणिक्, व्यापार-सामग्री, टैक्स, आवागमन के साधन आदि सम्बन्धित विषयों पर प्रकाश पड़ता है। सबसे विचित्र बात यह है कि वणिक् वर्ग का धमूह (जिसे श्रेणी कहते थे) बैंक का भी कार्य करता था (नासिक के लेख)। समाज में दान देने के कारण वणिक् वर्ग का आदर था। वे मदिग-प्रबन्ध-समिति या जिला शासन-समिति के सदस्य चुन लिए जाते थे जो उनके आदर का द्योतक है। उनके समूह (श्रेणी) पर जनता का इतना अधिक विश्वास था कि सर्व साधारण धन श्रेणी-बैंक में जमा करते रहे अथवा दान का धन बैंक में जमा रहता जिसकी मूद से पूजा का कार्य सम्पन्न किया जाता था।

पूर्वमध्यकालीन अभिलेखों के अध्ययन में भारतीय समाज में 'कायस्थ' नामक जाति की स्थिति का परिज्ञान होता है जिसका नाम चारों वर्णों में नहीं मिलता (चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रिय विट्शूद्रा) धर्मशास्त्र तथा पूर्व के लेखों में कायस्थ कायस्थ एक लेखक के रूप में वर्णित है (कायस्थगणका लेखकाश्च-मिताक्षरा याज्ञ० १।३३५)। प्रायः प्रशस्ति के अन्त में 'कायस्थेन लिखितं' वाक्य का प्रयोग मिलता है। गुप्तकालीन दामोदर पुर ताण्डवों में प्रथम कायस्थ अथवा ज्येष्ठ कायस्थ का नाम आता है (ए० इ० १५) जिसे श्री राखाल दास बेंजो लेखक समझते हैं (दि एज आफ इम्पीरियल गुप्त पृ० ८०)। तात्पर्य यह है कि गुप्त पूर्व लेखों में कायस्थ से किसी जाति विशेष का बोध नहीं होता पर लखको के समूह को कायस्थ वर्ग मानते रहे। कालान्तर में वह जाति के रूप में परिणित हो गया। राजपूत लेखों में भी 'कायस्थ' लेखक के लिए प्रयुक्त है। गहड़वाल प्रशस्ति में निम्न उल्लेख है—श्रीमद् गोविन्द चन्द्रस्य भूपते-राज्यालिखित ताम्रमेतत् सुरादित्य. कायस्थ सर्वशास्त्रवित (सहेतमहेत लेख-ए० इ० ११ पृ० २५) परन्तु मध्यकालीन (चन्देल, चँदि तथा चहमान) प्रशस्तियों में "कायस्थ जातीय"

(ए० इ० ११ पृ० ५३) का भी उल्लेख है। बंगाल से गौड कायस्थ का अधिक वर्णन मिलता है जो प्रशस्ति लिखने में दक्ष थे और सुन्दर अक्षर लिखने के कारण मध्यप्रदेश तथा राजपूताना में निमंत्रित किए जाते थे। (लिखिता रुचिराक्षरा गौडेन ए० इ० भा १ पृ० १४७) चेदि लेख (ए० इ० १ पृ० ३६) तथा चहमान अभिलेखों में (ए० इ० ११ पृ० ३२, इ० ए० ५९ पृ० १६२) 'गौड कायस्थ' का उल्लेख है [लिखितं श्री गौडान्वय कायस्थ] चन्देल राजा परमदि के लेख का रोचक वर्णन सुनिए—

विरचित शुभकर्मानाम कायस्थवंश
शकल गुण गुणाना वेश्म पृथ्वीचराक्ष्य
अलवदवनि पालस्याज्ञया धर्मलेखी

स्फुट ललित निवेशरक्षरस्ताम्रपट्टम् (ए० इ० १४ पृ० १४)

खजुराहो की प्रशस्ति में प्रकट होता है कि कायस्थ 'करण' या करणिक नाम से भी पुकारे जाते थे।

सस्कृतभाषाविदुषा जयगुण पुत्रेण

कौतुका लिखिता रुचिराक्षरा

प्रशरित करणिक जडेन गौडेन (ए० इ० १ पृ० १२९)

मातवी सदी से समाज में कायस्थ समूह को एक जाति के रूप में स्थित पाते हैं। प्रशस्तियों में कायस्थ जातीय, गौड कायस्थ वंश या गौडान्वय कायस्थ आदि उल्लेखों में उपयुक्त कथन को पृष्टि होता है। कायस्थ जाति की शाखाएं स्थान विशेष से प्रसिद्ध हुईं। मथुरा के कायस्थ मायुर कहलाए (मथुरा पुरी विनिर्गत कायस्थ या माथुरान्वय कायस्थ (ए० इ० १९ पृ० ५०, भा० ११ पृ० ५७) गौडकायस्थ के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। तीसरा उप-विभाग धीवाम्त्व का है जो सम्भवतः श्रावस्ती (गौडा जिला, उत्तर प्रदेश) के निवासी थे। यो तो उमका भाव लक्ष्मी (श्री) का निवास हो सकता है पर इसमें स्थान का तात्पर्य नहीं निकलता और श्रावण स्थान के नाम में ही विरुपात थी (ए० इ० ४ पृ० व १०४ ब १५३, भा० १९ पृ० २१०)

वर्ण व्यवस्था में शूद्र को अंतिम स्थान दिया गया है। शूद्र का धर्म द्विजाति मात्र की सेवा थी। (शूद्र धर्मो द्विजाते शुश्रुषामिता) महाभारत (शा० प० शूद्र तथा चाण्डाल १९४, ४) के वर्णन में शूद्र की उन्नत परिस्थिति का आभास मिलता है और मेवावृत्ति न मिलने पर वैश्य के सदृश व्यापार में जातिविकोपार्जन की आज्ञा उन्हें दी गई है।

वाणिज्य पशुपाल्य च तथा गिल्पोपजीवनम्

शूद्रस्यापि विधायन्ते यथा वृत्तिर्न जायते ।

धर्मशास्त्र तथा स्मृतियों में जिस विस्तार के साथ शूद्र (जाति के विषय में) की चर्चा की गई है, वह हंग अभिलेखों में नहीं मिलता। अशोक के लेखों में शूद्र (दास) के साथ समुचित व्यवहार (दस भटकसि सम्य परिपरि-९ वा लेख) करने का आदेश दिया गया है। कालान्तर में स्थान विशेष पर शूद्र का उल्लेख है परन्तु किसी विशेष बात का वर्णन नहीं है। दान-पत्रों में पदाधिकारियों के साथ "ब्राह्मण चाण्डाल पर्यन्तान्" वाक्य का अधिकतर उल्लेख है जिससे

प्रकट होता है कि शूद्र चाण्डाल से पृथक जाति थी। चारो वर्णों के लोग एक साथ नहीं रहते थे। उस समय शूद्र अस्पृश्य नहीं थे और वर्तमान काल की तरह उनकी हीन अवस्था नहीं थी।

पूर्वमध्यकाल (७००-१२०० ई०) की प्रशस्तियों में चाण्डाल का बहुधा उल्लेख आता है। पालवशी पत्र में निम्न वर्णन आया है—

- (१) प्रनिवासिनो ब्राह्मणोत्तरान् चाण्डाल पर्यन्तान् (भागलपुर लेख-इ० ए० १५ पृ० ३०९)
- (२) भेद चाण्डाल पर्यन्ता (महीपाल का बानगढ लेख-ए० इ० १४ पृ० ३२७)
- (३) महत्तर कुटुम्बी प्रयोग मेदान्वक चाण्डाल पर्यन्तान् समाज्ञापयति (मुंगेर लेख-इ० ए० २१ पृ० २५६)

स्मृति ग्रन्थों के आधार पर चाण्डाल, प्रतिलोक विवाह को 'संतान' कहा गया है और अस्पृश्य समझा जाता था [ब्राह्मण्य शूद्र जनित चाण्डालो धर्म वञ्चित] मुसलमान लेखक अलबेरूनी ने कार्य के अनुसार कई प्रकार के अन्त्यज (अस्पृश्य) का नाम दिया है। चाण्डाल सबसे नीच समझा गया और अगिरस (४, ५) के कथनानुसार शूद्र को भी चाण्डाल के पात्र में जल पीने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता था।

चाण्डाल (अत्यज) के अतिरिक्त कई लेखों में जगली जाति का भी वर्णन मिलता है जिसमें शायक का भी भय था। कलचुरि लेख में 'धीर' नामक जाति (ए० इ० १९ पृ० २१०) महापाह कही गई है। वल्लाल सेन के लेख में भिल्ल, शबर पुलिद के नाम आते हैं (ए० इ० भा० १ पृ० ३३४)। ये जातियां जंगल में निवास करती थी। राजाजा के विरोध करने पर कुचल दी जाती थी ताकि समाज में शांति बनी रहे। ७ वीं सदी के पश्चात भारतीय लेखों में मुसलमानों के लिए 'म्लेच्छ' शब्द प्रयुक्त है। चहमान लेखों में इस शब्द का अधिक उल्लेख है। गहडवाल वंश के अभिलेख हम्मौर शब्द का प्रयोग करते हैं जो मुसलमान राजकुमार के लिए प्रयुक्त होता रहा। विजयचन्द्र के कमौली ताम्रपत्र में 'भूवन-दलन-हेला हर्म्य-हम्मौरनारी' वाक्य उल्लिखित है। यह मुसलमान के संदर्भ में प्रयुक्त है।

जब उत्तरी भारत में ईस्लाम आक्रमण तीव्र था उस समय (१०-१२ वीं सदी) के लेखों में हिन्दू नरेश के साथ उनके युद्ध का विवरण मिलता है। उसी प्रसंग में म्लेच्छ या हम्मौर शब्दों का प्रयोग किया गया है। [खालियर प्रशस्ति ए० इ० भा० १८ पृ० १०७, इ० ए० १८ पृ० १६ ए० इ० भा० ४ पृ० ११०, इ० ए० ४१ पृ० १९] सिक्को के मुद्रालेख भी इसकी पुष्टि करते हैं। कई सिक्कों पर 'श्री हम्म वीर' खुदा है। अमौर शब्द हम्मौर का अपभ्रंश है जो अफगान सुल्तान के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा शब्द-नुरुष्क भी लेखों में उल्लिखित है जो मुसलमान जाति के लिए प्रयुक्त किया गया था। गहडवाल लेख इस शब्द से भरे पड़े हैं (ए० इ० ९ पृ० ३२९; इ० हि० क्वा० २३ पृ० ४-६, ए० इ० ८ पृ० २९५, भा० १३ पृ० २९७) इस तरह अभिलेखों के सहारे चारों वर्णों के अतिरिक्त अन्त्यज, जगली जाति तथा मुसलमानों के उत्तरी प्रदेशों में निवास करने की बातें ज्ञान हो जाती हैं।

भारतीय आश्रम सस्था के अनुसार मनुष्य का जीवन चार भागों में विभक्त है—ब्रह्मचर्य,

गार्हस्थ्य, बानप्रस्थ तथा सन्यास । अत्यन्त प्राचीन समय में इन चार आश्रमों का क्रम लोगों को ज्ञात न था । यति तथा साधु समाज में वर्तमान थे परन्तु उन्हें आश्रम सस्था सन्यासी कहना उचित न होगा । तपस्या की भावना सम्भवतः लोगों को अज्ञात थी । ब्राह्मण ग्रन्थों में भस्म लगाए साधु का वर्णन मिलता है । उपनिषद् (बृहदारण्यक) में मोक्ष प्राप्ति के लिए गृह त्यागने का चर्चा की गई है । छद्मोद्योग में ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा सन्यासी की बातें मिलती हैं । सर्वप्रथम सूत्रग्रंथों में चार आश्रमों का नामोल्लेख है तथा मनुस्मृति में (अध्याय ६) वही क्रम पाया जाता है ।

अशोक ने लेखों में—“ब्राह्मण श्रमणानां दसण” ब्राह्मण तथा साधु के दर्शन करने की बातें कही हैं । बुद्धधर्म में व्रणाश्रम सस्था के लिए कोई स्थान न था । छोटा बालक भी सीधे भिक्षु हो जाता था । इस प्रथा को रोकने के लिए भारतीय समाज ने प्रयत्न किया और प्रत्येक आश्रम के पालन करने के महत्त्व को बतलाया । गुप्तयुग तक समाज में दृढ़ था कि कौनसा आदर्श माना जाय । परन्तु गुप्तकाल के पश्चात् आश्रम ने समाज में घट बना लिया तथा लेखों में अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा मिलती है । कर्णदेव चेदि के गोरहा ताम्रपत्र में चारों आश्रम का उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया गया है—

नीतेषु प्रमदा वियोद विधिना, प्रागु ब्रह्मचारि व्रत
साङ्गं वन्धुतया गृहस्थ पदवी कारागृहस्थापनान्
बानप्रस्थ पद वनाश्रमवशात् भैशाच्चचिन्तो म्थितिः

(ए० इ० ११ पृ० १४४)

कन्नौज के राजा भोजदेव (आठवीं सदी) के लेख में आश्वलायन शास्त्रा के विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) का नाम मिलता है (ए० इ० ५ पृ० २१२) । उसी तरह रत्नलाम ताम्रपत्र में वाजसनेय शास्त्रा के ब्रह्मचारी को ग्राम-दान का उल्लेख है (आ० सा० रि० १९०२-३ पृ० २३७) चहमान लेख में आजन्म ब्रह्मचारी का वर्णन सुनिः—

आजन्म ब्रह्मचारा दिगमल वसन. मयतात्मा तपस्वी

(ए० इ० २ पृ० १२३)

देवपाल की प्रशस्ति में सामवेद के अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी हरिश्चर नाम से उल्लिखित है (हरिश्चर ब्रह्मचारी सामवेदिन—ए० इ० १५ पृ० २९८) ।

ब्रह्मचारी विद्या समाप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था—इस प्रकार का वर्णन लेखों में आया है (गृहाश्रमा वासि परो गृहिण्या —ज० ए० सो० ब० १८९७ पृ० २९२, गृहाश्रम पेस्मु —ए० इ० २ पृ० १६२) । गृहडवाल वंशी लेखों में होम तथा तर्पण का अधिक वर्णन आया है जिसे गृहस्थ सम्पन्न किया करते थे (ए० इ० ४ पृ० १५८, भा० १२ पृ० २९१) दूसरे शब्दों में यह भी उल्लेख है कि परिपक्व अवस्था में राजा घर छोड़ कर जंगल चला जाता था । यानी गृहस्थाश्रम के पश्चात् बानप्रस्थ में प्रवेश करता था, ताकि तपस्या कर मोक्ष की प्राप्ति कर सके ।

वर्णन है कि गुर्जर प्रतिहार नरेश तात संसार को चबल तथा नाशवान समझकर छोटे भ्राता भोज को राज्य सौंप कर जंगल चला गया और धार्मिक जीवन व्यतीत किया (ए० इ० १८ पृ० ९६—मण्डव्यस्य आश्रमे पुण्ये नदी निर्भर शोभिते) उसी प्रशस्ति में भिलादित्य

नामक नरेश का उल्लेख है जिसने पुत्र को गद्दी देकर गंगा के किनारे तपस्या आरम्भ की और अन्त में सद्गति प्राप्त की।

भिलादित्य तपोमति । येना राज्य कृतयेन
पुन पुत्राय दत्तवान् । गंगाद्वारे ततो गत्वा
वर्षाण्यष्टादशस्थित । अन्ते च अनशन कृत्वा
स्वर्गलोक समागतः (ए० इ० १८ पृ० १८)

पाल नरेश विग्रहपाल ने भी ऐसा ही किया था और अपने पुत्र नारायणपाल को सिंहासन का भार देकर स्वयं तपस्वी बन गया (भागलपुर ताम्रपत्र इ० ए० १५) सेन-शामक सामन्तसेन (१०५०-१०५७ ई०) ने वृद्ध होकर वानप्रस्थ आश्रम को अपनाया था तथा गंगा के किनारे जगल में रहने लगा (ए० इ० १ पृ० ३०८) जयपालदेव की प्रज्जति में व्यक्ति के आयु का भी उल्लेख मिलता है कि पचास की आयु के पश्चान् राजा तपस्या करने जगल में चला गया। इस प्रकार आश्रमों के अवधि का परिज्ञान होता है कि ब्रह्मचर्य २५ वर्ष, गृहस्थ २५ वर्ष (जिसके पश्चान् वानप्रस्थ) तथा वानप्रस्थ में भी २५ वर्ष ध्यनीत करना पड़ता था। अनेक प्रज्जितियों द्वारा स्मृति ग्रन्थों में वर्णित आश्रमों की सम्पुष्टि होती है।

अभिलेखों का अध्ययन यह बतलाना है कि साधु बौद्ध भिक्षुओं की तरह जीवन व्यतीत सन्यासी एव करते थे। सन्यासी के लिए "कोपिनमात्र वसन तथा मितभिक्षा मठाधीश भोजी" की बातें उल्लिखित हैं तथा उनके योग तप की भी चर्चा मिलती है -

योग तप कर्म रतो नित्य कर्म सन्यासि (ए० इ० १८ पृ० २१०)

आठवीं मदी के पश्चान् उत्तरी भारत में बौद्ध विहारों के सङ्ग सन्यासियों के लिए मठ पर्वतों को छोड़कर बनने लगे। इलीरा तथा एलेफेन्टा की गुफाएँ उन्हीं विहारों के अनुकरण पर तैयार की गई थीं। हिन्दू सन्यासी परिव्राजक भी कहे जाते थे तथा अधिकतर शिव के पुजारी होते थे। शिव को आदर्श योगी मानते हैं इसलिए उनमें पं-णा मिलती थी। दानपत्रों में शिव मन्दिर तथा मठ के लिए दान का वर्णन मिलता है जहाँ सन्यासी रहा करते थे। कलचुरी रत्नदेव (१२ वीं मदी) ने इस प्रकार का मठ तैयार किया था (ए० इ० ११ पृ० २६५, २१ पृ० १४८) अभिलेखों में मठ तैयार कर साधु को सम्पत्ति करने का भी विवरण पाया जाता है (ए० इ० १ पृ० २५९, राजपुताना संग्रहालय लेख—१९२२-२३ पृ० २) उत्तरी भारत के लेखों में अनेक स्थलों पर मठ निर्माण तथा परिव्राजक का दान देने का वर्णन मिलता है। कालान्तर में साधु मठाधीश बन गए, यही कारण है कि मध्यकालीन लेखों में परिव्राजक नृत्ति का उल्लेख किया गया है। (ए० इ० २१ पृ० १२६)। मठाधीश के पास अधिक सम्पत्ति हा जाती थी पर दान की सम्पत्ति बेचने का अधिकार न था। कलचुरी लेख में साधु को सम्पत्ति का बन्धक रखने का पता चलता है (आ० सं० इ० ए० रि० १९३५-३६ पृ० ५१) ७वीं मदी के पश्चान् व्यक्ति से अधिक सामाजिक मस्थाओं (जैसे मन्दिर, मठ, विद्यालय) का दान देने का विवरण लेखों में मिलता है। वह दान विशेष कार्य के लिए दिया जाता था। कालान्तर में मठ का मुख्य साधु, अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए मठाधीश हो गया और सारी सम्पत्ति का स्वामी बन बैठा। इसी रूप से सन्यासी मठाधीश बनकर शासक की तरह प्रबंधक ही गए।

अभिलेखों के विश्लेषणात्मक अध्ययन में एक विचित्र घटना का परिज्ञान होता है जिसका उल्लेख केवल पूर्वमध्ययुग के लेखों में ही पाया गया है। यो तो जीवन दर्शन मोक्ष-प्राप्ति में परिलक्षित है परन्तु इसकी उपलब्धि के निमित्त मृत्यु की बलिदान करने के उपाय प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ७००-१२०० ई० के लेखों में स्वर्ग प्राप्ति के लिए अनेक उपायों का वर्णन मिलता है। पुराणों में अग्नि में जलना, विष पी लेना, जल में डूब जाना तथा अनशन करना आदि उपायों में धार्मिक हत्या करने का आदेश दिया गया है (इस आत्म हत्या से पाप नहीं होता था) उन बलिदान के मार्गों का इस युग में अक्षरशः पालन किया गया। मध्यप्रदेश के खैरा ताम्रपत्र में उल्लेख आता है कि कलचुरि नरेश गणेशदेव अपनी सौ पत्नियों के साथ अग्नि में जल मरा। उल्लेख निम्न प्रकार है—

प्राप्ते प्रयाग वट्मल निवेश व-गौ

सार्द्ध शतैः गृहिणाभिर्गमुच मुक्तिम् (ए० इ० २ पृ० ४)

ऐसा उदाहरण तृतीय कुमारगुप्त के सम्बन्ध में मिलता है—अम्भसीव करीषाम्भोमन स पुष्प पाजेन —(का० इ० इ० ३ पृ० ८२) मध्ययुग के चन्देल राजा धग ने भी प्रयाग जाकर अग्नि में जलकर बलिदान किया था (ए० इ० १ पृ० १८०)। अभिलेखों में अनशन करने की भी चर्चा है। प्रतिहार राजा भिलादित्य ने अनशन में शरीर त्यागा था (अन्ते च अनशनं कृत्वा स्वर्गं लोका समागत ए० इ० १८ पृ० ९६-८) चेद्विश के लेख में ऐसा ही विवरण पाया जाता है (ए० इ० २२ पृ० १६५) आसाम के एक लेख में निम्न पंक्ति मिलती है—

अनशन विधिना वीरस्तेजसि माहेश्वरे लीन

(नौग ताम्रपत्र - ज० ए० मों व० १८९७ पृ० २९०)

हिन्दुओं के अतिरिक्त जैन साधु भी अनशन में बलिदान दिया करते थे (ए० इ० २० पृ० ९८)। इस तरह धार्मिक ढग में आत्म बलिदान करने की क्रिया उत्तरी भारत में प्रचलित थी। काश्मीर में ता अनशन का प्रबन्धक पदाधिकारी नियुक्त था जो 'प्रायोपवेश' कहलाता था। इस ढग से तपस्या कर वह व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता था।

राजपुताने के लेख में एक नए उपाय का संकेत मिलता है जिसे 'कायव्रत' कहते हैं। इस अर्थ से यानों उपवास करता हुआ ब्राह्मण राजा का अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बाध्य करता था। चहूमान लेख में इस शब्द का प्रयोग धार्मिक विचार के अतिरिक्त सांसारिक लाभ (अर्थ) के लिए किया गया है। अतएव 'कायव्रत' को बलिदान के आदर्श श्रेणी में नहीं रख सकते।

अस्माक मध्यान् कापि ब्राह्मणो निगमते पेट पृष्ट

दर्शयति गृह्यमाणस्तु 'कायव्रत' कृत्वा मृत्यते

(ए० इ० ११ पृ० ४०)

दक्षिण भारत में इस युग में राजा के चिता पर दरबारी के बलिदान का भी उल्लेख है। उसे 'मामखाम' कहते थे। जितने उच्च पदाधिकारी राजा के साथ भोजन (पका चावल) करते थे उन सभी को राजा के चिता पर जलना पड़ता था (दक्षिण भारत के शिलालेख १९२९-

३० न० २६७, १९३४-३५ न० १२२५) इसलिए संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि धार्मिक भावना में बलिदान (आत्म-हत्या) करने का प्रचलन सर्वत्र था ।

प्राचीन भारतीय अभिलेखों के स्वरूप को जानते हुए उनके अध्ययन से संस्कार सम्बन्धी चर्चा की आशा नहीं की जा सकती किन्तु दान के प्रकरण में कुछ संस्कार के नाम मिलते हैं । मनुष्य जीवन में षोडश संस्कार सम्पन्न किए जाते हैं ।

सामाजिक संस्कार गृह पूर्व लेखों में तो कोई प्रसंग ही नहीं आता जब संस्कार के सम्बन्ध में दो चार बातें कही जाय । सातवीं सदी के पश्चात् जात-कर्म, नामकर्म, विवाह तथा श्राद्ध का उल्लेख मिलता है । गहड़वाल राजा जयचन्द्र ने अपने पुत्र हरिश्चन्द्र के जन्म (जात कर्म) तथा नामकरण के अवसर पर दान दिया था (ए० इ० ४ पृ० १२६, इ० ए० १८ पृ० १२९) जो कमीली ताम्रपत्रों में उल्लिखित है । विवाह तथा श्राद्ध के विषय में सीधा बणन नहीं मिलता । कलचुरी प्रशस्तियों में कर्णदेव द्वारा गाणेशदेव के श्राद्ध करने का विवरण पाया जाता है—

(१) समग्र श्रद्धया श्राद्ध विधाय (ए० इ० २ पृ० ३१०)

(२) सम्बत्सरिकपार्वणि श्राद्धे (ए० इ० ४ पृ० १०५)

विवाह के विषय में अभिलेखों की चर्चा नहीं के बराबर है । उत्तरा भारत के लेखा में विवाहिता स्त्री के लिए तीन नामों का उल्लेख आता है—भार्या, गृहिणी तथा पत्नी ।

(अ) द्वे भार्ये (ए० इ० २९ पृ० ५४)

(न) सार्धशतेन गृहिणा (ए० इ० १२ पृ० २०५)

(स) विप्र श्री हरिश्चन्द्राख्य पत्नी भद्रा च क्षत्रिया (ए० इ० १८ पृ० ९५) इसके अतिरिक्त निपेरा लेख में पाराशव पुत्र का नाम आता है जिससे पता चलता है ब्रह्म विवाह के अतिरिक्त अनुलोम प्रथा भी प्रचलित थी [ए० इ० १५ पृ० ३०५] अनुलोम प्रथा (ब्राह्मण वर तथा अन्य वर्ण की कन्या) का प्रचलन के कारण ही ब्राह्मण हरिश्चन्द्र ने क्षत्रिय कन्या से विवाह किया था (तेन श्री हरिश्चन्द्रेण परिणीता द्विज आत्मजा, द्वितीया क्षत्रिया ए० इ० १८ पृ० ९५) चेदिराजा यश कर्ण ने हृणराजकुमारी से विवाह किया (ए० इ० २ पृ० ८) । इन तरह के अन्तर्जातीय विवाह के उदाहरण लेखों में भरे पडे हैं । मुसलमान लेखकों-इन्व खुन्ददा तथा अलवरूनी ने भी अन्तर्जातीय विवाह की चर्चा की है ।

अभिलेखों के परीक्षण से यह प्रकट होता है कि साधारण जनता में एक साथ अनेक विवाह करने का प्रचलन न था । केवल राजपराने में बहु पत्नी व्रत का उल्लेख पाया जाता

है । प्रतिहार वंश के जोधपुर प्रशस्ति में उल्लेख है कि आदि पुरुष बहु पत्नी व्रत हरिश्चन्द्र की दो पत्नियाँ थी । (ए० इ० १८ पृ० ९५) उसी के वैशज महेंद्र पाल ने एक साथ दो स्त्रियों से विवाह किया था । (ए०

इ० १४ पृ० १७६) परमार प्रशस्ति में जयदेव उदया दित्य के सम्बन्ध में उल्लेख है कि राजा ने गोलकी तथा बघेल वंशी राज कुमारियों से शादी की थी (ए० इ० २२ पृ० ५६ द्वे भार्या) चन्देल लेख में मदन वर्मन तथा देवगण के लिए ऐसा ही विवरण पाया जाता है (ए० इ० १ पृ० २००, भा० १ पृ० ४८) पामल्ल देवी तथा मौला देवी चहमान राजा राज्यपाल की पत्नी कही गईं हैं। रामा तथा पद्मा गंगाधर की भार्या थीं (ए० इ० ११ पृ० ६१ भा० २१ पृ० १६०

पृ० १६०) गृह्यसूत्र नरेश गोविन्द चन्द्र देव ने पाच राजकुमारियों से विवाह किया था जब कि उसके पिता मदन पाल की दो धर्म पत्निया थी (ए० इ० ९ पृ० ३२४)। सबसे विचित्र बात तो यह है कि चेदि राजा गागेय देव की सौ रानिया थी जो उसके साथ अग्नि में जलकर स्वर्ग लोक सिधारी (ए० इ० २ पृ० ४, भा० १२ पृ० २११—सार्ध शतैः गृहिणी) गक्षेप में कहा जा सकता है कि राजाओं की एक साथ कई रानियाँ महल में रहती थी जो बहूपत्नी व्रत का चोतक है।

प्राचीन प्रजासिद्धियों में विधवा के आत्म-बलिदान का उतना विवरण नहीं मिलता जितना स्मृतिकारों ने वर्णन किया है। गुप्त युग से पूर्व इस सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है परन्तु गुप्त कालीन स्मृतियों में विधवा के जीवन के दो मार्ग बतलाए गए सती प्रथा है। ब्रह्मचारिणी अथवा सती। विष्णु (३५११४) तथा बृहस्पति (३५१११) ने इन दो मार्गों का वर्णन किया है। उस समय सती प्रथा का प्रचलन अज्ञान तथा और छोटी सदा के एरण (मध्य प्रदेश) लेख में भानुगुप्त के रोनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है।

भक्ता नुरक्ता च प्रिया च कान्ता भार्यावल्भानुगताग्निरादिम्।

बाण ने लिखा है कि राज्यश्री म्वेच्छा में सती होने को तैयार थी। मध्ययुग के मुसलमान लेखक सुलेमान तथा अलबेखनी ने रानियों के सती होने की बातें लिखी हैं। कलचुरो नरेश गागेय-देव की सौ स्त्रिया आग में जल मरी थी परन्तु इसे सती न कह सहमरण की सजा दी गई है। राजतरंगिणी में कण्वण ने रानियों के सती होने का उल्लेख किया है (तर० ७, ७२४, ८१९) जापपुर के एक लेख में राजपूत रानियों के सती होने की चर्चा है (ए० इ० २० पृ० ५८) इस प्रकार मध्य प्रदेश तथा राजपूताने में सती होने या सहमरण का उदाहरण मिलता है। राजपूताने के इतिहास में हजारों स्त्रियों के अग्नि में जलने की बातें उल्लिखित हैं लेकिन उसे 'जौहर' का नाम दिया जाता है। सती के सीमित अर्थ से वह भिन्न है।

भारत में संगीत का प्रेम सदा से एक-सा रहा तथा ऊँचे श्रेणों के लोग संगीत तथा गणिका से सम्बद्ध रहते थे। प्राचीन लेखों में भी संगीत का किसी न किसी रूप से उल्लेख पाया जाता है। अशोक ने अपने धर्म-शासन में उस 'समाज' की निन्दा की है

गणिका जहा संगीतमय और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत किया जाता हो।
विद्वानो के समाज (एक चा समाजा साधुमता) को श्रेष्ठ बतलाया है।

मौर्य युग के पश्चात् कलात्मक उदाहरणों से इस बात का परिज्ञान होता है कि समाज की जनता संगीत में रूचि रखती थी (जिसे राजा के भय से लोगो ने दबा रक्खा था) और इसलिये भरहुत के स्तम्भ पर संगीत का प्रदर्शन पाया जाता है। वहा अप्सराएँ नृत्य कर रही हैं तथा अनेक बाद्य बज रहे हैं। दक्षिण भारत के अमरावती कला में भी ऐसा ही प्रदर्शन है। बोधिसत्व के सम्मुख तुषितस्वर्ग में अप्सराएँ नृत्य कर रही हैं और उन्हें संसार में अवतरित होने का आग्रह किया जा रहा है वही बोधिसत्व हाथी के रूप में मायादेवी के गर्भ में आए। लेखों में गणिका द्वारा शासक की प्रशंसा करने का भाव उल्लिखित है। सामन्तसेन के यश को गाती हुई अप्सराओं का विवरण देवपारा प्रशस्ति में मिलता है—(ए० इ० १ पृ० ३१० पद्य ५)

उद्गीयन्ते यदीयासवल दुद्धि जलो
लोल जीतेषु सेतो
कच्छान्तेषु अक्सरोभिर्दशरथ तनय
स्पर्द्धया युद्ध गाथा

अभिलेखों का अध्ययन यह बतलाता है कि गणिका समाज में फेली थी। असम के लेख में ग्रामदान का ऐसा विवरण है कि भूमिदान के साथ ग्राम की गणिका भी दानग्राही को सौंप दी जाती रही। (तेजपुर ताम्रपत्र ज० रा० सो० वं९ पृ० ९६६) बाघ की गुफाओं में मुन्दर वस्त्र पहने नर्तकी का समूह चित्रित है। पूर्व मध्ययुग में भगवान् को प्रसन्न करने के लिए मन्दिरों में गणिका रक्खी जाती थी, इसी कारण नट-मण्डप नामक मन्दिर का प्राकार तैयार किया गया। देवपारा लेख में इस तरह की मन्दिर-गणिकाओं का वर्णन है (ए० इ० १ पृ० ३१०)। खजुराहो तथा भुवनेश्वर मन्दिरों की दीवारों पर गणिकाओं के चित्र खुदे हैं जो नाना प्रकार के वाद्यों का प्रयोग कर रही हैं। १२ वीं सदी के चहुमान लेख में वेश्याओं पर लगाए गए 'कर' का उल्लेख है। जिसे शासक ने कारणवश माफ कर दिया था (आ० स० रि० ए० रि० १९०८-९, पृ० ११९) खेद है कि इस तरह के शुल्क का वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता, परन्तु कला तथा लेखा का अध्ययन यह प्रकट करता है कि सांसारिक तथा देवकार्यों में गणिका की सहायता ली जाती थी। प्राचीन भारतीय समाज में उन्हें तिरस्कृत करने की भावना न थी।

प्रत्येक समाज में वस्त्र तथा आभूषण सर्वप्रिय वस्तु तथा आवश्यक सामग्री समझी गई है। लेखों में इसका विस्तृत विवरण नहीं मिलता, केवल गौणरूप से कुछ उल्लेख पाया जाता है। अशोक के धर्मशासन में (सागरनाथ, कोशाम्बी तथा साची स्तम्भ) वस्त्राभूषण वर्णन मिलता है कि सध में भेद पैदा करने वाले (पोत वस्त्र-धारी) भिक्षु या भिक्षुणी को सफेद वस्त्र पहनाकर बहिष्कृत कर दिया गया। गृहस्थ लोग सफेद वस्त्र तथा भिल्लू रंगीन (अवदातपोला) वस्त्र धारण करते थे। अतः भिक्षु के लिए सफेद वस्त्र निन्दनीय समझा जाता था। अशोक ने उसकी ओर संकेत किया था। उसके पश्चात् दान के प्रसंग में भिक्षुओं को चीवर (अधावस्त्र तथा सघाटी) देने का वर्णन नासिक लेख में पाया जाता है। (भविष्यति चिचरिक कुशाणमूले च—ए० इ० ८ पृ० ८२) गुणधर ताम्रपत्र में (गु० स० १८८) 'भिक्षुसंघस्य च चीवर' परिभोगाय विहारे' वाक्य द्वारा वस्त्र दान की चर्चा की गई है। नालंदा ताम्रपत्र में भी दान के विभिन्न कार्यों में चीवर दान का उल्लेख मिलता है (चिचरिका प्रदाय—ए० इ० १७)। सम्भवतः प्रशस्तियों में वस्त्राभूषण के उल्लेख का अवसर न था, इसलिए उनमें संतोषप्रद उल्लेख नहीं मिलता। प्रतिमाओं के परीक्षण से अधिक बातों का पता चलता है।

शृंगार के प्रसाधनों में बाल संवारने सिद्धरलगाने तथा अंजन देने का वर्णन पाया जाता है। बालों के नाना प्रकार की ग्रथियों की जानकारी खुदे चित्रों से हो जाती है। महेंद्रपाल की पहेंवा प्रशस्ति में शत्रुओं के स्त्रियों के मोचे बालों (धुंधराले या ग्रथियुक्त नहीं) का वर्णन है जो पति के मरने पर विधवा हो गई थी (ए० इ० १ पृ० २४६)।

करतलस्थगिताधर पस्लवा प्रतनुकान्ति कपोल तलोदरम्
सिचिचूरुमु जलैर्यदरिस्त्रियस्वरलित प्रचुरालक जालका ।

सिन्दूर ललनाओ के सीमाग्य का चिन्ह था। (युद्ध में) पति की मृत्यु के कारण विधवाएँ उसे प्रयुक्त नहीं करती। चन्देल नरेश के खजुराहो लेख में वैसा ही वर्णन है कि वह सीमाग्य चिन्ह नष्ट हो गया था और कुकुम्ब का भी प्रयोग समाप्त कर दिया गया था (ए० इ० १५०९२९)

सिन्दूर भूषणविवर्जितमास्य पद्मं उत्सृष्ट हार बलयं कुचमण्डलञ्च ।

आखी में अङ्गन लगाने का वर्णन अभिलेखों में कम मिलता है। उस सम्बन्ध में धनिक के नगर-लेख की निम्न पंक्ति सुनिए —

भ्रूमङ्गया रहितैरनन्यगतिभि सन्त्यक्त कालाङ्गने.

(भारत कौमुदी भा० १ पृ० २७४)

ऐसा ही वर्णन अन्य स्थानों पर आता है (ए० इ० २६ पृ० २५४) इस प्रकार चित्रों के अतिरिक्त अभिलेखों में भी यदा कदा उल्लेख आया है जो समाज में शृंगारिक प्रसाधन के प्रयोग का द्योतक है।

छठी सदी से पूर्व के लेखों में भोजन के प्रसंग में विभिन्न वस्तुओं का नाम नहीं मिलता केवल दान द्रव्य से भोजन-वस्त्र के व्यय का उल्लेख पाया जाता है। नासिक लेख में ब्राह्मणों के लिए भोजन निमित्त ग्रामदान का उद्देश्य व्यक्त किया गया है—पोटण भोजन तथा पेय ग्रामदेन अनुवर्ष ब्राह्मण शतसाहस्रो भोजापयिथा (ए० इ० ८ नृ० ७८)। गुप्त लेख में भी इसी तरह का वर्णन आता है कि पचीस दीनार भिक्षु के भोजन निमित्त दिया गया—तात्वन्पचभिधवो भुजता रत्नगृहे (का० इ० ८० पृ० ३१) छठी शताब्दी के अभिलेखों में सत्र (= छत्र) शब्द का प्रयोग मिलता है जिसका अर्थ भोजन वितरण के स्थान से है, बिना मूल्य के भोजन जहाँ विभक्त किया जाता था। यह अवस्था प्राचीन कालीन समाज में सर्वत्र वर्तमान थी और गृहहीन, भूखे एवं माधुओं को भोजन दिया जाता था। प्रथम कुमार गुप्त के भिलसद लेख में धर्म सत्र, पालवशी नालदा एवं भागलपुर ताम्रपत्रों में सत्र तथा चहमान प्रयस्तियों में अन्न-सत्र शब्दों का प्रयोग उसी अर्थ में दृशा है। आठवीं सदी के नालदा ताम्रपत्र में “सम्पद् बहुधृत दधिभि व्यजनैः युक्त-मन्नन्” (ए० इ० ६० पृ० ४४) का उल्लेख है। यानी घी, दूध, दही आदि अन्य व्यजन के साथ भोजन विभक्त किया जाता। गेहूँ तथा चावल के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। भगवान् के लिए नैवेद्य भी अन्न से तैयार किया जाता था। राजपुताने के एक लेख में आठ चावल को घी में पकाने का विवरण आता है। नैवेद्य के लिए दो सेर आटे के लिए आठ कलस (एक माप) घी की आवश्यकता पड़ती थी (ए० इ० २० पृ० ५७) गन्ना की खेती का वर्णन चीनी के प्रयोग की बातें सिद्ध करता है (इ० ए० १६ पृ० २०९) तेल एवं घी का प्रयोग तो अत्यधिक मात्रा में होता था क्योंकि भोजन के अतिरिक्त, मन्दिर में दीपक जलाने के भी काम आता था। यह भोजन सम्भवतः ऊँचे श्रेणी के लोगों के लिए था। स्मृतियों में भोजन सम्बन्धी चर्चा विशेष रूप से मिलती है और स्मृतिकारों ने वैज्ञानिक ढंग से भोजन सामग्रियों पर विचार किया है। दानपत्रों में ‘समत्स्याकार’ (मछली तालाब सहित) शब्द से यही तात्पर्य समझा जा सकता है कि समाज के कुछ व्यक्ति मछली तथा मास का भी प्रयोग करते थे। गहडवाल लेखों में ‘सजल समत्स्य.’ शब्दों का प्रयोग अधिक मिलता है (ए० इ० भा० ४, ८, १६ पृ० १५४, ७३)। इसके अतिरिक्त व्यापार के सिलसिले में ‘किराना’

शब्द का (किराउउजा) उल्लेख प्रकट करता है कि भोजन में मसाले का भी प्रयोग समाज में अवश्य होता था (ए० इ० ११ पृ० ४३) ।

भोजन सामग्री के मूल्य सम्बन्धी वार्ता का सीधा उल्लेख अभिलेखों के अध्ययन द्वारा नहीं मिलता तोभी कुछ उद्धरण ऐसे हैं जिनसे तत्सम्बन्धी अर्थ निकाला जा सकता है । ईसवी पूर्व के लेखों में ऐसा कोई सदर्भ नहीं है परन्तु दूसरी सदी के नह-भोजन का मूल्य पान कालीन नासिक लेख में पर्याप्त वर्णन है । वह पंक्तिया निम्न रूप से अंकित है—कहापणा सहस्राणि त्रीणि ३००० सघस चातु-दिसस ये इमस्मि लोणे वसातान भवसन्ति चिबरिक कुशाणमूले च । एते कहापणा प्रयुक्ता गोवधन वायवासु श्रेणिसु । कोलिक तिकाये २००० वधि पडिक शत । अपर कोलिक ये १००० बांध पाउन पडिक शत । एते च कहापणा अपडिदातवा वृधि भोज (ए० इ० ८ पृ० ८२) एते चिबरिक सहस्राणि वे २००० ये पांडरु गते । एतो मम लेणे वसवुवान भिक्षुन वीनाय एकावस चिबरिक वारसक । ये सहस्र प्रयुक्त पायुन पांडक गते अतो कुशाण मूले ।

तीन हजार कार्पापण भिक्षुओं के वस्त्र तथा भोजन के निमित्त तनुवाय मंध के पास जमा किया । उसमें दो हजार एक पण प्रति शत सूद के दर से तथा एक हजार तीन चौथाई पण प्रति शत के दर में । दो हजार के सूद में बीस भिक्षुओं का वस्त्र व्यय तथा एक हजार की सूद से भोजन व्यय चलेगा । मूल धन व्यय नहीं होगा । केवल सूद का प्रयोग ही होगा । इसका तात्पर्य यह है कि बीस भिक्षुओं के लिए बीस पण (मिक्का) वस्त्र में तथा साठे सात रुपया भोजन में प्रति वर्ष (?) व्यय किया जाता था । इस तरह प्रति भिक्षु छ आने प्रतिमास भोजन व्यय निश्चित हो जाता है । अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भोजन सामग्री अत्यन्त सस्ते दाम पर बिकती थी ।

चौथी शताब्दी के गुप्त लेख में भी अन्य प्रकार का वर्णन आता है । द्वितीय चन्द्रगुप्त के गढवा लेख में ब्राह्मण के भोजन निमित्त दस दीनार (स्वर्णमुद्रा) देने का उल्लेख मिलता है । इसमें सूद के दर का उल्लेख नहीं है । दूसरे लेख में बाहर दीनार को सूद पर देने का वर्णन है जिसकी आय से एक भिक्षु का भोजन व्यय चलता था । यानी चारसौ बीस (१ दीनार = ३५ रजत मुद्रा) रुपया का सूद भोजन के लिए पर्याप्त था । यदि सूद का दर एक कार्पापण प्रतिशत मान लिया जाय तो वर्ष में एक व्यक्ति के भोजन के लिए चार रुपया तीन आने की आय होगी । यानी छ आने प्रति मास के हिसाब से प्रति व्यक्ति भोजन व्यय होता है । चानु-दिशायर्भ संघायाश्रतो विदत्ता दीनारा द्वादश । एतेपा दीनाराणा या वृद्ध रूपजायत तथा दिवसे दिवसे संघ मध्य प्रविष्ट भिक्षोरेको भोजयितव्या (का० इ० ड० ३ न० ६३) सागज यह है कि गुप्त युग तक भोजन व्यय नाममात्र का था । सामग्रियाँ अत्यन्त सस्ती थी । ईसवी सन् की पहली सदी में पाचवी सदी तक भोजन सामग्री का मूल्य प्रायः समान था ।

जहाँ तक पेय का प्रश्न है लेखों में तीन प्रकार की नशीली चीजों के नाम मिलते हैं ।

- (१) सुरापान या मधुपान
- (२) सोमरस
- (३) रसवती या ताड़ी

प्रथम पेय—शराब का प्रयोग ब्राह्मणसे भिन्न जातियां करती रही। जोषपुर की प्रशस्ति से पता चलता है कि ८ वीं सदी में राजपुताने के क्षत्रिय सुरापान में प्रेम रखते थे। गुर्जर प्रतिहार राजा हरिश्चन्द्र की दो रानियां थीं। ब्राह्मण कन्या तथा राजपूत कन्या से उसने विवाह किया था। लेख में वर्णन है कि राजपूत कन्या को सन्तान सुरापान में अभ्यस्त थी।

राज्ञी भद्रा च यात्सूते ते भूता मधुपायिनः

(ए० इ० १८ पृ० ९५)

उनी वंश की ग्वान्दियर प्रशस्ति से स्त्रियों के शराब पीने की चर्चा मिलती है (ए० इ० १८ पृ० १०८ पद्य ६) अलबेल्नी ने भी ऐसा ही लिखा है कि क्षत्रिय वर्ग के लोग शराब पीते थे। पूर्व मध्ययुग (७००—१२०० ई०) में क्षत्रिय वर्ग के लिए सम्भवतः शराब लोकप्रिय हो गया था। मध्यभारत के अनेक दानपत्रों में आम्र तथा मधूक (महुआ) वृक्ष के साथ ग्रामदान का विवरण है (ए० इ० भा० ४ पृ० ११९, भा० ८ पृ० १५४, भा० २१ पृ० ९५) इस मधूक पुष्प से एक तरह का रस (शराब) तैयार किया जाता है पर यह कहना कठिन है कि दानग्राही ब्राह्मण प्रयोग करते थे या नहीं। अग्रहार दान लेने के कारण ग्राम में मधूक से तैयार रस को ब्राह्मणों द्वारा विक्रय करने की भी बात सोची जा सकती है। लेखों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि उस रस (सोमरस ?) का प्रयोग जनता करती हो।

तांशरा पेय ताडी है जिमे कलचुगी लेख में रसवती कहा गया है (ए० इ० २१ पृ० १५) वर्तमान समय में भी ताड़ी निम्न श्रेणी के लोगों का पेय है। बौधिस ने पुल्कसा नामक जाति का उल्लेख किया है जो शराब का काम करती थी। आजकल पासी जाति से इसकी समता की जा सकती है। शराब-व्यापार वाणिक वर्ग के कलवार उपशाखा का नाम (कल्लपाल) लेखा में मिलता है। प्रशस्ति में वर्णन है कि इस वर्ग को मद्यभाण्ड की सख्या पर 'कर' चुकाना पड़ता था। निम्नलिखित वर्णन सुनिए—

समस्त कल्लपालानां मध्ये यस्य यस्य सत्कमद्यभाण्डं नि पद्यते विव्रयं याति सच स चन्द्राकं यावत् विग्रहपाल सत्कद्रमादिना दातव्या (ए० इ० १ पृ० १७४) आषा सिक्का—आठ आना (विग्रहपालीय द्रम) एक मद्यभाण्ड पर टैक्स के रूप में देना पड़ता था। परमार प्रशस्ति (१०७८ ई०) में भी 'कर' देने की बात लिखी है (ए० इ० १४ पृ० २९८) इस प्रकार शराब तथा रसवता पर 'कर' के प्रसंग में पेय के नामों की जानकारी होती है।

प्राचीन स्मृतियों में वर्णन है कि साधु तथा ब्रह्मचारी भिक्षा माग कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। बौद्ध सघ के भिक्षु तथा भिक्षुणी ग्रामों में भिक्षा माग कर विहारों में लौट जाते।

समाज में गृहस्थ भी इनकी भोजन देना अपना कर्तव्य समझते थे।

समाज में भिक्षा

इसलिए वर्णाश्रम धर्म तथा सघकी स्थिति से भिक्षा मागने का कार्य

मागने की प्रथा

बढ़ना ही गया। ब्राह्मण साधु तथा भिक्षुओं की सख्या भी बढ़ती

गई। यद्यपि प्रशस्तियों में भिक्षा मागने के सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं

गया है तथापि उनके अध्ययन से इस विषय पर प्रकाश पड़ता है। मौर्ययुग में ग्रामों से कुछ मील दूर विहार बनवाए गए थे। जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भिक्षु भिक्षा माग कर सरलता से गुफा में लौट जाए। पश्चिमी भारत की सह्याद्रि गुहाएँ उसके साक्षान् उदाहरण हैं।

गुप्त युग तक अज्ञता की गुफाएँ, सारनाथ, श्रावस्ती तथा नालंदा के विहार तथा मध्ययुगी इलौरा गुहा से उपरियुक्त कथन की पुष्टि होती है।

७००-१२०० ई० के अभिलेखों में पर्याप्त रूपसे दान का वर्णन मिलता है प्रशस्तियों के विवरण से पता चलता है कि ग्रामदान या धनदान विद्वान ब्राह्मणों को दिया जाता था जो प्रायः अध्यापन के कार्य में लगे रहते थे ! शिक्षा सस्थाओं, मंदिर या विद्यालयों को भी दान दिया जाता था।

समाज में व्यक्ति से अधिक संस्थाओं का महत्व था। शिक्षालयों में भूमि या धन दान देकर ब्रह्मचारी या भिक्षु को भिक्षाटन से मुक्त कर दिया जाता था। सस्थाओं में ही भोजन वस्त्र का प्रबन्ध रहता जो भिक्षा-वृत्ति को अन्त करने का प्रयास था। भूमिदान में भिक्षावृत्ति समाप्त प्रायः हो गई और भिक्षाटन की बुराई जाती रही।

शिक्षा सस्थाओं के दान का वर्णन मध्य दण्ड तथा बंगाल के लेखों में अधिक मिलता है। जयमिह के मान्धाता ताम्रपत्र में अमरेश्वर पाठशाला को अग्रहार देने की चर्चा की गई है —

सर्वादाय समेतश्च श्री अमरेश्वर पट्टशाला
ब्राह्मणेभ्यो भोजनादि निमित्तम्

(ए० इ० ३ पृ० ४९)

नालंदा ताम्रपत्रों में शासक द्वारा भिक्षु सघ को ग्रामदान का वर्णन मिलता है जिसकी आय से स्वादिष्ट भोजन, आसन, औषधि आदि का प्रबन्ध किया गया था—घृत दधिभि व्यजनै भिक्षुभ्य चतुभ्यो नित्यतोम सत्रे विभक्त विमलभिक्षुसंघाय दत्तम् (ए० इ० भा० १७ पृ० ३१०, भा० २० ४४) इस उद्धरण में सत्र शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त है। उसका अर्थ भोजन बाँटने का स्थान (भिक्षा गृह) था। छत्र (सदावर्त) माना गया है। मध्यकालीन लेखों में सत्र शब्द भरा पड़ा है। गुप्त युग में इसे 'गर्म-सत्र' कहते थे (कुमारगुप्त प्रथम का भिलसद लेख—(ए० इ० १४ पृ० ६३६) इस स्थान पर साधु, भिक्षु या अनाथ व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन दिया जाता था। अधिकतर सत्र (भिक्षा गृह) मंदिर से सम्बन्धित रहते थे और मंदिर प्रवचन पमिति उसकी देखभाल करती थी। प्रतिहार लेख (ए० इ० १४ पृ० १७७) में सत्र के सचालन व निमित्त ग्रामदान का उल्लेख है। चह्मान लेख में इसे अन्नसत्र कहा गया है (ए० इ० १३ पृ० २९०) कन्नचुरी मंत्री गगधर के दान पत्र में इस भिक्षा गृह को सर्वसत्री (ए० इ० २१ पृ० १६६) का नाम दिया गया था जहाँ स्वादिष्ट भोजन वितरित किया जाता था (मिष्टान्न पान सम्पन्न सर्व सत्री व्याधादसौ)। ११ वीं सदी के असम शासक जयपाल देव तथा बल्लभ देव ने शिवमंदिर से सम्बद्ध एक भिक्षागृह निर्मित किया था जिसे भक्तशाला कहते थे। लेख में 'भक्तशाला धुधार्याना महादेवस्य संनिधी' वाक्य उल्लिखित है। (ए० इ० ५ पृ० १८१) यह परम्परा आज भी प्रचलित है तथा वाराणसी में छत्र अनेक मंदिरों में स्थित है। छत्र सत्र शब्द का विकृत रूप ही मालूम पड़ता है। लेखों के विशद विवेचन से ज्ञात होता है कि समाज में भिक्षावृत्ति को रोकने की कामना थी परन्तु भिक्षा देने का भावना विद्यमान थी। भिक्षा माँगने की प्रथा का अन्त आवश्यक था। शासक तथा धनी-

मानी व्यक्तियों ने इस बुराई को हटाने का सफल प्रयत्न किया और सत्र की स्थापना से व्यक्तिगत भिक्षा-वृत्ति प्रायः समाप्त हो गयी ।

सातवीं सदी से पूर्व के लेखों में अन्धविश्वास की चर्चा नहीं मिलती, जिसके सहारे प्राचीन ससय में भूत-प्रेत या तत्र-मत्र के सम्बन्ध की जानकारी अन्धविश्वास हो सके । अशोक के लेखों में स्वर्ग प्राप्ति के उपाय तथा परलोक में सुख मिलने की बात कही गई है । शासक भी ऐसा ही कार्य करता था कि जनता सुख, यश, पुण्य तथा निर्वृण (स्वर्ग प्राप्ति) पा सके ।

तथा कलत हिदलोकिकवे च क आलधे होति पलत
च अनत पुना पशवति तेना धंम दानेन ।

(शिलालेख नं० ११)

हिद च से अधे परत्र च अनत पुण प्रसवति नेन ध्रम मंगलेन

(शिलालेख नं० ९)

यो तो अन्धविश्वास किमी न किमी रूप में समाज में प्रचलित रहा और वैदिक तथा सस्कृत स.हित्य में सम्मोहन, वशीकरण तथा मारण आदि का वर्णन पाया जाता है परन्तु प्रशस्तियों में यह विवरण नहीं के बराबर है । गुप्त लेखों में उल्लिखित 'आवाताय' की समता 'भूतवात प्रत्याय' से की जाती है । यह एक प्रकार का कर (टैक्स) था जो भूत व वात के हटाने के लिए आरोपित था । पूर्व मध्य काल तत्र-मत्र का युग था और बौद्धों के भूत अथवा मत्रयान ने अन्धविश्वासों पर आस्था स्थिर की । तत्र-मत्र समाज में घर कर गये । घरणी तथा मत्रों का प्रयोग प्रशस्तियों के आरम्भ में होने लगा । बीजमत्र तथा भूत-प्रेत में अत्यधिक विश्वास उत्पन्न हो गया । ह्वेनसांग ने ज्योतिषी, तांत्रिक, भविष्य कथन करने वाले बौद्ध तथा जैन ध्यवित्तियों का विवरण दिया है । यदि समस्त अभिलेखों का विवेचन किया जाय तो पता चलता है कि—

- (१) स्वर्ग व नरक
- (२) राहु द्वारा सूर्य तथा चन्द्र को ग्रसना
- (३) भूत-प्रेत
- (४) ज्योतिष तथा भविष्य वक्ता

सम्बन्धित कार्यों में जन साधारण का पूर्ण विश्वास हो गया था । दान के उद्देश्य (स्वर्ग की प्राप्ति) में निम्नलिखित वाक्य मिलते हैं :

- (अ) ससारणिव तरणार्थ स्वर्ग मार्ग अर्गलोद्धाटन हेतो (ए० इ० ३ पृ० २६६)
- (ब) स्वर्ग द्वार कपाट अर्गलोदघाटताय (वही भा० ५ पृ० ११४)
- (स) प्राणास्तृणाम् जलविन्दु समानराणाम् धर्मस्सखा परमरहो परलोक याने (वही भा० ११ पृ० ८)
- (द) स्वर्ग लोक समागत. (ए० इ० भा० १८ पृ० ९६)
- (य) पष्टिवर्ष सहस्राणि स्वर्गे मोदति भूमिद. आच्छेता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत् । (ए० इ० ४ पृ० १३३)

सूर्य चन्द्र को गृह ग्रस लेता है (जिसे ग्रहण कहते हैं) इस अन्धविश्वास पर आधारित कुसमय पर दान का उल्लेख प्रशस्तियों में किया गया है (राहु ग्रन्थे दिवाकर-ए० इ० ४ व ११ पृ० १५८, २१९) चन्देल तथा गृहडवाल प्रशस्तियों में भूत-प्रेत की चर्चा अधिक मिलती है। निम्न पवित्र दानपत्रों में पाई जाती है—गगाया त्रिधिवत् इनात्वा मंत्र देव मनु १ मुनि भूत पितृगणा तर्पयित्वा (ए० इ० भा० ४) सम्भवतः धीराणिक विचारधारा के कारण जनसाधारण में बलि देने की प्रथा चली। गोविन्दचन्द्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने राज धर्मकाण्ड में—“पिशाचैर्म्यो बलिदद्यान्सध्याकाले च नित्यश ” का वर्णन किया है (गा० ओ० सि० १०० पृ० १७६)

इसके अतिरिक्त प्रशस्तियों में एक नैमित्तिक (= ज्योतिषी) का नाम पदाधिकारियों की सूची में मिलती है। गृहडवाल नरेश गोविन्द चन्द्रदेव के दरबार में भविष्यवाणी करने वाला पुरुष था जो अश्विनी का अर्थ बतलाया करता था। (ए० इ० ४ पृ० ९७, भा० ७ पृ० ९९, भा० १८ पृ० २२२) रामवाल के लेख से पता चलता है कि एक व्यक्ति ने बालकपन में चिह्न देखकर भविष्यवाणी की थी कि वह बालक राजा होगा (ए० इ० १२ पृ० १३७) बगाल के लेखों में घर से भूत हटाने के लिए पुण्डित जैसे व्यक्ति को नियुक्ति का उल्लेख है (बेलवा ताम्रपत्र, मुन्दरवन ताम्रपत्र)। इस तरह के अन्धविश्वास के कारण ही मध्ययुग में सहस्रों पूजा निमित्त स्तूप (Votive Stupa) बनाए गए थे।

वज्रयान में शक्ति के सम्बन्ध में चाण्डाली, योगिनी तथा सहज मुन्दरी की कल्पना पाई जाती है। नालदा के लेख में तारा को ऐसी ही शक्तिशालिनी देवी कहा गया है जो आठों प्रकार के भय को दूर करती है (ए० इ० २१ पृ० ९७) वज्रयान देव समूह की कल्पना तंत्र-मन्त्र के आधार पर हुई जो पहले के दोनों यान (हानयान तथा महायान) में नहीं था। संक्षेप में यह व्यक्त करना उचित है कि ७००-१२०० ई० का काल अन्धविश्वास का प्रधान युग था जिसका प्रभाव आज तक हिन्दू समाज में दिखाई पड़ता है।

यद्यपि लेखों में मनोरजन तथा खेल सम्बन्धी चर्चा की बहुलता नहीं है परन्तु जो कुछ उल्लेख मिलता है उसमें लोगों के मनोविनोद के साधनों का परिज्ञान हो जाता है। अशोक के आठवें धर्म लेख में विहार यात्रा (मृगया) की बात कही गई है

मनोरजन के साधन जिसे मौर्य सम्राट् ने बन्द कर दिया—

अतिकाल अंतर राजानो विहार याता जयामु। एत मगथा अजानि च एता रिसानि अभोरमकानि अहमु सो देवान पियो पियदास राजा दमवसभिपितो संतो अयाय सम्भोधि तेनेमा धम याता-(आठवा लेख-गिरनार पाठ)। इसमें प्रकट होता है कि मृगया शासकों के मनोरजन का प्रधान साधन था। इसकी सन् के चौथी सदी से गुप्त लेखों में कई प्रकार के मनोरजन के साधन का उल्लेख आता है। प्रयाग के स्तम्भ लेख में समुद्रगुप्त के शरीर पर अनेक घाव के चिह्न थे। धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों पर “समरशत वितत विजयी जित रिपुरजितो दिव जयति” लिखा है। इससे स्पष्ट है कि धनुष बाण, परशु के व्रण बोरता के प्रतीक थे। गुप्त नरेश चीता, घोड़े, गैडा आदि जानवरों का आखेट करते दिखलाए गए हैं तथा मुद्रा लेख भी अंकित हैं। व्याघ्रपराक्रम (समुद्रगुप्त) भुवि सिंह विक्रमः (द्वितीय चन्द्रगुप्त) महेन्द्रसिंह (प्रथम कुमार गुप्त) या सिंह महेन्द्र तथा भर्ता खड्ग श्राता (प्रथम कुमार गुप्त)

आदि पदविया गुप्त नरेशों के लिए खुदी है। उनमें आखेट का आभास मिलता है। पर्याप्त प्रमाण न मिलने पर भी इसे प्रचान मनोरंजन समझा जा सकता है।

समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में राजा के संगीत प्रेम का वर्णन आता है और वह नारद से भी वीणा-वादन में दक्ष कहा गया है—

गान्धर्व ललितं त्रीडित त्रिवशपति गुरु नुम्बरू नारदादे ।

इसका समर्थन वीणा प्रकार के सिम्बके से होता है जिस पर राजा का नाम—महाराजा श्री समुद्रगुप्त अंकित है। उसके पुत्र द्वितीय चन्द्रगुप्त को सिंहासन पर बैठा नाटक देखते हुए प्रदर्शित किया गया है तथा मुद्रालेख 'रूपाकृति' उत्कीर्ण है।

समाज में संगीत लोगों के मनोविनोद का प्रधान साधन था। चहमान लेखों में वाद्य, नृत्य तथा गान सहित समारोह का वर्णन आता है। उस समय रथयात्रा या देवयात्रा के जूलूस में संगीत का आयोजन होता था। इस युग के चित्रों में भी विभिन्न प्रकार के वाद्य (मृदग, जल-तरंग, तबला, झाल, नगाड़े बासुरी) के साथ नृत्य का प्रदर्शन पाया जाता है। पूर्व मध्ययुग के लेखों में जुआ तथा शतरंज के नाम आते हैं। परमार राजा चामुण्डराय ने जुआघर पर 'कर' बैठाया था (ए० इ० १४ प० ३०८)। शतरंज शब्द चतुरंग (सेना) का विकृत रूप है जिसमें पैदल, हाथी, रथ तथा घोड़े की स्थिति आवश्यक समझी जाती है (चतुरंग-चमू प्रचार-ए० इ० २ प० ३) यह भारतीय खेल था जिस अरब वालों ने सीखा तथा पुन वहाँ में भारत-वासियों ने अनुकरण किया।

ऊँचे परिवार की स्त्रियों के लिए शुक (सुग्गा) पक्षी मनोविनोद का साधन था। पाल नरेश धर्मपाल की खालीमपुर प्रशस्ति में भी ललनाए शुक को सम्बोधित करती वर्णित की गई है।

(१) सीधे मोच्छसित स्थितं सकर्णं लीलाशुको व्याहृतो (ए० इ० १ प० २०९)

(२) लीला वेश्मनि पजरोदर शुकीर्तद्गीतमात्मस्तवम् (ए० इ० ४ प० २४८)

मध्ययुगी दानपत्रों में मछली युक्त ग्रामदान का उल्लेख मिलता है जिसका तात्पर्य यह था कि उस भू-भाग में जो तालाब स्थित थे, उन से मछली निकालने का अधिकार दारपाही को था। अतएव यह स्पष्ट है कि मछली मारने से भी लोगों में एक आनन्द का अनुभव होता होगा। इन सभी बातों से राजा तथा प्रजा के मनोविनोद के साधनों का परिज्ञान हो जाता है।

मनोविनोद के लिए सामाजिक उत्सव भी सुअवसर प्रदान करते हैं। अशोक के लेख में समाज शब्द विशेष अर्थ में व्यवहृत किया गया है। साधारण समाज (उत्सव, मनोविनोद पूर्ण)

को निन्दा की गई है तथा विद्वानों के समाज को ही उत्तम माना सामाजिक उत्सव गया है। [न च समाजो कर्त्तव्यो बहुकं हि दोसं समाजं हि पसति देवानं प्रियो प्रियदसि राजा । अस्ति पितु एक वा समाजा साधुमता] (पहला शिलालेख)

अशोक के विचार से पिछले शासक सहमत न थे अत उत्सव का शुभारम्भ दिया। संगीत मय समाज का उल्लेख खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति में पाया जाता है तथा भरहुत की

वेदिका (प्रसेनजीत स्तम्भ) पर संगीत प्रदर्शित है। खारबेल ने राज्य तिलक के तीसरे वर्ष में जनता के मनोविनोद के लिए उत्सव किया था।

तृतीय बसे गंधर्व वेद बुधो दप नत गीत वादित सदसनाह् उत्सव-समाज कारापनाह् च क्रोडापयति (ए० इ० २० पृ० ७२ जे० वि० ओ० रि० सो० १३ पृ० ३२)। उसी प्रकार वेदिका पर नृत्य करती अम्सराओ की आकृति खुदी है। चौथी सदी से गुप्त नरेश संगीत तथा नाटक के प्रेम थे। कालिदास के नाटक के प्रदर्शन से सामाजिक समारोह का अनुमान भी लगाया जा सकता है। छठी सदी से धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों के वर्णन अभिलेखों में मिलते हैं। दोषोत्सव तथा वसन्तोत्सव का उल्लेख है (ए० इ० ११ पृ० ५५, भा० ८ पृ० १०१) उस विवरण से पता चलता है कि शासक धार्मिक उत्सव (जैसे रथ यात्रा देवगात्रा) के लिए व्यापारियों पर 'कर' भी लगाता था। (ए० इ० १४ पृ० २९८) सामाजिक उत्सव के विशाल भवन निर्माण का वर्णन समरसिंह देव के लेख में मिलता है (ए० इ० ११ पृ० ५५)

अभिलेखों में पशु मेला का भी वर्णन उपलब्ध है। पूर्वी पंजाब के एक लेख में पशु मेला में घोड़ों की बहुलता का उल्लेख है (ए० इ० १ पृ० १८६) प्रतिहार राजा भोज की प्रशस्ति में उत्सव के प्रसंग में 'घोटक यात्रा' का नाम उल्लिखित है जिसमें दूर-दूर के व्यापारी घोड़ा खरीदने आया करते थे—घोटक यात्राया समायाता . घोडा विक्रय-वा १-प्रदत । ए० इ० १ पृ० १८४) उसी बश के दूसरे लेख में घोड़ा क्रय-विक्रय करने वाले व्यक्तियों के द्वारा 'कर' देने का वर्णन है (वही पृ० २९, ३३) इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब तथा राजपुताने में पशु मेला का आयोजन किया जाता था। इस तरह के कार्य समाज को प्रगतिशील बनाते हैं। उत्सव तथा मेले में एकत्रित होकर जनता विचार विनमय करती तथा आवश्यक कार्यों को भी पूर्ति करती है।

सामाजिक कार्यों के लिए तथा आवागमन निमित्त जनता रथ, घोड़े, हाथी, ऊँट तथा बैलगाड़ी का अधिकतर प्रयोग करती थी। लेखों में बैलगाड़ी का ही अधिक उल्लेख मिलता है। क्योंकि साधारण व्यक्ति उसी का प्रयोग करता था। (ए० इ० ११ पृ० ३५, ३९) सात-वाहन लेख में दकट तथा घोड़े दान का वर्णन है (नानाघाट का लेख) प्रतिहार, गहड़वाल तथा पालवशी लेखों में हाथी-घोड़ा को निगरानी के लिए एक पदाधिकारी का नाम मिलता है। (ए० इ० १९ पृ० १७, भा० ७ पृ० ९९, भा० ४ भा० २८ पृ० ३२५ भा० १२ पृ० ८)। इस प्रकार के स्थल-यान के अतिरिक्त नावों का भी प्रयोग आवागमन निमित्त होता था जिसका विवरण कई लेखों में आया है।

समाज की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त तत्कालीन मनुष्यों के चरित्र का अध्ययन करना आवश्यक है। भारतवासियों का चरित्र सदा से उज्ज्वल तथा पवित्र रहा है जिसका विस्तृत वर्णन विदेशियों (मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग) ने किया है। सत्य-भाषण तथा वीरता के लिए समाजमें व्यक्ति सर्व प्रसिद्ध रहे हैं। गुप्त काल में कोई भी व्यक्ति अधार्मिक, व्यसनी, आर्त, दरिद्र तथा पीडित न था ऐसा वर्णन जूनागढ के लेख में पाया जाया है—आर्तः दरिद्रो व्यसनी कदर्यो दण्डयो न वा यो भूषा पीडितः स्यात् (का० इ० इ० ३ पृ० ५८) इस तरह के वर्णन अधिक नहीं मिलते तो भी यत्र-तत्र उल्लेख आते हैं।

भारतवासियों का आदर्श सांसारिक वैभव न था किन्तु संसार को बहू तृण व बुलबुले के सदृश समझते थे (नालदा ताम्रपत्र ए० इ० १८) ब्राह्मण दानग्राही होने पर भी आदर्श के लिए धन का त्याग कर देता था । (ए० इ० १३ पृ० २९२) यद्यपि राजाओं के बहुपरनी व्रत का विवरण लेखों में आता है किन्तु वह अपनी रानियों से ही प्रेम करता तथा अन्य स्त्रियों से पूयक रहना उसकी भावना थी । ऐसा वर्णन शासक के आदर्श चरित्र का द्योतक है—

संत्यक्त पर कलत्रो घर्मकरतोपि सर्वदावश्यं

निज वनिता परितुष्टोप्यभिलषित सुसज्जन प्रमदः (ए० इ० १ पृ० १५६)

अयहोत् प्रशस्ति में कोतिवर्मा का आदर्श चरित्र निम्नपंक्ति में उल्लिखित है—

परदार निवृत्तचित्त वृतेरपि धीर्यस्य रिपुक्रियानुकृष्टा

पाल नरेश घर्मपाल तथा वाक्पाल राम-लक्ष्मण के सदृश आदर्श जीवन व्यतीत करते थे ।

रामस्थेव गृहीत सत्यतपसस्तस्यानु पो गुणे

सौमित्रेरुदपादि तुल्य महिमा वाक्पाल नामानुज

(ए० इ० १५ पृ० १९३)

सर्वसाधारण जनता भी पवित्र जीवन व्यतीत करनी थी तथा दान व्रत तीर्थ और यज्ञ में विश्वास रखती थी । पूर्व मध्ययुग के सहस्रो दानपत्र जनता के धार्मिक भावना के द्योतक हैं । व्रत पालन करना तत्कालीन समाज में एक आवश्यक कार्य हो गया था । देवोस्थान एकादसी, हरिशासनो वामन या गोविन्द द्वादसी (ए० इ० १३ पृ० २११ या ४ कमौली ताम्रपत्र) रामनवमी (ए० इ० १४ पृ० १८८) तथा सावित्री पर्व (ए० इ० ११ पृ० ३९) आदि के नाम मध्यकालीन अभिलेखों में प्रचुरता से उल्लिखित हैं । देवयात्रा तथा पर्वयात्रा का नाम भी चह्रमान लेखों में आता है (ए० इ० ११ पृ० २८) । तीर्थ स्थानों में जाकर शासक या जनता दान दिया करती थीं ताकि वे पुण्य के भागी हों । गहडवाल राजा के कमौली ताम्रपत्रों में वाराणसी तीर्थ का नाम अनेक बार (ए० इ० भा० ४ पृ० १२२) तथा कल-चुरी प्रशस्तिवों में प्रयाग का नाम (वेणी = प्रयाग) (ए० इ० भा० ८ पृ० १२२ पृ० १५४) अधिकतर आए हैं । चेदिबशी लेखों में प्रयाग के साथ गया का नाम भी मिलता है (ए० इ० २५ पृ० ३१७) । पाल अभिलेखों में केदार तथा गंगासागर तीर्थों का उल्लेख है । (खालोमपुर लेख ए० इ० ४ पृ० २४३) । अयोध्या तीर्थ स्वर्ग का द्वार कहा गया है—

सरयु घर्घराघमर्षण स्वर्गं द्वार नाम्नि तीर्थं

(गहडवाल लेख—ए० इ० १४ पृ० १९३ भा० १५ पृ० ६)

इन समस्त उल्लेखों से प्रकट होता है कि समाज में धर्म की भावना काम कर रही थी । व्रत के प्रति अनुराग तथा तीर्थयात्रा में लोगों की आस्था उनके पवित्र जीवन को प्रमाणित करते हैं ।

भारतीय प्रशस्तियों में धार्मिक चर्चा

भारत की प्रशस्तिया इतनी बड़ी निधि हैं कि उनसे सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए जा सकते हैं। यह सर्व विदित है कि प्राचीन समय में शासक के जीवन तथा बश का इतिहास अभिलेखों में भली भाँति वर्णित है। उनका वर्गीकरण यह ब्रतलता

बौद्ध धर्म

कि अधिकतर लेख धार्मिक भावना से प्रेरित होकर लिखे जाते थे। इस दिशा में सर्व प्रथम अशोक के लेखों की गणना उचित है।

अशोक के शिलालेख तथा स्तम्भ लेखों के सम्भार अध्ययन से सदाचार तथा धर्म सम्बन्धी बातों का परिज्ञान हो जाता है। मौर्य सम्राट् ने तो धार्मिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के निमित्त लेख खुदवाया था। उसके धार्मिक भावना के सम्बन्ध में विभिन्न मत उपस्थित किए गए हैं। कुछ विद्वान् मानते हैं कि अशोक बौद्ध नहीं था, उमने जो कुछ कहा है वह याम्नाव में सभी धर्मों का सार है। सदाचार की बातें सर्वत्र कहीं गई हैं। उपासक लोगों के लिए ही लेख में सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है। उदाहरण के लिए ग्यारहवें शिलालेख में उसने अकिन कराया था—
देवानं पिये पियदशी लाजा एव आह नथि हेपिये दान अदिप धम दान। तत एपे दापा भट-
कपि सम्या पटियति माता पितुपु पुपुपा। मित पयुत नादिक्यान समन। वभ नाना दाने पानानं
अनातंभे—इयं साधु क्षे तथा कलत हिद लंकिषये चक आलघे होति पलत च अनत पुना पश-
वति तेना थंम दानेना। तात्पर्य यह है कि अशोक ने आदेश दिया कि सभी लोगों से उचित व्यवहार किया जाय। गुलाम से समुचित व्यवहार करे। माता-पिता की सेवा करे। साधु ब्राह्मण का दर्शन कर दान दे। प्राणियों की हिंसा न करे। ऐसा करने से इस संसार में सुख मिलेगा और अन्यत्र पुण्य होगा। ऐसा विचार अशोक ने कई लेखों में दुहराया है जिससे बौद्ध धर्म की ओर विशेष सुझाव का अनुमान नहीं किया जा सकता। ऐसी सार बातें तो प्राय सभी मतों में प्रतिपादित की गई हैं। डॉ० भन्डारकर ने लेखा के बग्न्य प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि अशोक बौद्ध-धर्मानुयायी था। कलिङ्ग युद्ध (तेरहवा शिलालेख) के पश्चात् उसका विचार परिवर्तित हुआ गया और उसने धर्म-द्वारा संसार-विजय का सकल्प किया। अहिंसा के सिद्धान्त पर अटल रह कर उसने बौद्धधर्म के प्रसार तथा प्रचार के लिए अनेक उपाय किए। स्वयं महावर्षी तथा हम्मनदेई की धर्मयात्रा की। उपासकों को बौद्ध साहित्य के पाठ करने का (भाद्रू का लेख) अनुरोध किया तथा अनेक दूतों को धर्म-प्रचार के लिए विभिन्न देशों में भेजा। पुत्र तथा पुत्री सिंहल द्वीप गए। स्तूप पूजा का आरम्भ अशोक ने ही किया और इस कारण कई हजार स्तूपों का निर्माण किया। उसके धर्म-महामात्र अहिंसा का पाठ सुनाया करते थे। अशोक का सारनाथ का स्तम्भ लेख घोषित करता है कि वह सच में एकता का पक्षपाती था और विघ्नेद डालने वाले भिक्षु को संघ बहिष्कृत करना अभीष्ट था। मौर्य सम्राट् ने स्वयं बिहार में प्रवेश कर (रूपनाथ का

लेख-सातिलेके व छवच्छर य मुनि हक सघ उपेते) प्रजा के सम्मुख आदर्श उपस्थित किया। इस प्रकार अजोक के धर्मलेख यह बतलाते हैं कि उसने बौद्धमत को राजधर्म बनाया।

यद्यपि शौर्य युग के पश्चात् बौद्धमत को राजाश्रय मिल न सका तथापि जनता में बौद्ध-धर्म के अनुयायी तथा उपासकों की संख्या कम न थी। भारत में स्तूप पूजा का प्रसार हो गया था, इसलिए शुंग काल में स्तूप के चारों तरफ वेदिका तथा तारण तैयार किए गए और उन पर लेख भी खोदा गया। भरहुत वेदिका के लेख में यह वर्णन आता है कि—

सुगनं रजे रजो गागीपुतस विसदेवम

वाञ्छि पुतेन धनभूतिन कारित तोरना

शुंग काल में धनभूति ने तोरण बनवाया था। इसी तरह सांची के दक्षिणी तोरण पर सात-वाहन नरेश शातकर्णो (ई० पू० दूसरी सदी) के समय का एक लेख मिलता है। सांची वेदिका के हिस्से पर दान कर्ता के नाम अंकित है। इससे प्रकट होता है कि शुंग काल में भी बौद्धमत (हीनयान मत) का प्रसार था।

ईसवी सन् के पूर्व गीता तथा मनुस्मृति की रचना हुई जिससे ब्राह्मणधर्म का प्रसार हुआ गीता के ज्ञान तथा भक्ति का प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा जिससे महायान की उत्पत्ति हुई। उस समय से कुपाण राजा कनिष्क ने बौद्धमत को प्रोत्साहित किया और चौथी संगीति बुलाई थी। मथुरा के बौद्ध प्रतिमाओं के आधार-शिला पर कनिष्क के शासन काल में लेख उत्कीर्ण कराए गए थे। कनिष्क के काशी तक राज्य विस्तार का परिज्ञान एक बुद्ध प्रतिमा के लेख से होता है। सारनाथ में एक विशाल बुद्ध मूर्ति मिली है जिसके लेख में महाक्षत्रप खरपत्ताना का नाम मिलता है जो कनिष्क का प्रांतपाल था। इसकी तिथि 'महारजस्य कणिष्कस्य सं० ३ (श० का० ३ = ई० म० ८१) लिखा है। कनिष्क के एक सिक्का पर बुद्ध की मूर्ति तथा वोडो (यूनानी अक्षरों में) मुद्रालेख उसके धार्मिक भावना पर प्रकाश डालते हैं। उसी के कुर्रम ताम्रपत्र में प्रती त्यसमुत्याद की चर्चा की चर्चा की गई है (ए इ भा. १८ पृ० १६६) ईसवी सन् की दूसरी सदी में नहपान के जामाता उपवस्त ने बौद्ध मठ को दान किया था (नासिक का लेख)। सातवाहन नरेश पुलमावि के समय में (ई० स० १५८) भदावनीय शाखा (भिक्षु सघ) की गुप्त दान का वर्णन मिलता है (ददाति निकायस भदावनीयान भिक्षु सघस-नासिक लेख) इसी प्रकार महासघिक शाखा के दान देने का वर्णन काली गुहा लेख में है।

गुप्तकाल में बौद्धमत के प्रसार का आभाम सारनाथ की बौद्ध प्रतिमाओं से मिल जाता है। सारनाथ शैली में अनगिनत बुद्ध की मूर्तियां बनने लगीं। प्रथम कुमारगुप्त का एक लेख मनकुत्रार (इलहाबाद उ० प्र०) की बुद्ध प्रतिमा के आधार शिला पर खुदा है। वह लेख 'नमो बुधान' की प्रार्थना से आरम्भ होता है। उसमें निम्न प्रकार का वर्णन है—इमं प्रतिमा प्रतिष्ठा पिता भिक्षु बुद्धिमित्रेण। कुमार गुप्त के राज्य में (१२९ + ३१९ = ४४८ ई० के समीप) यह प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई थी। द्वितीय कुमार गुप्त तथा बुद्धगुप्त के लेख भी उसी ढंग से उत्कीर्ण हैं। जिनकी तिथि क्रमशः गु. स १५४ तथा १५७ मिलती है।

गुप्तकाल के पश्चात् सातवी सदी से बुद्धधर्म के तीसरे यान-वज्रयान का प्रसार उत्तरी

भारत में हो गया था। विभिन्न राजाओं ने सहिष्णुता के कारण तथा पालवंशी नरेशों ने बौद्ध होने के कारण उसे आश्रय दिया जिसके प्रमाण उत्कीर्ण लेखों से मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल में वज्रयान के अनुयायी अधिक थे। उन प्रदेशों के लेखों में 'ओ नमो बुद्धाय' की प्रार्थना तथा "भगवन्त बुद्ध भट्टारकम्" के पक्ष में दान का वर्णन मिलता है। सारनाथ से उस प्रकार के अनेक लेख उपलब्ध हुए हैं। गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र की रानी कुमारदेवी ने बौद्ध मतानुयायी होने के कारण बिहार को दान दिया जिसका उल्लेख इसी बिहार से प्राप्त एक शिलालेख में किया गया है। बंगाल के राजा महोपाल के सारनाथ लेख में बुद्ध प्रतिमा दान का वर्णन है। बिहार प्रान्त के मगध या बंगाल से जितनी पालवंशी की बौद्ध प्रतिमाएँ मिली हैं उनके सिरे भाग पर निम्न लेख खुदा रहता है—

यो धम्मा हेतु ऽभवा, हेतुं तेसं तथाभतो अबोच
तेस च यो निरोधो एवं वादी महाश्रमण ।

(ए० इ० भा० १० २९१)

पटना के समीप कुर्कीहार नामक स्थान से कास्य-प्रतिमाओं का ढेर मिला है जिन पर देवपाल के समय के लेख खुदे हैं। इतना ही नहीं पाल नरेशों की प्रशस्तियाँ (खालीमपुर, नालन्दा, मुंघेर, भागलपुर, बोधगया, बानगढ आदि) बुद्ध की प्रार्थना में प्रारम्भ (नमो बुद्धाय) होती है जो राजाओं के धार्मिक भावना के द्योतक है। यो तो खालीमपुर ताम्रपत्र तथा भागलपुर ताम्रपत्रों में क्रमशः विष्णु और शिव मन्दिर के दान का विवरण मिलता है लेकिन उन लेखों में दान का विवरण राजाओं के सहिष्णु होने की वार्त्ता उपस्थित करता है। यह तो निर्विवाद है कि धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, सूरजपाल आदि पाल नरेश बौद्ध मतानुयायी थे तथा परमसौगत की पदवी एव बुद्ध-प्रार्थना इसके सबल प्रमाण है।

ईसा पूर्व छठी सदी से ही महावीर ने जैन मत का प्रचार किया था जिनको उन्नति कालांतर में होती रही। अशोक लेखों में 'निग्रंथ' शब्द का प्रयोग जैन धर्म के लिए किया गया है। उड़ीसा में जैनमत का प्रचार उदयगिरि (भुवनेश्वर के पास) जैन तथा आजीविक मत के गुहालेखों से ज्ञात होता है। हाथी गुम्फा लेख राजा खारवेल के जैनमत में विश्वास का वर्णन करता है। उसकी रानी द्वारा उत्कीर्ण मंथपुरी गुहा लेख में "अरहत पसादाय कलिपान समनान लेन कारित" का वर्णन यह बतलाता है कि उदयगिरि के भाग में जैन माधु निवास करते थे। जिन के लिए अन्नमहिनी ने गुहा दान किया था। ईसवी सन् के आरम्भ से मथुरा के समीप इस मत का अधिक प्रसार हुआ। यही कारण है कि ककाली टीले की खुदाई से अनेक तीर्थंकर प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जिन पर दान कर्त्ता का नाम भी उल्लिखित है। वहाँ के आवाग पट्टु पर भी अभिलेख उत्कीर्ण है जिसमें वर्णन है कि अमोहिनी ने पूजा निमित्त इसे दान में दिया था—

अमोहिनिये सहा पुत्रेहि पालघोषेन पोठघोषेन
घनघोषेन आर्यवती (आयागपट्ट) प्रतिष्ठापिता

वह लेख 'नमो अरहतो वर्धमानस' मंत्र द्वारा जैनमत से उसका सम्बन्ध घोषित करता है [सोडस कालीन लेख]। दूसरी सदी के जूनागढ शिलालेख में उस व्यक्ति का वर्णन है जो

जरा मरण से मुक्त होकर केवल ज्ञान (जैनमत में पूर्ण ज्ञान) प्राप्त कर चुका है। अतएव काठियावाड़ में जैनमत के प्रचार का अनुमान किया जा सकता है (जयदामन के पौत्र का जूनागढ़ लेख)।

ईसवी सन् के आरम्भ से जैन प्रतिमा के आधार-शिला पर (बौद्ध प्रतिमा की तरह) लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। लखनऊ के संग्रहालय में ऐसी अनेक तीर्थकर की मूर्तियाँ सुरक्षित हैं जिन के प्रस्तर पर कनिष्क के ७९ या ८४ वें वर्ष का लेख उत्तीर्ण है। गुप्तयुग में भी इस तरह की प्रतिमाओं का अभाव न था जिनके आधार शिला पर लेख उत्कीर्ण हो। ध्यानमुद्रा में बँठी महावीर की ऐसी मूर्ति मयुरा से प्राप्त हुई है। गु० स० ११३ (ई० स० ४२३) के मयुग वाले लेख में हरिश्चामिनी द्वारा जैन प्रतिमा दान का वर्णन है। स्कन्द गुप्त के शासन काल में मद्र नामक व्यक्ति द्वारा आदिकर्तृन् की प्रतिमा के साथ एक स्तम्भ स्थापना का वर्णन कहौम (गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) लेख में है—

श्रेयोर्ष्यं मृतभूतैर्यं पथि नियमवतामर्हतामादिकर्तृन् ।

पहाड़पुर के लेख (गु० स० १५५) में जैन विहार में तीर्थकर की पूजा निमित्त भूमि दान का विवरण है, जिसकी आय गध घूप दीप नैवेद्य के लिए व्यय की जाती थी।

विहारे भगवता अर्हता गध घूप सुमन दीपाद्यर्थम् ।

(पहाड़पुर का ताम्रपत्र)

पूर्व मध्ययुग में राजपुताना के विस्तृत क्षेत्र में भी जैन मत का पर्याप्त प्रचार था जिसका परिज्ञान अनेक प्रशस्तियों के अध्ययन से हो जाता है। चहमान लेख में राजा को जैनधर्म पंगायण कहा गया है तथा तीर्थकर शांति नाथ की पूजा निमित्त आठ द्रम (सिक्के) के दान का वर्णन है। तैलप नामक राजा के पितामह द्वारा जैन मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है—

पितामहेन + तग्येद शमीयाट्या जिनालये

कारित शांतिनाथस्य बिम्बं जन मनोहरम् ।

विशाली शिलालेख (ए० इ० २६ पृ० ८९) का आरम्भ 'ओ नमो वोतरागाय' से किया गया है जिसके पश्चात् पार्श्वनाथ की प्रार्थना मिलती है। जलौर के लेख में पार्श्वनाथ के 'ध्वज उत्सव' के लिए दान का वर्णन निम्न प्रकार है—

श्री पार्श्वनाथ देवे तोरणादीना प्रतिष्ठाकार्यो कृते ।

ध्वजारोपण प्रतिष्ठाया कृताया

(ए० इ० ११ पृ० ५५)

मारवाड़ के शासक राजदेव के अभिलेख में महावीर-मंदिर तथा विहार के निवासी जैन साधु के लिए दान देने का विवरण मिलता है।

(श्री महावीर जैत्ये साधु तपोधन निष्ठाये)

लेखों के आधार पर कहना उचित होगा कि राजपुताना में महावीर, पार्श्वनाथ तथा शांतिनाथ की पूजा प्रचलित थी। परमार लेख में ऋषभनाथ के पूजा का उल्लेख है और उसके मंदिर को अतीव सुन्दर तथा पृथ्वी का भूषण कहा गया है।

श्री वृषभनाथ नाम्न प्रतिष्ठित भूपणेन विम्बमिदं)
(तेनाकारि मनोहर जिन् गृह भूमैरिदभूषणम्)

चन्देल राज्य के प्रधान खजुराहो नगर में लेख तथा प्रतिमाओं के अध्ययन से जैनमत के प्रचार का ज्ञान होता है। प्रतिमाओं के आधार शिला पर खुदा लेख यह प्रमाणित करता है कि राजाओं के अतिरिक्त साधारण जनता भी जैनमत में विश्वास रखती थी। (ए० इ० २० पृ० ४५-८)

जहाँ तक आजीविक मत का प्रश्न है, मखली पुत्र गोसाल (बुद्ध के समकालीन) ने अपने मत का प्रचार अवश्य किया और उसके अनुयायी मसार त्याग भी कर चुके थे। अशोक तथा दशरथ के बराबर एव नागार्जुनी पहाड़ों के गुहा लेखों से आजीविका सच की स्थिति मालूम पड़ती है। उस सच को गुहाएँ दान में दी गई थी। (इमं निगोहं कुभा दिवा आजीवि-केहि-बराबर गुहा लेख)। सम्भवतः ईसवी सन् के आरम्भ से आजीविक मत का उल्लेख प्रशस्तियों में नहीं मिलता। ब्राह्मिहिर तथा वाण ने आजीविक का उल्लेख किया है। कालान्तर में इन्होंने सम्भवतः ब्राह्मण मत (वासुदेव पूजा) को स्वीकार कर लिया जिस कारण आजीविक मत का पृथक अस्तित्व न रह सका।

प्राचीन भारत में अशोक में पूर्व किसी शासक के लेख प्राप्त नहीं हुए हैं अतएव अभिलेखों का अध्ययन मौर्य काल से ही प्रारम्भ होता है। बुद्ध के समय में भी ब्राह्मण धर्म का प्रचार था जिसका वर्णन अशोक के धर्म लेखों में 'ब्राह्मण' शब्द में व्यक्त किया गया है।

मौर्य युग के पश्चात् भारतीय लेख यह बतलाते हैं कि अशोक के सिद्धान्त का जनता ने स्वागत नहीं किया। उसके मरते ही ब्राह्मण धर्म का जागरण हो गया और उत्तर तथा दक्षिण भारत में यज्ञादि होने लगे जिसे अशोक ने अपने धर्म लेखों में निन्दित बतलाया था (इधन किञ्च जीवं आरभित्पा प्रज्हित्भ्यं)। मौर्य शासन के पश्चात् शुंग राजा पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का संदेश सुनाया और दो अश्वमेध द्वारा वैदिक यज्ञ को पुनः प्रतिष्ठापित किया (द्वि अश्वमेध याजिन सेनापते पुष्यमित्र-अयोध्या का लेख) दक्षिण के सातवाहन राजा शातकर्णिक द्वारा कई यज्ञ करने का वर्णन नानाघाट के लेख में है जिसमें नायनिका ने अपने पति के कार्यों (मेघो) का उल्लेख किया है। यज्ञ के अतिरिक्त ईसा पूर्व सदियों (दूसरी व पहली) में भागवत धर्म का विशेष प्रचार हुआ जिसकी पृष्ठ लेखों से होती है। नानाघाट लेख (महाराष्ट्र) के आरम्भ में ही सकर्षण तथा वासुदेव की प्रार्थना की गई है। घोषुण्डी शिलालेख (चित्तौरगढ़) में राजा भागवत की पदवी से विभूषित होकर अश्वमेध का कर्ता कहा गया है। उसीमें सकर्षण एवं वासुदेव के पूजा निमित्त शिला-प्रकार का उल्लेख है।

राजा भागवतेन, अश्वमेधयाजिना

भागवम्या संकर्षण वासुदेवाम्या।

इस तरह पाटलिपुत्र, राजपुताना तथा महाराष्ट्र के भूभाग में अश्वमेध का पुनः आरम्भ तथा भागवत धर्म का प्रसार ब्राह्मण धर्म की जागृति का सूचक है। भारतीय नरेशों को छोड़कर विदेशी यूनानी राजदूत हेरियोडोरस भी भागवत धर्म का अनुयायी हो गया था। उसने एक

गरुडस्तम्भ-लेख खुदवाया जो भिलसा (मध्यप्रदेश) के समीप खम्बा बाबा के नाम से आज भी प्रसिद्ध है । उसने भगवान् विष्णु के मन्दिर के सम्मुख गरुड स्तम्भ स्थापित किया जिसमें विष्णु महान् देवता (देव देवम वामुदेवस) कहे गए हैं तथा वह स्वयं अपने को भागवत (विष्णु का पुजारी) कहता है । इससे भागवत मत के प्रभाव का अनुमान हो जाता है

ईसवी सन् की चौथी शताब्दी से गुप्त सम्राटों ने अपने विजय के उपलक्ष्य में कई लेख उत्कीर्ण करवाया जिनसे ऐतिहासिक विवरण के अतिरिक्त धार्मिक विषय पर भी प्रकाश पड़ता है । गुप्त नरेश परम वैष्णव थे जिसका वृत्तान्त लेखों में निहित है ।

विष्णु पूजा विष्णु के वाहन गरुड का ध्वज उस वंश का राजचिह्न था जिसका उल्लेख प्रयाग के स्तम्भ लेख में मिलता है (गरुडमदङ्क स्वविषय युक्ति शासन याचना) इसके अतिरिक्त गुप्त लेखों तथा मुद्रालेखों में राजाओं के लिए 'परम भागवत' की पदवी खुदी है । द्वितीय चन्द्रगुप्त के रजतमुद्रा में "परम भागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य" लिखा है । प्रथम कुमार गुप्त तथा स्कन्द गुप्त के लेखों में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा प्रथम कुमार गुप्त 'परम भागवत' की पदवी से विभूषित हैं (भिलसद, भितरी स्तम्भ लेख तथा भितरी राजमुद्रा का लेख) साहित्यिक प्रमाणों से पुष्टि होती है कि अवतारवाद की कल्पना गुप्तकाल में पूर्ण हो गई थी । गुप्त लेखों का अध्ययन भी यह प्रमाणित करता है कि उस युग में विष्णु के अवतारों की पूजा होती थी । एरण नामक स्थान पर बराह विष्णु की स्तुति सुन्दर शब्दों में की गई । इसी तरह दामोदरपुर ताम्रपत्र में 'श्वेत बराह स्वामिन' के लिए दान का वर्णन है । छठी सदी के तोरमाण के एरण लेख में 'देवो बराह-मूर्ति' की प्रार्थना पाई जाती है ।

छठी सदी से बारहवीं शताब्दी तक के लेखों के आधार पर वैष्णव मत के प्रसार का परिज्ञान होता है । जो अभिलेख वैष्णव मंत्र "नमो नारायणाय" या "ओ नमो भगवते वामुदेवाय" अथवा "वामुदेव भट्टारक" से प्रारम्भ होते हैं, उन्हें वैष्णव मानने में कठिनाई नहीं है । मध्ययुग में वैष्णवमत ने मगधान को प्रभावित किया (जो सहजिया के नाम से प्रसिद्ध था) जिसके फलस्वरूप बंगाल में "वैष्णव-सहजिया" मत का प्रचार हुआ । तत्कालीन लेखों में विष्णु मन्दिर तथा प्रतिमापूजा के निमित्त दान का विवरण भरा पड़ा है । प्रतिहार तथा कलचुरी प्रशस्तियों (जबलपुर तथा गौहरवा) में विष्णु की प्रार्थना निर्गुण तथा सगुण भाव से की गई है ।

यस्मिन्नि विशन्ति भूतानि यत्स्वर्गं स्थिती मते

स व पयाद् धृषीकेशो निर्गुणस्सगुणश्चय

(भोज का जोधपुर की प्रशस्ति—ए० इ० १८ पृ० ९५)

निर्गुण व्यापक नित्यं शिवं परमकारणम्

भावग्राह्यं परं ज्योतिस्तमै सद्ब्रह्मणे नम

(सरखो ताम्रपत्र—ए० इ० २२ पृ० १६०)

प्रशस्तियों में विष्णु की स्तुति विभिन्न नामों से की गई है । नारायण, मुरारी, हरि, माधव "ओ नमो माधवाय" "ओम् नमो विष्णवे" मंत्र लेखों के आरम्भ में उल्लिखित हैं ।

गहटवाल नरेश के कमौली दान पत्रों में विष्णु के लिए 'आदि केशव' नाम प्रयुक्त है। आज भी वाराणसी के पूर्वी भाग वरुणा-गंगा के संगम समीप आदि केशव मंदिर स्थित है। इस तरह विष्णु पूजा की लोकप्रियता ज्ञात होती है। उत्तरी भारत के लेखों में वैष्णवमत का प्रचार अधिकतर मंदिर निर्माण के कार्य से विदित होता है [प्रासादी वैष्णवस्तेन निम्मितोन्तर्व-हृत्हरिम्] चन्देल राजा परमर्दि के बटेद्वर-लेख में विष्णु-मंदिर को कैलाश के सदृश ऊँचा बतलाया गया है। खजुराहो नामक स्थान से जो चन्देल लेख मिले हैं उन का वर्णन उपर्युक्त बातों की पुष्टि करता है। परमार राजा भोज देव के लेख-वंतमा ताम्रपत्र (ए० इ० १८ पृ० ३२३) में विष्णु मंदिर के समुख 'गरुड ध्वज' स्थापित करने का उल्लेख है। इसी के सदृश धर्मपाल के खालीमपुर लेख में (ए० इ० भा० ४) 'नर-नारायण' के मंदिर निर्माण तथा नारायण पाल की प्रशस्ति में 'गरुड ध्वज' की स्थापना सुन्दर शब्दों में की गई है।

ईसवी पूर्व सदियों में ब्राह्मण धर्म सम्बन्धी मुद्रा-लेख नहीं मिलते परन्तु शैवमत से सम्बन्धित मुद्रा-लेख वीमकदफिस के सिक्के पर अंकित मिला है। शैव मत सम्भवतः वह कुपाण नरेश शैवमतानुयायी था इसलिए वह 'महोश्वर' की पदवी से विभूषित किया गया था—

महरजस राजाधिराजस सर्वलोग ईश्वरस महेश्वरस वीमकदफिसस ।

कनिष्क ने भी शिव (ओडडो) का नाम अंकित करा कर शैवमत के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया था। उसके उत्तराधिकारी ह्विष्क तथा वासुदेव के सिक्कों पर शिव की प्रतिमा तथा नाम खुदा है जिससे उत्तर पश्चिम भारत में शैवमत का प्रचार प्रकट होता है।

कुपाणों के राजनीतिक परदे से हटने ही वाकाटक तथा भारशिव नरेशों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। नागवंशी राजा शिवलिङ्ग को अपने कंधों पर बहन करते थे इसलिए उन्हें भारशिव कहा गया है। उसके सम्बन्ध में वाकाटक प्रशस्ति में निम्नलिखित वर्णन पाया जाता है—

शिवलिङ्गोद्ग्रहण शिव-मुपरितुष्ट समुत्पादित
राजवश— भारशिवाना महाराज
श्रा भव नाग (द्वितीय प्रवरमेन का चमक लेख)

गुप्त युग के अभिलेखों का अध्ययन भी शैवमत के प्रचार की पुष्टि करता है। द्वितीय चन्द्रगुप्त के उदयगिरी लेख में शिव पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा के मंत्री वीरमेन ने वहाँ शैव-गुहा (शिव-मंदिर) का निर्माण किया था—

भक्तया भगवत शम्भोर्गुहामेतामकारयत् (उदयगिरि का लेख)

उसी समय [गु. स ९६] ध्रुवशर्मा ने भिलसद [एटा, उत्तर प्रदेश] में स्वामी महासेन का मंदिर तैयार किया था। प्रथम कुमार गुप्त का करमदण्डा लेख शिवलिङ्ग के अधोभाग पर उत्कीर्ण है। दामोदरपुर ताम्रपत्र में कोकमुख स्वामिन (बैनर्जी इसे पार्वती का द्योतक समझते हैं) के निर्मित अग्रहार का वर्णन है। गुणघर ताम्रपत्र (बंगाल) में वैश्यागुप्त शिव भक्त (भगवन्महादेव पादानुष्वातो) कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्तयुग के अनेक

शिव प्रतिमाओं को छोड़कर अभिलेखों का अध्ययन यह प्रमाणित करता है कि शैवमत का प्रचुर प्रचार था। इतना ही नहीं गुप्तों के सामंत महाराज हस्तिनके कई लेख मध्यभारत (मध्य प्रदेश) से प्राप्त हुए हैं जिन पर 'नमो महादेवाय' मंत्र से प्रशस्ति का आरम्भ किया गया है।

गुप्तकाल के पश्चात् भी इस धर्म के प्रचार में उन्नति ही होती गई। वर्धन नरेश हर्ष मधुवन ताम्रपत्र में परमाहेश्वर की पदवी से विभूषित हैं। सम्भवतः प्रारम्भिक जीवन में वह शिव का पूजारी था। छठी सदी के शासक विष्णुवर्धन के मंदसौर (मालवा) लेखों में तथा हूण राजा मिहिर के खालियर प्रशस्ति में शिव की प्रार्थना रोचक शब्दों में की गई है (का० इ० इ० भा० ३ पृ० ७४ व १५२) मिहिरगुल के सिक्के पर जयतुव्युष का लेख अंकित है। यह विवरण हूण शासक मिहिरगुल द्वारा की गई शिव-पूजा उसकी गांधी भक्ति का परिचायक है।

सातवीं सदी से बगाल में भी शैवमत का प्रचार था जो शशाक, पाल नरेश नारायण पाल और सेनवंशी शासकों की प्रशस्तियों से प्रकट होता है। शिव प्रतिमा के लेख में "महा-वृषभ पर्याङ्क बालन्द्रे ज्योतिजटा भगवत स्थित्युत्पत्ति प्रलय सृष्टि संहार कारणस्व" का उल्लेख मिलता है। इस काल में शिवपूजा लोकप्रिय रही इसीलिए शिवके विभिन्न नाम, अग्रहार तथा मन्दिर निर्माण की बातें उल्लिखित हैं। शैवमत की उपशाखाएँ भी इस युग में प्रचलित थीं। लेख के प्रारम्भ में 'ओ नमो शिवाय' का मंत्र स्पष्ट प्रकट करता है कि शासक का झुकाव शैवमत की ओर अवश्य था। कलचुरी लेखों में केशरेश्वर, सोमनाथ तथा रुद्र के नाम उल्लिखित हैं। (ए० इ० भा० १ व १६ पृ० २३८; १३) परमार प्रशस्ति में भवानोपति, व्योमकेश, महादेव या उमापति के नाम से शिव की प्रार्थना की गई है (ए० इ० भा० ११ पृ० १८१)। पञ्चपति, योगस्वामी, लोलार्क तथा विन्ध्येश्वर (ए० इ० भा० ६, ५ पृ० १७४, ११६) के नाम विभिन्न लेखों से ज्ञात होते हैं। सेन तथा प्रतिहार लेखों में "अर्द्ध-नारोश्वर" शम्भु तथा नीलकण्ठ का उल्लेख पाया जाता है (ए० इ० भा० १९ पृ० १७५, भा० १४ पृ० १५९)। सेनवंशी के आराध्यदेव 'सदाशिव' कहे गए हैं जिनकी प्रतिमा लेखों के ऊपरी भाग पर खुदी है। शिव पूजा में आस्था करने के कारण ही परमार, चेदि, चन्देल, प्रतिहार गहड़वाल तथा सेनवंशी शासक 'परम माहेश्वर' की पदवी से विभूषित थे। यह पदवी स्वयं बतलाती है कि महेश्वर के नए नाम से भी शिव की पूजा होती रही।

राजकीय लेखों में शिव की प्रार्थना ललित शब्दों में की गई है। प्रशस्तियों से उद्धरण मुनि।—

- (१) जयति जगत्त्रय मडप मूलस्तम्भो महादेव
(परमार लेख, ए० इ० २१ पृ० ४४)
- (२) वदेमहि महादेवं देव देव जगद्गुरुम् ।
(कलचुरि लेख, ए० इ० २ पृ० १८)
- (३) गङ्गावुस सिक्त माल भाले

कलेन्दोरमला कुरामा

पद्मङ्गिन् नम्रोहित कल्प बल्या

भातीव भूस्यै स तवास्तु शम्भु

(उदयपुर प्रशस्ति—ए. इ. १ पृ. २३३)

(४) कल्याणिताम् विकला भवता तनोतु

भाले कलानिधि षशि शेखरस्य

(भेराघाट लेख,—ए. इ. २ पृ. १०)

बंगाल के पाल तथा सेन नरेशों के शिव मन्दिर के निर्माण का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। पाल राजा नारायणपाल ने बौद्ध मतानुयायी होकर भी शिव (शिव भट्टारक) के सैकड़ों मन्दिर तैयार कराया जिसका वर्णन भागलपुर की प्रशस्ति में मिलता है—महाराजा-धिराज श्री नारायणपाल देवेन स्वयं कारित सहस्रायतनस्य । तत्र प्रतिष्ठापितस्य । भगवत शिव भट्टारकस्य (इ० ए० भा० १५ पृ० ३०६) यदि इस सख्या को अत्युक्तिपूर्ण माने तो भी उसके शैवमत के आदर तथा उस धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव प्रदर्शित करता है। विग्रहपाल तीसरे ने भी शिव मन्दिर तैयार कराया। विजयसेन के देवपारा प्रशस्ति में प्रद्युम्नेश्वर (शिव) के विशाल देवालय निर्माण का वर्णन है—(स प्रद्युम्नेश्वस्य व्यधित वसुमतो वासव सौर्धमुर्ध्वं) बंगाल के बाहर उड़ीसा में दसवीं सदी में शिवमन्दिर निर्मित किए गए जिसमें लिङ्गराज सर्व प्रसिद्ध है। मध्य भारत में चन्देल नरेशों की शक्ति और भक्ति के प्रमाण उनके मन्दिरों तथा लेखों से मिलते हैं। कन्दरिया महादेव का मन्दिर अत्यन्त सुन्दर ढंग से बनाया गया है। खजुराहो की प्रशस्तियों में शिवमन्दिर का वर्णन सुन्दर शब्दों में है। परमदि द्वारा निर्मित शिव मन्दिर भी उल्लेखनीय है (भारत कौमुदी भा० १ पृ० ४३५)। परमार शासन में नीलकण्ठ, महाकाल तथा मण्डलेश्वर शिव के देवालय बनाए गए थे (प्रासादायमय माणयं शिव एव करोति य—ए० इ० २१ पृ० ४२, ४८) कलचुरी लेखों के परिशीलन से उसी तरह का ज्ञान होता है कि शासक शिव-भक्त होने के कारण शिव-मन्दिर का निर्माण करते रहे। रतनपुर के लेख में उल्लेख आता है कि कुमराकोट नामक स्थान पर शिव मन्दिर तैयार कराया गया था।

सुधासु धवलं तत्र धूर्जटे धाम निम्मितम्

निमित्त मन्दिरं रम्या कुमराकोट पत्तने ।

(ए० इ० २६ पृ० २६२)

प्रतिहार लेखों का वर्णन इससे षटकर नहीं है। वाउक के ग्वालियर प्रशस्ति में निम्न वर्णन पठनीय है—

पुष्करणी कारिता येन त्रेता तीर्थे च पत्तनं

सिद्धेश्वरो महादेव कारितस्तुग मन्दिरः ।

(ए० इ० १८ पृ० ६६)

इस प्रकार के अभिलेखों का अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि मध्य-प्रदेश, राजपुताना, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में शैवमत लोकप्रिय था। जिसके पूजा या मन्दिर निर्माण का विशद वर्णन प्रशस्तियों में निहित है। लेखों का परिशीलन तथा प्रतिमाओं का परीक्षण यह बतलाता है कि भारतीय दर्शन के प्रकृति पुरुष या एक ब्रह्म को कल्पना को पूर्व मध्य-कालीन प्रतिमाओं में स्थान मिल चुका था। वैवाहिक प्रतिमा से प्रकृति पुरुष का बोध होता है तो अर्द्धनारीश्वर मूर्ति से 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' का परिज्ञान हो जाता है। सेन लेख में अर्द्धनारीश्वर के सम्बन्ध में निम्न पंक्ति मिलती है—

सध्या ताण्डव समविधान विलसन् नान्दा निनादोम्मभि
त्रिर्मयदासाण्णवो दिशतु वः श्रेयोद्धनारीश्वर

(नईहटी का ताम्रपत्र—ए० इ० १४ पृ० १५९)

७०० ई० के पश्चात् शैवमत का इतिहास विशेष महत्व रखता है। भारतवर्ष में सर्वत्र ही इस मत का प्रचार रहा। लेखों में शैवमत की प्रधान दो उप-शाखाओं—पाशुपत तथा कापालिक—के नाम मिलते हैं। पाशुपत शाखा के प्रतिष्ठापक लकु-पाशुपत तथा कापालिक लीश (हाथ में दण्ड) की आकृति हृदिक के सिक्को पर मिलती है परन्तु चौथी सदी में मथुरा स्तम्भ लेख में पाशुपत साधु उदित-चार्य द्वारा दो शिवलिङ्गों की स्थापना का वर्णन आता है (द्वितीय चन्द्रगुप्त का मथुरा स्तम्भ लेख)। गुजरात के एक लेख में लकुलीश के रूप में शिव का अवतार वर्णित है—

भट्टारक श्री लकुलीश मूर्त्या तपः क्रिया काड फल प्रदाता
अवानरेद्रिश्चमनुग्रहीतु देव रव्य बाल मृगाक मौलि.

(ए० इ० १ पृ० २८१)

पाशुपत मत के प्रचार के लिए ही लकुलीश का जन्म हुआ था—“अचतेरुश्चत्वार पाशुपत व्रत विशेष चर्याय ।” राजपुताना के उदयपुर के समापस्थ नाथ-मन्दिर की प्रशस्ति में लकु-लीश की प्रार्थना की गई। (ओ मनां लकुलीशाय) भ्रमवश लेखों में पाशुपत अथवा लकुलीश पाशुपत का उल्लेख है (राज्यपाल जा नदलई लेख ए० ई० ११ पृ० ३६)। सम्भवत नाथ मन्दिर के भू-भाग में शैवमत लकुलीश सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध था। चहमान नरेश विग्रहाज (११ वी सदी) के अभिलेख में शैवसाधु अलात का शिष्य पाशुपत शिव का परम पुजारी था।

आसीनेष्टिकरूपो यो दीप्त पाशुपत व्रत
तीव्र वेग तपो जात पुण्यापुण्यमलक्षण ।

(हर्ष शिलालेख—ए इ २ पृ १२३ श्लोक २५)

राजपुताना संग्रहालय के लेख में पाशुपत मतानुयायी विश्वेश्वर प्रजा नामक पुजारी सिद्धेश्वर मन्दिर में रहता था—ऐसा वर्णन आया है। कलचुरी लेख इस बात के प्रमाण है कि राजा पाशुपत उपशाखा के मानने वाले थे (ए इ १६ पृ० ७७) अहल्लणदेवी के भेराघाट प्रशस्ति में उल्लेख है कि (११ वी सदी में) शिव मन्दिर की स्थापना कर पाशुपत साधु के हाथ सारा प्रबन्ध सौंप दिया गया था—

लाटान्वय पाशुपतस्तपस्वी—

स्थानस्य रक्षा विधिमस्य तावत्थावन्मिभीते भवानानि शम्भु ।

तत्कालीन मठों में भी पाशुपत साधु के निवास करने का विवरण पाया जाता है—

श्री-भोजनगरे श्री सोमेश्वर देव मठ निवासी

परम पाशुपत आचार्य भट्टारक श्री भाव वाल्मिक. ।

बंगाल के राजा नारायणपाल के शिव मन्दिर के पाशुपत साधुओं के निमित्त स्थान तथा औषधि के लिए दान का निम्न वर्णन मिलता है :—

पाशुपत आचार्य परिषदश्च—

शयना नग्लान प्रत्यय भैषज परिष्कारार्थ्य ।

(भागलपुर का लेख—इ ए १५ पृ ३०६)

इस समय में प्रचलित शैवमत की दूसरी उपशाखा-कापालिक का नाम पुराणों में आया है और मध्ययुग के लेखों में भी उल्लिखित है । इसके अनुयायी शरीर में मृत व्यक्ति का भस्म (विभूति) लगाते, खोपड़ी में भोजन करते तथा शराब का पात्र भी रखते थे । अधोरपन्थी साधु भी इनके सदृश थे । शैव धर्म पर तांत्रिक मत का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पड़ता है । राज-पुताने के लेख में कापालिक साधुओं का उल्लेख है । उदयपुर की प्रशस्ति में कापालिक साधुओं के मठ निर्माण का विवरण पाया जाता है (आ० रि० राजपु० संग्रहालय १६२२-२३ पृ २) । हम्मीर के एक लेख में कापालिक शाखा का उल्लेख मिलता है जिसमें प्रकट होना है कि पाशु-पत मत के पश्चात् उदयपुर के भाग में (१२ वीं सदी) कापालिक (शैव-शाखा) का प्रचार हो गया था (ए इ १६ पृ ४७) ।

वैदिक काल में ही सूर्य देवता को पूजा का प्रचलन भारत में रहा परन्तु विद्वानों की धारणा है कि ईरान में सूर्य मत्त का प्रचार हुआ । ईसावी सन् के आरम्भ से सूर्य-पूजा की प्रियता बढ़ने लगी इसलिए कनिष्क ने मित्र (सूर्य) की आकृति सिक्के पर खुदवाई तथा मीरो (मिहिर = सूर्य) अंकित कराया । गुप्त युग में विष्णु तथा शिव के बाद सूर्यपूजा का स्थान था । गुप्त लेखों में सूर्य पूजा का अनेक स्थलों पर उल्लेख है । प्रथम कुमार गुप्त के मदसौर वाले लेख में भगवान् भास्कर की स्तुति ललित तथा काव्यमय भाषा में की गई है ।

हेतुर्वी जगत क्षयान्पुदययो पायान्सवो भास्कर

× × ×

भक्तेभ्यश्च ददाति योग्भिलपिते तस्मैमित्रे नम ।

× × ×

पायान्सव मुक्तिराभरणो विवम्बान् ।

इस लेख के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रथम कुमार गुप्त के प्रालर्षित बन्धु वर्मा के शासन में तन्तुबाय श्रेणी द्वारा सूर्य मन्दिर का संस्कार भी हुआ था—

श्रेण्यादेशेन भक्त्या च कारितं भवनं रवे

(मन्दसौर-मालवा की प्रशस्ति)

सम्राट् स्कन्द गुप्त के इन्दौर लेख में भगवान् सूर्य की प्रार्थना सुन्दर शब्दों से आरम्भ की गई है ।

पायादः स जगत्पिधान पुट-भिद्रसम्या करो भास्करः ।

इसमें वर्णन है कि अन्तरवेद में (गंगा-यमुना के द्वार) दो क्षत्रियो ने सूर्य पूजा के निमित्त

भास्कर का मन्दिर निर्माण कराया। वैशाली के महारो पर गुप्तलिपि में—“भगवतो आदित्यस्य” उत्कीर्ण है। गुप्त लेखों में उल्लिखित सूर्य-पूजा के वर्णन को तत्कालीन मूर्तिया प्रमाणित करती हैं।

पूर्व मध्ययुग में उत्तरी भारत (राजपुताना, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार व बंगाल) में इस सिद्धान्त (सूर्य-पूजा) का प्रचार हो गया था। वहाँ के अभिलेख “ओ नमो सूर्याय या नमो सूर्याय” मन्त्र से प्रारम्भ होते हैं। षानेश्वर के शासक राज्यवर्द्धन प्रथम, आदित्य-वर्धन तथा महाराजा प्रभाकर वर्धन (हर्ष के पिता) सूर्य भक्त होने के कारण ‘परम आदित्य भक्त’ कहे गए हैं (मधुवन का लेख—ए. ड. १ पृ ७२)। विदेशी हूण राजा तोरमाण सूर्य का पूजारी था उसने सिक्को पर चक्र के प्रतीक का समावेश किया तथा पुत्र को मिहिर का नाम रखा। मिहिरकुल के ग्वालियर प्रशस्ति में भी सूर्य मन्दिर के निर्माण का वर्णन मिलता है। उदयसिंह देव की भोनमल के लेख में भगवान् सूर्य की प्रार्थना निम्न शब्दों में की गई है—

कुस्तंजलि त्रिनेत्र स जयत धाम्ना तिधि सूर्य ।

(ए० इ० ११ पृ० ५५)

दूसरे लेख में पुष्प तथा नीम पत्तियों के साथ सूर्य पूजा का वर्णन है तथा चहमान प्रशस्ति में (१२ वीं सदी) सूर्य (इन्द्रादित्य) पूजा के निमित्त अग्रहार दान का विवरण है (ए० इ० १२ पृ० ५९)। प्रतिहार राजा द्वितीय महेन्द्रपाल के उज्जयिनी दानपत्र में भी उसी प्रकार का वर्णन (पूजा प्रकार) है। गहडवाल नरेण जयचन्द्र ने भगवान् लोलार्क (सूर्य का नाम) के पूजा निमित्त कई ग्राम दान किया था (ए० इ० ४ पृ० १२०—देव श्री लोलार्काय)। परमार वंश के बमनगढ़ के लेख में विववा रानी द्वारा सूर्य मन्दिर के संस्कार का उल्लेख पाया जाता है—

(अ) कृत्वा निकेतन व्रतवामी भानो (ए० इ० १ पृ० १३)

(ब) गृह कारितमाशुभानो (वही १४ पृ० १८१)

मुसलमान लेखकों ने सूर्य पूजा का वर्णन किया है जिसका प्रधान केन्द्र मुल्तान (= मूलस्यान) था। अलयेहनी ने इसका सुन्दर विवरण दिया है कि भारत के कोने-कोने से जनता मुल्तान के सूर्य मन्दिर में आया करती थी। उनके दान से वह शहर वैभवपूर्ण हो गया था। पूर्वी भारत में भी सूर्य पूजा का प्रचार था। उड़ीसा का कोणार्क मन्दिर हमें प्रमाणित करता है। सूर्य प्रतिमा के पृष्ठ भाग पर द्वा प्रकार के लेख उत्कीर्ण पाये जाते हैं—

(१) सूर्य समस्त रोगाना हर्ता विश्व प्रकाशक. (ज० ए० सो० व० २६ पृ० १४७)

(२) श्री त्वमीदिनकारिन् भट्टारक (ए० इ० २७ पृ० २५)

इन उद्धरणों में ज्ञात होता है कि सूर्य सब रोगों के नाशक (कुष्ठ तथा अन्य चर्म रोग) माने जाते थे। अथर्ववेद में (१, ४, ६) तकमन शब्द रोग के लिए प्रयुक्त है इसलिए सूर्य को तकमी (रोग नाशक) कहा गया है। बंगाल के दसवीं सदी के कथित प्रशास्तियों से प्रकट होता है सूर्य की आराधना रोगों से मुक्त होने के निमित्त किया जाता था।

बिहार में निवास करने वाले शाकद्वीपी (मग) ब्राह्मण अत्यन्त पुराने समय से ही

सूर्य के पुजारी माने गए हैं और आज भी औषधि या तंत्र का ज्ञान उनमें अधिक है। डा० भण्डारकर के मतानुसार भारत में मग ब्राह्मणों ने सूर्य-पूजा का प्रचार किया था। गया जिले (बिहार) से प्राप्त एक लेख में शाकद्वीपी मग नाम से उल्लिखित है—

शाकद्वीपस्य दुग्धाम्बुनिधि बलयितो यत्र विप्रो मगाख्या (ए० इ० ०५० : ३३)
उत्तरी भारत में पूर्वमध्यकाल में सूर्य पूजा अधिक लोकप्रिय हो गई जिसके कारण इस देवता के अनेक नाम— इन्द्रियानिरय, लोलानर्क, भास्कर, चक्रस्वामी वरुणस्वामी, तथा मार्तण्ड-अभिलेखों में मिलते हैं तथा इन नामों से प्रतिमाएं भी बनती थीं। यहाँ सूर्य प्रतिमाओं का वर्णन अप्रासंगिक होगा परन्तु संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पचायतन-पूजा में सूर्य का भी स्थान था तथा गुप्त युग के पश्चात् इस देवता की पूजा समाज में पूर्णरूपेण प्रचलित हो गई।

भारत में मातृदेवी की पूजा प्रागैतिहासिक युग से प्रचलित है। मातृदेवी की मृगमयी प्रतिमा पाच हजार वर्ष पूर्व बनती रहा। मिश्र से लेकर हरषा युग की संस्कृति में मातृदेवी (Mother goddess) की मूर्तियां खुदाई से प्रकाश में आई हैं।

शक्ति-पूजा इस मातृदेवी को शक्ति का रूप मानते हैं। शिव के साथ देवी को सम्बन्धित करना तांत्रिक मत का प्रभाव है। इसमें शक्ति और शक्तिमत को अभिन्न समझा जाता है। इसलिए प्रकृति पुरुष को भावना समाज में आई। बौद्धमत में 'प्रजा तथा उपाय' शब्दों से उसकी अभिव्यक्ति की जाती है। तांत्रिक मत में प्रभावित होकर शक्ति की आधुनिक प्रतिमाएं बनने लगीं। भेराघाट (जबलपुर, मध्यप्रदेश) के चौसठ योगिनी का मन्दिर उसका जीता-जागता उदाहरण है। उन तांत्रिक देवी प्रतिमाओं के आधार-शिला पर शक्ति का नाम भी उत्कीर्ण है जिसके अध्ययन में हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। पूर्व मध्यकालों लेखों में भी दुर्गा पूजा का वर्णन है जो शक्ति का उग्ररूप मानी गई है। प्रतिहार लेख महिषमर्दिनी देवी को प्रार्थना में आरम्भ होता है। उस स्थान पर वटयक्षिणी देवी (दुर्गा का एक नाम) के मन्दिर को शैवसाधुओं के हाथों सौंपने का वर्णन है (ए० इ० १४ पृ० १७७) दूसरे लेखों में काचनदेवी, सर्वमङ्गला या अम्बा के नाम से वर्णित है। उसकी प्रार्थना का एक उद्धरण दिया जा रहा है—

दुर्गे जयाख्ये प्रबला सुरोच्चविध्वंसनी श्रोत परंपराभिः

दुर्गास्तुक्नेव सदैव भक्त्या कृताञ्जलि पुण्य तमामुपास्ते ।

(ए इ. भा १ पृ० ६३४)

शक्ति का दुर्गा ही प्रसिद्ध नाम था यही कारण है कि भारतीय कला में महिषामुर्मर्दिनी की प्रतिमा अधिक संख्या में उपलब्ध हुई है। बंगाल के एक अभिलेख में नव दुर्गा का उल्लेख है जिसकी पूजा तथा मन्दिर के संस्कार के लिए अग्रहार दान में दिया था (नव दुर्गायतनाय च पूजा संस्कारार्थम्—ए. इ १ पृ० १५९) इस स्थान पर नव दुर्गा का नाम नहीं मिलता पर साहित्य में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डी स्कन्धमाता, कात्यायिनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धमाता (नव दुर्गा प्रकीर्तिता) के नाम मिलते हैं। बंगाल से शक्ति की विभिन्न स्वरूप की अनगिनत प्रतिमाएं प्रकाश में आई हैं जिनसे उस प्रदेश में शक्ति-पूजा की प्रधानता का अनुमान लगाया जाता है।

पंचायतन पूजा में गणेश को अन्तिम स्थान (विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा तथा गणेश) दिया गया है । यो तो हिन्दूधर्म में समस्त कार्य गणेश की आराधना से प्रारम्भ होते हैं परन्तु लेखों तथा कलात्मक उदाहरणों से गणेश-पूजा का प्रचुर प्रचार नहीं मालूम पड़ता । कई शैव प्रशस्तियों में गणेश, शिव-पार्वती के साथ प्रार्थना में सम्मिलित हैं । वैष्णव अभिलेख भी "ओ गणपतये नमः" से प्रारम्भ दीख पड़ते हैं । आरम्भ के श्लोकों में गणपति की प्रार्थना मिलती है परन्तु उस अभिलेख का मुख्य विषय विष्णु मन्दिर के दान से सम्बन्धित है (ए० इ० भा० १ पृ० २८८) । चन्देल प्रशस्ति में गणेश को विनायक कहा गया है । (ए० इ० ९ पृ० २७९) । विनायक नाम से जैन लोग भी गणेश की पूजा करते रहे जिसका उल्लेख राजकीय लेख में प्रस्तुत किया गया है (ज० इ० हि० भा० १८ पृ० १५८) ।

प्राचीन लेखों से धार्मिक वृत्तान्त की जानकारी तो होती है पर यदा-कदा दार्शनिक सिद्धान्तों से भी पाठक अवगत हो जाते हैं । दानपत्रों में अधिकतर देवता के नाम (पूजा निमित्त), मन्दिर के अधिकारी (पुरोहित) के नाम अथवा धार्मिक संस्था को भूमि या धन दान का विवरण है । उसको आय निर्दिष्ट मार्ग से व्यय को जाती थी (पूजा, स्स्कार, भोजन, निवास, औषधि आदि) नासिक लेख में वर्णन है कि सचित धन के मूद से हा भिक्षुओं को भोजन या वस्त्र दिया जाय । इस बात का आदेश था कि कोष के सचित द्रव्य का कभी व्यय नहीं किया जा सकता । पूर्व मध्ययुग के लेखों के (दानपत्रों को) चिरस्थायी करने के लिए अन्त में श्रापयुक्त या मंगलमय श्लोक लिखवाए जाते थे । उनका एक मात्र कारण यही था कि दानकर्त्ता के उत्तराधिकारियों के मन में भय उत्पन्न किया जाय ताकि वे दान सम्पत्ति को वापस न ले सकें ।

षष्टि वर्षं सहस्राणि स्वर्गे मोदति भूमिद
आक्षप्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत् ।

प्राचीन भारत के अभिलेखों का परिशीलन एक विशेष प्रकार के सद्भावना से परिचय कराता है जो भारतीय इतिहास की अद्वितीय घटना है । मौर्य सम्राट् अशोक से लेकर १२वीं

सदी के बंगाल नरेश धार्मिक सहिष्णुता की भावना से प्रेरित थे । धार्मिक सहिष्णुता कट्टरपथी शब्द का प्रयोग उनके लिए नहीं किया जा सकता । अशोक ने अपने बारहवें शिलालेख में आदेश दिया है कि धार्मिक क्षेत्र में सभी सीमित ढंग से विचार व्यक्त करें (वाक्य समय करना = इयो मुलय वचोगुति) । अपने धर्म की प्रशंसा तथा अन्य मतों की बुराई करने की वार्ता को उसने निन्दनीय बतलाया ।

अत पण्ड पुज व पर पण्ड गरहन्—

×

×

अत पण्ड क्षणति पर पण्डस च अपकराति ।

इतना ही नहीं, अशोक ने तथा उसके पौत्र दशरथ ने आजीविक मत के साधुओं के लिए बराबर तथा नागार्जुनी पर्वत की गुफाओं (गया जिला) को दान में दिया था । अशोक के विचार तथा कार्य में सामंजस्य पाया जाता है । मौर्य युग के पश्चात् सातवाहन तथा शुंग नरेश ब्राह्मण

धर्म के अनुयायी थे परन्तु उनके शासनकाल में अमरावती, साची तथा भरहुत आदि बौद्ध कलाकेन्द्र विकसित हुए। गौतमी पुत्र शातकर्णि "एक ब्राह्मण" तथा "क्षत्रिय मान मदनस" (क्षत्रियों के मान को नष्ट करने वाला) कहा गया है पर उसी के शासन में भदावनीय तथा महा-सार्धक नामक बौद्ध शाखाओं को गुहा दान में दिया गया था। ईसवी सन् के आरम्भ से उत्तर पश्चिम भारत में कनिष्क ने बौद्धमत को अपनाया था परन्तु उसने ईरानी (मित्र), यूनानी (आरदोक्षो), ब्राह्मण (शिव) तथा बौद्ध (बुद्ध) देवताओं के चित्र तथा नाम सिक्कों पर अंकित कराया, जिससे उसकी सहिष्णुता का अनुमान किया जा सकता है। गुप्त सम्राटों में भी ऐसा गुण था जिमकी जानकारी उनके लेखों से हो जाती है। गुप्त नरेश विष्णु के पुजारी (परम भागवत) होकर पंचदेव (विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा तथा गणेश) पूजा के समर्थक थे तथा अन्य सम्प्रदायों के प्रसार में योग देते रहे। मौखिक सहानुभूति का प्रदर्शन कर गुप्त सम्राटों ने शैव तथा जैनमतानुयायियों को प्रश्रय दिया। बौद्धकला को प्रोत्साहन देने के कारण सारनाथ का कलाकेन्द्र उनके राज्य में ही फूला और फला। परम भागवत द्वितीय चन्द्रगुप्त से लेकर बुवगुप्त तक के लेखों में विहार-दान का वर्णन है। हर्ष के पूर्वज सूर्य के उपासक थे, वह भी आरम्भिक जीवन में शिव का भक्त था परन्तु बौद्धमत की ओर उसका झुकाव हो गया।

पाल नरेश 'परमसौगत' पदवी से विभूषित थे तथा ताम्रपत्रों के ऊपरी भाग पर 'धर्म चक्र' चिन्ह अंकित है। बौद्ध सम्राटों में धर्मपाल का नाम अग्रणी है जिसने त्रिक्रम-शिला महा विहार की संस्थापना की। वही वज्रयान का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया। धर्मपाल के द्वारा 'नर नारायण (विष्णु) तथा नारायणपाल के द्वारा शिव मन्दिर के निमित्त दान का उल्लेख है। पाल शासन में दान का वर्णन है (खालीमपुर का लेख तथा भागलपुर का दानपत्र)। गृहडवाल राजा गोविन्द चन्द्र की रानी कुमारदेवी बौद्धमत में विश्वास रखती थी, इसलिए सारनाथ में उसने एक विहार बनवाया था। ब्राह्मण मतानुयायी राजा ने स्वयं जेतवन विहार के लिए कई ग्राम दान में दिया। (ए० इ० ११ पृ० २०) चन्देल राजा भी परम सहिष्णु थे। खजुराहो का विष्णु, शैव तथा जैन मन्दिर उनके धार्मिक सहिष्णुता के जीते उदाहरण है। मध्य देश के लेखों में बौद्ध शासकों के अतिरिक्त ब्राह्मण धर्मानुयायी राजा में सहिष्णु होने की वार्ता उल्लिखित है। परममहेश्वर शैव शासक द्वारा नारायण-पूजा का वर्णन मिलता है। कल-चुगी राजा के कसिया लेख में शैव तथा बौद्धमत सम्बन्धी चर्चा एक ही स्थल पर की गई है। "नमो बुद्धाय" तथा "ओ नमो रुद्राय" मन्त्रों से लेख आरम्भ होते हैं। कुछ पदों में शिव और कुछ श्लोकों में बौद्ध तारादेवों की प्रार्थना मिलती है।

पायात्ति पर्व्वं प्रभवमयमिदं शाश्वत शंकरस्य
विभ्राणा भवता सुखानि तनुता तारा त्रिलोकेश्वरी

(ए० इ० १८ पृ० १३०)

११ वीं सदी के मारवाड़ लेख में शिव की प्रार्थना के साथ जैन मन्दिर को दान देने का विवरण पाया जाता है। संक्षेप में यह कहना सर्वथा उचित होगा कि भारतीय नरेशों में धार्मिक सहिष्णुता उच्च काँट की थी और वैसा आदर्श अन्यत्र नहीं पाया जाता।

मौर्य युग के बाद भारतीय अभिलेखों में यज्ञों का विवरण मिलता है। अशोक के धर्म

लेखों में बौद्ध धर्म के विनय का वर्णन है परन्तु कालान्तर में सम्पूर्ण भारत में ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के साथ यज्ञ सम्पन्न हुए। इसी पूर्व सदियों में अयोध्या

वैदिक यज्ञ

लेख में पुष्यमित्र द्वारा दो अश्वमेध का उल्लेख है—

कोसलाधिपेन द्विरश्वमेध-याजिन सेनापते पुष्यमित्रस्य

उसी के समकालीन दक्षिण भारत के सातवाहन लेख में अनेक यज्ञों के नाम आते हैं—अम्या-धेय यज्ञ, अनारम्भणीय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गर्गतिराय यज्ञ, आभोर्याय यज्ञ, आङ्गिरसाति रात्र यज्ञ तथा त्रयोदश रात्र यज्ञ (नानाघाट लेख)। पश्चिम भारत के क्षत्रप शासक नहुषान का जमाता ऋषभदत्त (दूसरी सदी) भारतीय संस्कृति का अनुयायी था। उसने तीर्थ यात्रा, दान आदि कार्यों को प्रोत्साहित किया परन्तु किसी वैदिक यज्ञ को सम्पन्न नहीं किया। तीसरी शताब्दी के शासक नागवंशी राजाओं के सम्बन्ध में डा० जायसवाल का मत था कि काशी के दशाश्वमेधघाट का नामकरण उनके द्वारा सम्पन्न दश अश्वमेध के कारण हुआ था। नाग राजाओं (भारशिव) ने वही यज्ञ किया था। दक्षिण भारत के राजा वीर-पुरुषदत्त के लेख में “अग्निष्टोम, वाजपेय तथा अश्वमेध के नाम मिलते हैं (अग्निहोताग्निटो-ग्निठोम = वाजोपेयासमेध नागाजुंन कोण्डा का लेख नं० ३-ए० इ० २० पृ० १६-१९)।

यज्ञ का यही क्रम उत्तरी भारत में भी था। गुप्त युग में समुद्र गुप्त ने अश्वमेध किया था जिसका उल्लेख अभिलेख तथा मुद्रालेख में मिलता है। समुद्रगुप्त के लिए गुप्त लेखों में “चिरोत्सन्नाश्वमेधा हर्तुः” (अश्वमेध को पुनः जीवित करने वाला) तथा बाकाटक वंशी प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र में “अनेक अश्वमेध याज्ञी” उल्लिखित है (ए० इ० १५ पृ० ४१)। कई अश्वमेध की चर्चा सदिस्य है तथापि एक अश्वमेध की घटना तो मुद्रालेख से सिद्ध होती है। अश्वमेध प्रकार की स्वर्ण मुद्रा पर अग्रभाग में निम्न लेख अंकित है— राजाधिराज पृथिवीमवित्वा दिव जयत्या हूतवाजिमेध । पृष्ठ भाग पर—अश्वमेध पराक्रम लिखा है तथा पट्टमहिषि (कात्यायन श्रौत सूत्र में कथित प्रकार से) यज्ञ के लिए उद्यत है (का० श्री० नू० २०-७)। पाचवी सदी के बाकाटक राजा द्वितीय प्रवर्गसेन के लिए चमक ताम्रपत्र में “चतुरश्वमेधयाजिनः” (चार अश्वमेध करने वाला) पदवी का उल्लेख है (का० इ० इ० ३ पृ० २३६)। इस प्रकार लेखों के अध्ययन से छठी सदी तक यज्ञ करने की बातें ज्ञात हो जाती हैं। बर्सान लेख में (मध्य प्रदेश) अग्निष्टोम, वाजपेय तथा ज्योतिष्टोम यज्ञों के नाम मिलते हैं (इ० हि० क्वा० १६ पृ० १८२)। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणधर्म के अग्र्युदय के साथ वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान भी होने लगा जो क्रम सातवी सदी तक प्रचलित रहा।

भारत में धर्म को सदा प्रधान स्थान दिया गया है और जनता समाज में धार्मिक भावना से प्रेरित होकर ही कार्य करती रही है। भोज प्रतिहार के लेख में यह विचार व्यक्त किया गया है कि धर्म ही मनुष्य का इस लोक में मित्र है

प्राणास्तुणाग्रजलबिन्दु समा नराणा

धर्मः सखा परमहो परलोकयाने

(ए० इ० ११ पृ० १८२)

धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है कि धर्म ही विभिन्न योनियों में आत्मा के साथ भ्रमण करता है (बौ० ध० सू० २०।२९।४८; गीता २।२७, याज्ञ० ३।७ विष्णु २०।२२ : शा० प० १७५।१५)

अशोक ने धर्म-भावना के कारण ही लेखों को उत्कीर्ण कराया था जिसे पढ़ कर लोग उसके धार्मिक विचार से परिचित हो सकें। चौथे शिलालेख में "धर्म चरणेन भेरी घोषो ब्रह्मो धर्मं घोषो" का उल्लेख है तथा इसी भावना से साम्राज्य विस्तार की इच्छा को अशोक ने परित्याग कर दिया। उसने सारा कार्य "धर्म यात्रा", "धर्म मंगल", "धर्म शासन" (शिलालेख ८ तथा ९) धर्म के लिए ही पूर्ण किया तथा संसार के धर्म-विजय की कल्पना करता था। उसके सम्मुख धर्म दान से बढ़कर कोई कार्य न था (नथि हेडिपे दाने अदिप धम दाने-शिलालेख ११)। इसी कारण जो कुछ अशोक ने खुदवाया वह सभी (अयं धम लिपि) धर्म लिपि कह लाया (इय धम लिपि लिखापिता-स्तम्भ लेख प्रथम चौथा) सातवाहन लेख भी "धर्माय नम" की प्राथना से प्रारम्भ हुआ है (नानाघाट)। धार्मिक विचार तथा भारतीय सस्कृति के प्रशंसक होने के कारण नहुषान के जामाता ऋषभदत्त ने प्रभास तीर्थ में ब्राह्मण कन्या के किवाह के लिए धन दान में दिया था (प्रभामे पुण्यतीर्थे ब्राह्मण्येय अष्टभार्या प्रदेन—ए' इ ८ पृ ७८)।

ईसवी सन् की दूसरी सदी में महाक्षत्रप रुद्रदामन में अपनी धर्म कीर्ति को बढ़ाने के लिए अपने कोप से पर्याप्त धन व्यय कर बाघ बँधवाया था (गो ब्राह्मण हितार्थ धर्म कीर्ति वृद्ध्यर्थ—ए इ. ८ पृ ४२)। रुद्रसिंह प्रथम के गुण्डा लेख में पुण्य के लिए जनहित कार्य का विवेचन है (धामे रसोपद्र वापी खनिता वग्घापितश्च सर्वं सत्वाना हित मुखार्यमिति—ए. इ. भा १६ पृ. २३५)। गुप्त युग में सभी धर्म से प्रेरित होकर कार्य करते थे।

तस्मिन्नुये शासति नैव कञ्चि

दम्मादिपेतो मनुज प्रज्ञामु

(स्कन्द का जूनागढ लेख—का इ. इ ३ पृ ५८)

छठी सदी के फरीदपुर ताम्र-पत्र (बंगाल) निम्नलिखित वर्णन है—

धर्मं षड्भागलाभः तदे ता प्रवृत्तिमधिगम्य

न्यासाया स्वपुण्यकीर्ति सस्थापन कृताभिलापस्य

यथा संकलाभि तथा कृपाधृत्य साधनिक वतभोगन द्वादश दीनारानघ्रतो दत्ता

(मुकुर्जी सिल्वर जुलिमी वालुभ भा ३ पृ ४७५)।

तात्पर्य यह है कि धर्म की भावना ही सभी पुण्यकार्यों के मूल में निहित थी।

जो कुछ कार्य किया जाता उसमें सासारिक वैभव की कामना न रहती परन्तु पुण्य लाभ के लिए दान दिए जाते थे। अशोक ने स्तम्भ का निर्माण धर्म शासन के प्रसार के लिए किया।

शुङ्ग कालीन स्तूप तथा बेदिका पर अंकित लेख उसी भावना को

मन्दिर निर्माण

पुष्टि करते हैं। वेस नगर स्तम्भ लेख में हेलियोडोरस द्वारा स्तम्भ निर्माण भी उसी भावना का द्योतक है—देव देवस वासुदेवस गरुध्वजे

कारिते ।

ईसवी पूर्व लेखों में चैत्य तथा गुहा निर्माण का विस्तृत विवरण नहीं मिलता परन्तु “अयं कारितं” वाक्य से निर्माण कार्य का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरणार्थ—अरहतं पसादाय कर्लिंगानं समनानं लेनं कारितं (कर्लिंगदेश के जैन साधुओं के लिए गुहा बनाया—मचपुरी गुहा लेख) बौद्धलेखों में भी अनेक उल्लेख आते हैं। गुप्त कालीन अभिलेखों में मन्दिर निर्माण तथा मंस्कार का विवरण उपलब्ध है—

श्रेणी भूतैर्भवनमतुल कारितदीप्त रश्मे

(प्रथमकुमार गुप्त का मंदसौर लेख)

खण्ड स्फुट्ट प्रति सस्कार करणाय (गुणैधर लेख)

गुप्त युग में पाचरात्र संहिता में क्रिया तथा चर्चा पर अधिक बल दिया गया था जिस कारण धार्मिक कार्य दो विभिन्न मार्गों में प्रवाहित हुए (पूजा तथा निर्माण कार्य)। दान के व्यय का तीसरा मार्ग सत्र था जहाँ निःशुल्क भोजन वितरित किया जाता था।

- (१) मन्दिर का निर्माण या सस्कार
- (२) देव पूजा तथा तत्सम्बन्धी दान।
- (३) सत्र (प्रशस्तियों में उल्लिखित)

मध्य कालीन अभिलेखों में उपरिलिखित सभी कार्यों का उल्लेख मिलता है। गहड़वाल नरेश के कमौली प्रशस्ति में आदि केशव के मन्दिर निर्माण का वर्णन है (ए इ ४ व ८)। गुर्जर प्रतिहार राजा भोज ने विष्णु का मन्दिर तैयार किया था तथा उससे पूर्व वाउक ने सिद्धेश्वर महादेव का मन्दिर निर्मित किया था।

राजा तेन स्वदेविना यश पुण्याभि वृद्ध्यै
अन्त पुर-पुरं नाम्ना व्यघापि नरकट्टीप

(ए. इ १८ पृ. ११०)

सिद्धेश्वरो महादेव कारितस्तुङ्ग मन्दिर

(वही १८ पृ. १६)

परमार वशी राजा चामुण्डराज के अभिलेख शिव मन्दिर के निर्माण का उल्लेख करते हैं (ए इ. १४ पृ. २९८)। चन्देल प्रशस्तियों में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है (नोलकण्ठा धिवास)।

प्रासादो वैष्वस्तेन निर्मितोन्तर्व्वह्नुहरिम्

(ए. इ १ पृ. १२१ व १२२)

ऐसे अनेक उल्लेख खजुराहो की प्रशस्ति में मिलते हैं। एक उदाहरण देखिए

(ए इ १ पृ. १२९)

ते नैतच्चारुं चामीकर कलसलस द्वयोम धाम व्यघापि
भ्राजिष्णु प्राशुवंशष्वज पटला दौलिता भोज वृदम्
दैत्यारतेस्तुपार क्षितिधर शिखर स्पर्द्धिर्वाविष्णु रागा
दृष्टे यात्रा सु यत्र त्रिदिववसतयो विस्मयन्ते समेता।

कलचुरी लेखों में ऐसे उदाहरण हैं जिनसे प्रकट होता है कि शासकों ने विभिन्न स्थानों पर शिव मन्दिर का निर्माण किया था (ए० इ० २६ पृ० २६२-९) ।

(अ) सुधाशु घवल तत्र धूजर्जटे धाम निर्मितम्

(ब) प्रकाशिलु तादृशमेव कारितं विभोरिदं धाम हरे. सनातनम् ।

हलौरा के कैलाशनाथ गुहा मन्दिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा तृतीय कृष्णराज ने किया था तथा लेख से उसका स्पष्टीकरण हो जाता है । बंगाल की प्रशस्तियों में पाल तथा सेन शासकों द्वारा मन्दिर निर्माण का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है । धर्मपाल ने नर-नारायण का मन्दिर तैयार कर चार ग्राम दान में दिया था (ए० इ० ४ पृ० २५०) । नारायणपाल ने अत्युक्ति पूर्ण उल्लेख किया है कि सहस्र शिव मन्दिरों का निर्माण उसके हाथों किया गया— महाराजाधिराज श्री नारायणपाल देवेन स्वयं कारित सहस्रायनस्य (भागलपुर लेख-३० ए० १५) सेन नरेण विजयसेन ने प्रद्युम्नेश्वर का विशाल शिव मन्दिर तैयार कराया ।

स प्रद्युम्नेश्वरस्य व्यधित वसुमती वासव सौध मूचै

(ए० इ० १ पृ० ३१०)

१२ वीं सदी तक बंगाल में वैष्णव मन्दिरों के निर्माण का पता चलता है (ए० इ० १३ पृ० २५) । इस तरह अभिलेखों का अध्ययन यह प्रमाणित करना है कि पुण्य तथा यश की भावना और धार्मिक विचार में प्रेरित होकर राजा तथा जनता मन्दिरों का निर्माण करती रही ।

नवीन मन्दिर के अतिरिक्त पुराने मन्दिरों का जोर्णोद्धार और संस्कार भी उसी तरह पुण्य का काम समझा जाता था । अभिलेखों में "खण्ड स्फुट संस्कार" शब्दों का प्रयोग उस कार्य के लिए मिलता है । यदि मन्दिरों का इतिहास देखा जाय तो

संस्कार

पता चलता है कि गुप्त युग में मन्दिर कला का प्रारम्भ तथा विकास हुआ । इसलिए उसी युग में देवालय के संस्कार का भी प्रश्न सम्मुख आता है । गुणधर तथा दामोदरपुर ताम्रपत्रों में "खण्ड स्फुट प्रति संस्कार करणाय" (इ० हि० ब० ६ पृ० ५३) तथा श्वेन बराह स्वामिनो देवकुले खण्ड स्फुट प्रति संस्कार करणाय (ए० इ० १५ पृ० १४२) का उल्लेख है । वैग्राम (५ वीं सदी) तथा खोह ताम्रपत्रों में भी एक समान (खण्ड स्फुट संस्कारार्थ) वर्णन आता है (ए० इ० २१ पृ० ८१ तथा का० इ० ३ पृ० ११४) ।

७वीं सदी के पश्चात् प्रशस्तियों में संस्कार का अधिक वर्णन है जिसमें जनता के धार्मिक कृत्य का अनुमान लगाया जाता है । राजपुत्राने के लेखों में ऐसे विवरण में भरे पड़े हैं । साधारणतया दान में इस बात का उल्लेख किया जाता था कि पूजा-व्यय के अतिरिक्त मन्दिर के संस्कार में शेष द्रव्य व्यय किया जाय । इसलिए मन्दिर प्रबन्ध समिति को यह कार्य सुपुर्द कर दिया जाता था । गुप्त युग के अधिकतर लेखों में ऐसा वर्णन है । छठी सदी के पश्चात् लेखों में ऐसा विवरण उपस्थित करते हैं—ऐतेषा स्यावराणा भाटकं यत्मुत्पद्यते ते तत्सर्वं गोष्ठिम् कुंकुम धूप पुष्प दीपक ध्वजा धवलापत्र खण्ड स्फुटित समरचनादिषु धर्मोपयोग्यं कर्तव्यम् (ए० इ० १९ पृ० ६२) ११वीं तथा १२वीं सदी के लेखों में मन्दिरों के नष्ट किए जाने के कारण अधिक विवरण मिलते हैं । सम्भवतः इस्लाम के उत्थान तथा विस्तार के कारण

राजपुत्राने में मन्दिरों की शक्ति हुई और शासकों ने उनका संस्कार किया। परमार वंश की रानी ने मन्दिर संस्कार के लिए पर्याप्त धन दान किया। (ए० इ० ९ पृ० १३)।

नए मन्दिरों के निर्माण के साथ-साथ देव पूजा के लिए दान देना आवश्यक था, अतएव अभिलेखों में पूजा के प्रकार तथा विभिन्न सामग्रियों के नाम मिलते हैं। अभिलेख के आरम्भ में मन्त्रों के उल्लेख से शिव, विष्णु या बुद्ध की उपासना का ज्ञान देव पूजन होता है। “ओ नमो भगवते वासुदेवाय”, “ओ नमो शिवाय” अथवा “नमो बुद्धाय” आदि मन्त्र मिलते हैं। लेखों में अनुलेपन, पुष्प, धूप दीप तथा नैवेद्य आदि सामग्रियों की आवश्यकता पूजा के लिए बतलाई गई है। देवता को त्रिकाल स्नान (ए० इ० २५ पृ० ६ भा० ३ पृ० २६६) कराया जाता तथा जल, घी, दही, दूध (पचामृत) का प्रयोग इस कार्य के लिए होता था (दधि क्षीर घृत स्नपन गंध धूप दीप पुष्पाचन—ए० इ० १३ पृ० ११६) तत्पश्चात् चन्दन, कर्पूर, कुकुम पुष्प धूपदीप नैवेद्य की आवश्यकता होती थी। चहमान लेखों में हमें अगराग तथा अनुलेपन शब्दों से व्यक्त किया गया है (का० इ० ३० भा० ४ पृ० १५०, भा० ३ पृ० २६४, ए० इ० भा० २१ पृ० ११७, इ० ए० १४ पृ० १६०)।

देवस्यवलेचन समार्जनाङ्ग राग धूप दीप नैवेद्यार्घ

(ए० इ० १ पृ० १७३)

अगभोगे अग्र कर्पूर कुकुम (ए० इ० ११ पृ० ५७)

चहमान लेख में नैवेद्य के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। नैवेद्य, घी, आटा, मूग तथा चावल पका कर तैयार किया जाता था।

गोधूम २ २ पक्के घृत क ८ नैवेद्य मूग मा १ चापा २ (ए० इ० ११ पृ० ५५) आटा २ सर्ई घी ८ कलस मूंग १ मनि चावल २ पायली माप के बराबर नैवेद्य के लिए प्रयोग में आता था। पाल तथा कलचुरी लेखों में नैवेद्य के साथ वालचरु का उल्लेख आया है जो सम्भवतः अगराग तथा अनुलोप से तात्पर्य रखता था (ए० इ० १ पृ० १७३, भा० ११ पृ० १२३)। अन्य लेखों के अध्ययन से पता चलता है कि पुष्प गंध धूप दीप नैवेद्य को जैन तथा बौद्ध धर्मावलम्बी भी प्रयोग करने लगे थे। चहमान लेख में निम्न वर्णन आता है—

नेमिनाथ देवस्य धूप नैवेद्य पूजा (ए० इ० ११ पृ० ३५)। पहाडूर लेख में ‘विहार भगवतामर्हता गन्ध धूप गुमनो दीपाद्याथम् (ए० इ० २० पृ० ६१) तथा वैद्यगुप्त के लेख में “भगवतो बुद्धस्य सतत त्रिकाल गन्ध पुष्प दीप धूपादि प्रवर्तनाय” (इ० हि० क्वा० ६ पृ० ५३) आदि वाक्यों के उल्लेख से पता चलता है कि बुद्ध भगवान् के पूजा में ब्राह्मण देवता सदृश अगराग का प्रयोग होने लगा था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण रीति का प्रभाव जैन तथा बौद्धमतों पर हो गया था तथा देवपूजन की विधि में एकरूपता आ गई थी।

उत्तर-गुप्त-युग की प्रशास्तियों में एक विशेष सन्धा का उल्लेख मिलता है जिसे सत्र कहते थे। इस स्थान पर विद्यार्थियों, साधुओं तथा निर्धन व्यक्तियों को बिना मूल्य भोजन वितरण किया जाता था। दान पत्रों में सत्र का उल्लेख विभिन्न रूप में पाया जाता है। धर्मसत्र, सत्र तथा अन्नसत्र। उससे यह प्रकट होता है कि मन्दिर तथा विहार से सम्बद्ध ही सत्र का प्रबन्ध

था। प्रासादाग्रभिरूपं गुणवर भवनं धर्मसत्रं यथावत्—(प्रथमकुमार गुप्त का भिलमद लेख)। ११ वी सदी के लेखों में सत्र निर्माण का स्पष्ट वर्णन है—भक्तशाला क्षुधार्थिना महादेवस्य सनिधौ—बल्लभदेव की प्रशस्ति (ए० इ० भा० ५ पृ० १८१, ए० इ० भा० १३ पृ० २८५) ९ वी सदी से १२ वी सदी तक के अभिलेखों में सत्र, बलि तथा चक्र शब्दों के साथ प्रयुक्त है जिसका तात्पर्य यह है कि दान की सम्पत्ति पूजा, अर्चा तथा भोजन वितरण के लिए व्यय की जाती थी (बलिचक्र नैवेद्य सत्रोपकरण हेतो पृथग्दत्त—ए० इ० भा० ११ पृ० १९३) उसी स्थान पर वर्णन है कि सत्र के व्यय निमित्त दान का एक भाग निश्चिन कर दिया था (एसा भागास्त्रय सत्रे खण्ड स्फुटित सस्कृतो—कलचुरि प्रशस्ति)। विपुल श्री मित्र के नालंदा लेख में सत्र के लिए दान का वर्णन है—

(सत्रेषु पञ्चविंशति समर्थयस्मि ए० इ० २१ पृ० ९९)

कलचुरि प्रशस्ति में सत्र में स्वादिष्ट भोजन वितरण करने की चर्चा है (मिष्टान्न पान सम्पन्ना सर्व सत्रो—वही पृ० १६५)। प्रतिहार लेख (ए० इ० १४ पृ० १७७) तथा चहमान प्रशस्ति में भी वैसा ही वर्णन है (सतत मुचित वृत्ति कल्पयित्वान्न सत्रम्—ए० इ० १३ पृ० २९०) मध्ययुग में सत्र का स्थापना से शिक्षा वृत्ति को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था। आज भी वाराणसी में छत्र (सत्र का विकृत रूप) में सैकड़ों व्यक्तियों को भोजन बाटा जाता है।

धार्मिक कार्य का वर्णन समाप्त करने में पूर्व मन्दिरों की प्रबंध समिति के विषय में दो शब्द कहना आवश्यक है। समिति के लिए लेखों में 'गोष्ठी' तथा गोष्ठी या प्रबंध-समिति सदस्य के लिए 'गोष्ठिक' शब्द प्रयुक्त है (ए० इ० भा० १ पृ० २९२, भा० १९ पृ ५६)

गोष्ठिक समुदाय समन्वितेन गोष्ठिक सारा कार्या (ए० इ० ११ पृ ५४)

चहमान लेखों में सारा प्रबन्ध गोष्ठिक द्वारा करने का वर्णन आता है—

एते च भागा यथादिष्ट स्थित्वा गोष्ठिकै कल्पयितव्या (ए० इ० १ पृ० १८८)

उनके सदस्यता के सम्बन्ध में विशेष कहा नहीं जा सकता पर मथुरा लेख में उल्लिखित नामों से पता चलता है कि स्यान् ११ व्यक्तियों की समिति होती थी (ए० इ० ११ पृ० २९२)। मेवाड के लख म गोष्ठी के हूण सदस्य का नाम आता है (इ० ए० ५८ पृ० १६१)। इससे पता चलता है कि समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गोष्ठी का सदस्य (गोष्ठिक) बनाया जाता था। आर्य सस्कृति क पालक व्यक्तियों को उसमें सम्मिलित किया जाता था। वह मन्दिर के समस्त सम्पत्ति (भूमि तथा धन) का मालिक बन बैठा। मध्ययुग से वही मठाधीश कहलाया। जो वर्तमान समय तक धार्मिक सम्पत्ति का स्वामी है। मठाधीश तो अकेले सारा प्रबन्ध करता था। प्रतिहार के राजा महेन्द्रपाल के लेख में एक सन्यासी के हाथों दुर्गा तथा सूर्य मन्दिरों के सम्बन्ध का विवरण उपलब्ध है (ए० इ० १४ पृ० १७७)। उसी तरह पशुपत साधु भी प्रबन्धक हो गये थे। परमार भोज के विलेश्वर ताम्रपत्र में भी ऐसी ही चर्चा मिलती है (ओ० का० प्रो० पूना पृ० ३१९)। साराश यह है कि मन्दिर निर्माण के बाद देवपूजन का कार्य तथा दान प्रबन्ध-समिति या किसी व्यक्ति (पुजारी या प्रधान साधु) द्वारा सम्पन्न होने लगा।

अभिलेखों का वर्गीकरण करते समय यह कहा जा चुका है कि अधिक संख्या दानपत्रों को है। यो तो दान की महिमा पुराणों में वर्णित है परन्तु स्मृतियों में इसका विशेष वर्णन है। इस प्रकारके दान का विवरण विष्णु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियों में दान का उद्देश्य भी उपलब्ध है। उसे (दानपत्र) राजशासन को सजा दी गई है। तथा प्रकार स्मृतिकारों ने ताम्रपत्र पर राजशासन उत्कीर्ण करने का विधान किया है तथा राजमुद्रा से उसे प्रमाणित करने की चर्चा की है। मध्य युगी निबंध ग्रंथ 'कृत्यकल्पतरु' में लक्ष्मीधर ने विष्णु स्मृति से उद्धरण उपस्थित किया है।

“ताम्रपत्रे पटे वापि प्रालिखेद् राजशासनम्
स्थानं वशानुपूर्वि च देश ग्रामं उपागतम् ।

मिताक्षरा में भी विज्ञानेश्वर ने इस प्रकार राजशासन की बातें उल्लिखित की हैं। वृहस्पति ने निम्न रूप में प्रकाश डाला है।

यत्किञ्चित् कुरुते पाप पुरुषो वृत्तिकथित
अपि गोचर्म मात्रेण भूमि दानेन क्षुण्यति ।
स नर सर्वदा भूपः यो ददाति वसुधराम्
भूमिदानस्य पुण्येन फलं स्वर्गं परंदर ।

इस प्रकार विभिन्न धार्मिक कार्यों में भूमिदान को अधिक महत्त्व दिया गया। राजा से प्रजा तक सभी ने पुण्य लाभ तथा स्वर्ग कामना से प्रेरित होकर भूमिदान को श्रेष्ठ समझा। अत्रि का कथन था “शूलपाणिस्तु भगवानभिनन्दन्ति भूमिदम् (सहि० ३३७) पृथ्वी दान करने वाले को भगवान् भी अभिनन्दन करते हैं। इन सभी कारणों से दान की ओर जनता का ध्यान रहा है। अशोक ने धर्म शासन में इस पर जोर दिया।

ब्राह्मण स्तमणाना साधुदानं (शि० ले० ११)
प्रव्रजितनि ग्रहथनिच पूजेति दनेन (शि० ले० १२)
वह्नुकयाने दयादाने (स्तम्भ ले० २)

बौद्ध युग में विहार दान की ओर शासक का विशेष ध्यान था तथा ग्रामदान भिक्षुओं के भोजन आदि कार्यों के व्यय निमित्त दिया जाता था। अतएव 'गामे दतानि' का उल्लेख नासिक लेख में किया गया है। इसी प्रकार ब्राह्मण भोजन के निमित्त भी दान दिए जाते थे।

ब्राह्मणभ्यः षोडश ग्रामदेन अनुवर्षं ब्राह्मण शतसाहस्री भोजापथिना
(नासिक लेख ए० इ० ८ पृ० ७८)

सातवाहन लेख में यज्ञ की दक्षिणा में ग्रामदान देने का वर्णन है [नानाघाट लेख]

पूर्व मध्ययुग के लेखों में ग्रामदान को तुलापुरुष-दान की दक्षिणा स्वरूप माना गया है। गहडवाल तथा सेन अभिलेखों में अधिकतर इस प्रकार की दक्षिणा का विवरण उपलब्ध है (महादान दक्षिणा-ए० इ० १४ पृ० १५८)। गोविन्द चन्द्रदेव (गहडवाल नरेश) ने ३२ ग्राम दक्षिणा के रूप में दिया था (कनक तुलापुरुष दान ह्रीम कर्मण दक्षिणा-ए० इ० १४ पृ० १९७) सेन राजा बल्लालसेन तथा लक्ष्मणसेन ने महादान की दक्षिणा में अग्रहार दिया था (ए० इ० भा० १२ पृ० १०, १५ पृ० २८४)। गुप्त युग में देवकार्य के लिए दान का

विवरण प्रशस्तियों में मिलता है। स्कन्द गुप्त के बिहार स्तम्भ लेख में ग्राम दान का उल्लेख है (अक्षय नीचि ग्राम क्षेत्र—का० इ० इ० ३ पृ० ४९)। दामोदरपुर के ताम्रपत्रों में भूमि बेच कर मन्दिर के लिए दान करने का वर्णन है (ए० इ० भा० १५)। दक्षिण भारत के लेख इसी प्रकार का विवरण उपस्थित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दान का उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति ही थी जिसे प्रायः सभी लेखों के अन्त में अंकित पाते हैं।

भूमि यः प्रतिगृह्णाति यस्वभूमि प्रयच्छति
उभौ तौ पुण्यकर्मणो नियते स्वर्गं गामिनौ ।

भूमि दान करने की घोषणा शासक करता था और समस्त प्रदाधिकारियों को इसकी सूचना देता था। इसी कारण प्रशस्तियों में कर्मचारियों की लम्बी सूची मिलती है (ए० इ० भा० ४, १४, १८)। दान देने वाली भूमि को सीमा निश्चित कर दी जाती तथा दानग्राही को सारा कानूनी अधिकार भी मिल जाता था। परमार, गहड़वाल तथा पाल वंशों के लेखों में इन प्रकार का वर्णन है (ए० इ० भा० १८ पृ० ३२०, भा० १४ पृ० १५ पृ० २९९)।

“सहिरण्यभाग भोगकर सोपरिकर सर्वादाय समेत सनिधि निक्षेप” का उल्लेख यह स्पष्ट कर देता है कि राजा के सदृश ‘कर ग्रहण करने तथा खान खोदने का अधिकारी दानग्राही ही था (ए० इ० ९ पृ० ११२ भा० ७ पृ० १०६) उड़ीसा के एक लेख में इसका अपवाद पकट होता है उस लेख में ‘कर शासन’ का उल्लेख किया गया है जिसका ‘तात्पर्य है कि दानग्राही शासक को भूमिकर (लगान) देता था। वहाँ दस पल तौल में चाँदी ‘कर’ के रूप में ली जाती थी (ए० इ० २९ पृ० १६७)। प्रायः शासक अपने अधिकार को भूमि को ही दान में दिया करता था। किन्तु विग्रहपाल के वंशगाँव ताम्रपत्र के अंत में सामंत के जागोर-दान का उल्लेख है यानी भूमि सामंत ने दान दी। राजा का उस पर स्वामित्व न था।

स्मृति ग्रन्थों में जिस रूप में दान का विधान उल्लिखित है, वैसा ही प्रशस्तियों में वर्णित है। स्थान के सम्बन्ध में तीर्थ ही सर्वोत्तम समझा गया है और इसी कारण देवपाल के मुँगेर ताम्रपत्र में ‘तीर्थेषु धर्म्या क्रिया’ (ए० इ० १८ पृ० ३०५) देश काल पात्र वाक्य का उल्लेख है। गहड़वाल लेख में काशी, प्रयाग, अयोध्या आदि तीर्थों के नाम मिलते हैं। श्रीमद् वागणस्या गंगाया स्नात्वा (ए० इ० ४, भा० ८ पृ० १५४) तथा स्वर्गद्वार नाम्नि तीर्थे स्नात्वा (ए० इ० १४ पृ० १९३) का उल्लेख यह बतलाता है कि तीर्थों में स्नान कर एवं देवपूजा समाप्त कर दान दिया जाता है।

काल के सम्बन्ध में मध्यकालीन अभिलेखों का उल्लेख विशेष महत्व रखता है। यों तो कुल सामाजिक मस्कार नामकरण (इ० ए० १८ पृ० १३०) या श्राद्ध (इ० ए० १९ पृ० ३५१, भा० ४ पृ० १०३, भा० २ पृ० ३१०) के नाम आते हैं जिस अवसर पर शासक दान देता था परन्तु अधिकतर पुण्य तिथियों में ही दान देना उस तथा पुण्य लाभ का मार्ग समझते थे। सूर्य ग्रहण (राहु ग्रस्ते दिवाकर—ए० इ० ४ पृ० १५८, भा० २१ पृ० २१९) का उल्लेख गहड़वाल, परमार तथा कलचुरी (सूर्योपरागे—ए० इ० ९ पृ० १६९) प्रशस्तियों में तथा चन्द्रग्रहण (सोमग्रहण या सोमग्रहण पर्वणि) का नाम चन्देल लेखों में आता

है (इ० ए० १६ पृ० २०१) । दूसरा अवसर संक्रान्ति का था जिसे लेखो में अयन (उत्तरायन, दक्षिणायन) शब्द से व्यक्त किया गया है (ए० इ० ७ पृ० १५८, इ० ए० १८ पृ० ११) । कलचुरी प्रशस्तियों में चन्द्रग्रहण के अवसर पर दान का विशेष वर्णन (का० इ० ४ पृ० २३८), संक्रान्तियों में कर्क, मकर, कन्या, मीन, वैष्णव-संक्रान्ति के नाम अधिक मिलते हैं (इ० ए० १८ पृ० ३३, ए० इ० ४ पृ० १३१, भा० १४ पृ० १८६, भा० २९ पृ० ७) । छोटे पर्वों पर भी दान देने का उल्लेख है । उस प्रसंग में अक्षय तृतीया, माघी पूर्णिमा (ए० इ० ४ पृ० १०७, भा० ८ पृ० १५२) श्रावण पूर्णिमा (ए० इ० ४ पृ० ११०), कार्तिक पूर्णिमा (ए० इ० २६ पृ० ७२), रामनवमी (ए० इ० १४ पृ० १८८) तथा जन्माष्टमी (ए० इ० ४ पृ० ११८) के नाम भी उल्लेखनीय हैं । देवीस्थान अथवा प्रबोधिनी एकादशी (कार्तिक शुक्ल ११) का नाम भी लेखो में उपलब्ध है (देवीष्टनी एकादश्या—इ० ए० ४३ पृ० १९३ तथा एकादशि देव उपस्थापनी पञ्चणि—ए० इ० भा० १३ २११) । राजपुताने के लेखों में अधिक श्रावण (आर्यमान) भी उल्लिखित है (इ० ए० १८ पृ० २१२; आ० रि० ग्वालियर १९३०-३१ पृ० ११) । इन तिथियों को पुण्यकाल समझ कर दान दिए जाते थे ।

दान के पात्र के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना आवश्यक प्रतीत होता है । ताम्रपत्रों का अध्ययन यह प्रकट करता है कि अत्यन्त प्राचीन समय से ही किसी संस्था को दान देने का अधिक महत्त्व था । मौर्य युग तथा उसके बाद भी सघ के विहार या गुहा के दान दिया जाता था । सातवाहन लेख तथा गुप्त युग के अभिलेख संस्था के दान का उल्लेख करते हैं । ६०० ई० के बाद दान के दो पात्र दिखलाई पड़ते हैं (१) विद्वान् तथा (२) सस्थाएं । पहला विद्वान् व्यक्ति जो ऊँची शिक्षा समाप्त कर अध्यापन कार्य करता हो । इस प्रसंग में अधिकतर ब्राह्मणों के नाम वैदिक शाखा के साथ या वेदांग के अध्यापक के रूप में मिलता है । कलहा ताम्रपत्र (गोरखपुर उत्तर प्रदेश) में ऐसे ही ब्राह्मण दानग्राही के नाम आते हैं जो छान्दोग्य वाजसनेय, माध्यमिदिन शाखा के विद्वान् थे । मध्यप्रदेश के कलचुरी प्रशस्तियों में आश्वलायन, शाखायन, कठ शाखा के अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों का उल्लेख है (ए० इ० भा० ७ पृ० ८७; ९ पृ० ११६) मालवा के लेख में आश्वलायन तथा कौथुम शाखाओं वाले ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है । राजा भोज के दौलतपुर ताम्रपत्र तथा गहडवाल नरेश गोविन्द चन्द को प्रशस्ति में उन सभी शाखा के पढ़ने वाले विद्वान् ब्राह्मणों के नाम मिलते हैं जिन्हें शासक ने भूमिदान किया था (ए० इ० ५ पृ० ११२, भा० ८ पृ० १५४) जयचन्द्र के लेख में 'यजुर्वेद शास्त्रिने' ब्राह्मण का विवरण है (ए० इ० ४ पृ० १२१) । इसी प्रकार बंगाल के पाल राजा देवपाल के लेख में "ऋग्वेद शास्त्रिने" उल्लिखित है और वह दानग्राही ब्राह्मण आश्वलायन शाखा का विद्यार्थी कहा गया है (इ० ए० २१ पृ० २५५) । विग्रहपाल के दानग्राही अर्कदेव शर्मन सामवेदिन कहा गया है (ए० इ० १५ पृ० २९५) । सेन शासकों के समय में चारों वेदों के विभिन्न शाखाओं के अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को दान देने की परिपाटी थी । वैरकपुर लेख तथा नईहटी ताम्रपत्र में ऋग्वेद की आश्वलायन शाखा, साम की कौथुम शाखा, यजुर्वेद की काण्व शाखा तथा पिप्पलाद शाखा (अथर्ववेद) के नाम उल्लिखित हैं । इन शाखाध्यायिने ब्राह्मणों को दान दिए गए थे । (ए० इ० १५ पृ० २८४, भा० १४ पृ० १५६; भा० २२ पृ० ६ इ० हि० नवा० ३ पृ० ८९, ज० ए० सो० वं० १९०० पृ० ४६७) इस तरह

पता चलता है कि बल्लालसेन तथा लक्ष्मणसेन ने विद्वान् ब्राह्मणों को ही दान दिया था। ऐसा वर्णन भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश की प्रशस्तियों में मिलता है। 'शाखाध्यायिने' लिखकर दान देने वालों ने इस बात पर जोर दिया है कि ऊंची श्रेणी के विद्वान् ही दान के वास्तविक पात्र थे (ए० इ० ११ पृ० १९२)। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वेदाध्ययन करने वाले ही दान के पात्र थे परन्तु वेदांग, (ए० इ० २ पृ० ३३६) या पट्टदर्शन (ए० इ० ११ पृ० ३११) के पढ़ने वाले भी दानप्राही होते थे। पाल वंशी लेख में तो रानी को महाभारत सुनाने वाले विद्वान् को दान देने की चर्चा है (ज० ए० सो० व० ६९ पृ ६७)।

विद्वान् व्यक्तियों के अतिरिक्त मध्य युग में बड़ी संख्याओं को भी दान देने की प्रथा थी। पाल नरेशों ने विक्रमशिला तथा नालंदा महाविहारों को सब प्रकार की सहायता की थी। गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र की रानी कुमारदेवी का लेख (ए० इ० ९ पृ० ३२१) तथा दबपाल का ताम्रपत्र (ए० इ० १७ पृ० ३१०) इसके प्रमाण हैं कि बौद्ध संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी गई। नालंदा महाविहार को तो अन्तर्राष्ट्रीय स्थापि थी। यशोवर्मदेव के शिलालेख में वहा के विद्वानों की प्रशंसा निम्न पंक्तियों में मिलती है—

नालंदा हंसतीव नमरी शुभाभ्र गौर स्फुर

चैत्याशु प्रकरोस्सदागमकला विख्यात विद्वज्जना । (ए० इ० २० पृ० ४३)

इसकी ख्याति समुद्रपार पूर्वी द्वीप समूह में पहुंच चुकी थी तथा जावा के राजा बालपुत्रदेव ने नालंदा में विहार बनवाया (नाना सद्गुण भिक्षु संघ वसति तस्या विहार कृतः) और पाल नरेश देवपाल ने श्रोनगर भुक्ति में स्थित पाँच ग्राम दान में दिया था (ए० इ० १७ पृ० ३२२)। नालंदा शिलालेख में वर्णन मिलता है कि दान की आय से भिक्षुओं के भोजन, वस्त्र, आसन तथा औषधि का भी प्रबन्ध किया गया था (ए० इ० २० पृ० ४४)। इस तरह संस्था को दान देकर शिक्षा की वृद्धि की जाती थी। इसी के सदृश दक्षिण भारत के चोलवंशी लेख में वर्णन है कि जावा के शासक विजयतुंग वर्मन ने नागपट्टन में एक विहार बनवाया जिसके प्रबन्ध-निमित्त चोल नरेश राजराजा राजकेशरी वर्मन (९८५-१०१३ ई०) ने ग्राम दान दिया था।

पाचवी सदी के पदचात् लेखों के अंत में कई श्लोक उल्लिखित मिलते हैं जिन्हें "धर्म-श्लोका" कहते हैं। गुप्त युग से पूर्व अभिलेखों में अंतिम स्थान पर क्रिमा प्रकार के पद्य

(श्लोक) का सदा अभाव दिखलाई पड़ता है। इनके लिखने का

धर्म श्लोक उद्देश्य यह था कि दान करने वालों को प्रशंसा हो। उन्हें पुण्य तथा स्वर्ग लाभ की बातें सुनाई जायें। दान-भूमि को किसी भी शासक

का उत्तराधिकारी वापस न ले सके, अतः भय उत्पादक श्लोक भी लिखे जाते थे। सारांश यह है कि अंतिम पद्यों में पुण्य तथा श्राप के भावपूर्ण श्लोक अंकित हैं। लेखों में जो श्लोक हैं उनके सम्बन्ध में निम्न प्रकार का उल्लेख मिलता है—

(१) भूमिदान सम्बद्धा, श्लोका भवन्ति (ए० इ० १५ पृ० १४२)

(२) भवन्ति चात्र धर्माशास्त्राश्लोकानि अथवा

(३) भूमिदानापरहरण प्रतिपाल गुण दोष व्यवञ्जका आर्य श्लोका (ए० इ० २२ पृ० १५९)

पाचवी सदी के गुप्त लेखों में तो इन श्लोको की सख्या तीन ही है परन्तु समयान्तर में सोलह की सख्या अभिलेखों में पाई गई है (कलचुरी राजा यश कर्णदेव का ताम्रपत्र—ए० इ० १२ पृ० २०५ तथा चहमान प्रशस्ति—ए० इ० भा० ११ पृ० ३१२) ।

इन श्लोको में कोई मौलिकता नहीं है परन्तु ये पद्य स्मृति ग्रंथों से लिए गए हैं । अधिकतर लेखों में व्यास का लिखा “व्यासेन उक्तम्” “उक्ते च भगवता वेद व्यासेन महात्मना” अथवा “वेद व्यासेन गोता श्लोका भवन्ति” पद्य कहे गये हैं (ए० इ० २१ पृ० ८२; भा० २० पृ० ६३, भा० १५ पृ० १३९, इ० हि० क्वा० ६ पृ० ६३) । यदि इन धर्म श्लोको का अध्ययन किया जाय तो प्रकट होता है कि कुछ बृहस्पति स्मृति (२६, २८, ३०, ३२, ३३ व ३९) से उद्धृत है । पद्मपुराण (उत्तर खण्ड ३३।३७) में इसी आशय का एक श्लोक पाया जाता है—

वानी कूप सहस्रेण अश्वमेघ शतेन वा
गवा कोटि प्रदानेन, भूमिहर्ता न शुध्यति

उनमें से निम्नलिखित तीन श्लोक लेखों में बिना परिवर्तन के मिलते हैं यानी समस्त लेखों में एक समान है (गुप्त, कलचुरी, गहडवाल, परमार, पाल तथा सेन आदि वंशी अभिलेख)

स्वदत्ता परदत्ता च यो हरेत वसुन्धरा
न विष्टाया कृमिभूत्वा पितृभूस्सह पच्यते ।
बहुभि वसुधादत्ता राजभिस्सगरादिभिः
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं
पष्टि वर्ष-सहस्राणि स्वर्गे मोदति भूमिदः
आदोसा चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेदति ।

इन श्लोको के मूल श्रोत का विषय विवादास्पद है । जैसा कहा गया है कि कुछ लेखों में इसे व्यास का कथन कहते हैं तो कुछ में पौराणिक श्लोक (ए० इ० ४६ पृ० ९०) या ‘तथा चोक्तं धर्म शास्त्रे’ (ए० इ० ४ पृ० २५९) कह कर अनिश्चित छोड़ दिया गया है ।

प्राचीन लेखों का अध्ययन स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि भूमि दान अक्षयनीवि प्रणाली से दिया जाता था । उसकी पूर्णता के लिए दानपत्र (ताम्रपत्र लेख) को निगम सभा के कार्यालय में निबंध कर (रजिस्ट्री) दानग्राही को समर्पित किया जाता था । नहपान के नासिक गुहालेख में इस विषय का विवरण मिलता है । निबंध को घोषणा की जाती थी जिसे निम्न प्रकार से उल्लिखित किया है—

एत च सर्वं स्थावित निगम सभाय निबंध च फलकवारे (अक्षपटल)
चरित्रतांति । भूयानेन दत्त वसे ४२ कार्तिक शूषे (सुदि) पनरस (१५)

दूसरी सदी के सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र शातकर्णिक के नासिक गुहा लेख में भी ऐसा (निबंध-रजिस्ट्री) उल्लेख मिलता है— एते चस खेत परिहारे च एथ निबंधार्पेहि (ए. इ. भा. ८) सम्भवतः निबंध करने की प्रथा शक नरेशों ने आरम्भ की जिसका पालन सातवाहन करते रहे । इस कारण दानग्राही का उस भूमि पर सारा अधिकार हो जाता जिस पर शासक का

स्वामित्व था। उस भूमि को आय को ही उपभोग करते थे और उस अप्रहार निबंध, बंधक क्षेत्र को बेचने का अधिकार दान ग्राही को न था। नासिक के लेख में इस तरह का उल्लेख पाया जाता है।

तथा
'कर शासन'

(एते च काहापणा अपडिदासवा वधि भोजा)

समाज में उसे पुण्य-क्षेत्र समझा जाता तथा दानग्राही के वंशज उसकी आय को ही व्यय करते थे। मध्य प्रदेश के कलचुरी नरेश त्रैलोक्य मल्लदेव (१२ वीं सदी) के लेख में दानभूमि को बंधक रखने का विस्तृत विवरण उल्लिखित है तथा उसे "वित्त बंध" कहा गया है। शैव साधु शांति शिव द्वारा ऋषण के धन का उल्लेख तो नहीं मिलता परन्तु बंधक का वर्णन मिलता है (इति वित्त बधनया किंचित्कार्य—१० इ० भा० २५ पृ० २)। गहड़वाल लेख में भी वर्णन आया है कि गोविन्दचन्द्र द्वारा कलचुरी भूभाग के विजय करने पर शिवाचार्य से हटाकर वशिष्ठ शर्मन को भूमि दी गई थी (ज० ए० सो० व० ३१ पृ० १२३)। इस तरह विशेष कारणवश अप्रहार को दानग्राही परिवार से पृथक किया जा सकता था अन्यथा दान की भूमि अक्षयनीचि नीति से अचल समझी जाती थी। दानग्राही ही उसका स्थायी स्वामी था।

उड़ीसा के एक लेख में "कर-शासन" शब्द का विशेष ढंग से प्रयोग किया गया है। इस दान पत्र में अप्रहार भूमि पर भी 'कर' का उल्लेख है और दानग्राही को प्रतिवर्ष चादी दस पल 'कर' के रूप में देना पड़ता था (ए० इ० २९ पृ० १६७)। इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि दान की भूमि पर राजा का अधिकार था किन्तु अन्य दान पत्रों की तरह भूमि का स्वामित्व ब्राह्मण को देने पर भी शासक 'वापिक कर' वसूल किया करता था। ऐसे कुछ ही उदाहरण सम्मुख आए हैं जहाँ अप्रहार को बंधक रखने तथा दान भूमि पर 'कर' लगाने का वर्णन मिलता है।

पूर्व मध्ययुग की प्रजासंस्थियों में भूमिदान के अतिरिक्त महादान का भी वर्णन आता है जिसका नाम (सोलह नाम) पुराणों में मिलता है। मत्स्य (अध्याय २७४-२८९) अनि (अध्याय २१०) तथा लिंग (अध्याय २८) पुराणों में निम्नलिखित

पोडश महादान सोलह नाम आते हैं—तुलापुरुष, हिरण्यगर्भ, ब्रह्माण्ड, तल्पवृक्ष, गोसहस्र, कामधेनु, हिरण्याश्व, हिरण्याश्वरथ, हेमहस्तिरथ, पंचलाङ्गस, धरा-दान, विश्वचक्र, करण्यता, सप्तसागर, रत्नधेनु तथा महाभूतघट। परन्तु मध्ययुगी लेखों में केवल चार महादान के नाम मिलते हैं—तुलापुरुष, गोसहस्र, हिरण्याश्व, हिरण्याश्वरथ। दूसरा नाम (गोसहस्र) गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में मिलता है—गो सप्तसहस्र प्रदायिनः। सप्तसागर की कल्पना साहित्य में मिलती है। गुप्त युग में द्वीपों से सम्बन्ध बढने लगा। विदेशी व्यापार से लौटकर धनी वणिज सवामन सोने का बना सप्त समुद्री रूपी मात कुण्डो का दान करता था। काशी या मथुरा में जहाँ इम प्रकार का दान दिया जाता था वे जलाशय समुद्र-कूप कहे जाते हैं। नागार्जुनी लेख में वीर पुरुषदत्त द्वारा इस महादान (हिरणकोटि गो सप्त सहस्र) को सम्पन्न करने का वर्णन मिलता है (ए० इ० २० पृ० १६ न० २)। छठी सदी में परिव्राजक राजा मधोभ ने भी 'गोसहस्र' नामक महादान सम्पन्न किया था (का० इ० २० पृ० ११४)। गहड़वाल लेख भी यही बतलाते हैं। गहड़वाल तथा सेन अभिलेखों में इन

चारो महादान के वर्णन उपलब्ध है। तुलापुरुष में दानकर्ता को सोना या कीमती प्रस्तरो से तोला जाता और सारा धन ब्राह्मणों में विभक्त कर दिया जाता था। गोविन्दचन्द्र के लेख में—हेमारम तुल्यमनिशं ददता द्विजेभ्यो उल्लिखित है (ए० इ० ४ पृ० ११८, भा० १३ पृ० २१८, भा० २ पृ० ३६२, इ० ए० १८ पृ० ११)। किन्तु अन्य प्रशस्तियों में तुलापुरुष महादान या कनक तुलापुरुष (इ० ए० १८ पृ० १३२, ए० इ० १५ पृ० २७८) का उल्लेख आता है। कलचुरी लेखों में भी तुलापुरुष उसी अर्थ (महादान) में प्रयुक्त किया गया है (ए० इ० २ पृ० ४—महादानस्तैस्तुलापुरुषादिभिः)। अतएव लेखों के आधार पर कहना उचित होगा कि महादान को परिपाटी उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, असम तथा बंगाल में प्रचलित थी। सेन प्रशस्तियों में राजा को सोने से तोलने का वर्णन मिलता है। बिलासदेवी ने तुलापुरुष नामक महादान दिया (ए० इ० १४ पृ० १५७) और लक्ष्मणसेन ने उसे 'कनकतुलापुरुष महादान' के नाम से सम्बोधित किया है (ए० इ० १५ पृ० २८०)। इस महादान का भी विशेष महत्व था और इसे भी तीर्थ में पर्व के समय (मक्रान्ति आदि) ब्राह्मणों को दिया जाता था।

हेमाश्व (सोने का अश्व) तथा हेमाश्वरथ (सुवर्ण अश्व वाला रथ का नाम सेन प्रशस्तियों में आता है। वहा वर्णन है कि वरलालसेन ने सोन का घोड़ा बनाकर ग्रहण के समय ब्राह्मण को दान किया था (सूर्योपरागं प्रदत्त हेमाश्व महादान—ए० इ० १४ पृ० १६१) तथा लक्ष्मणसेन ने सोने के घोड़े वाला रथ दान किया था (ए० इ० भा० १२ पृ० १०)। तुलापुरुष के अतिरिक्त सोने का घोड़ा दान करने का क्या उद्देश्य था यह कहना कठिन है। अभिलेखों में केवल ऐसे दान का विवरण उपलब्ध है किन्तु उस दान के वास्तविक उद्देश्य की चर्चा लेखों में नहीं मिलती।

दानपत्रों में दान करने की शास्त्रीय विधि का विस्तृत विवरण है। दान का प्रमुख उद्देश्य तो स्वर्ग प्राप्ति की कामना थी। उसके विधान में शास्त्रकारों ने निश्चित क्रम बतलाया है जिसे दान कर्ता को अंगीकार करना पड़ता था। दान की कार्य प्रणाली का विवरण लेखों में स्मृतियों से भी अधिक विस्तृत रूप में मिलता है। गृह्यवाक्य लेखों में गंगा में स्नान कर तर्पण करने का वर्णन है। भगवान् की आराधना कर दान कर्ता हाथ में जल कुश लेकर स्वस्ति वाचन करता था। निम्नलिखित उद्धरण इस प्रश्न को स्पष्ट कर देते हैं।

(१) विधिवत् स्नात्वा देव मनुज मुनि भूत पितृ
गणास्तपयित्वा, वासुदेवस्य पूजा विधाय
कुशलता पूत करतलोदक पूर्वम् (इ० ए० १५ पृ० ८)

(२) पुण्य तीर्थोदकेन विधिवत् स्नात्वा देव मनुज
पितृन् संतर्प्य भास्कर पूजा पुर सर—
भवानी पतिमभ्यर्च्य हुतभुज हुत्वा राहुग्रस्ते
दिवाकरे नाना गोश्रेभ्योः नाना प्रवरेभ्यो नाना
नामेभ्यो ब्राह्मणेभ्य कुशलता पूतेन

हस्तोदकेन स्वस्ति वाचन पूर्वम् संकल्पित
भूम सम्बन्धे शासनी कृता प्रदत्ता

(ए इ. ४ पृ. १५८)

राजपुताने के लेखों में कुश लता के अतिरिक्त जल के साथ तिल अक्षत रखने या उल्लेख है (तिलाक्षत कुश प्रणयिनं दक्षिणा कर कृत्वा—ए. इ. २१ पृ. ३१०) । साधारणतया तिल का प्रयोग पितृ तर्पण के लिए किया जाता है (तिलोदकेन सतर्प्य—इ ए. १६), परन्तु चहमान प्रशस्ति में तिलाक्षत के उल्लेख में यह ज्ञान होता है कि सम्भवतः ग्रहण के समय (दान का काल) तिल तथा अक्षत दोनों का प्रयोग किया जाता हो । प्रशस्तियों में 'कुशलता पूत' शब्दों का तात्पर्य ग्रथों के आधार पर समझ में आता है । संखलिखित (१३।१३) में तिल तथा कुश को पूजा का आवश्यक अंग माना है । तिल से पितृ प्रसन्न होते हैं । कुश में त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) का निवास माना गया है (गरुड पुराण प्रंतखण्ड २।२१) । इसीलिए जप, होम, तर्पण तथा दान में कुश की अगूठी (पावत्री) बनाकर पहनते हैं (कुश पवित्र पाणिः जप कुर्यात्—शशस्मृति १२।४) । देवता-पूजन का कार्य दानकर्त्ता की भावना पर निर्भर था । वह वैष्णव होकर बामुदेव का या शैव होने पर शिव का अथवा सूर्य (भास्कर-पूजा) का पूजन करता था । इस प्रकार प्रशस्तियों में जो विधि विधान है वह धर्मशास्त्र के आधार पर उल्लिखित है । स्थान-स्थान पर तो स्मृतियों से विन्तृत विवरण प्रशस्तियों में ही पाया जाता है ।

हिन्दु समाज में इस बात की विशेषता है कि जनता श्रुति तथा स्मृति के आधार पर या विधान के अनुसार सदा धार्मिक उत्सव किया करती है । गृह कार्यों में पंच महायज्ञ का नाम आता है । (१) देव यज्ञ (२) पितृ यज्ञ (श्राद्ध) (३) भूत यज्ञ (बलि) (४) ब्रह्म यज्ञ (स्वाध्याय) (५) मनुष्य यज्ञ (अतिथि व्रत तथा तीर्थ सत्कार) । गृहस्थ को इनसे पुण्य लाभ होता है । छठी सदी के एक लेख से प्रकट होता है पूर्वी भारत में पंचमहायज्ञ नित्य सम्पन्न किया जाता था (ए इ २३ पृ १५९) । गुर्जर लेख में अन्य रूप में इसका वर्णन आता है—बलिचरु वैश्व देवग्नि होत्रतिथि पंच (विम्हा) यज्ञादि—(ए इ. २३, पृ १५२)

व्रत के सम्बन्ध में प्रशस्तियों में अनेक स्थान पर उल्लेख है और उस पुण्य पर्व के अवसर पर दान दिए जाते थे । व्रत में स्त्री-पुरुष पवित्र तथा सात्विक विचार से समाज में देव पूजन करते थे । अधिकतर लेखों में देवोस्थान एकादशी (कार्तिक शुक्ल ११) तथा हरिर्शयिनी (आषाढ शुक्ल ११) के नाम मिलते थे (ए इ. १३ पृ २११ भा ४—कमीलौ लेख) । राम-नवमी (ए इ १४ पृ. १८८) तथा शिवरात्री (ए इ भा ११ पृ ३९) का भी उल्लेख आता है । जिस समय सर्व साधारण उपवास रखते तथा भगवान् राम तथा शिव का पूजन करते थे । चहमान नरेश ने शिवरात्री के उपलक्ष्य में आज्ञा जारी किया था कि कोई व्यक्ति जीवहत्या नहीं कर सकता था (वहो) । रथयात्रा का उत्सव भी मनाया जाता था । इस उत्सव के व्यय निमित्त शासक 'कर' लगता था जिसका विवरण लेखों में है । चहमान लेख में वर्णन है तथा राजाज्ञा का उल्लेख है कि देवयात्रा या रथयात्रा के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए उत्तम

वस्त्राभूषण पहन कर लोग आँवें तथा संगीत में भाग लें । यत्रदिने यत्रदेवे यात्रा भवति तत्रा-
पर समस्तदेवाना सत्क प्रमादा कुलै साजल्पै सुवस्त्रै वाद्य नृत्य गानादि विधिना यात्रा कर्तव्या
(ए इ ११ पृ २८) मेवाड के लेख में इसे 'पर्व यात्रा' कहा गया है तथा चार ग्राम व्यय के
लिए दिए गए थे (ए इ २ पृ १२४) देवताओं की यात्रा का अन्य धर्मों पर भी प्रभाव पडा
और जैनियो ने शान्तिनाथ (तीर्थंकर) की यात्रा आरम्भ की ।

श्री शान्तिनाथ देवयात्रा निमित्त—जवादानं

(ए इ ११ पृ ५०)

तीर्थ यात्रा का महत्त्व भारतीय समाज में बहुत प्राचीन काल से रहा है । अशोक ने उसे लेखों में
'धर्मयात्रा' कहा है । उसने बोध गया (सम्बोधि) तथा लुम्बिनी (बुद्ध का जन्मस्थान) की यात्रा
की थी (शिलालेख ८, रुम्मनदेई स्तम्भलेख) उस यात्रा के कारण अशोक ने भूमिकर आठवा
भाग (छठा से घटाकर) कर दिया था । तीर्थ स्थानों पर दान का महत्त्व समझ कर ही ऋष-
भदत्त न काशा, नासिक, प्रभास (काठियावाड) तथा पुष्कर (अजमेर के समीप) तीर्थों में
नाना प्रकार का दान दिया था । काशा में भुवर्णदान, प्रभास तीर्थ में ब्राह्मण कन्या के विवाह
निमित्त धन दान (प्रभास पुण्य तीर्थे ब्राह्मणभ्य अष्टभायो प्रदेन) नासिक (गोवर्धन) में
आरामगृह का दान किया था (ए० इ० ८ पृ० ७८) ।

मध्ययुग के दानपत्रों में विभिन्न तीर्थों का भी उल्लेख मिलता है जहाँ शासक जाकर
दान दिया करते थे । कलचुरी लेख में प्रभास, गोकर्ण तथा गया के नाम मिलते हैं (ए० इ०
२५ पृ० ३१७) । मध्यदेश में गंगा या सरयू तीर पर तीर्थ स्थित थे अतएव गंगा के किनारे
निवास कर शासक मोक्ष प्राप्ति की कामना करते थे । चेदि राजा गागेयदेव के प्रयाग तीर्थ पर
गंगा लाम का उल्लेख मिलता है (ए० इ० २ पृ० ४) । अपसद के लेख में भी आदित्यसेन
के पूर्वज द्वारा प्रयाग में प्राण त्यागने का विवरण आता है (का० इ० इ० ३ न० ४२) ।
गहड़वाल राजाओं ने काशी तीर्थ में अधिक दान दिया था । गोविन्दचन्द्र के ताम्रपत्र आदि
केशव मन्दिर के समीप कमौली में (काशी के समीप) मिले हैं जिसके अध्ययन में प्रकट
होता है कि राजा काशी तीर्थ में आकर दान देता रहा (श्रीमद् वाराणस्या गंगाया स्नात्वा—
ए० इ० भा० ८ पृ० १५४) । जयचन्द्र का ध्यान काशी तीर्थ की ओर इनना अधिक था कि
मुसलमान लेखकों ने उसे काशी का राजा कहा है (इलियट-भारतका इतिहास भा० २ पृ०
२२३, २५०) । उसके पूर्वज चन्द्रदेव को काशी कुशिक, कन्नौज, अयोध्या तथा इन्द्रप्रस्थ
तीर्थों का रक्षक कहा गया है (ए० इ० २६ पृ० ७२) ।

तीर्थानि काशी कुशिकोत्तर कोसल

इन्द्रप्रस्थायकानि परिपालयन्ताधिगम्य

(ए० इ० ११ पृ० २३)

अयोध्या नामक तीर्थ, काशी तथा प्रयाग की श्रेणी में माना गया है और उसे स्वर्ग का द्वार
कहा गया है (ए० इ० १४ पृ० १९३, इ० ए० १५ पृ० ६) । राजपुताने में पुष्कर तीर्थ
अधिक प्रसिद्ध था जिसका वर्णन ऋषभदत्त ने नासिक लेख में भी है (प्रभासे पुण्य
तीर्थे—ए० इ० ८ पृ० ७८) । मध्ययुग में सिंहराज ने पुष्कर तीर्थ में चार ग्राम दान में दिया

था। तत्कालीन अन्य प्रशस्तियों में भी इसका नाम उल्लिखित है (ग्राम चतुर—श्री पुष्कर तीर्थ स्नात्वा—ए० इ० २ पृ० १२९, भा० ९ पृ० ३०४, इ० ए० भा० १८ पृ० ११)। सब से विचित्र घटना पाल वंश के राजा धर्मपाल के समय की है। वह परम सौगत था और बौद्ध धर्मावलम्बी होकर भी उसने हिन्दू तीर्थों की यात्रा की। बज्रयान तथा तंत्र-यान का केन्द्र बगाल में तीर्थ यात्रा की भावना आश्चर्य चकित करती है खालीमपुर, नालदा तथा मुंगेर ताम्रपत्रों में निम्न पक्तियों में तीर्थ का विवरण मिलता है—

केदारं विधि तोप युक्त पयसा गंगासमेताम्बुधो
गोकर्णादिषु चाप्यनुष्ठितवता तीर्थेषु धर्म्या क्रिया

इससे पता चलता है कि धर्मपाल केदार, गंगासागर तथा गोकर्ण तीर्थों में यात्रा करने गया था। केदार यानी हिमालय में स्थित केदार नाथ, गंगासागर (गंगा का समुद्र से संगम) तथा गोकर्ण (कनारा, बम्बई के समीप) तीर्थों में धर्मपाल विजय कामना से नहीं किन्तु धर्मयात्रा के लिए गया था (ए० इ० ४ पृ० २४३ भा० १७ पृ० ३१, भा० १८ पृ० ३०५) अन्य लेखों में कुक्षेत्र (देहली के समीप) प्रभास, गया तथा कालाकालेश्वर आदि तीर्थों के नाम मिलते हैं जहाँ राजा तथा प्रजा तीर्थ यात्रा कर दान दिया करते थे (ए० इ० २५ पृ० ३१७) इनमें गया तीर्थ की प्रसिद्धि थी तथा पुराण और स्मृतियों में इसका महत्त्व वर्णित है [अभि ५५, शंख १४।२७, लिखित १२।१३]। पश्चिमी पंजाब में मुल्तान का नाम मुल्मलमानो ने तीर्थों में गिनाया है जहाँ के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर के दर्शनार्थ भारत के कोने से लोग जाया करते थे (इलियट इतिहास भा० १ पृ० ८३)। लेखों में इसका नाम नहीं मिलता क्योंकि मुल्तान मुसलमानी राज्य के अन्तर्गत था और दान निर्मित वहाँ जाना असम्भव था। अतएव दानपत्रों में इसका नाम न मिलना स्वाभाविक ही है। सूर्य मंदिर के कारण हिन्दू दर्शनार्थ वहाँ जाया करते थे और उनके भेंट से मुल्तान को लाबो रूपों की आय हुआ करता।

इस प्रकार यह पता चलता है कि तीर्थ यात्रा का महत्त्व अशोक से लेकर जयचन्द्र तक (यानी ईसा पूर्व तीसरी सदी से ईसवी सन् की बारहवीं सदी तक) राजाओं को ज्ञात था। शासक वहाँ दान दे पुण्य अर्जन कर स्वर्ग प्राप्ति को कामना करते थे। यहाँ इस विषय पर संकेत करना नितात आवश्यक है कि इस युग में अनेक स्मृतिकार उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने विचारों को लिपिबद्ध किया। निबंध भी लिखे गए जिनके मन्तव्य तथा विचारधारा से जनता अवगत हुई। इन्हीं का प्रतिध्वनि अभिलेखों में सुनाई पड़ती है। समाज में तीर्थ, प्रायश्चित्त, तर्पण आदि की चर्चा स्मृतियों के आधार पर की गई। लेखों से उन्हीं बातों की पुष्टि होती है।

अध्याय ८

प्रशस्तियों से साहित्य का ज्ञान

भारतवर्ष में ७०० ई० के पश्चात् ऐतिहासिक अथवा अर्द्धऐतिहासिक काव्यों का आरम्भ होता है। इस विषय में गहरा मतभेद है कि ऐसे काव्यों का उद्गमस्थान कहा था? कुछ विद्वान् तो अरबों के सम्पर्क से ऐतिहासिक काव्य का उद्भव मानते हैं। परन्तु इस विचार में अधिक बल नहीं है। यह कहना यथार्थ तथा प्रमाणिक होगा कि ऐतिहासिक काव्यों का मूलस्रोत प्राचीन अभिलेखों में निहित है। इसके मूल स्रोतों का (लेखी) गम्भीर अध्ययन उपरियुक्त कथन को पुष्टि करता है। कल्हण ने दो प्रकार के अभिलेखों का वर्णन किया है—

१ दानपत्र—दान की चर्चा

२ प्रतिष्ठा शासन—इसमें मूर्ति स्थापना, मंदिर निर्माण

जलाशय के सम्बन्ध में राजाज्ञा विज्ञापित की जाय। इसे 'राजकीय प्रज्ञप्ति भी कहा जा सकता है। राजा के समाप्त प्रतिष्ठा कर्मों का उल्लेख रहता है। इस तरह के प्रतिष्ठा शासनो को 'पूर्वा प्रशस्ति' भी कहा गया है। इसमें शासकों के पूर्व वंश में सुप्रतिष्ठित नरेश के कार्यों की सूचना है। कीर्तिलय ने भी इस विषय पर प्रकाश डाला है। शासनो में राजा का नाम आदि का उल्लेख आवश्यक है (अर्थशास्त्र-शास्त्राधिकार) उपरिलिखित प्रशस्ति का भाव प्रशासक अभिलेख से है। उदाहरणार्थ—खारबेल की हाथी गुम्फालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, समुद्र गुप्त की प्रयागस्तम्भ लेख आदि। मध्ययुगी प्रतिहार नरेश वाउक के जोधपुर लेख में प्रशस्ति-लेखन का रहस्य उद्घाटित किया गया है—

गुणा पूर्व पुरुषाणा कीर्त्यन्ते तेन पठितै

गुणः कीर्तिरनम्यन्ती स्वर्गो वास करी यतः।

राज पण्डित शासक के पूर्वजों का कीर्तिगान करते हैं क्योंकि अविनश्यर गुण कीर्ति स्वर्गवास देने वाली है। इसके अतिरिक्त प्राचीन प्रशस्तियों का अध्ययन से काव्य का रसास्वादन होता है। अतएव उन्हें (प्रशस्ति) काव्य कहना अत्युचित पूर्ण न होगा। इसमें ऐतिहासिक तथा अर्द्धऐतिहासिक काव्यों के गुण विद्यमान हैं। काव्यों का रस, छंद, अलंकार प्रशस्तियों में भी (रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख तथा हरिषेप रचित प्रयाग स्तम्भ लेख) वर्तमान है। दिग्गज का अतिरंजित काल्पनिक वर्णन (काव्य के सदृश) प्रशस्तियों की विशेषता है। अलंकृत शैली के विकास में प्रशस्तियों के योगदान पर श्री दिशकेलकर ने विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है (Select Inscriptions Vol II) मध्ययुगी चन्देल राजा धंग के खजुराहो लेख में शूरता का प्रभावोत्पादक वर्णन अतिरंजना की चरमसीमा पर पहुँच गया है (श्लोक ४६)। राजकीय लेखों (प्रशस्तियों) की एक अन्य विशेषता की ओर ध्यान आकषिप्त करना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रशस्तियों में शुकलीला, मनोरंजन की चर्चा विलास एवं विनोद का विवरण प्रायः उपलब्ध होता है। इन बातों को काव्यों में भी स्थान दिया गया है तथा ऐति-

हासिक महाकाव्यों में उनका परिपाक देख पड़ता है। अतएव यह कहना न्याय संगत होगा कि प्राचीन प्रशस्तिया ही ऐतिहासिक काव्यों के उद्गम स्थान हैं।

प्राचीन काल में अभिलेख खूबवाने के विभिन्न उद्देश्य तथा अवसर थे किन्तु लेखों द्वारा किसी प्रकार की साहित्यिक चर्चा का ध्येय नहीं था। प्रशस्तिया प्राकृत या संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण हुईं किन्तु उसका लेखक विद्वान् पदाधिकारी ही होगा जो समुचित रीति से उस शासन को तैयार करता था। उन अभिलेखों के अध्ययन द्वारा साहित्य के अंग पर गौण रूप से प्रकाश पड़ता है। यो संस्कृत लिखने की कला ईसवी पूर्व सदियों में अवश्य वर्तमान थी लेकिन रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख (१५० ई०) से पूर्व संस्कृत भाषा का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इसलिए उसे संस्कृत साहित्य का पहली कृति मानना पड़ता है। जूनागढ़ का प्रशस्तिकार एक विद्वान् लेखक था तथा उसने गद्य पद्य की जो विशेषता उपस्थित की वह दण्डिन के काव्यादर्श (अध्याय १) में उल्लिखित है। लेख में राजा के लिए "स्फुट-लघु मधुर-चित्र-कान्त शब्द समयोदात्तकृत गद्य पद्य काव्यविधान प्रवीणत" का विशेषण प्रयुक्त किया गया है (ए० इ० ८ पृ० ४२)। काव्यादर्श में भी ठीक इसी से मिलती वैदभी शैली की विशेषता लिखी है—श्लेष प्रसाद माधुर्य सुकुमारता, अर्थव्यक्तिद्वारत्वमोज कान्ति समाधय (काव्यादर्श अध्याय १) संस्कृत के अलंकार प्रयो में काव्य की जो परिभाषा लिखी है उसी तरह की बातें रुद्रदामन के लेख में पायी जाती हैं। इसमें समास की बहुलता दिखलाई पड़ती है। सम्पूर्ण लेख के पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि लेखक काव्यमय शैली लिखना जानता था। संस्कृत साहित्य का पहला अंग होने पर भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि साधारण जनता भी संस्कृत से परिचित थी। अन्यथा राजकीय लेख अलंकारिक भाषा में नहीं लिखा जाता। आश्चर्य तो यह है कि रुद्रदामन का आड़ु लेख तथा मुद्रालेख प्राकृत में मिलते हैं। यही नहीं दक्षिण तथा पश्चिम भारत के समस्त लेख प्राकृत भाषा में लिखे गये थे। तात्पर्य यह है कि ई० स० १५० में पूर्व संस्कृत मय अभिलेख नहीं मिले हैं। तीसरी सदी में भारत में संस्कृत भाषा में लेख उत्कीर्ण होने लगे जिनके अध्ययन से अनेक साहित्यिक बातों का पता चलता है। गुप्त सम्राट् समुद्र गुप्त को प्रयाग (स्तम्भ लेख) प्रशस्ति गद्य पद्य मय भाषा में लिखी गई है! साहित्यदर्पण के अनुसार 'गद्यपद्यमय काव्य' को चम्पू कहते हैं। प्रयाग स्तम्भ लेख चम्पू का प्रथम उदाहरण उपस्थित करता है। दण्डिन ने काव्य गुण के विषय में अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा है—ओज समास भूयस्त्वं एनद् गद्यस्य लक्षणम्। ओज में समास की बहुलता पाई जाती है। यही रूप प्रयाग स्तम्भ लेख का है।

प्रशस्ति लेखक ने इतना अधिक समास का प्रयोग किया है कि उसकी साहित्य शास्त्र की जानकारी स्पष्ट हो जाती है। इस लेख की प्रधान विशेषता यह है कि ऐसे विद्वान् प्रशस्तिकार यानी हरिषेण का नाम अन्यत्र नहीं मिलता। ऐसे चम्पू अभिलेख में शैली के लेखक हरिषेण की कोई अन्य कृति ज्ञात नहीं है। सबसे आश्चर्य तो यह है कि हरिषेण साहित्यिक परम्परा का पण्डित होकर भी सन्विविग्रहिक, कुमारामास्य तथा महादण्डनायक के पद को सुशोभित कर चुका था। गुप्त वंश के लेख तो किसी न किसी छद्म में लिखे गए थे परन्तु प्रथम

प्रयाग गद्य का गद्यपद्य का लेख तथा संस्कृत भाषा की जूनागढ़ प्रशस्ति लेख होने से लिखी

गई है। उपगीति वसन्ततिलका, आर्या, शार्दूलविक्रीडित, द्रुत विलम्बित, हरिणी, वंशस्थ, इन्द्र-वज्रा, मालिनी, मन्दाक्रान्ता, अनुष्टुभ आदि छन्दो से युक्त पद्य उल्लिखित है। मदसोर की प्रशस्ति का लेखक वत्सभट्टि भी अन्य साधनो से अज्ञात ही है। अतएव यह कहा जा सकता है कि अभिलेख ऐसे विद्वान् प्रशस्तिकार के नाम बतलाते हैं जिनका नाम दूसरे ग्रन्थो में नहीं पाया जाता। तात्पर्य यह है कि प्रशस्तियो से संस्कृत साहित्य का इतिहास जानने में सहायता मिलती है। हरिवेण की एत मात्र रचना प्रयाग स्तम्भ लेख है।

प्रशस्ति के आरम्भ में ऋषवरा तथा शार्दूलविक्रीडित जैसे लम्बे लम्बे वाट छन्द है जिनमें समुद्रगुप्त की कीर्ति का रमणीय वर्णन मिलता है। उसके अनन्तर एक वृहत् गद्यांश में हरि-वेण ने दिग्विजय का विवरण दिया है। पद्य तथा गद्य शैली में हरिवेण उच्च कोटि के कवि कालिदास आदि के समान माना जा सकता है। स्वान-स्वान पर दोनो शब्दो में साम्य मिलता है। दिग्विजय के वर्णन में कालिदास तथा हरिवेण में विम्ब प्रतिविम्ब भाव है। दूसरे विद्वान् वीरसेन का नाम द्वितीय चन्द्रगुप्त की उदयगिरि गुहा-प्रशस्ति में मिलता है। वह उसके दरबार का एक रत्न था और व्याकरण, न्याय तथा राजनीति का ज्ञाता था। वह एक कवि होने के नाते उम प्रशस्ति का लेखक भी था। उसने अपने को राजा का कुल व्रमागत सचिव लिखा है। गुप्त कालीन जिन कवियों की कीर्ति केवल प्रस्तरो में सुरक्षित है उनमें सबसे योग्य विद्वान् तथा कवि वत्सभट्टि है। प्रथम कुमारगुप्त के शासन काल में लिखी गई मदसोर की प्रशस्ति इस कवि की अद्वितीय रचना है। इसमें दशपुर में सूर्य मन्दिर निर्माण का वर्णन मिलता है। संस्कृत काव्य के इतिहास में इस प्रशस्ति का विशेष स्थान है। भाषा ललित होते हुए अर्थ गौरव से युक्त है। बलकार इस प्रशस्ति में भरे पड़े हैं। वत्सभट्टि कालिदास के काव्यो का विशेष अनुरागी प्रतीत होता है। उसने कई स्थानो पर कालिदास का अनुकरण किया है। भाषा के अतिरिक्त भाव में कालिदास का छाप दिखलाई पड़ता है। इस कवि द्वारा वर्णित दशपुर का वर्णन कालिदास द्वारा वर्णित अलकापुरी के प्रासादो से सर्वथा मिलता-जुलता है—

चलत्पताकान्य बला सनाधान्यत्यात्यैः

शुक्लान्यधिकोन्नतानि

तडिल्लता चित्रसिताब्भकूट

तुन्धोपमानाति गृहाणि यत्र

कैलास-नुङ्ग-शिखर-प्रतिभानि चान्या-

न्याभान्ति दीर्घबलभोजि सर्वदिकानि

गान्धर्व शब्द मुखराणि निविष्ट चित्र

कर्माणि लोल-कदली वन शोभितानि

मदसोर प्रशस्ति—(वत्सभट्टि)

विद्युत्बन्तं ललितवनिता सेन्द्रचाप सचित्रा

सगीताय प्रहृतमुरजा स्निग्धगम्भीरघोषम्

अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्गमभ्रंलिहाप्राः

प्रासादास्त्वं तुलयितुमलं यत्र तैस्तीव्रिशेषैः ।

उत्तरमेघ १—(कालिदास)

और देखिए। मंदसोर की प्रशस्ति (पद्य ३१) में वर्णित ऋतु वर्णन कालिदास के ऋतु संहार (५।३) के समान है।

न चन्दनं चन्द्रमरोचिशोतलं

न हर्म्यपृष्ठं क्षर दिन्दुनिर्मलम्

न वायवः सान्द्र तुषार शीतला

जनस्य चित् रमयन्ति साम्प्रतम्

(कालिदास)

रामा सनाथ रचने दर-भास्कराशु

वह्नि प्रताप सुभगे जललीन मोनै

चन्द्राशुहर्म्यतल चन्दन तालवृन्तं

हारोपभोग रहिते हिम दग्ध पयो ।

(वत्सभट्टि)

इससे प्रकट होता है कि वत्सभट्टि की कविता सरस और रसीली है। वह वैदर्भी रीति में लिखे गए काव्य का एक उत्कृष्ट नमूना है। सुन्दर अलंकारों का समावेश स्थान-स्थान पर किया गया है। कविता में गुण के कारण वत्सभट्टि महाकवियों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त के समय में शाब नाम के राजकवि हुए हैं जिनका नाम लेखों में मिलता है।

इस युग के कवियों में वासुल का भी नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने मालवा के नरेश यशोधर्मन की मंदसोर की प्रशस्ति लिखकर अपनी काव्य निपुणता का परिचय दिया है। इसमें राजा के गुणावलो का वर्णन किया गया है। ईशान वर्मा की हरहा प्रशस्ति के लेखक रविशान्ति का नाम भी गर्व के साथ लिया जा सकता है जो मोखरि नरेश के आश्रित कवि थे। इस कवि की कविताएँ समास की अधिकता तथा भाव से भरी हुई हैं। इसके काव्यमय लेख से मोखरि इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ईशान की कीर्ति तथा युद्ध गाथा के लेखक का नाम तथा रवि शान्ति की रचना अन्यत्र नहीं मिलती। इस प्रकार प्रशस्ति के अन्त में कवियों के नाम आते हैं जिनमें प्रधान (प्रथम श्रेणी के) कवियों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यदि प्रशस्तियों का अध्ययन न होता तो इनकी कीर्ति का पता लगाना असम्भव था। इस प्रकार हजारों लेख मध्यकाल में लिखे गए। सर्वत्र लेखक के नाम का पता नहीं लगता। मध्ययुग के गोविन्दपुर के (गया, बिहार) लेख में वेद पारंगत ब्राह्मण का उल्लेख है, जिसकी कविता सदुक्त कर्णामृत में सुभाषित के स्थान पर उद्धृत की गयी है। उस श्रीधर दास नामक कवि का नाम अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य का वास्तविक इतिहास इन लेखों की सहायता बिना तैयार होना सम्भव नहीं।

प्रशस्तियों के अतिरिक्त गुप्त शासकों का साहित्यिक प्रेम उनके मुद्रा-लेख से भी झलकता है। मुद्राओं पर लेख छंदबद्ध (अधिकतर, उपगीति छंद में) मिलते हैं उदाहरणार्थ समुद्र का मुद्रा लेख "समर शत वितत विजयो जित रिपु रचितो सिद्धं जयति" तथा प्रथम कुमारगुप्त का लेख "पृथिवीतलावर क्षी शो कुमार गुप्तो जयत्यजितः" उपगीति छंद में हैं।

इसी प्रकार चालुक्य नरेश द्वितीय पुलकेशी का अयहोल लेख सुन्दर काव्य में लिखा गया है। रवीकीर्ति के वर्णन की शैली काव्यमय है। इसलिए अयहोल प्रशस्ति के ३७वें पद्य में कालिदाम तथा भारवी से उसकी तुलना की गई है। तात्पर्य यह है उपमा तथा अर्थ गौरव में रवीकीर्ति श्रेष्ठता प्राप्त कर चुका था। यही कारण है वह प्रधान कवियों में स्थान प्राप्त कर सका। प्रशस्तिकार अलंकार शास्त्र से पूर्ण विज्ञ था। कई स्थानों पर उसके भाव रघुवंश तथा किरातार्जुनीय से मिलते हैं। प्रशस्तिकार ने रघु के दिग्विजय सद्दश पुलकेशी की विजय यात्रा का वर्णन किया है। अयहोल प्रशस्ति के निम्न पद्य कालिदास के समान भाव व्यक्त करते हैं—

प्रशस्ति का पद्य ५ (रघुवंश ७।४८), पद्य १० (किरात ५।९)

प्रशस्ति का पद्य १७ (रघुवंश ३।२६) तथा पद्य ३० (रघु ४।४५)

इन सभी साहित्यिक पद्यों के अतिरिक्त कुछ नाटक प्रस्तर पर छोड़े गए थे जिनसे सम्पूर्ण नाटक का रूप खड़ा किया गया है। अजमेर के शिलाखण्ड पर सोमदेव रचित "ललित विग्रह नाटक" मिला है जिसमें चाहमान नरेश विग्रह राज की कीर्ति वर्णित है। धारा के समीप (उज्जैन का भू भाग) प्रस्तर पर हरकेलि नाटक उत्कीर्ण पाया गया है जिसका लेखक विग्रह राज था। पारिजात मंजरी की भी वही कथा है। इसके अतिरिक्त धारा के एक शिला-लेख में विष्णु के कूर्मावतार का वर्णन किया गया है जो प्राकृत भाषा की काव्य रचना है। इस तरह प्रशस्तियों का अध्ययन प्राकृत तथा संस्कृत साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डालता है तथा लेखों से कई उलझने स्पष्ट हो सकी हैं। ई० स० १५० से पूर्व संस्कृत साहित्य का कोई का अंश नहीं मिलता पर उससे पूर्व भी संस्कृत का प्रचार था, यह स्पष्ट हो जाता है। जूना-गढ़ लेख की शैली एक दिन की कृति नहीं है वरन् साहित्य सम्बन्धी कार्य सैकड़ों वर्ष पहले से होता रहा होगा।

पूर्व मध्य युग (७००-१२०० ई०) की अवधि में संस्कृत साहित्य का भण्डार भरा गया। जितनी सख्या में नाना विषयों पर ग्रंथ लिखे गए, उतनी ही संख्या में अभिलेख भी संस्कृत में उत्कीर्ण किए गए। काव्य शैली, अलंकार की प्रचुरता (शालियर प्रशस्ति ए० इ० भा० १ पृ० १५६) छंदों की बहुलता और श्लेष का अधिकता (ए० इ० भा० २९ पृ० १७९) प्रशस्तियों में पाया जाता है।

अभिलेखों में साहित्य की समीक्षा करते समय चन्देल नरेश के खजुराहो लेख का उद्धरण प्रशस्तिकारों के काव्यमय शैली तथा साहित्यिक सूत्र की ओर ध्यान आकर्षित करता है— (ए० इ० भा० १ पृ० १५९)

दारिद्रं हरतापिनो रिपुजना लक्ष्मो मनो योषित

रूपं पंचशरादघाघपयसो गम्भीर्यमभोनिधे

चित्तं येन विचारं चाह मनसामाचारमातन्वता

सर्वत्रैव जनापवाद रहितं चौर्यं प्रकाशोक्तः।

अभिलेखों के अध्ययन से यह पता चलता है कि शिखण संस्थाओं का जन्म कालान्तर

में हुआ। गुदीर्घकाल में अध्यापक व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देते थे। प्राचीन गुरुकुल तथा काशी एवं तक्षशिला के गुरुगृह शिक्षा में योगदान देते रहे। इसकी सन् दूसरी सदी के नासिक लेखों में भिक्षुओं के चोवर तथा भोजन निमित्त अग्रहार का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में उल्लिखित है कि गुहा में शिवा कार्य सम्पन्न किया जाता था जिसकी सहायता शासक किया करते थे। प्रायः शिक्षा केन्द्र समस्त भारत में फैले हुए थे। तक्षशिला, काशी, पाटलिपुत्र, कन्नौज, मिथिला तथा धारा का नाम शिक्षा केन्द्रों में लिया जा सकता है। बौद्ध विहार तथा हिन्दू-मंदिरों से शिक्षण मस्थाओं का जन्म हुआ अतएव जनता मठ तथा मंदिरों को दान देने लगी। मध्यकाल में मठ ही प्रधान केन्द्र बन गए। तक्षशिला के विषय में जातकों के अतिरिक्त अन्य साधनों से कम प्रकाश पड़ा है। यहाँ के लेख यह बतलाते हैं कि जनता स्वरोष्ठी लिपि तथा प्राकृत भाषा जानती थी। वह स्थान यूनानी शासकों के समय में एकसाल था। गांधार कला की उन्नति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तक्षण कला की शिक्षा वहाँ अवश्य दी जाती होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ सुव्यवस्थित तथा संगठित शिक्षा-केन्द्रों में (विश्वविद्यालय न होने पर भी) सब कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला की खुदाई में ऐसा भवन मिला न मका जिमें विद्यालय या छात्रावास कहा जा सके।

तक्षशिला से बढ़कर काशी विद्या का केन्द्र था। बुद्ध के यहाँ धर्म प्रचार आरम्भ करने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ई० पूर्वं सदियों में काशी विद्या का महत्त्वपूर्ण केन्द्र होगा। काशी की प्रसिद्धि कई सदियों तक ज्यों की त्यों बनी रही। दसवीं सदी के गाहड़वाल ताम्रपत्र कमौली नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं जिसमें विद्वान् ब्राह्मणों को दान देने का विवरण मिलता है। (१० ई० भा० ४) सम्भवतः राजा की ओर में अध्यापक तथा विद्यार्थियों को पठन-पाठन के लिए सहायता मिलती रही।

वैदिक काल से ही काशी की प्रधानता थी। बौद्ध युग में भी वही स्थिति बनी रही। बुद्ध ने प्रथम घर्मोपदेश (धर्मचक्र परिवर्तन) के लिए मृगदाव को ही चुना था। जातक कथाओं में काशी के राजा ब्रह्मादत्त का नाम सैकड़ों बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि काशी की प्रधानता (धर्म तथा शिक्षा क्षेत्र में) सदियों तक बनी रही। ब्राह्मण तथा बौद्ध युग में यह नगरी एक समान रूप से आकर्षक थी।

अशोक के समय से ही सारनाथ की प्रधानता रही और मौर्य युग के पश्चात् वह एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केन्द्र हो गया। यहाँ पर पड़ाई का कार्य बारहवीं सदी तक होता रहा और इसी कारण से गाहड़वाल राजा गोविन्द्रचन्द्र की पत्नी कुमार देवी ने एक विहार को दान दिया था जिसका विवरण उसके सारनाथ वाले लेख में पाया गया है। हजारों की संख्या में यहाँ विद्यार्थी थे। खुदाई में अनेक विहारों की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। सारनाथ में कला की भी शिक्षा दी जाती रही जिसके कारण वहाँ पर एक शैली (स्कूल) की स्थापना हुई थी। सारनाथ शैली की बुद्ध प्रतिमा बौद्ध कला में अद्वितीय समझी जाती है। इससे साहित्य तथा कला की शिक्षा की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। आज भी काशी क्षेत्र (वाराणसी) संस्कृत विद्या का महान् केन्द्र है।

पाटलीपुत्र के समीप नालंदा का विहार एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का रूप धारण कर चुका था जिसकी प्रसिद्धि पाँचवी सदी के पश्चात् विदित हुई। यो तो बुद्ध के समय से ही इसकी प्रधानता थी परन्तु पाँचवी सदी से नालंदा विद्या का केन्द्र नालंदा महाविहार हो गया। गुप्त राजाओं तथा पालवंशी नरेशों ने इस महाविहार की उन्नति में हाथ बंटाया तथा आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया। प्राचीन समय से ११ वी सदी तक विहार-निर्माण का कार्य अविच्छिन्न रूप से होता रहा। नालंदा की खुदाई से वहाँ विशाल विश्वविद्यालय का पता चला है जिसमें करीब ३०० छोटे कमरे हैं तथा सात विशाल व्याख्यान मंदिर भी। पूर्व मध्ययुग के एक लेख से नालंदा के विशाल भवन की स्थिति प्रमाणित होती है जहाँ विहार के शिखर गगन-चुम्बी थे। वर्णन सुनिए।

यस्यामम्बुधरावलेहि शिखर श्रेणी विहारावली
मालेदोर्ध्व विराजनी विरचिता घात्रा मोनोजाभुव.

(ए० इ० २० तृ० ४३)

नालंदा हसतीव सर्वनगरी शुभ्राभ्रगौरस्फुट
च्यंत्याशु प्रकरोस्सदागमकला विख्यात विद्वज्जना ।

इसमें स्पष्ट हो जाता है कि ७००-१२०० ई० तक नालंदा प्रसिद्ध विद्या-केन्द्र था तथा प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् अध्ययन तथा अध्यापन करते रहे।

भिक्षु एवं विद्यार्थियों के आवास के लिए ही ऊँचे विहार बनाए गये थे। जहाँ उनके भोजन, स्थान तथा औषधि का प्रबंध था—भिक्षु संघस्य वलि चरुमत्र चीवर पिण्डपात शयना भेषजादि (ए० इ० २० पृ० ४४) इन सभी कार्यों के लिए दाताओं से दान मिलता था तथा दो सौ ग्राम इस महाविहार को दान में मिल चुके थे। इसकी अभिवृद्धि आठवी सदी के पाल नरेश देवपाल के ताम्रपत्र से ज्ञात है। देवपाल ने जावा के राजा बालपुत्रदेव के आग्रह पर पांच गांव दान में दिया था। ताम्रपत्र में वर्णन आता है कि जावा के राजा ने नालंदा में दो विहार तैयार किये तथा उनके दूत देवपाल से भिक्षुओं के निमित्त दान देने की प्रार्थना की। देवपाल ने उस विहार में निवास करने वाले भिक्षु विद्यार्थी के भोजन, आवास, औषधि निमित्त दान दिया। वहाँ ग्रंथ लिखने के व्यय का भी आयोजन था (ए इ० भा० १७ पृ० ३२२)

नालंदा गुण वृद्ध लब्ध मनसा भक्तया च सौद्धोदने

× × ×

नाना सद् गुणभिक्षुसघ वसतिस्तस्या विहार कृत,
सुवर्णद्वीपाधिप महाराज बालपुत्रदेवेन दूतक
मुखेन वर्यं विज्ञापिता । यथा मया नालंदाया विहारः कारित ।

इससे इस महाविहार की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का पता चलता है। यही कारण है कि चीन के यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग वर्षों रहकर नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करते रहे। यहीं के पंडित नेपाल, तिब्बत तथा चीन में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए निमंत्रित किए गए थे।

काठियावाड में बलभी भी प्रसिद्ध विद्या केन्द्र था जहाँ से अधिक मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। बलभी के स्नातक ऊँचे पद पर नियुक्त किए जाते थे। गंगाघाटी से ब्राह्मण अपने पुत्रों को विद्याभ्यास के लिए वहाँ भेजते रहे।

अन्तर्वेद्यामभूत्पूर्वं वसुदत्त इति द्विज

× × ×

गणु प्रववृते विद्या प्राप्ते बलभीपुरम् ।

बलभी के धनीमानी श्रेष्ठी इस विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता दिया करते थे। यहाँ के मंत्रीक नरेश साधारण व्यय के अतिरिक्त पुस्तकों के लिए भी दान देते थे जो लेख से विदित होता है।

(सद्धर्मस्य पुस्तकोपचर्यार्थम्—स० इ० इ० ७ पृ० ६७)

मंत्रीको के पिछले उत्तराधिकारी भी बलभी विश्वविद्यालय को पर्याप्त आर्थिक सहायता करते रहे।

दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट राजा के मंत्री नारायण ने सलांस्फी (बीजापुर, वर्मवई प्रदेश) में एक देवालय का निर्माण कराया था जो १२वीं सदी में वैदिक शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र था। उस स्थान पर विद्यार्थियों के रहने के लिए अनेक भवन बने थे। वहाँ को प्रयासित में वर्णन आता है कि दोपक, भोजन तथा आवास के लिए ५०० निर्वातन भूमिदान में दी गई थी (ए० इ० ४ पृ० ६०)

तेनेय कारिता शाला श्री विशाला मनोरमा

अत्र विद्याधिन सन्ति नाना जनपदोद्भवा

शाला विद्यार्थी सघाय दत्तवान्भूमिमुत्तमम् ।

अन्य लेखों से भी पता चलता है कि दक्षिण में कई विद्यापीठ राजकीय सहायता पर चलते थे और देवालय शिक्षा के केन्द्र हो गए थे। १२वीं सदी में दक्षिण अरकाट जिले में एन्नायिरम् विद्यापीठ (साउथ० इ० ए० रि० १९१८ पृ० १४५) तथा चिङ्गलपुट (मद्रास के करीब) में व्यंकटेश पेणमल देवालय (ए० इ० २१ पृ० २२०) महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ थीं। विद्यार्थियों को खाद्य सामग्री निशुल्क वितरण की जाती थी। चिकित्सा का भी प्रबंध था। ११वीं सदी के लेख में बीजापुर के विद्यार्थियों का वर्णन है कि आचार्य योगेश्वर पंडित के शिष्यों को शिक्षा तथा भोजन के लिए १२०० एकड़ भूमि दान में दी गई थी। (इ० ए० १० पृ० १२९) अभिलेखों के आधार पर कई उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं (ए० इ० ४ पृ० ३५५ साउथ इ० ए० रि० १९१२ पृ० २०१ . १९-१७ पृ० १२२) अग्रहारदान (ए० इ० भा० ५ पृ० २२, भा० १३ पृ० ३१७) शिक्षा की उन्नति में सहायक थे तथा आर्थिक चिन्ता से विद्यालय मुक्त रहता था। जिस गाँव में पंडितों के पास ज्ञान-पिपामु लोग आते थे उसे भी दान दिया जाता था : (ए० इ० भा० १६ पृ० १४)। अतएव प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन शिक्षा-केन्द्रों, छात्रावास, आर्यध, भोजन, हस्तलिखित पुस्तक आदि विषयों पर प्रकाश डालते हैं। उनके परिशीलन से प्रकट होता है कि राजकीय सहायता के बिना शिक्षा की उन्नति सम्भव न थी।

प्राचीन अभिलेखों में अध्ययन तथा अध्यापन का सीधा वर्णन उपलब्ध नहीं है केवल प्रसंग वंश साहित्य का उल्लेख मिलता है। अथवा दान के पात्र सम्बन्धी वार्ता में दान-ब्राह्मी की विद्वता तथा उसकी शाखा का वर्णन किया गया है। या
अध्ययन के यो कहिए कि उस वंश का विवरण देते समय ब्राह्मण के वैदिक शाखा
विभिन्न विषय का नाम लिया गया है। इन सभी प्रकार के उल्लेखों से हमें साहित्य सम्बन्धी विषयों का परिज्ञान हो जाता है। अशोक से पूर्व का कोई लेख उपलब्ध नहीं है इसलिए ई० पूर्वं ३०० वर्ष पहले की बातें ज्ञात नहीं हैं। उसने वैराट (भाद्र, जयपुर) के शिलालेख में इस बात का आदेश दिया था कि निम्नलिखित ग्रंथों को भिक्षुओं को सुनना तथा पढ़ना चाहिए—

इमानि भते धम्मपरियायानि विनय समुक्से अलिय-बसाणि अनागत भयानि मुनिगाथा मोनेय सूते उपतिस प्रसिने ए चा लाघुलोवावे मुसावदं अघिगिच्च भगवता बुघेन भासिते (भाद्र लेख) मुनिगाथा मोनेय सूत्र उपतिष्यप्रश्न राहुलवाद मृपावादम्” को बारबार सुनना चाहिए तथा अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त (विनय समुक्से) आर्यवश (अंगुत्तर निकाय में वार्तालाप) अलियबसाणि और भिक्षु की भविष्य चर्चा (अनागतभयानि) को भी सुनना चाहिए जिससे संघ चिर स्थायी हो सके।

मौर्ययुग के पश्चात् अभिलेखों में कई सदियों तक शिक्षा सम्बन्धी किसी विषय का उल्लेख नहीं पाया जाता। कुषाणवंशी लेखों में भिक्षुओं के नाम के साथ 'श्रेपिटकस्य' शब्द जुड़ा मिलता है, इससे प्रकट होता है कि बौद्ध त्रिपिटक का अध्ययन अध्यापन होता रहा। (सहेत महें तथा मथुरा प्रतिभा लेख—ए० इ० भा० ९ पृ० २९१, भा० ८ पृ० १८१) यज्ञों के विधिवत् सम्पन्न होने से यह सिद्ध होता है कि वैदिक शिक्षा का प्रचलन समाज में था। उपनयन सस्कार के पश्चात् विद्यार्थी गुरुगृह में विद्याभ्यास करता रहा। पूर्वमध्ययुग (७००-१२०० ई०) में उपनयन की अवस्था में समानता न रही। प्राचीन गुरुकुल की परिपाटी छिन्न भिन्न हो गई थी और विद्यार्थीगण मंदिर या मठ अथवा विहार में शिक्षा पाने लगे। इस काल के उत्कीर्ण अभिलेख तथा दानपत्र शिक्षा के नभी बातों पर प्रकाश डालते हैं। दान व्यक्तिगत न रहकर सस्थाओं से सम्बन्धित कर दिए गए। जिन सथाओं को दान दिया जाता था वहा विद्या का केन्द्र अवश्य कार्य कर रहा था। यह अनुमान सर्वथा उचित होगा कि अभिलेखों में प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में किसी तरह का उल्लेख नहीं है। केवल ऊंची शिक्षा का मूल्यांकन किया जा सकता है। ऊंची श्रेणी की संस्थाओं तथा किसी विषय में पारंगत पंडित को ही दान देने की परिपाटी थी। अतएव पूर्वमध्ययुग में एक विषय के गम्भीर अध्ययन की बातें सोची जा सकती है। बौद्ध मठों में नए आगतुक्त भिक्षु बों कोमल अवस्था के कारण कुछ साधारण ज्ञान देकर धर्म ग्रन्थ का अध्ययन कराया जाता था। परन्तु ब्राह्मणों के सम्बन्ध में ऐसी बातें ज्ञात नहीं हैं। इस निर्णय पर पहुँचने का कारण यह है कि विद्यार्थी वैदिक शाखा के ज्ञाता कहे गए हैं यानी किसी सम्पूर्ण वेद का पठन पाठन भी सम्भव न था। गम्भीर अध्ययन के कारण विद्यार्थी केवल एक शाखा में ही पाठित्य प्राप्त कर सकता था।

पूर्व मध्ययुग के अभिलेखों का विवेचन यह बतलाता है कि वेद, वेदांग के अतिरिक्त दर्शन, उपवेद तथा इतिहास का भी पठन-पाठन होता रहा। दानग्राही के गुणों का वर्णन करते समय कई विषयों के नाम आते हैं। ज्योतिष तथा धर्मशास्त्र का भी उल्लेख मिलता है जिसके अध्ययन के पश्चात् वह व्यक्ति राजकीय विभाग में पदाधिकारी हो जाता था। इसलिए वेदांग (शिक्षा, निष्कृत, छंद, व्याकरण, कल्प, (धर्मशास्त्र) तथा ज्योतिष) का अध्यापन प्रधान हो गया। उस युग के लेखों में चारों वेद, उनकी विभिन्न शाखाओं, वेदांग तथा षड्दर्शन के नाम मिलते हैं। चहमान (राजपुताना) के लेखों में यजुर्वेद के अनुसार यज्ञ करने की चर्चा की गई है (ए० इ० ९ पृ० ३०६) और बंगाल के सेन नरेश के लेखों में भी यही बातें उल्लिखित हैं (ज० आफ० हि० रि० सो० भा० २ पृ० १४०) इसका अर्थ यह है कि समस्त उत्तरी भारत में वैदिक यज्ञ तथा वेदों का अध्ययन होता था। दक्षिण भारत के लेखों में भी वैदिक शाखाओं के नाम से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दक्षिण में वैदिक अध्ययन की परिपाटी समान रूप से वर्तमान थी। प्रतिहार, चन्देल, परमार तथा बंगाल के राजाओं के अभिलेखों में एक तरह के शाखा के नाम आते हैं। कलहा ताम्रपत्र (गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) में छादोग्य, वाजसनेय तथा माध्यन्दिन शाखाध्यायी ब्राह्मणों के नाम उल्लिखित हैं (ए० इ० भा० २ पृ० ८७) मध्यप्रदेश के चेदि वंश के लेखों में आश्वलायन, शाखायन, कठ, कौथुमी तथा गणायनीय शाखाओं के नाम मिलते हैं (ए० इ० ९ पृ० ११६) मालवा के लेख में माध्यन्दिन, आश्वलायन तथा कौथुमी के नाम प्राप्त हुए हैं (ए० इ० ९ पृ० ११६) कन्नौज के राजा भोज का ताम्रपत्र तथा गहड़वाल नरेश गोविन्द चन्द्र के दानपत्र में आश्वलायन तथा वाजसनेय शाखाध्यायी ब्राह्मणों का वर्णन आया है। (ए० इ० ५ पृ० २१२ तथा भा० ८ पृ० १५४) पाल तथा सेन दानपत्रों में यही नाम मिलते हैं (इ० ए० २१ पृ० २५५ ए० इ० १५ पृ० २९५) विजयसेन का वैरकपुर ताम्रपत्र (ए० इ० १५ पृ० २८४) वल्लालसेन का नईहटी लेख (ए० इ० १४ पृ० १५६) तथा लक्ष्मणसेन के अनेक दानपत्रों में (ए० इ० १२ पृ० ६ इ० हि० नवा० ३ पृ० ८९ ज० ए० सो० व० १९०० भा० ६९ पृ० ६१) में उन्हीं शाखाओं के नाम उल्लिखित हैं जिनके विषय में ऊपर लिखा जा चुका है। लक्ष्मणसेन के अभिलेखों में यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद की शाखाओं के अतिरिक्त अथर्व की पिप्पलाद शाखा का नाम भी मिलता है जो अन्य प्रदेशों की प्रशस्तियों में नहीं मिलता। यदि समस्त शाखाओं को क्रम बद्ध किया जाय तो लेखों की शाखाएँ निम्न वर्गीकरण में रक्की जा सकती हैं।

- (१) ऋग्वेद की शाखाएँ—आश्वलायन, शाङ्खायन
- (२) शुक्ल यजुर्वेद—माध्यन्दिन, काण्व तथा वाजसनेय
- (३) कृष्ण यजुर्वेद—मैत्रायिणी, कठ तथा तैत्तिरीय
- (४) सामवेद—कौथुमी व गणायनीय
- (५) अथर्व—पिप्पलाद

इन शाखाओं के नाम तथा वर्गीकरण से पता चलता है कि ऋग्वेद, साम तथा यजुर्वेद का अध्ययन उत्तरी भारत के अधिक भागों में होता था परन्तु पिप्पलाद का अध्ययन केवल पूर्वी भारत में सीमित था। दक्षिण भारत के लेख भी यही बतलाते हैं कि अथर्व के सिवाय

अन्य तीनों वेदों का अध्ययन व अध्यापन पूर्व मध्ययुग से हो रहा था। इसकी पुष्टि निम्नलिखित उद्धरण से होती है—

ब्रह्म त्रिक्रमोर्कश्च विष्णु देवस्तथा पर
तथा महिरदेवस्य चात्वारो वह्वृचोत्तमा (ऋग्वेद)
एवं कपर्दीपाध्यायो भास्करो मधुसूदन
वेदगर्भश्च चत्वारो यजुर्वेदस्य पारगा (यजुर्वेदस्य)
तथा भास्कर देवश्च स्थिरोपाध्याय एव च
त्रलोक्यहृन्मो मोड-चत्वार सामपारगा (साम)
(ए० इ० ११ पृ० १९२)

समस्त अभिलेखों का परीक्षण यह बतलाता है कि अधिकतर ब्राह्मण तीन ही वेद (ऋक्, यजु व साम) पढ़ते या पढ़ाते थे जिस कारण द्विवेदी या त्रिवेदी की पदवी से पुकारे जाते थे। (ए० इ० १६ पृ० १० भा० १ पृ० ३११)

शतपथ ब्राह्मण (४।६।७) में भी तीन वेदों की प्रधानता उल्लिखित है (त्रयीवैविद्या ऋच यजुसि सामानि)

मध्ययुग में वेदांग का नाम भी लेखों में उल्लिखित है जिन विषयों को पढ़ कर व्यक्ति पदाधिकारी का आसन सुशोभित करता था। बंगाल के लेख में वेद वेदांग पारंग ब्राह्मणों के नाम आते हैं (इ० ए० १६ पृ० २०५) तथा बँरकपुर दानपत्र में 'पडाङ्गाध्यायिने' ब्राह्मण को अग्रहार देने का वर्णन मिलता है (ए० इ० १५ पृ० २८४) गोविन्दपुर के ताम्र पत्र में निम्न श्लोक द्वारा वेदांग के छ विषयों के अध्ययन की चर्चा की गई है—

सत्कल्पप्रवणा धृति प्रणयिनः शिक्षाभिरूद्भासिता
मज्जयोतिपर्मतियो निरुक्त वशदा श्छन्दो विषी सावव
ख्याता व्याकरण क्रमेण विदुषामत्युच्यथि शीलना
द्वेदाङ्ग प्रतिभाः षडेव भुवनेते विभ्रति भ्रातर

(ए० इ० २ पृ० ३३६)

अभिलेखों का अध्ययन इस बात का स्पष्टतया प्रकट करता है कि व्याकरण तथा ज्योतिष का अध्ययन तथा अध्यापन वेदांग विषयों में सबसे प्रमुख था। व्याकरण सभी शास्त्रों को बोधगम्य करना है इसलिए उमका पढ़ना नितात आवश्यक था। ज्योतिष के पण्डित को नैमित्तिक की सजा दी गई थी। गहड़वाल प्रशस्तियों में नैमित्तिक पदाधिकारियों की सूची में मिलता है (ए. इ. ४ पृ० १२२, भा ७ पृ० ९९ तथा भा १८ पृ० २२२) उड़ीसा के भुवनेश्वर लेख में ब्राह्मण को सिद्धांत, तत्र, फलगहिता तथा व्याख्या का ज्ञाता बतलाया गया है (ए. इ. भा० ६ पृ० २०६) तथा बंगाल की प्रशस्ति में दामोदर शर्मन पाच सिद्धान्त का पंडित कहा गया है। ज्योतिष में पु. ३३ (पौलिश), रोमक, वशिष्ठ, सूर्य (सौर) तथा पितामह (पैतामह) का ज्योतिष का पाच सिद्धान्त मानने हैं। इस कारण ज्योतिष को सासा-रिक विषय मान कर पढ़ते और राजदरबार में ज्योतिषी प्रतिष्ठा पाते थे। अन्य चार-कल्प

निरुक्त, शिक्षा तथा छंद का नाम लेखो प्रायः नहीं मिलता। परन्तु इससे यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि वेदांग में व्याकरण तथा ज्योतिषी दो ही विषयों की शिक्षा दी जाती होगी और अन्य चार पढ़े न जाते होंगे। छंद तथा शिक्षा के अभाव में वेद मंत्रों का उच्चारण कठिन होता है तथा निरुक्त के बिना मंत्रों का अर्थ समझना असंभव है। यह काल वैदिक यज्ञ तथा अध्यापन का युग था इस लिए वेदांग के सभी अंगों पर विद्यार्थियों का ध्यान रहता होगा। पूर्व मध्ययुग में अनेक स्मृतियों की रचना हुई थी। इस लिए धर्मशास्त्र (कल्प) के ज्ञान को पूर्व पीठिका मानना असंगत न होगा। यह कहना उचित होगा कि वेदांग का अध्ययन भी ब्राह्मणों के लिए आवश्यक हो गया था।

अध्ययन के अन्य विषयों में पद्धदर्शन को भी प्रधान माना गया है और लेखों में प्रत्येक दर्शन का पृथक्-पृथक् नाम उल्लिखित है। पद्धदर्शन से न्याय, मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिक तथा वेदान्त का बोध होता है (ए० इ० ११ पृ० ३११) रोवा के लेख में काशी के ब्राह्मण को वेदान्त मीमांसा तथा योगदर्शन का पठित कहा गया (ए० इ० १६ पृ० २६५) लेकिन वही प्रतिहार वंशी बानगढ़ की प्रशस्ति में मीमांसा तथा तर्कविद्या (न्याय) में पारंगत माना गया है (ए इ १४ पृ० ३२५) पाल लेखों में इसी तरह का वर्णन मिलता है कि दानप्राप्ती ब्राह्मण मीमांसा व तर्क विद्या (न्याय शास्त्र) का ज्ञाता था (ए इ १५ पृ० २२५ . भा २१ पृ० १६८—मीमांसा व्याकरण तर्कविद्याविदे) मुगेर लेख में वेदान्त का उल्लेख है। (इ ए १५ पृ० ३०७)। इससे प्रकट होता है कि पद्धदर्शन में न्याय, मीमांसा तथा वेदान्त का अध्ययन अध्यापन अधिक प्रचलित था। साहित्य के इतिहास में इसकी पुष्टि होती है। यह विदित है कि मिथिला के वाचस्पति मिश्र ने न्याय ग्रंथ की रचना की। मीमांसा में भी कुमारिल युग (६००-९०० ई०) सर्व प्रसिद्ध है। कुमारिल तथा उनके शिष्यों ने अनेक टीकाएँ तथा निबंध तैयार किए। वेदान्त के विद्वानों ने शंकर और गौडपाद के नाम उल्लेखनीय हैं।

प्रशस्तियों में उपवेद—गान्धर्ववेद, आपुर्वेद का सीधा वर्णन नहीं है पर यत्र-तत्र उल्लेखों से तात्पर्य निकाला जा सकता है कि इन विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। जहाँ तक संगीत की शिक्षा का प्रश्न है मौर्य सम्राट् अशोक ने इसे निरुत्साहित किया। प्रथम शिला लेख में ही वह 'न च ममात्रो कतव्यो, बहुक हि दोमं समाजग्भिह' का आदेश देता है कि सगोत तथा आनन्दमय समाज एकत्रित न करना चाहिए। साधारण जनता तो इसके विपरीत थी अतएव उसके मरते ही सगीतमय समाज का आयोजन होने लगा। भरद्वाज की वेदिका पर नृत्य का दृश्य है और उस स्थान पर लेख खुदा है जिसमें विभिन्न अप्मराओं के नाम मिलते हैं। गुप्त लेख में समुद्रगुप्त गान्धर्व विद्या में निपुण कहा गया है जिसने तुम्बरू तथा नारद को संगीत में लज्जित कर दिया था (गान्धर्व ललितैर्त्रीकित-त्रिदशपति-तुम्बरु नारदादे—प्रयाग-स्तम्भ लेख) प्रथम कुमारगुप्त के मदमोर लेख में वर्णन है कि श्रेणी के सदस्य सगीत में भी दक्ष थे। सामदेव का शिक्षा भी जनता के संगीत प्रेम की बात स्पष्ट करती है। मंदिरो की दीवारों पर वाद्य तथा नृत्य के अनेक प्रदर्शन मिलते हैं और मंदिरो के एक कक्ष को नट मण्डल (नृत्य मण्डप) कहते थे जो प्रशस्तियों के उल्लेख को पुष्ट करता है।

आयुर्वेद की शिक्षा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता था। अशोक दूसरे शिला लेख में दो प्रकार की चिकित्सा का उल्लेख है—मनुष्य चिकित्सा च पशु चिकित्सा। मनुष्यों के साथ पशु चिकित्सा पर राजा का ध्यान यह व्यक्त करता है कि आयुर्वेद की शिक्षा ऊँची श्रेणी की थी। उनमें यह भी लिखा है कि जिस स्थान पर जो दवाएँ न थी वह भेजी गईं तथा जड़ी-बूटी के पीधे भी लगाए गए थे (मूलानि फलानि यत यत नास्ति सर्वतः द्वारापितानि रोपापितानि) मध्ययुग के गहड़वाल लेखों में भिषग् (चिकित्सक) का उल्लेख मिलता है। (कमीलौ ताम्रपत्र— ए. इ भा ४) चन्देरु राजा परमदि के लेख में वैद्य का नाम पदाधिकारियों की सूची में उल्लिखित है (ए. इ भा ४ पृ० १७०) पाल वशी लेखों में भंजय (दवा) शब्द का उल्लेख भिक्षुओं के दान (दवा का व्यय) सम्बन्ध में किया गया है (इ ए १५ पृ० ३०६) देवपाल के नालंदा ताम्रपत्र में भी भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र (चीवर) तथा औषधि (भेषजादि) के प्रबन्ध निमित्त दान का वर्णन है (ए इ १७ पृ० ३२२ भा० २० पृ० ४४) अतएव इन सना विवरणों के आधार पर आयुर्वेद के पठन पाठन का मूल्याङ्कन किया जा सकता है।

धनुर्वेद की शिक्षा सम्भवतः राजकुमारों में ही सीमित थी। मेना में इन शास्त्रों का प्रयोग पूर्ण ढंग से हुआ करता था। जनसाधारण में भी इसके प्रति अभिरुचि थी। गुप्त युग में सम्भवतः इस विद्या का अभ्यास किया जाता था। प्रयाग प्रशस्ति में "परशु—शर—शङ्कु—शक्ति—प्रसासितोमर" आदि शास्त्रों के नाम उल्लिखित हैं। गुप्त नरेशों द्वारा प्रचलित धनुर्भंगकित स्वर्ण मुद्राएँ शासक का धनुर्विद्या से प्रेम प्रकट करती हैं। प्रथम कुमार गुप्त के मदसोर लेख में वर्णन मिलता है कि श्रेणी के सदस्य धनुर्वेद के भी ज्ञाता थे—श्रवण सुभगधनुर्वेद्यं दृढ परिनिष्ठिता, सुचरित शतासङ्गा केचिद्विचित्र कथाविद (मदसोर की प्रशस्ति का० इ० इ० ३ पृ० ८१) गुप्तसम्राट् भी कुशल धनुर्वारी थे, यह उनके सिक्कों के देखने में स्पष्ट हो जाता है। समुद्रगुप्त से बुधगुप्त तक धनुर्वारी प्रकार के सिक्के अत्यन्त लोकप्रिय थे, इससे यह झलकता है कि धनुर्वेद की शिक्षा में लोगों की प्रेम था। सूर्य की प्रतिमा में दो स्त्रियाँ (उपा तथा प्रत्युपा) धनुष चलाती प्रदर्शित की गई हैं। देवताओं का आयुध समझ कर दुर्गा की प्रतिमा के हाथों में धनुषबाण प्रदर्शित किया गया है। खेद है कि प्रशस्तियों में इस उपवेद के सम्बन्ध में अधिक चर्चा नहीं मिलती।

संस्कृत साहित्य की शिला के सम्बन्ध में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। ईसवी सन् की दूसरी सदी से प्रायः अधिक लेख जनता के लिए संस्कृत में ही लिखे गए। इतना ही नहीं गुप्तकाल में तो मुद्रालेख भी छद्मबद्ध संस्कृत में अंकित कराए गए। अतएव यह कहना उचित होगा कि संस्कृत भाषा की शिक्षा सभी वर्गों को दी जाती थी। सर्वसाधारण इसके द्वारा सारा कार्य करते रहे किन्तु दुःख तो यह है कि साहित्यिक चर्चा के सम्बन्ध में लेख शान्त है। संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान्, कवि तथा लेखकों ने ग्रंथ लिख कर साहित्य की अभिवृद्धि की तथा जनता के ज्ञान को बढ़ाया।

अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चार प्रकार की हस्तकला का भी ज्ञान लोगों को था। वास्तुकला (Architecture) तक्षण कला (Sculpture) बालना

(Casting) तथा खोदना (Engraving) । प्राचीन समय के हस्तकला की शिक्षा अनेक मंदिर, स्तूप तथा वेदिका की स्थिति से यह स्वयं सिद्ध है कि भवन निर्माण का ज्ञान कारीगरों को था । राजपुताना के एक लेख में ऐसे कारीगरों—चण्डशिव तथा उसके पुत्र के नाम मिलते हैं जो कुशल सूत्रधार थे । हर्ष शिलालेख (१० वीं सदी) में निम्न प्रकार का वर्णन आता है—

बीरभद्रसुत ख्याता सूत्रघारीत्र चण्डशिव
विश्वकर्मैव सर्वज्ञो वास्तु विद्या " " " " "
येन निमित्तमिद मनोहर शकरम्य भवन समण्डपम्

(ए० इ० २ पृ० १२३)

प्राचीन भारत में मंदिर तथा प्रतिमाओं का निर्माण पर्याप्त सख्या में हुआ । गुप्तयुग में पूर्व के भवन निर्माण का उल्लेख तो नहीं पाया जाता परन्तु सानी वेदिका पर अंकित लेख दानकर्ताओं के नाम उर्पास्थित करते हैं । तोरण पर खुदे भवन, दुर्ग आदि के प्रदर्शन से वास्तुकला का अनुमान हो जाता है कि समाज में लोगों को भवन या दुर्ग निर्माण में अभिरुचि थी । घनिक के नगर शिलालेख में वास्तुविद्या में निपुण व्यक्तियों के नाम मिलते हैं—श्री भिल्लमाल सूत्रधार ग्रहभद्रोत्पन्न सूर्यवर्म । गंगा वर्माभि सूत्रधारत्वं कुशलं रूपकर्म निपुणैर्वास्तुविद्या पारणः (भारत कौमुदी भा० १ पृ० २७६)

इसके अतिरिक्त प्रतिमा निर्माण की कला में भी अनेक व्यक्ति दक्ष थे । हिन्दू, जैन तथा बौद्ध देवी देवताओं की अनगिनत मूर्तियाँ प्राचीन समय में तैयार की गई थी । पूर्वमध्य-युगी बौद्ध प्रतिमाओं पर राजाओं की शायन तिथि अथवा निम्नपद्य खुदे मिलते हैं—

ये घम्मा हेतु प्रभया हेतु नेगा तयागता अनद्ध
अवदन च यो निरोधो एव वादी महाश्रमण ।

खेद है कि कलाकारों के नाम कहीं नहीं मिलते । केवल तिब्बत इतिहासकार तारनाथ ने नालदा के प्रसिद्ध कलाकार घोमान का नामात्कय किया है जो अपने पुत्र विटपाल के साथ घातु प्रतिमा के ढालने में लगा रहता था । प्रन्तर प्रतिमाओं का वास्तविक अनुकरण घातु मूर्तियों में दृष्टिगोचर होता है (ए० इ० १४ पृ० १९९) अतएव यह कहना उचित होगा कि प्रतिमा निर्माण की कला ऊँची श्रेणी तक पहुँच गई थी ।

गुप्तयुग के पश्चात् अशोकनर नेत्र ताम्रपट्टिकाओं पर उत्कीर्ण किए गए थे जिसका मुख्य कारण यह था कि दानग्राही उम शायन को सुरक्षित रखता था । वह ताम्रपत्र उसके वंशज के लिए परमावश्यक राजकीय आज्ञापत्र था । उसी के अनुसार दानग्राही के उत्तराधिकारी अप्रहार भूमि का उपभोग करते थे । उम लेख की ताम्रपट्टिका पर उत्कीर्ण करने की कला सब को ज्ञात न थी । थोड़े से कलाकार उसे तैयार सकते थे । बंगाल के एक लेख में मगध का कलाकार सोमेश्वर निम्न प्रकार से ध्वजित किया गया है ।

शिस्पविन मागच कामां तन्मना वर्णभक्तिभि
सोमेश्वरो लिखदिमाम् प्रशस्ति स्वामिभ प्रियाम् ।

(सिलिमपुर लेख ए० इ० १३ पृ० ४२)

अन्य प्रशस्तियों में भी कलाकार का नाम (लेखों के) अंत में मिलता है । महोपाल के लेख में—इम शासनं उत्कीर्णं श्री महीधर शिल्पिना-वाक्य मिलता है (ए० इ० १४ पृ० ३२०) कई लेखों के उद्धरणों से यह प्रकट होता है कि सुन्दर अक्षर लिखने के लिए विशिष्ट शिल्पी बुलाए जाते थे । सर्व साधारण के वश की बात न थी कि लेख सुन्दर रीति से उत्कीर्ण किए जायें । यही कारण है कि कुशल कलाविद् (शिल्पी) का नाम गर्व के साथ प्रशस्तियों के अन्त में उत्कीर्ण मिलता है । निम्नलिखित उद्धरणों से यह कथन स्पष्ट हो जाता है । पाह्लण शिल्पी का वर्णन इस प्रकार है ।

रजपालस्य पुत्रेण पाह्लवेण च शिल्पिना
उत्कीर्णा वर्णघटना वैदग्ध्यं विश्व कर्मणा

(ए० इ० २० पृ० १३१)

नागवर्म नामक शिल्पी के विषय में भी कहा गया है कि वह खोदने की कला में निपुण था ।

यशोवर्ममुतेनेय साधुना नागवर्मणा
रम्या प्रशस्तिकृत्कीर्णा कला कौशलशालिना ।

(धनिक की नगर प्रशस्ति-भारत कौमुदी भा० १ पृ० २७६)

दूसरा उदाहरण सुनि—

लिपिज्ञान विधिज्ञेन प्राज्ञेन गुण शालिना
सिहनेय समुत्कीर्णा सद्वर्णारूप शालिना

(ए० इ० १ पृ० १४७)

उत्कीर्णा सोमनाथेन टङ्क विज्ञान शालिना
उत्कीर्णा प्रचुरसा प्रशस्तिरियमक्षरै रुचिरै ।

(ए० इ० २६ पृ० २६३ भा १० पृ० ४४, भा० १ पृ० ८१)

इन सभी उद्धरणों का तात्पर्य यह है कि ७ वीं सदी के बाद लेख उत्कीर्ण करने की कला सिखलाई जाती थी । विशिष्ट व्यक्ति ही कुशल शिल्पी होकर ताम्रपट्टिकाओं पर प्रशस्ति खोदना करता था ।

अभिलेखों की विभिन्न भाषाएँ

प्राचीन लेखों की लिपियों का सम्बन्ध में अग्रिम पृष्ठों में कहा जायगा । प्रशस्ति लिखने की कला के साथ साथ भाषा के सम्बन्ध में भी विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । भाषा वह है जो हम बोलते हैं । पुराने समय में प्रचलित भाषा को ही लेखों में स्थान दिया गया होगा । परन्तु साहित्य का सहारा न लेकर अभिलेखों की भाषा विचारणीय प्रश्न है । साधारणतया लोगों को प्रशस्तियों की भाषा सम्बन्धी ज्ञान अपूर्ण सा है । पालि का नाम सभी लोग जानते हैं और इसी को बुद्ध धर्म-ग्रंथ तथा अशोक के धर्मलेखों की भाषा मानते हैं । आज २५०० वर्ष पहले मगध में जो भाषा बोली जाती थी उसका नाम 'मागधी' था । बुद्ध ने सर्व साधारण की भाषा होने के कारण इसी मागधी का प्रयोग किया जिसे अशोक ने धर्म लेखों में प्रयुक्त किया था । बुल्ल-

वग (५, ३३, १) में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान् ने लोगों को अपनी भाषा से बुद्ध-वचन सीखने की आज्ञा दी—अनुजानामि भिक्खवे सकाय निमत्तिया बुद्ध वचन परिया पणितुं। कच्चायन व्याकरण में इसका निम्न प्रकार उल्लेख है—सा मागधी मूलभाषा सम्बुद्धा चापि भासरे (भगवान् के बोलने की मूलभाषा को मागधी नाम दिया गया था) सामत पसादिका के “समसिम्म बुद्धेन वुत्तपकारो मागधको बोहारो” तथा विशुद्ध मग के “मागधिकाय सबा सत्तानं मूलभासाय” उद्धरणों से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि बुद्ध ने मागधी में ही अपना प्रवचन आरम्भ किया था। अशोक ने उसी मागधी का प्रयोग धर्म लेखों में किया। इसलिए राजा शब्द के स्थान पर राजा प्रयुक्त मिलता है जैसे ग्यारहवें प्रधान शिलालेख और मातवे स्तम्भ लेख में “देवान पिये पियदशी राजा हेव आहा” उल्लिखित है। इसका अर्थ यह नहीं कि राजा शब्द का प्रयोग सदा के लिए स्थगित कर दिया गया था। मागधी का प्रयोग प्रायः सर्वत्र (अशोक के साम्राज्य में) होता रहा, केवल मगध तथा मथुरा के मध्य भाग को अर्द्ध मागधी कहा गया है जिसमें र अथवा य का प्रयोग नहीं मिलता। पश्चिम भारत में र तथा य का ज्ञान लोगों को था।

अशोक के पश्चात् मागधी भाषा नाम प्रचलित न रहा परन्तु पालि शब्द में वह भाषा प्रसिद्ध हुई। पालिग्रन्थों का इतिहास यह बतलाता है कि अशोक के समय में भी पालि का ज्ञान था। वैराट का लेख (भाद्र धर्म लेख) बतलाता है कि विनय तथा सूक्त पिटकों का वर्गीकरण हो गया था। परन्तु मौर्ययुग के पश्चात् पालि का कुछ दूसरा रूप मिला है। कला के आधार पर यह ज्ञात है कि शुंगकाल में जातक का प्रदर्शन भरहुत तथा मार्ची की वेदिका तथा तोरण पर क्रमशः हो चुका था। भरहुत के जातक प्रदर्शनों का नाम भी पालि में व्यक्त किया गया है। (Levelling of the sculptures) उन सशित पालि लेखों में सूचानक (सूक्त का व्याख्याता) पचने कायिक (पाच निकायों का ज्ञानी) तथा पेटकिन (पिटक का जानने वाला) शब्दों का प्रयोग मिलता है। अतएव यह कहना उचित होगा कि ईसा पूर्व तीसरी सदी के बौद्ध संगीत में सभी ग्रन्थों का अंतिम रूप तैयार न हो सका। अशोक के पश्चात् ही पालि साहित्य का मूल सम्भव माना जाता है। पालि में र का सर्वत्र प्रयोग है तथा मागधी की भी झलक है। पालि शब्द का सर्वप्रथम (५ सदी में) बुद्ध घोष के ग्रंथ में मिलता है जहाँ इम दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है (१) बुद्ध वचन या (२) त्रिपिटक (बौद्ध साहित्य)। बुद्धघोष की जीवनी में उल्लेख आता है कि उनके गुरु ने बुद्ध की कथाओं को सिंहली से मागधी में रूपान्तर करने की आज्ञा दी। जिस भाषा में सिंहली कथाओं का रूपान्तर हुआ वही पालि माना जाता है—

कना सिहल भासाय सीहल्लेमु पवत्तति
तं तत्थ गन्त्वा मुत्त्वान्व मागधाना पवसति

(महावंस परि० ३७)

यानी मागधी का ही नाम पालि था। संस्कृत भाषा में पालि का अर्थ पवित्र भी है लेकिन दक्षिण में इसमें यह भाव प्रकट होता है “उन ग्रंथों की पवित्रता” जिसमें बुद्ध के मूल वचन संग्रहित हैं।

डा० वेल्सर पालि को पाटलि का अशुद्ध रूप मानते हैं जिसे (पाटलि को) पाटलिपुत्र

की भाषा कहते थे (इ० हि० क्वा० भा० ४ पृ० ७७३) पालि का अर्थ यह भी मानते हैं कि वह गद्य बिना विराम के शीघ्रता से लिखा जाय। जैसा चुल्लवग्ग का उद्धरण दिया गया है। 'परियाय' शब्द कई बार त्रिपटक में प्रयुक्त है। अंगुत्तर निकाय में परियाय शब्द बार बार आता है (धम्म परियायोति इन्ं धम्म परियायं, इम हि मे भन्ते धम्म परियाय। इम धम्म-परियायं (इन्द्रजालमुत्त)। अशोक के भाब्रू लेख में "इमानि भवे धम पालियायानि—भवता बुधेन मानिते एतानि भते धम्म पलियानि" ऐसा उल्लेख आता है। इससे तात्पर्य यह निकलता है कि पलियाय अथवा परियाय शब्दों में बुद्ध के उपदेश का भाव निहित है। दीघ निकाय में भी परियाय का अर्थ बुद्धवचन समझा गया है। भगवता अनेक परियायेन धम्मो परियाय। यदि शब्दों के रूपांतर का क्रम देखा जाय तो पता चलता है कि परियाय, पलियाय में बदल गया जो कालान्तर में पलीयाया अथवा पालीयाय बन गया। पालि शब्द अन्तिम पालियाय का पक्षित रूप है। भाषा शास्त्रियों ने भी परियाय, पंक्ति, पाल, पल्ली, पालि आदि शब्दों को एक श्रेणी में रक्खा है। ऐसा जान पड़ता है कि बुद्ध के परि निर्वाण के बाद पाली (पालि) शब्द का प्रयोग उस भाषा विशेष के लिए किया गया जिसमें (मागधी) उन्होंने उपदेश दिया था। अब पालि को मागधी जा उपनाम मान सकते हैं जिसे अशोक के धम्मलेख में पाते हैं। अतएव मगध ही पालि का जन्म स्थान था। मागधी में कुछ स्थानीय समिश्रण होकर पालि भाषा का प्रचार हुआ। अन्त में पालि शब्द के विषय में तीन विभिन्न मतों का उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है। जैसा कहा गया है यह शब्द निम्न रूप में—

पट्टिक्क — पन्ति — पत्ति-पट्ठि-पल्लि-पालि विकसित हुआ। संस्कृत में इसका अर्थ पक्ति से है जिसे बौद्ध ग्रन्थ अभिधानपत्र दीपिका में भी इसी अर्थ (पक्ति) में प्रयुक्त किया गया है (पालि-पक्ति, वचन पन्ति पालि) दूसरा मत यह है कि पालि शब्द पल्लि में बना जिसका (पल्लि) का अर्थ है ग्राम। यानी ग्राम में बोली जाने वाली भाषा को पालि नाम दिया गया और वह नगर की भाषा संस्कृत से भिन्न थी। तोमरा मत मैक्समूलर का था और वह पालि का संबंध पाटलिपुत्र की भाषा में मानते हैं। परन्तु यह मत मान्य नहीं है क्योंकि मगध की भाषा पालि नहीं थी (जैसा ऊपर कहा गया है मागधी थी) इन समस्त विचारों को सामने रखते हुए भी पालि शब्द की व्युत्पत्ति तथा विकास विवाद-ग्रस्त प्रश्न है।

पालि के जन्म-स्थान के विवेचन में न जाकर यह कहा जा सकता है कि अधिकतर विद्वान् मागधी को ही इसका आधार मानते हैं। भगवान् बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार के लिए

किसी विशेष भाषा का निर्देश नहीं किया। उनका उपदेश बोलचाल

पालि का स्थान को भाषा (पालि = मागधी) में ही सीमित रहा। पालि में ५१ वर्ण

हैं जिसमें तालव्य श या मूर्धन्य ष नहीं पाया जाता। ऐ, औ, विसर्ग

रेफ का पालि में स्थान नहीं है। पालि बोलचाल की भाषा होने के संस्कृत में सरल थी। उस समय की बोली को प्राकृत का भी नाम दिया जाता है। कुछ विद्वान् प्राकृत शब्द को प्राकृत

(आपार) से बना मानते हैं। अब प्राकृत भाषा तो संस्कृत की उत्तराधिकारिणी हो जाती है। संस्कृत (old-Indo-Aryan language) के बाद ही प्राकृत का प्रचलन हुआ जो स्थान

या काल की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित होती रही। यद्यपि यह पालिसमूह [दक्षिण बौद्ध धर्मग्रन्थ, अशोक के धर्मलेख तथा अन्य मुद्रा लेख] से कुछ भिन्न है परन्तु साधारण परि-

भाषा में इसे जनसाधारण की बोली ही मानते हैं जो व्याकरण के नियमों से सीमित नहीं है। महायान बौद्ध संस्कृत ग्रंथों में भी प्राकृत का प्रयोग मिलता है। इण्डो-आर्यन समूह में प्राकृत का स्थान मध्य में रखा जाता है (Middle Indo-Aryan) जो ईसा पूर्व ६०० से ईसवी सन् ११०० तक तक प्रचलित रही। संस्कृत के साथ-साथ इसका प्रयोग गुप्तयुग में भी होता रहा। शिष्ट लोगों की भाषा संस्कृत रही और उसकी प्रधानता गुप्त युग में थी। तथापि जन साधारण प्राकृत बोलते थे। अशोक के समय में प्राकृत न संस्कृत को कुछ सीमा तक दबा दिया था जिसका प्रमाण अशोक के धर्म लेख है।

मौर्ययुग के पश्चात् वसुनगर गरुडस्तम्भ लेख तथा शुगराजा धनदेव का अयोध्या लेख प्राकृत में है। आश्चर्य तो यह है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन प्रसिद्ध वैद्याकरण पतञ्जलि ने महाभाष्य लिखा किन्तु उसका प्रभाव अबिलेखों पर तनिक भी देख नहीं पड़ता। अशोक के पश्चात् दक्षिण भारत के शासक सातवाहन वंश लेखों तथा मुद्रा लेखों में प्राकृत का ही प्रयोग मिलता है। नासिक, कन्हेंरी तथा कालें की प्रगस्तिया प्राकृत में हैं। उनमें र तथा स के प्रयोग के साथ ज के स्थान में ओ का प्रयोग मिलता है। कालेंलेख में "२ओ वासिठीपुतस सामिसिरि"

(राज्ञ. वासिष्ठीपुत्रस्य स्वामिश्री संस्कृत) प्राकृत में लिखा है। ग्राम के लिए ग्रामो उल्लिखित है। नासिक लेख में प्राकृत में "सातवाहन कुलयस पतिथापन करस" (यानी सातवाहन कुलयस. प्रतिस्थापन करस्य) पदवी गौतमीपुत्र शातकर्णिक के लिए प्रयुक्त है। इतना ही नहीं सातवाहन नरेशों के सभी प्रकार के सिक्कों में तथा सभी स्थानों में प्रचलित सिक्कों के मुद्रा-लेख प्राकृत में ही मिलते हैं। उदाहरणार्थ—

रजो गौतमी पुतस सिरौ यन्न सातकर्णिसि (प्राकृत में) मिलता है। जिसका संस्कृत रूप होगा—राज्ञ गौतमीपुत्रस्य श्रो यज्ञ शातकर्णिक ।

आंध्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर, पूर्वी घाट तथा सोपारा के भू भाग में सभी मुद्रालेख प्राकृत में हैं। इतना ही नहीं सातवाहन वंशो हाल नामक राजा ने प्राकृत में गाथासप्तसती नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्य तो यह है कि सातवाहन नरेश वैदिक धर्म के मानने वाले थे। शातकर्णिक के सम्बन्ध में उसकी रानी नायनिका ने लिखा है कि राजा ने अनेक वैदिक यज्ञ किया था। नासिक लेख में एक ब्राह्मण (सर्वेच्छ ब्राह्मण) की पदवी गौतमीपुत्र शातकर्णिक के लिए उल्लिखित है। शासन कार्य के लिए प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया। उच्च वर्ग की (शिष्ट लोगों की) भाषा होने पर भी संस्कृत का नाम भी नहीं मिलता। यह तो स्पष्ट है कि उस समय (दूसरी सदी में) रामायण तथा महाभारत का अध्ययन होता था (जो ग्रंथ संस्कृत में थे) तभी तो प्रशस्तिकार ने गौतमीपुत्र शातकर्णिक की शक्ति की समता में देवता तथा मुनियों—केशव, राम, भीम, अर्जुन से की है और सागर यथाति, जनमेजय के समान तेजस्वी कहा गया है। विद्वानों का मत है कि पहली सदी ई० स० से एक तरह का मिश्रित संस्कृत का प्रचार हो रहा था जिस का स्वरूप महावस्तु तथा ललित विस्तार में पाया जाता है। पाणिनि तथा पतञ्जलि द्वारा प्रयुक्त संस्कृत ईसवी पूर्व सदियों में प्रचलित था। परन्तु लेखों में संस्कृत प्राकृत से प्रभावित था जो पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी धन—देव के अयोध्या

लेख से स्पष्ट प्रकट है। यह कहा गया है कि जनता में ईसवी सन् के बाद संस्कृत का अधिक प्रचार होने लगा। दूसरी शती के शासक महाक्षत्रप रुद्रदामन का एक शिलालेख (१५० ई०) जूनागढ़ से उपलब्ध हुआ है जो शुद्ध संस्कृत में उत्कीर्ण है। उसमें “स्फुट लघु मधुर चित्र-कान्त शब्द समयोदार अलंकृत गद्यपद्य” का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिम भारत के शक नरेश संस्कृत से अनभिज्ञ न थे। परन्तु कारणवश उन्हे प्राकृत का प्रयोग करना पड़ा था। जूनागढ़ के अतिरिक्त नहपान कालीन सभी लेख (नासिक, जूनार, कार्ले आदि) तथा क्षत्रप मुद्रालेख प्राकृत भाषा में हैं। नासिक लेख में ‘राजो क्षहरातस क्षत्रपस नहपानस लिखा है तो कार्ले में ‘राजो क्षहरातस क्षत्रपस नहपानस’ खुदा है। जूनार में “राजो महाक्षतपम सामि नहपानम” उल्लिखित है। मुद्रालेख इस प्रकार है—

राजो क्षहरातस नहपानस या राजोक्षहरतस नहपानस”

पश्चिमी भारत के क्षत्रप सिक्को पर निम्न प्रकार के प्राकृत शब्द सर्वत्र पाए जाते हैं—

प्राकृत	संस्कृत रूप
राजो	राज
सिरी	श्री
नामि	स्वामी
पुतस	पुत्रस्य
क्षत्रपस	क्षत्रपस्य
रुद्रसिहस	रुद्रसिंहस्य

कालान्तर में क्षत्रप मुद्रालेख संस्कृत से प्रभावित हुए। सिंहसेनस्य (संस्कृत पृष्ठी) महा-क्षत्रपस (प्राकृतरूप) के साथ प्रयुक्त पाया जाता है। पुतस के बदले पुत्रस खुदा है सत्यदाम के स्थान पर सत्यदाम्नि लिखा गया। इस तरह जनता में प्रचलित मुद्राओं पर सातवाहन तथा क्षत्रप नरेशों ने प्राकृत का ही प्रयोग किया था। केवल कुछ संस्कृत प्रभावित शब्द क्षत्रप मुद्रालेख में पाये जाते हैं।

उत्तर-पश्चिम भारत में अशोक के दोनो लेख-शहवाजगढी तथा मनसेरा प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। उनके पश्चात् भारतीय यूनानी राजाओं ने विदेशी होकर भी इसी भाषा को अपनाया। मिलिन्द का बिजौर का लेख तथा सभी शासकों के (खरोष्ठी में) मुद्रालेख प्राकृत में हैं। “मिनेद्रस महरजस कटि अस दिवस” (बिजौर लेख) तथा “महरजस त्रतरस हेरमयस” (मुद्रालेख) उदाहरण के लिए प्रस्तुत किये जा रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी पल्लव नरेशों के भी मुद्रा लेख प्राकृत में ही अंकित हुए जैसे—रजदिरज महतस मोअस; महरजस रजरजस महतस अयिलिपस। पहला लेख राजा मोग तथा दूसरा अयिलिस के मुद्रा पर खुदा है। गुद-फरस के तक्षित बहाई लेख में भी ऐसी ही भाषा पाई जाती है—महरयस गुदुव्हरस—वैशखस मसस—(महाराजा गुदफर—वैशाख मास—का० ६० ६० भा० २ पृ० ६२)

कुषाण राजा बीम कदफिस तथा कनिष्क समूह के शासकों के अभिलेख या मुद्रालेख प्राकृत में ही खोदे गए थे। बीमकदफिस के स्वर्ण मुद्रा पर निम्न तरह से मुद्रा लेख अंकित है—

“महरजम रजरजस सबलोग ईश्वरस महीश्वरम”

कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारी पेशावर में राज्य करते रहे जहां पर (उत्तर पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी पाकिस्तान) अशोक के समय से ही खरोष्ठी का प्रसार था। उस लिपि में जितने लेख हैं वह प्रायः प्राकृत में ही हैं। जैसा कहा गया है कि पहली सदी से ही संस्कृत का प्रयोग होने लगा था, इसलिए कनिष्क के प्राकृत लेख संस्कृत से प्रभावित हुए। कनिष्क के पंजाब से उपलब्ध लेखों में “अपडस मसन—कनिष्कस” प्राकृत भाषा में है तो दूसरे में “महरजस्य रजरजरजस्य देवपुत्रस्य कनिष्कस्य” मिश्रित संस्कृत + प्राकृत है। पूर्वोक्त (यानी उत्तर प्रदेश) में कुषाण लेख संस्कृतमय मिले हैं। ह्विष्क का मथुरा लेख (ए० इ० भा० २१) लखनऊ संग्रहालय के जैन प्रतिमा लेख (ए० इ० भा० १० पृ० ११२) तथा वामुदेव का मथुरा प्रतिमा अभिलेख संस्कृत मिश्रित प्राकृत में है। इस तरह पता चलता है कि संस्कृत का प्रभाव बढ़ रहा था। बुद्ध धर्म में भी महायान मत वालों ने संस्कृत को अपनाया। बौद्ध संस्कृत साहित्य के अध्ययन में यह स्पष्ट हो जाता है कि पालि का प्रचलन पुराना था। हीनयान और महायान बौद्धों ने पालि में साहित्य का मुजत किया। अशोक के भांग्रु लेख की चर्चा की गई है जिसके आधार पर धार्मिक तथा साहित्य कार्यों में पालि का प्रयोग सिद्ध होता है। ईसा पूर्व तीसरी सदी से लेकर ईसवी सन् की कई शताब्दियों तक पालि का प्रयोग संस्कृत के साथ बिलता है। पहली सदी का मथुरा लेख (ए० इ० भा० २ पृ० २००) में काव्यमय संस्कृत पंक्तियों में खूदा है किन्तु संस्कृत मिश्रित प्राकृत कौशांबी के राजकीय लेख (दूसरी सदी) में मिलती है। (ए० इ० भा० १८ पृ० १५९) ईसवी सन् की तीसरी सदी से सर्वत्र राजकीय अभिलेख संस्कृत में उत्कीर्ण होने लगे जो क्रम गुप्तयुग से पूर्णरूपेण कार्यान्वित किया गया।

ईसवी पूर्व सदियों में पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी की रचना हुई थी और पतंजलि ने ई० पू० दूसरीसदी में महाभाष्य लिखा। ऐसे संस्कृत व्याकरण का प्रभाव तत्कालीन अभिलेखों में दोष नहीं पड़ता। यह कहना उचित होगा कि नामों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मिश्रित संस्कृत एवं प्राकृत लेखों का वर्णन किया गया है। क्रमशः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया।

मंत्र में पूर्व रुद्राभन केजनागद वाले शिलालेख में (ई० स० १५०)

संस्कृत

प्रथम श्रेणी व संस्कृत का प्रयोग मिलता है। चौथी सदी में गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति चम्पू भाषा में हर्षिण द्वारा लिखी गई

जिसमें उसके दिग्बन्धु का वर्णन है। गुप्तवंशी अभिलेख, मुद्रालेख तथा उत्तर-गुप्तयुग के नमस्त अभिलेख व प्रशस्तियां संस्कृत भाषा में ही लिखी हैं। दक्षिण भारत में नागार्जुनो कोडा से सर्वप्रथम तीसरी सदी के संस्कृत लेख मिले हैं। दक्षिण में वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट तथा चालुक्यी लेख भी संस्कृत में लादे गए। अतएवं संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि तीसरी सदी से बारहवीं सदी तक भारतवर्ष में साम्राज्य या प्रशस्तियां संस्कृत में ही लिखी गईं। आश्चर्य तो यह है कि गुप्तकाल में अभिलेखों के अतिरिक्त मुद्रा-लेख भी संस्कृत में लिखे गए और वह भी छोटी-बड़ी मिले हैं। उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त की दण्डधारी तथा प्रथम कुमार-गुप्त के अश्वारोही मुद्रा पर उपमांत छंद में क्रमशः “समर-सत-वितत विजयो जितरिपुर-जितो दिवं जयति” और “गुप्तकुलामल चन्द्रो महेन्द्र कुर्माजितो जयति”—अंकित है। द्वितीय

चन्द्रगुप्त का सिंहनिहता प्रकार के सिक्के पर वर्णस्य छद्र में निम्न लेख मिलता है—

“नरेन्द्रचन्द्रः प्रथितरणो रणे जयत्यजेयो भुवि सिंह विक्रम ”

प्रथम कुमारगुप्त के खड्ग निहन्ता (गंडा मारने वाला) प्रकार सिक्के पर श्लेषात्मक शब्द का प्रयोग है तथा मुद्रा लेख छद्रोवद्ध भी है । खड्ग शब्द गंडा तथा तलवार के लिए प्रयुक्त है । इसी प्रकार चादी के सिक्को पर छद्रयुक्त लेख—विजितावनिरवनिपति' कुमार गुप्तो दिवं जयति "उत्कीर्ण है ।

इसी प्रकार के छद्रोवद्ध लेख मध्यदेश, मध्यभारत तथा मध्यप्रदेश में दौ सौ वर्षों तक लिखे गए । तोरमाण मौखरि, हर्षवर्धन तथा कलचूरी रजत मुद्राओ पर लेख पाया जाता है । तात्पर्य यह है कि सर्वसाधारण जनता संस्कृत से विज्ञ थी । अतएव गुप्त काल में मुद्रा लेख पद्यमय तथा छद्रमय अंकित किए गए । इसका यह अर्थ नहीं कि प्राकृत का प्रयोग लेख या साहित्य में समाप्त हो गया था । प्राकृत, (वैयाकरणों ने जिसका विवरण दिया है) संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त है । मध्य इन्डा आर्यन (Middle Indo Aryan) के वर्णनात्मक साहित्य में प्राकृत को स्थान मिल चुका था और उसमें पाच बोलिया सम्मिलित थी—महाराष्ट्री सोऽग्नी, मागधी, पेशाची तथा अपभ्रंश । भरत नाट्यशास्त्र तथा रुद्रट के काव्यालंकार में प्राकृत का प्रयोग है । उम युग के बृहत्तर भारत की खोजानी (खरोष्ठी लिपि में) भारतीय प्राकृत का उदाहरण उपस्थित करती है । इसी के साथ हिन्दू, बौद्ध तथा जैनियों द्वारा संस्कृत का प्रयोग पुराने इन्डो आर्यन (Old Indo Aryan) भाषा परिवार की याद दिलाता है जो वैयाकरणा द्वारा पीढियों से सुरक्षित रक्षी गयी थी और बाद में लोक प्रिय साधारण साहित्य में प्रयुक्त हुई । भारतीय संस्कृति का रक्षण इन्ही भाषाओं के (संस्कृत तथा प्राकृत) द्वारा हुआ है । संस्कृत के प्रभाव से मुसलमान सुल्तान भी वर्चित न रह सके । मुहम्मद गजनवी ने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में ही मुद्रा-लेख उत्कीर्ण कराया था ।

प्रायः बारहवीं सदी तक संस्कृत भाषा का प्रयोग सार्वजनिक अभिलेखों में भारतीय नरेश करते रहे । किन्तु यह कहना यथार्थ होगा कि स्थान स्थान पर संस्कृत मिश्रित प्रातीय

भाषाएँ लेखों में प्रयुक्त होने लगी । दूसरी सदी के सातवाहन रजत

प्रातीय भाषा

मुद्रा-लेख पर प्राकृत तथा तामिल मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया

गया है । सातकर्णिक राजा के सिक्को के अग्रभाग पर प्राकृत में रजो-

वासिठो पुत्रस सिरि सातकोणस लिखा है । संस्कृत में लेख-राज दासिष्ठी पुत्रस्य श्री सातकर्णे

पदा जायगा । किन्तु पृष्ठ भाग का लेख द्राविड भाषा में अंकित है—अरहणस बहिट्टि माकणस

तिरु हात कणिस । इसमें अरहण तथा माकण द्राविड भाषा का शब्द है । क्रमशः राजा तथा

पुत्र के अर्थ में प्रयुक्त है । तिरु = सिरि (प्राकृत) = श्री (संस्कृत) के लिए प्रयोग में लिया

गया है । हात = सात धानी सातवाहन शब्द का द्राविड रूप है । हकू साहित्य तथा अभिलेख

में सातवाहन वंश के लिए उल्लिखित है बहिट्टि = वासिष्ठी का प्राकृत रूप है । विद्वानों का

मत है कि इसमें तामिल (द्राविड भाषा) के शब्द रूप दीख पड़ते हैं । यज्ञ श्री सातकर्णिक के

दृष्ट भाग पर भी ऐसी द्राविड भाषा में मुद्रालेख अंकित है । (ज० न्यू० यो० इ० भा० ९

तथा २१) छठी सदी से संस्कृत मिश्रित तामिल का प्रयोग पल्लव लेखों में पाया जाता है ।

मध्ययुग से प्रातीय भाषाओं मराठी एवं हिन्दी आदि में लेख उत्कीर्ण होने लगे ।

भारतीय अंकों का विकास

मनुष्य की बुद्धि के सबसे महत्वपूर्ण (दो कार्यों की) कल्पना हमारे सम्मुख आती है । जिसमें ब्राह्मी लिपी तथा वर्तमान शैली के अंक का नाम लिखा जा सकता है । भारतीय लिपि का विकास लोगो को आश्चर्य में डाल देता है । भारतवर्ष की लिपि हजारो वर्षों से अपना स्थान बना चुकी थी, वैसी उत्तम, स्थिति किसी अन्य लिपि को प्राप्त नहीं थी । ब्राह्मा के ध्वनि तथा अक्षरो में साम्य है यानी पूर्णरूपेण वैज्ञानिक ढंग पर विकसित हुई । इसी तरह अंक के भी मूल्य आके जा सकते हैं । आरम्भ में सप्ताह को अंक विद्या अवैज्ञानिक थी । कही अक्षर अंक के लिए काम में लाए जाते तो कही १-९ तक के पृथक-पृथक चिह्न थे । भारत में भी अंकों का प्राचीन क्रम यही था । इस जटिल अंक-क्रम से गणित विद्या में विशेष उन्नति नहीं हो सकती थी, अतः यहाँ के विद्वानों ने वर्तमान अंक-क्रम को निकाला जिसमें १ से ९ तक के नव अंक एक खाली स्थान सूचक शून्य—इस दस चिह्नों से अंक विद्या का पूर्ण बनाया । भारतवर्ष के इस अंक-क्रम को सप्ताह ने सोखा और वर्तमान समय में गणित तथा तत्सम्बन्धी अन्य शास्त्रों की उन्नति हुई ।

शिला लेख, दानपत्रों तथा सिक्कों के देखने से पता चलता है कि लिपियों की तरह प्राचीन तथा अर्वाचीन अंकों में भी अन्तर है । आकृति के अतिरिक्त अंक लिखने में भी भेद है । प्राचीन ढंग में शून्य के लिए कोई स्थान न था । दहाई, सैकड़े, हजार के लिए पृथक चिह्न थे । किन्तु नवीन शैली पूर्ण है जिसमें शून्य का व्यवहार तथा स्थान का मूल्य ज्ञात है ।

प्राचीन काल में अंक १ से ९ तथा १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९० तक के नव दहाइयों के लिए नव और १०० के अलग-अलग चिह्न थे । एक हजार का भी पृथक चिह्न था । लाख करोड़ के लिए अभिलेखों में कोई चिह्न नहीं प्राचीन अंक मिलता । ११ से ९९ तक लिखने का क्रम ऐसा था कि पहले दहाई के अंक-चिह्न बाद में इकाई का अंक लिख दिये जाते थे । जैसे २५ के लिए २० का चिह्न और ५ का । ९३ के लिए ९० के चिह्न के साथ ३ रक्खा जाता । २०० से लिए १०० के चिह्न में ऊपर मध्य या नीचे सीधी रेखा जोड़ दी जाती थी । ९९५ के लिए ९००, ९० तथा ५ के चिह्न काम में लाए जाते थे । १, २, ३, के लिए क्रमशः १, २ या ३ बाड़ी लकीर का प्रयोग होता था जो आगे चलकर वर्तमान १, २, ३ बन गया । ४ से १००० तक के लिए चिह्न अक्षरों में मिलते जुलते हैं । यानी अक्षर लिखकर अंक व्यक्त किए जाते थे । उदाहरण के लिए ५ पु मे, ६ द से, ७ ड की मात्रा से तथा ८ ट में मिलता है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सब अंक अक्षरों से ही बतलाए जाते रहे । आरम्भ में अंकों का भी जन्म मार्य काल से पाया जाता है ।

भगवान लाल इन्द्र जी का मत था कि अंक अक्षर या संयुक्ताक्षर के सूचक हैं । पश्चिमो विद्वानों में व्यूलर तथा वनेल भी यह सिद्धान्त मानते थे । वेले का मत था कि भारत के अंक मिश्र या फिनिशिया से ग्रहण किये गए (जैसा ब्राह्मी के सम्बन्ध में कहा गया है) पं० गोरी शंकर ओझा का मत था कि भारतीय अंकों की कल्पना ब्राह्मणों ने की । विदेशी चित्र-अंक तो जटिल थे । १ से ९ तक नव खड़ी लकीर तथा १९ के लिए १० के चिह्न की बाई

और ९ खड़ी लकीरें खींचते थे। पीछे से मिश्र वालों ने भारतीय अंक जैसा नवीन क्रम तैयार किया।

अगर जैसा कहा गया है नवीन शैली में १ से ९ तक के लिए नव अंक तथा खाली स्थान का सूचक शून्य है। इसी से अंक विद्या का समस्त व्यवहार चलता है। इसमें प्रत्येक अंक संख्या के ही ईकाई सूचक नहीं है परन्तु ईकाई, दहाई, सैकड़ा तथा हजार आदि स्थानों पर आ सकते हैं। यानी स्थान के मूल्य की नवीन कल्पना प्राचीन काल में उपस्थित की गई। इस तरह दाहिनी ओर से बाईं ओर अंक हटने से प्रत्येक अंक का स्थानीय मूल्य दस गुना हो जाता है। इसी को दशगुणोत्तर संख्या कहते हैं और वर्तमान काल में सप्ताह भर का अंक क्रम यही है।

भारत में शब्द तथा अंक में तिथि का उल्लेख प्रशस्तियों में किया गया है। अशोक के रूपनाथ शिला लेख में २०० + ५० + ६ लिखा है। मिलिन्द कालोन (ई० पू० ११५) शिनकोट लेख में ब्राह्मी में १४ के लिए १० + ४ उपयुक्त नहीं है किन्तु ४ + ४ + ४ + १ + १ लिखा है। मयूरा अथवा पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप लेखों में पुरानी शैली के अंक-क्रम से तिथियाँ लिखी हैं। ७३ के लिए ७० + ३ (सोडास का लेख) : २६ के लिए २० + ४ + १ + १ (गुदफर का तख्तवहाई शिलालेख) १३४ के लिए १०० + २० + १० + ४ (कलवान ताम्रपत्र) १८ के लिए १० + ४ + ४ (कनिष्क का मानिकियाला लेख) ४६ के लिए ४० + ६ (जूनार का लेख), ८२ के लिए ८० + २ (चन्द्रगुप्त का उदयगिरि का गुप्त लेख) ; ११३ के लिए १०० + १० + ३ (प्रथम कुमार गुप्त का धनेदह ताम्रपत्र) तथा २२४ के लिए २०० + २० + ४ (दामोदरपुर का ताम्रपत्र) का तिथि- क्रम यह बतलाता है कि मौर्य युग से लेकर ई० स० छठी सदी तक प्राचीन शैली के अंक प्रस्तुत होते थे जिसमें अंक-स्थान-मूल्य का अभाव था।

अंक लिखने का इतिहास यह बतलाता है कि भारतीय अंक की तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। (१) खरोष्ठी अंक (२) ब्राह्मी (३) शब्द तथा अक्षर। खरोष्ठी अंक ईसवी पूर्व ४०० से तीसरी सदी तक कई अभिलेखों में मिलते हैं जिनको भारतीय यूनानियों ने गान्धार प्रदेश में उत्कीर्ण कराया था। ब्राह्मी अंक अशोक से पहले के मिले नहीं हैं। सातवाहन राजा के नाना घाट लेख में अधिक अंक खुदे हैं। जिसमें १ से ९ तक के अंक अंकित हैं। शक वशी के लेखों तथा मुद्राओं पर अधिक मात्रा में अंक खोदे गये थे। नासिक के गुहा लेख में पर्याप्त परिष्कृत अंक मिलते हैं। उन लेखों में ९ से अधिक अंक नहीं मिलते। शून्य के अभाव में उन अंकों का स्थान मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक संख्या को पृथक-पृथक अंक लिखकर व्यक्त किया जाता था। तीसरी शैली शब्द तथा अक्षर द्वारा अंक व्यक्त करने की थी। यह हिन्दुओं की पूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था थी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट—सिद्धान्त में अंक के लिए शब्द का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए शक ८६७ लिखने के लिए गिर (= ७) रस (= ६) तथा बसु (= ८) शब्दों द्वारा उस संख्या को व्यक्त किया गया है। उन शब्दों को दाहिने से बाएँ पढ़ा जाता था। उस

१५४ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

स्थिति में शब्द द्वारा पूर्णरूप से अंक लिखने की परिपाटी काम कर रही थी। सर्वप्रथम कात्यायन श्रौतसूत्र में इसका प्रयोग हुआ परन्तु इस परिपाटी का जन्मदाता अज्ञात है। चराह-मिहिर ने भी बृहत्संहिता (अध्याय ८) में शब्दों द्वारा अंक व्यक्त किया है। सख्या-७, अश्विन-२, वेद-४ = ४२७ शक काल) दिल्ली संग्रहालय के एक लेख से उपरियुक्त विषय की पुष्टि होती है। इसमें १३८४ विक्रम के लिए निम्न पद्य मिलता है (ए० इ० मा० १ पृ० ९४)

वेदवस्वग्नि चन्द्रार्क सख्येन्द्रे विक्रमावर्कते

पचम्या फाल्गुन सिते लिखित भौमवासरे

(वेद—४, वसु—८, अग्नि—३ तथा चन्द्र—१ को दाहिने से बाँए पढ़ने पर स० .३८४ हो जाता है ।)

वैदिक साहित्य को छोड़ कर ज्योतिष तथा गणित सम्बन्धी ग्रंथों में संख्या सूचक साकेतिक शब्द मिलते हैं जो मनुष्य के अंग, ग्रह, नक्षत्र आदि के संख्या के आधार पर कल्पित किए गए थे। निम्न प्रकार के सकेत मिलते हैं—

० = आकाश (क्योंकि आकाश खाली होता है)

१ = चन्द्र, धरा आदि (जिनकी संख्या एक है)

२ = नेत्र, पक्ष, बाहु आदि (जो दो ही मिलते हैं)

३ = राम, गुण, लोक आदि (तीन समझे गए हैं)

४ = वेद, दिशा, आश्रम (इनकी संख्या चार है)

५ = पाण्डव, रत्न आदि (जो गिनती में पाँच है)

६ = रस, दर्शन (पट्ट रम या पडदर्शन ६ है)

७ = ऋषि, वार (सप्तर्षि, सात दिन)

८ = मंगल, दिग्गज (अष्टमांगलिक या आठ दिशाओं के हाथी)

९ = ग्रह, निधि (नवग्रह या नवनिधि से ९ का बोध होता है)

१० = दिशा अवतार । (दश दिशा या दश अवतार)

११ = रुद्र, (रुद्र एग्यारह माने जाते हैं)

१२ = माम, राशि (बारह महीना या बारह राशि)

१५ = तिथि (पक्ष में पंद्रह तिथियाँ होती हैं)

२४ = गायत्री

३२ = दत्त (मनुष्य के बत्तीस दात होते हैं)

इस तरह शब्दों द्वारा अंक बतलाने की परिपाटी पुरानी है।

आर्यभट्ट ने अक्षर द्वारा अंक लिखने की परिपाटी निकाली। प्लोट का मत था कि उन्होंने यूनान से अनुकरण किया (ज० रा० ए० सो, १९११ पृ० ७२५) परन्तु निम्नलिखित बातों से प्रकट होता है कि आर्यभट्ट ने किसी आर्य से पृथक् जाति का नकल नहीं की। आर्यभट्ट ने व्यंजन में ही अंक को व्यक्त किया क्योंकि उनका मत था कि स्वर स्थायी नहीं रहते किन्तु व्यंजन में छिप जाते हैं। १ से ९ तक संख्या को अंक पल्लो तथा दसवें शून्य को सून्य किन्दु (या शून्य) कहते थे। शून्य के सम्बन्ध में कहना कठिन है कि किस विद्वान् ने इसे

जन्म दिया या शून्य बिन्दु की कल्पना उसे सूझी। इसमें संदेह नहीं है कि अंक का स्थान-मूल्य भारतीय है और दशगुणोत्तर अंक क्रम को (दशमलव शैली) भारत से ही योरप तथा अरबवालों ने सीखा। इसीलिए अरबी में इसे हिन्दसे कहते हैं।

साहित्यिक तथा अभिलेखों के अध्ययन से यह प्रमाणित होता है कि ५०० ई० से शून्य का प्रयोग होने लगा था जिससे अंकों के स्थान-मूल्य निश्चित हो सका। आर्यभट्टीय के गणित पाठ में वर्तमान अंक प्रणाली का आरम्भ दिखलाई पड़ता है। बृह्माली (अंक गणित) पोथी में नवीन शैली के अंक मिले हैं (यानी चौथी सदी में इसका व्यवहार था) वराहमिहिर ने (छठी सदी) बृहत्संहिता में अंक पर लिखते समय शून्य का प्रयोग किया है। वाण ने वासवदत्ता के सम्बन्ध में आकाश के तारे को शून्य के सदृश बतलाता है। ब्रह्मगुप्त ने (सातवी सदी) शून्य पर विचार किया था। ७ वी सदी में शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र की टीका में इकाई तथा दहाई का उल्लेख मिलता है। गणितसार संग्रह (८३० ई०) में लेखक ने शून्य पर अपना विचार व्यक्त किया है। श्री हर्ष ने नैषध चरित में शून्य बिन्दु कहकर शून्य का विवरण दिया है तथा दम्बन्ती के कान की उपमा नव अंक से दी है (७-६९)। इस तरह साहित्य ग्रन्थों में पता चलता है कि पाचवी सदी के बाद शून्य की कल्पना गणित में आ गई थी जिसके सहारे स्थान-मूल्य को निश्चित करने में सरलता ही गई। सुधार द्विवेदी ने यह मत व्यक्त किया है कि शके ४२० तक हिन्दुओं में १ से ९ तक ही अंक दिखलाने का प्रचार था (गणित का इतिहास पृ० ३८)।

जहां तक अभिलेखों का सम्बन्ध है नवीन शैली के अंक कलचुरी सम्बत् ३४६ (= ५९४ ई०) के गुर्जर लेख में व्यवहृत दिखलाई पड़ते हैं। यही सब दशमलव प्रणाली में प्राचीन लेख है जहां अंक स्थान-मूल्य की कल्पना वैज्ञानिक ढंग पर मिलती है। इस तरह के अनेक लेख प्रकाश में आए हैं जिनमें दमबी मदी तक नवीन शैली के अंक (स्थान मूल्य सहित) उल्लिखित हैं (ई० हि० ३३० भा० ३ पृ० ११८) इससे पता चलता है कि छठी सदी से पहले भारतीय जनता स्थान मूल्य चोक्त अंक क्रम से परिचित न थी। खालिबर के लेख (सम्बत् ९३३) में शून्य स्पष्ट रूप से लिखा है उस में पचास वर्तमान अंक की तरह पाच पर शून्य लिख कर अंकित है। इन सभी प्रमाणों से विदित होता है कि दशगुणोत्तर अंक क्रम भारतीय है तथा शून्य और अंक स्थान मूल्य के सिद्धान्त को पश्चिम वालों ने भारत से सीखा। यदि वर्तमान अंकों के आकार पर विचार किया जाय तो पता चलता है कि नानाघाट तथा नासिक लेखों में अंकित अंकों से वर्तमान अंक विकसित हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान नागरी अंक ब्राह्मी लेखों में उल्लिखित ब्राह्मी अंकों से विकसित हुए। नानाघाट (पूना के समीप) का लेख ई० पू० दूसरी सदी का है तथा नासिक गुहा लेख दूसरी सदी का। विकास का क्रम निम्न प्रकार से है। यानी

नागरी अंक १—अशोक के १ से (खड़ी लकीर से)।

नागरी अंक २—नानाघाट के २ (दो = पड़ी लकीर से)

” ” ३—नानाघाट के ३ (तीन = पड़ी लकीर से)

” ” ४—नासिक गुहा ४ से

१५६ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

- ” ” ५—प अक्षर से
” ” ६—अशोक के ६ से
” ” ७—नानाघाट के ७ से ।
” ” ८—नासिक गुहा के ८ से ।
” ” ९—नानाघाट या नासिक गुहा के ९ से
” शून्य ० —वृत्त से या नानाघाट के दस के चिन्ह से (दस का चिन्ह नागरी
अंक ०—की तरह होता है)

ये सब चालुक्य, परमार, कलचुरी लेखों से प्राप्त अंकों से मिलते-जुलते हैं । इस तरह यह ज्ञात होता है कि अंक लिखने की जो भी परिपाटी थी, दसवीं सदी से उनका स्वरूप निश्चित हो गया और सभी सर्वथा नागरी अंक हो गए ।



अध्याय ९

अभिलेखों में आर्थिक-विवरण

प्राचीन भारत में न केवल आध्यात्मिक उन्नति पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी किन्तु भौतिक क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति दृष्टि में आती है। उस समय के अभिलेखों में सामाजिक विषयों पर चर्चा करते समय प्रशस्तिकार आर्थिक वर्णन भी उपस्थित करता था। जनता द्वारा दान देने की प्रणाली में पाचान समय के वैभव तथा सुखी जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। धन तथा भूमि दान में लोगों के सतोषप्रद आर्थिक-स्थिति का परिज्ञान होता है। भौर्य सम्राट् अशोक ने अपनी धार्मिक नीति के कारण भारतीय आर्थिक स्थिति का पतनोन्मुख कर दिया। उसके पश्चात् युग एवं सातवाहन नरेशों ने आर्थिक नीति को सुदृढ़ किया तथा पर्याप्त मूल्यों में सिक्के प्रचलित किये। ग्रामाण कलाकारों ने विभिन्न केन्द्रों पर कार्य कर स्थिति में सुधार किया जिसमें जनता में सन्तोष की भावना आई। गुप्त काल में सारो अर्थ व्यवस्था उन्नति हो गई। गुप्तकालीन एक लेख में वर्णन आता है कि साम्राज्य में कोई भी अति दरिद्र तथा दुखी न था—

आतो दरिद्रो व्यसनी कदर्यो दण्ड् न वा यो भृश पीडित स्यात्

(स्कन्द का जूनागढ़ लेख-का० ६० ६० ३ पृ० ५८)

दानपत्रों के विवरण से जनता की प्रचुर सम्पत्ति का ज्ञान हो जाता है। यद्यपि भौर्ययुग से लेखों में प्रसंगवग आर्थिक विषय का उल्लेख पाया जाता है परन्तु मध्ययुग से (७०० ई०) भूमिदान की जनता की आर्थिक स्थिति का द्योतक है।

भारतवर्ष सदा से कृषि प्रधान देश रहा है और जनता के जोविकोपार्जन का प्रधान साधन कृषि कर्म ही था। सभी प्रकार के अन्न तथा फल यहाँ पैदा होते थे जिनका नाम प्रशस्तियों में मिलता है। यद्यपि अशोक धर्म शासन में फलों का उल्लेख नहीं है परन्तु दूसरे शिलालेख में निम्न पक्ति से पता चलता है कि फलों के वृक्ष स्थान-स्थान पर लगाए गए थे—

मूलानि च फलानि च यत यत नास्ति सर्वत्र हारापितानि च (दूसरा शिलालेख)
भौर्ययुग के पश्चात् प्रशस्तियों में धर्म या विजय सम्बन्धी विवरण मिलता है। मध्य युग के आरम्भ से दान सम्बन्धी आज्ञा पत्रों में भोजन सामग्रियों का नाम भी यत्र-तत्र पाया जाता है; नालदा के ताम्रपत्र में “सम्यग् बहुभूत दधिभिः व्यञ्जनं युक्तमन्नम्” (ए० ६० २० पृ० ४४) का वर्णन नाना प्रकार के व्यंजन युक्त भोजन का परिज्ञान करता है। पालवंशी आमगाछी दान-पत्र के वर्णन से प्रकट होता है कि नीची भूमि का दान उत्तम समझा जाता था ताकि उसमें खेती हो सके और वर्षा के जल ने पृथ्वी उर्वरा हो जाय। (ए० ६० १५ पृ० २९७)। गहड़-वाल लेखों में गन्ना, आम्र, महुआ (मधूक) आदि वृक्षों का वर्णन पाया जाता है (ए० ६०

१६ पृ० १३) इससे ज्ञात होता है कि अन्न तथा फल की पैदावार होती थी। खेती का समुचित प्रबंध था। तात्पर्य यह है कि दानकर्ता कृषि योग्य भूमि को ही दान देता था ताकि दानग्राही खेती से अन्न उत्पन्न कर सके।

भूमि को सिंचाई की ओर राजा का भी ध्यान रहता था और लेखों में सिंचाई निमित्त झील, नहर तालाब तथा बांध के निर्माण का वर्णन मिलता है। मौर्ययुग से ही शासक सिंचाई का प्रबन्ध करता रहा। चन्द्र गुप्त मौर्य ने काठियावाड़ में गिरनार सिंचाई का प्रबंध पर्वत के नीचे एक विशाल झील बनवाया जिसकी उपयोगिता इतनी अधिक थी कि पिछले सम्राटों ने (४०० वर्ष बाद) मरम्मत कर उस पर बाँध बंधवाए। मेगास्थनीज ने भी सिंचाई के विषय में उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में तो मौर्यकालीन सिंचाई का विस्तृत वृत्त पाया जाता है (२।२३) ई० मन् १५० के महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार लेख में उसी झील का सविस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से मिलता है।

मौर्यस्य राज्ञः चन्द्रगुप्तस्य राष्ट्रियेण वैश्येन
पुष्य गुप्तेन कारित, अशोकस्य मौर्यस्य यवनराजेन
तुपास्फेनाधिधाय षणालीभिरलकृत कृत ।

लेख के आरम्भ में ही सुदर्शन नामक तालाब का वर्णन है जिसके चारों तरफ बाध बंधे थे। परन्तु समीप के पहाड़ से निकली नदियों में ऐसे वेग से पानी आया कि वह बाध टूट गया (सलिल विलसि जर्जरीकृतावदीर्ण क्षिप्ताम् वृक्ष गुल्म लता प्रनानं आ नदी तलादित्युद्धाटित-मासीत्) इसलिए रुद्रादासन ने उस बाध को मरम्मत करवाई और त्रिगुना मजबूत बाध का निर्माण हुआ। यद्यपि इस कार्य में उसके मन्त्रीगण विरोध करने रहे परन्तु अपने निजी धन से इस कार्य को उसने सम्पन्न किया (ए० इ० ८ पृ० ४२-स्वस्मात्कोशा महता धनीधेन अनित महता च कालेन त्रिगुण-दृढतर-विस्तारायाम संतु विधाय) उस भाग में तालाब में अत्यधिक सिंचाई होती रही, यही कारण है कि पाववी सदी में गुप्त शासक स्कन्द गुप्त ने भी उस सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। जूनागढ़ के लेख में निम्न वर्णन मिलता है—

अथ क्रमेणाम्बुद काल आगतं
निदाध-काल प्रविदार्य तोयदे
ववर्ष तोयं बहु संततं चिरं
सुदर्शन येन विभेद चात्वरान्त
अपीहलोके सकले सुदर्शनं
पुमा हि-सुदर्शनता गत क्षणात्
अ-जर्गत-दुष्टम्पथिन तटाक
सुदर्शन शाश्वत-कल्प कालम्

(जूनागढ़ लेख का० इ० ड० ३ पृ० ५८)

तात्पर्य यह है कि जिस समय सुदर्शन झील का नदियों को बाध ने नष्ट किया, उस समय के शासकों ने उस बाध की मरम्मत करवाई ताकि वह सदा सुदर्शन (देखने में सुन्दर) बान

रहे। उसकी उपयोगिता ही एक मात्र कारण थी। दक्षिण के सातवाहन नरेश पुलवावि के राज्यकाल में सिचाई के लिए तालाब बनाने का उल्लेख किया गया है। (ए० इ० भा० १४ पृ० १५५)

पूर्वी भारत में जल के कारण नहर की कम आवश्यकता थी तथापि खारवेल ने हाथी गुम्फा लेख में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्याभिषेक के पाचवें वर्ष में राजधानी तक नहर तैयार किया ताकि जनता लाभान्वित हो सके।

अघोटिटत तनमुलिय वाटा पणाडि नगर पवेसयति

(ज० वि ओ० रि० सो० भा० १३ व० १४ पृ० २२१ व १५०)

गुप्तयुग तक राजाओं का ध्यान नहर निर्माण की ओर था परन्तु ७ वीं सदी से लेखों में तालाब निर्माण का अधिक वर्णन पाया जाता है। मगध नरेश आदित्य सेन की स्त्री कोणदेवी ने एक तालाब का निर्माण किया जो सम्भवतः सिचाई के लिए उपयोगी था [तस्यैव प्रिय भार्यया नरपते श्री बोण देव्या सर-अपसद का लेख का इ० इ० भा० ३] पूर्व मध्ययुग की प्रशस्तियों तथा दानपत्रों में जल के साथ अग्रहार भूमि का वर्णन आता है। इससे यह प्रकट होता है कि गहड़वाल तथा चन्देल शासकों ने तालाब तथा नहर के साथ भूमि दान में दी थी। दानग्राही का भी कार्य उससे सरल हो जाता तथा समय से खेतों की सिचाई हो जाती थी। राजपूताने के एक चहमान लेख में प्रत्येक अरहट की सिचाई के लिए एक हाटक (हारा अन्न का एक माप) अन्न (यब) 'कर' के रूप में लेने का वर्णन है (अरहट प्रति प्रदत्त द्रा १-ए० इ० भा० ११ पृ० ३३)। इस तरह के सिचाईयो का वर्णन लेखों में अधिकतर मिलता है (ए० इ० ११ पृ० ४६ व० ५१) वलभी लेख में विवरण मिलता है कि ध्रुवमेन प्रथम में तीस पादावर्त माप के क्षेत्र की सिचाई निमित्त एक कुआ तैयार किया था। सम्भवतः एक वापी से ही उस भाग की सिचाई पूरी हो जाती थी। गुर्जरप्रतिहार राजा महेन्द्रपाल ने नदी के किनारे भूमि का दान दिया था और सिचाई के लिए रहट का प्रबंध किया जिससे दानग्राही उस अग्रहार भूमि को सिचाई से उर्वरा कर सके। (ए० इ० १४ पृ० १८१) मध्ययुग में सिचाई के लिए शासक द्वारा 'कर' लगाया गया था इसीलिए परमार राजा चामुण्डराय की प्रशस्ति में एक रहट पर एक हाटक (कर) का वर्णन है (ए० इ० १४ पृ० :१०) उत्तर प्रदेश के देवल प्रशस्ति में नहर निर्माण का सुन्दर वर्णन पाया जाता है। शासक ने नदी से राजधानी तक नहर तैयार किया ताकि बाग-बगीचे की सिचाई सरल हो जाय। (स्वपुरी सन्नयो रम्या पुण्या कठनदी कृता-ए० इ० भा० १ पृ० १६) महेन्द्रपाल द्वितीय के प्रतापगढ अभिलेख में उल्लेख आता है कि एक मोट से सीचने योग्य भूमि को दान दिया गया था (द्वितुल्लाक क्षेत्र शासनेन प्रदत्त-ए० इ० १४ पृ० १८७) उसी प्रसंग में दस माणि (स्यात् मन) बीज द्वारा बोने वाले खेत के दान का विवरण है। वर्तमान आकड़े के अनुसार एक मन बीज एक बीघा के बोने में पर्याप्त समझा जाता है। अतएव दस बीघा जमीन की सिचाई एक मोट से की जाती थी।

इस प्रकार नहर, तालाब कुआ, अरहट तथा मोट की सहायता से पुराने समय में खेतों की सिचाई होती थी।

भारतीय अभिलेखों में गुप्त युग से ही खेतों के माप का वर्णन स्थान-स्थान पर मिलता

है। भूमि को दान देते समय दानकर्ता के लिए क्षेत्र की सीमा तथा उसके माप का स्पष्ट उल्लेख करना नितान्त आवश्यक था। जिस भूभाग को दानग्राही क्षेत्र का माप स्वीकार करता उसी क्षेत्रफल से 'कर' ग्रहण करता था तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे बंधक भी रखता। यही कारण है कि खेत को माप कर ही दान में दिया जाता था। गुप्त युग से बारहवीं सदी तक के दानपत्रों (ताम्र-पत्रों) में माप का दो रूपों में उल्लेख मिलता है। पहला श्रेणी में खेत की लम्बाई चौड़ाई नापने के साधन का नाम उल्लिखित है जो लेखों में विभिन्न नाम से उल्कीर्ण है। जैसे हल, पादावर्त, हाथ निवर्तन, नल या नालक। द्वितीय श्रेणी में पैमाइश के उस साधन के नाम हैं जो बीज बोने के माप से वर्णित किए गए हैं। उमें पाटक, द्रोण, माणि, कुल्यवाप आदि। इन मापों का उपयोग कर भूमि दान में दी जाती थी।

हल शब्द में स्पष्ट प्रकट होता है कि एक हल से जितना भूमि जोत में रक्खी जाय उस माप का नाम हल था। उत्तरी या दक्षिणी भारत में अधिकतर लेखों में हल का नाम मिलता है (हलस्य भू—ए इ १ पृ १६७, भा ३ पृ १२८)। राजपुताने के एक लेख में भी ऐसा ही उल्लेख आया है (ए० इ० ११ पृ० ४७) पंच हलानि वहिष्कृत्य शेष भूमि शासनी कृत्य प्रदत्ता' (ए० इ० २० पृ० १२९) के वाक्य से स्पष्ट हो जाता है पाँच हल से जोतने योग्य भूमि को छोड़कर खेत का शेष भाग दान में दिया जाय। कागरा के कुछ लेखों में भी।

- (१) इहत्येन नवग्राम दत्ता चात्र हलार्थं भू (ए. इ भा १ पृ १०६)
- (२) भूमिञ्च हल चतुष्टय योग्या दत्ता नवग्रामात् (ए० इ० १ पृ० ११५)
- (३) हल वाहनीया दत्ता भूमि (ए. इ १ पृ १०१)

अत उद्धरणों में यह निश्चिन हो जाता है कि एक हल में जोत वाला भूमि का अर्थ था जिमकी लम्बाई चौड़ाई के सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं।

दूसरे माप को पादावर्त कहते थे जिसका वर्णन बलभी दानपत्रों में मिलता है। बारह पादावर्त की भूमि एक कुंआ में सोचने योग्य समझी जाती थी (ए. इ ११ पृ. ११२ व ११४)। एक पादावर्त भूमि एक वर्ग पाद (= ९ इञ्च) के बराबर पादावर्त तथा हस्त मानी गयी है और तीन सौ पादावर्त आठ खन्ड के समान माप में समझा जाता था (खत्र खन्डान्यष्टी यत्र पादावर्त भतत्रय—ए. इ. भा. ३ पृ ३२१)।

चन्देल तथा गहड़वाल लेखों में हस्त (= हाथ) का नाम क्षेत्र माप के लिए प्रयुक्त किया गया है। खालियर लेख में "परमेद्वरीय हस्त" का उल्लेख है। सम्भवत किसी व्यक्ति विशेष के हाथ की लम्बाई प्रामाणिक समझी गई जिस कारण उसका नाम हस्त के साथ जोड़ दिया गया हो। हस्त को 'कर' भी कहते थे। केदुना से मध्य अंगुली का अंतिम सीमा = २४ अंगुल तात्पर्य यह था कि १८ इञ्च से कम का हस्त नहीं हो सकता था। इनके आधे भाग को पाद कहते थे। जिसके कारण एक वर्ग पाद 'पादावर्त' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रतिहार लेख में भी हस्त माप का प्रयोग उल्लिखित है (सियादोनी लेख—ए० इ० भा० १) गहड़वाल

नरेश गोविन्दचन्द्र के पाली दानपत्र में चार सौ हस्त भूमि को एक नालुक (= नालक=नल) कहा गया है (ए० इ० भा० ४ पृ० २४९) । सम्भवत नल (= ११८ इञ्च) एक डंडा होगा जिसकी लम्बाई से भूमि नापी जाती थी (ए० इ० १४ पृ० १५८) । परन्तु नालुक शब्द का कुछ भिन्न तात्पर्य होगा जो चार सौ हाथ लम्बी भूमि के लिए प्रयुक्त किया गया है ।

प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट प्रशस्तियों में निवर्तन शब्द क्षेत्र-माप के लिए प्रयुक्त है (ए० इ० ४ पृ० ६०) । बासखेरा लेख में सौ निवर्तन भूमि के दान का निवर्तन उल्लेख है (भू निवर्तन शतक—ए० इ० ११ पृ० १८२) । परन्तु निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है कि इससे किस क्षेत्रफल का परिज्ञान होता था ।

क्षेत्रफल माप से सर्वथा भिन्न खेतों के नापने का वर्णन 'बीज-माप' से भी किया गया है । गुप्त प्रशस्तियों में 'कुल्यवाप' शब्द का अधिक प्रयोग मिलता है । दानपत्र, क्रय तथा विक्रय के प्रसंग में यही शब्द बार बार प्रयुक्त है । दामोदरपुर, वैग्राम, कुल्यवाप-द्रोणवाप तथा पाटक फरीदपुर तथा पहाडपुर के लेखों में यह शब्द क्षेत्रमाप के लिए उल्लिखित है । (ए० इ० १५, भा० २१ पृ० ८१, भा० २० पृ० ६१, मुकुर्जी जूविलो ग्रंथ भा० ३) । निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत है—

- (अ) क्षेत्रस्य कुल्यवापमेकस्य—दामोदरपुर
- (ब) त्रिदोनारिव्य कुल्यवाप विक्रय मर्यादा—पहाडपुर
- (स) खिलक्षेत्र-कुल्यवाप त्रयं—वैग्राम ताम्रपत्र
- (द) कुल्यवापेन क्षेत्राणि विक्रीयमानकानि—फरीदपुर

स्पष्ट है कि पाचवी सदी से ही कुल्यवाप क्षेत्र मात्र के लिए उत्तरी भारत में प्रयोग होता रहा । इस शब्द के दो त्वण्ड हैं, कुल्य + वाप । कुल्य को समता एक टोकरी से की जाय तो इसका अर्थ होगा कि एक टोकरी बीज के बोने योग्य भूमि (कुल्य = टोकरी, वाप = बोना) पाचवी सदी के लेखों में द्रोण शब्द का भी प्रयोग उसी माप के लिए मिलता है जो कुल्यवाप से छोटा माप था । आठ द्रोण एक कुल्य बीज के बराबर था । इसलिए द्रोण मात्र बीज बोने योग्य भूमि को द्रोणवाप कहा गया है । वैजनाथ की प्रशस्ति में द्रोण के धान्य से बोई भूमि को दान में देने का वर्णन है (धान्य द्रोण द्वय शिवे—ए० इ० भा० १ पृ० १०६) । “यवाना द्रोण एकादश” (ए० इ० भा० १, पृ० १५९) भी वाक्य द्रोण को बीज (अन्न) का माप बतलाता है, इसीलिए द्रोणवाप क्षेत्र का माप समझा गया (एरण लेख—इ० हि० क्वा० भा० ४ पृ० ५३) । गुर्नधर ताम्रपत्र (एकादश खिल पाटका—इ० हि० क्वा० ६, पृ० ५३) तथा सेन बंशी राजा बल्लालसेन के नईहटी लेख में द्रोण के साथ पाटक शब्द भी माप के लिए उल्लिखित है । बंन्यगुप्त के लेख में भी निम्न विवरण है—

यत्रैक क्षेत्रखण्डे नव द्रोण वाप अधिक
सप्त पाटक परिमाणे सोमा लिङ्गानि

(गुर्नधर का ताम्रपत्र लेख—ए० इ० १४ पृ० १५८)

इससे प्रकट होता है कि पाटक द्रोण से बड़ा क्षेत्र स्वीकृत था। समस्त प्रशस्तियों का परोक्षण यह बतलाता है कि—

८ द्रोण = १ कुल्यवाप

५ कुल्यवाप = १ पाटक (= ४० द्रोणवाप)

यह माप प्रामाणिक समझा गया है। अनुमानत एक कुल्यवाप सोलह मन अन्न का माप था जिसके द्वारा चौदह बीघा खेत बोया जाता था। पाजिटर ने बिना किसी प्रमाण के एक कुल्यवाप भूमि को एक एकड़ (३ बीघा) माना है (६० ए० ३९ पृ० १९५)। नईहटी ताम्रपत्र में आडक माप का भी उल्लेख मिलता है जो द्रोण से भी छोटा था और चार आडवाप एक द्रोणवाप भूमि के क्षेत्रफल के बराबर था। (चतुराडको भवेंद्रोण—पहाडपुर ताम्रपत्र—६० ए० २०, पृ० ६१) आड, द्रोण, कुल्य तथा पाटक बीज के माप हुए जिनसे जितनी भूमि बोई जा सके उसे क्षेत्रमाप के अर्थ में व्यक्त किया गया है। बगाल में एक आडवाप डेढ़ एकड़ भूमि समझी जाती थी। प्रतिहार लेख में एक भूमि के दान का वर्णन है जो दस माणि बीज से बोई गई थी। इससे यह समझा जा सकता है कि माणि (= मन) को भी क्षेत्रमाप के लिए प्रयुक्त करते थे। एक माणि (= मन) बीज से एक बीघा खेत बोते हैं। इसलिए प्रशस्ति के निम्न उद्धरण—कोसवाहे द्वितुल्लाक क्षेत्र माणिवाप १० शासनेन प्रदत्त (ए० इ० १४ पृ० १८७) से यह तात्पर्य निकलता है कि दस मन बीज बोने योग्य भूमि (जिसे एक मोट से सींचते रहे) दान में दी गई थी। संभवत उसका क्षेत्रफल दस बीघा रहा हो। इस प्रकार अभिलेखों के अध्ययन से पैमाइश करने के माप हमें प्राप्त हो जाते हैं। क्षेत्रमाप के उल्लेख में वर्तमान बीघा के रूप में क्षेत्रफल व्यक्त करना कठिन है क्योंकि बीघा का प्रयोग प्राचीन लेखों में नहीं मिलता।

प्राचीन अभिलेखों में शासक द्वारा प्रदत्त अग्रहार भूमि से मन्वन्धित कर (टैक्स) का वर्णन मिलता है। उसी प्रसंग में व्यापारिक सस्याओं को आज्ञा दी गई थी कि सभी मंदिरों

में प्रतिमा की पूजा निमित्त निश्चित 'कर' दिया करें। इस प्रकार

व्यापार की चर्चा

लेखों में गौण रूप से व्यापार की चर्चा मिलती है। यहाँ यह कहना

अप्रासंगिक न होगा कि तपुस्स तथा भल्लिक नामक व्यापारी बुद्ध

के पास बोधगया में विद्यमान थे और राजमार्ग से व्यापार में व्यस्त थे। कुछ विशिष्ट व्यापारी राजकीय शासन में सहायता किया करते थे यानी शासन-परिषद् का वह सदस्य था। तीसरे प्रकार की हमारी जानकारी प्रशास्तियों में वर्णित प्रमुख स्थान के विवरण से हाती है जो प्राचीन समय में व्यापारिक केन्द्र रहे होंगे। एक वक्त्र का प्रमुख स्थानों पर अधिकार इस बात का द्योतक है कि विजेता उस भू-भाग के व्यापार को भी अपने हाथों में लेना चाहता था। अशोक के समय में राजकीय आज्ञा द्वारा मुख्य स्थानों पर ही लेख खोदे गए थे ताकि उस स्थान से आने-जाने वाला व्यक्ति राजाज्ञा से परिचित हो जाय। अशोक ने इस बात की स्पष्ट चर्चा की है। उसके दूसरे शिलालेख में उल्लेख है कि मार्ग में कुएँ खुदवाए गए तथा यात्री गण के आराम के लिए वृक्ष लगवाए गए थे। इस तरह मौर्य युग में राजमार्ग सुगम बनाए गए और अशोक के शासन काल में उड़ीसा से तक्षशिला तक जाने का सुन्दर मार्ग रहा। सम्राट् अशोक के प्रांतपति उज्जैन, सुवर्णगिरि तथा तक्षशिला में शासन करते थे। सारनाथ तथा

कौशाम्बी नगर प्रधान मार्ग पर स्थित रहे और साची का महत्व कम न था। चार मार्गों का संगम (चानुमहापत्रे-परिनिर्वाण सूत्र) होने के कारण साची में अशोक ने स्तूप बनवाया तथा स्तम्भ लेख खुदवाया। अशोक ने स्वयं बहुत बड़ी सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें लाखों व्यक्ति मारे गए तथा डेढ़ लाख कैद किए गए थे [कलिंग विजित दिव्यदमते प्रण शत सहस्रे ततो अपवूढे] इस प्रकार यह अनुमान सही होगा कि अशोक के समय में बडे राजमार्ग थे जिन पर व्यापार होता था।

शासकों के आक्रमण तथा विजित प्रदेशों से भी व्यापारिक केन्द्रों का पता लगता है। कनिष्क के सारनाथ प्रतिमा लेख (ए० इ० भा० ८ ५० १७३) में वाराणसी का नाम उल्लिखित है जो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध नगर था। उसके महत्व को समझ कर ही जातकों में काशी के राजा ब्रह्मदत्त का नाम कई बार उल्लिखित है। द्वितीय शताब्दी के नासिक लेख में क्षत्रप नरेश नहपाम के जामाता ने भद्रकच्छ (भरीच) दशपुर (मदसोर, मालवा), गोवर्धन (नासिक) तथा शोपरिंग (सोपारा) का नाम गर्व के साथ उल्लिखित किया है। ये चारों स्थान महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र थे और भरीच तथा सोपारा व्यापार के निर्यात के लिए प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। [ए० इ० भा० ८]। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख में अनेक प्रसिद्ध स्थानों के नाम आते हैं जहाँ से सातवाहन वंश के अधिकार हटाकर स्वयं शासन करने लगा। उसमें मालवा, आनर्त (उत्तरी काठियावाड़), अपरान्त (उत्तरी कोकण) मुराष्ट्र (दक्षिणी काठियावाड़) राजपूताना, सिन्धु आदि स्थानों का नाम उल्लेखनीय है वे सभी व्यापार के कारण समृद्ध भू-भाग थे। इस तरह लेखों का अध्ययन व्यापारिक केन्द्रों की जानकारी देता है।

क्षत्रप अभिलेखों के सदृश माड़रिपुत (सातवाहन-सामंत) के चौदहवें वर्ष के लेख में सिंहलद्वीप के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चैत्य के दान का वर्णन है जिन भिक्षुओं ने काश्मीर, गांधार, चीन, तौसली (मैसूर) अपरान्त, वग आदि प्रदेशों में बौद्धधर्म का प्रचार किया था। इन भू-भागों की केवल भौगोलिक जानकारी ही नहीं होती किन्तु समृद्ध नगर या प्रांत होने की बात सिद्ध होती है। सातवाहन सिक्कों (पुलमावि तथा यज्ञश्री) पर नाव का मस्तूल चोल चण्डल से एशिया के दक्षिण पूर्वी द्वीप समूहों में भारतीय व्यापार की ओर संकेत करता है।

गुप्त युग के स्वर्ण काल में व्यापार तो चरम सीमा को पहुँच गया था जिसका आभास लेखों के द्वारा मिलता है। प्रथम कुमारगुप्त के मंदसोर लेख में लाट (गुजरात) से आने वाली तथा दशपुर (मालवा) से स्थायीरूप से स्थित शिल्प श्रेणी (संघ) यानी रेशम के व्यापारियों का वर्णन मिलता है जिसने वहाँ सूर्यमंदिर का निर्माण किया था [का० इ० ६० ३५० ८१] इसी राजा के दामोदरपुर ताम्रपत्र में नगर श्रेष्ठि (व्यापारिक संस्था का मुखिया सेठ) तथा सार्थवाह का उल्लेख है (ए० इ० १५ ५० १३०) यात्रा करने वाले पान्थों का समूह 'सार्थ' कहलाता, और बाहरी मंडियों से व्यापार करने वाले (व्यापारियों का) नेता 'सार्थवाह' नाम से प्रसिद्ध था (पान्थान् वहति सार्थवाह .—अमर कोष ३।९।७८) बौद्ध ग्रन्थों में भी कौशाम्बी के सार्थवाह का उल्लेख आता है।

फरीदपुर ताम्रपत्र में व्यापार के संचालन कर्ता गोपाल स्वामी (व्यापार-कारण्ड्य) का नाम मिलता है (इ० ए० ३९ ५० २००) उसी स्थान के दूसरे लेख में व्यापार के संचाल-

लक वत्सपासस्वामी का नाम आया है। अनेक दानपत्रों में व्यापार में व्यस्त लोगों की चर्चा की गई है। प्रधान व्यापारिण—इ ए० ३९ पृ० २०४)। अतः इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिलेखों में गौड रूप से व्यापार तथा संघ, सचालक तथा व्यापारिक संघ के नेता सार्थवाह का वर्णन किया गया है।

अर्थशास्त्र के पण्डितों में यह बात छिपी नहीं है कि प्राचीन काल में भारतीय व्यापार उन्नति के शिखर पर था। व्यापार सम्बन्धी समस्त कार्य का संचालन एक संस्था द्वारा होता

था जिसे अभिलेखों में “श्रेणी” कहा गया है। यह संस्था प्रजातन्त्र श्रेणी शैली पर कार्य करती थी। देश की आर्थिक नीति श्रेणी के हाथों में थी। वर्तमान काल के “भारतीय चैम्बर आफ कामर्स” से उसकी तुलना कर सकते हैं। दोनों में भेद यही है कि श्रेणी संस्था एक शिल्प के समूह से सम्बन्धित थी।

एकेन शिल्पेन ये जीवन्ते तथा समूह श्रेणी (कौटिल्य)

प्राचीन साहित्य में (गौतम धर्मसूत्र, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र में) श्रेणी के विषय में जिन तरह की चर्चा है, स्मृति ग्रन्थों में भी श्रेणी का कार्य उसी तरह से वर्णित है।

सातवाहन तथा क्षत्रप वंशी अभिलेखों में तत्कालीन संगठित शिल्प-श्रेणी का वर्णन मिलता है। उससे पता चलता है कि शिल्पियों तथा वर्णिकों के निकाय शक्ति-सम्पन्न तथा समृद्ध थे। गुप्तकाल में भी उद्योगों की उन्नति का श्रेय तत्कालीन श्रेणियों तथा नियमों को था। ये निकाय सुव्यवस्थित रूप से व्यापार का परिचालन करते थे तथा वाकाटक एवं गुप्त युग में इन सभठनों की बहुत बड़ी संख्या थी। इनके द्वारा व्यापार सं राज्य को बड़ी आय होती थी। क्योंकि ये श्रेणियाँ या निकाय देश, विदेश में व्यापार का संचालन करते थे। इन के पास जहाज या नावें भी रहती थी। भारत के देशी जहाजरानों में व्यापारिक क्षेत्र में अधिक सुविधा थी। वस्तुओं के आयात-निर्यात में राष्ट्र का धन समुचित रूप से व्यवहृत किया जाता था। गुप्तकालीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों, मुद्राओं तथा सिक्कों का अध्ययन तत्कालीन श्रेणियों तथा नियमों पर प्रकाश डालता है। प्रथम कुमारगुप्त के मदसोर लेख में रेशम के व्यापारीगण की श्रेणी का उल्लेख है जिसके द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण तथा कालान्तर में स्तूप का उल्लेख मिलता है। (का० इ० ६, ३ पृ० ८१)

शिल्पावासीर्द्धनसमुदयैः पट्टावायैरुदार

श्रेणीभूतै भवनमनुलं कारित दोस-रदमेः ।

मदसोर लेख के वर्णन से पता चलता है कि वह श्रेणी लाट (गुजरात) देश से दशपुर (मदसोर, मालवा) में आकर कार्य करने लगी और इसके सदस्य नाना प्रकार के गुणों के लिए प्रसिद्ध थे।

स्वकुल-तिलक भूतै मुक्तरागहदारी-

रधिकमभिभिभाति श्रेणीरेवं प्रकारैः ।

गुप्त सम्राट् स्कन्दगुप्त के इंद्रौर ताम्रपत्र में तैलिक श्रेणी का विवरण मिलता है (इन्द्रपुर निवासिन्यास्तैलिकश्रेण्या) जिसने सूर्य-मंदिर के दीपदान के निमित्त दो पल तेल का दान किया था

(देयं तैलस्य तुल्येन पलद्वयं तु) । बैशाली मुहरों के लेख में निगम का नाम अंकित है । पूर्व मध्ययुग के अभिलेखों में विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख मिलता है जिससे व्यापारिक संस्थाओं द्वारा देश की आर्थिक सहायता का परिज्ञान होता है । मंदिरों के दान-प्रसंग में श्रेणियों के नाम मिलते हैं जो पूजा के निमित्त कर (टैक्स) दिया करती थी । तैलिक तथा मालिक श्रेणी क्रमशः तैल तथा पुष्प'कर' के रूप में देती रही (ए० इ० १ पृ० १६०, भा० १९ पृ० ५७) (समस्त तैलिक श्रेण्या प्रति कोल्हू...दातव्ये) । किसी विशेष प्रदेश में कार्य करने वाली श्रेणी का मुख्य व्यक्ति 'श्रेष्ठी' के नाम से विख्यात था तथा विदेशों से व्यापार करने वाले समूह (वनजारा श्रेणी) का अगुआ 'सार्यवाह' कहलाता था (अत्रैपु समस्त वणजारेपु देसी मिलित्वा —ए० इ० ११ पृ० ४३) संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि प्राचीन भारत में धन का मपुचित बढवारे के लिए प्रजातंत्र ढंग से श्रेणियाँ व्यापार में लगी रहती थी जिससे समाज का कल्याण होता था ।

प्राचीन समय में श्रेणी तथा निगम बैंक का कार्य करती और इनके साथ रुपया जमा करना सब में अधिक सुविधाजनक समझा जाता था । पश्चिम भारत के क्षत्रप नहपान के जामाता ऋषभदत्त ने धार्मिक कार्य के लिए तंतुवाय श्रेणी के पास श्रेणी का बैंक-कार्य तीन हजार कार्पाण जमा किया था (नासिक लेख) । उनमें दो हजार कार्पाण एक रुपया (कार्पाण) प्रति सैकड़ा वार्षिक व्याज का दर में जमा था और एक हजार कार्पाण का व्याज दर तीन चौथाई पण था । श्रेणि ३००० सघस ' ऐते च काहापाणा प्रयुक्ता गोवर्धनं वाथवासु श्रेणिमु । २००० वृद्धि पडिक शत अपर कोलीक निकाये १००० वधि पायून पडिक शत । ऐते च काहापाणा अपांडेदातवा वधिभोजा । एतो चिचरिक सहस्रानि वे २००० पडिके शते (ए. इ. भा. ८) । मथुरा के द्वितीय शतों के एक लेख में वर्णन मिलता है कि किसी धार्मिक व्यक्ति ने पुण्यशाला के लिए ५५० पुराणों की दो घन राशियाँ दो निकायों में (अस्थार्ई मूलघन के रूप में) जमा कर दिया था । इस धन के व्याज में गोवर्धन (नासिक) के भिक्षुओं के चोवर तथा भोजन का प्रबंध किया जाता था । उसी तरह मथुरा वाले घनराशि के व्याज से दीन-दुखियों के भोजन के अतिरिक्त; प्रत्येक मास, एक सौ ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था ।

इससे पता चलता है कि शिल्पियों तथा वणिकों के निकाय वैभवपूर्ण तथा शक्ति संपन्न होते थे । ये जनता के विश्वासपात्र थे । इसीलिए उनके बैंकों में धन राशि जमा करने का विवरण पाया जाता है । उनकी स्थायी आर्थिक नीति के कारण ही जनता बैंक का उपयोग किया करती थी । जनता को कभी भी भय नहीं था कि श्रेणी-बैंक का दिवाला हो जायगा और मूलघन राशि नष्ट हो जायगी । गुप्तकालीन एक लेख में श्रेणियों के स्थानान्तरित होने का विवरण पाया जाता है । मंदसौर के लेख में वह श्रेणी लाट (गुजरात) से उठकर दक्षपुर (मालवा) चली आई थी । इन्दौर (मध्य प्रदेश) के ताम्रपत्र में स्कन्दगुप्त के शासनकालीन तैलियों की श्रेणी का उल्लेख है जिसको देवविष्णु नामक ब्राह्मण ने सूर्य मंदिर के हेतु धन दान दिया था और वह राशि स्थायी रूप से (fixed-deposit) की तरह श्रेणी बैंक में जमा कर दी गई थी । विश्वास पात्र तथा अच्छे कार्य शैली के कारण श्रेष्ठो, सार्यवाह आदि राजकीय अधि-

कारियों के सदृश शासन में सहयोग किया करते थे। उनके कार्यालय की मुहरें होती थी। नालंदा, कौशाम्बी तथा वैशाली से मिट्टी की मुहरें बहुत संख्या में मिली हैं जिनमें निकाय तथा श्रेणी की मुहरें प्रचुर संख्या में हैं। (आ स ड रि १९०३-४ तथा १९१३-१४)

भारतीय इतिहास से विदित होता है कि प्राचीन काल में यहाँ के निवासी आर्य संस्कृति का संदेश लेकर स्थल तथा जलमार्ग द्वारा विदेश जाते थे। जलयानों को सुगम बनाने के लिए नौकाओं का निर्माण हुआ और स्थल मार्ग को सुव्यवस्थित किया गया। मौर्य सम्राटों ने व्यापार को बढ़ा उन्नति की और अच्छी सड़कों का निर्माण किया। अशोक ने सम्भवतः पाटलिपुत्र से पुरुष पुर (पेशावर) तक राजमार्ग तैयार करवाया जिस मार्ग के किनारे राजगृह, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, साकेत, कन्नौज, मथुरा आदि समृद्ध नगर बसे हैं। पाटलिपुत्र से कौशाम्बी तथा उज्जैन होते हुए पश्चिमी बन्दरगाह सुपारा तक राजमार्ग बना था। इसी स्थान पर अशोक का लेख भी मिला है। शक-सातवाहन युग में भी उत्तर तथा दक्षिण भारत में वैसे ही व्यापार चलता रहा। मध्ययुगीन लेखों से शिल्प तथा व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। व्यापार की अभिवृद्धि के लिए कुषाण राजाओं ने स्वर्ण-मुद्रा का प्रचलन किया। द्वितीय बीमकदफिस ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया और कनिष्क के शासन काल में अधिक सिक्के तैयार हुए जो व्यापार के विनिमय के प्रमुख साधन थे। सिक्कों की वृद्धि से व्यापार की उन्नति का परिज्ञान होता है। दक्षिण भारत में पाडेचेरी के समीप अरकमेडू की खुदाई से रोमन सिक्के अधिक संख्या में मिले हैं जिससे भारत तथा रोम के व्यापारिक सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है (एन्ड्रोट इंडिया, संख्या २ पृ० १७)। जीवन की उपयोगी सभी प्रकार की सामग्रियाँ विदेशों को भारत में भेजी जाती थी।

गुप्त शासन के आरम्भ से पूर्वी जगत् में भारत का व्यापारिक सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ तथा व्यापक हो गया था। प्रयाग के स्तम्भ लेख में समुद्रगुप्त के दिग्विजय का वर्णन मिलता है। उसने पूर्वी बन्दरगाह ताम्रलिप्ती (ताम्रलुक) पर भी अधिकार कर लिया था। प्राचीन भारत के गुप्त, वाकाटक, कदम्ब तथा पल्लव शासकों ने वाणिज्य की उन्नति में बड़ा योगदान दिया था। नालंदा, कौशाम्बी तथा वैशाली से गुप्त कालीन मुहरें अधिक संख्या में मिली हैं जिन पर अनेक श्रेणियों निगम तथा निकाय के कार्यालय के नाम उल्लिखित हैं जिससे पता चलता है कि कौशाम्बी, नालंदा तथा वैशाली मुख्य व्यावसायिक केन्द्र थे (श्रेणी सार्धवाह कुलिक तथा निगम की मुहरें—आ० स० रि० १९०३-४ तथा १९१३-१४)। वैशाली तथा भीटा से प्राप्त मुद्रा लेखों के अतिरिक्त दामोदर पुर (उत्तरी बंगाल) के ताम्रपत्रों में नगर श्रेष्ठि, सार्धवाह तथा प्रथम कुलिक का उल्लेख है जो शासन में भी सहायता करते थे। ऐसे वर्णन से पता चलता है कि सारे उत्तरी भारत में व्यापारिक संघ फैले हुए थे। समृद्धशालिनी नगरी में मालवा का दशपुर नगर भी गिना जाता था जिसका सुन्दर वर्णन वत्सभट्टि ने किया है।

प्रासादमालाभिरलंकृतानि धरा विदार्यैव समुत्थितानि ।

विमानमालासदृशानि यत्र, गृहाणिपूर्णन्दुकरामलानि ॥

(प्रथम कुमारगुप्त का मंदसौर शिलालेख)

गुप्त नरेशों ने शिल्प तथा वाणिज्य की उन्नति के हेतु बड़ी संख्या में सिक्के ढलवाए । साधारण वस्तुओं के खरीद के लिए चाँदी तथा ताँबे के सिक्के तैयार हुए और ऊँचे क्रय-विक्रय तथा विदेशी व्यापार के लिए सोने के सिक्के चालू किए गए थे । प्रथम कुमारगुप्त ने इस कार्य के निमित्त चौबह प्रकार की स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की थी जो व्यापार के चरम सीमा का द्योतक है ।

गुप्त युग के पश्चात् भारतीय व्यापार कई केन्द्रों में संगठित होता रहा । हर्षवर्द्धन, द्वितीय पुलकेशी तथा उडोसा के गंग वंशी नरेशों ने वाणिज्य को प्रोत्साहित किया । इन राजाओं के सिक्कों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी नहीं है और पूर्व सदियों की तरह मुद्रा निर्माण का कार्य दिखलाई नहीं पड़ता । यद्यपि गुर्जर नरेशों, दक्षिण के चालुक्य तथा चोल शासकों ने वाणिज्य में पोत का प्रयोग किया था परन्तु अभिलेखों में इसकी चर्चा नहीं के बराबर है । साहित्य ग्रंथों से विविध व्यवसाय तथा विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध का अनुमान लगाया जाता है । विदेशी यात्रियों ने भी विशेष रूप से इसकी चर्चा की है । उनमें चीनी तथा अरब यात्रियों ने पर्याप्त विवरण प्रस्तुत किया है । कथा साहित्य में भी भारतीय वणिकों के द्रोणान्तर गमन का उदाहरण सुरक्षित है । कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशस्तियों से अधिक वर्णन साहित्य में मिलता है ।

पहले कहा जा चुका है कि पूर्व मध्य युग (७००-१२०० ई०) के अभिलेख राजाओं तथा धनी व्यक्तियों द्वारा दान का वर्णन करते हैं । इसलिए उनमें वाणिज्य-वार्ता के लिए स्थान नहीं है । तब भी कई स्थानों पर शासक द्वारा दान सम्बन्धी भूमि 'कर' तथा 'सामयिक कर' का उल्लेख किया गया है और इस तरह आय-व्यय का लेखा सम्मुख आता है । अभिलेखों में इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि भूमिकर दानग्राही ग्रहण करेगा तथा विभिन्न कर (टैक्स) मंदिर के पूजा निमित्त व्यय किया जायेगा । इसी प्रसंग में बाजार से चुगी तथा मेला में क्रय-विक्रय से सम्बन्धित 'कर' वमूली का वर्णन है इस प्रकार गौण रूप से आर्थिक बातों की चर्चा मिलती है । वस्तुओं के क्रय-विक्रय के प्रसंग में माप तौल के अध्यक्ष का उल्लेख भी लेखों में मिलता है । "प्रत्यापणं मानयं" (ए० इ० ४ पु० २४८) से उसी अध्यक्ष का बोध होता है जो माप को निश्चित करता तथा परीक्षण किया करता था ।

विभिन्न प्रशस्तियों में वर्णित दान के प्रकरण में तीन प्रकार की चुगी (कर) का उल्लेख है । सर्वप्रथम उस कर का वर्णन है जो बाजार में बिकने वाले सामान पर लगाया गया था । पाल लेखों में हाटक नाम के पदाधिकारी का उल्लेख है जो इस 'कर' सम्बन्धी विवरण कार्य को सम्पन्न करता था (खालीमपुर दान पत्र—ए० इ० भा० ४) दूसरे स्थान पर कारखानों पर लगाए 'कर' का नाम मिलता है और तीसरे प्रकार का 'कर' मेला में क्रय-विक्रय से सम्बन्धित था । इन करों को दान-ग्राही ग्रहण करता या दानकर्ता मंदिर को समर्पित करता था । उसी आय से पूजा, राग-भोग का प्रबंध होता था । बाजार के लिए 'हाट' तथा चुंगीघर के लिए 'मण्डिका' शब्द लेखों में मिलते हैं । 'कर' निश्चित करने का कोई विशेष नियम नहीं था परन्तु वस्तुओं के प्रकार तथा मात्रा के अनुसार कर में विभिन्नता पाई जाती थी । बेचने तथा खरीदने वाले दोनों व्यक्तियों पर कर लगाया जाता था । इस सम्बन्ध में विभिन्न सिक्कों का भी नामोल्लेख है जिसका विवरण अगले पृष्ठों में मिलेगा ।

राजपूताना के अनेक लेखों में ऐसा विवरण उपलब्ध है। मयनदेव के लेख में अनाज के एक बोरे की बिक्री पर तीन विशोपक (रुपया के बीसवें भाग) 'कर' लगता था (ए० इ० ३ पृ० २६४)। एक विशोपक घास बोझ पर एक द्रम (चाँदी की मुद्रा) चीनी के एक बोरे पर एक वरणिग, चीनी के एक बोस पर एक रुपया, बगाल के तागे की गाठ पर 'कर' के रूप में वसूल किए जाते थे (ए० इ० १ पृ० ११४)।

उस समय सामान ढोने के लिए ऊँट, घोड़ा, बैल तथा बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। इन पशुओं तथा गाड़ी पर सामग्रों की मात्रा एक सी नहीं रहती, इस कारण 'कर' भी न्यून या अधिक लिया जाता था। यदि एक गाड़ी पर कुछ पैला (नाप के लिए प्रयुक्त) सामान लदा रहता तो दो रुपया चुगी ली जाती था। 'मार्गे गच्छतानामागताना वृषभाना शेकेपु'—मार्ग से से होकर बाजार में आने वाली बैलगाड़ी का उल्लेख चहमान लेख में अधिक है जिस पर मसाला लदा रहता था (ए० इ० भा० ११ पृ० ३७)। सम्भवतः किराना सामग्रों पर अधिक 'कर' देना पड़ता था क्योंकि साधारण सामग्री जो मात्रा में बीस पैला होती थी और बैलो पर लदी रहती थी उस पर दो रुपया ही टैक्स लगता था। यदि दस ऊँट तथा बीस बैलो के समूह (कारवाँ) पर लदा सामान (अन्न ?) बाजार में जाता था तो एक पैला 'कर' के रूप में लिया जाता था (ए० इ० ११ पृ० ४३)। भरतपुर के ममीप प्राप्त एक लेख में वर्णन है कि घोड़े पर लदी सामग्री पर एक द्रम चुगी लगती थी ए० इ० २२ पृ० १२७)।

बाजार में सामान संग्रह करने के लिए भवन (आदत) भी वर्तमान थे जहाँ व्यापारी गण सामग्री सुरक्षित रख देते थे। उससे सामान निकालने तथा रखने के कारण व्यापारी को 'कर' देना पड़ता था। नायक देवों के लेख में गोदाम में सुरक्षित सामान पर 'कर' का विवरण है। प्रति मन दो पैला अनाज 'कर' के रूप में लिया जाता जो मंदिर को अर्पित कर दिया जाता था। [ए० इ० ११ पृ० ६२ व ६७-मण्डपिकाया वस्तु मणं प्रति पाह्ला २]। चाहमान कालीन गोदाम में रखने तथा बेचने के कारण छ द्रम 'कर' लिया जाता था [ए० इ० भा० १ पृ० ११४—मण्डपिकोत्पत्तिघनाहता पट् प्रत्यह द्रम्मा.] मध्ययुग में बाजार से सम्बन्धित मकान तैयार करके दान करने की प्रथा प्रचलित थी। उन दूकानों का किराया मंदिर में अर्पित किया जाता था और उस आय से रागभोग का प्रबंध होता था [ए० इ० भा० १ पृ० १६७]। स्यात् उस तरह की दूकान (धिधि) से दो विशोपक प्रतिमास किराया मिलता था। बाजार में पत्तों की की बोझ पर पचास पंक्तिर्मा तथा माली से पचास माला ग्रहण कर मंदिर में भेंट किया जाता था (इह पुष्पमाला पंचाशत् ५० माला प्रतिदिनं दातव्ये—ए० इ० १ पृ० १६०)। परमार नरेश चामुण्डराय के एक लेख (ए० इ० १४ पृ० ३०९) में वर्णन है कि हाट में बिकने वाले नारियल के प्रति भार से एक फल, सहस्र सुपारी पर एक सुपारी तथा कपड़े की प्रति गाँठ पर डेढ़ रुपया 'कर' के रूप में देना पड़ता था। कोई भी व्यापारी इस 'कर' के देने में आगा-पीछा नहीं सोच सकता था।

कहा गया है कि राजपूताने के बाजार में करनाट, मध्यप्रदेश (गंगा-यमुना की घाटी), छोट (गुजरात) तथा तत्क (व्यास तथा सिन्ध नदियों का मध्यभाग) से आने वाले वणिग

विष्णु मंदिर के निमित्त 'कर' देना अस्वीकार नहीं कर सकते थे।
व्यावसायिक कर (६० ए० भा० ५८ पृ० १६१-२) सम्भवत यह बाजार मेला के रूप में संगठित था क्योंकि सुदूर स्थानों से व्यापारी वहाँ एकत्रित होते थे। उस लेख में वर्णन आता है कि हाथी के विक्रय पर एक द्रम, घोड़े के विक्रय पर दो द्रम या एक द्रम (६० इ० ११ पृ० ३३) तथा गाय या भैंस के विक्री पर द्रम का चालीसवाँ भाग 'कर' लिया जाता था (६० ए० भा० ५८ पृ० १६१) मेला सम्बन्धित क्रय-विक्रय के प्रसंग में ऐसी ही उल्लेख कई प्रशस्तियों में पाया जाता है। पृथुदक मेले में पशुओं के बेचने वाले दो द्रम तथा खरीदने वाले व्यक्ति को एक द्रम 'कर' के रूप में देना पड़ता था (६० इ० भा० १ पृ० १८५-७)।

श्रवण द्वारा अर्जित सम्पत्ति पर भी 'कर' लगाया जाता और द्रव्य या सामान 'कर' के रूप में ग्रहण किया जाता था। लेखों में तैलिक श्रेणी अथवा तेल के कारखानों (घाणक) से देवता के दीपार्थ (कर के रूप में) तेल वसूल किया जाता था। प्रायः प्रत्येक घाणक से दो पल तेल मिलता था (पलिका द्रव्यं घाणकं प्रति धर्माय दत्तं—६० इ० भा० ११ पृ० ३५) दूसरे लेख में प्रति दिन एक पल तेल अर्पित करने का विवरण मिलता है। (समस्त तैलिकाना घाणक घाणक प्रतिदिनं धर्माय हेतो तैलपलिका प्रदत्ताः (६० इ० १ पृ० १७७)। कभी तैलिक श्रेणी में प्रति मास तेल का एक पल लिया जाता था (तैलिक श्रेण्या प्रति कोल्लू मासि मासि तैल पलिका दातव्ये—६० इ० १ पृ० १६०)। साधारण व्यक्ति कभी तेल या घी पात्र में रखकर बेचता था तो उसे प्रति तेल कूप (चमड़े का पात्र) दो विशोपक 'कर' (६० इ० २ पृ० २८०) और घी के विक्रेता को भी प्रति घडा (मिट्टी का पात्र) एक पल टैक्स देना पड़ता था (६० इ० १४ पृ० ३०९)

शराब के कारखाने वाले भी नकद पैसा देवता के राग भोग के लिए देते रहे। राज-पताना के लेख में प्रति सुराभाण्ड पर आधा द्रम 'कर' का वर्णन है (सुराभाण्ड प्रति मासा-न्मास विग्रह तुङ्गोय दातव्यं द्रमाद्धं घूप दीप नैवेद्यार्थं—६० इ० १ पृ० १७४) परमार लेख में वर्णन है कि प्रति कारखाने को चार रुपया देना पड़ता था (६० ए० भा० ५८ पृ० ३०९) मदिरा के व्यापारी से कर ग्रहण कर धार्मिक कार्य में व्यय करना अनुचित नहीं समझा जाता परन्तु देवपूजा में उस आय से कार्य सम्पन्न होता था।

पूर्व मध्य युग के शासक किसी धार्मिक कृत्य के लिए अस्थायी 'कर' भी लगाया करते थे। चहमान नरेश शिवरात्रि के अवसर पर आठ मुद्रा प्रति व्यक्ति (६० इ० ११ पृ० ३१—प्रति वर्षकं द्रम्माष्टकं प्रमाणेन) तथा देवयात्रा (रथ यात्रा) के अस्थायी कर सुअवसर पर चार द्रम का 'कर' आरोपित करते थे। (देव यात्रा निमित्त द्रा ४—६० इ० भा० ११ पृ० ३५)। इसी वंश के एक लेख में तैलिक श्रेणी द्वारा रथ यात्रा के समय विशोपक देने का वर्णन मिलता है। परमार शासक चैत्रमास के बसंतोत्सव पर प्रत्येक व्यापारी से एक द्रम 'कर' के रूप में वसूल करते थे (६० इ० भा० १४ पृ० ३९०) तथा जनसाधारण से प्रति गृह एक द्रम (मुद्रा) 'कर' लिया जाता था।

तत्कालीन करो की सूची में एक प्रकार के विचित्र 'कर' का उल्लेख है जो विशिष्ट भोज (दावत) के समय उस व्यक्ति से ग्रहण किया जाता था । भोज (रनघनि) के आयोजक को एक रुपया देना पड़ता था । इसमें अधिक आश्चर्य जुआ पर लगाए कर से प्रकट होता है जिसमें सम्पूर्ण खेल में एक पेटक (पेव = दाव—एक बार जितना धन साहस कर लगाया जाय) 'कर' स्वरूप जुआरी को देना पड़ता था (३० ए० ५८ पृ० १६१) किसी लेख में जुआ-गृह पर दो सपया कर लगाने का उल्लेख मिलता है [ए इ भा १ पृ १४४] इससे अनुमान किया जा सकता है समाज में धूणित कर्म में जो 'कर' मिलता था उसे व्यक्तिगत कार्य में व्यय न कर शासक धार्मिक कृत्य के निमित्त दे दिया करता था । इस प्रकार अभिलेखों में विभिन्न 'कर' का विस्तृत विवरण उपलब्ध है ।

यद्यपि साहित्य ग्रंथों में सिक्कों के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है परन्तु अभिलेखों में कार्पापण (प्राकृत काहापन) का नाम सबसे पुराना है । सातवाहन तथा क्षत्रप के नासिक लेखों में काहापणा या काहापन नाम में उम प्राचीन सिक्के का सिक्कों के विभिन्न नाम उल्लेख मिलता है जो 'प्राण' या 'धरण' नाम से प्रसिद्ध थे । अधिकतर चांदी के सिक्के इस नाम से उल्लिखित थे और स्वर्ण मुद्रा की तरह १६ मासे तौल में होते थे । सोने के लिए पाच रत्नों का मासा (तौल) तथा चांदी के लिए दो रत्नी का माशा निर्धारित किया गया था । भारत में यूनानी शासन के समय चांदी के सिक्के ड्रम कहे जाते थे और यह नाम इतना प्रचलित हो गया कि भारतीय लेखों में ड्रम शब्द से (जो ड्रम का विकृत रूप है) नऊठो बार उल्लेख मिलता है । अधिक प्रचार होने के कारण ही गुर्जर प्रतिहार, परमार, सेन आदि वंशों की प्रशस्तियों में इसका नाम आता है । भारतीय यूनानी, पल्लव तथा शक राजाओं ने उसके आधे तौल के बराबर अर्द्ध ड्रम सिक्का प्रचलित किया जिसे गुप्त सम्राट, हूण राजा, हर्ष वर्द्धन, मौखरि आदि ने चांदी के सिक्कों में अनुकरण किया । ड्रम नाम सबसे अधिक प्रचलित था और ईसा पूर्व तीसरी सदी से १२ वी सदी तक साहित्य ग्रंथों तथा अभिलेखों में इस शब्द का प्रयोग मिलता है । भास्कराचार्य ने (१२ वी सदी) भी लीलावती में इसी नाम का प्रयोग किया है ।

नानाघाट तथा नासिक लेखों के वर्णन से पता चलता है कि काहापना (कार्पापण) अधिक संख्या में तैयार किये जाते थे । सम्भवतः समाज में स्वर्णमुद्रा की आवश्यकता न थी । नहपान के लेख से पता चलता है कि सोने चांदी के सिक्कों में १ : १४ का अनुपात था । उसमें सत्तर हजार काहापन मूल्य में दो हजार सुवर्ण के बराबर कहे गए हैं (ए इ भा ८) ।

यद्यपि कुपाण नरेशों ने सोने का सिक्का सर्व प्रथम प्रचलित किया परन्तु कुपाण लेखों में उस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं मिलता । पिछले कुपाणों के अनुकरण पर गुप्त सम्राटों ने सोने की मुद्रा तैयार कराई जिसका नाम साची के लेख तथा दामोदरपुर ताम्रपत्रों में 'दीनार' शब्द से अंकित है । यह नाम भी रोमन सिक्का दिनेरियस (Denarius) का विकृत रूप है । गुप्त नरेश रोगन माप तौल (१२० ग्रैन) का प्रयोग भी करने लगे थे । प्रथम कुमार गुप्त के शासन में अकित वैश्राम ताम्रपत्र से तत्कालीन सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात निश्चिन किया जा सकता है । उसमें वर्द्धन मिलता है कि तीन कुन्वावाप भूमि का मूल्य ६ दोनार था तथा एक

चौपाई कुल्यावाप जमीन (उर्बरा) आठ रूपक (चादी का सिक्का) में विक्रय होती थी (ए. इ. भा० २१ पृ० ८१—षड्दीनारानष्ट च रूपकाना) । इस आधार पर एक दीनार १६ रूपक के मूल्य में बराबर था । उसका अनुपात ६३ . १ होता है । इससे स्वच्छ हो जाता है कि १२ वीं सदी तक दीनार, रूपक तथा द्रम शब्दों का प्रयोग उत्तरी भारत के सिक्कों के लिए होता था । स्मृतियों के अध्ययन से पता चलता है कि सोने की मुद्रा दीनार तथा चादी के सिक्के कार्षापण कहे जाते थे । दक्षिण भारत में भी कार्षापण का प्रयोग चादी के सिक्कों के लिए होता रहा । परन्तु तीसरी सदी के बाद चादी का मिलना कठिन हो गया । गौतमीपुत्र यज्ञश्री शातकर्णी ने चादी का सिक्का तैयार किया जो क्षत्रप अर्द्ध द्रम का अनुकरण मात्र था । स्यात् महाराष्ट्र में क्षत्रपों को पराजित कर विजय-घोषणा के लिए यह कार्य आवश्यक था । तत्पश्चात् चोल, पाण्ड्या या केरल राज्यों में चादी के सिक्के नहीं मिलते ।

पूर्व मध्यगुग (७००—१२०० ई०) की प्रशस्तियों तथा साहित्य ग्रंथों में 'द्रम' का अधिक प्रयोग है । सियादोनी तथा म्वालिघर के अभिलेखों में 'द्रम' शब्द शासक के नाम में जुड़ा है । विनायक पालीय द्रम अथवा आदिवाराह द्रम शब्दों से उस शासक के सिक्के का परिचय मिलता है जिसने (विनायकपाल तथा प्रतिहार भोज) उनका प्रचलन किया था । सियादोनी लेख में 'कर' ग्रहण करने के प्रसंग में विशेषक शब्द भी सिक्के के लिये उल्लिखित है । वह रूपक (सिक्का) का वीसवा भाग था जो संभवतः ताम्बे का सिक्का रहा होगा ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन नाम कार्षापण के अतिरिक्त अभिलेखों में अधिकतर विदेशी सिक्कों के नामों का विकृत रूप पाया जाता है । रूपक शब्द का प्रयोग चेदि तथा राजपूताने के लेखों में मिलता है (इ० ए० ५८ पृ० १६१-२) जो कालान्तर में रुपया हो गया और आज भी उसी नाम से प्रचलित है ।



अध्याय १०

तिथियां और सम्बत्

प्राचीन लेखों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्रशस्तिकार अभिलेख उत्कीर्ण करते समय इस बात का ध्यान रखते थे कि उनमें तिथि का उल्लेख अवश्य हो। भारत का तिथि-क्रम इतिहास जानने में उत्कीर्ण लेखों से अधिक सहायता मिलती है। तिथियां दो प्रकार से उल्लिखित मिलती हैं। पहला राज्य-वर्ष (Regnal year) का उल्लेख, दूसरे स्थान पर उन तिथियों की गणना होती है जिसे विद्वानों ने किसी सम्बत् से सम्बद्ध किया है। अशोक के धर्म लेखों में अभिषेक के ८ वें वर्ष (अठ वर्ष अभिसिलस देवन प्रिअस प्रिअद्रसिस—तेरहवा शिला-लेख) १२ वें वर्ष (चौथाशिलालेख, छठा स्त० ले० बराबर गुहालेख) १३ वें वर्ष (पाचवा शि० ले०) १४ वें वर्ष (निगाली सागर लेख) २० वें वर्ष (देवानपियेन पियदसिन लाजिन वीसति वसाभिसितेन—हिंद भगव जाते ति लुंमिनि गामे-रुम्मिनदेई स्त० ले०) २६ व वर्ष (चौथा व पाचवा शि० ले०) तथा २७ वें वर्ष (सत विसति वसाभिसितेन में इदं धम-लिपि लिखापिता ति एत देवानं पिये आहा-सातवा स्त० लेख) का उल्लेख है। वेसनगर गुरुड स्तम्भ लेख जुगराजा भागभद्र के चौदहवें वर्ष में स्थापित किया गया (कौसी पुतस भाग-भद्रस त्रातारस वसेन चनुदसेन राजेन)। हाथी गुम्फा लेख में खारबेल के प्रथम से तेरहवें वर्ष तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है (पद्यमे वसे ततिये गुनवसे—नवमे च वसे—तेरसमे च वसे आदि ।)

मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन लेखों में भी गोमतीपुत्र शातकर्णों का १८ वें वर्ष एवं २४ वें वर्ष का उल्लेख है (नासिक गुहालेख)। पुलमात्रि ने ७ वें, १९ वें २२ वें तथा २४ वें वर्ष में लेख उत्कीर्ण कराया था (नासिक तथा काले का गुहा लेख) तथा यज्ञ धी शातकर्णों के नासिक गुहा लेख ७ वें वर्ष (सिरियन सातकणिस सवहेरे सातमे ७) में उत्कर्ण किया गया था। यह क्रम मध्य युग तक चलता रहा। हूण राजा मिहिर गुल के खालियर लेख से पंद्रह वर्ष तक शासन का परिज्ञान होता है (अभिवर्द्धमान राज्ये पचदशाब्दे—का० इ० इ० भा० २ पृ० १६२)।

इस प्रकार मध्ययुग के पालवंशी अभिलेखों में शासकों के राज्य वर्ष का उल्लेख मिलता है। खालीमपुर ताम्रपत्र से पता चलता है कि धर्मपाल ने ३२ वर्ष तक राज्य किया। भागल-पुर ताम्रपत्र में नारायण पाल के ५४ वें वर्ष का उल्लेख है किन्तु इन तिथियों का किसी संबत् से सम्बन्ध नहीं है।

प्राचीन भारत में दूसरे प्रकार के अभिलेखों में शासकों की तिथि किसी न किसी सम्बत् से अवश्य सम्बद्ध है। कुपाण नरेशों की तिथियां ३ से ८० तक अंकित हैं और प्रत्येक लेख सं० (सम्बत्) अथवा संवत्सर से आरम्भ होता है यानि तिथि का सम्बत् से सम्बन्ध

अवश्य है। यद्यपि उसका नाम स्पष्ट रूप से नहीं मिलता किन्तु यह विषय अज्ञात नहीं है कि उन सब लेखों की तिथियाँ शक सम्बत् (७८ ई०) से सम्बन्धित हैं। कुषाण के सामंत पश्चिमी भारत तथा मयुरा के क्षत्रप शासक भी इसी सम्बत् में अपने लेखों की तिथियाँ अंकित कराते रहे। उदाहरण के लिए नहुपान के नासिक तथा जूनार गुहालेख क्रमशः ४२ तथा ४६ वें वर्ष (४६ + ७८ = १२४ ई०) में उत्कीर्ण किए गए। रुद्रदामन के गिरनार लेख में ७२ वर्ष का उल्लेख है यानी १५० ई० (७२ + ७८) में वह लेख खोदा गया था। गुप्त सम्राटों के अभिलेख भी इसी रूप से उत्कीर्ण हैं। द्वितीय चन्द्रगुप्त का साँची लेख ९३ वर्ष में, प्रथम कुमारगुप्त की करमदण्डा शिवलिङ्ग प्रशस्ति ११७ वर्ष में, स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ लेख १३६ वर्ष में, इन्दौर ताम्रपत्र १४६ वर्ष में, वैज्यगुप्त का गुणेश्वर ताम्रपत्र १८८ वर्ष में तथा भानुगुप्त का एरण स्तम्भ लेख १९१ वर्ष में खोदे गए थे। इन तिथियों को राज्य वर्ष कदापि नहीं माना जा सकता। अतएव इनको गुप्त सम्बत् ई० स० ३१९ से सम्बन्धित करते हैं। हर्ष वर्धन के ताम्रपत्र की तिथियाँ हर्ष सम्बत् (ई० स० ६०६) से जुड़ी हैं। यहाँ तक कि नेपाल के लेख भी हर्ष सम्बत् से ही सम्बन्धित हैं।

कई प्रशस्तियों में तिथि न मिलने पर तीसरे मार्ग के सहारे काल ज्ञात होता है यानी प्राचीन भारत के शासकों की तिथियाँ समकालीनता पर भी स्थिर की जाती हैं। अशोक के तेरहवें शिलालेख में अनेक समकालीन विदेशी शासकों के नाम उल्लिखित हैं। उनकी ज्ञात तिथियों के सहारे शासक के तिथियों का वास्तविक समय निर्धारित हो जाता है। यूनानी राजा आतियोकस द्वितीय ई० पू० २६१-४६ तक पश्चिमी एशिया में राज्य करता रहा। द्वितीय टालेमी उत्तरी अफ्रीका में ई० पू० २८२-४७ तक शासन करता रहा। ये दोनों अशोक के समकालीन थे। इस तिथि २८२ में से १२ वर्ष (अभिषेक के ८ वें वर्ष में तेरहवाँ लेख खोदा गया तथा अशोक अभिषेक से चार वर्ष पूर्व सिंहासनारूढ़ हुआ था) घटा देने से ई० पू० २७० वर्ष अशोक के शासक होने की तिथि निश्चित हो जाती है। सातवाहन राजा गौतमी-पुत्र शातकर्णी भी क्षत्रप नहुपान का समकालीन शासक था। नासिक लेख (पुलमावि के १९ वें वर्ष) तथा जोगलखम्बी के सिक्कों के डेर को परीक्षा यह बतलाती है कि शातकर्णी ने नहुपान को पराजित किया था। नहुपान की तिथि ४६ शक सम्बत् (ई० स० ७८) से सम्बन्धित मानी जाती है। इसलिए नहुपान की तिथि ई० स० १२४ स्थिर होती है। इस तिथि के समीप गौतमीपुत्र शातकर्णी भी राज्य करता होगा। इसके पुत्र पुलमावि को महाक्षत्रप रुद्रदामन ने ई० स० १५० में हराया था जो जूनागढ़ के लेख (तिथि ७२ यानी ७६ + ७८ = १५० ई०) स्पष्ट प्रकट होता है। इस प्रकार पिता (गौतमी पुत्र शातकर्णी) की तिथि १२४ से १३० ई० तथा पुत्र पुलमावि ई० स० १५० मानी जा सकती है। नासिक के १९ वर्ष वाले लेख से ज्ञात होता कि पुलमावि १३० ई० (पिता की मृत्यु) के समीप गद्दी पर बैठा और १६ वर्ष में यानी १४९ ई० (१३० + १९) में वह पराजित किया गया। मिहिर-कुल के सम्बन्ध में इसी प्रकार से राज्यकाल का पता चलता है। गुप्त शासक भानुगुप्त का एरण स्तम्भ लेख १९१ (गु० स०) वर्ष में यानी ५१० ई० (१९१ + ३१९) में लिखा गया था जिसमें गोपराज की मृत्यु का वर्णन है। सेनापति गोपराज हूण युद्ध में मारा गया था और उसी के बाद तोरमाण का राज्य मध्य भारत में स्थापित हुआ। उसने पन्द्रह वर्ष तक शासन किया

१७४ . प्राचीन भारतीय अभिलेख

उसके पश्चात् मिहिरकुल पंद्रह वर्ष तक शासक रहा। खालिगर के १५ वें वर्ष की तिथि (अभि-वर्द्धनमान राज्ये पचदशान्दे नृप-वृषस्य) ५४० ई० के समीप (५१० + १५ + १५) स्थिर हो सकती है। राज्य वर्ष में तिथि खुदवाने की परिपाटी पाल लेखों में भी वर्तमान थी जिसे अन्य तिथि के सहारे काल निर्णय करने में उपयोगी मानते हैं। इसे चौथी रीति कह सकते हैं। निम्नलिखित राज्यवर्ष से गणना देखिये।

धर्मपाल	३२ वर्ष
देवपाल	३६ ,,
विग्रहपाल प्रथम +	
सूरपाल	३ ,,
नारायणपाल	५४ ,,
राज्यपाल	२४ ,,
गोपाल द्वितीय	१७ ,,
विग्रहपाल द्वितीय	२६ ,,
महोपाल प्रथम	४८ ,,

योग	२४६ वर्ष

दमवें पालनरेश प्रथम महोपाल का एक लेख सारनाथ से उपलब्ध हुआ है जिसकी तिथि वि० स० १०८६ (= १०८६-५७ = ई० स० १०२९) उल्लिखित है। अतः २४३ वर्ष पीछे जाने पर धर्मपाल की तिथि (१०२९-२४३) ७८६ ई० के समीप निश्चित हो जाती है। इस प्रकार समकालीनता तथा ज्ञात तिथि में या सम्वत् में सम्बन्ध जोड़ कर राजाओं के शासनकाल का परिज्ञान होता है।

यो तो भारतवर्ष में ईसा पूर्व ५७ वर्ष में विक्रम सम्वत् चलाया गया (विस्तृत वर्णन आगे देखिए।) परन्तु इसमें तिथि का उल्लेख अधिक दिनों तक नहीं पाया जाता। ईसवी सन् के ७८ वर्ष में कनिष्क ने एक सम्वत् चलाया जिसमें लेखों की तिथियाँ पाई जाती हैं। कुपाण वंशी राजाओं (कनिष्क, ह्विष्क तथा वासुदेव) के लेखों में जो अंक (तिथि) मिलते हैं उनका सम्बन्ध इसी शक सम्वत् में है। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा लेख में ३ वर्ष खुदा है तो कनिष्क के उत्तराधिकारी वासुदेव के मथुरा-प्रतिमा लेख में ८० वर्ष पाया जाता है जिसकी तिथि क्रमशः ई० स० ८१ (७८ + ३) तथा ई० स० १५८ (७८ + ८०) ज्ञात हो जाती है। पश्चिमी भारत के क्षत्रप राजाओं के सिक्कों पर तिथि शक सम्वत् में मिलती हैं। उन्हीं सिक्कों के अध्ययन से क्षत्रपों का इतिहास ज्ञात होता है। प्रथम रुद्रसेन के सिक्के पर १२१, पृथिवीवर्ष के १२२-१४४ तथा दामसेन के सिक्कों पर १४५-१५८ तिथि का उल्लेख है जिन सबको शक सम्वत् से सम्बन्धित मानते हैं। गुप्त लेखों में भी वर्षांक उल्लिखित है जिनका सम्बन्ध गुप्त सम्वत् से था। उनके प्रशस्ति को छोड़ कर सिक्कों पर भी इसी सम्वत् में तिथियाँ अंकित हैं। सौराष्ट्र के बलभी लेखों में इसी गुप्त सम्वत् का प्रयोग है जिसे भ्रमवश बलभी सम्वत्

का नाम दिया गया था (गुप्त सम्बत् का विवरण आगे दिया जायगा) । पिछले गुप्त राजाओं के लेखों में जिस तिथि (वर्ष) का उल्लेख है उसका सम्बन्ध गुप्त सम्बत् से नहीं है । सम्भवतः सातवीं सदी के आरम्भ से उत्तरी भारत में हर्ष सम्बत् (ई० स० ६०६) का प्रयोग होने लगा था । बासखेडा का ताम्रपत्र, गुप्त राजा आदित्यसेन का शाहपुरलेख (६६ वर्ष) तथा विष्णुगुप्त का मंगराव लेख (वर्ष ११७) आदि हर्ष सम्बत् से सम्बन्धित हैं और उसी गणना पर उनकी तिथि निश्चित हो जाती है । नेपाल के अनेक लेखों में तिथि हर्ष सम्बत् में ही उल्लिखित है । मध्यप्रदेश तथा मध्यभारत के सैकड़ों लेख कलचुरी सम्बत् से सम्बन्धित हैं (का० इ० इ० भा० ४ खण्ड २) । इस प्रकार लेखों की तिथियां निश्चित करने के लिए अथवा तिथियुक्त घटनाओं के वर्णन निमित्त प्रशस्तिकार ने अधिकतर किसी सम्बत् से सम्बन्धित अक्षों का उल्लेख किया है । तुलना में पहली प्रणाली (राज्य वर्ष) में समकालीनता स्थिर करना आवश्यक था पर किसी सम्बत् से सम्बन्धित तिथि द्वारा भी 'सरलतापूर्वक शासक का राज्य-काल निश्चित हो जाता है । पहली शैली में 'वसेन चतुदसेन राजेन वधमानस' आदि या 'प्रव-दमान विजय राज्य' वाक्य उल्लिखित मिलते हैं ।

प्राचीन भारत में तिथि वार की गणना में विचित्रता दिखलाई पड़ती है । अभिलेखों का अध्ययन इस विषय के समझने में अधिक सहायत करता है । ईसा पूर्व सदियों में भारत में यही रीति काम में लाई गई थी जिसमें मास, पक्ष एवं वार का मास तथा वार उल्लेख था । सम्भवतः इस प्रकार की गणना यूनान ने अनु-करण की गयी थी । नई ब्राह्मी उत्तर पश्चिम लेखों में (लडर संख्या ९८७ १००१ १०२१, १०२४, ११००, ११०५, ११२०, ११४७, ११८६ आदि) ऋतु, पक्ष तथा वार का उल्लेख है । सातवाहन के नासिक तथा कार्ले अभिलेखों में ग्रीष्म, वर्षा या जाड़े की ऋतु के अतिरिक्त पक्ष तथा वार (दिन) की सख्या मिलती है । इसके विपरीत भारतीय-यूनानी लेख (शिनकोट लेख-ए० इ० १४ पृ० ७) में वैशाख मास के २५ वें दिन का उल्लेख है । ईसवी सन् के पश्चात् शक, कुपाण तथा क्षत्रप लेखों में मास का नाम तथा तिथि सख्या निश्चित रूप से मिलती है । परन्तु ऋतु तथा पक्ष का सर्वथा अभाव नहीं है । (ए० इ० भा० १ न० ४, ज० यू० पी० हि० सी० भा० ११ पृ० ६६-६७) उत्तरी पश्चिमी भू भाग के खरोष्ठी लेखों में दूसरी सदी के पश्चात् मास नाम तिथि सख्या तथा वार का प्रयोग मिलता है । (का० इ० इ० भा० २ पृ० ६२-६६ पृ० ७०, ७७, १२७, १४९) । उन दिनों वर्ष को तीन प्रधान विभागों में—वर्षा, शीत तथा उष्ण—विभक्त किया गया था और पक्ष द्वारा समय का उल्लेख किया जाता था, उदाहरण के लिए—वास पक्ष (वर्षा) हेमतान पक्ष (जाड़ा) या गिहान (गिम्ह) पक्ष (ग्रीष्म) । प्रत्येक ऋतु के चार मास तथा प्रत्येक मास में दो पक्ष की गणना द्वारा आठ पक्ष को ऋतु नाम के साथ उल्लेख किया जाता था । सम्भवतः मास नाम से कोई गणना न होती थी यानी चैत्र से फाल्गुन तक के बारह मासों का नाम अज्ञात था । निश्चित समय बतलाने के लिए पक्ष तथा तिथि से काम लिया जाता था । यदि जेष्ठा कृष्ण पक्ष १० के अवसर पर किसी बात का उल्लेख करना होता तो गिम्ह पक्ष ५ दिवसे १० में काम चल जाता था । ग्रीष्म चैत्र से प्रारम्भ होता था इसलिए चैत्र-वैशाख के चार पक्ष तथा

ज्येष्ठ प्रथम पक्ष मिलाकर पाच पक्ष हो जाते थे। इसलिए उससे ज्येष्ठ कृष्ण १० की तिथि समझी जाती थी। गिम्हाण पक्षे त्रितीय दिवसे १३ से चैत्र शुक्ल १३ का ज्ञान होता था। इसी प्रकार वर्षा या हेमंत से सम्बन्धित पक्ष व बार कहने से ठोक समय का ज्ञान हो जाता था।

गिम्हाण पक्षे २ दिवसे १० = चैत्र शुक्ल १०

ग्री २ दिव ३० = चैत्र शुक्ल पूर्णिमा

वास पक्षे २ दिवसे ३ = श्रावण शुदि ३

हेमत पक्षे ३ दिवसे १ = पौष कृष्ण १

हेमंत पक्षे २ दिव १ = मार्ग शीर्ष शुक्ल १

इस रूप से सातवाहन नरेशों ने वर्ष, पक्ष के द्वारा (नासिक लेख) तिथि का ज्ञान कराया तथा गौतमी पुत्र शातकर्णी के पश्चात् लेखों में तिथियाँ मिलने लगी। एक क्षत्रप युग में पहली सदी से ही भारतीय मास का उल्लेख प्रशस्तियों में है। आश्रय तो यह है कि क्षत्रपों के महाराज कुपाण नरेश ऋतुओं के पक्ष गणना से ही समय का निरूपण करते रहे। दृविष्क के मथुरा प्रतिमा लेख में गृ १ दि० ८ (ग्रीष्म पक्ष १ = चैत्र कृष्ण ८) हेमत मास १ (मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष) का उल्लेख पाया जाता है। परन्तु साथ ही विशिष्ट मास अंकित करने का कार्य भी प्रारम्भ हो गया था। कनिष्क के मानिकियाला शिलालेख (१८ वें वर्ष) में आषाढ, (अपडस मसस) जेदा लेख में कार्तिक, आरा की प्रशस्ति (४१ वें वर्ष) में ज्येष्ठ (जेटस मसस) का नाम मिलता है। पल्लव गुदफरस के लेखों में भी 'वेशखस मसस' तथा 'श्रवणस मसस' के नाम आते हैं। नहपान के नासिक लेख में वेसाख मासे, कार्तिक शूधे पनरस (शुदि १५), रुद्रदामन के आडो (५२ वर्ष) में फगुण बहुलस द्वितीय वारे २ (फाल्गुण कृष्णपक्ष २) मार्ग शीर्ष बहुल प्रतिपदि (जूनगढ़ शिलालेख) तथा रुद्रसिंह के गंडा लेख में 'वैशाखा शुद्धे पंचम घण्यतिथौ रोहिणी नक्षत्र मूर्हते' आदि वाक्यों का प्रयोग मिलता है। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि ई० सं० १२५ (नहपान की तिथि) से ई० स० १८१ तक (रुद्रसिंह की तिथि) भारतीय कालगणना में आमूल परिवर्तन हो गया था। आश्चर्य यह है कि कौशाम्बी के मघ नरेश के लेख में वर्षा पक्ष ३ दिवस ५ उल्लेख मिलता है। स्यात् तीसरी सदी के बाद उत्तरी भारत में समुचित मास, पक्ष, एवं बार की गणना आरम्भ हुई हो। दक्षिण में ऋतु पक्ष से ही गणना होती थी। चौथी सदी के इच्छाकु नरेश विष्णुपादसत्त के नागार्जुनी कोण्डा लेख में प्राचीन ढंग के ऋतु तथा पक्ष का प्रयोग मिलता है (स ६ वा दि १० यानी सम्वत् ६ वर्षा पक्ष ६ दिवसे १०)। पल्लव राजा शिवस्कन्ध वर्मन के अभिलेख में इसी प्रकार ऋतु पक्ष के सहारे गणना की गई है। विदर्भ के वाकाटक लेख भी इसी श्रेणी में रक्षे जाते हैं। कालान्तर में उत्तरी भारत के शासक भारतीय मास का नाम, पक्ष नाम, तिथिनाम, नक्षत्रनाम का प्रयोग करने लग गए। यहाँ यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तर पश्चिम के लेखों में यूनानी मास के भी नाम सम्मिलित कर लिए गए थे। कनिष्क के कुर्रम लेख (वर्ष २१) में अबदुनस तथा पटिक के तक्षशिला ताम्रपत्र में पनेमस के नाम उल्लिखित है।

गुप्त युग में भी मास पक्ष और तिथि का नामोल्लेख मिलता है। शुलकपक्षे पंचम्या (मथुरा का स्तम्भ लेख) आषाढ मास शुलकेकादश्याम् (उदयगिरि का लेख), सहस्य मास (पौष) शुक्लस्य प्रशस्ते हि त्रयोदशे (मदसौर का लेख) फाल्गुण मासे (इन्दौर का ताम्रपत्र) वैशाख

मास सप्तम्या मन्वे इयामगते (बुधगुप्त का मरनाथ बुद्ध प्रतिमा लेख) आदि रूप में मास का उल्लेख किया गया है ।

गुप्त सम्राटों के समकालीन परिव्राजक ज्ञानक सशोभ के खोह ताम्रपत्र में—“सम्बत्सरे चैत्र मास शुक्ल पक्षे त्रयोदश्या” का उल्लेख है। नेपाल के चाणुनारायण के स्तम्भ लेख में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्षे प्रातेपदि वाक्पत्र का उल्लेख यह बतलाता है कि चौथी मदी से प्रायः नियमित रूप से मास पक्ष, व तिथि का नाम अंकित होने लगा। उत्तर-गुप्त युग में भी सम्बत् से सम्बन्धित लेखों में मास, पक्ष व चार का उल्लेख है—कातिक वदी १ (वामदेवा प्रशस्ति) चैत्र वदी ५ (धरमेन का बलभी लेख) तथा मार्ग शीर्ष पंचमी (अपराजित की उदयपुर लेख) आदि। पूर्व मध्ययुग से प्रतिहार अभिलेखों में उचित गीति स-मास तथा तिथि उल्लिखित है। गहड़वाल लेख (माघ सुदी ५—कमोला दानपत्र) तथा परमार अभिलेख (आषाढ वदि २—जयसिंह की उदयपुर प्रशान्त) मास तथा चार की चर्चा करते हैं। पाल तथा सेन लेखों में इस प्रकार का मास तथा चार का उल्लेख नहीं है। स्यात् उनमें विशिष्ट सम्बत् का प्रयोग न होने से विभिन्न राति अपनाया गई जो गुप्त कालान लेखों में प्रयुक्त था।

यह पुनरावृत्ति होगी कि ईसवी सन् के पश्चात् अधिकतर लेखों में उल्लिखित वर्षांक किसी न किसी सम्बत् से (गणना) से सम्बन्धित है। अत्यन्त प्राचीन युग में किसी प्रकार की गणना आरम्भ हुई या नहीं, इस सम्बन्ध में यथार्थ कहना कठिन है। परन्तु जैन ग्रंथों में महावीर-निर्वाण सम्बत् के नाम से एक गणना का विवरण पाया जाता है। इवेताग्रवर लेखक सूरि ने अपनी पुस्तक 'विचार श्रेणी' में लिखा है कि महावीर तथा विक्रम सम्बत् में ४७० वर्ष का अन्तर है। यानी महावीर सम्बत् ४७० + ५७ = ई० पू० ५२७ वर्ष में प्रारम्भ किया गया होगा। नेमिचन्द्राचार्य ने भी इस गणना के सम्बन्ध में लिखा है महावीर निर्वाण के ६०५ वर्ष बाद शक लोगो की गणना आरम्भ की गई। अतएव महावीर निर्वाण सम्बत् ६०५-७८ ई० = ई० पू० ५२७ में स्थिर हो जाता है। दिगम्बर जैन लोगो की परम्परा पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने महावीर निर्वाण तथा शक संवत् में ४६१, ७९५ या ७९२ वर्ष का अन्तर बतलाया है।

हाथी गुम्फा के लेख में एक वाक्य 'पनतरिय सठ बस सते राज मुरिय काले' उल्लिखित है जिसका अर्थानो ने विभिन्न अर्थ किया है। स्टेन कानो ने उसे 'मौर्यकाल (सम्बत्) के १६५ वर्ष के अर्थ में अनूदित किया। उनका मत था कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने एक सम्बत् चलाया था जो खारवेल के समय कलिङ्ग में प्रचलित था। मूल पाठ को भी कुछ विद्वान् विवादास्पद मानते हैं। 'पान तेरीय मतमहहेहि, मुखिय कल वाच्छिन' को शुद्ध पाठ मानते हैं जिसका अर्थ है कि कई सहस्र मुदा व्यय करके स्वप्न प्रतिष्ठापित किया और प्रजा को मुख्य कला-गोत नृत्य-आदि से प्रसन्न किया। इस संवत् के मानने में एक दूसरी कठिनाई है कि इस गणना (१६५ मौर्य काल) में खारवेल की तिथि ३२१ - १६५ = ई० पू० १५६ हो जाती है (जब ई० पू० ३२१ मौर्य काल माना जाय) जहाँ खारवेल ई० पू० पहली सदी में शासन करता रहा। तीसरे कठिनाई यह है मौर्य संवत् के सम्बन्ध में साहित्यिक अथवा लेखों का प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

ईसा पूर्व सदी में प्राचीन भारत में एक संवत् को स्थापना हुई जिसके संस्थापक के

विषय में गहरा विवाद है। साहित्यिक तथा प्रशस्तियों के आधार पर यह कहा जाता है कि ई० पू० ५७ वर्ष में एक गणना प्रारम्भ हुई जिसके तीन पृथक-पृथक विक्रमो सम्बत् नाम मिलते हैं। (१) कृत सम्बत् (२) मालव सम्बत् तथा (३) विक्रम संवत् या सवत्सर। समस्त प्रमाणों के अध्ययन से यह पता चलता है कि तीनों गणना का आरम्भ ई० पू० ५७ वर्ष से हुआ। ऐसी परिस्थिति में यह विचारणाय विषय है कि तीनों नाम एक ही गणना (सम्बत् या काल) के लिए प्रयुक्त मिलते हैं अथवा तीनों एक गणना के विभिन्न नाम हैं। इसे जानने के पश्चात् यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि एक गणना की तीन संज्ञा क्यों कर दी गई ?

साधारणतया इसका समाधान यों किया जाता है कि मालव के गणमुख्य विक्रमादित्य ई० पू० में शासन करते थे जिन्होंने आततायी शक लोगों का परास्त किया और देश में सुख शान्ति का राज्य हो गया। इसे दूसरे शब्दों में कृतयुग कहने लगे (वैभव पूर्ण समय)। ई० पू० ५७ वर्ष में मालव गण द्वारा विजय के उपलक्ष में एक सम्बत् चलाया गया जो कृत (सत) युग को परिस्थिति हो जाने के कारण कृत (सम्बत् के) नाम से पुकारा गया। कालान्तर में शक शासकों ने मिन्धु, मुराष्ट्र तथा अवन्ति के भू भाग पर अधिकार कर लिया। अवन्ति के उत्तर पूरव भूभाग के निवासी माडव गण अपने जाति तथा प्रांतस्था को पुनर्जीवित करने में दत्तचित्त थे। अभिलेखों से पता चलता है कि इस गणना के साथ मालव नाम जोड़ दिया गया और इसी कारण वह सम्बत् मालवा सम्बत् नाम से विख्यात हुआ।

राजपुताना तथा मध्यभारत के लेखों से निम्न प्रकार के उद्धरण हम कथन को प्रामाणित करते हैं—

कृतयोर्द्वयो वर्षशतयोर्द्वय । (नदसा मूपलेख)

कृते हि २०० + ८० + ४

कृते हि २०० + ९० + ५ फाल्गुन शुक्लस्य ५ (बड़वा यूप लेख)

कृते हि ३०८ + ३० + ५ (बर्नाला प्रशस्ति)

कृतेषु चतुषु वर्षशतेष्वष्टा दिशेषु

श्री मालव गणाम्नाते प्रशस्ते कृत सजिते (मदसौर लेख नरवर्मन-वर्ष ४६१)

इसमें कृत तथा मालव नाम एक ही स्थान पर उल्लिखित हैं।

इन सब उद्धरणों में स्पष्ट ही जाता है कि मालव गण के नाम की गणना पहले कृत नाम से प्रसिद्ध थी। इस आधार पर यह भी ज्ञात होता है कि छठी सदी में पूर्व के लेखों में कृत संज्ञा ही विक्रम सम्बत् प्रसिद्ध था।

छठी सदी के कई लेखों में मालव सम्बत् का उल्लेख पाया जाता है। पथम कुमार गुप्त के मदसौर लेख में मालव गणना (सम्बत्) में तिथि ४९३ मिलती है—

मालवाना गणस्थित्या याते शत चतुष्टये

त्रिनवत्यधिकेज्जदानाम्प्रितौ मेव्यधनस्तने ।

मालवा के राजा यशोधर्मन के मदसौर वाली प्रशस्ति में उसी सम्बत् का उल्लेख निम्न शब्दों में पाया जाता है—

पञ्चगुणतेषु शरदा यातेष्वेकाग्रनवति सहितेषु
मालवगण-स्थिति बशात्काल—जानाय लिखितेषु

(मालवगण के स्थापना के बाद ५८९ वसत । जान के लिए लिखा गया) एक तीसरे लेख में
संवत् शतै यातै सपञ्च—
नवत्यर्गलैः सप्तभिर्मालवेज्ञा”

(मालव मुख्य के ७९५ वें वर्ष में) का उल्लेख मिलता है । दसवीं सदी तक के ग्यारमपुर
(मालवा) के लेख में—“मालव कालाच्छरदौषट्” मालव शब्द ही व्यवहृत होता रहा ।

मालव (कृत) सम्बत् का प्रयोग उत्तर पश्चिम भारत के लेखों में आरम्भ हुआ । इसके पश्चात् मालवा में प्रचलित रहा । उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ईशान वर्मा की हरहा प्रशस्ति में मालव सम्बत् का प्रयोग देख पड़ता है । सम्भवत वडवा यूप लेख में उल्लिखित मौखरि लोगों ने मध्यप्रदेश में आकर इस सम्बत् का प्रचार किया । हरहा के मौखरि तथा राजपूताना (वडवा) की शाखा द्वारा उत्तरी भारत में सम्बत् का प्रचार हुआ ।

नवीं शताब्दी के पश्चात् लेखों में “विक्रम नृप कालातीत सम्बत्सर” “श्री विक्रमा-
दित्योत्पादित सम्बत्सर” या “श्री विक्रमादित्य काले,” “विक्रमाख्यस्य वैशाखस्य,” “विक्रम-
काले गते तु शुचिमासे” या “विक्रम सवत्सर” के वाक्य मिलते हैं । इसलिए यह पकट होता है कि उस काल (सम्बत्) का तीसरा नाम विक्रम सम्बत् पड़ा । तात्पर्य यह है कि तीनों नाम एक सम्बत् के लिए प्रयुक्त होते रहे ।

पाल (भागलपुर ताम्रपत्र) प्रतिहार परमार, चेदि तथा चहुमान लेखों में केवल सम्बत् शब्द का प्रयोग मिलता है ।

ऊपर यह कहा जा चुका है कि वैभषपूर्ण काल के (कृतयुग) कारण गणना का कृत नाम पड़ा हो जो आगे चलकर मालव गण के नाग से सम्बन्धित कर दिया गया । ईसवी चौथी सदी में गुप्त सम्राट द्वितीय चन्द्रगुप्त (जिसको पदवी विक्रमादित्य की थी) ने मालवा तथा काठिया-
वाड के शक क्षत्रप शासकों को परास्त किया और वह भाग पश्चिम को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया । पहले शक लोगों को परास्त कर ही यह गणना (सम्बत्) आरम्भ हुई । पुन उन्ही शकों को गुप्त सम्राट विक्रमादित्य ने पराजित किया । सम्भवत इस विजय के स्मारक में प्राचीन सम्बत् का नाम बदल कर विक्रम-सम्बत् कर दिया गया । यकारि चन्द्रगुप्त के विजय का उल्लेख भिलसा के समीप उदयगिरि की गुहा लेल में पाया जाता है (कृत्स्न पृथ्वी जयात्थेन राजैवेह सहागत) कि राजा के साथ सेनापति वीरसेन भी मालवा में आया था । यही नहीं शक विजय के कारण ही द्वितीय चन्द्रगुप्त ने सर्वप्रथम चांदी का सिक्का (अर्द्धद्रम) चलाया जो सर्वथा क्षत्रप सिक्को का अनुकरण था । अतएव इसमें सदेह नहीं कि शकों का अंतिम पराजय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के हाथों हुआ था । इस कारण सम्बत् के साथ विक्रम का नाम जोड़ना स्वाभा-
विक था । ‘मालव सम्बत्’ विक्रम सम्बत् के नाम में पुकारा जाने लगा जिसका उल्लेख प्रशस्तियों में पाया जाता है । मालव, आर्जुनायन तथा यौवेयगण राज्यों को चन्द्रगुप्त के पिता समुद्रगुप्त ने ही नष्ट कर दिया था (प्रयाग का स्तम्भ लेख) विक्रमादित्य द्वारा शकों के पराजय होने

पर भी मालवा की जनता मालव सम्बन्ध का प्रयोग करती रही। यही कारण है कि कुमारगुप्त को भी मद्रसौर वाले लेख में मालवा सम्बन्ध का प्रयोग करना पड़ा जब कि उसके अन्य सभी लेख गुप्त सम्बन्ध में तिथियुक्त हैं। यशोधर्मन का मद्रसौर लेख (मा० स० ५८९ = ई० स० ६४६) की तिथि मालव सम्बन्ध में दी गई है। तैबों में ८वीं सदी के पश्चात् विक्रम सम्बन्ध के प्रयोग का एक यह भी सम्भावित कारण है कि उस सदी के बाद जनता में गणराज्य की कल्पना सदा के लिए लुप्त हो गई। राज्यतन्त्र का बोलबाला हो जाने में लोगों ने भारतीय संस्कृति के रक्षक विक्रमादित्य को आदर्श सम्राट् मान कर विक्रम पदवी को प्राचीन सम्बन्ध के साथ जोड़ दिया। किन्तु चौथी सदी में मालवा के विजित हो जाने पर भी सम्बन्ध के साथ विक्रम नाम ९वीं सदी के बाद ही पाया जाता है। उत्तरी भारत में गुर्जर पतिहाण शासकों के द्वारा वि० स० की लोकप्रियता बढ़ी। बिहार प्रदेश में सर्वप्रथम वि० स० ८९८ का उल्लेख मिथिला के विद्वान् वाचस्पति मिश्र ने 'व्याय मुनि' में किया है।

विक्रम सम्बन्ध के आदि सस्थापक का प्रश्न आज भी विवादास्पद है। मार्शल रा कथन था कि शक राजा अवस ने ई० पू० ५७ में यह गणना आरम्भ की। गोपाल स्वामी ऐय्यर चट्टन को इसका सस्थापक मानते हैं। डा० नाथमनाथ रा मत था कि आश्रम गणेश गीतमी पुत्र शातकर्णि ने शका को पराजित कर इसे आरम्भ किया था। डा० अलतेकर आदि कृत नाम को व्यक्तिगत नाम मानते हैं। कुत नामधारी राजा अथवा मेनापति के राजा इस सम्बन्ध की स्थापना की गई होगी, इसीलिए उस गणना का नाम कुत सम्बन्ध रखा गया। इन सब विभिन्न मतों का मूल कारण यह है कि ई० पू० ५७ वर्ष में मालवा के शासक विक्रम नामक राजा की स्थिति सिद्ध न हो सकी है। विक्रम नाम से क्रिमी ऐतिहासिक पुराण के सम्बन्ध में स्पष्ट ज्ञान नहीं है। इसने किसी विजय के बाद में काल गणना आरम्भ किया ही। इनने विवेचन के पश्चात् भी विक्रम सम्बन्ध के विषय पर अभी तक पर्याप्त प्रकाश नहीं पट सका है।

विक्रम सम्बन्ध किस समय आरम्भ किया गया इन विषय में अर्भलेखों तथा साहित्यिक उल्लेखों द्वारा प्रकाश पड़ता है। मेरुगुणाचार्य की पाठावली में महावीर निर्वाण के ४७० वर्ष बाद विक्रम सम्बन्ध का आरम्भ बतलाया गया है (निर्वाण ई० पू० आरम्भ काल ५२६-४७० यानी ई० पू० ५७ वर्ष) कालिकाचार्य कथानक (तैर-हवी सदी) में ई० पू० ५७ वर्ष में विक्रम द्वारा शक पराजय की बात उल्लिखित है। विक्रम काल के १२५ वर्ष में शक सम्बन्ध आरम्भ हुआ, यानी १३५-३८ ई० = ई० पू० ५७ में विक्रम सम्बन्ध आरम्भ जात है। गुप्त सम्राट् कुमारगुप्त के मद्रसौर लेख में ४९३ मालवा सम्बन्ध की तिथि दी गई है। उसके करमदण्ड लेख की तिथि ११७ गु० स० है यानी वह ११७ + ३२० = ई० स० ८३७ में सामक था। अतएव ई० स० ४३६ तथा मालव सम्बन्ध ४९३ एक ही वर्ष होगा (ई० स० ४०६ = मालव सम्बन्ध ८९३) इसके अनु-

१ पल्लव और कुत नाम से पापित राजा मालव शब्द से भा प्रचलित हुआ, महा अजातिप विक्रम सम्बन्ध है। कुत शब्द कानिक नाचो हा गकता है जो नाम (यशोवर्ध) मद्रसौर इतिहास में सम्बन्धित है। आरम्भ से कुतका गणना का नाथम होने के कारण सम्बन्ध कुत नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सार मालव सम्बत् ४९३-४३७ = ५७ ई० पूर्व में आरम्भ माना जा सकता है। दोनों आधार पर विक्रम सम्बत् का आरम्भ ई० पू० ५७ में सिद्ध होता है। उत्तरी भारत में यह सम्बत् चैत्र शुक्ल से तथा दक्षिण भारत में कार्तिक शुक्ल १ से प्रारम्भ मानते हैं। बंगाल को छोड़कर समस्त भारत में आज भी विक्रम काल (सम्बत्सर) प्रयुक्त होता है। बंगाल के सम्बत् को फसली कहते हैं जो हिजरी का ही एक सुसंस्कृत रूप है।

इस विषय का उल्लेख किया गया है कि कुषाण वंशी लेखों, पश्चिमी भारत के क्षत्रप प्रशस्तियों तथा सिक्को पर एक ही सम्बत् का प्रयोग मिलता है तथा उसी के सहारे आध्र लेखों की भी तिथियां (राज्य वषािक में) क्षत्रप समकालीनता के आधार पर निश्चित हो जाती है। यह भारतीय गणना नहीं थी, क्योंकि शक लोगो द्वारा मालवगण को परास्त कर मालव-सम्बत् का प्रयोग असंगत था, इस कारण यह मानना उचित होगा कि शक नरेशों ने पृथक् सम्बत् की स्थापना की। उस शक सम्बत् की स्थापना कब और किसके हाथों हुई ? जैन ग्रंथ प्रभावक चरित' में कालिकाचार्य कथा तक उल्लिखित है कि शक लोगो ने अपना सम्बत् चलाया था। शक लोगो ने विक्रम के उत्तराधिकारी को विक्रमादित्य के १३५ वर्ष में मार डाला। साहित्य में उसी काल से शक गणना का आरम्भ मानने है। विक्रमादित्य द्वारा सस्थापित काल ई० पू० ५७ में १३५ जोड़ने में शक-काल ई० स० ७८ में स्थापित सिद्ध हो जाता है (ई० पू० ५७ - १३५ = ई० स० ७८)। कुछ विद्वानों का मत है कि रुद्रदामन (ई० स० १५०) के पितामह चण्डन शक वंश का प्रथम महाक्षत्रप हुआ और सम्भवत उसी ने इस गणना को आरम्भ किया। परन्तु इसका कोई सबल प्रमाण नहीं है। अधिकतर यह विचार यथार्थ ज्ञात होता है कि कनिष्क ने इस सम्बत् को आरम्भ किया था जो कालान्तर में 'शक काल' से प्रसिद्ध हुआ। शक सम्बत् से सम्बन्धित लेखों में निम्न प्रकार का उल्लेख पाया जाता है—

- (१) शक नृपति राज्यभिषेक सबत्सर (६० ए० भा० ९ पू० ५८)
- (२) शक नृपति सबत्सर (वही भा ६ पू६ ७३)
- (३) शक नृप सबत्सर (वही १२ पू० १६)
- (४) शक सम्बत् (ए० इ० भा० १ पू० १६)
- (५) शक या शाके (वही पू० ३४३)
- (६) शक नृप काल (ए० इ० भा० ३ पू० १०९)

इस आधार पर कहना न्याय संगत होगा कि पाचवी सदी से बारहवी सदी तक के लेख शक-काल (सम्बत्) का उल्लेख करते हैं। पश्चिमी भारत में क्षहुरान शक नृहपान के लेख में शक काल प्रयुक्त मिलता है। क्षत्रपों के सिक्को पर भी तिथि इसी सम्बत् में सम्बन्धित है। उस तिथि का आरम्भ जीवनदामन के सिक्को से होता है। १००, १०२, ११९ आदि अंक मिलते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ लेख में ७२ की तिथि मिलती है जो ई० स० १५० (७२ + ७८) मानी जाती है। यह तो सही है कि शक क्षत्रप आरम्भ में सामन्त रहे अत अपने सन्नाट कुषाण के काण्ड का प्रयोग करने लगे। उनके द्वारा अधिक प्रयोग होने के यह गणना शक काल के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। यह सही है कि कुषाण राजा कनिष्क (ई० स० ७८ में) के गद्दी

पर बैठने के कारण उस गणना का आरम्भ हुआ हो जो आज तक शक-काल के नाम से प्रसिद्ध है। इस सम्बन्ध के सस्थापक के विषय में बड़ा ही मतभेद है। एकीट तथा केनेडी कनिष्क को इसका सस्थापक नहीं मानते। उनके कथनानुसार उसने विक्रम सम्बन्ध की स्थापना की थी। फरगुसन, आल्टेन वर्ग, वनैर्जी तथा राय चौधरी का मत है कि कनिष्क ने ही सन् ७८ में शक सम्बन्ध को आरम्भ किया था। कुषाण वंश के लेखों में ३-९३ वें वर्ष की तिथि अंकित है जो सम्बन्ध में दी गई है। इस आधार पर कनिष्क ई० स० ७८ में ई० स० १०९, वशिष्क ई० स० १०२-६ तक, हुविष्क ई० स० १०६-३८ तक तथा वामुदेव ई० स० की दूसरी शती का शासक प्रकट होता है। कुषाण साम्राज्य के अवनति पश्चात् भी शक सम्बन्ध का प्रयोग उत्तरी भारत में मिलता है। कौशाम्बी के मग राजाओं ने अपने लेखों में 'शक-सम्बन्ध' का प्रयोग किया था। कौशाम्बी नरेशों के लेख में ८७, ८८ तथा ८९ तिथियाँ (= १९५, १९६, १९७ ई०) कोसम अभिलेख में १०७, १३०, १३७ शक-काल (= १८५, २०८ तथा २१५ ई०) का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी के समीप गिजा में वर्णन आता है कि शक काल ५२ = १३० ई० में भीमसेन शासन करता था। कौशाम्बी से दूर रोवा के वदोयड लेख में पोथासिरि नामक राजा के लेख में शक-काल सम्बन्धी तिथि अंकित है। (ए० इ० भा० २४ पृ० १४६) श्राँसी (प्रयाग के समीप) तथा वैजनाथ (कागडा) लेखों में शक सम्बन्ध का प्रयोग हुआ है। कैलवान् लेख (ए० इ० भा० ३१ पृ० २२९) को तिथि १०८ है जो सभी शक सम्बन्ध सन् ७८ में सम्बन्धित है। पूर्वी मालवा का अभिलेख वाशिष्क के २८ वें वर्ष में उत्कीर्ण हुआ जिसका तिथि शक-सम्बन्ध में मानने में ही निश्चित बाल ज्ञात होता है। डा० मजूमदार का कथन (शक-सम्बन्ध ई० स० २८४ में आरम्भ हुआ था) मानने से चौथी सदी तक मालवा में कुषाण शासन की स्थिति प्रकट होती है। किन्तु द्वितीय चन्द्रगुप्त ने उस प्रदेश पर गुप्त शासन चौथी सदी के आरम्भ में ही स्थापित किया था जो उसके साचो तथा उदयगिरि अभिलेखों के आधार पर सिद्ध हो जाता है। मध्य एशिया के रूसी पुरातत्व सम्बन्धी पत्रों की तिथियाँ (२०७ तथा २३१) भी कनिष्क सम्बन्ध सन् ७८ में जुड़ी हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि कनिष्क ने ई० स० ७८ में शक-सम्बन्ध की स्थापना की। अन्य विचार व्यर्थ हैं। शक युग के इतिहास पर अधिक प्रकाश पड़ने पर हम इनो निर्णय पर पहुँच सके हैं। इसके स्थापना के पाच सौ वर्षों के बाद ही लेखों में 'शक-सन्-काल' या 'शक-वर्ष' का उल्लेख मिलता है जो यह सिद्ध करता है कि शक द्वारा काल स्थापना की परम्परा लोगों को ज्ञात थी। चालुक्य नरेश द्वितीय पुलकेशि के अयहोल लेख में भी इस प्रकार की रचना मिलती है।

पञ्चाशत्सु क्ली काल पट्सु पञ्चशतासु च
समानु समतीतासु शकानामपि भूभुजाभ्

दक्षिण तथा पश्चिमी भारत में शक तथा कुषाण में भ्रम हो गया। मध्ययुग में शक काल से विवेकाभावना जाती रही। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषा एवं गणितज्ञ बराह मिहिर ने शक काल का प्रयोग ग्रहों में किया तथा गुजरात के जैन लेखक भी शक सम्बन्ध का प्रयोग करते रहे। इस सम्बन्ध का प्रयोग दक्षिण के कन्नड तथा कर्नाट लोगों ने किया। कर्नाट क्षत्रिय बंगाल में निवास कर सेन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। उत्तरी विहार, के लच्छवी

एवं नेपाल में शक काल का प्रयोग मिलता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा कौशांबी का वर्णन किया जा चुका है। दक्षिण के प्रसिद्ध राजा शालिवाहन (सातवाहन) का नाम कालान्तर में जाड़ दिया गया। इस कारण दक्षिण के यादव नरेश कृष्ण के ताम्रपत्र में ११७२ शक काल तथा उदयभट्ट काव्य में शालिवाहन शक ११४४ का प्रयोग मिलता है। अतएव यह स्पष्ट है कि दक्षिण भारत के शक काल को (श० का० ५५६), (ए० इ० भा० ६ पृ० १) शालिवाहन-शक की संज्ञा दी गई है। चौदहवीं सदी के लेखों में शालिवाहन शक-काल का उल्लेख है जो सम्भवतः दक्षिण में शक सवत्सर (वर्ष) का द्योतक था। दक्षिण की राजनीतिक परम्परा में शालिवाहन (सातवाहन) नरेश प्रसिद्ध थे अतएव उस सवत्सर के साथ शालिवाहन नाम जोड़ देना उचित ही था। सारे भारत में इस शक-काल की गणना का समान प्रयोग होता रहा है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने शक-सम्बत् का राष्ट्रीय-सम्बत् मान लिया है।

गुप्त सम्बत्

राष्ट्रीय ऐतिहासिक गवेषण में विद्वानों को अमुक राजा वा राजवंश के काल निर्णय में अत्यन्त परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पूर्वकाल में भारत के विभिन्न-प्रान्तों में अनेक सम्बत् प्रचलित हुए थे, जिन्हें निश्चित समयों पर पृथक-पृथक राजाओं ने स्थापित किया था। इन सम्बत्तों के आधार पर भारत का तिथि-क्रम युक्त श्रृंखला-बद्ध इतिहास लिखने में बड़ी सहायता मिली है। गुप्त लेखों में 'गुप्त काल' और गुप्त वंश की राज्य-परम्परा का स्पष्ट उल्लेख है जिससे काल निर्णय में सरलता ही जाती है। यह सम्बत् (गुप्त-संवत्) किस राजा ने आरम्भ किया इस विषय में लिखित प्रमाण अलभ्य है।

प्रायः नमस्त गुप्त लेखों में एक प्रकार की तिथि का उल्लेख मिलता है जिस से उस सम्राट की शासन अवधि स्थिर की जाती है। सब तिथियों के अनुशीलन में यह प्रकट होता है कि तिथि का क्रम शनैः शनैः एक शासक ने उसके उत्तराधिकारी के लेख में बढ़ता जाता है। गुप्त सम्राट् द्वितीय चन्द्रगुप्त के लेखों में ८२ या ९३ आदि तिथिया उल्लिखित हैं^१ तो उसके पुत्र प्रथम कुमार गुप्त की प्रशस्तियों में ९६, ९८, ११७, १२९ आदि तिथियाँ मिलती हैं^२। इन अंकों से यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि द्वितीय चन्द्रगुप्त ने ९३ वर्ष तक शासन किया तथा प्रथम कुमारगुप्त २२९ वर्ष तक राज्य करता रहा। यदि इन अंकों पर विचार किया जाय तो स्पष्ट ही जाता है कि गुप्त सम्राट् किसी अमुक समय से काल गणना करते थे। ये अंक यही सूचित करते हैं कि गुप्त नरेश ९३ वें वर्ष तथा १२९ वें वर्ष में शासन करते रहे।

निर्णय लेखों तथा ग्यारहवीं शताब्दी के मुसलमान इतिहासज्ञ अणुवेरूना के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्तों के नाम से किसी समय की गणना होती थी, जिसे 'गुप्त-काल' या 'गुप्त-संवत्' कहते हैं। इस वंश के लेखों को समस्त तिथियाँ इसी गुप्त सम्बत् में दी गई हैं। गुप्त सम्राट् स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ लेख में स्पष्ट रीति से उल्लेख है कि इस प्रशस्ति की तिथि 'गुप्त-काल' (गुप्त-संवत्) में दी गई है।

गुप्त-संवत् का नामोल्लेख

^१ श्री चन्द्रगुप्तस्य विजय राज्य सम्बत्सरे (का० इ० भा० ३ न० ५ ७)

^२ श्री कुमारगुप्तस्य अभिगर्भमान विश्वराज्ये सवत्सरे वर्णनवते' यही न० =, १०, ११

सवत्सराणामधिके शते तु विशद्भिरन्यैरपि पद्भिरेव ।
रात्रो दिने प्रौष्ठापदस्य पठे गुप्तप्रकाले गणना विधाय^१ ॥

गुप्त नरेश द्वितीय कुमारगुप्त तथा बुधगुप्त के सारनाथ वाले लेख में भी गुप्त-संवत् का नामोल्लेख मिलता है^२ ।

‘वर्षे शते गुप्ताना सवतु पचाशदुत्तरे भूमि ।
शासति कुमारगुप्ते मासे ज्येष्ठे द्वितीयायाम्’
‘गुप्ताना समतिक्रान्ते सप्तपचाशदुत्तरे ।
शते समाना पृथिवी बुधगुप्ते प्रशासति’ ॥

बगाल के गौड नरेश अशाके के गजाम लेख में “गौसाब्दे वर्ष शतश्रये” की तिथि उल्लिखित है । (ए० इ० भा० ६ पृ० १४३)

ईसा की दसवीं शताब्दी के मोरवि ताम्रपत्र में भी तिथि का उल्लेख गुप्त संवत् में पाया जाता है । उस ताम्रपत्र में ‘गौमे’ शब्द से स्पष्ट प्रकट होता कि गुप्त लोगों की भी कुछ काल-गणना थी^३ ।

‘पञ्चाशीत्या युतेर्ताते समाना शतपञ्चके
गौप्ते ददावदो नृप सोपरामेकमण्डले’ ॥

गुप्त सम्राटों के सामंत परिव्राजक महाराजाओं के लेखों में तिथि का उल्लेख ‘गुप्तनृपराज्यभक्तौ’ के साथ मिलता है^४ । अतः यह निर्विवाद है कि गुप्त संवत् की अवश्य स्थापना हुई जिस समय से गुप्तों की काल गणना प्रारम्भ हुई ।

ग्यारहवीं शताब्दी में महमूद गजनवी के समकालीन इतिहास अलबेरूनी भारत आया । उसने भारत के अनेक विषयों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है । भारतीय सत्रतो की बातों को उसने अछूता नहीं छोड़ा, परन्तु अक्षरशः उसका वर्णन को सत्य अलबेरूनी का कथन नहीं माना जा सकता । अलबेरूनी ने गुप्त-संवत् के बारे में भिन्न विवरण दिया है—‘लोग कहते हैं कि गुप्त शक्तिशाली तथा क्रूर नरेश थे । जब उस वंश की समाप्ति हुई उसी समय से इस संवत् की गणना होने लगी । यह भी ज्ञात होता है कि बलभ प्रतापी राजा था क्योंकि बलभी संवत् के समान गुप्त काल की गणना एक काल के २४१ वर्ष ($६^३ + ५^२ = २१६ + २५ = २४१$) बाद प्रारम्भ होती है^५ ।

१. गु० ले० न० १४ ।

२. आ० सं० नि० १९४६४ ।

३. गु० ले० भूमिका ७७ । इस ताम्रपत्र के गोप्ते को समता पल्लिट किता धाम से मतलब है, परन्तु परन्तु यह निर्धारित है कि इसका सम्बन्ध गुप्त लोगों से है । (क्लेमेण्टेड बकम आर्क र मण्डारकर भा० ३ पृ० ३१३—४) ।

४. गु० ले० न० २३, २३, २५ आदि ।

5. As regards the Gupta Kala, people say that the Guptas were

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि जिस गुप्तकाल या गुप्त-संवत् का उल्लेख किया गया है, वह किस समय चलाया गया तथा इसके प्रतिष्ठाता कौन थे ?

इस संवत् के समय निर्धारित करने में अलबेहनी में बहुत सहायता मिलती है। अनेक संवत्तो की समानता दिखलाते हुए अलबेहनी से (१) १०८८ विक्रम संवत् (२) ९५३ शक संवत् (काल) तथा (३) वशम काल = गुप्त काल का उल्लेख किया है, जिससे कथन की पुष्टि होती है कि गु० म० शक काल से २४१ वर्ष बाद प्रारम्भ हुआ था। अलबेहनी के इन संवत्तो की तिथि गणना वैज्ञानिक रीति से सही है, परन्तु उसके समस्त वर्णन जनश्रुति के आधार पर लिखे गये हैं। उसके कथन से ज्ञात होता है कि गुप्त-संवत् उस वश के नष्ट होने पर प्रारम्भ हुआ। बलभ, जो बलभी नगर (सौराष्ट्र में स्थित) का शासक था, उस वश का अंतिम नरेश था। बलभी संवत् उसी के नाम से प्रारम्भ हुआ। अलबेहनी का समस्त विवरण जनश्रुति के कारण अविश्वसनीय है। उसकी अप्रामाणिकता के लिए अन्य प्रमाण भी दिये जा सकते हैं। अलबेहनी लिखता है कि शक काल विक्रमादित्य द्वारा शक वराज्य के समय में प्रारम्भ हुआ^१, परन्तु चालुक्य-प्रज्जस्तिकार रविकीर्ति ने शक संवत् का आरम्भ एक राजा की गतामनाम्न होने के समय में बताया है^२, जो वस्तुतः ठीक सिद्धांत है। इसी प्रकार गुप्तों के विषय में भी उस इतिहासज्ञ ने असत्य बाने लिखे हैं। यदि बलभी लेखों पर ध्यान दिया जाय तो अलबेहनी का कथन सर्वथा अग्राह्य हो जाता है।

बलभ में मंत्रको के मेनार्पण भट्टारक ने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था। उसके तीसरे पुत्र प्रथम द्रुवसेन के एक काल में २०६ तिथि का उल्लेख मिलता है^३। यदि बलभी राज्य स्थापन के अन्तर पर बलभी संवत् का आरम्भ हुआ हो तो यह कहना असम्भव है कि बलभी वश के संस्थापक (भट्टारक) के २०६ वर्ष परवान् उनका पुत्र प्रथम द्रुवसेन शासक हुआ। अतएव इस तिथि पर बलभी संवत् में कुछ भी सम्बन्ध प्रकट नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में बलभी राज्य में किसी अन्य संवत् का पंचार मानना आवश्यक है जिसमें उक्त वश की तिथियां मिलती हैं। ऐतिहासिक पण्डितों ने बलभी लेखों की तिथियों को गुप्त-संवत् से सम्बद्ध किया है। इस विवाद का परिणाम यहो ज्ञात होता है कि गुप्ता के अधीनस्थ मंत्रको ने (स्वतन्त्र होने के समय से) बलभी में प्रचलित गुप्त-संवत् का बलभी संवत् का नाम दे दिया। अतः यह कहना युक्तिमय होगा कि बलभी संवत् नामक कोई स्वतन्त्र गणना नहीं थी, परन्तु गुप्त संवत् का दूसरा नाम ही। इस आधार पर अलबेहनी का वर्णन अग्राह्य है, किन्तु तिथि उल्लेख प्रमा-

wicked and powerful people. When they ceased to exist this date was used as the epoch of an Era. It seems that Valabha was the last of them, because the era of the Guptas falls, like that of the Valabha era, 241 years later than the Saka Kal.

—अलबेहनी शिखा, भा० २ पृ० ७।

१ अलबेहनी शिखा, भा० २ पृ० ६।

२ पचाशस्तु काली काले पट्टु षडसतासु च।

समाप्त समतीतानु शकानामपि भूभुजाम् —अबहोल का लेख शक संवत् ५५६—२० भा० ६ पृ० १।

३ ६० हि० वश० भा० ४ पृ० ४६०।

णयुक्त है। उसके कथनानुसार गुप्त सवत् भी शक काल से २४१ वर्ष बाद प्रारम्भ हुआ जो अन्य प्रमाणों से भी सिद्ध होता है। कुछ जैन ग्रन्थों से भी इसको पुष्टि होती है कि गुप्त-संवत् शक काल से २४१ वर्ष पश्चात् आरम्भ हुआ था।

आठवीं शताब्दी के प्रथम लेखक जीमसेन ने वर्णन किया है कि भगवान् महावीर के निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ माह पश्चात् शक राजा का जन्म हुआ तथा जैन ग्रन्थों के आधारपर शक के अनन्तर और गुप्तों के २४१ वर्ष शासन के बाद कल्किराज गु० स० तथाश० का० का जन्म हुआ^१। द्वितीय ग्रन्थकार गुणभद्र ने उत्तर पुराण में (८९८ का अन्तर (२४१) ई०) लिखा है कि महावीर निर्वाण के १००० वर्ष बाद कल्किराज पैदा हुआ^२। जीमसेन तथा गुण भद्र के कथन का समर्थन तीसरे जैन लेखक नेमिचन्द्र करते हैं^३।

नेमिचन्द्र त्रिलोकसार में लिखते हैं कि शकराज महावीर निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ माह के बाद तथा शककाल के २९४ वर्ष ७ माह के पश्चात् कल्किराज पैदा हुआ^४।

इनके योग में—वर्ष	माह
६०५	५
२९४	७
१०००	००

वर्ष होते हैं। इन तीनों जैन ग्रन्थकारों के कथनानुसार शक काल तथा कल्किराज का जन्म निश्चित हो जाता है। इस शक काल की तिथि को विक्रम गणत् में परिवर्तन करने से शक,

१. सुसामा च शकद्वयम्

शक निश्चल निर्वाण कालात्तमिन्द्राहतम् ।

द्विन्द्वारिशद्वेवात् कल्कि राज्य राजता ।

ततोऽजिनयो राजा क्यादिन्द्रपुरसारथत ।

वर्षाणि षट्शतो त्यक्त्वा दशायामासपञ्चकम् ।

मुक्त गते महावीर शकराज तदाऽभवत् ।—जीमसेनदत्त द्वारा दी गयी व्याख्या पृ०

२. २० पृ० मा० १५ पृ० १०३ ।

३. नामचन्द्र की तथा दशता शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। एक लेख से नेमिचन्द्र चामुण्डराय का राजकाय प्राप्त होता है—

त्रिलोकसार प्रमुखमन्थान् ।

(विग्रह्यन्तान्) गुप्त नेमिचन्द्र

विमान मन्थान्निह्नाभ्याम् ।

चामुण्डरायनि उत्तरार्ध पद्य —(नाम लेख्य २३ का० मा० ८)

वह (चामुण्डराय), गुप्त राजा राममल्ल चतुर्थ का ५० स १९५७ के लगभग मनी था जो श्रवण बलमोला की प्रशासक से पता चलता है (राधस—बलमोला का जन्म भूमिका पृ० २४) इस आधार पर नेमिचन्द्र की तिथि निश्चित की गई है।

४. पण छमाय वन पणमास सुदं गर्भयि वीर्याण जुरधो सगराजो सो कल्किचतुण वनिय महिय सगमासं (त्रिलोकसार पृ० ३२)

विक्रम तथा ई० स० मे समकालीनता बताई जा सकती है जिसके कारण गुप्त काल को निश्चित करने मे सरलता हो जाती है । ज्योतिषसार के आधार पर यह ज्ञात है कि शक काल में १३५ जोड़ने से यह तिथि विक्रम संवत् में परिवर्तित हो जाती है^१ । शक काल के ३६४ वर्ष पश्चात् कल्किराज पैदा हुआ जो ५२९ विक्रम (३९४ + १३५) होता है^२ । गुप्त सम्राट् प्रथम कुमारगुप्त के मदमौर के लेख मे दूसरी तिथि मालव-संवत् ५२९ का उल्लेख है^३ । मंदसौर लेख की पटली तिथि ४२९ वि० दूसरी तिथि से ३६ वर्ष पूर्व है । अतएव प्रथम कुमारगुप्त शक ३५८ (४९३-१३५) मे बन्धुवर्मा के साथ शासन करता था^४ ।

गुण भद्र के कथनानुसार कल्किराज का शक ३६४ के पश्चात् माघमंजुस्तर प्रारम्भ शक तथा गुप्त काल का होता है^५ । बराहमिहिर ने भी कुछ निम्नलिखित व्यतीत शक

सम्बन्ध	शक संवत्सरो का वर्णन किया है ^६ —	व्यतीत	माघ	मजुस्तर
शक	३९४	व्यतीत	माघ	मजुस्तर
„	३९५	„	फाल्गुन	„
„	३९६	„	चैत्र	„
„	३९७	„	वैशाख	„

शक ३९७ के वैशाख संवत्सरे का उल्लेख परिव्राजक महाराज हस्तिन् के खोह लेख १५६ मे मिलता है ।^७ इस आधार पर शक तथा गुप्त काल मे निम्नलिखित समता तैयार की जा सकती है —

शक ३९४ = माघ	संवत्सरे = गुप्त-मजुत	१५३	व्यतीत
„ ३९५ = फाल्गुन	„ = „ „	१५४	„
„ ३९६ = चैत्र	„ = „ „	१५५	„
„ ३९७ = वैशाख	„ = „ „	१५६	„

१. स एव पञ्जरिभुक्ति रथाद्रिकमस्य हि रेवाया उत्तरे तीर्ण सवन्नाम्नाति विथुन (ज्योतिषसार)
२. साधारणतया यह सर्व प्रसिद्ध है कि शक काल में ७८ जोड़ने से ४० स० तथा ई० सन् में ५७ जोड़ने पर विक्रम संवत् बनता है ३९४ + ७८ + ५७ = ५०९
३. सप्तमशोधोपपन्नम् विशयधिकेद्यु नवमु नाश्रैपु वातेराभासस्य तपस्वमासशुभरुड द्विनीयावाम् (गु० ले० न० १८) ।

इस आधार पर मालवा तथा विक्रम काल में समानता स्थापित करना है । (ईमा ५७) ।

४. मानवाना गणरिचत्या या शवचतुष्टये ।

वितवत्याधिकेन्द्राना गिती सेष्य घनस्वने ।

सहस्रमामद्युलस्य प्रशस्तेहि न्नयोदशे ।—(गु० ले० न० १८) ।

५. चतुर्मुखस्य कल्कोराजोद्वेजित भूतले ।

उत्प-यैह मया संवत्सरेयोगममाममे ।—(उत्तरपुराण ७६।३९६) ।

६. फलीट—का० ट० ३० भा० ३ परिशिष्ट ३ पृ० १६१ ।

७. शतशतशतोत्तरेभ्ये शते गुप्तनृपराज्यभुक्तौ महावैशाखमजुस्तरे कार्तिकमासशुभरुड पञ्चतृतीयात् ।

इस समता से यह ज्ञात होता है कि गुप्त-सम्बत् की तिथि में २४१ जोड़ने से शक काल में परिवर्तन हो जाता है। इस विस्तृत विवेचन के कारण अलबेरूनी के कथन की सार्थकता ज्ञात हो जाती है। यह निश्चित हो गया कि शक काल के २४१ वर्ष पश्चात् गुप्त सम्बत् का आरम्भ हुआ।

गुप्त-सम्बत् तथा शक काल में २४१ वर्ष का अन्तर स्थिर हो जाने पर, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शक-काल के २४१ वें वर्ष या २४१ वर्ष व्यतीत होने पर गुप्त काल (सम्बत्) आरम्भ हुआ। फ्लोट महोदय का मत है कि गुप्त सम्बत्

फ्लोट का मत शक काल के २४१ वें वर्ष में आरम्भ हुआ उनके कथनानुसार दोनो सम्बत्तो में २७० वर्ष का अन्तर पड़ता है^२।

उदाहरणार्थ उसने बुधगुप्त के एरणसम्भलेख^३ की तिथि गु० सं० १६५ एव शक काल ४०७ (१६५ + २४२) से समता बतलाई है। यदि वैज्ञानिक रूप में विचार किया जाय तो फ्लोट की धारणा तथा कथन सर्वथा निराधार प्रकट होते हैं।

जैनग्रन्थकार नेमिचन्द्र के कथनानुसार यह ज्ञात होता है कि शक काल के २४४ वर्ष ७ माह व्यतीत होने पर कल्किराज का जन्म हुआ। इसलिए यह

मत का लक्षण कहा जा सकता है कि ३९५ वें वर्ष में ७ माह बीतने पर कल्किराज का जन्म हुआ। ऊपर तुलनात्मक प्रसंग में दिखलाया गया है कि—

शक	३९४ = माघ	गवन्तर = गु० सं०	१५३ व्यतीत
„	३९७ =	= „	१५६ „

अतएव शक काल तथा गु० सं० में २४१ वर्ष का अन्तर ज्ञात होता है, २४२ वर्ष का नहीं।

शक	२४१	=	गु० सं०	१६५
१	„	„	प्रचलित =	२४२

यस उपर्युक्त कथन की पूर्ण स्पष्टी में होता है। गम प्राम्निथों में भी इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। गम राजा द्वितीय कुमार गुप्त के मारनाथ लेख की तिथि गु० सं० १५४ है^४, जो शक काल ३९५ व्यतीत (१५४ + २४१ में) परिवर्तन

लेखों का प्रमाण हो सकता है। इसके अनिश्चित वृत्त गम के मारनाथ प्रतिमा लेख में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि गु० सं० १५७ वर्ष व्यतीत होने पर शानन करता था^५। इस स्थान पर पूर्व समता की ध्यान में रखने तथा उर्वोत्पत्तियों के आधार पर एक नवीन तुलनात्मक वृत्त तैयार हो सकता है। यह निम्न प्रकार है —

१ फ्लोट गु० सं० ले० भूमिका ०४।

२ का० इ० ड० भा० सं० १०।

३ वर्ष शने गुप्ताना सच्यु पञ्चाशदुत्तरे भूमम्। शानन कुमारगो मासे ल्येते त्रितीयाधाम्।

४ गुप्ताना समतिक्रान्ते सप्त पञ्चाशदुत्तरे।

५ शने समाना पृथिवी बुधगते प्रशासात्।

मालव-संवत्	शक काल	गुप्तसंवत्
५२९ व्यतीत	३९४ व्यतीत	१५३
५३० ,,	३९५ ,,	१५४
५३१ ,,	३९६ ,,	१५५
५३२ ,,	३९७ ,,	१५६
५३३ ,,	३९८ ,,	१५७ व्यतीत ^१

इस तुलना में यही परिणाम निकलता है कि शक काल तथा गुप्त संवत् में २४१ का ही अन्तर है। इन प्रमाणों के आधार पर यह प्रकट होता है कि व्यतीत गुप्तवर्ष सवत् में २४१ जोड़ने में व्यतीत शक काल तथा प्रचलित गु० सं० में २४१ से प्रचलित शक काल में परिवर्तन होता है^२। अठवैरूनी ने दोनों सवत्तों का अन्तर बतलाते हुए विक्रम, शक काल तथा वलभी गुप्त) सवत् में तीन तिथियों का उल्लेख किया है^३।

मालवा सं०	श० का०	वलभी (गु०) सं०
१०८८	९५३	७१२

यदि उपर्युक्त तुलना पर ध्यान दिया जाय तो प्रकट होता है कि लेखों तथा अठवैरूनी की कथित मर्यादा (२४१) का ही अन्तर गु० सं० तथा शककाल में पाया जाता है।

मालव-संवत्	शक काल	गुप्त-संवत्
५२९	३९४	१५२
१०८८	९५३	७१२

गुप्त लेख के अतिरिक्त बेरावल लेख के अध्ययन से भी गु० सं० तथा श० का० के अन्तर (= ८१ वर्ष) पर प्रकाश पड़ता है। कर्नल टाड ने बेरावल नामक स्थान से गुजरात के चालुक्य नरेश अर्जुनदेव के लेख का पता लगाया था^४। इस वलभी व गुप्त सवत् लेख की विशेषता यह है कि इसमें चार संवत्तो में तिथि उल्लिखित की एकता है। प्रशस्तिकार ने विक्रम १३२० वलभी ९५४, हिजरी ६६२ तथा सिंह सवत् १५१ तिथियों का उल्लेख किया है^५। दीवान बहादुर तिलार्डे के गगनानुमार आपाह बंदी १२ रवि शक-काल ११८६ तथा विक्रम १३२१ एक ही वर्ष में पड़ा है^६। लेखों में वर्ष तथा इस गणना में भिन्नता इसलिए होती है कि बेरावल के

१. गुप्त गुप्त के सारनाथ के लेख से स्पष्ट हो जाता है कि वह गुप्तों के १५७ वर्ष व्यतीत होने पर पर सप्तमी वैशाख में शासन करता था, या उस समय को प्रचलित १४८ वर्ष कह सकते हैं। इस नरेश का एक दूसरा लेख। एरण। अठ वर्ष के बाद गु० सं० १६५ का है (गु० ले० नं० १६)। इनके वर्णन में प्राप्त होता है कि वह राजा गु० सं० १६५ अथाः १० में राज्य करता था। इनमें भी आधा मान में व्यतीत गु० सं० १६५ यानी प्रचलित १६६ प्राप्त होता है।

२. क्लेन्टेट बक्स आफ सर मण्डाकर भा० ३ पृ० ३६७।

३. अठवैरूनी तिथियां भा० २ पृ० ७।

४. एनन्स आफ सारनाथ भा० १ पृ० ७०५।

५. श्रीनृसिंहकव्य १२२० तथा श्रीमद्भलो सं० ९४५ तथा श्रीसिंह सं० १५१ वर्ष अपाह बंदी १२ रवि (१०१० भा० १६ पृ० २४२)।

६. इंडियन क्रानोलॉजी टेबुल १० पृ० ०२।

१९० : प्राचीन भारतीय अभिलेख

लेख में दक्षिण भारत की प्रणाली के अनुसार विक्रम १३२० तथा वज्रभो ६४५ कार्तिकादि में उल्लिखित है। अतएव—

विक्रम	शक	वलमी
१३२१ =	११८६ =	९४५
इसमें से ७९२ घटाने पर		
वि०	शक	वलमी
५२९ =	३९४ =	१५३
तथा उसमें से ३६ घटाने पर		
वि०	श०	वलमी
४८३	३५८	११७

हो जाता है। इस गणना में वज्रभो ११७ तथा गुप्त नरेश प्रथम कुमारगुप्त की करमदण्डा की प्रशस्ति की तिथि (गु० सं० ११७) समान है^१। अतः ज्ञात होगा है कि वज्रभो तथा गुप्त-संवत् में कोई विभिन्नता नहीं है। इस बेगवत् लेख की सगता

वि०	श०	वलमी
१३२६	११८६	९४५
तथा उपर्युक्त तुलना: ५		
मा० सं०	श०	वलमी (गु० सं०)
५२९	३९४	१५३

२४१ वर्ष का हो अन्तर है, जो ऊपर बतलाया गया है।

वैरा ताक्षण अक्षय लेख है जिसमें शक काल तथा गुप्त संवत् के अन्तर (२४१) खेरा का ताक्षण पर पढ़ाया पड़ता है। इस लेख की तिथि वज्रभो संवत् ३३० मिलती है^२ जिसका उल्लेख निम्न प्रकार है—

श०	३३०	३० दि० मार्ग शीघ्र शु० २
इस वज्रभो संवत् में २४१ जोड़ने में शक काठ में परिवर्तन हो जाना है।		
वज्रभो	शक काल	
३३०	५७१	
उपरोक्त गणना के आधार पर शक ५७१ अत्रिक मार्गशीर्ष में पड़ेगा ^३ । अतएव		
वज्रभो	शक काल	
३०० प्रचलित =	५७१ प्रचलित	

के समान है। यह तुलना में इस तिथि का स्थान निश्चित हो जाता है।

मा० सं०	श०	गु० (वलमी) सं०
५२०४	३९४४	१५३४

१. ५० ७० मा० सं० ५० ७० ।

२. गु० सं० भूमिका ५० ९२ ।

३. अक्षरकार कामेयंशिन बालुम ५० ००० ।

४. दक्षिण ऊपर का तिथि ।

७०६	५७१ ^१	३३० ^१
१३२१ ^२	११८६ ^२	९४५ ^२

अतएव इन समस्त लेखों तथा अलबेलनी के कथन के आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि गु० स० मे २४१ जोड़ने पर श० का० बनता है। व्यतीत तथा प्रचलित मे जोड़ने से क्रमशः व्यतीत तथा प्रचलित श० का० मे परिवर्तन होता है।

प्लेट का मत था कि गु० स० शक काल के २४१ वर्ष बाद नहीं परन्तु २४२ वर्ष पश्चात् प्रारम्भ हुआ^३। परन्तु ऊपर कथित विस्मृत विवेचन के साम्य पत्रीट महोदय का मत स्वीकार नहीं किया जा सकता। पत्रीट ने डा० कौलहार्न के कथन **चैत्रादि वर्ष का प्रचार** का समर्थन करते हुए यह भूल का कि दक्षिण भारत ही तरह उत्तरी भारत मे भी मालव सवत् का प्राग्गः कार्तिक से हुआ^४, चैत्र से नहीं। परन्तु यदि गुप्त लेखों का अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि मालव सवत् चैत्र से प्राग्गः होता है^५। श्रीय कुमार गुप्त के सारनाथ लेख से पता चलता है कि गु० स० १५८ व्यतीत यानी ग० स० १५५ के स्पष्ट तिथियाँ का वह मति स्थापित की गई था^६। इसी प्रकार बुध गुप्त के भागनाथ तथा गण के लेखों मे भी यही मान प्रमाणित होती है। इन लेखों मे स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि राजा व्यतीत गु० स० १५७ तथा १६५ या प्रचलित १५८ वैशाख तथा प्रचलित १६६ आपाढ मे शासन करता था। इतना ही नहीं, यशोधर्मन के मदसार के लेख (ग० स० ५८९) मे यह वर्णन मिलता है कि सवत् वसत (चैत्र तथा वैशाख) से प्रारम्भ होता है^७। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि गुप्तों के शासनकाल मे मालव सवत् चैत्र से प्रारम्भ होता था, कार्तिक मे नहीं। वेरावल लेख के आधार पर प० गौरीशंकर जोषा ने दिखाया है कि विक्रम सवत् चैत्रादि है। वेरावल लेख के अनुसार वि० स० तथा गु० स० का अन्तर ३७५ (१३२०-९४५) आता है, परन्तु यह लेख काठियावाड मे स्थित होने के कारण वि० स० कार्तिकादि है जो चनादि १३२१ होता है^८ कारण वि०

१. खेरा नामान का तिथि।
२. वेरावल लेख का तिथि।
३. गु० ले० नौमकी पृ० ८४।
४. इ० प० मा० २० पृ० ३३, गु० ले० भूनिकी पृ० ६५।
५. नगरकर कामिभ रजान शालुम पृ० ७८।
६. आ० स० वि० १६१३ - ४।
७. पद्मसु चरित्तु अरदा शोभिकोत्तरवर्ति सहित्तु।
मालवगणान्वित ४शतक कालशासन विवरित्तु।
यसिमान् काले कलच्छुद्वारा कौकिल्या प्रस्थाप।
विद्वन्तार समुदायनिष्ठा प्रापराणा मन्त्राणि।
शुद्धलोना धोमनुरग मारमन्दर-य धामस्य,
नाभूतज्य अनुविच नदच्छब्दे सुसकेतु ॥

प्रियमकुम्भानार् रामधन्वदधरा, किल्लवमिभ सुग्न मानस मणिलीला।
उपनयति नभःशानमानमद्वाग यस्मिन्, कुसुममय मारौ तत्र विवापितोऽपम

स० तथा गु० स० का अन्तर ३७६ होगा^१। गुप्त सम्वत् में ३७६ जोड़ेने से वैवादि वि० स०, २४१ मिलाने से श० का० तथा ३१९-२० मिलाने से ई० स० होता है।

अंतिम परिणाम गुप्त संवत् पर इस विस्तृत विवरण से निम्न परिणाम निकलते हैं।

(१) मालव तथा शक संवत् चैत्र से प्रारम्भ होता है।

(२) गुप्त तथा बलभी संवत् एक ही है। दोनों के भिन्न भिन्न नाम होने के कारण समय में तनिक भी भिन्नता नहीं है।

(३) बलभी या गु० स० शक काल के २४१ वर्ष के पश्चात् आरम्भ होता है। शक काल के व्यतीत तथा प्रचलित होने का निर्णय गु० स० पर अवलम्बित है।

(४) गुप्त संवत् भी चैत्र में प्रारम्भ होता है। चैत्रादि होंके कारण गुप्त संवत् का ई० स० ३१८-१९ में गणनारम्भ हुआ। इसका प्रारम्भिक वर्ष ई० सन् ३१९-२० (७८ + २४१) से लिया जायगा।

गु० स० ० व्यतीत = शक २४१ व्यतीत

„ „ १ प्रचलित = „ २४२ प्रचलित

यदि समस्त संवत्तो के इतिहास पर ध्यान दिया जाय तो विदित होता है कि अमुक संवत् का प्रारम्भ किसी काल विशेष पर हुआ था या उस वंश के किसी घटना के स्मारक में संवत्सर चलाया गया। गुप्त-वंश में भी ऐसी ही घटना उपस्थित हुई जिस कारण न वंश नाम के साथ (गुप्त) संवत् का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। गुप्त-वंश के आदि गुप्त-संवत् के संस्थापक दो नरेश-गुप्त एव घटोत्कच का नाम इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है। वे साधारण सामन्त के रूप में शासन करते थे। गमो के तीसरे राजा प्रथम चन्द्रगुप्त ने अपने बाहुबल से राज्य का विस्तार किया तथा इसी में सर्वे प्रथम 'महाराजाधिराज' की पदवी धारण की। बहुत संभव है कि सिंहासनारूढ़ होने पर उक्त मह पदवी धारण की रही तथा उसी के उपलक्ष में (अपने वंश के नाम के साथ) गुप्त संवत् की स्थापना की। इस की पूर्ण गुप्त लेखों में उल्लिखित तिथियों से भी होती है। प्रथम चन्द्रगुप्त के पौत्र चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के लेखों में ८२, ९३ की तिथियाँ मिलती हैं। इस आधार पर विद्वानों का अनुमान सत्य जाना होता है कि प्रथम चन्द्रगुप्त प्रतापी शासक था और उसी के राज्यारोहण पर संवत् चलाया गया। पितामह तथा पौत्र के बीच तीन पांडियों में ९३ वर्ष का अन्तर युक्त-युक्त है। इस संवत् का प्रारम्भ ई० स० ३१९-२० में होता है। एलन के मतानुसार गुप्त संवत् (अन्य संवत्तो की भाँति) राज्यवर्षों युक्त गणना की परिपाटी के कारण प्रचलित हो गया। प्रथम चन्द्रगुप्त के प्रचलित किये हुए राज्य-संवत् का प्रयोग उक्त उत्तराधिकारी वंशज करने लगे, जो आगे चलकर गुप्त संवत् के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि गुप्त संवत् या गुप्त-काल नाम संवत्सर का प्रारम्भ ई० स० ३१९-२० में हुआ। इसी में समस्त गुप्त लेखों तथा समकालीन प्रस्तियों की तिथियाँ उल्लिखित हैं। यह संवत् लगभग ६०० वर्ष तक प्रचलित रहा और गुप्तवंश के नष्ट हो जाने पर काठियावाड़ में बलभी संवत् के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

गुप्त सम्बत् को चर्चा करते समय इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि अलबेरूनी के कथनानुसार बलभ नामक राजा ने बलभी सम्बत् चलाया जो शक बलभी सम्बत् काल के २४१ वें वर्ष प्रारम्भ हुआ। गुप्त सम्बत् के समान ही यह गणना थी। गुजराज के बलभी नरेशों के लेख में जो सम्बत् मिलता है वह गुप्त सम्बत् ही है। सोराष्ट्र में गुप्त सम्बत् का प्रयोग होता था और वहां गुप्त शासन के समाप्त हो जाने पर बलभी के राजा ने उसी गणना का नाम परिवर्तित कर 'बलभी सम्बत्' रख दिया।

यानद्वर के पुष्पभूति वंश के अन्तिम सम्राट् हर्ष ने भी एक गणना प्रारम्भ की थी जिसे 'हर्ष-सम्बत्' के नाम से पुकार सकते हैं। इस गणना के साथ हर्ष-सम्बत् हर्ष का नाम जुड़ा नहीं मिलता। उसके ताम्रपत्र लेखों की तिथियां में दो गई हैं। बासखेरा ताम्रपत्र में "सम्बत् २० + २ कातिक वदी १" उल्लिखित है (ए० इ० भा० ४ पृ० २०८) उसी का मधुवन ताम्रपत्र पचीसवें वर्ष में लिखा गया था (सवत् २० + ४ मार्गशीर्ष) उत्तरी भारत तथा नेपाल में भा इम गणना का (हर्ष-सम्बत्) प्रयोग होता रहा जो कालान्तर में लुप्त हो गया और विक्रम सम्बत् प्रयुक्त होने लगा। विछले गुप्त नरेश आदित्यसेन का शाहपूर वाला लेख में ६६ वर्ष अंकित हैं। फ्लोट के मतानुसार यह हर्ष-सम्बत् से सम्बन्ध रखता है इसी के सहारे आदित्यसेन की तिथि ई० स० ६७२ (६०६ + ६६) मानी जाती है। इसकी प्रामाणिकता साहित्य के आधार पर भी सिद्ध की गई है। बाण ने माधव गुप्त को हर्ष का मित्र बतलाया है। अपसद लेख में भी आदित्यसेन के पिता का नाम माधव गुप्त उल्लिखित है तथा वही हर्ष का मित्र कहा गया है [श्री हर्षदेव निजम-ज्ञमवाञ्छया च] उसी वंश के राजा विष्णु गुप्त का मगराव का लेख ११७ वर्ष में अंकित हुआ था। डा० अलतेकर के कथनानुसार ११७ हर्ष-सम्बत् से सम्बन्ध रखता है [ए० इ० भा० २६ पृ० २४१] इसी ढंग से नेपाल के राजा अशुवर्मन के एक लेख में तिथि निम्न प्रकार उल्लिखित मिलती है—

"संवत् ३० + ४ प्रथम पीप शुक्ल द्वितीयायाम्" कोलहार्न का मत है कि तिथि ३४ का सम्बन्ध हर्ष सम्बत् से है जिससे प्रकट होता है कि नेपाल में ७वीं सदी में हर्ष सम्बत् का प्रयोग होता रहा।

अलबेरूनी ने लिखा है कि काश्मीर के पत्रों में इस बात का उल्लेख पाया जाता है कि विक्रमादित्य के ६६४ वर्ष बाद हर्षवर्धन ने राज्य किया। इसलिए ६६४—५७ = ६०६-७ ई० हर्ष सम्बत् की तिथि ज्ञात होती है। इसी के अनुसार हर्ष, आदित्यसेन, विष्णुगुप्त या अशुवर्मन का शासन-काल निश्चित किया गया है। हर्ष सम्बत् का प्रारम्भ काल (ई० स० ६०६) को प्रमाणित करने के निमित्त ह्वेनसांग के चीनी भाषा में लिखित जीवन चरित का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। उसमें शिलादित्य (हर्ष) के लिए दो तिथियों का उल्लेख है। ई० सन् ६४८ में वह छत्तीस वर्ष राज्य कर चुका था यानी ६४८-३६ = ६१२ ई० में वह सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इसमें आपत्ति यह है कि ह्वेनसांग के लौटने पर ही चीन वालों को हर्ष के विषय में ज्ञान हुआ होगा। ई० स० ६४२ में चीनी यात्री हर्ष के दरबार में रहता था।

१९४ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

अतः ३६ वर्ष राज्यारोहण से गिना जायगा। अतएव हर्ष सम्वत् को तिथि ६४१ - ३६ = ६०६ ई० ही होगी।

सातवीं शदी के पश्चात् सम्पूर्ण भारत में सर्वत्र प्रचलित किसी नई काल गणना का अभाव दिखलाई पड़ता है। हर्ष-सम्वत् तो उत्तरी भारत तथा नेपाल में प्रचलित रहा। कलचुरी अथवा लक्ष्मणसेन सम्वत् नामक स्थानीय गणना थी। मध्ययुग में इनका आरम्भ हुआ और शीघ्र समाप्त हो गया। उत्तरी भारत में विक्रम सम्वत् का प्रचार अक्षुण्ण रूप से दीर्घ पड़ता है। मध्य भारत तथा राजपुताना के जितने राजवंश उत्तरी भारत में शासन किए, सभी ने विक्रम सम्वत् का प्रचार किया और वह लोकप्रिय हो गया। उज्जैन में शक राज्य नष्ट हो जाने पर मालव-संवत् ही लोकप्रिय हुआ तथा वहाँ से उत्तरी भारत में प्रचलित हुआ। बंगाल में लक्ष्मण सेन संवत् के पश्चात् मुसलमानों ने फसली सम्वत् का प्रसार किया। आज वह गणना बंगला-संवत् के नाम से पुकारी जाती है। दक्षिण भारत में शक सम्वत् का प्रचार रहा क्योंकि मालवा तथा महाराष्ट्र पर शासन करने वाले क्षत्रप नरेश शक गणना का ही प्रयोग करते थे। उज्जैन के गणितज्ञों ने उस शक सम्वत् का प्रयोग किया। भारत के गणित धाम्नि में शक गणना की प्रधानता तथा उत्तरी भारत में विक्रम सम्वत् का प्रचलन होने के कारण ज्योतिष पण्डितों ने पत्रा में दोनों सम्वत् का उल्लेख किया। वर्तमान सरकार को किसी कारणवश यह प्रचलन उचित न मालूम हुआ और शक-सम्वत् को ही राष्ट्रीय सम्वत् घोषित कर दिया है।



अध्याय ११

भारत में लेखनकला की प्राचीनता

किसी वस्तु के उद्गम के सम्बन्ध में अज्ञानता रहने पर भारतवासी उसे ईश्वर द्वारा रचित समझते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनश्रुति में लेखन कला का सम्बन्ध ब्रह्मा में स्थिर कर प्राचीन भारतीय लिपि को ब्राह्मी का नाम दिया गया है। इस विचार को प्रस्तर पर भी बादामी में (ई० स० ५८०) प्रदर्शित किया गया है जहाँ ब्रह्मा के हाथ में ताडपत्र का समूह दृष्टिगोचर होता है (ई० ए० भा० ६ पृ० ३६६ : भा० ३३ पृ० १) लेखन कला का इतिहास अधिक प्रकाश में नहीं आया है। इस कारण विद्वान् विभिन्न मत रखते हैं। पश्चिमी विद्वानों का मत था कि आर्य लोगों के आगमन (ईसा पूर्व दो हजार वर्ष) पश्चात् लेखन कला का विकास हुआ होगा। हरेप्पा की सभ्यता के प्रकाश में आने पर तथा मध्य-पूर्व से तुलनात्मक अध्ययन के कारण विद्वानों के विचार में परिवर्तन आ गया। लेखन कला की प्राचीनता के सम्बन्ध में दो विद्वानों के नाम—१० गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा तथा ब्यूलर, उल्लेखनीय हैं।

मंससबूलर लेखन कला की उत्पत्ति ईसा पूर्व चौथी सदी (हिस्ट्री आफ एन्सेट सस्कृत लिटरेचर पृ० २६२) तथा ई० पू० ८०० से पूर्व कथामपि मानने को तैयार नहीं है। (इंडियन पैलियोग्राफी—३० ए० १९०० परि० पृ० १७) डिरिंजर ने प्रायः ब्यूलर की तिथि का समर्थन किया है (दि एन्फावट—१९५९ पृ० ३३४) पश्चिमी तथा भारतीय विद्वानों की विचार धारा में एकता स्थापित न होने के कारण लेखन कला का इतिहास एक विवादास्पद विषय बना है।

इससे सम्बन्धित जितने विचारणीय प्रमाण हैं। उन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। इस प्रमग में विभिन्न विद्वानों को सम्मति जानकर ही सतोप करना होगा।

- (१) यूनानी लेखकों के कथन।
- (२) यात्रियों के विवरण।
- (३) ग्राहण ग्रन्था की विचारधारा।
- (४) बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उल्लेख।
- (५) भारतीय अभिलेख की परम्परा।

यूनानी लेखकों ने, जो सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात् भारत आए, भारतीय लेखन कला का प्रसार विभिन्न रूप से व्यक्त किया था। सिकन्दर के सेनापति ने आर्सेस देखा वर्णन दिया था कि भारतवासी रई से कागज तैयार करना जानते थे (स्ट्रैबो १५, ७१७)। इसी प्रकार यूनानी दूत मेगस्थनीज ने (ई० पू० चौथी सदी) मार्गों पर स्थित प्रस्तरों पर अंक उत्कीर्ण करने की परिपाटी का वर्णन किया है। (इंडिया आफ मेगस्थनीज) इसका तात्पर्य यही है कि भारतवासी लिखने की कला से विज्ञ थे। मक्तिण्डल ने करटियस के कथन का उद्धरण देकर लिखा है कि वृक्ष के छाल (भोजपत्र) का प्रयोग लिखने के कार्य में किया जाता था। (हिन्दी आफ एलेक्जेंडर इनवेजर आफ इंडिया अ० ८)

विदेशी यात्रियों ने भी भारतीय लिपि के सम्बन्ध में अपना मतव्य व्यक्त किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने प्राचीन युग में भारतीय लिपि की उत्पत्ति बतलाई है (बोल-सिमुको १, ७७) चीनी ग्रन्थ फ-वन-मु-लीन में ब्राह्मी के विषय में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा ने लिखने की कला को जन्म दिया और ब्राह्मी बाएँ से दाहिने लिखी जाती थी (बेविलोनियन तथा ओरियंटल रेकार्ड १, ५९) दसवीं सदी का मुसलमान लेखक अलबेरूनी ने यह वर्णन किया है साँचू-अलबेरूनी का भारत अध्याय १) कि हिन्दू लिखने की कला भूल गए थे जिसे पुनः व्यास ने आरम्भ किया जो कलियुग (ई० पू० ३१०१) से प्रचलित हुआ (व्यास को वेद तथा महा-भारत से सम्बन्धित करते हैं। इस कारण अलबेरूनी ने कलियुग का उल्लेख किया है।)

ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में कई बौद्ध ग्रन्थों का सकलन हो गया था जिनमें लेखन-कला के सम्बन्ध में सारगर्भित बातें लिखी हैं। मूलान्त (१, १) नामक ग्रन्थ में भिक्षुओं को अक्षरिका नामक खेल खेलना निषेध किया गया था। इस तरह के खेल में व्यक्ति के पीठ या आकाश में अक्षर के संकेत को समझ कर पहचानना पड़ता था। विनयपिटक में (पाराजिक भा० ३, ४) लेखन-कला की प्रशंसा की गई है कि गृहस्थों के लिए यह जीविका पैदा करने का एक साधन था। (वुधिस्ट इंडिया पृ० १०८)। कई जातकों (रूह, कन्ह आदि) में व्यक्तिगत तथा सरकारी पत्रों का लेखन, सरकार घोषणा, हस्तलिखित पुस्तक आदि का उल्लेख मिलता है। महावग्ग में (भक्वुपाचितिय ६५, १) लेख, गणना तथा रूप को प्राग्भिक शिक्षा का विषय माना है। जातक में भी फलक (तस्ती) और वर्णक (कलम) के नाम मिलते हैं। ललितविस्तर (अध्याय १०) में भी बुद्ध को लिपिशाला (पाठशाला) में विश्वामित्र द्वारा पत्र लेखन सिखलाने की बात उल्लिखित है। यूनानी लेखकों ने कागज तैयार करने की बात लिखी है (ई० पू० ४००)। प्राचीन समय में तालपत्र तथा भोजपत्र भी लिखने के काम में आते थे। अनएन बौद्धग्रंथों के आधार पर यह प्रकट होता है कि ई० पू० ६०० के मभीप लेखन-कला को जानकारी भारतवासियों को अवश्य थी।

ललितविस्तर को तरह जैन ग्रन्थ समवायामूत्र (ई० पू० तीसरी सदी) तथा पणवना-सूत्र में भी लेखन-कला की प्रचीनता का उल्लेख पाया जाता है। पिछली सदियों में काव्य, नाटक तथा स्मृति ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर ऐसा वर्णन आया है जिसमें पता चलता है कि भारतवर्ष में प्राचीन काल में ही लेखनकला का ज्ञान था। नारद तथा बृहस्पति ने लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा लिखने की कला उत्पन्न की गई जिससे लोगों को ज्ञान हो सका। मौर्य युग के राजनीति ग्रन्थ अर्थशास्त्र में लिखने का सर्दर्भ कई स्थानों पर पाया जाता है—

(अ) वृत्त चौलकर्म लिपि सस्थान चौपयुजोत (१, ५, २)

(ब) पत्र सम्प्रेषणेन मंत्रयेत (१, १६, ६)

(स) सर्वसमय विदशुग्रथ चार्थक्षरो लेखवाचन समर्थो लेखक स्यात् (२, ९, २८)

चूडाकर्म के पश्चात् गणना तथा लेखन विद्या सीखना चाहिए। पत्र द्वारा मन्त्रणा करना चाहिए। राजकार्य में लेखक को शीघ्र पढ़ना तथा लिखना आवश्यक समझा जाता है। इससे भी पूर्व (ई० पू० आठवीं) वशिष्ठ धर्मसूत्र (१६, १०, १४) में उल्लेख मिलता है कि लिखित पत्र को प्रमाण में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय वेदांग में कल्प (धर्म-

सूत्र) के साथ व्याकरण का नामोल्लेख है। साहित्य के आधार पर व्याकरण तैयार किया जाता है। अतएव यह कदापि सम्भव नहीं है कि बिना लेखन-कला की जानकारी के व्याकरण तथा दर्शन आदि का प्रसार हो सके। पाणिनि के अष्टाध्यायी में लिपि, लिपिकर, यवनानी, ग्रन्थ, (अध्याय प्रथम तथा तृतीय) शब्दों का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि समाज में लेखन कला का समुचित ज्ञान था। छठे अध्याय में जानवर के काच में स्वस्तिक के साथ ५ या ८ अंक के चिह्न लगाने का वर्णन है। व्याकरण के प्रसङ्ग में पाणिनि ने अनेक वैयाकरणों का नाम उल्लिखित किया है। तात्पर्य यह है कि पाणिनि से पूर्व (ई० पू० आठवीं सदी में) लिपि तथा लेखन का ज्ञान लोगों का था। यास्क ने भी निरुक्त में अपने पूर्ववर्ती विद्वानों का नामोल्लेख किया है। शब्दों के चयन के साथ लेखन-कला की भी तिथि यास्क से पूर्व ही मानी जा सकती है। छांदोग्य उपनिषद् (२, १०) में अक्षर के लिखने का सदर्थ मिलता है तथा वर्ण और मात्रा का उल्लेख तैत्तरीय उपनिषद् (१, १) में आता है (वर्ण स्वर. मात्रा बलम्)। उपनिषद् ग्रंथों में दार्शनिक विचारों का विवेचन अधिकतर गद्य में किया गया है और उन विवेचनाओं को यथा शक्ति लोग स्मरण रखते थे। उस परिस्थिति में भी लिखित ग्रंथ की स्थिति असम्भव नहीं मानी जा सकती। वेदों का अध्ययन भी कण्ठगता समझा जाता था पर ऋग्वेद में (१०, १४, १६) गायत्री, विराज, जगती छंदों के नाम आते हैं। संहिता तथा अथर्व में (८, ९, १९) भी ग्यारह छंदों का उल्लेख पाया जाता है अतएव लेखन-कला की प्रमाणिकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। ऋग्वेद में एक से अधिक गायों का वर्णन मिलता है (सहस्रमेददतो अष्टकर्ष्य १०, ६२, ७) जो भिक्षा या दान में दी गई थी। तात्पर्य यह है कि ऊपर लिखी बातों से वैदिक युग में भी लिखने के प्रमाणों को असिद्ध नहीं किया जा सकता। खेद है कि ईसा पूर्व पाचवीं सदी से पहले लिखने का कोई भी दृष्टांत सामने नहीं आता। सम्भवतः भोज-पत्र या कागज पर लिखे ग्रंथ सदियों तक मूल रूप में न रह सके और जलवायु के कारण विनष्ट हो गए। प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों को नष्ट होते देखकर लोगों ने पुनः कागज पर लिखना प्रारम्भ किया ताकि शास्त्र का ज्ञान स्थायी रहे। इस क्रम में समय-समय पर लिपि का परिवर्तन होता गया और नए रूप में ग्रंथ सामने आते रहे। प्राचीनकाल में विद्या कण्ठगता थी और गुरु के मुख से सुनकर शास्त्र का पठन-पाठन किया जाता था। वेदों का ठीक उच्चारण आवश्यक था क्योंकि धार्मिक जगत में अशुद्ध उच्चारण यजमान का घातक समझा गया है।

सवाग्ध्वा यजमान हिनस्ति यथेन्द्र यत्रु स्वरतोऽपरा, घात् (महाभाष्य १)

इस कारण गुरु मुख से सुनकर यज्ञ करना अथवा पाठ स्मरण करना उचित समझा गया। पुस्तक पढ़ने से यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता था।

पुस्तकस्था च या विद्या पर हस्तगतधनम्।

कार्य काले तु सम्प्राप्ते न सा विद्या न तद्धनम्।

(चाणक्य नीति)

पश्चिमी विद्वानों के मत को डा० गौरीशंकर ओझा ने (लिपि माला पृ० १५ में प्रथम संस्करण) उद्धृत किया है। उनके मतानुसार वेदों का प्राशास्त्र बिना लिखे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था यानी अत्यन्त प्राचीन काल से ही लिखित प्रातिशास्त्र वर्तमान था। दूसरे शब्दों

मे कहा जा सकता है कि लेखन कला का ज्ञान पुराने समय में भारत वासियों को अवश्य था ।

संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखते समय प्राचीन भारतीय साहित्य की तिथि का निर्णय पश्चिम विज्ञान (मैक्समूलर आदि) नहीं कर सके । परन्तु यह तो निश्चित है कि ईसा से सहस्रो वर्ष पूर्व उनकी रचना हो चुकी थी । अपत्यक्ष रूप से यह कहना यथार्थ होगा कि ईसवी पूर्व एक हजार वर्ष में लेखन कला का प्रारम्भ हो गया था ।

ईसवी पूर्व तीसरी सदी के अशोक के लेख प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उस समय ब्राह्मी तथा खरोष्ठी का प्रचार था । पेशावर में उठीया तथा हिमालय (कालपी) से बेरगुडी (करनूल, तामिळनाडु) तक उसका लेख मिलते हैं । उन लेखों में कुछ पाठ भेद अवश्य हैं किन्तु मूल में भिन्नता नहीं है । इसमें यह स्पष्ट विदित होता है कि भारत में लिपि का ज्ञान पूर्व से ही था जिसका विकास अशोक के लेखों में हुआ है । एक दिन में एसी ब्राह्मी सम्मुख नहीं आ सकती । लिपि के विकास में कई नादियाँ संज्ञा जाती हैं । ब्राह्मी का विभिन्न स्वरूप यह घोषित करता है कि अशोक से पूर्व लिपि का परिज्ञान था जो परिवर्द्धित तथा परिवर्तित होकर अशोक—ब्राह्मी के रूप में आ गई ।

दक्षिण में उत्तर तक के सभी लेखों के अक्षर एक में नहीं हैं । गिरनार, मिदपुर, घोली तथा जोगद के उत्तर अमान हैं । ख, ज, म तथा न विभिन्न रूप में लिखे गए हैं । स्थानीय शैली में यह अर्थ निकलता है कि अशोक ने पूर्व वहाँ लिपि का प्रचार था । अशोक के लेखों का अनुसोदन हमें प्रमाणित करता है ।

अशोक ने प्रस्तर पर लेख निरस्थायी होने के हेतु खुदवाया था [इय घमलिपि लेखिता विलठिताका होत—प्र० जि० पृ० २] । इसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अन्य आधार पर भी लेख स्तंभों आदि होंगे । अशोक पूर्व युग के विपरावा (उत्तर प्रदेश) सोहगौरा ताग्रपत्र, (योग्यपुर), महास्थान लेखों के (बगाल) प्रमाण पर यह कहता युक्ति सगत होगा कि ईसवी पूर्व पाँचवीं के लगभग लेखन कला का प्रचार अवश्य था । साहित्यिक आधार पर ई० पू० कई हजार वर्ष में भी इसकी तिथि मापी जा सकती है । ब्राह्मी अत्यन्त प्राचीन काल में सम्पन्न भारत में प्रचलित होती रही और इसे ही हम राष्ट्र लिपि कह सकते हैं । उत्तर पश्चिम भारत में जहाँ खरोष्ठी का प्रचार था वहाँ भी तथाशिला के सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है । रैफस को पेशावराना जन्म मिले है जिन पर खरोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपियों में मुद्रा-लेख खुदे हैं । गान्धार के सुभान में खरोष्ठी के समक्ष का प्रयोग उसकी प्रधानता का ब्राह्मी द्योतक है ।

भारतीय लेखों का सम्पूर्ण लेखन कला तथा लिपि से इतना सम्भोग है कि इनका अध्ययन निरन्तर आवश्यकता जाता है । समाज में संस्कृति के प्रारम्भ से लिखने-पढ़ने का कार्य होने लगा । लेखन कला जानने के कारण ही मनुष्य के ज्ञान लिपि, लेखन कला तथा की स्थिरता मानो गई है । अतएव लेखन कला का इतिहास महत्व उसका इतिहास रखता है तथा मनुष्य के मस्तिष्क को उन्नति का लेखा उपस्थित करता है । लिखने की क्रिया का समाज में बड़ा आदर रहा और लेखन कला के सम्पन्नता को ईश्वरीय शक्ति से सम्पन्न मानने में । मिथ्र, यूनान, चीन तथा भारत आदि देशों में देवता को ही इसका उत्पादक माना गया है । भारत में लिपि की उत्पत्ति

ब्रह्मा में मानते हैं, अतएव प्राचीन भारतीय लिपि को ब्राह्मी का नाम दिया गया।

संसार की सम्प्रदाय एवं संस्कृति में मनुष्य के मानसिक विकास के साथ लिपि का जन्म स्वतंत्र रूप से ही हुआ। मनुष्य ने आध्यात्मिक प्रगति में इसे जन्म दिया ताकि विचारों का आदान-प्रदान कर सकें। अधिक समय तक लिखने की कला अज्ञात थी और मनुष्य संकेत से ही अपना कार्य करता रहा। शताब्दियों बाद मुख से निकली ध्वनि को लिपि बद्ध करने की क्रिया ज्ञात हुई।

लेखन-कला का इतिहास यह बतलाता है कि सर्व प्रथम आर्कृतियों द्वारा या चित्र द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता अथवा लिखता था। सूर्य बहने का भाव बतलाने के लिए चक्र की आर्कृति, जानवर के लिए जानवर तथा मनुष्य के लिए मनुष्य के चित्र खींचे जाते थे। इस प्रकार की अभिव्यक्ति की "चित्र-लिपि" कह सकते हैं। शब्द या उच्चारित ध्वनि का लिखना अज्ञात था। इस चित्र से किसी घटना का व्यक्त नहीं करते परन्तु उसे वर्णित करते थे। मिश्र, मेसोपोटामिया, क्रीट, स्पेन, अमेरिका आदि देशों में ऐसे शब्द चित्र पाये गये हैं। उन चित्रों में किसी घटना का स्पष्टीकरण सम्भव न था। उच्चारण किण्व शब्दों का लिखना माना गया बद्ध करना ज्ञान अथवा का चेतक है। इनमें किसी प्रकार के चिह्न (प्रतीक) का प्रयोग नहीं किया जाता परन्तु अक्षर मुख से उच्चारित ध्वनि को व्यक्त करते हैं।

मेसोपोटामिया की संस्कृति में एक अक्षर (का चिह्न) किसी शब्द समूह को व्यक्त करता रहा। लेकिन भारत में एक अक्षर एक ही ध्वनि का सातक है। यही कारण है कि भारतीय लिपि वैज्ञानिक माने जाते हैं। जो कुछ उच्चारण किया जाता है। जो लिखा गया है उसे पढ़कर उसी विषय का ही समझ सकते हैं। किसी भाषा के वाक्य को भारतीय लिपि से लिख सकते हैं तथा उसका उच्चारण भी एक सा होता है। पढ़ने में यह पता नहीं चल सकता कि भारतीय भाषा या लिपि से इसका कुछ भी सम्बन्ध है। जैसे "आइया" इस अंग्रेजी वाक्य को नागरी में लिखने पर भी पढ़ने में अन्तर नहीं आ सकता। अतएव भारतीय लिपि सर्वथा वैज्ञानिक सिद्ध हो जाती है।

ईसा पूर्व चार हजार वर्ष में मिश्र देश में 'चित्र-लिपि' का व्यवहार होता था। हाथ-धार के साथ सिपाही का चित्र यह बतलाता था कि मेना का एक सिपाही हाथियार लेकर युद्ध स्थल को जा रहा है। क्रमशः एक शब्द की ध्वनि के लिए विशेष चिह्न का प्रयोग होने लगा। उन चिह्नों के कथन से एक शब्द का भाव प्रकट होता था। इस रूप में अक्षर का प्रयोग मिश्र में आरम्भ हुआ। यह अक्षर दायें से बायें लिखे जाते थे।

लिपि तथा लेखन कला का इतिहास यह बतलाता है कि ई० पू० ४००० वर्ष में सुमेरियन लोगों की एक चित्रित लिपि थी जो नुकीली धातु से गिनात बनाकर लिखा जाता रही उसे तीन हजार वर्षों के पश्चात् दजलाफरात की घाटी के बेबिलोन तथा एमिरिया की जातियों ने अपनाया। इस रीति को प्राचीन सुसा के इलामाइट, हिटाइट, मिटानी तथा ऊर के लोगों ने कार्यों में अपनाया तथा जीवन में अनुकरण किया। ईरानों लेख भी इसी नुकीली (कीलाक्षर) लिपि (क्यूनिफार्म) में अंकित किए गए तथा इस तरह की लिपि-शैली

ईसवी सन् तक एशिया के पश्चिमी भाग में प्रचलित रही। उसे कुछ पुरोहित, ज्योतिषी तथा कानून वेत्ता प्रयोग करते थे। ईसा पूर्व छठी सदी का एक ईरानी लेख कीलाक्षर में पाया गया है जिसे उन्नीसवी सदी में पढ़ा जा सका।

ईसा पूर्व ३००० वर्ष में हूरप्पा तथा मोहेंजोदड़ो नामक भारतीय प्रागैतिहासिक स्थानों में एक विचित्र लिपि का प्रयोग हुआ जिसके सम्बन्ध में कुछ निश्चित कहना कठिन है। यानी हूरप्पा सभ्यता की लिपि (?) अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। जो ताबीज उन स्थानों की खुदाई से निकले हैं उन पर ही लेख खुदा है। प्रायः आठ सौ मुद्रायें (ताबीज) लेख युक्त हैं। वह भी एक तरह की "चित्र-लिपि" कहा जा सकती है। कुछ विद्वान हूरप्पा सभ्यता की लिपि को ब्राह्मी से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे तथा कुछ उमें तांत्रिक मानते हैं परन्तु उनके कथन सारगर्भित नहीं हैं।

भारत से पूर्व एशिया में चीन देश में लिपि का आरम्भ मानते हैं। ईसा पूर्व २००० से पहले लेखन कला का आरम्भ हुआ और ईसा पूर्व ११०० से ही घातु तथा प्रस्तर पर लेख खोदे जाने लगे। पहले लकड़ी तथा बाम की तालियों पर पुस्तकें लिखी गईं जो जलवायु के कारण नष्ट हो गईं। प्रायः ई० स० १५० के समाप्त चीन में कागज का प्रयोग हुआ जो पत्ती तैयार किया जाता था।

पश्चिमी एशिया में लेखन कला का आरम्भ मिश्र के अनुकरण पर हुआ था जहाँ अधिकतर 'चित्र-लिपि' का प्रयोग होता रहा। मिश्र से फ्रीट तथा फिलिस्तीन में लिखने की क्रिया प्रचलित की गई। भूमध्य सागर के किनारे रहने वाले फिनिशियन जाति ने उसका अनुकरण कर लिपि को अत्यधिक प्रसारित किया। उनके अक्षर भी भाव को व्यक्त करने वाले "चित्र-लिपि" की तरह थे। कुछ विद्वानों का यह मत है कि फिनिशिया तथा सीरिया में अक्षर का जन्म हुआ। अक्षरों के प्रतीक (Symbols) का पता लगाना कम महत्वपूर्ण था, और इस ओर मिश्र, फ्रीट, एशिया माइनर, ईराक तथा भारत के निवासी कार्य करते रहे। परन्तु कोई पूर्णता को पहुँच न सका। फिनिशिया के निवासियों ने जिस लिपि का प्रचार किया उसे सेमिटिक (अनार्य) का नाम दिया गया है जिसमें २२ व्यंजन अक्षर थे तथा उसमें स्वर का सर्वथा अभाव था (यूनानी भाषा में भी २२ अक्षर माने गए हैं) इसे दाहिने से बायें लिखा करते थे जो शैली आज भी प्रचलित है। व्यंजन में स्वर का न होना एक अजीब बात थी जिसका कोई समुचित उत्तर नहीं दिया जा सकता। एक अक्षर एक शब्द की ध्वनि करता था अथवा स्थानीय प्रसंग में स्वर जोड़ दिया जाता था। इसका अर्थ यह है कि सेमिटिक अक्षर अपूर्ण थे। स्वर के सम्बन्ध में कुछ निश्चित मत प्रकट करना कठिन है। व्यंजनों की प्रधानता सदियों तक बनी रही। इसका यह अर्थ नहीं कि स्वर का प्रयोग समझ बूझ कर छोड़ दिया गया था पर इसको अनुपस्थिति में कोई कठिनाई सामने नहीं आई। सेमिटिक (अनार्य) भाषा में २२ अक्षर व्यंजन से आरम्भ किये गए थे किन्तु आर्य भाषा में इसका विपरीत ढंग दिखा-लाई पड़ता है। भारतीय लिपि में स्वर के सहारे व्यंजन का प्रयोग एवं उच्चारण किया जाता है। पाणिनि सूत्रों में स्वर पहले उल्लिखित हैं तत्पश्चात् व्यंजन अच्। से स्वर तथा हल् से व्यंजन का बोध होता है। सेमिटिक अक्षरों के नाम दैनिक जीवन के वस्तुओं से लिया गया था पर आर्य भाषा में ऐसी बात नहीं है।

दक्षिणी अरब में अक्षर का जन्म अज्ञात है। सेमिटिक शाखा से सम्बन्धित पश्चिम या पूरब में अक्षरों का प्रयोग बढ़ता गया। अरब में २२ से २८ अक्षर हो गए जिसमें अन्तिम व्यंजन पीछे जोड़े गए थे। अलोफ, बे, ते, जीम आदि। यही अरबी अक्षर व्यापारियों द्वारा पूरब में प्रचारित किया गया। अरब से ईरान में इन अक्षरों का प्रसार हुआ और कालान्तर में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में इनका प्रयोग हुआ जो खरोष्ठी के नाम से विख्यात है। कहने का तात्पर्य यह है कि आरमईक (दक्षिणी अरब) से इस खरोष्ठी का जन्म हुआ। ईरानी ई० पूर्वं ६०० से व्यवहृत करते थे और उत्तर पश्चिमी भारत में ईरानी राज्य के विस्तृत होने पर सीमा प्रान्तों में खरोष्ठी का प्रयोग होने लगा। मौर्य सम्राट् अशोक ने भी इसे मनसेरा तथा शाहवाज गढी के शिला लेखों में प्रयोग किया क्योंकि मौर्य साम्राज्य काबुल तक विस्तृत था।

भारतीय साहित्य के आधार पर यह पता चलता है कि इस देश में कम से कम ईसा पूर्व ७०० वर्ष में लिपि का ज्ञान था। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी (३, २, २१) में लिपि

के प्रसंग में यवनानि शब्द का प्रयोग किया है यानी उन्हें यूनानों भारतीय लिपि का जन्म लिपि के प्रचलन की सूचना थी। खेद है कि पाणिनि ने भारतीय तथा इतिहास लिपि के विषय में कुछ कहा नहीं। अर्थशास्त्र (२, १, २) में भी

लिपि शब्द का प्रयोग मिलता है तथा अशोक ने अपने लेखों में लिपि, लिपि तथा दिगि शब्दों का प्रयोग उसी अर्थ में किया है (चौदहा लेख)। कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा पूर्व कई सदियों में ही भारत वासी लिखने का कला से विज्ञ थे तभी तो लिपि शब्द प्रयुक्त है। यह शब्द ताडपत्र पर कील से खुदे अक्षरों पर स्याही लेपन क्रिया से ही सम्बन्धित समझा जाता है [स्याही लेपन से ताड पत्र के सुराल में काला रंग प्रवेश कर जाता था और अक्षर स्पष्ट हो जाते थे] जैन सूत्र तथा बौद्ध साहित्य के आधार पर प्राचीन समय में क्रमशः अठारह तथा चौसठ लिपियों के नाम मिलते हैं। जैन ग्रन्थ समवायाग सूत्र में (अध्याय १८) पहला नाम बम्भी (ब्राह्मी) का मिला है (नमो बभोये लिपिये-ब्राह्मी को नमस्कार) तथा दूसरा स्थान यवनालीय (यूनानी लिपि) को दिया गया है। बौद्ध ग्रन्थ ललितविस्तर (अध्याय १०, १२५—जिसमें भगवान् बुद्ध के जीवन चरित का वर्णन है) में पहला स्थान ब्राह्मी तथा दूसरा खरोष्ठी को दिया गया है। उस सूची की परीक्षा से ज्ञात होता है कि सबसे प्रचलित लिपि ब्राह्मी थी जो सारे भारत में व्यवहृत होती थी (महावस्तु १, १३५, ५)। खरोष्ठी तथा यवनानि का प्रयोग उत्तर पश्चिम भारत (वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान) में होता था।

ब्राह्मी तथा खरोष्ठी का प्रयोग भारतीय राजाओं ने भी किया। मौर्य सम्राट् अशोक के दो लेखों (मनसेरा तथा शाहवाजगढी) को छोड़ कर सारे लेख ब्राह्मी में मिलते हैं। दो लेख—मनसेरा तथा शाहवाज गढी (उत्तर पश्चिम भारत = पाकिस्तान) खरोष्ठी में लिखे मिले हैं। उसका कारण भी स्पष्ट है। ईरानी राजाओं द्वारा उत्तर-पश्चिम भारत विजय के उपरान्त खरोष्ठी का वहा प्रचार किया गया। इसलिए उस भाग में खरोष्ठी की ही सदा प्रधानता थी और उस भूभाग में जो शासक शासन करते थे उन लोगों ने अपने शासन लेख या मुद्रा-लेख में खरोष्ठी का ही प्रयोग किया। मौर्य-काल के पश्चात् यूनानी शासकों ने भी खरोष्ठी का प्रयोग किया था। उक्रतिद ने (१७५ ई० पू०) अपने सिक्कों पर खरोष्ठी में "महरजस एउक्रतितस"

खुदवाया था। उसी तरह मिलन्द के लेख तथा मुद्रा-लेख भी खरोष्ठी में लिखे गये। अंतिम यूनानी नरेश हेरमेयस (३० ई०) ने सिन्धके पर खरोष्ठी में मुद्रा-लेख अंकित कराया था। (महरजस चतरस हेरमेयस) कुषाण सम्राटो ने पेशावर को अपनी राजधानी बनाया और वही शासन करने लगे। इस कारण जितने लेख कदफिस अथवा कनिष्क समूह के नरेशों ने उत्कीर्ण कराया वह सभी खरोष्ठी में है। कलवान ताम्रपत्र, स्यूविहार ताम्रपत्र तथा कुरम ताम्रपत्र का नाम उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। ईसवी सन् के आरम्भ में कनिष्क के सामंत रंजुवले ने मथुरा में भी खरोष्ठी में लेख खुदवाया था (मथुरा सिंहस्तम्भ लेख) परन्तु यह एक ही लेख है जो उत्तरी पश्चिमी सीमा के बाहर खरोष्ठी में खुदा है। सोडस ने मथुरा में ब्राह्मी का प्रयोग किया तथा कनिष्क ने भी सहेत महेत (थावस्ती, गोडा, उत्तर प्रदेश) में ब्राह्मी में लेख खुदवाए। कहने का तात्पर्य यह है कि खरोष्ठी का प्रयोग सीमित था जिसके बाहर भारत के अन्य प्रदेशों में ब्राह्मी का ही प्रयोग होता रहा। खरोष्ठी का प्रमाण उत्तर में मध्यएशिया (तरीम घाटी) में हुआ था और वहाँ के पट्टियों पर शासन-लेख खरोष्ठी में मिले हैं। खोतान में खरोष्ठी खोतानी लिपि के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी।

उल्लिखित विस्तार तथा चीनी ग्रन्थ फजनसूचीन में खरोष्ठी नाम की लिपि का उल्लेख पाया जाता है जो नाम सातवीं सदी तक प्रचलित रहा। इसके नामकरण के विषय में विद्वानों

खरोष्ठी

में मतभेद है। यह कहा जाता है कि इस लिपि का जन्मदाता वह व्यक्ति था जिसके होठ गदहे के सदृश (खर + ओष्ठ) था। इसके साथ यह भी कहा जा सकता है कि अनार्य लोगों (यूनानी, शक, पल्लव तथा कुषाण) द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में इसका प्रयोग हुआ था। कुछ विद्वानों-सिल्वन लेवी तथा स्टेन कोनर आदि का मत था कि खरोष्ठी मध्य एशिया के नगर काशगर का संस्कृत रूप है। मध्य एशिया के अनेक नगरों में खरोष्ठी में शासन लेख तथा हस्तलिखित ग्रन्थ मिले हैं किन्तु खरोष्ठी में सन् ३०० स० के दूसरी सदी तक के हैं। उत्तर पश्चिम भारत में (तथजिया का भू भाग) ई० पू० तीसरी सताब्दी में इस लिपि का प्रयोग हो रहा था।

ईरानी भाषा में खरोष्ठी शब्द का अर्थ गदहे का चर्म है। स्यात् चमडे पर लेख लिखे जाते हों, इस कारण भारतीय विद्वानों ने इसका नाम खरोष्ठी रक्खा।

दक्षिण अरब में आरमैयिक भाषा में खरोष्ठी शब्द मिलता है जो लिपि के लिए प्रयुक्त है। अतः खरोष्ठी उसी का संस्कृत रूप माना जा सकता है।

इस लिपि का खरोष्ठी नाम चीनी ग्रन्थ (ई० स० ६६८) में उल्लिखित है जिसके जन्म दाता खरोष्ठी माने गए हैं। यह भारतीय शब्द था जो चीनी साहित्य में प्रयुक्त हुआ। स्यात् इस लिपि को टंडा लिखने के कारण ही (गदहे के ओष्ठ के समान घूमने वाला) खरोष्ठी का नाम दिया गया हो।

खरोष्ठी आरमैयिक लिपि सही निकली जो पाचवीं सदी ई० पू० में प्रचलित थी। यह दाहिने से बाएँ लिखी जाती है। यह अनार्य सेमिटिक लिपि से सर्वथा मिलती है। सम्भवतः सुमस्कृत रूप में खरोष्ठी का प्रयोग भारत वर्ष में होने लगा। मध्ययुग की अरबी लिपि भी इसके समान है। जिसमें दीर्घ स्वर का सर्वथा अभाव है। इस आधार पर जनता में एक कल्पना सम्मुख आई कि प्राकृत भाषा लिखने के लिए खरोष्ठी का आविष्कार किया गया,

क्योंकि उस भाषा में दीर्घ स्वर तथा लम्बे समास का अभाव सभी को ज्ञात था। खरोष्ठी साधारणतया लोकप्रिय लिपि थी। इसके प्रचार तथा प्रसार के सम्बन्ध में विशिष्ट ढंग से कहना कठिन है। यो तो ईरानी राजाओं ने उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया पर उन्होंने स्वयं खरोष्ठी का प्रयोग लेखों में नहीं किया। इसलिए आरमैयिक में इसकी उत्पत्ति क्योंकर मानी जा सकती है। खरोष्ठी का प्रयोग अशोक ने मनसेरा तथा शाहबाजगढी के लेखों में किया था। वही से भारत के व्यापारियों ने उत्तर उपनिवेश-मध्य एशिया तक इस लिपि का प्रसार किया। इस लिपि में मध्य एशिया के लिखित ग्रन्थ इसवी सन् के बाद के हैं। अतएव यह कहा जा सकता है कि सम्भवतः खरोष्ठी का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में हुआ। उस भाग पर ईरानी साम्राज्य विस्तृत होने पर ईरानी मुद्रा पर खरोष्ठी में शब्द अंकित किए गए। उत्तर पश्चिम भारतीय सीमा पर जिन शासकों ने राज्य किया सभी ने खरोष्ठी का प्रयोग किया तथा भारत वासियों को उस लिपि के प्रयोग के लिए बाध्य किया गया। चूंकि उसमें स्वर का अभाव है अतः प्राकृत भाषा लिखने में प्रयुक्त हुई। वहां दीर्घ स्वर का प्रयोग कम रहता है। ब्राह्मी में ई ऊ ए तथा ओ स्वरों के लिए सीधी रेखा का प्रयोग होता था जिसका अनुकरण खरोष्ठी में हुआ जो जेर, जवर, पेश के नाम से प्रसिद्ध है।

साहित्य में उल्लिखित लिपियों की सूची में ब्राह्मी को पहला स्थान दिया गया है और वह पश्चिमोत्तर प्रांत को छोड़ कर सर्वत्र व्यवहृत होती थी। भारत वर्ष के मौर्य सम्राट् अशोक के लेखों में ब्राह्मी का प्रयोग मिलता है। जैसा नाम से ही पता चलता है कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने वेदों के रक्षार्थ इस लिपि को जन्म दिया। इसमें दो मत नहीं हैं कि ब्राह्मी का अविर्भाव भारत वर्ष में हुआ और ब्राह्मण द्वारा प्रथम में इसका प्रयोग हुआ। इस मार्ग में कठिनाई यह है कि ई० पू० चौथी सदी से पहले का कोई लेख ब्राह्मी में नहीं मिला है। अतएव पश्चिमी विद्वानों का मत है कि व्यापारियों ने पश्चिमी एशिया से ब्राह्मी का अनुकरण किया, जो भारत की राष्ट्रीय लिपि नहीं मानी जा सकती।

जो विद्वान् ब्राह्मी को विदेशी लिपि से उत्पन्न मानते हैं उनमें अधिकतर इस लिपि को अरबी (सेमिटिक) से विकसित समझते हैं। जेम्स प्रिसेप (अलफाबेट पृ० १३५) विन्सन, सेनार्ट आदि (इ० ए० भा० ३५ पृ० २५३) ब्राह्मी को यूनानी लिपि से उत्पन्न मानते हैं और यूनानी सम्पर्क से इसमें सुधार का विचार व्यक्त करते हैं। इनके मतानुसार यूनानी लिपि (जिसका वर्णन पाणिनी ने किया है) में ब्राह्मी निकली है। यूनानी लिपि फोनिशियन अक्षरों से अधिक प्रभावित है। बैदिक पाणिन (फोनिशियन) ने ही भारत से लेखन कला को पश्चिमी एशिया तक पहुँचाया और उसी ने यूनानी लिपि का प्रचलन हुआ।

ब्यूलर तथा बेवर इससे विपरीत विचार रखते हैं। (अलफाबेट पृ० २३५, इंडियन पैलियोग्राफी पृ० १०) उनके विचार से फोनिशियन (पश्चिमी एशिया की एक लिपि) से ही ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई। यानी अनार्य लिपि से ब्राह्मी निकली है। उनके कथनानुसार फोनिशिया की लिपि का एक तिहाई अक्षर ब्राह्मी से मिलता (यानी मद्ग) है। यद्यपि दोनों देशों में आवागमन के साधन कठिन थे तथापि यह क्यों निश्चित कर लिया जाय कि फोनिशिया से ही व्यापारी भारत आए और अपनी लिपि का प्रसार किया? इसके विपरीत

यह भी माना जा सकता है कि भारतीय व्यापारी जब बहा गए तो पश्चिमी एशिया में लिपि की उत्पत्ति हुई।

टेलर दक्षिणी सेमिटिक तथा ब्यूलर ने उत्तरी सेमिटिक से ब्राह्मी की उत्पत्ति का सिद्धान्त स्थिर किया है (डिरिजर-अलफावेट पृ० ३३५) अत्यन्त प्राचीन समय में भूमध्य सागर से हिन्द महासागर में आवागम की सुविधा रही। परन्तु अरबी से ब्राह्मी पर प्रभाव की बात हास्यास्पद है। ब्यूलर अपने विचार पर अधिक बल देते हैं कि मेसोपटामिया तक प्रचलित उत्तरी सेमिटिक अक्षरों में सुधार लाकर ब्राह्मी का विकास किया गया। उनके सिद्धान्त के अनुसार (अ) ब्राह्मी के अधर सीधे तथा एक ऊँचाई के होते हैं (ब) सभी अक्षर लम्बवत् लिखे जाते हैं और ऊपर तथा नीचे ही कुछ चिह्न जोड़ा जाता है।

इस तरह आर्य जाति ने कुछ चिह्न आदि जोड़ कर अपनी सुविधा से ब्राह्मी को तैयार किया। उन लोगों ने सदा ही सिरे के लकीर से अधर को नीचे लटकाया और स्वर के चिह्न को ऊपर या नाच जोड़ दिया। इसके कारण सेमिटिक अक्षर को उलट कर दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया। ऐसी परिस्थिति (सेमिटिक अक्षर में नए चिह्नों को जोड़ने से) में सेमिटिक लिपि के लिखने की दिशा को भी बदलना पड़ा और भारत में उभे बाएँ ने दाहिने लिखा गया। ब्यूलर के कथनानुसार ब्राह्मी के २२ अक्षर उत्तरी सेमिटिक से लिए गए हैं। कुछ फोनिशिया से और थोड़े एसिरिया के तौल पर अंकित लिपि से। शेष अक्षर नए चिह्नों को जोड़ कर तैयार किए गए और इस ढंग से ब्राह्मी की वर्णमाला तैयार हो सकी।

डा० डिरिजर का मत भी ब्यूलर के सिद्धान्त में मिलता है। उनके कथन से अनार्य (आरमेइक) अक्षर ही ब्राह्मी के पूर्व रूप माने जा सकते हैं (अलफावेट पृ० ३३६-७)। उनका कहना है कि पश्चिमी एशिया की सेमिटिक या अरमानियन व्यापारियों ने सर्व प्रथम भारत में सम्पर्क स्थापित कर अक्षरों का बहा समावेश किया। भारत ने ब्राह्मी को जन्म नहीं दिया अपितु पश्चिमी एशिया से ली गई लिपि प्रचलित की गई। स्वर तथा व्यंजन को चिह्न से व्यक्त करने की कला भी पश्चिमी एशिया से भारत पहुँची। अनेक अरबी अक्षर (अल्फ (अ) वेद (ब) गिमेल (ग) दालेय (द) आदि ब्राह्मी के सदृश लिखे जाते हैं। दूमरे स्थान पर यह कहा जाता है कि भारतीय अक्षर चित्रलिपि की तरह थे। सर्व प्रथम 'चित्र-लिपि' सेमिटिक ही थी। इसलिए सेमिटिक से ब्राह्मी उत्पन्न हुई। तीसरा प्रमाण दिया जाता है कि ब्राह्मी आरम्भ में दाहिने से बाएँ लिखी जाती रही (जैसे अरबी लिखा जाती है)। अतः यह व्यक्त किया गया है कि ई० पू० ५०० से पहले ब्राह्मी का कोई रूप नहीं मिलता, अतएव ब्राह्मी को वधो कर भारतीय मान सकते हैं? उपरि-लिखित प्रमाणों के उत्तर में यह कहना यथार्थ होगा कि ब्यूलर डिरिजर द्वारा कथित सेमिटिक तथा ब्राह्मी की समानता काल्पनिक है। उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित खरोष्ठी से मिलता है परन्तु ब्राह्मी से नहीं। फिर भी यह मत अन्य प्रमाणों से पुष्ट नहीं होता कि सेमिटिक से ही ब्राह्मी या खरोष्ठी की उत्पत्ति हुई। यह तर्क विपरीत भी हो सकता है (खरोष्ठी से सेमिटिक निकली) दोनों लिपियों अथवा अक्षरों में कुछ समानता दिखाई पड़ती है, पर इससे यह भाव नहीं निकाला जा सकता कि ब्राह्मी सेमिटिक का अनुकरण है। यो तो अंग्रेजी अक्षर इ (E) के सदृश ब्राह्मी ज होता है किन्तु ऐसे आधार पर कोई सिद्धान्त स्थिर करना युक्तिसंगत नहीं है।

संसार में प्रायः सभी लिपियाँ प्रारम्भ में "चित्र-लिपि" थीं। उससे ही लोगों ने कालान्तर में अक्षरों को लिखना शुरू किया। भारतवर्ष के प्रागऐतिहासिक युग के मुहुरों के लेख "चित्र-लिपि" में नहीं है। कुछ चित्र हैं पर स्वरध्वनि तथा शब्दांश के द्योतक हैं या नहीं यह निर्णय नहीं हो सका है। उनमें कुछ अक्षर भी प्रकटित हो रहे हैं। अतएव सम्भव है कि हरप्पा सभ्यता में उपलब्ध मुहुरों (seals) की लिपि से ब्राह्मी क्रमशः विकसित हुई हो।

ब्यूलर ने ब्राह्मी को दाहिने से बाएँ लिखने का जो प्रमाण दिया है वह अशोक के येरगुडी (करनूल, मद्रास) लेख तथा एरण के एक मुद्रा-लेख पर आधारित है। कनिंघम ने मध्य प्रदेश के जबलपुर से उस सिक्के का पता लगाया था जिस पर ब्राह्मी में मुद्रा-लेख दाहिने से बाएँ लिखा है। इसे एक आकस्मिक घटना मान सकते हैं और टकसाल के साँचा निर्माता-की भूल से ऐसा हो गया होगा। इसी तरह अशोक के लेख में लिखने का क्रम उलटा मिलता है। येरगुडी के लेख में पहली पंक्ति ठोक ढग से दाहिने से लिखी है और दूसरी पंक्ति दाहिने से बाएँ। तीसरी बाण से दाहिने तथा चौथी दाहिने से बाएँ। इसके स्पष्ट है कि लेख अंकित करने वाला वास्तविक रूप में ब्राह्मी लिखना जानता था। पर एक नयी प्रणाली (दाहिने से बाएँ) का उसी लेख में समावेश करना चाहा था। इसलिए विपरीत क्रम (दाहिने से बाएँ) भी कार्यान्वित किया। किन्तु कुत्रिम रूप के आधार पर कोई सम्भार सिद्धान्त स्थिर करना युक्ति सगत न होगा।

साहित्यिक आधार पर बृद्ध-काल से भी पूर्वं ब्राह्मी का प्रचलन प्रकट होता है। पुरातत्व विभाग की खुदाई में अशोक ब्राह्मी से भी पूर्वं पिपरावा स्तूप (उत्तर प्रदेश) के भस्म पात्र पर अक्षर खुदे हैं (ई० पू० ४२०) इससे भी पूर्वं पाणिनि के समय लिपि का ज्ञान भारतवासियों को था। मद्यो में यह व्यक्त करना आवश्यक है कि वैज्ञानिक रूप में ब्राह्मी में प्रत्येक अक्षर ध्वन्यात्मक चिह्न है। लिखने तथा बोलने में समता है यानी जो लिखते हैं उसी के समान उच्चारण भी करते हैं। इसमें चौसठ स्वर व व्यंजन के चिह्न हैं। लृह्य तथा दीर्घ के पृथक पृथक चिह्न वर्तमान हैं तथा मध्य में स्थित चिह्न से स्वर व्यंजन का मेल होता है। अ सभी व्यंजन में निहित तथा अन्तर्वर्ती हैं। इस प्रकार ब्राह्मी वैज्ञानिक लिपि है तथा उसमें एक क्रम है। इन सबल प्रमाणा के सम्मुख सेमिटिक ऐसी अवैज्ञानिक लिपि से ब्राह्मी को उत्पत्ति कैसे मानी जा सकता है ?

यह उल्लेख ही चुका है कि बौद्ध ग्रंथों में जितनी लिपियों के नाम आते हैं उनमें ब्राह्मी को सर्व प्रथम स्थान दिया गया है। ईसा पूर्व पांच सौ वर्षों से ब्राह्मी का प्रयोग भारत में निरन्तर होता रहा है। अशोक के समय में तो सारे भारत वर्ष में ब्राह्मी से भारतीय (उत्तर पश्चिम के कुछ गांधार का भाग छोड़कर) इस लिपि में लिपियों का विकास लेख अंकित किए गये। यह राष्ट्रीय लिपि ई० पू० ५०० से ईसवी सन् के ३०० तक समान रूप में पाई जाती है। जिसके तत्पश्चात् कुछ परिवर्तन आने लगा। गुप्त काल से ब्राह्मी में स्पष्ट विभेद दीख पड़ता है। उसके स्वरूप को ध्यान में रखकर ब्राह्मी का दो विभाग किया जाता है—

- (१) उत्तरी भारतीय शैली
- (२) दक्षिण भारत की शैली

हरिजर के मतानुसार मौर्य सम्राट् अशोक के लेखों में प्रयुक्त लिपि के पश्चात् (ईसा पूर्व दूसरी सदी) कलिङ्ग में कुछ भिन्नता उत्पन्न हो गयी थी । हाथी गुम्फा लेख की लिपि को कलिङ्ग शैली को ब्राह्मी कह सकते हैं । इसी प्रकार शुंग कालीन भरहुत वेदिका के लेख तथा दक्षिण के शासक सातवाहन लेखों (नासिक, नानाघाट) की लिपि एक सदृश नहीं हैं । ब्यूलर ने उत्तरी भारत की शैली को यानी गुप्त युग से पूर्व लिपि को दो भागों में विभक्त किया है । शुंग कालीन लिपि से उत्तरी क्षत्रप (रजुवल्) का मथुरा लेख के अक्षर मिलते हैं तथा दोनों लिपियाँ में समानता है । उसने भी भिन्न कुषाण लिपि समझी जानी है जो कनिष्क कृतिष्क तथा वासुदेव की प्रशस्तियों में प्रयुक्त है । प्रायः सत्तर लेखों में इस तरह की लिपि वर्तमान है ।

यदि मौर्य काल से ईसवी सन् की तृतीय शताब्दी तक के लिपियों का गम्भीर अध्ययन किया जाय तो पता चलता है कि अशोक कालीन लिपि में स्वर के बिन्दु अक्षर के सिरे पर या नीचे लगाए जाते थे । विसर्ग का नाम नहीं था तथा ऋ का सर्वथा अभाव था । इसका व्यवहार सर्वप्रथम उपवदत्त के नासिक लेख (ई० स० १२-२५) में पाया जाता है । रुद्रामन के गिरनार लेख (ई० स० १५०) में सयुक्त अक्षर का प्रयोग निश्चित रूप से मिलता है ।

अशोक के पश्चात् अनेक लेखों (बेसनगर, नानाघाट, भरहुत तथा हाथी गुम्फा के लेख) में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है । उदाहरणार्थ पहले चार बिन्दुओं से इ मात्रा का बोध होता था पर बाद से तीन बिन्दुओं से ई तथा चौथे से अनुस्वार का बोध होने लगा । भरहुत में ई के लिए एक निश्चित स्वरूप दिखलाई पड़ता है । मथुरा के क्षत्रप लेखों में अक्षरों का आकार त्रिभुज के रूप में होने लगा । हाथी गुम्फा में अक्षरों के सिरे छोटी रेखा वर्तमान है । अशोक कालीन ब्राह्मी के अक्षरों में गालाई था । रेखा नहीं थी जो आगे चल कर प्रकट हो गई । मौर्य ब्राह्मी में दीर्घ ई तथा ऊ के लिए क्रमशः मिरं तथा नीचे दो रेखा जोड़ दी जाती थी । परन्तु ईसवी सन् से इनका पृथक स्वरूप मिलता है । मथुरा तथा सारनाथ के लेख में कुषाण युग में ई के लिए बिन्दुओं के स्थान पर रेखाओं का प्रयोग होने लगा । ई स्वर के चिह्न ने नवीन रूप धारण कर लिया । ण चार प्रकार के लिखे जाने लगे । दूसरी सदी में हलन्त का प्रयोग आरम्भ हुआ और उसके लिखने में हलन्त वाला अक्षर साधारण अक्षरों से नीचे (उसी सीध में नहीं) लिखा जाने लगा । अक्षरों की सिरों रेखा गिरनार के लेख में (१५० ई०) (अक्षरों के सिरे पर) एक छोटी रेखा के सदृश प्रकट हुई जो आगे चलकर लम्बी लकीर बन गई । पश्चिमी भारत के क्षत्रप शासक तथा दक्षिण के सातवाहन नरेशों के मुद्रा लेखों में अक्षरों के नए स्वरूप मिलते हैं । ज, य, स, ह, क्ष, म तथा इ का नया रूप सामने आता है । इसका कारण यह बनलागा जाता है कि सिक्कों पर स्थान की कमी के कारण नए शैली के अक्षर लिखे गए ।

चौथी सदी से भारतीय लिपि में विशेष रूप से भिन्नता आ गई । मौर्य युग से तीसरी सदी तक ब्राह्मी में अमूल परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ता । अक्षर का रूप तथा कुछ नए रूप के समावेश से वह भिन्नता नहीं आ सकी जिसको नया नाम देकर गुप्तलिपि व्यक्त किया जाता । किन्तु चौथी सदी से छठी सदी तक नवदा के उत्तर में प्रचलित लिपि को "गुप्त लिपि" की संज्ञा दी गयी क्योंकि

उस अवधि में गुप्त शासक थे। समय तथा स्थान के कारण निश्चित रूप से ब्रह्मी में विभेद आ गया। 'गुप्त लिपि' का प्रयोग संस्कृत भाषा में सर्वत्र होने लगा। उदयगिरि (भिलसा के समीप) के लेख में जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय का सर्वप्रथम उपयोग दिखलाई पड़ता है। "गुप्त लिपि" के अध्ययन के फलस्वरूप दो उपविभाग किये गये हैं। श्री राखालदास वैजर्जी चार उपविभाग मानते हैं। (१) पश्चिमी ढंग के अक्षर जिसमें कोई नया रूप नहीं है। प्रथम कुमार गुप्त के भिलसद लेख (एटा जिला, उत्तर प्रदेश) की लिपि पश्चिमी उपविभाग का प्रतिनिधि समझी जाती है। इसमें स्वर के चिह्न स्पष्ट हैं जो आगे चलकर कुटिल लिपि का स्थान लेते हैं। (२) पूर्वी शैली में ल, स, ह तथा म अक्षरों का नया रूप दिखलाई पड़ता है। प्रयाग का स्तम्भ लेख इसका प्रतिनिधित्व करता है। इ के लिए दं, बिन्दु तथा सामने लम्बवत् रेखा का प्रयोग मिलता है। सभी अक्षरों में कोण तथा सिरों पर रेखा का समावेश 'गुप्त लिपि' में पाया जाता है। इसी को "सिद्धमातृका" के नाम से पुकारते हैं।

गुप्त युग के पश्चात् छठी से सवी सदी तक गुप्त-ब्राह्मी से भी अधिक भिन्नता उत्तरी भारत के लिपि में दिखलाई पड़ने लगी। गुप्त लिपि के प्रत्येक अक्षर में नीचे की ओर खड़ी रेखाएँ बाईं ओर मुड़ी हैं तथा स्वर की मात्राएँ टेढ़ी और लम्बी हो गई। इसी कारण इन तीन सौ वर्षों की लिपि को कल्पना की गई। जो "कुटिल लिपि" के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह शब्द केवल लेख (उत्तर प्रदेश) में 'कुटिला धराणि' कहा गया है तथा विक्रमाकदेव चरित में कुटिलिपि उल्लिखित है। कालान्तर में इसको 'बिक्टाक्षरा' भी कहने लगे। पिछले गुप्त नरेश आदित्यसेन का अपसद (गया जिला) तथा विष्णु गुप्त का भगराव । (साहावाद जिला) लेख इसी लिपि में उत्कीर्ण हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजपुताना के लेख इस लिपि से सम्बन्धित हैं। मदसौर, मधुवन जोषपुर आदि लेखों में अक्षर नागरी से मिलते जुलते हैं। आ, हलत, उपध्मानीय आदि का प्रयोग नागरी के समान है यानी कुटिल तथा देव नागरी लिपि में कोई अन्तर नहीं दिखलाई पड़ता। कुटिल लिपि से ही नागरी तथा शारदा लिपियाँ निकलीं। हलन्त व्यञ्जनों के सिरों पर पंक्ति से नीचे नहीं मिलते किन्तु स्वर व्यञ्जनों के साथ समान पंक्ति में ही लिखा है।

भारतवर्ष की सर्वप्रसिद्ध लिपि नागरी का विकास सिद्धमातृका से माना जाता है। नागरी का नामकरण विवादास्पद है। नगर के रहने वाले जिस लिपि में लिखने लगे उसे 'नागरी' का नाम दिया गया अथवा गुजरात के नागर ब्राह्मण जिस देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे, उसे 'नागरी' कहा गया। इसमें सिरों की पंटी रेखा लम्बी होती गई और अक्षरों में लम्बी लकीर का समावेश हो गया। सिद्धमातृका से भिन्न सिरों की मात्राएँ अधिकतर सीधी हो गईं। सातवीं सदी के अभिलेखों में 'नागरी' के स्वरूप का आभास मिलने लग गया था। परन्तु नवीं सदी से सर्वत्र 'नागरी' में लेख या पुस्तक लिखना आरम्भ हो गया। ११ वीं सदी तक उत्तरी भारत में 'नागरी' ही प्रधान लिपि हो गई और उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, बंगाल, राजपुताना में सर्वत्र 'नागरी' में अभिलेख तथा मुद्रालेख उत्कीर्ण होने लगे।

नागरी को 'देव नागरी' की संज्ञा दी गई है। सम्भवतः देव कार्य के लिए ब्राह्मण प्रयुक्त करते थे इसलिए देवनागरी नाम प्रसिद्ध हुआ। यह सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है जिस के प्रत्येक अक्षर में 'अ' अन्तर्निहित है। उसका पृथक उच्चारण नहीं होता। इसमें १४ स्वर तथा ३४ व्यंजन पाए जाते हैं।

उत्तरी भारत की ब्राह्मी से ही देव नागरी विकसित हुई और उसीसे समकालीन शारदा तथा बगला लिपियों की भी उत्पत्ति हुई। पश्चिमो गुप्त लिपि से आठवीं सदी में काश्-

कैथी आदि

मीर में शारदा लिपि का विकास तथा प्रसार हुआ। शारदा में अक्षर मूलतः देवनागरी के समान है परन्तु उनका स्वरूप भिन्न है। पूर्वी गुप्त लिपि में बगला लिपि का पूर्व रूप पाया जाता है यानी सातवीं सदी के पश्चात् नागरी लिपि से ही बगला लिपि निकली। पाल राजा चर्मपाल तथा देवपाल के लेख नागरी लिपि में ही मिलते हैं। श्री चक्रवर्ती ने अपने लेख (बगाली अक्षर का विकास) में इस बात को सिद्ध किया है कि सातवीं सदी की लिपि के पूर्वी उपविभाग से बगला का जन्म हुआ। नागरी से दसवीं सदी तक वह प्रभावित रही यानी दोनों लिपियों में समानता थी। परन्तु इसके बाद स्वतंत्र रूप धारण कर दिया। बगला को १५वीं तथा १६वीं सदी में पूर्ण विकसित पाते हैं। पूर्वी नागरी से ही कैथी, महाजनी, राजस्थानी तथा गुजराती लिपियाँ निकलीं। कैथी को काश्मिरी लोग लिखते रहे। देवनागरी से इसमें दो स्थानों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अक्षरों में सिरों को पड़ी रेखा खड़ी तथा रेखा का कैथी में सर्वथा अभाव है। कैथी में ई या ऊ का दीर्घ नहीं होता तथा स या श में अन्तर नहीं दिखाई पड़ता। महाजनी को मारवाड़ी वर्ग व्यापार के सम्बन्ध में प्रयोग करते हैं।

भारत में बिन्द्या के दक्षिण तर्जदा नदी दक्षिणापथ की सीमा निरिखत करती है परन्तु लेखन कला के आधार पर पश्चिम में काठियावाड़ तथा पूरव में बगाल के दक्षिण भाग को दक्षिणो भारत के नाम से प्रयुक्त किया गया है और उस भाग में दक्षिण भारत की शैली प्रचलित लिपि दक्षिण भारतीय शैली में सम्बन्धित है। उस भूभाग में बसने वाले लोग द्रविड या द्रमिड के नाम से विख्यात हैं। पालि दमिल तथा संस्कृत तमिल शब्दों से वहाँ की भाषा परिवार की जानकारी हाती है। इसलिए भारतीय लिपि के दक्षिण शाखा को "द्रविड लिपि" कहा जाता है। वह लिपि ईसवी सन् की चौथी सदी में प्रयुक्त होने लगी और गुप्त काल में भारतीय लिपि की उत्तर तथा दक्षिण शाखाएँ पृथक हो गईं। मोटे तौर पर उत्तरापथ की लिपि में कोण युक्त अक्षर तथा अक्षर के सिरों पर पड़ी रेखा को स्थान मिल गया। दक्षिण के अक्षरों पर वर्गकार आकृति जोड़ दी गई जो बाक्सनुमा कहो जाती है।

दक्षिणापथ की द्रविड लिपि निम्न भागों में विभक्त की गई है —

(१) पश्चिम उपविभाग—काठियावाड़ गुजरात, मराठा जिले तथा कोकण में प्रयुक्त। गुजरात काठियावाड़ में उत्तरी शाखा की लिपि काम में लाई जाती थी, अतएव उसका प्रभाव दिखलाई पड़ता है।

(२) मध्य भारत की लिपि—इसमें भी अक्षरों पर वर्ग का स्थान दिया गया था यानि वाक्सनुमा आकार वाले अक्षर ।

(३) तेलगु लिपि—दक्षिण भारत में इस लिपि को प्रधान स्थान दिया गया है । इसका प्रयोग तथा विकास बम्बई के दक्षिण भाग में, मैसूर तथा आंध्र प्रदेश में मिलता है । इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग पाचवी सदी म हुआ तथा कन्नड ग्रन्थ 'कविराज मार्ग' (६ वी सदी) में यह लिपि प्रयुक्त है । तमिलनाडु प्रदेश के तेलगु लेख से भी पहले तामिल का प्रयोग मिलता है ।

(४) ग्रन्थ लिपि—पूर्वी मद्रास किनारा, काची के भाग से प्राप्त प्राचीन संस्कृत अभिलेख 'ग्रन्थ' के नाम से प्रसिद्ध थी । काची ५वी-९वी सदी तक तथा चोल (उत्तरी मद्रास) राज्य म ९वी से १४वी सदी तक प्रयुक्त हानी रही । पल्लव राजवंश के ताम्रपत्र (७वी सदी) 'ग्रन्थ' में ही लिखे गये थे । आरकाट से केरल तक पुस्तकें इसी लिपि में लिखी गई थी, इसी कारण इसका नाम 'ग्रन्थ लिपि' पडा ।

(४) तामिल लिपि—इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता । व्यूलर का मत था कि पाचवी सदी की आरम्भ से यह निकली और कालान्तर में 'ग्रन्थ' से प्रभावित हुई । द्रविडी लिपि में तामिल लिपि का सम्बन्ध अनिश्चित है । आरकाट, मद्रुरा तथा केरल तक तामिल की अपूर्णता के कारण संस्कृत की पुस्तकें 'ग्रन्थ' लिपि में लिखी गई । तमिलनाडु के भूभाग में तथा मालावार प्रदेश के लेखों में (चोड, चालुक्य एवं राष्ट्र कूटके दानपत्रों) में सातवी सदी से तामिल का प्रयोग होने लगा था । इस में सयुक्त व्यंजन एक दूसरे से मिला कर नहीं किन्तु पास-पास लिखे जाते हैं । इसमें कुल १८ व्यंजन हैं । इसी कारण संस्कृत ग्रन्थों में लिखा नहीं जा सकता । जब आवश्यकता पडी तो 'ग्रन्थलिपि' में लिखे जाते हैं ।

तामिलनाडु के गजाम तथा कलिंग में दामन करने वाले गण वंशी राजाओं के दानपत्रों में ७वी से ११वी सदी तक कलिंग लिपि का प्रयोग मिलता है । इसमें मध्यदेशीय लिपि का अनुकरण है तथा अक्षर के सिरे पर संदूक की आकृति वर्तमान है । इसमें तेलगु, ग्रन्थ तथा नागरी का सम्मिश्रण पाया जाता है ।

लेखक तथा लिखने की विधि

भारतवर्ष में अक्षर की विद्वानों ने पता लगाया और साहित्यिक क्षेत्र में पुरोहित अथवा ब्राह्मण इसका प्रयोग करते रहे । लिपि से पूर्व भाषा तथा स्वर विद्या का ज्ञान स्वतः प्रमाणित होता है । भाषाविद् के समक्ष साहित्य का अध्ययन प्रमुख था और लेखन कार्य की उतनी आवश्यकता न थी । समाज के विकास के साथ विभिन्न जीविका के द्वारा लोग जीवन निर्वाह करने लगे और लेख-कार्य भी एक जीविका का साधन बन गया ।

हमारे महाकाव्यों में लेखन शब्द का उल्लेख पाया जाता है । रामायण तथा महाभारत के अतिरिक्त पालि साहित्य में इस शब्द का प्रचुर प्रयोग किया गया है । मुद्राराक्षस में पचाविकारी लेखक या श्रोतिय की प्रशंसा की गई है—

(अ) श्रोत्रिय अक्षराणि प्रयत्न लिखितान्यपि

(ब) अहो दर्शनीयान्यक्षराणि (प्रथम अंक)

बीड ग्रंथ विनयपिटक (भिक्षुपाचितिय एवं धुधिस्ट इंडिया पृ० १०८) में लेखन कला की प्रशंसा की गई है । महावग्ग (१, ४९) तथा जातको में (इंडियन स्टडीज ३, २) राजकीय पत्रों का विवरण पाया जाता है जिससे प्रकट होता है कि राजकीय आज्ञा पत्रों के लिखने में दक्षता की आवश्यकता रहती थी । अभिलेखों में सर्वप्रथम साचों के लेख में (स्तूप न० १ सं० १४३) 'लेखक' शब्द का प्रयोग मिलता है । उससे दानकर्ता के जीविका का तात्पर्य था । कालान्तर में 'लेखक' शब्द का प्रयोग प्रशस्तिकार (शिला या ताम्रपत्र का लेखक) के लिए होने लगा । ब्राह्मण या कायस्थ वर्ग के व्यक्ति इस कार्य को करते थे । जैन-धर्म-ग्रंथ मिश्रु तथा भिक्षुणी द्वारा पढ़ने के निमित्त नकल किये जाते थे । नालंदा के लेख में धर्म-ग्रंथ के लिखने के लिए (नकल करने) दान देने का वर्णन मिलता है (धर्मरत्नस्य लेखनः-दर्थ— ६० भा० २०) । अशोक के लेख में (ईसा पू० चौथी सदी में) लिपिकर (लिखितं लिपि-करणेन-व्यागिरि , लिपिकरपराधेन-गिरनार लेख तथा दिपिकर शाहवाजगदी १४वा शिलालेख) शब्दों का प्रयोग धर्मशासन को प्रस्तर पर लिखने वालों के लिए प्रयुक्त मिलता है । लिपिकर तथा लग्यक समानार्थक शब्द है परन्तु लेखक शब्द ही अधिक प्रयुक्त है । आठवीं सदी के बलभी लेख में दिविगिपति शब्द उल्लिखित है जिसका तात्पर्य यह हो सकता है कि वह राजकीय पत्रों के लेखने से उच्च कोई अधिकारी था । ब्यूलर ने अशोक के दिपिकर शब्द को ईरानी दिविर से उत्पन्न बतलाया है । दिपिकर प्राकृत में दिविकर हा गया हागा किन्तु दोनों एक ही शब्द के दो रूप होंगे ।

ईसवी सन् के पश्चात् लेखन कार्य एक विशिष्ट वर्ग के हाथों आ गया जो कायस्थ के नाम से उल्लिखित है । याशवल्क्य स्मृति (१, ३३६) में उल्लिखित कायस्थ शब्द पर टीका करते विज्ञानश्वर ने उसका अर्थ लेखक माना है । (कायस्थ गणका लेखकादन) । पाचवीं सदी के दामोदरपुर ताम्रपत्र में कायस्थ वर्ग का मुखिया जिजा मर्मित का सदस्य बतलाया गया है (ए० ६० भा० १५) । कायस्थ उस समय किसी वर्ग या जाति का नाम नहीं था परन्तु राज घराने में जो कोई लेखक का कार्य करता रहा वह कायस्थ नाम से सम्बोधित किया जाता था । कायस्थ शब्द का दार्शनिक रीति से यह अर्थ निकलना है कि जिस व्यक्ति का ध्यान शरीर (काय) में कन्द्रीभूत हो जाय और किसी वस्तु की परवाह न करे, वह कायस्थ पुकारा जा सकता है । अस्तु, विभिन्न वर्ण तथा जाति के व्यक्ति राजदरबार में कायस्थ का कार्य (लेखन कार्य) करते थे, जो कालान्तर में एक जाति के रूप में संगठित हो गए ।

कायस्थ शब्द के अतिरिक्त लेखक के लिए करण, करणिक, करणिन आदि शब्द प्रयुक्त होते रहे । चेदि लेख (करणिक धीर सुवेन) तथा चन्देलों के खजुराहो प्रशस्ति में करणिक शब्द का प्रयोग मिलता है जो सुन्दर अक्षर लिखने के लिए प्रसिद्ध थे । कार्यालय (अधिकरण या श्राकरण) से सम्बन्धित लेखक करण या करणिक कहलाया । कोलहानों ने करण से कानूनी पत्रों के लेखक का अर्थ माना है ।

मध्य युग के [१२वीं सदी] चन्देल, चेदि व चहमान लेखों में कायस्थ के सम्बन्ध में अत्यधिक बातें उल्लिखित हैं । अनेक प्रशस्तियों में लेखक के अतिरिक्त वह धर्मलेखी (धार्मिक दान का लेखक) भी कहा गया है । दानपत्रों में वर्णन आता है कि गौड़ (उत्तरी बंगाल)

कायस्थ सुन्दर अक्षर लिखते थे (लिखिता रुचिरा अक्षरा गोडेन—ए० इ० भा० १ पृ० १४७) स्यात् अच्छे रीति से लिखने के कारण गौड कायस्थ को मध्य देश के राजाओं द्वारा निर्मात्रण दिया जाता था। खजुराहो लेख (१० वीं सदी), मध्यप्रदेश के कलचुरि प्रशस्ति तथा मारवाड़ से प्राप्त चहमान लेखों में कायस्थ की प्रशंसा की गई क्योंकि वह राजकीय पत्रों को सुन्दर व ललित अक्षरों में लिखता था।

(१) लिखितं श्री गौडान्वय कायस्थ पेयडेन (ए० इ० ११ पृ० ४१)

(२) द्विजवर्गनतिरिक्त शुद्ध कायस्थ वश्यो
हृदयधर समाख्यः श्री शिव स्तम्भ मूनु
अलिख दखिल वर्ण व्यक्तं पक्ति प्रशस्यं
नव किसलय कान्तं ताम्रेतन्द्विजानाम् (ए० इ० १४ पृ० १९५)

(३) विरचित शुभ कर्मानाम कायस्थ वश्य
सकल गुण गुणाना वेश्य पृथ्वीधराख्यः
अलिख दवनि पालस्याजया धर्मलेखी
स्फुट ललित निवेशैरक्षरैस्ताम्रपट्टम् (ए० इ० १४ पृ० १४)

इसी तरह कर्णिक की भी बर्चा लेखों में आती है जो सुन्दर अक्षर लिखने के कारण गौड देश में मध्य देश या राजपुताना में निर्मात्रित किये गए थे। यह भी वर्णन आया है कि उन्हें संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था, इस कारण शुद्ध लिख सकते थे।

लिखितं चंद करणिक श्री सर्वानन्देन (ए० इ० ११ पृ० १४५)

संस्कृत भाषा विदूषा जयगुण पुत्रेण
कोतुका लिखिता. रुचिराक्षरा
प्रशानि करणिक जद्धेन गोडेन (ए० इ० १ पृ० १२९)

प्राचीन अभिलेखों में प्रशस्ति अंकित कराने के प्रसंग में शिल्पिन, रूपकार या मूर्तधार या शिलाकूट शब्दों का प्रयोग मिलता है। उनके विवेचन में प्रकट होता है कि सर्व प्रथम प्रशस्ति या लेख राजकीय पदाधिकारी द्वारा लिखा जाता था (जिसे सूत्रधार लेखक कह सकते हैं) और उसीको पस्तर अथवा नामात्र पर गोदा जाता था। गौतमी पुत्र शातकर्णिक के नामिक लेख के अंत में "नाप-सेन कृता" उल्लिखित है जिसका भाव यह है कि तापम (नाम) द्वारा खोदा गया (उकीर्ण किया गया)। इस तरह का सदभर्ष्व मध्यकालीन प्रशस्तियों में अधिकतर पाया जाता है जो ताम्रपट्टिका या शिला खण्ड पर खोदी जाती रही। खोदने वाला शिल्पी कहा गया है। बगाल के लेख में मगध के शिल्पी सोमेश्वर का निम्न प्रकार उल्लेख है जिसने प्रशस्ति खादी थी—

शिल्पविन मागध कामी तन्मना वर्णभक्तिभि

सोमेश्वरो लिखिदिमाम् प्रशस्ति स्वामिष प्रिमाम्

(ए० इ० १३ पृ० ४५)

उसी तरह महीपाल के लेख में "इमं शासन उत्कीर्ण श्री महीधर शिल्पना" पाया जाता है (ए० इ० १४ पृ० ३२३) अन्य लेखों में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है।

रजपालस्य पुत्रेण पाल्लगेन च शिल्पिना
उत्कीर्णा वर्णघटना वैदग्ध्यो विश्वकर्मण

(ए० इ० भा० २० पृ० १३१)

यशोवर्म मुतेनेय साधुना नाग वर्मणा
रम्या प्रशस्तिरुत्कीर्णा कला कौशलशालिना

(धनिक को नगर प्रशस्ति से)

ताम्रपत्र पर कुशल शिली द्वारा लेख खुदवाने का कार्य १२ वीं सदी तक के लेखों में पाया जाता है ताड़ पत्र पर स्याही से लेख लिखकर अक्षरों को कील से खोद दिया जाता था। इसी रीति का अधिकतर प्रयोग मिलता है।

(१) उत्कीर्णा प्रचुरासा प्रशस्तिरियधरै रुचिरः (ए० इ० भा० २६ पृ० २६३)

(२) लिपिज्ञान विधिज्ञेन प्राज्ञेन गुणशालिना
निहनय समुत्कीर्णा सद्वर्णा रूप शालिना (ए० इ० १ पृ० १५७)

(३) उत्कीर्णा सोमनाथेन टङ्क विज्ञान शालिना (वही पृ० ८१)

(४) चक्रदासेन उत्कटितम् (प्रभासनी गुप्ता का पूना ताम्रपत्रे)

(५) उत्कीर्णा च हेमकार कृष्णश्वरेण (जोधपुर को प्रशस्ति)

(६) श्रीमतातातटेनेद उत्कीर्ण गुणशालिना (खालीमपुर ताम्रपत्र)

(७) कई अन्य लेखों में प्ररतर नोदने वाले तथा स्वर्ण कार का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इमा शिलाशिल्पवर, प्रशस्ति स शूलपाणि

स्वयमुच्चवान (गोविन्दपुर लेख)

इति सुवर्ण कार्य पुत्रेण अपायेन लिखियन्ताम्र पट्टिका (मया अभिलेख)

यशोवर्मन को महामां प्रशस्ति में "उत्कीर्णा गोविन्देन" उल्लिखित है।

इन उद्धरणों से अर्थ यह निकलता है कि शिल्पी को प्रस्तर या ताम्रपट्टिका पर प्रशस्ति खोदने (उत्कीर्ण) में कुशल समझ कर कार्य सौंप दिया जाता था। वह मुन्दर अक्षरों में उचित रीति में प्रशस्ति उत्कीर्ण करता जिसमें उनकी कुशलता का परिज्ञान होता था। वह कारीगर सुनार, लोहार काष्णकार या ताम्रकार जाति का होता था जिसका जीविका उसी कार्य पर निर्भर थी यह कहना सम्भव नहीं कि कितने समय में एक ताम्रपत्र खोदा जाता था।

दामपत्रों को 'शासन' की सजा मध्ययुगी लेखों में दी गई है। वाकाटक नरेश प्रवरसेन की प्रशस्ति में (चमक लेख) 'शासन लिखितमिति' वाक्य उल्लिखित है। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र में यही वाक्य उल्लिखित है। वसिम ताम्रपत्र में शासन का निर्माणकर्ता 'लिखितमिम शासन' वाक्य पूर्वोक्त कथन की पुष्टि करता है। राष्ट्रकूट लेखों में दूतक द्वारा लिखने का वर्णन है—दूतक लिखितं श्री गौडमुतेन"। पालवंशी लेख उगे 'शासन' का ही नाम देते हैं (शासन उत्कीर्ण) चहमान वंशी-राजा विग्रहपाल के स्तम्भलेख में "लिखितमिद राजा आदेशात्" वाक्य मिलता है। गुप्त युग के लेखों का अध्ययन यह बतलाता है कि शासन (राजकीय पत्र) तैयार करने का कार्य किसी

ऊँचे पदाधिकारी के हाथ में रहता था। प्रयागस्तम्भ की प्रशस्ति हरिवेण ने लिखी थी जो कुमारामात्य तथा सन्धिविग्रहिक (मंत्री) पद को सुचोभित कर चुका था। प्रथम कुमारगुप्त की मददगार प्रशस्ति की रचना वत्सभट्टि ने की थी (अयंप्रयत्नेन रचिता वत्स भट्टिना) बलभी राजा धरमेन के ताम्रपत्र में "सन्धिविग्रहः अधिकरणाधिकृत दिविरपति स्कन्दभट्ट" का नाम आता है (इ० ए० ६ पृ० ९)। शासन लिखते समय दूतक भी मौजूद रहता था और अंत में शासक हस्ताक्षर करता था। बासखेडा ताम्रपत्र के अंत में "स्वहस्तोमम महाराजाधिराज श्रो हर्षस्य" का उल्लेख हस्ताक्षर को (वर्तमान वा० खुद) व्यक्त करने के लिए अंकित किया गया था। राजतरंगिणी (५, ३९७) में एक पदाधिकारी—पट्टयाध्याय का नाम आता है जो काश्मीर में राजकीय पत्रों (शासन) को तैयार करता था। अक्षपटलिक नामक अधिकारी उन शासनो को संग्रह कर रखता था। इस तरह पुराने समय में राजाशा को प्रस्तर या पट्टिका पर उत्कीर्ण करने का कार्य संपन्न किया जाता था।

नासिक गुहा लेख में वर्णन मिलता है कि दान की घोषणा कर तथा लेखन कार्य संपन्न होने के पश्चात् ताम्रपत्र (फलक) को निगम सभा को रजिस्ट्री निबन्ध कर्म (निबंध) कर वही कार्यालय (फलकवार) में सुरक्षित रक्खा जाता था ताकि भविष्य में उसी लिखित नियम का पालन हो सके। उल्लेख पठनीय है —एत च सर्वं स्थावित निगम सभाय निबंध च फलकवारे चरित्रतोति। भूयोनेन दत्तं वसे ४० + १ कातिक धूषेनरसपुवाक वसे ४० + ५ स्थावित..... फलकवारे चरित्रतो ति। (ए० इ० भा० ८ पृ० ८२)

दान लिखकर राजकीय कार्यालय (फलकवार) में सुरक्षित किया जाता यानी रजिस्ट्री (निबंध) किया जाता था। समयानुकूल (चरित्रतो) उसकी प्रति सुरक्षित की जाती। पूर्व-मध्ययुग के लेखों में उस पदाधिकारी को 'अक्षपटलिक' कहते थे।

प्राचीन समय से ब्राह्मणों को बाएँ से दाहिने लिखने की रीति प्रचलित थी। पर खरोष्टी दाहिने से बाएँ (अनार्य ङग पर) लिखी जाती थी। एरण के मुद्रा लिखने की शैली लेख में 'घनपल्लदस' तथा अशोक के गेरगुडो लेख में कुछ पकितया दाहिने से बाईं ओर लिखी मिली है जिस आधार पर विदेशी विद्वान् ब्राह्मणों की उत्पत्ति खरोष्टी में मानने लगे थे। परन्तु इसमें वास्तविकता नहीं है। गेरगुडो में शिल्पी एक नया क्रम का प्रयोग कर रहा था जिसमें कुछ पकितया (२, ४, ६, ८, १०, ११, १३, १४, २३) दाहिने से बाईं ओर लिखी मिली है। इस आधार पर कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता। प्रागैतिहासिक युग की मुद्राओं पर भी सम्भवतः बाईं ओर से दाहिने अक्षर खुदे प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि बाएँ से दाएँ लिखने की परिपाटी ही सब से प्राचीन तथा भारतीय है।

पुराने अक्षरों के सिरे पर पड़ी लकीर देने की रीति ई० सं० से आरम्भ हुई परन्तु वह भी नोक की तरह छोटा। पडा रेखा नहीं थी। यह कहना उचित होगा कि अक्षर सीधी पंक्ति में होते थे। सम्भव है कि सीधी पंक्ति के लिए शिल्पी पूर्व ही निशान लगा देता रहा ताकि लिखते समय टेढ़ा न हो। प्राचीन लेखक अक्षर समूह या शब्द समूह की ओर ध्यान नहीं देते

२१४ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

ये और वाक्य को पृथक दिखाने के लिए किसी तरह का विराम चिह्न का भी प्रयोग नहीं करते रहे। यद्यपि प्राकृत लेखों में अक्षर समूह का प्रारम्भ हो गया था परन्तु संस्कृत अभिलेखों में विराम या खाली स्थान के प्रयोग से पद पृथक किए जा सकते हैं।

मौर्य युग में ईसवी सन् की पहली सदी तक विराम के निश्चित चिह्न नहीं थे। केवल एक छोटी पड़ी रेखा का प्रयोग मिलता है। किन्तु पाचवीं शताब्दी से विराम के चिह्न स्पष्ट रूप से मिलते हैं। मदसोर तथा हरहा (प्लेट नं० ३५ तथा ए० इ० भा० १४) की प्रशस्ति में एक खड़ी रेखा से पूर्ण विराम व्यक्त किया गया है। तीन खड़ी रेखाएँ कभी ग्रासन के अंत में दिखलाई पड़ती हैं।

सक्षिप्त चिह्न

दक्षिण के सातवाहन, उत्तर-पश्चिम के शक क्षत्रप तथा कुषाण लेखों की एक विशेषता है कि उनमें सचिमीकरण बः परिपाटी दिखलाई पड़ती है।

सम्बस्तर के लिए सम्ब, सब, स या स

गृष्म " " गृ० गौ० गि०

हेमन्त " " हे०

दिवस " " दि०

शुक्ल पक्ष " " शु० दि०

बहुल पक्ष " " ब० दि०

द्वितीय " " द्वि०

सिद्धम् " " श्री० सि०

राउत " " रा०

अतः इस विषय को समाप्त करते यह कहना असंगत न होगा कि स्वस्तिक, विरलन या धर्मचक्र आदि धार्मिक चिह्न भी प्रशस्ति उत्कीर्ण करने समय खोदे जाते थे जो धार्मिक भावना के द्योतक हैं। लेख के अन्त में राजमुद्रा को भी अंकित किया जाता था। गुप्त युग में गरुण की आकृति सिक्कों तथा कुछ लेखों पर मिलती है (गरुड ध्वज)। गज लक्ष्मी, शिव प्रतिमा, बोधिवृक्ष, धर्मचक्र या मदाशिव मूर्ति आदि विभिन्न राजवंशों को प्रशस्तियों पर अंकित मिलते हैं।

प्राचीन भारत में सहस्रों अभिलेख, प्रस्तर या ताम्रपट्टिकाओं आदि पर उत्कीर्ण किए गये थे जिनकी लिपि के सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा चुका है। प्रायः सभी को जानने की प्रवृत्ति

इच्छा होगी कि इन ब्राह्मी तथा खरोष्ठी के लेखों तथा प्रशस्तियों

प्राचीन भारतीय लिपि का स्पष्टीकरण का स्पष्टीकरण कब और किस प्रकार हुआ। इसका इतिहास यह बतलाता है कि कुछ भारतीय विद्वान् ७ वीं ८ वीं या ९ वीं सदी के हस्त-लिखित ग्रंथों को (संस्कृत या प्राकृत) पढ़ सके थे परन्तु इसके पूर्व लिपियों की जानकारी उन्हें न थी। १४ वीं सदी में फिरोजशाह तुगलक ने अजोक् के लेखों को पढ़ाने का प्रयत्न किया था जो अजोक् स्तम्भ पर खुदे थे और जिन स्तम्भों को अम्बाला के टोपरा तथा मेरठ से दिल्ली लाया गया था। भारत वासी उस लिपि से १८ वीं सदी तक अनभिज्ञ थे। सन् १७८४ में स्थापित बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सहयोग में इस कार्य में

प्रगति हुई। १७८५ में विल्किन्स ने एक पाल प्रशस्ति को (बदल स्तम्भ लेख) पढ़ा तथा राधाकान्त शर्मा ने चहमान विशाल देव की प्रशस्ति को स्पष्ट किया। विल्किन्स ने उन पठित अक्षरों की सहायता से गुप्त लिपि के थोड़े अक्षरों को स्पष्टतया पढ़ लिया। जेम्स टाड को राज-पुताना, मध्य भारत तथा गुजरात में एकचित्र लेखों को पढ़ने में आशिक सफलता मिल सकी।

१८२४ में ट्रायर तथा डा० मिल प्रयाग स्तम्भ लेख के पढ़ने में सफलीभूत हुए थे। उसके बाद ही स्कन्दगुप्त का भित्तरी स्तम्भ लेख पढ़ा गया। इस सम्बन्ध में जेम्स प्रिसेप का नाम गर्व के साथ लिया जा सकता है जिसने गुप्त लिपि का पूर्ण रीति से स्पष्ट किया और अक्षर पहचाने जा सके। चार्ल्स मेलेट ने ब्राह्मी अभिलेखों के स्पष्टीकरण के लिए परिश्रम किया था पर सफल न हो पाया। १८३६ में लसेन द्वारा भारतीय यूनानी मुद्रा-लेख पढ़ा गया और इस तरह ब्राह्मी के अक्षर अंशतः ज्ञात हो गए। इसका कारण यह था कि अगयुल्केयस के सिक्कों के अग्र भाग पर यूनानी लिपि में मुद्रा-लेख था और पृष्ठ ओर ब्राह्मी में। कभी-कभी अग्रभाग में यूनानी और पृष्ठ भाग में खरोष्ठी तथा ब्राह्मी के लेख क्रमशः अग्र तथा पृष्ठ भाग पर अंकित थे। इस प्रकार यूनानी लिपि की सहायता से खरोष्ठी तथा ब्राह्मी के अक्षर स्पष्ट हो सके। ब्राह्मी का पूर्ण ढंग से स्पष्ट करने का श्रेय जेम्स प्रिसेप को है जिसने प्रयाग, रथिया, मथिया तथा दिल्ली स्तम्भ लेखों का तुलनात्मक अध्ययन किया और गुप्त लिपि को पूर्णतः जान लिया। गुप्त लिपि में ब्राह्मी की जानकारी सरल हो गई क्योंकि अक्षरों के सिलसिला का पता लग गया। उसने स्वर तथा व्यंजन को पृथक् किया। स्वर का मूल्य जान कर प्रिसेप ने वर्ण में उन्हें विभाजित कर दिया। साची वेदिका पर खुदे लेख के अंतिम दो अक्षरों का शब्द अनुमान से व्यक्त हो गया। दान शब्द सर्वत्र एक साथ जिसे वेदिका के दान देने के प्रसंग से पढ़ा जा सका। अनुमान से भी अक्षर का वास्तविक ज्ञान हो गया।

खरोष्ठी के पढ़ने में अधिक सुविधा दो भाषा के मुद्रालेख से मिली जो भारतीय-यूनानी सिक्कों पर खुदी थी। टाड यथा वर्ण को ऐसे अनेक सिक्के मिले थे जिन पर अग्रभाग में यूनानी तथा पृष्ठ भाग में खरोष्ठी लेख उत्कीर्ण थे। विद्वानों का अनुमान ठीक निकला कि यूनानी लिपि तथा खरोष्ठी के मुद्रालेख एक समान हैं और दोनों लिपियों में एक नाम अंकित है। प्रिसेप इस का ध्यान में रखकर ग्रीक राजाओं का नाम पढ़ सका तत्पश्चात् खरोष्ठी के लेख पढ़े गये। इस प्रकार मुद्रालेख के सहारे लिपि का जानकारो पूर्ण हो सकी। शनैः शनैः ब्राह्मी तथा खरोष्ठी के मगस्त वर्णमाला का ज्ञान हो सका जिससे भारतीय संस्कृति के अमूल्य रत्नों की जानकारी सरल तथा सुलभ हो गई।

भारतीय अभिलेख तथा बृहत्तर भारत

पिछले पचास वर्षों से भारतीय इतिहास की एक विशेष शाखा का अध्ययन किया जा रहा है जिसे 'बृहत्तर-भारत' की सजा दी गई है। भारत की सस्कृति वर्तमान भौगोलिक सीमा के बाहर विस्तृत थी जिसके अध्ययन से एक ज्ञान-राशि प्रकाश में आई है। उत्तर-पश्चिम मार्ग से होकर मध्यएशिया, चीन तथा जापान तक भारतीय सस्कृति का विस्तार हुआ और पूर्वी बदरगाहों से दक्षिण-पूर्वी एशिया में हमारी सस्कृति का फैलाव हुआ। बृहत्तर-भारत में इस सस्कृति को ले जाने का श्रेय भारतीय व्यापारियों को है जो वाणिज्य के प्रथम में तथा व्यवसाय की अभिवृद्धि के लिए उन देशों में गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया और क्रमशः सांस्कृतिक बातों का फैलाव किया। बृहत्तर भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा कला का इतिहास इन बातों को स्पष्ट व्यक्त करता है कि भारतीय सस्कृति का विस्तार किस रूप से बढ़ा हुआ था। वहाँ के खण्डहर, भवन, मन्दिर तथा खुदाई से प्राप्त पुरातन्त्र साक्ष्यियाँ ऐसे अकाट्य प्रमाण हैं जिसके आधार पर भारतीय सस्कृति के स्वरूप तथा उसके विस्तार का परिज्ञान हो जाता है।

उन ऐतिहासिक सामग्रियों में लेखों पर विचार करना हा प्रस्तुत विषय है। समस्त प्राप्त अभिलेखों पर विचार करने से पता चलता है कि लेख गिलाबण्ड, स्तम्भ (यूप), प्रतिमा आधार, ताम्रपत्र तथा काँच घटे (bell) पर अंकित किए गए हैं। एशिया के दक्षिण-पूर्वी भाग में अनाम, चम्पा, मलय, बर्मा के भू भाग तथा बोनियो, जावा, बाली द्वीपों आदि के लेख पर्याप्त राख्या में मिले हैं। जावा में अधिकतर ताम्रपत्र तथा बर्मा में घटे पर खुदे लेख प्राप्त हुए हैं। मध्यएशिया में खुदाई के फलस्वरूप जो भोजपत्र पर लिखे ग्रन्थ मिले हैं और गुफाओं से चित्र तथा मूर्तियाँ प्रकाश में आई हैं, उनके अध्ययन से विस्तारपूर्वक भारतीय सस्कृति की जानकारी होता है। अतएव बृहत्तर-भारत के अभिलेखों की चर्चा तथा वर्णन द्वारा भारतीय सस्कृति का सौमित्र विवरण ही उपस्थित किया जायगा। अभिलेखों के अध्ययन से विशिष्ट देशों के राजनीतिक इतिहास का हा ज्ञान नहीं होता किन्तु उन देश के समाज, साहित्य तथा अन्य विचार धारा का परिज्ञान होता है। यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि हिन्द-चीन तथा द्वीपों के समस्त लेख सस्कृत भाषा में तथा भारतीय लिपि में अंकित किए गए हैं। भाषा अलंकारिक तथा काव्यमय है। उसका वैज्ञानिक विदलेषण कतिपय विषयों पर प्रकाश डालता है।

उनके विवेचन से भारतीय देवता तथा धर्म सम्बन्धी विषयों का परिचय मिलता है। प्रतिमाओं पर अंकित लेख यह बतलाता है कि हिन्द-चीन की जनता भारतीय जनता के सदृश देवताओं का पूजा करती थी। बुद्ध-धर्म के वहाँ प्रचार होने के पश्चात् हिन्दू धर्म का प्रभाव

स्पष्ट हो जाता है। लेखों का अध्ययन इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हिन्द चीन की जनता भारतीय साहित्य को पढ़ती थी। ब्राह्मण यज्ञ का वहाँ प्रसार था। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि बृद्ध मत के साथ हिन्दू धर्म का प्रसार वहाँ हो गया था किन्तु ब्राह्मण सस्कृति की ही प्रधानता दिखाई पड़ती है। दानपत्रों की चर्चा करते समय भारत के ताम्रपत्रों की याद आती है। उनमें दान का वर्णन है। षोडश महादान की भारतीय कल्पना हिन्द चीन में भी घर बना चुकी थी। उस प्रसंग में 'कल्पवृक्ष' तथा 'गोसत-सहस्र' का उल्लेख लेखों में आया है। संक्षेप में यह कहना युक्ति सगत होगा कि दक्षिण-पूर्व एशिया के इतिहास, उपनिवेशों का प्रारम्भ एवं भारतीय सस्कृति के विभिन्न अंगों का प्रसार आदि बातों की जानकारी लेखों से हो जाती है।

भारतीय साहित्य के आधार पर पता लगता है कि सुवर्ण-द्वीप (=सुमात्रा) में सर्व-प्रथम ईश्वर वर्मा ने पदार्पण किया था और क्रमशः वहाँ उपनिवेश बना। अरब या चीनी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त सुमात्रा के अभिलेख उस देश को सुमात्रा के लेख सुवर्ण द्वीप या सुवर्ण भूमि कहते हैं (सुवर्ण भूमि से मलय तथा समीपवर्ती सारे द्वीप समूह का बोध होता था) उस द्वीप के लेखों में भी विजय राज्य की चर्चा की गई है। सारे अभिलेख सस्कृत में लिखे गए हैं और लिपि के विचार से पाँचवीं सदी की उत्तर भारतीय लिपि से मिलते हैं। लेखों में वर्णन आता है कि श्री विजय नाम का स्थान संस्कृत विद्या का केन्द्र हो गया था। उसी में श्रीविजय के शासक के पराक्रम और वैदेशिक नीति को भी चर्चा है। दो सस्कृत लेखों में एक बौद्ध राजा जयसिंह का विवरण करता है।

मलय के सस्कृत लेख भी बृद्ध धर्म के प्रचार का वर्णन करते हैं। सभी सस्कृत लेख पाँचवीं सदी की गुप्त-लिपि में अंकित हैं। इससे प्रमाणित हो जाता है कि पाँचवीं सदी तक मलय में भारतीयों का उपनिवेश स्थापित हो गया था। प्रयाग स्तम्भ लेख में समुद्रगुप्त द्वारा समतट के भू-भाग पर अधिकार करने का वर्णन है। वहाँ के प्रसिद्ध बन्दरगाह ताम्रलिप्ति (वर्तमान तामलुक) से भारत वासी मलय पहुँचें और उपनिवेश बनाकर लेख खुदवाया होगा। एक लेख में वर्णन है कि कर्ण सुवर्ण में (उत्तरी बंगाल) बुधगुप्त नामक नाविक मलय प्रायद्वीप में गया था। मलय के समस्त संस्कृत लेख शिलाखण्ड या स्तम्भ पर अंकित हैं। एक में "महानाविक बुधगुप्तस्य रक्तमृतिका वास्तकस्य" (कर्णसुवर्ण = रक्तमृतिका का निवासी नाविक बुधगुप्त का—ज० ए० सो० व० १४ पृ० ७१) का उल्लेख है। सुवर्णभूमि के लेख तथा प्रतिमाएं ब्राह्मण धर्म तथा दर्शन के विस्तार का ज्ञान कराती हैं। लेखों के लिखने की काव्यमय शैली यह घोषित करती है कि वहाँ के निवासी भारतीय साहित्य से परिचित थे। नार्लंदा का एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् धर्मपाल भी आठवीं सदी में सुवर्णभूमि गया था। हिन्दू धर्म तथा महायान का विशेष प्रचार था और भारतीय परम्परा तथा सांस्कृतिक विचारधारा का प्रवाह भलीभाँति हो गया था।

दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश स्थापित हो जाने पर भारतीय सामाजिक रीति-रिवाज का प्रचार हुआ। स्वभावतः उन द्वीप समूहों में हिन्दू धर्म व साहित्य की ओर लोगों का ध्यान

जावा के अभिलेख गया। जावा में बौद्ध तथा हिन्दू मत का ज्ञान वहाँ के लेखों के अनुशीलन से होता है जो सस्कृत में लिखे गये थे। संस्कृत का विशेष प्रभाव जावा पर दिखलाई पड़ता है। दूसरी गदी में भी भारतीय जावा में जाते रहे। फाहियान ने हिन्दू धर्म के प्रचार का विशद् वर्णन किया है। पावत्री सदी से वहाँ लेख भी अंकित हुए जिनकी भाषा सस्कृत है तथा उत्तरी भारत की लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे। संस्कृत लेख छद्मबद्ध, काव्यशैली में लिखे गए थे। जावा के प्राचीन "कवि भाषा" में भी गमायण तथा महाभारत से सम्बन्धित काव्य मिलते हैं, जो कालिदास के काव्य से प्रेरित हुए हैं।

जावा के लेखों में ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म का वर्णन है। उनमें महायान तथा वज्रयान मतों का विवरण मिलता है। एक लेख के चार पवित्तियों में बौद्धधर्म का प्रसिद्ध पद उल्लिखित है।

ये धम्मा हेतु प्रभवा
तेपाम् हेतु तभागतो ह्यवदत्
अवदत् न यो निरोध,
एव वादी महाश्रमण.

ब्राह्मण धर्म के लेखों में महादान का वर्णन आता है। एक स्तान १२ गायत्रि द्वारा गायत्रि सहस्र दान करने का उल्लेख है [पाँच महादान का विवरण भारतीय अभिलेखों में मिलता है। तुलापुरुषदान के साथ सहस्र गाय दान को भी महादान कहते हैं] दूसरे लेखों में विष्णुपद की पूजा की चर्चा की गई है। जावा के राजा पूर्ण वर्मन ने राज्य बाल्य में संस्कृत साहित्य का अध्ययन होता था। उसके निम्न लिखित लेख में भारतीय तिथि तथा वर्ष का उल्लेख मिलता है।

श्री मान्दाता कुतजो नरपतिरसमो पु = यरातारुमाया
नाम्ना श्री पूर्णवर्मा प्रचुर = रिपु-शराभेद्य विरुवान वर्मा
(चक्रवर्ती-इण्डिया एण्ड जावा पृ० २५)

नरेन्द्र-ध्वज-भूतेन श्रीमता पूर्णवर्मणा
प्रारम्भ फारगुन मानिरुवाता कृष्णाष्टमो तिथी
चैत्र शुक्ल त्रयोदश्याम् दिन सिद्धकविङ्गके ।

× × ×

ब्राह्मणोग्गोसहस्रेण प्रयाति कुत दक्षिण

[वाजेल—दि एरलॉयस्ट इन्सकृप्शन्स आफ जावा पृ० ३२]

जावा के शैलेन्द्र वंश का इतिहास अभिलेखों में ही सुरक्षित है। इस वंश के राजा न जावा, सुमात्रा तथा मलय पर अधिकार कर लिया था। आठवीं सदी के सिमोर लेख में बौद्ध धर्म सम्बन्धी देवी देवताओं का उल्लेख यह बतलाता है कि भारतीय अभिलेखों में शैलेन्द्र वंशी राजा बौद्ध थे। उन लोगों ने तीन बौद्ध मंदिरों का निर्माण किया, तारा की प्रतिमा स्थापित की और संघ के लिए कई ग्राम दान में दिये। कलसन के लेख में इस तरह के दान का विवरण प्राप्त हुआ है। उस वंश के प्रसिद्ध राजा बालपुत्रदेव ने नालंदा

भारतीय अभिलेखों
में शैलेन्द्रवंश
की चर्चा

(बिहार प्रदेश) में दो बिहार बनवाया और उसके रक्षण तथा संस्कार के लिए बंगाल के पालवंशी राजा देवपाल देव से पाच ग्रामदान देने के लिए निवेदन किया था । (नालंदा ताम्रपत्र लेख) देवपाल ने उस प्रार्थना का स्वीकार कर लिया और स्वयं बौद्ध होने के कारण पटना तथा गया जिले के पाच गाव को बिहार के निमित्त दान दिया था । उनके नाम नन्दीवनाक, मणि-चाटक, नाटिका, हस्तिग्राम तथा पालामक—मिलते हैं (ए० इ० भा० १७ पृ० ३१०) इसी प्रकार का वर्णन चोलप्रशस्ति में भी पाया जाता है । लीडेन में इक्कीस ताम्रपत्र सुरक्षित हैं जिनका अधिक अंश संस्कृत में लिखा है तथा कुछ अंश तामिल में । संस्कृत अंश में वर्णित है कि जावा के शैलेन्द्र वंश के राजा मार बिजयो तुगवर्मन ने नागपट्टन में (आंध्रप्रदेश) बिहार तैयार किया था और उसके व्यय निमित्त राजराजा राजकेशरी वर्मन ने संघ को ग्राम दान किया । राजेंद्रचोल ने उस अनग्रहार को प्रतिष्ठा के लिए ताम्रपत्र खूदवाया था । इस तरह पता लगता है कि आठवीं सदी से ११ वीं सदी तक शैलेन्द्र वंश (जावा के शासक) राजा भारतीय नरेश में सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखते रहे । बंगाल के पाल राजा देवपालदेव तथा राजराजा ने उनका प्रतिष्ठा को स्थायी रखने के लिए ग्राम दान किया था । जावा के निम्नलिखित शिलालेख का अध्ययन में पता चलता है कि भारत तथा जावा में दान का समान उद्देश्य था पूजा के लिए भूमि दान में दो गयां था । इसके अनिर्गुण यज्ञ तथा धार्मिक प्रथो के अध्ययन निमित्त व्यय दिया जाता था । भारतीय दान शैली के सदृश दानपत्र उत्कीर्ण हैं । पूर्वी जावा के एक शिलालेख (७६० ई०) में अगस्त ऋषि की काले प्रस्तर की प्रतिमा स्थापित करने का विवरण पाया जाता है । अगस्त ऋषि की परम्परा उत्तर भारत से दक्षिण होकर स्यात् जावा पहुंच गई थी । इंगलिफ़ लेख में पाषाण मूर्ति की स्थापना का वर्णन किया गया है ।

आज्ञाप्य शिल्पिनमर स च दीर्घदर्शी कृष्णाद् भूतोपसमयो नृपतिः चकार ।

राजागस्तः शकाब्दे नयन वसुमे मार्गशीर्षे च मासे

आर्द्रस्थे शुक्रवारं प्रतिपद दिवसे पक्षसन्धीं प्रये ।

शिल्पिभिः वेदविद्विः पतिवर सहितं स्थापकायै सभोमै

क्षेत्र गाव सुपुष्या महिष गणशुता दासदासी पुरोगा

दत्ता राजा महर्षिप्रवार चरु हविस्स्नान सम्प्रर्धनादि

व्याया नृपस्य शक्तिता यदिवदात्तवृद्धी आस्तिश्वशुद्ध मलय पूजा,

दानाशुपुष्य यज्ञनाड ययभादश्रीला रक्षन्तु राज्य (मखिल) नृपति यथैवम् ।

राजेंद्र चाल से प्रेम पूर्ण व्यवहार स्थायी न रहे सका और शैलेन्द्र नरेश और चोल राजा में युद्ध छिड़ गया । तिरवालगडु क संस्कृत प्रशस्ति में इस युद्ध का विवरण पाया जाता है (मा० इ० भा० ३० पृ० ३८३) । बंगलोर के मेरूर मंदिर के तोप में राजेंद्र चाल के समुद्र पर विजय का वर्णन मिलता है (इ० कर० भा० ९ पृ० १४८-५२) । तजीर लेख (१०३० ई०) में वर्णन है कि राजेंद्रचोल का जहाजी वेडा सुमात्रा के पूर्वी भाग, मलय का भाग तथा श्री विजय पर अधिकार कर लिया था । लीडेन के छोटे लेखों में शैलेन्द्र वंश का इतिहास और जावा, मलय तथा सुमात्रा पर अधिकार का वर्णन मिलता है । इसवी सदी के ताम्रपत्रों में (चांगल तथा केडु) वहाँ के शासकों के नाम उल्लिखित हैं । चांगल के एक शिलालेख में हिन्दू देवता शिव, ब्रह्मा, विष्णु की प्रार्थना वाग्द श्लोकों में की गई है । यह

निश्चित कहना कठिन है कि कलिङ्ग या आंध्र देश से भारतीय जावा में जाकर उपनिवेश स्थापित किए परन्तु मध्य तथा पूर्वी जावा के ताम्रपत्रों से पता लगता है कि अगस्त्य ऋषि के नाम पर मध्य जावा में एक मंदिर निर्मित हुआ था। इस प्रकार दक्षिण भारत में प्रचलित अगस्त्य की जन श्रुति का प्रसार जावा में हो गया था। चांगल के लेख में अगस्त्य के पूजा का वर्णन आता है। लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है सजय ने दक्षिण भारत से अगस्त्य पूजा को जावा में फैलाया। पूर्वी जावा के संस्कृत लेखों से दैव मत के प्रसार का परिज्ञान होता है। मध्य जावा के कलसन लेख में (ई० स० ७७८) भारतीय दानपत्रों के सदृश पद्य अंकित है जिनमें दान भूमि की प्रतिष्ठा तथा आदर का विवरण प्रस्तुत किया गया है। दान कर्ता के उत्तराधिकारी के लिए दान का रक्षण आवश्यक था अन्यथा वे नरकगामी होते थे।

सर्वनिवा गामिन पाथिवेन्द्रान्

भूयो भूयो याचते राजसिंह

सामान्योयन्धर्म सेतु नराणा

काले काले पालनीयो भवद्भिः (कलसन लेख)

ये बान्धवा नृपसुता च ममन्त्रि मूर्ध्ना

दत्तो नृपस्य यदि ते प्रतिकूलचित्तौ

नास्मिन्मय दोष कुटिला नरके पतयु

न अमृत्र चनेह च गति परालभन्ते । (दिनय शिलालेख)

ऐसे भारतीय धर्मश्लोकों का समावेश अन्यत्र भी हुआ। चम्पा के सम्बन्ध में उल्लेख करना अनुचित न होगा।

ये रक्षन्ति रमन्त्येते । स्वर्गेश्वरगुणैस्सदा ।

ये हरन्ति पतन्त्येते नरके वा कुल्ले सह ।

भारत के प्राचीन साहित्य तथा अभिलेखों में सुवर्ण भूमि से मलाया तथा बर्मा का बोध होता है। महावंश में सोम द्वारा उपनिवेश स्थापित करने का वर्णन आया है। बर्मा के लेख

तथा मलाया की प्रशस्तिया चौथी तथा पाँचवीं सदी के संस्कृत में बर्मा तथा मलाया लिखी गईं जिनमें भारतीय लेखों के सदृश दान का वर्णन किया गया है। बर्मा के लेख बौद्ध धर्म से सम्बन्धित होने के कारण "योधम्मा हेतु प्रभवा" के मंत्र से प्रारम्भ होते हैं।

बोर्नियो में चौथी सदी से ही उपनिवेश स्थापित हो गया था और भारतीय संस्कृति का विस्तार गुप्तयुग में वहाँ हुआ। बोर्नियो के अभिलेख इसके प्रमाण हैं और संस्कृत लेख मूर्तियों

के आधारशिला (पीठ) अथवा स्तम्भ (यूप) पर खोदे गए थे।

बोर्नियो तथा एक यूप प्रशस्ति में मूलवर्मन राजा के धार्मिक कार्यों का वर्णन मिलता है। लेख में यज्ञ तथा कल्पवृक्ष के महादान का विवरण है। लेख निम्न प्रकार है —

श्री मूलवर्मा राजेन्द्रो यष्ट्वा बहु सुवर्णकम् ।

तस्य यज्ञस्य यूपोऽयम् द्विजेन्द्रैस्वम्प्रकल्पित ।

×

×

×

×

दार्न पुण्यतमे क्षेमे महत्तम्ब प्रकेश्वरे

द्विजातिभ्योऽग्निकल्पेभ्यः, विद्वात्तज्ज्ञो सहस्रिकम्

(ज० रा० ए० सो० भा० १ पु० ३८)

बालि एक ऐसा द्वीप है जहाँ आज भी भारतीय संस्कृति की लहर बहती है। वहाँ से भी संस्कृत भाषा में लेख उपलब्ध हुए हैं। उनमें राजा धर्मादमन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। दमवी सदी के लेखों में वहाँ का इतिहास तथा भारतीय संस्कृति की चर्चा सुरक्षित है।

हिन्द-चीन के विभिन्न प्रदेशों से—अनाम, कम्बोडिया आदि स्थान से—जितने लेख प्राप्त हुए हैं उन सब की भाषा संस्कृत है। चम्पा (अनाम) की प्रशस्तियों का अध्ययन यह बतलाता है कि संस्कृत वहाँ की राजभाषा थी और सब लेख ब्राह्मी में लिखे गए थे। सम्भवतः तासरी सदी से वहाँ संस्कृत भाषा और ब्राह्मी में लेख मिलते हैं। भारतीय धर्म तथा साहित्य के प्रचार में संस्कृत का ही सहारा था और इस की प्रधानता हो गई। उन लेखों

हिन्द-चीन के
संस्कृत लेख

की सहायता से अनाम में प्रचलित साहित्य (रामायण तथा महाभारत) तथा हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा का ज्ञान हो जाता है। शिव तथा विष्णु के पूजा का विवरण मिलता है। चम्पा के अन्य लेखों में त्रिदेव (ब्रह्मा विष्णु व महेश) का नाम आता है। एक संस्कृत लेख इनकी प्रार्थना से प्रारम्भ होता है—नमो महेश्वरम् उमाश्च प्रति ब्राह्मणा विष्णुमेव च नमो (मज्जमदार—चम्पा ३ पृ० ४)

चम्पा के शासक विक्रान्त वर्मा का ६५३ शक (= ई० स० ७३१) का लेख भी ऐसी ही स्तुति से आरम्भ किया गया है।

जयति जित मनोजो ब्रह्मविष्णुवादि देव
प्रणतपद-युगाब्जो निष्कलोऽप्यष्ट मूर्ति
त्रिभुवनहित हेतु सर्व संकल्पहारी
पर पश्य इह श्री शानदेवोऽयमाचः

सब से विचित्र बात यह है कि चम्पा के चौथी सदी के एक शिलालेख में (चो दिन-cho-dinh) मनुष्य-बलि का वर्णन किया गया है। महाराज भद्रवर्मन ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हें अग्नि की समर्पित कल्लेगा (लेख न० २) उस भावना के साथ एक दास को यूप से बाँधने का विवरण मिलता है। सम्भवतः इस दृग की बलि का क्रम प्राचीन भारत से अनुकरण किया गया होगा जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण (१३, ६, १, २) आपस्तम्ब (२०, २४, २) तथा कात्यायन (२१, १) सूत्रों में मिलता है [मज्जमदार-चम्पा न० २३] वहाँ के निवासी चाम जाति के लेखों में भारतीय दार्शनिक-विचार का उल्लेख किया गया है। दक्षिणी अनाम के एक संस्कृत लेख में मारवंशी राजा के उत्तराधिकारी नरेश के कार्यों की चर्चा छद्मबद्ध श्लोकों में की गई है।

श्री मार राजकुलवंश विभूषणेन
श्री मार लोक नृपते कुल नन्दनेन

आज्ञापित स्वजन सज्जन संघ मध्ये
वाक्य प्रजाहितकर करिणोभिः वरेण (ज० प्र० इ० सो० ६ पृ० ५७)

चम्पा के महसून लेखमें तथा जाना के शिला लेख में छोटे भागवर ग्रहण करने का विवरण पाया जाता है ।

चम्पा के दूसरे राजा इन्द्रवर्मा प्रथम (७९९ ई०) ने शिव प्रतिमा की स्थापना की थी जिन्का नाम भद्रेश्वरस्वामी रक्खा गया । उस शासक ने भगवान् शिव के लिए स्थायी रूप से (अन्नधान्यो) भूमि दान में दी । उस भाग से पैदानार का छठा भाग जो राजकीय कर के रूप लिया था उस चटा कर दसवां भाग कर दिया गया ।

“भूमि दत्ता जनपद मर्यादा पट्टभार्षिण अस्मार्क
स्वामिना दशभागाननुगृह्णता दवस्य देव इति [बर्ता]

उन लेख के अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय दान पत्रों की शैली में चम्पा के दान लेख उत्तीर्ण किए गए थे । राजवत्ता वर्णन के बाद इन्द्रवर्मा द्वारा दान का वर्णन है । अन्त में धर्मशैलिक भी उल्लिखित है जो भारतीय दान पत्रों की शैली में भारतीय दान पत्रों प्रसिद्ध शैली का उद्धरण अप्रामाणिक न होगा—

पट्टि तर्प सप्तवाणि स्वर्गो योदाति भूमिद आशेषा चानुसन्त न नार्थ्येव सन्ते वगेदति ।

तस्मै भगवते सकल लोकहित कार्णाय श्रीन्दमद्रेश्वरा

ये ददिति स भगवान् श्रीमार्तन्ध्रवर्मा जयकोण्डागारे

शिव यज्ञशेवद्रथ निविशिखा गिरि प्रदेश भक्त्या

शुद्धेन मनमेव दत्तवानिति ।

इन्द्रभद्रेश्वरस्मैव सर्वत्रय महीतले

य रक्षन्ति रमन्त्या ने स्वर्गो सुरगुणोद्भवा

लुब्धेन मनसा द्रव्य यो हरन्त् परमेश्वरात्

नरकात् न पुनर्माच्छेत् न चिरन्तु य शीदति । (चम्पा के लेख)

उर्ध्व चम्पा प्रदेश का दूसरे दानपत्र (८०१ ई०) में अग्रगण्य (कोष, कोण्डागार, दासगारी, नर मणिकोण्डा का दानपत्र) तथा राजा चम्पा के राजा सुन्दर गणतमिलता है जैसे कोई महारजा या राजा चम्पा दानपत्र का अनुकरण करे परमेश्वर का क्रोध कर सब में उल्लिखित किया गया है—

य वेदान्तु पापपुण्या स्वपुण्यपरिस्थार्थं ते तानि सर्वार्थि

हरन्त्य दार्शदुपा भवन्तु सर्वे कुल सन्ताने स्वर्गे

वसन्तु— य वेदान्तु पापपुण्या नरक निर्भया

तानि द्रव्याणि वा हरन्ति नाशयन्ति तेह्युत्पादुपा

वन्तु नरके पतन्तु, सर्वे सप्तमकुले यावत्

सूर्वा चन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्र तारा गणस्सन्ति

तावन् नरके वसन्तुस्म ।

कम्बोज (कम्बोजिया) के संस्कृत लेखों से पर्याप्त विषयों पर प्रकाश पटना है। उन प्रगतिस्थों में दान का विवरण के साथ दानघ्राही ब्राह्मणों के विद्या तथा ज्ञान का वर्णन मिलता है। उनमें वेद वेदांग में पारंगत ब्राह्मणों का उल्लेख है। रामायण तथा महाभारत का पठन पठन भी ब्राह्मण करते थे। हिन्दू शास्त्रों के साथ बौद्धधर्म ग्रन्थों का भी उन्हें ज्ञान था। अभिलेखों में इस दान पर बल दिया कि राजा तथा मंत्रो गण धर्म शास्त्र वा पूर्ण रूप से अध्ययन करें। ९ वीं सदी के कम्बोजिया की प्रगतिस्थियों में भारतीय पट्टदर्शन का नाम (ग्याय, सीमासा, साख्य, योग, वैशेषिक तथा वेदान्त) पत्रक-पुस्तक मिलता है। कम्बोज के राजाशाम ८ वीं तथा १०वीं सदियों में संस्कृत की अभिवृद्धि हुई थीर अधिक मरुथा में संस्कृत लेख भी योदे हुए थे (मजुमदार—हिन्दू-कालोनोअ एन फार ईस्ट पृ० १८२) संस्कृत के लेखों का विवेचन यह स्पष्टता बतलाता है कि कम्बोजिया में छद तथा अलकार शास्त्र का ज्ञान लोगों को पूर्ण रीति से था, समीक्षित लेख भारतीय वाच्यमय शैली में लिखे गए। उसमें दार्शनिक विचार तथा पौराणिक आख्यानाओं का विशद विवेचन पाया जाता है। एक लेख में यथावत् प्रकाशित द्वारा मणशाम पर विचारन तथा वा अलेख में जिसमें दार्शनिक अष्टाध्यायी सम्बन्धी बात लिखी है। इसमें भी मणशाम का नाम है। कम्बोज के दार्शनिक उद्देश्य मिलता है। यथावत् के लेखों में शास्त्रों का पदमन्त्र रत्नबन्ध ज्ञान का वर्णन भी मणशाम में है। ९ वीं सदी के अभिलेखों का अध्ययन संस्कृत को उनमें अध्ययन तथा पूर्ण काव्यमय शैली का परिचय करता है।

जहां तक धार्मिक विषयों का प्रश्न है, कम्बोजिया के लेखों में धार्मिक विचार तथा विषयों का विवेचन मिलता है। देवताओं की पूजा तथा धार्मिक उद्देश्य का भी विवरण है। दान का वर्णन भी माधारण पठना है। मनुष्य जीवन के गूढ रहस्य तथा धार्मिक धार्मिक कर्तव्यों का विवेचन लेखों में किया गया है। उसमें ही अनिरयता, मुक्ति, ब्रह्म में निर्वास होना, तप, दया, धार्मिक बातों का वर्णन मन्दर दक्षिण में की गई है (मजुमदार—कम्बोज इन्डो-क्रियशान्) १०वीं सदी के शासनकाल में जन्मे समकालीन संस्कार के विचार तथा धार्मिक भावना का उल्लेख किया है। कम्बोज के लेखों में एक विचित्र प्रकार मिलता है जिसमें अध्ययन-स्थापना की बात लिखी है। कम्बोजिया के संस्कृत लेख यह बतलाते हैं कि मणशाम तथा राजा वर्ग आश्रम स्थापना में अभिरुचि रखते थे। यथावत् ने अकेले ही आश्रमों का स्थापना की जो ध्यान विस्तार तथा मनन के लिए उपयुक्त समझे गये। इस कारण इनका स्थापना के साथ दान भा दाना गया जिसका अन्वय मन्दर वर्णन अभिलेखों में किया गया है। इन प्रगतिस्थियों का अध्ययन भारतीय संस्कृति के पंचार का ज्ञान तथा उसका जड़क संस्कृत लेखों के महत्त्व की जानकारी करता है। कर्तव्य का तात्पर्य यह है कि हिन्दू जीवन के संस्कृत अभिलेख बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रसार के परिचायक हैं। तथा भारत से सदियों तक उन प्रदेशों के सभ्यता को बतलाते हैं।

दक्षिण पूर्व एशिया के प्रतिरक्त उत्तर पश्चिम के मार्ग से भी भारतीय संस्कृति का प्रचार मध्य एशिया तक हुआ। अफगानिस्तान तो भारतीय मोमा नेपाल, तिब्बत तथा मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार व्यापारियों के हाथों हुआ। बहा भारतीय उपनिवेश स्थापित हुए। चीनी यात्रियों के विवरण से

पता चलता है कि भारतीय धर्म का प्रसार का बड़ा संघ कायम किए गए। उन विहारों में बौद्ध-भिक्षु रहते तथा भारतीय साहित्य का अध्ययन करते थे। मध्य एशिया के भोजपत्रों पर जो कुछ लिखा जाता था वह खरोष्ठी तथा मिश्रित भाषा में। उस मह भूमि में लेख नहीं मिलते किन्तु तरीम घाटी से प्राप्त ग्रंथ गुहा चित्र, विहार के भग्नावशेष से भारतीय संस्कृति का मूल्य आका जा सकता है।

नेपाल का भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध सदा से रहा है। भारतीय शासक वहाँ राज्य करते रहे हैं। मौर्य शासन वहाँ विस्तृत था। गुप्त सम्राट् समुद्र गुप्त ने नेपाल पर अधिकार कर लिया था। तीसरी सदी से लिच्छवी लोगो का नेपाल में शासन था जिनके लेख संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी में मिले हैं। चांगू-नारायण का स्तम्भ लेख इसका ज्वलन्त उदाहरण है। इसकी भाषा संस्कृत है तथा चौथी पाचवी सदी की ब्राह्मी में लिखा गया है। इसमें भारतीय सम्बन्ध तथा मास तिथि का उल्लेख है (३० ए० भा० ९ पृ० १६३)।

सातवी सदी के पश्चात् तिब्बत का इतिहास हमें ज्ञात है। नेपाल से ही वहाँ भारतीय संस्कृति, धर्म आदि का (वज्रयान का) प्रसार हुआ, जिस के सम्बन्ध में भारतीय साहित्य बड़ा फल। तिब्बत लिपि-गुप्त लिपि से ही निकली है जो मैथिली के अधिक समीप है। (ए० इ० भा० ११ पृ० २६७)

वृहत्तर भारत की चर्चा समाप्त करने से पूर्व भारतीय लेखों के आधार पर यह विवरण उपस्थित किया जा सकता है कि प्राचीन समय में विदेशियों का क्रमशः भारतीयकरण हो गया। बाहर की जातियों ने विभिन्न धर्म तथा परिस्थिति को लेकर विदेशियों का भारतीयकरण भारत में प्रवेश किया। कालान्तर में उन्होंने भारतीयता को अपनाया। इसी पूर्व सदियों में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। विदिसा (मालवा) के समीप यूनानी दूत हेलियोदोरस का जो स्तम्भ लेख मिला है उममें यूनानी दूत हेलियोदोरस भागवत शब्द से विभूषित है। इससे पता चलता है कि वह वैष्णव मतानुयायी हो गया था। इसलिए विष्णु मंदिर के सम्मुख गरुड ध्वज स्थापित किया। इतना ही नहीं अपलदतस तथा पंतलेव नामक यूनानी शासक भारतीय धर्म से प्रभावित हुए थे। इसी सन् के आरम्भ में शक राजा बीमकदफिस भी शैव हो गया और भगवान् शिव की मूर्ति को अपने सिक्को पर स्थान दिया था। वह अपने को 'महेश्वरस्य' भी कहता था। कुपाण नरेश के सामत भी पश्चिमी भारत में भारतीय संस्कृति के अनुगामी हो गये और वैदिक कर्मकाण्ड को अपनाया था। नासिक के लेख में नहपान के जमाता ऋषभदत्त ने ब्राह्मणों को ग्राम दान दिया तथा नदियों के घाट को पुण्यतर (नि शुल्क) कर दिया। उस लेख में इस बात का उल्लेख किया है कि ब्राह्मणों के कन्या दान का सारा व्यय ऋषभदत्त ने दिया था। भारतीय संस्कृति में इसे एक महादान मानते थे तथा ब्राह्मण कन्या के विवाह के लिए द्रव्यदान करना अत्यन्त पुण्य समझा जाता था। पद्य पुराण में वर्णन आता है कि ऐसे कार्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती थी (ब्रह्मखण्ड अध्याय २४)

सालङ्कार द्विज श्रेष्ठ कन्या यच्छति यो नरः

सु गच्छेत् ब्रह्म सदन पुनर्जन्म न विद्यते।

विदेशी शक लोगो ने सीथियन नाम छोड़कर भारतीय नामों को अपनाया। घस-मोटिक के वंशज र्दरसिह कहलाए तथा योम के उत्तराधिकारी वामुदेव के नाम से विख्यात हुए। खरोष्ठी तथा प्राकृत के स्थान पर ब्राह्मी एवं संस्कृत को क्रमशः स्थान दिया गया। अतएव संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विभिन्न भारतीय लक्षों का अध्ययन यह सूचित करता है कि विदेशियों ने किस प्रकार भारतीय संस्कृति को अपनाया।

इस सम्बन्ध में भागवत का श्लोक प्रस्तुत है कि विदेशी जातियाँ वैष्णव धर्म में दीक्षित हो गईं।

किरात-हूणाघ्न-पुलिद-पुल्कसा-आभीर-कङ्का यवना खगादय
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रमा शुष्यति तस्मै प्रभविष्णवै नम

(भागवत, स्कन्ध २, अध्याय ४, श्लोक १८)

